द्वादश माला, खंड 6, अंक 9

गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1998

19 अग्रहायण, 1920 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 59
Date 25.8.99

सत्यमेव जयते

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे०एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं ग्ना जायेगा।

# विषय-सूची

*[द्वादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]*

**अंक 9, गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1998/19 अग्रहायण, 1920 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा की पचासवीं वर्षगांठ का उल्लेख | 1 |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 161, 163, 166 से 169 और 171 | 1-26 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 162, 164, 165, 170 और 172 से 180 | 26-64 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 1832 से 2061 | 64-239 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | 240 |
| समितियों के प्रतिवेदन | |
| प्राक्कलन समिति | |
| दूसरा प्रतिवेदन | 241 |
| लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति | |
| पहला प्रतिवेदन | 241 |
| रक्षा संबंधी स्थायी समिति | |
| विवरण | 241 |
| उद्योग संबंधी स्थायी समिति | |
| छब्बीसवां से उनतीसवां प्रतिवेदन | 241-242 |
| कार्य मंत्रणा समिति के बारे में प्रस्ताव | |
| सातवां प्रतिवेदन | 242 |
| उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक – *पुर:स्थापित* | 242-243 |
| सभा के कार्य के बारे में घोषणा | 243-244 |
| नियम 377 के अधीन मामले | |
| (एक) गुजरात के जामनगर जिले की अद्यतन टेलीफोन डायरेक्टरी शीघ्र प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री चन्द्रेश पटेल | 251 |
| (दो) मध्य प्रदेश में नमोशूद्र बंगालियों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री सोहन पोटाई | 251 |
| (तीन) मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को "रस्ट" बीमारी द्वारा हुई क्षति के कारण प्रभावित किसानों की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री रामानन्द सिंह | 252 |


* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| (चार) गुजरात में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा कदम उठाए जाने की आवश्यकता | |
| श्रीमती भावना देवराज भाई चिखलीया | 252 |
| (पांच) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री के०डी० सुल्तानपुरी | 252-253 |
| (छह) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के रामागुण्डम सुपर थर्मल पावर स्टेशन की भूमि से बेदखल हुए लोगों की शिकायतों की जांच किए जाने की आवश्यकता | |
| डा० सुगुण कुमारी चलामेला | 253 |
| (सात) केरल में साबरी रेलवे लाइन को पुनालूर, बरास्ता साबरीमाला तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री सुरेन्दन चेंगारा | 253 |
| **उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन विधेयक** | |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री थावरचन्द गेहलोत | 258 |
| श्री शैलेन्द्र कुमार | 259 |
| श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण | 261 |
| श्री यशवंत सिन्हा | 263-269 |
| खण्ड 2 और 1 | |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | |
| **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के बारे में प्रस्ताव** | |
| श्री बलीराम कश्यप | 270 |
| श्री टी०आर० बालू | 274 |
| श्री अजीत जोगी | 277 |
| कुमारी ममता बनर्जी | 287 |
| श्री बाजू बन रियान | 292 |
| श्री प्रभूदयाल कठेरिया | 296 |
| श्री शैलेन्द्र कुमार | 300 |
| श्री रघुवंश प्रसाद सिंह | 304 |
| श्री कड़िया मुण्डा | 308 |
| **नियम 193 के अधीन चर्चा** | |
| देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार | |
| श्री सी० गोपाल | 309 |
| श्री सुरेश कुरूप | 312 |
| डा० शफीकुर्रहमान बर्क | 317 |
| प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा | 331 |
| श्री राम विलास पासवान | 335 |

| विषय | कॉलम |
| --- | --- |
| श्रीमती सुमित्रा महाजन | 342 |
| श्री रघुवंश प्रसाद सिंह | 346 |
| डा० सुगुण कुमारी चलामैला | 352 |
| श्री मुख्तार नकवी | 355 |
| श्री के०ए० सांगतम | 371 |
| डा० बीट्रिक्स डिसूजा | 374 |
| प्रो० जोगेन्द्र कवाडे | 376 |
| श्री एस०एस० ओवेसी | 378 |
| श्री अकबर अली खांदोकर | 383 |
| कुमारी किम गंगटे | 386-392 |
| मंत्री द्वारा वक्तव्य | |
| रबी मौसम, 1998-99 के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार के लिए की गई पहल | |
| श्री सोमपाल | 367-369 |

## लोक सभा

गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1998/19 अग्रहायण, 1920 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई*

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

## मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा की पचासवीं वर्षगांठ का उल्लेख

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** पचास वर्ष पूर्व आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा को अंगीकार किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सदस्य के रूप में भारत ने मानव अधिकारों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस विधेयक में उक्त घोषणा और दो अन्तर्राष्ट्रीय संविदाएं - एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में और दूसरा नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों तथा उनके वैकल्पिक न्याचार के सम्बन्ध में-अन्तर्निहित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी भूमिका और वैदिक और पौराणिक काल से चली आ रही व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करने की अपनी परम्परा के अनुरूप हमने अपने संविधान में मानव अधिकारों और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यवस्था की है। इसके अलावा हमने अपनी परम्पराओं को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धताओं के अनुरूप ढालने का भरसक प्रयास किया है। इसी कोशिश में हमने उपयुक्त कानून बनाए, सांस्थानिक तंत्र का निर्माण किया है और तदनुरूप कदम उठाए हैं।

इस बात पर विचार करते हुए कि हमारा समाज विभिन्न धर्मों एवं समुदायों का एक बहुलतावादी समाज है और हमारी आबादी का विशाल भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का है, हम सदैव सतर्क रह कर मानवीय अधिकारों और नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान और रक्षा के लिए प्रयास करते रहेंगे। हम लोकतांत्रिक, संवैधानिक, कानूनी विकासशील और शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शासन के तीनों अंगों यथा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा इनके साथ-साथ समाज को इस कार्य में शामिल कर विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं बच्चों और अशक्त लोगों के इन अधिकारों और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा की ओर विशेष ध्यान देंगें।

---

**पूर्वाह्न 11.03 बजे**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[हिन्दी]*

### विमान दुर्घटनाएं

*161. **डा॰ सुशील इन्दौरा :**
**डा॰ चिन्ता मोहन :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अगस्त, 1998 के "इकोनामिक टाइम्स" में "ह्यूमैन एरर बिहाइन्ड 62 प्रतिशत आफ एयर क्रैशेस: डी.जी.सी.ए." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) मानव-त्रुटि, यांत्रिक खराबी और अन्य कारणों से हुई दुर्घटनाओं का अलग-अलग प्रतिशत क्या है, और

(घ) भविष्य में ऐसी विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) जी, हां।

(ख) 1985 से 1998 (आज तक) की अवधि के दौरान भारत में सिविल पंजीकृत विमानों की दुर्घटनाओं में से लगभग 62 प्रतिशत दुर्घटनाओं का कारण मानवीय चूक थीं। मानवीय चूकों से संबंधित दुर्घटनाएं मुख्यतया कौशल की चूकों असावधानी वश हुई चूकों और कर्मीदल की अत्वरित चूकों का परिणाम रही हैं।

(ग) मानवीय चूकों के अतिरिक्त, दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों में से 19 प्रतिशत विमानों और अनुरक्षण से संबद्ध कारक है जबकि 7 प्रतिशत मौसम परिस्थितियों से संबद्ध कारक और 12 प्रतिशत विविध कारक हैं।

(घ) विमान दुर्घटनाओं और घातक घटनाओं की जांच से पाई गई कमियों के संबंध में सिफारिशों के कार्यान्वयन, उड़ान डाटा रिकार्डरों की मानिटरिंग, अतिरिक्त संरक्षा मार्गदर्शी सिद्धांतों और विनियमों को लागू करना, संरक्षा संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से संरक्षा सूचना का प्रचार-प्रसार, उड़ान निरीक्षकों द्वारा निगरानी, विमानक्षेत्रों का समय-समय पर निरीक्षण करना, ऑपरेटरों की संरक्षा ऑडिट, उड़ान कर्मीदल के लिए कॉकपिट संसाधन प्रबंधन (सीआरएम) पाठ्यक्रम का संचालन करना, विमानों में एयरबोर्न कोलिजन एवायडेंस प्रणाली (एसीएएस) और भू सामीप्य चेतावनी प्रणाली की संस्थापना को अनिवार्य बनाना जैसे विमान संरक्षा के स्तर को विकसित करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

**डा॰ सुशील इन्दौरा :** महोदय, क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अगस्त, 1998 के "इकोनामिक टाइम्स" में "हयूमन एरर बिहाइन्ड 62 प्रतिशत आफ एयर क्रैशस: डी.जी.सी.ए." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है। मैं मानवीय चूकों, यांत्रिक खराबी और अन्य कारणों के कारण हुई दुर्घटनाओं का पृथक-पृथक प्रतिशत और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहता हूं।

**श्री अनंत कुमार :** मानवीय चूकों के कारण लगभग 62 प्रतिशत विमान दुर्घटनाएं होती हैं। वह विवरण तथ्यों पर आधारित विवरण है।

इन दुर्घटनाओं में 46 प्रतिशत दुर्घटनाएं कौशल की चूकों, 30 प्रतिशत असावधानी वश और लगभग 24 प्रतिशत अत्वरित चूकों से होती है। हमने इन्हें रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

**श्री अजीत जोगी :** अत्वरित चूक क्या है?

**श्री अनंत कुमार :** उसे अन्य अनुपूरक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है जिसका मैं उत्तर दूंगा क्योंकि अभी मैं उनके अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

**श्री अजीत जोगी :** कृपया स्पष्ट करे इससे आपका तात्पर्य क्या है?

**श्री अनंत कुमार :** कौशल चूक वह चूक होती है जो मुख्यत: कार्य संचालन कौशल के अभाव के कारण होती है। कभी कभी कौशल स्तर उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। वास्तव में उसका एक उदाहरण ए-320 विमान दुर्घटना का दिया जा सकता है जो 9 वर्ष पहले घटी थी। वह कौशल चूक के कारण हुई थी।

असावधानी वश हुई चूक सम्पर्क टूट जाने, सूचना के आदान प्रदान में उपयुक्त तालमेल का अभाव होने जैसी परिस्थितियों के कारण होती हैं जैसा कि चरकी-दादरी में हुआ।

और तीसरे श्रेणी अत्वरित चूकों की है। अत्वरित चूकें तभी होती हैं जब विमान चालक खराब मौसम के समय निर्णय लेने में गलती करता है अथवा वह हत्भाग्यपूर्ण निर्णय लेता है। इन खामियों को दूर करने के लिए हम विभिन्न उपाय कर रहे हैं। इनमें नागर विमानन के महानिर्देशक द्वारा निरन्तर निरीक्षण, सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और विभिन्न हवाई सुरक्षा गोष्ठियां और संगोष्ठियां आयोजित करना है। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले छ: वर्षों में 1994 को आधार मानकर ऐसी दुर्घटनाएं घटकर 36 प्रतिशत पर आ गई है।

**श्री बलराम जाखड़ :** महोदय अत्वरित चूकों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसे कोई भी जानबूझ कर नहीं करता है। यह तो केवल आत्महत्या की प्रवृति की तरह है जहां आप ऐसा कर सकते हैं अन्यथा और कोई विकल्प नहीं होता . . . *(व्यवधान)*

**श्री के० विजय भास्कर रेड्डी :** क्या आप कहना चाहते हैं कि किसी को मारने के लिए आप लोगों को नियुक्त करते हैं ?. . . *(व्यवधान)*

**श्री बलराम जाखड़ :** यह तो अपने स्टाफ पर लांछन लगाने वाली बात है। इस तरह अपमानजनक उक्ति कभी नहीं होनी चाहिए . . . *(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार :** मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य के सुझाव को स्वीकार करता हूं . . . *(व्यवधान)*

**डा० सुब्रहम्ण्यम स्वामी :** वह आर एस एस की अंग्रेजी में बोल रहे थे।

**श्री अनंत कुमार :** यह किसी अन्य की अंग्रेजी का प्रश्न नहीं है। यह तकनीकी शब्दावली है हम उस शब्दावली की परिभाषा को बदल देंगे।

*[हिन्दी]*

**डा० सुशील इन्दौरा :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 62 प्रतिशत दुर्घटनाएं मानवीय अक्षमता के कारण यानी स्किल ग़ार के कारण होती हैं, मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या कारण है? क्या ट्रेनिंग की कमी है या कोई और कारण है या जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, उनके ऊपर वर्कलोड अत्यधिक है जिसके कारण ये एक्सीडेंट होते हैं?

महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन एक्सीडेंटों में अब तक कितना जानमाल का नुकसान हुआ है? मेरी जानकारी में यह बात भी आई है कि जो मंत्री महोदय ने 64 प्रतिशत एयर दुर्घटनाएं मानवीय अक्षमता के कारण होना बताया है, उनमें एक मुख्य कारण यह भी है कि जो इंस्ट्रूमेंट या उपकरण इन जहाजों एवं इनके रख-रखाव हेतु मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा क्रय किए जाते हैं, वे सब-स्टैंडर्ड होते हैं, जिनके कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं जिनको मंत्री महोदय मानवीय अक्षमता के कारण होना बता रहे हैं, क्या यह ठीक है? अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यह जानना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं को रोकने या इनके निदान के लिए निकट-भविष्य में मंत्री महोदय क्या कारवाई करेंगे? . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया, अब बस कीजिए, एक साथ इतनी सप्लीमेंट्री न पूछिए।

**डा० सुशील इन्दौरा :** ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन हवाई जहाजों में जो यात्री यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षित यात्रा एवं वे सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचे, इसके लिए वे क्या कार्यवाई कर रहे हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार :** दुर्घटनाओं की संख्या में 62 प्रतिशत दुर्घटनाएं मानवीय चूक से होती है और जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह कौशल और अन्य समस्याओं के कारण होती है। 19 प्रतिशत दुर्घटनाएं विमानों की रखरखाव की समस्या के कारण और 7 प्रतिशत दुर्घटनाएं खराब मौसम के कारण होती है . . . *(व्यवधान)*

**श्री टी. गोविन्दन :** मद्यसेवन भी उक्त कारकों में से एक है।

**श्री अनंत कुमार :** वह मानव चूकों के 62 प्रतिशत के अंतर्गत आता है।

जब कभी विमान चालक और चालक दल के सदस्यों का विमान में जाने से पूर्व डाक्टरी परीक्षण किया गया है, कभी भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है।

विमानों के रख रखाव से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में आंकड़े अत्यन्त न्यूनतम 19 प्रतिशत है। इस वर्ष केवल चार दुर्घटनाएं हुई हैं। अन्तिम दुर्घटना को हवाई दुर्घटना नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक फोटोग्राफर हेली काप्टर के भीतर चला गया था जब उसकी चक्रियां (रोटरी) घूम रही थी तो वह उसमें मारा गया था।

सौभाग्यवश विश्व में हुई दुर्घटना के आंकड़ों से तुलना की जाए और विश्व मानकों के अनुरूप देखा जाए तो भारत में दुर्घटनाओं के आंकड़े काफी कम है। हमारे बीमा प्रीमियम इस बात के बारे में काफी कुछ कहता है। वास्तव में 1994 की तुलना में बीमा प्रीमियम में 75 प्रतिशत की कमी हुई है। हम इंडियनएयर लाइंस में 36 करोड़ रुपये से अधिक के बीमा प्रीमियम की अदायगी किया करते थे। अब हम केवल 11 प्रतिशत के बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं मैं समझता हूं यह स्थिति स्वयं विमान संरक्षा के बारे में बताती है . . . *(व्यवधान)*

**डा॰ चिन्ता मोहन** : कल बंगलौर में नागर विमानन के महानिर्देशक श्री कोहला ने कहा था कि चूंकि वे प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते है इसलिए दुर्घटनाएं होती है। ये प्रक्रियाएं क्या है जिनका वे अनुपालन नहीं करते हैं?

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मानवीय चूक से सम्बन्धित है। उड़ान भरने, विमान चलाने और विमान को उतारने की निश्चित प्रक्रियाएं है यदि कोई इन निर्धारित प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया का भी पालन नहीं करता है तो दुर्घटना हो सकती है। हम इसे बता नहीं सकते हैं। प्रत्येक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कई पहलुओं का अनुकरण करना पड़ता है। यदि इन में से किसी एक का भी पालन नहीं किया गया तो वहां विमान दुर्घटना होने की सम्भावना हो सकती है। अत: हमने इसके बारे में अत्यन्त कड़े कदम उठाए हैं और हम इसी पूरी स्थिति पर निरन्तर और कड़ी निगरानी रखे हुए हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री कल्पनाथ राय** : अध्यक्ष महोदय, यांत्रिक खराबी के कारण तो दुर्घटनायें होती हैं, वह ठीक है लेकिन हिन्दुस्तान में अच्छी सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो एयरलाइन्स आना चाहती हैं जैसे टाटा एयरलाइन्स है, ताकि कम्पीटिशन हो और अच्छी सेवा उपलब्ध हो, परन्तु उन अच्छी सेवाओं को भी भारत सरकार नहीं आने दे रही है। प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा के समय में भी वह सेवा उपलब्ध नहीं हुई। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न विमान दुर्घटना से सम्बन्धित है।

*[हिन्दी]*

**श्री कल्पनाथ राय** : अध्यक्ष महोदय, श्री गुजराल जी के समय में भी वह सेवा उपलब्ध नहीं हुई, अब आप मंत्री बने हैं और आपके जमाने में भी ये सेवा उपलब्ध नहीं हो रही है। क्या अच्छी सेवा उपलब्ध न होने के कारण भी ये दुर्घटनायें होती हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, मुख्य प्रश्न विमान दुर्घटना और विमान संरक्षा के बारे में है। अत: इनका अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता है।

**श्री मुरली देवरा** : इंडियन एयरलाइंस के अधिकतर विमान बेड़ों में एयर बस 300 और बोईंग 737 के विमान ही हैं। हम देख रहे हैं कि ये विमान संचालन के लायक नहीं हैं और 15 वर्षों से अधिक पुराने हैं विश्व के बड़े एयरलाइन्स उन विमानों को अपने उड़ान में नहीं लाते जो 17 से 20 वर्ष पुराने हो जाते हैं इंडियन एयर लाइंस विमान चालक संघ ने इस बात की कई बार शिकायत की है सरकार पुराने विमानों का नवीकरण करने और उनके स्थान पर नए विमान लाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

**श्री अनंत कुमार** : इस सभा के कुछ सदस्यों की गलत धारणा को झुठलाते हुए मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बेड़ा बहुत पुराना है। इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े अर्थात ए-320 की औसत आयु सात वर्ष छह माह है और संपूर्ण बेड़े की कुल औसत आयु ग्यारह वर्ष नौ माह है।

**श्री मुरली देवरा** : मैंने ए-300 और बोइंग-737 के बारे में पूछा है।

**श्री अनंत कुमार** : मैं उस बात पर आ रहा हूं।

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : बोइंग-737 की औसत आयु क्या है।

**श्री अनंत कुमार** : ए-300 विमान 25 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। ये 18 वर्ष पुराने हैं। बोइंग-737 विमान 17.3 वर्ष पुराने हैं। विमान की आयु महत्वपूर्ण नहीं है। विमान की सुरक्षा और जीवन क्षमता विमान के रखरखाव पर निर्भर करते हैं। इसलिए यह गलत धारणा है कि विमान की आयु के कारण बेड़ा अनुपयोगी बन जाएगा। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि बेड़े में वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है और हमें अपने बोइंग व अन्य विमानों के बेड़े में न केवल पुराने विमानों को बदलने की आवश्यकता है अपितु नए विमान जोड़े जाने की भी आवश्यकता है। हम इस बात पर सक्रियता से गौर कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 26 प्रतिशत इनएडवर्टैंटली यानी असावधानी के कारण और 34 प्रतिशत डैलीब्रेट, जिसके हिन्दी के मायने इरादतन है, डैलीब्रेट ऐरर्स के कारण ये ऐक्सीडेंट्स हुए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डेलीब्रेट ऐरर्स के कारण जो ऐक्सीडेंट्स हुए हैं, उनमें सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

*[अनुवाद]*

**डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी** : यह आत्मघाती मानसिकता है।

**श्री अनंत कुमार** : मैं इसे आत्मघाती मानसिकता नहीं कहता हूं मैं इसे दुस्साहसिक मानसिकता कहूंगा।

इस सब और विशेषकर मानवीय चूकों के संबंध में मैं एक विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं।

**श्री पी॰ एम॰ सईद** : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मेरा प्रश्न पूरी तरह मुख्य प्रश्न के संदर्भ में नहीं है . . . *(व्यवधान)* मुझे आशंका है कि उनके द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों में किसी मार्ग पर उड़ान स्थगित करना भी एक उपाय है। मानों किसी विशेष हवाई मार्ग पर कोई विमान दुर्घटना हो जाती है तो वे उस हवाई मार्ग से उड़ान वापस ले लेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विमान दुर्घटना के बाद विगत छह माह से मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है। महोदय, इसीलिए मैं आपकी अनुमति से उनसे इसके कारण के बारे में पुछ रहा हूं। मंत्री जी, क्या आपको कोचीन में हुई विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? आप यह विमान सेवा पुन: कब शुरू करने जा रहे हैं? कृपया सभा में वचन दें।

**श्री अनंत कुमार** : मैं अपने वरिष्ठ सदस्य श्री पी. एम. सईद की भावनाओं और चिन्ता को समझता हूं। स्थिति यह है कि कोचीन और लक्षद्वीप के बीच एक डोनियर उड़ान थी, लगभग चार माह पूर्व एक भयंकर दुर्घटना हुई। एक जांच आयोग की स्थापना की गई थी। उसने रिपोर्ट दे दी है। सुधारात्मक उपाय कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने की गई कार्यवाही रिपोर्ट भी स्वीकार कर दी है। मैं मानता हूं कि उस द्वीप के लिए विमान सेवा की आवश्यकता है। हम इस पर सक्रियता

*से विचार कर रहे हैं। जैसे ही ड्रोनियर उपलब्ध होंगे हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। हमें दुर्गम क्षेत्रों को ड्रोनियर से जोड़ना है . . . (व्यवधान)*

**श्री पी०एम० सईद :** यह दुर्गम क्षेत्र नहीं है? आप यह कब कर रहे हैं? . . . *(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार :** यह दुर्गम क्षेत्र है। मैं इसकी आवश्यकता को मानता हूं। इसलिए मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर सक्रियता से विचार करूंगा।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि अतिरिक्त संरक्षा दिशा-निर्देश लागू करने इत्यादि के बारे में कदम उठाए जा रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि दिल्ली विमान पत्तन पर कुछ समय पूर्व कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया था और उसे अभी चालू नहीं किया गया है। विमानचालक शिकायत करते हैं कि उन्हें उड़ाने भरते और उतरते समय बहुत कठिनाई होती है। यदि आप मानवीय चूक की बात करते हैं और यदि उन माननीय चूकों को कम करने वाली प्रौद्योगिकी को काम में नहीं लाया जाता है तो विमानचालकों को दोष क्यों दें? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली विमान पत्तन पर निर्मित कंट्रोल टावर और वहां स्थापित उपकरण चालू नहीं किए गए हैं?

**श्री अनंत कुमार :** माननीय सदस्य मुम्बई और दिल्ली के बीच मैक्स-बीड़ी वायुयातायात प्रणाली के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। हमने आठ द्वितीयक निगरानी राडार भी प्राप्त किए हैं जो बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं और नौवां राडार भी तीन माह के भीतर प्रमुख वायु यातायात इन्टरसेक्शन नागपुर में चालू कर दिया जाएगा।

दिल्ली के बारे में मैं सभा को सहर्ष सूचित करता हूं कि हम जनवरी के पहले अथवा दूसरे सप्ताह तक वायु यातायात प्रणाली के आधुनिकीकरण की मैक्स-बीडी प्रणाली जिसमें द्वितीयक निगरानी राडार और आई एल एस शामिल हैं, स्थापित करेंगे।

*[अनुवाद]*

## *प्रचार पर व्यय*

***163. श्री नृपेन गोस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा प्रचार पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष में तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस व्यय में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) रेलवे के विज्ञापन आमतौर पर केवल उन्हीं प्रकाशनों को जारी किए जाते हैं जो दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की दरों पर विज्ञापन प्रकाशित करते हैं, जो विज्ञापनों की वाणिज्यिक दरों से काफी कम होती हैं, इसके अलावा, सांविधिक निविदा विज्ञापनों को छोड़कर, केवल ऐसे अवसरों पर ही रेलवे विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं जहां नई परियोजनाओं, सेवाओं, सुविधाओं के संबंध में रेल उपयोगकर्त्ताओं से संबंधित सूचना के प्रचार-प्रसार और रेल यात्रा में संरक्षा उपायों आदि के संबंध में जन-साधारण में जागरुकता लाने के लिए ऐसा किया जाना अपेक्षित होता है। प्रचार पर खर्च को नियंत्रित करने के लिए पूरे पृष्ठ के विज्ञापन केवल राष्ट्रीय महत्व वालो प्रमुख घटनाओं तक ही सीमित रखने के लिए कार्रवाई की गई है और इस प्रकार के मामलों में समाचार पत्रों की संख्या भी सीमित कर दी गई है।

### अनुबंध

*क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रचार (विज्ञापन) पर किए गए व्यय का विवरण*

(आंकड़े रुपये में)

| रेलवे | विज्ञापन की किस्म | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 (21.10.98 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| मध्य | निविदा (सांविधिक) | -1,57,41,546 | -1,96,59,522 | -2,35,63,779 | -1,52,62,575 |
| | प्रदर्शन (प्रचार) | -58,46,518 | -69,44,405 | -81,36,990 | -46,19,502 |
| | जोड़ | -2,15,88,064 | -2,51,44,587 | -3,17,00,769 | -1,98,82,077 |
| पूर्व | निविदा (सांविधिक) | -3,98,88,983 | -4,10,88,161 | -3,13,20,077 | -1,21,25,521 |
| | प्रदर्शन (प्रचार) | -1,05,32,331 | -1,08,78,691 | -67,96,089 | -18,95,235 |
| | जोड़ | -5,04,21,314 | -5,19,66,852 | -3,81,16,166 | -1,40,20,756 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर | निविदा (सांविधिक) | -1,86,15,441 | -1,87,80,125 | -3,36,31,596 | -2,84,97,819 |
| | प्रदर्शन (प्रचार) | -61,78,850 | -1,32,85,731 | -1,31,04,481 | -54,52,282 |
| | जोड़ | -2,47,94,291 | -3,20,65,856 | -4,67,36,077 | -3,39,50,101 |
| पूर्वोत्तर | निविदा (सांविधिक) | -1,74,35,380 | -1,59,08,019 | -1,66,59,642 | -67,29,719 |
| | प्रदर्शन (प्रचार) | -05,52,301 | -1,38,08,505 | -47,12,034 | -31,243 |
| | जोड़ | -1,79,87,689 | -2,97,26,524 | -2,13,71,676 | -67,60,962 |
| पूर्वोत्तर सीमा | निविदा (सांविधिक) | -41,60,454 | -78,71,784 | -77,14,950 | -62,14,564 |
| | प्रदर्शन (प्रचार) | -05,11,858 | -15,83,856 | -23,35,870 | -13,92,970 |
| | जोड़ | -46,72,312 | -94,55,640 | -1,00,50,820 | -76,07,534 |
| दक्षिण | निविदा (सांविधिक) | -1,98,79,300 | -2,02,02,657 | -3,39,93,783 | -2,72,16,400 |
| | प्रदर्शन (प्रचार) | -33,52,478 | -98,28,284 | -48,37,057 | -37,77,057 |
| | जोड़ | -2,32,31,778 | -3,00,30,941 | -3,88,30,840 | -3,09,93,457 |
| दक्षिण मध्य | निविदा (सांविधिक) | - उपलब्ध नहीं | -85,00,000 | -1,12,00,000 | -54,00,000 |
| | प्रदर्शन (प्रचार) | - उपलब्ध नहीं | -27,00,000 | -07,00,000 | -02,53,000 |
| | जोड़ | -1,96,00,000 | -1,12,00,000 | -1,19,00,000 | -56,53,000 |
| दक्षिण पूर्व | निविदा (सांविधिक) | -1,67,90,981 | -1,92,08,936 | -1,19,36,598 | -71,32,692 |
| | प्रदर्शन (प्रचार) | -39,42,535 | -17,82,351 | -28,44,944 | -17,13,501 |
| | जोड़ | -2,06,62,516 | -2,09,01,287 | -1,47,81,542 | -88,46,193 |
| पश्चिम | निविदा (सांविधिक) | -62,27,772 | -51,63,520 | -71,12,683 | -56,94,074 |
| | प्रदर्शन (प्रचार) | -07,14,564 | -15,33,611 | -21,03,773 | -03,87,815 |
| | जोड़ | -69,42,336 | -66,97,131 | -92,16,456 | -60,81,889 |
| मैट्रो रेलवे | निविदा (सांविधिक) | 09,26,153 | 05,54,928 | 09,28,800 | 14,64,208 |
| कलकत्ता | प्रदर्शन (प्रचार) | 20,13,487 | 10,08,684 | 10,24,000 | 03,17,682 |
| | जोड़ | 29,39,640 | 15,63,000 | 19,52,800 | 17,81,890 |
| सभी क्षेत्रीय रेलों | निविदा (सांविधिक) | 13,95,95,101* | 15,69,37,652 | 17,80,61,908 | 11,57,37,572 |
| और मैट्रो रेल कलकत्ता के | प्रदर्शन (प्रचार) | 3,36,44,930* | 6,33,54,118 | 4,65,95,238 | 1,98,40,287 |
| लिए जोड़ | जोड़ | 19,28,40,031 | 22,02,91,770 | 22,46,57,146 | 13,55,77,859 |

*इनमें दक्षिण मध्य रेलवे के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

**श्री नृपेन गोस्वामी** : महोदय, माननीय मंत्री ने विज्ञापन पर किए गए व्यय का विवरण दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कतिपय परियोजनाओं के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने में स्थानीय वर्नाकुलर दैनिक समाचार पत्रों और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के बीच कोई भेदभाव किया गया है।

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** : इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। जोनल रेलवेज की जो भी जरूरत होती है, जहां विज्ञापन देना चाहिए, दो तरह के विज्ञापन देने होते हैं, एक स्टेचुटरी है, जो टेंडर आदि के बारे में उनको विज्ञापन देने होते हैं, दूसरे डिस्प्ले एडवरटाइजमेंट होता

है, जिसके बारे में बता दिया गया है; इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। नार्मली डी.ए.वी.पी. रेट्स पर ही विज्ञापन दिये जाते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री नृपेन गोस्वामी :** पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए माननीय मंत्री जी के पिछले असम दौरे के दौरान असम में किसी भी स्थानीय वर्नाकुलर दैनिक समाचार पत्र में कोई विज्ञापन नहीं प्रकाशित हुआ। ये विज्ञापन राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों को दिए गए जबकि वर्नाकुलर दैनिक समाचार पत्रों को रेल विभाग से कोई विज्ञापन प्राप्त नहीं हुए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि विज्ञापन जारी करने में स्थानीय वर्नाकुलर दैनिक समाचार पत्रों की उपेक्षा की जाती है।

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार :** माननीय सदस्य एक स्पेसिफिक उदाहरण दे रहे हैं, हम उसकी जांच जरूर करवा लेंगे। जो भी मेरे पास सूचना है और मैंने समीक्षा की है, उसके आधार पर यह जानकारी मिली है कि इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन की कोई शिकायत होगी तो उसकी जांच जरूर की जाएगी। [illegible] ...ेजेज के जो न्यूजपेपर्स हैं, उनमें भी विज्ञापन जाने चाहिए, [illegible] ...पन हों।

**डा० बिक्रम सरकार :** अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे से मालूम पड़ता है कि विज्ञापनों पर 17.00 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। एक ओर संसाधनों की कमी के कारण अनेक योजनाओं के लिए धन की कमी है तो दूसरी ओर, विज्ञापनों पर व्यय किया जा रहा है और समाचार की शक्ल में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिया जा रहा है। ये रोजमर्रा की बाते हैं इनके बारे में विशेष कुछ नहीं हैं। किंतु मेरे विचार से यह मंत्री महोदय और जोनल मैनेजर के अहं की तुष्टि के लिए है। . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

**डा० बिक्रम सरकार :** मैं उस बात पर अभी आ रहा हूं। मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। पहला, विज्ञापनों को दिए जाने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? दूसरा, क्या मंत्री जी नहीं सोचते कि इस धन राशि का उपयोग रेलवे की कतिपय विशिष्ट योजनाओं विशेष रूप से सुरक्षोपायों, जिनके लिए धन आबंटन की कमी है, के लिए बेहतर ढ़ंग से उपयोग किया जा सकता है?

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार :** माननीय सदस्य ने एडवरटाइजमेंट डिस्प्ले की 17 करोड़ रुपये की जो फीगर बताई, ऐसा कुछ नहीं है। यहां दी गई फीगर्स पिछले तीन वर्षों की और इस साल अक्तूबर तक की फीगर्स हैं जो आपके अपेंडिक्स में दी गई है।

*[अनुवाद]*

**डा० बिक्रम सरकार :** यदि आप आंकड़ों को जोड़ दें तो कुल योग 17 करोड़ रुपये आता है।

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार :** आप इसको गौर से देख लें। जहां तक 1995-96 का सवाल है, जो टेंडर आदि के बारे में स्टेचुटरी एडवरटाइजमेंट होते हैं, उसका व्यय 13,95,95,101 रुपये और डिस्प्ले पब्लिसिटी का 3,36,44,330 रुपये है, जिसमें दक्षिण मध्य रेलवे के आंकड़े सम्मिलित नहीं है। इस तरह से करीब 19 करोड़ रुपये खर्च हुए। उसके अगले साल और 1997 में दोनों को मिलाकर करीब 22 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस साल अब तक करीब 13 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें डिस्प्ले और पब्लिसिटी के लिए 1 करोड़ 98 लाख 40 हजार और 287 रुपए हैं। इसमें सेफ्टी के बारे में जानकारी, ट्रेन्स के मूवमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। जहां तक इनौग्रेशन और फंक्शंस का सवाल है, इस बारे में निर्देश दिए जा चुके हैं, जो कि फालो होते हैं। हमारे जमाने में कोई भी इनौग्रेशन का विज्ञापन फुल पेज का हुआ हो, आप एक भी उदाहरण बता दें, कोंकण रेलवे को छोड़कर जिसके बारे में प्रचार किया गया था कि हमारे इंजीनियर्स ने क्या एचीव किया है इसलिए उसकी स्पेशल जानकारी फुल और हाफ पेज में दी गई थी, उसके अलावा आप एक भी उदाहरण बता दें तो हम फौरन एक्शन लेंगे। जब से हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भाला है, तभी से निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें भारी कटौती हुई है तथा आसटेरिटी बढ़ती जा रही है। जहां तक फुल पेज टेंडर विज्ञापन की बात है, फुल पेज का टेंडर स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है, उसकी पब्लिसिटी उनको करनी ही है, वह लीगल रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न रेलवे में, साउथ-ईस्टर्न रेलवे में और नार्दर्न रेलवे में यह तय किया गया है कि तीन चौथाई विज्ञापन एक दिन देते हैं, उसमें अपने टेंडर के बारे में बता देते हैं। उसमें एक चौथाई स्पेस फ्री देते हैं। उसमें कंसर्न्ड रेलवे अपनी एक्टीविटीज के बारे में विज्ञापन देती है।

एक चौथाई जो फ्री स्पेस मिलता है उसमें कंसर्न्ड रेलवे अपनी एक्टीविटीज के बारे में जानकारी देती है। उसमें भी मैंने निर्णय लिया है कि एक चौथाई का आधा यानी एक बटा आठवें पेज में जोनल रेलवे अपनी जानकारी देगी और रेलवे बोर्ड के स्तर से लोगों को जो जानकारी पहुंचानी चाहिए, वह दी जाएगी। . . . *(व्यवधान)* आप एक उदाहरण तो बताएं, कोई सूचना दें, हम फौरन एक्शन लेंगे। यह पैसा घट रहा है, डी.ए.वी.पी. के रेट्स करीबन 20 से 30 प्रतिशत बढ़े हैं। उसके बाद की खर्च की राशि देख लें, टोटल ट्रांसपेरेंसी देख लें।

## लघु इस्पात संयंत्रों को बन्द करना

+

***166. श्री विकास चौधरी :**
**श्री सुनील खां :**

**क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने लघु इस्पात संयंत्र बन्द कर दिए गए और इसके क्या कारण थे,**

**(ख) इनके बन्द होने के कारण कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं,**

**(ग) उक्त संयंत्रों के बंद हो जाने से कुल कितना उत्पादन प्रभावित हुआ है, और**

**(घ) उन्हें फिर से चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?**

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बंद की गई विद्युत चाप भट्टी (लघु इस्पात संयंत्र) इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है :

| वर्ष | बंद की गई इकाइयों की संख्या |
|---|---|
| 1995-96 | 4 |
| 1996-97 | 15 |
| 1997-98 | 25 |
| 1998-99 | 7 |

(31.10.98 की स्थिति के अनुसार बंद की गई विद्युत चाप भट्टी इकाइयों की कुल संख्या 143 बताई गई है)

विद्युत की उच्च दरें, घटिया गुणवत्ता, बढ़ती हुई आदान लागत, अनार्थिक उत्पादन क्षमता, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, श्रम, वित्तीय और प्रबंधकीय समस्याएं और मांग में मंदी जैसे अनेक कारणों से इन इकाइयों का निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

(ख) इनके बंद होने के कारण लगभग 34,000 श्रमिकों के बेरोजगार होने का अनुमान है।

(ग) बंद इकाइयों की औसत क्षमता लगभग 53 लाख टन वार्षिक है।

(घ) वर्तमान औद्योगिक नीति के तहत् लोहा और इस्पात उद्योग को पूरी तरह से उदार बना दिया गया है। अत: किसी भी इकाई की व्यवहार्यता बाजार स्थितियों द्वारा निर्धारित की जाती है। रुग्णता की स्थिति में पुनरुद्धार के विकल्प पर विचार करने के लिए सरकार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का संस्थागत तंत्र उपलब्ध करवाती है।

**श्री विकास चौधरी :** मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से इन सभी रुग्ण लघु इस्पात उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए आगे आई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार का इरादा भारतीय बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता करने के लिए इन उद्योगों को राज सहायता देने का है?

*[हिन्दी]*

**श्री रमेश बैस :** अध्यक्ष महोदय, जितनी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूनिट्स लगी हुई हैं, वे पहले से हैं। 1991 में इनको फ्री लाइसेंसिंग के माध्यम से लगाया गया था। वर्तमान सरकार की इस बारे में स्पष्ट नीति है। इस समय सरकार के पास ऐसे कोई अद्यतन आंकड़े नहीं हैं कि जो यूनिट्स बंद हुई है, उनके लिए कार्यवाही कर सकें, . . . *(व्यवधान)* फ्री लाइसेंसिंग होने के बाद जो यूनिट्स लगाई गई, उसके सरकार के पास अद्यतन आंकड़े नहीं हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 1995-96 में 4, 1996-97 में 15, 1997-98 में 25 और 1998-99 में 7 यूनिट्स बंद हुई हैं।

कुल मिलाकर 143 यूनिट आज तक बंद हुई है। यूनिट्स बंद होने के कारणों में विद्युत का टैरिफ बढ़ना, गुणवत्ता के कारण बढ़ती हुई आदान लागत, आर्थिक उत्पादन अक्षमता, अप्रचलित औद्योगिक श्रम, वित्तीय अप्रबंधन से संबंधित समस्याएं और मांगों को लेकर होने वाले बंद इत्यादि शामिल हैं, जिनके कारण ये इकाइयां बंद हुई हैं।

**श्री विकास चौधरी :** माननीय मंत्री जी से, आपने जो इलैक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़ना इत्यादि कारण बताए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि मिनी स्टील इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माफिक है जिन्हें गवर्नमेंट से रिलीफ मिलना चाहिए। क्या उन्हें सब्सिडी देने के बारे में सरकार का कोई इंटेंशन है ताकि वे यूनिट्स अपनी प्रोडक्शन कर सकें, वहां जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वे काम करते रहें और मार्केट इकोनॉमी जिस पर आज हमला हो रहा है, मिनिस्ट्री उसके संबंध में विचार करके कुछ राहत देने का काम करेगी या नहीं?

**श्री रमेश बैस :** यह राज्य स्तर का मामला है और राज्य जब तक इलैक्ट्रिक टैरिफ कम नहीं करते, उसमें हम कोई एक्शन नहीं ले सकते।

*[अनुवाद]*

**श्री सुनील खां :** क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने हेतु अवसंरचना विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है?

*[हिन्दी]*

**श्री रमेश बैस :** इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए अभी तक कोई ढांचा नहीं बनाया गया है . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सुनील खां आपका केवल एक अनुपूरक प्रश्न है। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री बसुदेव आचार्य,

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य :** महोदय, हमारे देश कें अनेक लघु इस्पात संयंत्र संकट का सामना कर रहे हैं। इसका कारण केवल इस्पात क्षेत्र में मंदी नहीं है . . . *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुनील खां :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.33 बजे**

*इस समय श्री सुनील खां आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।*

*[अनुवाद]*

**श्री सुनील खां :** मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यह ठीक नहीं है।

*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.34 बजे**

*इस समय श्री सुनील खां अपने स्थान पर वापस चले गए।*

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, विगत तीन या चार वर्षों से देश के अनेक लघु इस्पात संयत्र संकट का सामना कर रहे हैं। इस्पात क्षेत्र में चल रही मंदी लघु इस्पात उद्योगों के संकट का कारण नहीं है। इसके अनेक कारण है। लघु-इस्पात उद्योगों का प्रति वर्ष 5.3 मिलियन टन का योगदान है।

हमारा कुल इस्पात उत्पादन 20 मिलियन टन प्रति वर्ष है और 143 लघु इस्पात संयंत्रों के बंद होने से 34,000 कामगार बेकार हो गए हैं और हमें घाटा हो रहा है। इस्पात संयंत्रों के बंद होने के अनेक कारण हैं। एक कारण भू भट्टी (अर्थ फर्नेस) है जो पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इन बंद पड़े सभी लघु इस्पात संयंत्रों को पुनरुज्जीवित करने, पुनः आरंभ करने और पुनः खोलने के लिए कदम उठाएगी, जिनमें हजारों कामगार कार्यरत हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[illegible] आचार्य : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं [illegible] बंद पड़े लघु इस्पात संयंत्रों को पुनरुज्जीवित करने, [illegible] करने और पुनः खोलने के लिए कोई कार्यक्रम बनाएगी?

*[हिन्दी]*

**श्री रमेश बैस** : महोदय, जितने प्राइवेट सैक्टर के यूनिट्स हैं, उनमें वर्तमान में 34 हजार कर्मचारी यूनिट्स बन्द होने के कारण प्रभावित हुए हैं। प्राइवेट सैक्टर में कुछ यूनिट्स बन्द हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह छः-सात उद्योग और चालू हो रहे हैं। प्राइवेट सैक्टर में यूनिट्स बन्द होने के कारण जो कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए ऐसी कोई योजना नहीं है कि सरकार उनके लिए जिम्मेदार हो। जो नए यूनिट्स खुल रहे हैं, उनमें ये कर्मचारी जा रहे हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : नए कहां खुल रहे हैं और कौन कहां जा रहा है, सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्या मेजर्स ले रही है और क्या उद्योग लगा रही है - इस बारे में बताइए? . *(व्यवधान)*

**श्री रमेश बैस** : जो उद्योग पुरानी तकनीक और मिसमैनेजमेंट के कारण बन्द हो रहे हैं, और जो नए उद्योग खुल रहे हैं, उनमें इंडियन सीमलैस, एस्सार स्टील, जिन्दल और प्रकाश आदि हैं। जो नए उद्योग खुल रहे हैं, उनमें ये कर्मचारी एब्जार्ब हो रहे हैं।

**आवास क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश**

+

***167. श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
**श्री के० पी० मोहन :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवास क्षेत्र के लिए सौ प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष और नौवीं योजना अवधि के दौरान सरकार, गैर-सरकारी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा आवास क्षेत्र में किए गए अनुमानित निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी)** : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

**विवरण**

(क) और (ख) आवास क्षेत्र में इस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

(ग) नौवीं योजना के लिए शहरी आवास के कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार नौवीं योजनावधि के दौरान औपचारिक क्षेत्र से शहरी आवास के लिए 34,000 करोड़ रुपए राशि आना परिलक्षित है। 1998-99 के दौरान शहरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र आवास और आश्रय स्कीमों के लिए कुल बजटीय सहायता 491 करोड़ रुपए तक की है। चूंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अभी अनुमति नहीं है इसलिए वर्ष के दौरान और नौवीं योजना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आकलन के मामले का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से पता चला है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रवर्तित स्कीम इंदिरा आवास योजना के तहत 1997-98 के लिए 1143.75 करोड़ रुपए और 1998-99 के लिए 1600 करोड़ रुपए बजट नियतन किया गया है।

महोदय, माननीय सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न को पूछे जाने के पहले ही मैं इस जानकारी में कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं और माननीय सदस्य का ध्यान 28 नवम्बर, 1998 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि आवास सम्बन्धित गतिविधियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ-साथ मेरी सरकार ने विदेशों से निवेश को प्राप्त करने की सम्भावना पर बहुत जोर दिया है। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने कई विशेष प्रस्ताव बनाए हैं जिन पर मंत्रिमंडल द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। हमारा विचार आवास क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अत्यधिक उदार शर्तों का प्रावधान करने का है।

महोदय, अतिशीघ्र यह नीति बनाई जाएगी। मैं सभा में नीति को प्रस्तुत करूंगा। इसीलिए मैं माननीय सदस्यों से इस मामले पर प्रश्नों को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत ही अच्छा उत्तर है।

श्री शर्मा, कृपया इस बात को ध्यान में रखिए कि मंत्री जी पहले ही इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने का अनुरोध कर चुके हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने हमारे सामने एक बात रखी है। उनको लगता है कि प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के संबंध में कुछ नीति बननी है। इस बारे में प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है और इनके मंत्रालय की तरफ से भी कुछ प्रस्ताव आना है। मंत्री जी ने कहा है कि उसके बाद इस प्रश्न पर विचार करें, तो अच्छा होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को आगे किसी समय विचार करने के लिए रखा जाए।

**सशस्त्र बलों के वेतनमानों में असमानता**

+

***168. श्री यू. वी. कृष्णमराजु :**
**श्री सी. कुप्पुसामी :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के वेतन तथा भत्तों की विसंगतियों तथा असमानताओं के संबंध में अजित कुमार समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के विभिन्न संवर्गों के अन्दर वास्तविक विसंगतियों को दूर करने के लिए रक्षा स्कंधों में किसी विसंगति समिति का भी गठन किया है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) से (ङ.) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

(क) से (ङ.) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू किए जाने से सशस्त्र सेना कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों में उत्पन्न विसंगतियों पर विचार करने के लिए गठित की गई अजित कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 अप्रैल, 1998 को सरकार को सौंप दी थी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों का एक दल, जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव हैं तथा सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सचिव (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), सचिव (व्यय) इसके सदस्य हैं, इस समय समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहा है जिसमें वेतनमानों, भत्तों में असमानता और अन्य संबंधित विसंगतियां शामिल हैं। अधिकारियों के दल की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं और आशा है कि सरकार शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लेगी।

सशस्त्र सेनाओं के वास्ते लागू की गई पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों पर विचार करने के लिए सरकार ने किसी अन्य विसंगति निवारक समिति का गठन नहीं किया है। तथापि विभिन्न रक्षा स्थापनाओं में कार्यरत रक्षा सिविल कार्मिकों से संबंधित विसंगतियों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक विभागीय विसंगति निवारक समिति गठित की है।

**श्री यू.वी. कृष्णमराजु :** अध्यक्ष महोदय, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आने के बाद से सशस्त्र सेनाओं के जवानों और विभिन्न अधिकारियों में असंतोष और अत्यधिक रोष व्याप्त था क्योंकि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें पक्षपातपूर्ण थीं। अब सरकार द्वारा अजित कुमार समिति की रिपोर्ट की जांच और उस पर विचार किया जा चुका है। तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना में इसे कितने प्रतिशत तक कार्यान्वित किया जा चुका है?

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :** महोदय, उस रिपोर्ट की जांच किए जाने के पश्चात् एक उप समिति का गठन किया गया है जो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। समिति उससे जुड़े व्यक्तियों की सुविधानुसार सामान्यत: प्रतिदिन या साप्ताहिक बैठकें कर रही है। अन्तिम सिफारिशों के प्राप्त होते ही उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

**श्री यू.वी. कृष्णमराजु :** क्या विभिन्न श्रेणियों के लिए की गई सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा किसी समय-सीमा को सुझाया गया है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :** समय-सीमा का कोई प्रश्न नहीं है। तीनों सेनाध्यक्ष, मंत्रिमण्डलीय सचिव और रक्षा सचिव इन विषयों की जांच कर रहे हैं। उनके अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचते ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे।

**श्री सी. कुप्पुसामी :** महोदय, एक समिति गठित की गई है। उस समिति ने 23 अप्रैल, 1998 को ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी। मंत्री महोदय ने मूल समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिए एक और समिति के गठन का उल्लेख किया है। तमिल में एक कहावत है :

"कमिटियाय पोडु, इलाविट्टल किनाथिले कलाई पोडु" इसका अर्थ है :

"यदि आप किसी मामले को स्थगित रखना चाहते हैं या उस मामले में आपकी सुविधानुसार विलम्ब करना चाहते हैं तो इसको विलम्बित करने के लिए एक समिति का गठन कीजिए।"

इसका अर्थ यह हुआ कि एक कुंए में एक पत्थर का रखा जाना जिसे सामान्यत: निकाला नहीं जाता है। इसीलिए मैं मंत्री जी, जिन्होंने 1975 में रेल कर्मचारियों के संघर्ष का नेतृत्व किया था, से अनुरोध करता हूं कि ऐसे विलम्ब को नहीं होने दिया जाए और बिना किसी विलम्ब के पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करें।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :** महोदय, यह समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का मामला नहीं है। रक्षा सेवाओं की एक श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में ही कुछेक गम्भीर समस्या सहित कई घटनाएं हुई है। इसके बाद ही एक समिति का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। वास्तव में यह एक अधिकारियों का समूह है। मैंने एक समिति का उल्लेख किया है। परन्तु इसे समिति कहना उपयुक्त नहीं होगा। अधिकारियों का एक दल प्रत्येक सिफारिश पर विचार कर रहा है। तीनों सेनाध्यक्ष भी इन सिफारिशों की जांच कर रहे हैं। वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वही निष्कर्ष अन्तिम होगा।

सदस्य विलम्ब की बात कर रहे हैं। अभी कई सिफारिशें हैं जिनकी जांच की जानी है। उनका सम्बन्ध वेतनमानों से है। इस सिफारिश के छह भिन्न पहलुओं पर छह अलग-अलग सिफारिशें हैं।

इसके बाद भत्ते आते हैं जोकि 29 प्रकार के हैं। इन पर मतभेद हैं और इन भत्तों पर चर्चा किया जाना बाकी है।

इस प्रकार इन सभी विषयों पर तीनों सेनाध्यक्ष और जैसाकि मैं कह चुका हूं इससे सम्बन्धित अधिकारियों का दल इसकी जांच कर रहा है। जब वे सिफारिशें कर देंगे तब हम उन्हें कार्यान्वित करेंगे। वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है। यह वेतन आयोग की सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन का ही परिणाम है।

*[हिन्दी]*

**मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्म्ड फोर्सिज की तनख्वाह के बारे में समय-समय पर चर्चा होती रहती है, लेकिन इसमें एक कैटेगिरी ऐसी है, जिन के बारे में बहुत कम चर्चा होती है और वह है सैकिण्ड वर्ल्ड वार के रिलीज्ड वर्ल्ड वार-II वैटरन्स जिन्हें 5-6 साल बाद नौकरी से अलग कर दिया गया था। उनको बिना पेंशन के रिलीव कर दिया था तथा उन्हें उस समय कुछ ग्रैच्युटी मिली थी लेकिन बहुत समय तक कुछ नहीं मिला। उन्हें स्टेट गवर्नमैंट सौ रुपए प्रति माह देती रही है। मैंने दसवीं लोक सभा में भी यह बात उठायी थी। उसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने उनको ढाई सौ रुपए महीना देना स्वीकार किया था। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस पर पुन: व्यवस्थित ढंग से विचार होना चाहिए। सैकिण्ड वर्ल्ड वार के वेटरन्स आज 80 साल से ऊपर के हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन का कोई सहारा नहीं है, जिन की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सैकिण्ड वर्ल्ड वार के वैटरन्स के बारे में विचार करके कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनके जीवन के जो थोड़े साल शेष रह गए हैं, उसमें वे डिग्निटी के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :** अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मुझे इस मामले में एक आवेदन दिया गया था जो विचाराधीन है। मैं सदन को इतना कह सकता हूं कि उस पर अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा।

अध्यक्ष **महोदय :** प्रश्न संख्या 169 डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी।

**श्री दादा बाबू राव परांजपे :** महोदय, आपको मुझे अवसर देना चाहिए। मैं आजाद हिन्द फौज के 500 युद्ध लड़ चुके सैनिकों में से एक मात्र जीवित व्यक्ति हूं . . . *(व्यवधान)* मुझे मौका दिया जाना चाहिए . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं। अन्य सदस्य भी है जो सेना में थे।

*(व्यवधान)*

**श्री दादा बाबूराव परांजपे :** महोदय, तो फिर मैं विरोध में सभा से बहिर्गमन करता हूं . . . *(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.46 बजे**

*इस समय श्री दादा बाबूराव परांजपे सभा भवन से बाहर चले गए।*

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज सिंह चौहान :** अध्यक्ष महोदय, यह आजाद हिन्द फौज के सैनिक रहे हैं इसलिए इन्हें प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया मेरी बात समझिए। मैं उनकी स्थिति से अवगत हूं। परन्तु मैं अगले प्रश्न पर चला गया हूं। अगली बार मैं उन्हें अवसर दूंगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री परांजपे, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपके अनुरोध पर बाद में विचार करूंगा।

*(व्यवधान)*

**इस्पात उद्योग हेतु पुनरुद्धार पैकेज**

***169. डा० टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात उद्योग के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर पुनरुद्धार पैकेज घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ड.) इस पुनरुद्धार पैकेज से इस्पात उद्योग के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) से (ग) इस्पात क्षेत्र में मंदी का विश्लेषण करने के लिए सरकार द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्यदल की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

1. डी.ई.पी.बी. (ड्यूटी इन्टाइटेलमेंट पास बुक) योजना दरों को युक्तिसंगत बनाना।

2. कतिपय परिसज्जित इस्पात मदों पर आयात शुल्क की यथा मूल्य दर को निश्चित शुल्क में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता पर विचार करना।

3. घटिया और दोषपूर्ण सामग्री के आयात पर विशेष आयात शुल्क लगाने और इस्पात की कतिपय श्रेणियों के लिए शुल्क को विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित दरों तक बढ़ाने जैसे उपायों पर विचार करना।

4. विशिष्ट न्यूनतम मूल्य से कम की घटिया और दोषपूर्ण सामग्री के आयात को खुला सामान्य लाइसेंस के तहत से हटाने पर विचार करना।

5. एक त्वरित कार्य-तंत्र स्थापित करके पाटन के मामलों को निपटाना।

6. इस्पात क्षेत्र के लिए ऐसे आदान मदों, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, पर 2% + 3% के विशेष उत्पाद शुल्क और 4% के विशेष अतिरिक्त शुल्क को वापस लेना/माफ करना।

(घ) और (ङ.) इस्पात उद्योग की मौजूदा समस्याओं के समाधान हेतु उक्त सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई तथा प्राप्त कुछ परिणामों का विवरण निम्नानुसार है :

1. अनेक आदानों जैसे कोककर कोयला (12% से कम राखांश), अकोककर कोयला धातुकर्मीय कोक, फेरो, निकल, चार्ज निकल और निकल ऑक्साइड सिंटर, न्यून सिलिकायुक्त चूना पत्थर और ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड (28" से अधिक) पर 2% + 3% का विशेष सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है।

2. रूस और यूक्रेन से तप्त बेल्लित क्वायलों/पत्तियों/दादरों/प्लेटों और बॉयलर गुणवत्ता की प्लेटों के आयात पर उपयुक्त पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया है।

इस्पात की मांग में वृद्धि करने, डी.ई.पी.बी. दरों को युक्तिसंगत बनाकर इस्पात के निर्यात को प्रोत्साहित करने और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस्पात क्षेत्र को परियोजना वित्त में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों सहित उपर्युक्त उपायों से इस्पात उद्योग के कार्यकरण में सुधार होने की संभावना है।

*[अनुवाद]*

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में केवल सामान्य पुनरुद्धार पैकेज को दिया है। उन्होंने इस्पात उद्योग के विभिन्न इस्पात संयंत्रों की स्थिति पर विचार नहीं किया है। मेरा पहला प्रश्न विशाखापटनम इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित है जिसमें भारत सरकार ने लगभग 8,500 करोड़ रुपयों का निवेश किया है, यद्यपि इस्पात संयंत्र ठीक से कार्य कर रहा है परन्तु यह लाभार्जन नहीं कर रहा है। यह एक गम्भीर समस्या है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। वह इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

महोदय, यद्यपि माननीय मंत्री जी ने ऋण को हाल ही में साधारण शेयरों में बदला है परन्तु अभी भी कई आन्तरिक समस्याएं हैं। इस सार्वजनिक उपक्रमों, जिसमें 8,500 करोड़ रुपयों को डुबो दिया गया है, के कर्मचारियों और इस्पात संयंत्र के प्रबन्धन में यह भय व्याप्त है कि इसे बन्द किया जा सकता है। इसीलिए, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है क्या सरकार कम से कम, समस्याओं को सुलझाने और ऐसे विशाल इस्पात संयंत्र को बचाने के लिए कदम उठा रही है।

*[हिन्दी]*

**श्री रमेश बैस :** अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में आर. आई. एन. एल. विजाग स्टील प्लांट का उल्लेख नहीं है लेकिन जो प्रश्न किया गया है, उसकी डिटेलज चाहें तो आपको दे सकता हूं। जो मूल क्वैश्चन है, उसमें पर्टीकुलर स्टील प्लांट का नाम नहीं था।

*[अनुवाद]*

**श्री अजीत जोगी :** सभा जानना चाहती है और न कि केवल सदस्य ही . . . *(व्यवधान)*

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** महोदय, विजाग इस्पात संयंत्र एक घाटे में चल रहा संयंत्र है और प्रश्न इस्पात उद्योग के घाटे में चल रहे संयंत्रों से सम्बन्धित है। . . . *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रमेश बैस :** अध्यक्ष महोदय, यह विजाग के बारे में क्वैश्चन नहीं है। दूसरी जानकारी चाहे तो दे सकता हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी, आप उन्हें लिखित में उत्तर दे सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री ए०सी० जोस :** महोदय, परसों मैंने इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि मंत्रीगण पूरी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। महोदय . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया, नहीं।

**श्री ए०सी० जोस :** महोदय, यह प्रश्न इस्पात उद्योग से सम्बन्धित है और माननीय मंत्री जी कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** वे उन्हें लिखित में उत्तर दे देंगे।

**श्री ए०सी० जोस :** महोदय, कोई भी मंत्री सभा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयारी से नहीं आ रहे हैं। हम इस संबंध में आपका संरक्षण चाहते हैं। मैं आपसे माननीय मंत्रियों से सभा में पूरी तैयारी से आने के निर्देश देने का अनुरोध करता हूं। . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री जी पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** महोदय, माननीय मंत्री महोदय के पास पर्याप्त सूचना न होने के बावजूद भी, उन्हें यह नीति अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्तमान सरकार विजाग इस्पात संयंत्र की गम्भीर स्थिति पर क्या विचार करने जा रही है जिसमें 8,500 रुपये डूब चुके हैं। मैं इस पर माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। यह मेरा पहला प्रश्न है।

*[हिन्दी]*

**श्री रमेश बैस :** अध्यक्ष महोदय, इस मामले में सरकार आर. आई.एल, विजाग और राउरकेला के प्रति विशेष ध्यान दे रही है और इस मामले में वित्त विभाग से विचार किया जा रहा है ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, घाटे में चलने वाली स्टील इंडस्ट्रीज को लाभ में लाया जा सकता है। इसके बारे में विचार चल रहा है और यह शीघ्र हो जाएगा।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** अब श्री (शकुनी) चौधरी।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** महोदय, मैंने केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछा है . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं। आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** महोदय, मुझे दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जी, नहीं।

*(व्यवधान)*

**डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी** : महोदय, नियमों के अनुसार यदि प्रश्न पुछने वाला सदस्य अकेला हो तो उसे दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। मैं यह प्रश्न पूछने वाला अकेला ही सदस्य हूं। . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप पहले ही दो से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

*(व्यवधान)*

**डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी** : महोदय मैंने प्रश्न का केवल आधा भाग ही पूछा है। . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

**डा॰ सुब्बारामी रेड्डी** : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि इस्पात उद्योग में लाखों करोड़ो रुपए लगे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार इस समस्या को किस तरह सुलझाना चाहती है। मैं अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करके कब निर्णय लेगी।

बैस : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय सीमा तय करना मुश्किल है लेकिन सरकार इसके लिए प्रति चिन्तित है। जितने भी यूनिट्स घाटे में चल रहे हैं, उन्हें लाभ में लाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है।

**श्री शकुनी चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार के बोकारो स्टील प्लांट में, इस साल के अंदर जिसे अभी 9 महीने हुए हैं, 670 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसी साल 245 करोड़ रुपए का स्टील घाटे में बेचा गया है?

**श्री रमेश बैस** : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी तो नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो मुझे बतायें, मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं।

**श्री शकुनी चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा प्रश्न पूछा था कि क्या इस वर्ष 1998-99 में 670 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? . . . *(व्यवधान)*

**प्रो॰ रीता वर्मा** : अध्यक्ष जी, इनकी चिन्ता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसी समय से देशी स्टील इंडस्ट्री को ग्रहण लगना शुरू हो गया था। उसी समय से इंपोर्ट और ऐक्साइज ड्यूटी में हर साल ऐसा पैटर्न चेन्ज किया गया था कि देशी स्टील इंडस्ट्रीज के खिलाफ और इंपोर्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन्स बनाई जा सके। आज जब ये शोर मचाते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। बल्कि हमारी सरकार ने बहुत से मीजर्स लिए हैं और चार परसेंट स्पेशल ऐडीशनल ड्यूटी भी लगाई है।

मैं पूछना चाहती हूं कि जो टैक्सों की हेर-फेर से देशी स्टील इंडस्ट्री को बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, उस टैक्स स्ट्रक्चर को, जो कांग्रेस की देन है, खत्म करने के लिए और उसको फेवरेबल बनाने के लिए जिससे स्टील इंडस्ट्री को फायदा पहुंचे, क्या सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है?

**श्री रमेश बैस** : पिछली सरकार ने जिस ढंग से स्टील क्षेत्र में ड्यूटीज कम की थी जिसके कारण काफी इंपोर्ट हो रहा था, उससे असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमारी सरकार ने एच. आर./सी.आर. कॉयल वेजेज में जो टैक्सेज लगाए हैं, जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है, उसको रोकने के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है, उसके कारण देश की इस्पात क्षेत्र आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और लोहे की समस्या ठीक हो जाएगी।

### एअर इंडिया को घाटा

\+

***171. डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील** :
**श्री के. एस. राव** :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारी घाटा हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) एअर इंडिया की वार्षिक स्थिति को सुचारु बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान एअर इंडिया ने कितने नए विमान खरीदे?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) और (ख) घाटे का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| 1997-98 | 181.01 करोड़ रुपए |
| 1998-99 | 340.72 करोड़ रुपए |

(अनुमानित)

नए विमानों पर ब्याज की वजह से व्यय में वृद्धि तथा मूल्यह्रास, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा तथा प्रचालन लागत के कारण, आय में कमी, वेतन बिल तथा अन्य स्टाफ संबंधी खर्चे और अवतरण, हैंडलिंग तथा दिक्चालन संबंधी प्रभारों में वृद्धि, रुपए का मूल्यह्रास इत्यादि घाटे के कारण हैं।

(ग) कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एयर इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. अतिरिक्त राजस्व के सृजनार्थ विपणन संबंधी प्रयासों में तेजी लाई गई है।

2. लाभप्रद मार्ग पर जोर देते हुए नेटवर्क का युक्तिकरण और समेकन करना।

3. विमानों की बाह्य मरम्मत संबंधी कार्यों पर होने वाले व्यय में कमी करने के लिए और अधिक इन-हाउस मरम्मत संबंधी कार्यों को हाथ में लेना।

4. विदेश में एअर इंडिया के भारतीय अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है।

सरकार ने एअर इंडिया को हुए घाटे संबंधी कारणों की व्यापक जांच करने और कंपनी की पूर्व स्थिति बहाल कराने संबंधी रणनीति सुझाने की दृष्टि से वित्त सचिव, डा० विजय केलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

विनिवेश आयोग ने एअर इंडिया संबंधी अपनी आठवीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ 1000 करोड़ रुपए की सरकारी इक्विटी के प्रक्षेपण और विश्व-व्यापी निविदाओं के आधार पर रणनीतिक हिस्सेदार की प्रविष्टि की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) एअर इंडिया ने गत पांच वर्ष के दौरान छह बी-747 विमान प्राप्त कर लिए हैं।

**डा० उल्हास वासुदेव पाटिल :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को मिलाने की योजना बना रही है। उसे घाटे को कम करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी? यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है।

**श्री अनन्त कुमार :** महोदय, भारत सरकार की इण्डियन एयर लाइन्स और एअर इण्डिया को मिलाने की कोई योजना नहीं है परन्तु हम दोनों ही एयरलाइनों में तेजी लाना चाहते हैं। अब खाड़ी मार्ग में एअर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स पर तथा मेट्रो घरेलू मार्गो पर कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है। एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के बीच काफी प्रतिस्पर्द्धा है। दोनों में तेजी लाकर उनमें आपस में व्यवहार्य बनाकर इस प्रतिस्पर्द्धा को कम करने के लिए हम योजना बना रहे हैं जिससे घाटा कम किया जा सके और हमें लाभ हो सके।

**डा० उल्हास वासुदेव पाटिल :** महोदय, मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हूं जहां अजन्ता और एलौरा जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध स्थान हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जलगांव से दिल्ली तक नया हवाई मार्ग शुरू करने की योजना बना रही है।

**श्री अनन्त कुमार :** महोदय, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

**श्री राजेश पायलट :** अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच, दस वर्षों से मैं वर्तमान मंत्री और वर्तमान सरकार को ही दोष नहीं देना चाहता - एअर इण्डिया और इण्डियन एअर लाइन्स दोनों संगठनों से सुझाव आते रहे हैं कि शायद ही कभी कोई व्यावसायिक व्यक्ति, चाहे उड़ान से संबंधित व्यवसाय हो या तकनीकी व्यवसाय हो, को इन संगठनों का प्रमुख बनने का मौका मिलता है। इसी व्यवसाय से ही ये संगठन चल रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन संगठनों को किसी व्यावसायिक व्यक्ति के अधीन रखने का विचार कर रही है जिससे इनके काम काज में सुधार हो सके। क्या आप के पास ऐसा कोई सुझाव या विचार है?

**श्री अनन्त कुमार :** महोदय इन दोनों संगठनों के प्रमुख काफी अच्छे अनुभवी नौकरशाह है जिन्हें इस पेशे का अनुभव है। इसके अलावा वे पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। परन्तु सवाल यह है कि जब कभी सहायक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो इसके लिए विभिन्न व्यावसायिक दक्षता वाले निदेशक हैं जो दोनों एअर लाइनों के प्रबन्धन में सहायता करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** अब, प्रश्न काल समाप्त होता है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों का दुरुपयोग

***162. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
**श्री डी० एस० अहिरे :**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित धनराशि का सरपंचों/समितियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) धन के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना संपूर्ण देश में लगभग 2.27 लाख ग्राम पंचायतों, लगभग 5906 पंचायत समितियों तथा लगभग 515 जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों/जिला परिषदों में चलाई जा रही है। कुछ सरपंचों/समितियों द्वारा निधियों का दुरुपयोग करने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जैसे ही ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं इन्हें संबंधित राज्य सरकार के पास दोषी सरपंचों/समितियों के विरुद्ध संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए पंचायत अधिनियमों और नियमों के अनुसार समुचित कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान सरपंचों के विरुद्ध मंत्रालय में प्राप्त हुई शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) पंचायत कर्मियों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निधियों को जारी करने से पहले नियमित लेखा-परीक्षा, राज्य और जिला अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय तथा जिला परिषदों की स्थायी समिति द्वारा समीक्षा और निगरानी ग्राम सभाओं की सावधिक बैठकें, ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा तथा स्थानीय क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों को शामिल कर राज्य, जिला, ब्लाक और ग्रामीण स्तरों पर निगरानी और सतर्कता समितियों का गठन करना शामिल है।

**विवरण**

*1997-98 और 1998-99 के दौरान सरपंचों/मुखियों समितियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें*

| क्र.सं. | दिनांक | शिकायतकर्त्ता का नाम | किस संबंध में है | की गयी कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.6.97 | श्री नवल किशोर राय, संसद सदस्य (लोकसभा) | प्रधान द्वारा उत्तर प्रदेश के वांदा जिले में जवाहर रोजगार योजना की निधियों का दुरुपयोग/गलत उपयोग | राज्य सरकार द्वारा जांच के बाद शिकायत को आधारहीन पाया गया। |
| 2. | 3.11.98 | श्री इंदु नारायण खान, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी | बिहार के सहरसा जिले के वारशेर पंचायत के सरपंच द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का दुरुपयोग | यथोचित कार्रवाई के लिए 9.11.98 को बिहार सरकार को भेज दी गयी। |
| 3. | 20.7.98 | श्री शिवराज सिंह चौहान, संसद सदस्य (लोकसभा) | बिहार के नवादा जिले के परोरिया ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जवाहर रोजगार योजना की निधियों का दुरुपयोग | यथोचित कार्रवाई के लिए 4.8.98 को बिहार सरकार को भेज दी गयी। |
| 4. | 10.7.98 | श्री जार्ज फर्नाण्डिस, रक्षा मंत्री के माध्यम से प्राप्त बिहार के परोरिया ग्राम पंचायत के श्री सी.पी. घोष की शिकायत | बिहार के नवादा जिले परोरिया ग्राम पंचायत के मुखिया तथा पंचायत सेवक द्वारा की गयी अनियमितता/दुरुपयोग | यथोचित कार्रवाई के लिए 4.8.98 को बिहार सरकार को भेज दी गयी। |
| 5. | 5.11.98 | 5.11.98 के "आंध्र ज्योति" (समाचार पत्र) में आंध्र प्रदेश सरकार के पंचायती राज आयुक्त वक्तव्य। | आंध्र प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना की निधियों का दुरुपयोग | 12.11.98 को भेज दी गयी तथा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पंचायती राज आयुक्त, श्री एस. चिलप्पा ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि प्रेस द्वारा उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। |

**दस लाख कूप योजना**

***164. श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित "दस लाख कूप योजना" का राज्यवार वास्तविक और वित्तीय निष्पादन क्या रहा है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान उक्त धनराशि का प्रयोग अन्य प्रयोजनों हेतु करने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) उक्त योजना के लिए निर्धारित राशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत 3727.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस अवधि में कुल 743030 कुएं बनाए गए थे राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए जाते हैं।

(ख) 1998-99 के दौरान दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत (प्रत्येक राज्य को) आवंटित की गयी निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत निधियों, जो मूलत: खुले सिंचाई कुओं के लिए होती हैं, को सिंचाई टैंकों, जल संभरण ढांचों जैसी अन्य लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है और इनको छोटे और सीमांत किसानों की भूमि के विकास के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है, यदि भूवैज्ञानिक कारणों से कुओं का निर्माण करना संभव न हो। किसी वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत उपयोग में लाई गयी राशि का कम से कम दो तिहाई हिस्सा अनुसूचित जातियों/जन जातियों के निर्धन छोटे एवं सीमांत किसानों पर खर्च करना होता है। सामान्यत: इन दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है तथा दस लाख कुओं की योजना की निधियों का अन्य कार्यक्रमों में प्रयोग किए जाने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ.) दस लाख कुओं की योजना सहित इस मंत्रालय के समस्त कार्यक्रमों के लिए राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर निगरानी एवं सतर्कता समिति गठित करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मंत्रालय से निर्देश जारी किए गए हैं। केन्द्रीय स्तर पर दस लाख कुओं की योजना की मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति, रिपोर्टों, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा इस मंत्रालय में प्रस्तुत किया जाना होता है, के माध्यम से निरन्तर निगरानी की जाती है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी क्षेत्रीय अधिकारियों के रूप में मनोनीत किया जाता है जो आवंटित राज्यों का दौरा करते हैं और दस लाख कुओं की योजना के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हैं। दस लाख कुओं की योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर राज्यों और संघशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास सचिवों की बैठकों में भी समीक्षा की जाती है।

**विवरण-I**

*आठवीं योजना अवधि के दौरान दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत आवंटित की गई राशि और बनाए गए कुएं*

(रुपए लाख में)

| क्रं. सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | | 1995-96 | | 1996-97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटित राशि | बनाए गए कुएं | आवंटित राशि | बनाए गए कुएं | आवंटित राशि | बनाए गए कुएं | आवंटित राशि | बनाए गए कुएं | आवंटित राशि | बनाए गए कुएं |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3738.64 | 11457 | 7386.03 | 18265 | 8129.99 | 17498 | 4342.14 | 10899 | 4342.14 | 13169 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 64.5 | 0 | 96.75 | 77 | 96.75 | 77 | 44.58 | 130 | 44.58 | 89 |
| 3. | असम | 1225.93 | 1162 | 2431.45 | 1129 | 2676.36 | 1651 | 1429.41 | 1865 | 1429.41 | 2332 |
| 4. | बिहार | 9178.1 | 50689 | 14487.42 | 41203 | 15946.67 | 30045 | 8516.94 | 25476 | 8516.94 | 22911 |
| 5. | गोवा | 69.69 | 12 | 104.54 | 0 | 104.54 | 31 | 48.16 | 37 | 48.16 | 33 |
| 6. | गुजरात | 2270.21 | 4874 | 2711.26 | 5609 | 2984.36 | 6407 | 1593.91 | 4107 | 1593.91 | 3148 |
| 7. | हरियाणा | 432.6 | 963 | 651.28 | 1446 | 716.88 | 1613 | 382.88 | 572 | 382.88 | 363 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 250.94 | 34 | 332.18 | 26 | 332.18 | 17 | 153.04 | 138 | 153.04 | 670 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 314.35 | 725 | 471.52 | 1563 | 675 | 3409 | 310.99 | 1673 | 310.99 | 1544 |
| 10. | कर्नाटक | 2875.55 | 3803 | 4959.4 | 4081 | 5458.93 | 4295 | 2915.55 | 5236 | 2915.55 | 3004 |
| 11. | केरल | 1531.86 | 3893 | 1871.5 | 3064 | 1986.03 | 3218 | 1060.71 | 3468 | 1060.71 | 2268 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 6258.46 | 43396 | 9359.17 | 29763 | 10301.88 | 38989 | 5502.11 | 35654 | 5502.11 | 19950 |
| 13. | महाराष्ट्र | 4266.64 | 6739 | 8051.78 | 5284 | 8862.8 | 6322 | 4733.53 | 8770 | 4733.53 | 8002 |
| 14. | मणिपुर | 89.28 | 189 | 124.01 | 300 | 124.01 | 507 | 57.14 | 520 | 57.14 | 429 |
| 15. | मेघालय | 96.74 | 788 | 145.1 | 727 | 145.1 | 483 | 66.85 | 732 | 66.85 | 885 |
| 16. | मिजोरम | 48.9 | 322 | 61.13 | 774 | 61.13 | 1033 | 28.16 | 425 | 28.16 | 483 |
| 17. | नगालैंड | 125.55 | 774 | 155.54 | 1334 | 155.54 | 924 | 71.66 | 0 | 71.66 | 80 |
| 18. | उड़ीसा | 2701.39 | 21126 | 599.18 | 21301 | 6595.33 | 26113 | 3522.49 | 24263 | 3522.49 | 18349 |
| 19. | पंजाब | 396.51 | 0 | 490.29 | 0 | 509.79 | | 272.28 | 0 | 272.28 | 0 |
| 20. | राजस्थान | 3031.65 | 9973 | 3888.4 | 4844 | 4280.06 | 3071 | 2285.93 | 2457 | 2285.93 | 2389 |
| 21. | सिक्किम | 46.39 | 0 | 56.63 | 66 | 56.63 | 87 | 26.09 | 364 | 26.09 | 91 |
| 22. | तमिलनाडु | 4030.11 | 7162 | 6676.85 | 4073 | 7349.33 | 6902 | 3925.23 | 10899 | 3925.23 | 5962 |
| 23. | त्रिपुरा | 130.77 | 716 | 161.07 | 2378 | 161.07 | 1439 | 74.21 | 2049 | 74.21 | 1221 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 12064.32 | 5437 | 17999.52 | 1753 | 19812.53 | 780 | 10581.64 | 518 | 10581.64 | 43 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 5184.78 | 6718 | 6618.96 | 2579 | 7285.66 | 3845 | 3891.19 | 2402 | 3891.19 | 1461 |
| 26. | अं. नि. द्वीप समूह | 30.54 | 0 | 45.81 | 8 | 45.81 | 6 | 21.11 | 6 | 21.11 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | दा. व न. हवेली | 18.21 | 30 | 24.87 | 21 | 24.87 | 16 | 11.46 | 24 | 11.46 | 8 |
| 28. | दमन व दीव | 9.77 | 0 | 14.65 | 0 | 14.65 | 0 | 6.76 | 0 | 6.76 | 0 |
| 29. | लक्षद्वीप | 15.31 | 0 | 22.97 | 0 | 22.97 | | 10.58 | 0 | 10.58 | 0 |
| 30. | पांडिचेरी | 35.18 | 13 | 44.84 | 5 | 44.84 | 2 | 20.65 | 1 | 20.66 | 0 |
| | योग | 60532.87 | 180995 | 95436.72 | 151673 | 104961.78 | 158780 | 55907.38 | 142685 | 55907.39 | 108897 |

टिप्पणी : आवंटित राशि : केन्द्र : 80%

राशि : 20%

**विवरण-II**

*1998-99 के दौरान दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत आबंटित की गयी राशि*

| क्रं. सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | आबंटित की गयी कुल राशि (केन्द्र+राज्य) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3165.49 |
| | प्रदेश | 69.60 |
| 3. | असम | 1808.38 |
| 4. | बिहार | 10369.79 |
| 5. | गोवा | 7.30 |
| 6. | गुजरात | 1191.55 |
| 7. | हरियाणा | 701.01 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 295.23 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 365.38 |
| 10. | कर्नाटक | 2390.40 |
| 11. | केरल | 1072.56 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 5256.18 |
| 13. | महाराष्ट्र | 4725.23 |
| 14. | मणिपुर | 121.24 |
| 15. | मेघालय | 135.83 |
| 16. | मिजोरम | 31.43 |
| 17. | नागालैण्ड | 93.16 |
| 18. | उड़ीसा | 3620.68 |
| 19. | पंजाब | 340.69 |
| 20. | राजस्थान | 1815.11 |
| 21. | सिक्किम | 34.80 |
| 22. | तमिलनाडु | 2798.99 |
| 23. | त्रिपुरा | 218.89 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 11412.05 |
| 25. | प० बंगाल | 4023.65 |
| 26. | अं० व नि० द्वीप समूह | 13.47 |
| 27. | दा० व न० हवेली | 13.47 |
| 28. | दमन व दीव | 0.45 |
| 29. | लक्षद्वीप | 0.90 |
| 30. | पांडिचेरी | 17.06 |
| | कुल | 56109.97 |

टिप्पणी : आबांटित राशि : केन्द : 80%

राज्य : 20%

**रेलवे में सुरक्षोपाय**

*165. **श्री संदीपान थोरात** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत तीन वर्षों के दौरान बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए सुरक्षोपायों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं और उनसे हुई हानियों का जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, विशेष रूप से, अत्यधिक दुर्घटना वाले क्षेत्रों में सुरक्षोपायों को मजबूत और आधुनिक बनाने हेतु किए गए नए निवेश का वर्षवार और जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां। भारतीय रेलों ने संरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी है और समय-समय पर संरक्षा उपायों की पुनरीक्षा की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोन-वार दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है :

| रेलवे | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
|---|---|---|---|
| मध्य | 54 | 57 | 65 |
| पूर्व | 32 | 31 | 27 |
| उत्तर | 50 | 58 | 48 |
| पूर्वोत्तर | 28 | 21 | 24 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 23 | 18 | 20 |
| दक्षिण | 52 | 40 | 56 |
| दक्षिण मध्य | 41 | 42 | 37 |
| दक्षिण पूर्व | 73 | 66 | 63 |
| पश्चिम | 44 | 44 | 42 |
| मेट्रो | 1 | 1 | 1 |
| कोंकण रेल निगम लि० | 0 | 3 | 3 |
| जोड़ | 398 | 381 | 396 |

क्षति की लागत:

(करोड़ रुपयों में)

| रेलवे | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98(अनंतिम) |
|---|---|---|---|
| मध्य | 5.79 | 7.70 | 8.15 |
| पूर्व | 14.45 | 7.94 | 9.88 |
| उत्तर | 6.27 | 5.52 | 5.75 |
| पूर्वोत्तर | 0.54 | 0.22 | 0.19 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 1.31 | 1.56 | 1.89 |
| दक्षिण | 5.24 | 6.48 | 1.20 |
| दक्षिण मध्य | 5.44 | 5.52 | 7.59 |
| दक्षिण पूर्व | 25.11 | 16.70 | 20.21 |
| पश्चिम | 0.90 | 1.32 | 1.63 |
| मेट्रो | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| कोंकण रेल निगम लि० | 0 | 0.20 | 0.22 |
| जोड़ | 65.06 | 53.21 | 56.13 |

(ग) अनन्य रूप से संरक्षा शीर्ष में अलग से किसी बजट की व्यवस्था नहीं की जाती, बल्कि संरक्षा के लिए आवश्यक उंन्नयन सहित विभिन्न नियमित और आधुनिकीकरण वाले कार्यों के लिए आवंटन किया जाता है। इन कार्यों में सिगनलिंग को उन्नत करना, रेलपथ नवीकरण/ उन्नयन, पुल संबंधी निर्माण कार्य, संचार को आधुनिक बनाने, चल स्टाक का उन्नयन करना आदि शामिल होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निवेशों का ब्यौरा जोन-वार और वर्ष-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

*निवेश किया गया*

| जोन | सिगनल कार्य | | | | वाकी-टाकी सेट | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95-96 | 96-97 | 97-98 | जोड़ | 95-96 | 96-97 | 97-98 | जोड़ |
| मध्य | 24.36 | 15.5 | 7.11 | 46.97 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 |
| पूर्व | 25.93 | 34.1 | 20.25 | 80.28 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 |
| उत्तर | 21.8 | 29.79 | 31.05 | 82.64 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 |
| पूर्वोत्तर | 3.89 | 4.1 | 4.06 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 8.8 | 12.2 | 12.46 | 33.46 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| दक्षिण | 5.08 | 15.02 | 4.75 | 24.85 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 |
| दक्षिण मध्य | 37.1 | 26.36 | 19.48 | 82.94 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| दक्षिण पूर्व | 8.94 | 19.11 | 18.14 | 46.19 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| पश्चिम | 25.36 | 19.11 | 29.63 | 71.89 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 |
| जोड़ | 161.26 | 172.99 | 146.93 | 481.18 | 0 | 0 | 8.04 | 8.04 |

*निवेश किया गया*

| जोन | पुल संबंधी कार्य | | | | रेल पथ नवीकरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95-96 | 96-97 | 97-98 | जोड़ | 95-96 | 96-97 | 97-98 | जोड़ |
| मध्य | 5.21 | 4.27 | 7.94 | 17.42 | 254.25 | 276.49 | 313.5 | 844.24 |
| पूर्व | 4.29 | 5.62 | 8.73 | 18.64 | 164.2 | 202.68 | 210 | 576.88 |
| उत्तर | 15.79 | 9.77 | 13.65 | 39.21 | 226.94 | 232.7 | 235 | 694.64 |
| पूर्वोत्तर | 11.41 | 3.83 | 3.13 | 18.37 | 53.95 | 65.22 | 76 | 195.17 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 5.68 | 5.19 | 5.92 | 16.79 | 42.02 | 57.65 | 53 | 152.67 |
| दक्षिण | 9.85 | 8.32 | 7.71 | 25.88 | 105.57 | 99.83 | 121 | 326.4 |
| दक्षिण मध्य | 19.17 | 28.3 | 12.44 | 59.91 | 178.78 | 122.2 | 107 | 407.98 |
| दक्षिण पूर्व | 6.53 | 4.67 | 4.73 | 15 93 | 349.77 | 361.6 | 405 | 1116.46 |
| पश्चिम | 11.35 | 11.11 | 10.72 | 33.18 | 170.59 | 178.C | 204.5 | 553.15 |
| जोड़ | 89.28 | 81 08 | 74.97 | 245.33 | 1546.07 | 1596 52 | 1725 | 4867.59 |

*चल स्टाक कार्यक्रम के लिए परिव्यय*

| | अभिकल्प में सुधार और अनुरक्षण के लिए | | | | अनुरक्षण अवसरचना के लिए | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95-96 | 96-97 | 97-98 | जोड़ | 95-96 | 96-97 | 97-98 | जोड़ |
| मध्य | 2.51 | 5.77 | 7.17 | 15.45 | 8.32 | 12.48 | 13.5 | 34.3 |
| पूर्व | 2.57 | 4.14 | 2.87 | 9.58 | 11.49 | 10.99 | 14 1 | 36.58 |
| उत्तर | 4.54 | 5.47 | 3.87 | 13.88 | 24.43 | 13.32 | 13 09 | 41 22 |
| पूर्वोत्तर | 0.72 | 1.13 | 1.33 | 3.18 | 14.81 | 1 3 | 2.85 | 6.35 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 0.005 | 0.72 | 1.56 | 2.285 | 11.44 | 7.16 | 4.54 | 19.2 |
| दक्षिण | 3.42 | 6.25 | 3.06 | 12.73 | 2.2 | 18.76 | 14.44 | 47 32 |
| दक्षिण मध्य | 2.76 | 3.8 | 3.04 | 9.6 | 7.5 | 1.91 | 9 1 | 16.37 |
| दक्षिण पूर्व | 2.2 | 3.64 | 3.65 | 9.49 | 14.12 | 22.74 | 20.35 | 62.99 |
| पश्चिम | 1.96 | 4.39 | 3.93 | 10.28 | 7.93 | 11.46 | 21.81 | 41.2 |
| रेलवे बोर्ड | 67.47 | 70.71 | 85.23 | 223.41 | | | | |
| जोड़ | 88.155 | 106.02 | 115.71 | 309.885 | 91.63 | 100.12 | 113.78 | 305.53 |

आंकड़े करोड़ में

**श्रम सामग्री अनुपात को निर्धारित किया जाना**

***170. श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन मे 60:40 का श्रम सामग्री अनुपात निर्धारित किया है;

**(ख) यदि हां, तो क्या खातों के सही रख-रखाव के लिए स्थाई संरचनाओं के निर्माण में बढ़ी हुई सामग्री लागत के कारण यह श्रम सामग्री अनुपात व्यावहारिक नहीं है;**

**(ग) क्या 60:40 के श्रम और सामग्री के अनुपात में संशोधन करने के लिए सरकार को विभिन्न राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;**

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से श्रम सामग्री का अनुपात 50:50 करने का प्रस्ताव मिला है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) जी, हां।

(ख) जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना मजदूरी रोजगार कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य मजदूरी प्रधान कार्यों को शुरू कर ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। इस उद्देश्य को पाने के लिए, इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 60% निधियां मजदूरी के भुगतान पर खर्च की जाती हैं।

(ग) से (च) जी, हां। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी सामग्री अनुपात को संशोधित करने के संबंध में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है। सुनिश्चित रोजगार योजना के संबध में मजदूरी सामग्री अनुपात को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

### ग्रामीण क्षेत्रों में आवास

*172. **श्री हरिभाई चौधरी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरबार लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरबार लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरबार लोगों के बारे में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, 1991 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 137.2 लाख आवासों की कमी थी। आवासों की कमी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के सरकार के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 13 लाख अतिरिक्त आवासों के निर्माण हेतु ग्रामीण आवासों की एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरवार लोगों को जल्दी से जल्दी आवास उपलब्ध कराने में काफी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष के दौरान 1600 करोड़ रुपए का केन्द्रीय बजट आबंटन उपलब्ध कराया गया है जो वर्ष 1997-98 के बजट आबंटन से 410 करोड़ रुपए अधिक है।

**विवरण**

*ग्रामीण आवासों की कमी का राज्यवार ब्यौरा : (जनगणना 1991)*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवासों की कमी |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1118355 |
| अरुणाचल प्रदेश | 112170 |
| असम | 2243965 |
| बिहार | 4095740 |
| गोआ | 9910 |
| गुजरात | 264805 |
| हरियाणा | 29510 |
| हिमाचल प्रदेश | 16111 |
| कर्नाटक | 426915 |
| केरल | 346780 |
| मध्य प्रदेश | 289770 |
| महाराष्ट्र | 659900 |
| मणीपुर | 89198 |
| मेघालय | 147918 |
| मिजोरम | 36897 |
| नागालैंड | 88881 |
| उड़ीसा | 684655 |
| पंजाब | 44370 |
| राजस्थान | 110965 |
| सिक्किम | 12446 |
| तमिलनाडु | 318095 |
| त्रिपुरा | 192133 |
| उत्तर प्रदेश | 1251095 |
| पश्चिम बंगाल | 1084675 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 17948 |
| चण्डीगढ़ | 454 |
| दादरा व नगर हवेली | 7857 |
| दमन व दीव | 4483 |
| दिल्ली | 9125 |
| लक्षद्वीप | 165 |
| पांडिचेरी | 6247 |
| कुल | 13721538 |

### यूरोप के साथ रेल सम्पर्क

***173. श्री पंकज चौधरी :**
**डा॰ अशोक कुमार पटेल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यूरोप के साथ बरास्ता पाकिस्तान और ईरान एक सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** (क) से (ग) भारतीय रेलें ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैण्ड और मलेशिया के रास्ते यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ट्रांस एशियन रेल संपर्क में भागीदारी के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है। इस ट्रांस एशियन रेल परियोजना पर एशियाई भूमि परिवहन अवसंरचना विकास परियोजना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र-एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक [illegible]ोग (यू.एन.एस्कैप) द्वारा विचार किया जा रहा है। [illegible]शिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक [illegible]कैप) द्वारा कुछ प्रारंभिक सूचना एकत्रित की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट परियोजना प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं और इस परियोजना के पूरा होने के लिए कोई लक्ष्य तिथि नहीं बतायी जा सकती है।

*[अनुवाद]*

### जवाहर रोजगार योजना का वित्तीय निष्पादन

***174. श्री विठ्ठल तुपे :**
**श्री माधवराव पाटील :**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरबार लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरबार लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार/संघ क्षेत्रवार वास्तविक और वित्तीय निष्पादन क्रमशः संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

(ख) से (घ) चालू वर्ष अर्थात् 1998-99 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित निधियों और सृजित श्रमदिन के रूप में निर्धारित लक्ष्य के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण IV में दिए गए हैं।

**विवरण-I**

*1995-96 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय तथा वास्तविक निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण :*

| क्रं. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल आवंटन (केन्द्र + राज्य) | कुल रिलीज (केन्द्र + राज्य) | उपयोग | वार्षिक लक्ष्य (लाख श्रम दिन) | उपलब्धि | प्रतिशत उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 37232.40 | 35933.21 | 34556.90 | 700.08 | 701.57 | 100.21 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 329.58 | 304.48 | 357.12 | 7.99 | 8.24 | 103.13 |
| 3. | असम | .10820.18 | 9649.70 | 9583.33 | 178.63 | 179.08 | 100.25 |
| 4. | बिहार | 78598.18 | 68022.66 | 62281.95 | 1245.86 | 1197.03 | 96.08 |
| 5. | गोवा | 356.09 | 356.09 | 363.47 | 7.94 | 8.38 | 105.54 |
| 6. | गुजरात | 14754.11 | 13857.04 | 12824.42 | 213.23 | 209.42 | 98.21 |
| 7. | हरियाणा | 3398.28 | 3735.78 | 3304.78 | 34.63 | 33.5 | 96.74 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1149.09 | 1221.28 | 1001.10 | 24.27 | 21.45 | 88.38 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 3381.00 | 2554.30 | 2534.38 | 90.96 | 48.23 | 53.02 |
| 10. | कर्नाटक | 24422.41 | 23860.96 | 24908.76 | 491.56 | 524.89 | 106.78 |
| 11. | केरल | 8029.34 | 9731.61 | 8888.24 | 108.01 | 127.75 | 118.28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | मध्य प्रदेश | 51119.46 | 44104.58 | 42377.25 | 849.29 | 759.46 | 89.42 |
| 13. | महाराष्ट्र | 41658.79 | 40376.70 | 39801.56 | 910.75 | 1014.47 | 111.39 |
| 14. | मणिपुर | 425.45 | 344.79 | 506.22 | 5.78 | 9.34 | 161.59 |
| 15. | मेघालय | 496.31 | 415.25 | 200.28 | 7.88 | 4.86 | 61.68 |
| 16. | मिजोरम | 208.04 | 229.00 | 284.56 | 4.15 | 5.2 | 125.30 |
| 17. | नगालैंड | 520.28 | 749.36 | 264.07 | 11.82 | 5.76 | 48.73 |
| 18. | उड़ीसा | 30642.94 | 27522.22 | 25671.68 | 623.47 | 678.31 | 108.80 |
| 19. | पंजाब | 1969.93 | 984.96 | 408.38 | 28.25 | 6.44 | 22.80 |
| 20. | राजस्थान | 20825.10 | 18825.93 | 18204.39 | 300.89 | 361.72 | 120.22 |
| 21. | सिक्किम | 341.93 | 553.15 | 618.83 | 5.38 | 9.27 | 172.30 |
| 22. | तमिलनाडु | 32634.06 | 36774.35 | 39615.70 | 853.09 | 1069.75 | 125.40 |
| 23. | त्रिपुरा | 558.65 | 839.60 | 788.23 | 12.40 | 18.43 | 148.63 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 87188.55 | 86920.98 | 83562.16 | 1320.54 | 1532.66 | 116.06 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 33287.71 | 31870.59 | 30492.80 | 433.38 | 416.75 | 96.16 |
| 26. | अं. व नि. द्वीप समूह | 154.18 | 151.14 | 161.26 | 2.26 | 2.59 | 114.60 |
| 27. | दा. व न. हवेली | 69.92 | 93.92 | 33.18 | 1.42 | 0.64 | 45.07 |
| 28. | दमन व दीव | 49.28 | 59.28 | 55.02 | 1.55 | 1.11 | 71.61 |
| 29. | लक्षद्वीप | 76.70 | 86.70 | 40.86 | 1.45 | 1.05 | 72.41 |
| 30. | पांडिचेरी | 151.86 | 77.12 | 199.85 | 3.16 | 3.1 | 98.10 |
| | कुल | 484869.80 | 460706.86 | 446890.82 | 8480.07 | 8960.45 | 105.66 |

**विवरण-II**

*वर्ष 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय तथा वास्तविक निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण .*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल आवंटन (केन्द्र + राज्य) | कुल रिलीज (केन्द्र + राज्य) | उपयोग | वार्षिक लक्ष्य (लाख श्रम दिन) | उपलब्धि | प्रतिशत उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 17372.39 | 18243.70 | 17488.47 | 373.67 | 329.75 | 88.25 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 178.30 | 129.85 | 198.33 | 4.42 | 2.79 | 63.12 |
| 3. | असम | 5718.18 | 3983.66 | 4543.21 | 98.77 | 91.54 | 92.68 |
| 4. | बिहार | 34075.58 | 28570.09 | 30563.53 | 489.25 | 460.02 | 94.03 |
| 5. | गोवा | 192.65 | 146.10 | 236.26 | 4.39 | 5.30 | 120.73 |
| 6. | गुजरात | 6376.25 | 5524.16 | 6280.49 | 109.14 | 105.20 | 96.39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | हरियाणा | 1531.81 | 1494.23 | 1371.79 | 15.73 | 13.08 | 83.15 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 612.16 | 485.15 | 745.94 | 7.63 | 10.62 | 139.19 |
| 9. | जम्मू वं कश्मीर | 1243.93 | 1499.69 | 994.37 | 47.27 | 18.36 | 38.84 |
| 10. | कर्नाटक | 11665.34 | 11091.48 | 12015.30 | 255.74 | 250.94 | 98.12 |
| 11. | केरल | 4244.16 | 4108.25 | 4458.15 | 59.73 | 55.45 | 92.83 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 22014.51 | 19316.44 | 19724.06 | 444.97 | 349.02 | 78.44 |
| 13. | महाराष्ट्र | 18937.55 | 17923.14 | 18664.14 | 469.32 | 455.08 | 96.97 |
| 14. | मणिपुर | 228.53 | 162.40 | 186.38 | 3.20 | 3.49 | 109.06 |
| 15. | मेघालय | 267.40 | 133.69 | 365.90 | 4.35 | 6.96 | 160.00 |
| 16. | मिजोरम | 112.65 | 105.26 | 138.26 | 2.29 | 2.46 | 107.42 |
| 17. | नगालैंड | 286.64 | 263.33 | 485.57 | 6.54 | 11.65 | 178.13 |
| | [illegible] | 14093.11 | 13387.41 | 14426.64 | 321.32 | 314.19 | 97.78 |
| | | 1089.39 | 1011.38 | 709.03 | 15.62 | 7.85 | 50.26 |
| 20. | राजस्थान | 9146.40 | 9039.76 | 8760.70 | 162.92 | 168.12 | 103.19 |
| 21. | सिक्किम | 104.36 | 101.71 | 167.26 | 1.49 | 2.63 | 176.51 |
| 22. | तमिलनाडु | 15704.96 | 15110.64 | 18040.02 | 406.90 | 488.60 | 120.08 |
| 23. | त्रिपुरा | 296.83 | 290.81 | 288.91 | 0.35 | 40.38 | 163.46 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 42334.91 | 40550.30 | 12123.49 | 603.21 | 658.18 | 109.11 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 15569.34 | 11956.08 | 12837.59 | 221.86 | 178.53 | 80.47 |
| 26. | अं व नि द्वीप समूह | 84.41 | 42.21 | 54.95 | 1.25 | 0.82 | 65.60 |
| 27. | दा. व न. हवेली | 45.81 | 44.57 | 49.75 | 0.65 | 1.02 | 156.92 |
| 28. | दमन व दीव | 26.99 | 20.99 | 27.61 | 0.85 | 0.50 | 58.82 |
| 29. | लक्षद्वीप | 42.32 | 21.16 | 49.22 | 0.80 | 0.88 | 110.00 |
| 30. | पांडिचेरी | 82.64 | 64.68 | 121.96 | 1.74 | 2.91 | 167.24 |
| | कुल | 223679.45 | 204997.97 | 216397.86 | 4141.37 | 4006.32 | 96.74 |

**विवरण-III**

*वर्ष 1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय तथा वास्तविक निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण :*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल आवंटन (केन्द्र + राज्य) | कुल रिलीज (केन्द्र + राज्य) | उपयोग | वार्षिक लक्ष्य (लाख श्रम दिन) | उपलब्धि | प्रतिशत उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 19410.49 | 20857.30 | 18745.52 | 336.97 | 310.98 | 92.29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 199.21 | 127.58 | 241.82 | 4.94 | 2.88 | 58.30 |
| 3. | असम | 6389.03 | 6905.19 | 5546.71 | 110.36 | 107.69 | 97.58 |
| 4. | बिहार | 38073.25 | 36653.46 | 36250.75 | 546.64 | 538.31 | 98.48 |
| 5. | गोवा | 215.25 | 130.48 | 155.77 | 3.32 | 12.55 | 76.81 |
| 6. | गुजरात | 7124.30 | 7184.65 | 6999.43 | 69.00 | 82.81 | 120.01 |
| 7. | हरियाणा | 1711.53 | 2030.94 | 1995.94 | 16.11 | 16.01 | 99.38 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 683.98 | 504.33 | 893.88 | 8.52 | 10.11 | 118.66 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 1389.86 | 1218.28 | 1475.73 | 22.64 | 24.05 | 106.23 |
| 10. | कर्नाटक | 13033.90 | 12942.49 | 12578.33 | 222.78 | 265.91 | 119.36 |
| 11. | केरल | 4742.08 | 4667.65 | 3655.38 | 66.74 | 7.00 | 10.49 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 24597.23 | 23721.44 | 24574.00 | 329.99 | 347.15 | 105.23 |
| 13. | महाराष्ट्र | 21159.28 | 21020.11 | 21438.52 | 524.38 | 527.74 | 100.64 |
| 14. | मणिपुर | 255.34 | 310.65 | 114.80 | 3.15 | 2.16 | 68.57 |
| 15. | मेघालय | 298.78 | 199.48 | 247.74 | 4.87 | 4.54 | 93.22 |
| 16. | मिजोरम | 125.88 | 128.59 | 124.18 | 1.59 | 1.91 | 120.13 |
| 17. | नगालैंड | 320.26 | 303.91 | 276.16 | 7.30 | 9.21 | 126.16 |
| 18. | उड़ीसा | 15746.50 | 16776.65 | 15073.72 | 299.18 | 299.82 | 100.21 |
| 19. | पंजाब | 1217.19 | 1115.99 | 1310.34 | 11.95 | 12.83 | 107.36 |
| 20. | राजस्थान | 10219.44 | 10439.83 | 10330.83 | 182.03 | 196.14 | 107.75 |
| 21. | सिक्किम | 116.60 | 120.98 | 185.97 | 1.66 | 2.65 | 159.64 |
| 22. | तमिलनाडु | 17547.45 | 18205.48 | 20699.98 | 312.56 | 388.81 | 124.40 |
| 23. | त्रिपुरा | 331.65 | 595.44 | 351.51 | 5.91 | 7.31 | 123.69 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 47301.56 | 44867.69 | 48122.11 | 561.71 | 599.49 | 106.73 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 17395.93 | 11333.74 | 12404.99 | 206.58 | 154.62 | 74.85 |
| 26. | अं. व नि. द्वीप समूह | 94.31 | 50.70 | 14.36 | 1.04 | 0.15 | 14.42 |
| 27. | दा. व न. हवेली | 51.18 | 50.22 | 24.71 | 0.73 | 0.49 | 67.12 |
| 28. | दमन व दीव | 30.16 | 16.21 | 30.28 | 0.45 | 0.56 | 124.44 |
| 29. | लक्षद्वीप | 47.28 | 25.41 | 78.98 | 0.90 | 1.46 | 182.22 |
| 30. | पांडिचेरी | 92.34 | 74.37 | 66.55 | 1.00 | 0.63 | 63.00 |
| | कुल | 249921.18 | 242579.19 | 243809.05 | 3864.90 | 3925.97 | 101.58 |

### विवरण-IV

*1998-99 के लिए निर्धारित आबंटन तथा वास्तविक लक्ष्य को दर्शाने वाला विवरण :* (रुपए लाख में)

| क्रं. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | वास्तविक लक्ष्य (लाख श्रमदिन) |
|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 14629.93 | 254.01 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 321.65 | 7.97 |
| 3. | असम | 8357.73 | 144.36 |
| 4. | बिहार | 47925.96 | 688.11 |
| 5. | गोवा | 215.25 | 3.32 |
| 6. | गुजरात | 5506.98 | 53.34 |
| 7. | हरियाणा | 3239.85 | 30.49 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1364.43 | 17.00 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 1688.66 | 27.50 |
| 10. | कर्नाटक | 11047.66 | 188.82 |
| | | 4957.05 | 69.77 |
| | | 24292.41 | 325.80 |
| 13. | महाराष्ट्र | 21838.53 | 541.22 |
| 14. | मणिपुर | 560.30 | 6.92 |
| 15. | मेघालय | 627.74 | 10.22 |
| 16. | मिजोरम | 145.26 | 1.84 |
| 17. | नगालैंड | 430.60 | 9.82 |
| 18. | उड़ीसा | 16733.63 | 317.94 |
| 19. | पंजाब | 1574.54 | 15.46 |
| 20. | राजस्थान | 8388.86 | 149.43 |
| 21. | सिक्किम | 160.83 | 2.29 |
| 22. | तमिलनाडु | 12936.06 | 230.42 |
| 23. | त्रिपुरा | 1011.64 | 18.02 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 52742.94 | 626.32 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 18596.09 | 220.83 |
| 26. | अं. व नि. द्वीप समूह | 117.89 | 1.30 |
| 27. | दा. व न. हवेली | 77.81 | 1.11 |
| 28. | दमन व दीव | 37.70 | 0.57 |
| 29. | लक्षद्वीप | 59.10 | 1.12 |
| 30. | पांडिचेरी | 115.42 | 1.25 |
| | कुल | 259702.47 | 3966.57 |

### राष्ट्रीय वास्तविक संपदा विकास परिषद (एन. ए. आर. ई. डी. सी. ओ.)

***175. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरीका स्थित राष्ट्रीय आवास निर्माता एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय रिएल्टर्स एसोसिएशन के नमूने पर राष्ट्रीय वास्तविक संपदा विकास परिषद (एन. ए. आर. ई. डी. सी. ओ.) गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन और कृत्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी क्षेत्रों के लिए समान उपनियमों का मानकीकरण तथा उन्हें अपनाने के लिए की गई/प्रस्तावित नई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों से सम्बन्धित कानूनों में किए गए/विचाराधीन संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इण्डिया (एसोचेम) ने राष्ट्रीय वास्तविक संपदा विकास परिषद गाठित की है जो 1860 के सोसायटीज एण्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 के तहत 26 अगस्त, 1998 को पंजीकृत है।

(ग) और (घ) यह राज्य का विषय है और शहरी क्षेत्रों के लिए उप-नियम राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं। तथापि, इस मंत्रालय के शहरी विकास विभाग ने देश में योजना प्रणाली के समानुरूप दीर्घकालीन भावी योजनाओं, मध्यकालीन विकास योजना और परियोजना तथा स्कीमों के परस्पर संबंधी योजनाओं के पैकेज का सुझाव देने वाले शहरी विकास योजना निर्माण और क्रियान्वयन (यू डी पी एफ आई) दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह दिशानिर्देश राज्य सरकारों को निर्देशन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होने पर अंगीकरण के लिए परिचालित किए गए हैं।

शहरी विकास योजना निर्माण और क्रियान्वयन (यू डी पी एफ आई) दिशानिर्देश के हिस्से के रूप में एक आदर्श शहरी और क्षेत्रीय योजना और विकास कानून बनाया गया है और उसे मार्ग दर्शन हेतु राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। विकलांगों और अशक्त एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए अवरोध-मुक्त परिसर हेतु दिशानिर्देश एवं स्थान-मानकों की सुविधा मुहैया कराने के लिए आदर्श भवन निर्माण के उप-नियम भी बना लिए गए हैं।

### रेल लाइनें बिछाने के कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना

***176. श्री पी.सी. थोमस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई रेल लाइनें बिछाने अथवा विस्तृत सर्वेक्षण और आमान परिवर्तन के लिए गैर-सरकारी संगठन को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावित लाइनों का राज्य-वार तथा जोन-वार ब्यौरा क्या है जिनके सर्वेक्षण/नई लाइनें बिछाने और आमान परिवर्तन के

लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई;

(ग) केरल में अंगमालि-साबरीमाला रेल लाइन बिछाने/सर्वेक्षण करने के लिए कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ सक्षम गैर-सरकारी एजेंसी उपलब्ध न होने की स्थिति में, ऐसे सर्वेक्षण में "राइट्स" अथवा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को शामिल किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** (क) विभिन्न रेलों द्वारा कुछ विस्तृत सर्वेक्षण राइट्स और विभागीय दलों को सौंपे जाने के अलावा इनमें निजी पार्टियों को पहले से ही शामिल किया जा रहा है।

नई लाइन का निर्माण और आमान परिवर्तन कार्य निजी एजेंसियों और कभी-कभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संविदा के माध्यम से निष्पादित किए जा रहे हैं।

(ख) जिन नई लाइनों और आमान परिवर्तनों के सर्वेक्षण के लिए खुली निविदाएं आमांत्रित की गई थीं, उन लाइनों का ब्यौरा निविदाओं के प्रत्युत्तर सहित क्षेत्रीय रेलों से एकत्रित किया जा रहा है और लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) अंगामालि-सबरीमाला रेल लाइन निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। जहां तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का संबंध है, खुली निविदाएं आमांत्रित की गई हैं और उन्हें 7.12.98 को खोला गया है। कुल मिलाकर 5 पार्टियों ने निविदा दस्तावेज खरीदे हैं, लेकिन दो पार्टियों ने ही निविदाएं जमा कराई हैं। निविदा के परिणाम इन्हें अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् मालूम होंगे।

(घ) निविदाओं पर विचार करने और उन्हें अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

*[हिन्दी]*

**एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा भारत होटल निगम के विनिवेश संबंधी प्रस्ताव**

***177. श्री मोहन सिंह :**
**श्री रंजीव बिस्वाल :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया तथा भारत होटल निगम के शेयरों का विनिवेश किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत शेयरों को गैर-सरकारी क्षेत्र में दिए जाने का प्रस्ताव है, और

(ग) इसे परिणामस्वरूप इन निगमों की वित्तीय स्थिति, गुणवत्ता तथा प्रबंधन प्रणाली में किस हद तक सुधार होगा?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) जी, हां।

(ख) विनिवेश आयोग ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में एअर इंडिया (ए आई) के संबंध में पुनर्संरचना/विनिवेश करने के बारे में सिफारिश की है। आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :-

1. सरकारी इक्विटी के रूप में 1000 करोड़ रुपए लगाना और अंत में एअर इंडिया में सरकारी शेयर धारिता को कम करके इस 40 प्रतिशत तक करना।
2. विश्वव्यापी बोलियों के आधार पर 40 प्रतिशत इक्विटी धारण करने वाले किसी अनुकूल भागीदार को शामिल करना।
3. घरेलु संस्थागत निवेशकों को 10 प्रतिशत इक्विटी की ओर छोटे-छोटे निवेशकों और कर्मचारियों को 10 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश किया जाना।

आयोग की ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विनिवेश आयोग ने भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एच सी आई एल) विधेयक अपनी छठी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि :

1. मुबंई तथा दिल्ली स्थित होटलों को किसी वित्त सलाहकार के द्वारा उचित मूल्यांकन कराए जाने के उपरांत ही एक पारदर्शी तथा स्पर्धातमक बोली प्रक्रिया के माध्यम से पृथक यूनिटों के रूप में बेच दिया जाना चाहिए।

   श्रीनगर स्थित सेंटार होटल के मामले में, एअर इंडिया का प्रबंधन जम्मू व कश्मीर सरकार के साथ बातचीत शुरू कर सकता है ताकि इसको इसके स्वामित्व से बाहर निकाला जा सके। चूंकि जिन भूखंडों पर विमानपत्तन के होटल अवस्थित हैं वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हैं अत: एअर इंडिया को उनके बिक्री करने से पूर्व हस्तांतरण संबंधी शर्तें तय करने के लिए उनसे बातचीत करने की आवश्यकता होगी।
2. एअर इंडिया को यह निर्णय करना होगा कि क्या उड़ान केटरिंग सेवा भारतीय होटल निगम लिमिटेड द्वारा ही मुहैया की जाती रहनी चाहिए अथवा यह सेवा वित्तीय सलाहकार द्वारा उचित मूल्यांकन किए जाने के उपरांत एक पारदर्शी तथा स्पर्धात्मक बीली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र यूनिटों के रूप में बेच दी जानी चाहिए।

आयोग की ये सिफारिशें एअर इंडिया के बोर्ड के विचाराधीन हैं।

जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, इंडियन एयरलाइंस में तीन वर्ष में सरकार की इक्विटी धारिता को 49 प्रतिशत तक लाने हेतु एक चरणबद्ध विनिवेश शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) पुनर्संरचना/विनिवेश के सहारे, एअर इंडिया लि० तथा इंडियन एयरलाइंस लि० अपने-अपने बेड़े में विस्तार, आधुनिकीकरण और उसे बदलने संबंधी अपनी भावी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने और बाजार शेयर में वृद्धि करने की दिशा में अपने-अपने इक्विटी आधार को विस्तार देने की स्थिति में हो जाएंगी।

*[अनुवाद]*

**हवाई अड्डों के विस्तार पर व्यय**

***178. श्री हरिन पाठक :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हवाई अड्डों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य किया गया है,

(ख) उस पर हवाई अड्डे-वार कितनी धनराशि व्यय हुई,

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और हवाई अड्डों पर उक्त कार्य करने का है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ.) क्या कुछ हवाई अड्डों का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में उन्नयन करने का प्रस्ताव है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन विमानपत्तनों की सूची जहां पर आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य किया गया और उन पर किये गये व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विमानपत्तनों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। अमृतसर, औरंगाबाद, भुज, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और वाराणसी स्थित विमानपत्तनों के विकास संबंधी योजनाएं हैं।

च) 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी से राष्ट्रीय विमानपत्तनों के विकास/निर्माण किये जाने क लिए पाच और शहरों की पहचान की जा रही है। इस संबंध में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कृतिद्ध बल को सम्मिलित की गई है।

**विवरण**

*पिछले तीन वर्षों में जिन विमानपत्तनों पर आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन के कार्य किए गए उनके नाम तथा उन पर किया गया व्यय।*

(करोड़ रुपयों में)

| विमानपत्तनों के नाम | किया गया व्यय | | |
|---|---|---|---|
| | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन** | | | |
| चेन्नई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, चेन्नई | 8.28 | 14.00 | 11.42 |
| इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली | 37.44 | 36.65 | 37.44 |
| मुम्बई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई | 47.14 | 66.08 | 39.74 |
| नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनम, कलकत्ता | 5.74 | 9.28 | 10.70 |
| त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, त्रिवेन्द्रम | 3.84 | 10.84 | 11.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| अंतर्देशीय विमानपत्तन | | (लाख रुपयों में) | |
| अगरतला | 406.75 | 336.06 | 129.32 |
| औरंगाबाद | 560.00 | - | 104.47 |
| अहमदाबाद | - | - | 38.52 |
| आगरा | 76.98 | 150.46 | 738.39 |
| अमृतसर | 45.36 | 4.00 | - |
| बड़ौदा | 480.53 | 484.53 | 78.83 |
| भोपाल | 59.42 | 336.35 | 349.09 |
| बागडोगरा | 213.22 | - | - |
| भुवनेश्वर | 245.04 | 102.93 | 655.60 |
| भुज | - | 0.62 | 1.44 |
| बंगलौर | 2.02 | 163.71 | 313.73 |
| कालीकट | 1889.27 | 1997.08 | 2039.54 |
| डिब्रूगढ़ | - | 894.85 | 2.23 |
| दीमापुर | 595.17 | 200.26 | 267.69 |
| गोवा | 285.60 | 802.93 | 486.34 |
| गुवाहटी | 6.61 | 1095.90 | 420.41 |
| हैदराबाद | 496.00 | 450.00 | 832.50 |
| इम्फाल | 2.83 | 59.27 | 304.47 |
| इंदौर | 157.06 | 847.49 | 433.46 |
| जयपुर | 327.11 | 342.29 | - |
| जबलपुर | - | 55.09 | - |
| जम्मू | - | 184.00 | 183.79 |
| जोधपुर | 162.66 | 97.40 | 246.36 |
| कारगिल | 1769.76 | - | 224.35 |
| लुधियाना | - | - | 62.74 |
| लीलाबाड़ी | 270.29 | 115.30 | 315.02 |
| लखनऊ | 819.94 | 29.59 | 83.36 |
| लेह | 13.45 | - | - |
| नागपुर | 631.48 | 227.64 | 85.47 |
| पटना | 170.94 | 236.72 | 94.16 |
| पोरबंदर | 0.73 | - | 1.47 |
| पोर्टब्लेयर | - | - | 347.61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| राजकोट | - | - | 10.88 |
| रायपुर | 311.79 | 558.00 | 276.00 |
| रांची | 86.92 | - | - |
| शिमला | 10.64 | 42.55 | - |
| सिल्चर | 61.98 | 42.80 | 242.64 |
| तेजपुर | - | 359.54 | 688.00 |
| तिरुपति | 28.46 | - | - |
| उदयपुर | 1.03 | 346.00 | 885.29 |
| वाराणसी | 3.89 | - | - |
| विजयवाड़ा | - | 1.87 | 2.70 |

**कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के बाण्डों का भुगतान**

*179. **श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने मार्च, 1999 में भुगतान किए जाने हेतु नियत 160 करोड़ रुपए मूल्य के बाण्डों का भुगतान करने की समय-सीमा बढ़ाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोंकण रेलवे के राजस्व में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से विविध कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** (क) जी नहीं। बहरहाल कोंकण रेल निगम जिसके पास 10 वर्ष के लिए बंध पत्र जारी करने का विकल्प था, ने उस समय बंधपत्रों के विपणन को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ में 5 वर्षों की अवधि के लिए बंध पत्र जारी किए थे। अब निगम ने बंधपत्र धारकों से पूछा है कि क्या वे शेष 5 वर्ष की अवधि का लाभ उठाना चाहेंगे। निगम ने इस लाभ को जो बाजार में आर्कषक प्रतिफल देता है, प्राप्त करने के लिए उन्हें पहला मौका दिया है।

(ख) परियोजना की पूरी योजना के दौरान, इसके एक अवसंरचनात्मक परियोजना होने के कारण उपलब्ध 10 वर्ष की अवधि का पूरा उपयोग करने का उद्देश्य था। यह मंशा कभी नहीं थी कि 10 वर्ष के पूर्व ऋणमोचन की योजना बनाई जाए। बहरहाल, पुन: जारी करने के उद्देश्य सहित इनके विपणन को सुधारने के लिए यह बंधपत्र जान बूझकर 5 वर्ष के लिए जारी किए गए थे।

(ग) कोंकण रेल निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार और कोंकण रेल निगम द्वारा किए जा रहे उपाय निम्नानुसार है :-

(i) वित्तीय दायिताओं का पुनर्निर्धारण और पुन: वित्तपोषण के लिए बंधपत्र जारी करना।

(ii) गुजरात/पंजाब राजस्थान के बीच और गोवा/दक्षिण एवं उत्तर कैनारा केरल तथा दक्षिण-पश्चिम तमिलनाडु के बीच के माल यातायात का कोंकण रेल लाइन के रास्ते मार्ग परिवर्तन पर विचार करना।

(iii) परिवहन के अन्य साधनों से यातायात आकर्षित करने के लिए उपभोक्ता अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए कोंकण रेल निगम को सुदृढ़ बनाना।

(iv) ऐसी राज्य सरकारों से, जो कोंकण रेल निगम की भागीदार हैं, यह अनुरोध किया जा रहा है पश्चिमी तटीय जिलों में इस्पात, सीमेंट, बिटुमन आदि जैसी सभी महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री के थोक संचलन के लिए वे कोंकण रेलवे का प्रयोग करने के लिए अनुदेश जारी करें।

**नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय माल केन्द्र**

*180. **श्री दिन्शा पटेल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में पहला अंतरराष्ट्रीय माल केन्द्र स्थापित करने का है,

(ख) यदि हां, तो इस पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है और सरकार इस खर्च को किस प्रकार पूरा करेगी,

(ग) क्या देश में अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी इस योजना को लागू करने की सरकार की कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) जी, हां। दिल्ली विमानपत्तन में एक अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस समय अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी विमानपत्तन दिल्ली पर विद्यमान समेकित कार्गो टर्मिनल के विस्तार हेतु निर्माण-कार्य प्रगति पर हैं जिसकी पूंजीगत लागत 42 करोड़ रुपए की है। ये निर्माण कार्य अप्रैल, 2000 तक पूरे होने की आशा है। एक संयुक्त उद्यम भागीदार, जिसके संबंध में एक विश्वव्यापी भिविदा आमंत्रित की जा रही है, से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विद्यमान टर्मिनल में प्रतिस्पर्धा से चलाए जाने वाले प्रस्तावित समांतर कार्गो टर्मिनल के उद्यम में तथा साथ ही दिल्ली को एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सुविधाओं को विकसित करने हेतु निवेश करें।

(ग) और (घ) जी, हां। दिल्ली विमानपत्तन के संबंध में प्राप्त अनुभव के आधार पर, देश के अन्य विमानपत्तनों पर भी ऐसे कार्गो हबों के निर्माण की दिशा में कार्य किया जाएगा।

**रेलवे साइडिंग के निर्माण की योजना**

1832. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय वेदयपालेम (नेल्लोर) और तातमनचीं (बुत्रागुंता) में रेलवे चङग्साइडिंग के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल मंत्रालय का विचार कृष्णपतनम और पादुगुपादु को रेल नेटवर्क से जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाएं कब शुरू होंगी तथा कब तक पूरी हो जाएंगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) और (ग) जी नहीं।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

## दान संग्रह

**1833. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय कर्मचारी सहकारिता गृह निर्माण समिति लि॰, शिवालिक, नई दिल्ली ने "शिवालिक वेलफेयर कमिटी" नामक कोई संस्था बनाई है और शिवालिक कालोनी के प्रत्येक निवासी से जिन्होंने सामान्य मुख्तयारनामें के आधार पर भूखंड खरीदे हैं, बीस-बीस हजार रुपये दान स्वरूप लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

[illegible]नर्वास विभाग या सहकारिता समितियों के पंजीयक [illegible] बिना 50 लाख रुपए से अधिक दानराशि एकत्रित

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) रजिस्ट्रार को-ओपरेटिव सोसाईटीज, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि रिकार्ड में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

## होटल कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के खिलाफ आरोप

**1834. डा॰ असीम बाला :**
**श्री विकास चौधरी :**
**श्री सुनील खां :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबन्ध निदेशक को हाल ही में निलंबित किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो उसके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं,

(ग) क्या सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करवाई है, और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) प्रबंध निदेशक, भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एच॰ सी॰ आई॰ एल॰) को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के एक अधिकारी को जो एच॰ सी॰ आई॰ एल॰ के अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के मामले की देख-रेख कर रहे थे, को अपने शासकीय कर्तव्य निभाने में अधिकारी पर प्रभाव डालने के लिए निःशुल्क हवाई-टिकट देकर और सेन्टॉर होटल में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था करके अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करने के लिए 25.8.98 से निलंबित कर दिया गया था।

(ग) और (घ) मामले की व्यापक जाँच करने के लिए एक जाँच-अधिकरी की नियुक्ति की गई है। आगे की कार्यवाही चल रही है।

## चंडीगढ़ में मणिमाजरा में ऊपरिपुल का निर्माण

**1835. श्री सत्यपाल जैन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में मणिमाजरा के निकट रेल फाटक के ज्यादा देर तक बंद रहने के कारण मणिमाजरा के निवासियों को अत्याधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त रेल फाटक पर एक सड़क ऊपरिपुल का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## खबरी एक्सप्रेस को शुरू करना

**1836. श्री गिरिधर गमांग : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट से भुवनेश्वर बरास्ता रायगढ़ के लिए प्रस्तावित खबरी एक्सप्रेस चलाने में कठिनाई आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस प्रस्तावित रेलगाड़ी को चलाने के लिए कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) से (ग) 8447 ए/8448ए भुवनेश्वर-कोरापुट लिंक एक्सप्रेस को 31 मार्च 1999 से शुरू करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है।

## इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा मामलों का निपटान

**1837. श्री समर चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु निगम अनु॰ जा॰/अनु॰ ज॰ जा॰ कर्मचारी संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कितनों का निपटान 1997 और 1998 के दौरान कर दिया गया है,

(ख) अभी भी लम्बित मुद्दों की संख्या कितनी है, और

(ग) उन्हें नहीं निपटाए जाने के क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (ग) एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर से संबंधित कुल 127 मामले एयर कारपोरेशन्स एससी/एसटी इम्पलाईज एसोसिएशन द्वारा उठाए गए थे। इनमें से, 113 मामलों का निपटान किया जा चुका है। बाकी मामले पदोन्नति, आवास ऋण, स्थानांतरण, उत्पीड़न, आदि से सम्बद्ध है। इन मामलों का निपटाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। संबंधित संगठनों को इन लंबित मामलों को शीघ्र निपटाए जाने के विषय में कहा जा चुका है।

**औरिहार और जौनपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन**

**1838. डा॰ विजय सोनकर शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में औरिहार और जौनपुर के बीच की रेल लाइन मीटर गेज है जबकि अन्य निकटवर्ती रेल लाइनें बड़ी लाइनें हैं;

(ख) क्या उक्त रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण के आदेश दे दिए गए हैं। सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

*[हिन्दी]*

**स्वरोजगार**

**1839. डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्धनतम परिवारों के दस लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बिहार के बारे में इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है और उसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) इस कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेन्सी का नाम क्या है और किन-किन स्रोतों से धन एकत्र किया जाना है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आय सृजित करने वाली गतिविधियों के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण गरीबों को स्थायी आय सृजन के लिए मियादी ऋणों और सरकारी सब्सिडी के रूप में उत्पादक परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) बिहार के संबंध में वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए कुल आबंटन, उपयोग और वास्तविक कवरेज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1997-98 और 1998-99 के दौरान पूरे देश के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कुल परिव्यय क्रमश 113351.23 लाख रु॰ और 145616.95 लाख रु॰ है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक नियमित कार्यक्रम है और कोई भी निर्धारित समय सीमा नहीं है।

(घ) यह कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए निधियां केंद्र और राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

**विवरण**

*बिहार के संबंध में वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए कुल आबंटन, उपयोग और वास्तविक कवरेज को दर्शाने वाला विवरण*

| वर्ष | आवंटन | | (रुपये लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | केन्द्र | राज्य | कुल | उपयोग | सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या |
| 1997-98 | 8377.40 | 8377.40 | 16754.81 | 12422.08 | 196849 |
| 1998-99 | 13345.81 | 13345.81 | 26691.63 | 5087.28* | 67046* |

*अक्टूबर, 1998 तक

**विकास योजनाएं**

**1840. श्री रामपाल उपाध्याय :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त की गई राजस्थान के विभिन्न शहरों के विकास से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उसके लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या विश्व बैंक इस संबंध में कोई वित्तीयसहायता देने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) चालू वर्ष (दिं॰ 31/10/98 तक) के दौरान, हडको ने राजस्थान में 31.64 करोड़ रु॰ की ऋण राशि के साथ 57.79 करोड़ रु॰ की परियोजना लागत वाली तीन शहरी अवस्थापना योजनाओं को मंजूरी दी है। इस राशि में से हडको द्वारा इन योजनाओं के लिए 19.04 करोड़ रु॰ की राशि जारी कर दी गई है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) जो 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहर के लिए है, में 2513.17 लाख रु॰ की अनुमानित परियोजना लागत की 25 योजनाएं मंजूर की गई हैं। 1/12/98 तक स्वीकृत इन 25 परियोजनाओं में से

720.53 लाख रु० की अनुमानित परियोजना लागत की 5 योजनाओं को 1998-99 के दौरान स्वीकृति दी गई थी। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के लिए 1998-99 के दौरान 265.96 लाख रु० के बजट का नियतन किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही उठता।

*[अनुवाद]*

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खरीद**

**1841. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** 20 नवम्बर, 1997 के अतारांकित प्रश्न 259 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवश्यक सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अपवादस्वरूप परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 20 नवम्बर, 1997 के पश्चात् डी. जी. एस. एंड डी. द्वारा दी गई संविदा दरों के अलावा अन्य दरों [illegible] विद्युत सामान की खरीद करनी पड़ी?

[illegible] रोजगार **मंत्री (श्री राम जेठमलानी)**: (क) और (ख) जी हां, दिनांक 20.11.1997 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 259 के उत्तर के भाग (ग) और (ड.) में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है और संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) नवम्बर 20, 1997 के बाद ऐसी कोई खरीद नहीं की गई है।

**कालीकट से खाड़ी क्षेत्र की ओर उड़ानें**

**1842. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट से खाड़ी क्षेत्रों की ओर इंडियन एसरलाइंस की कितनी उड़ाने हैं,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट विमानपत्तन द्वारा इन उड़ानों से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कालीकट विमानपत्तन को खाड़ी क्षेत्र में किसी नए स्टेशन से जोड़ने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) इंडियन एयरलाइंस कालीकट से खाड़ी क्षेत्र में दोहा, बेहरीन, फुजीराह, रास-अल-बामाह और शारजाह के लिए सप्ताह में 18 उड़ानों का प्रचालन कर रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 तक कालीकट और खाड़ी के बीच उड़ानों पर अर्जित राजस्व और बजत/(घाटे) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइंस का कालीकट से खाड़ी किसी नये स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

*1995-96 से 1997-98 तक तीन वर्षों के लिए कालीकट और खाड़ी के बीच उड़ानों पर अर्जित राजस्व और बचत/घाटे के ब्यौरे :*

| क्र. सं. | मार्ग | उड़ान सं. | यातायात राजस्व | कुल लागत पर बचत/ (घाटा) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (करोड़ रुपयों में) |
| **1995-96** | | | | |
| 1. | मुम्बई-कालीकट-राखाइमा-शारजाह | 993/994 | 12.62 | 0.33 |
| 2. | मुम्बई-कालीकट-शारजाह | 989/990/ | 56.82 | 11.52 |
| 3. | मुम्बई-कालीकट-फुजीराह-शारजाह | 991/992 | 10.75 | (1.68) |
| 4. | कालीकट-गोवा-कुवैत | 995/996 | 17.92 | (1.19) |
| 5. | कालीकट-दौहा-बेहरीन | 997/998 | 1.11 | (0.50) |
| **1996-97** | | | | |
| 1. | मुम्बई-कालीकट-फुजीराह-शारजाह | 991/992 | 16.76 | 0.16 |
| 2. | कालीकट-गोवा-कुवैत | 995/996 | 34.18 | 0.66 |
| 3. | कालीकट-दोहा-बेहरीन | 997/998 | 36.61 | 1.60 |
| 4. | मुम्बई-कालीकट-राखाइमा-शारजाह | 993/994 | 21.79 | 2.42 |
| 5. | मुम्बई-कालीकट-शारजाह | 989/990 | 76.13 | 12.15 |
| **1997-98 (अनंतिम)** | | | | |
| 1. | मुम्बई-कालीकट-फुजीराह-शारजाह | 991/992 | 14.71 | 0.65 |
| 2. | कालीकट-दोहा-बेहरीन | 997/998 | 52.61 | 7.47 |
| 3. | मुम्बई-कालीकट-राखाइमा-शारजाह | 993/994 | 17.08 | 0.18 |
| 4. | मुम्बई-कालीकट-शारजाह | 989/990 | 85.17 | 18.18 |
| 5. | मुम्बई-कालीकैट-शारजाह | 677/678 | 2.19 | (1.04) |
| 6. | कालीकट-गोवा-कुवैत | 995/996 | 28.12 | (5.02) |

**एयर इंडिया में भविष्य निधि योजना**

**1843. श्री बसुदेव आचार्य : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों का भविष्य निधि में अंशदान समय-समय पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एयर इंडिया द्वारा इस संबंध में कितना अंशदान किया गया है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत भविष्य निधि की न्यूनतम दर 22.0997 से 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दी गयी है। किन्तु यह अधिनियम एअर इंडिया पर लागू नहीं है। एअर इंडिया में कर्मचारियों का भविष्य निधि योगदान 10 प्रतिशत है।

## सवारी डिब्बों का निर्माण

1844. **श्री पी. शंकरन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में निर्मित सवारी डिब्बों का ब्यौरा क्या है, कारखाना-वार;

(ख) क्या वास्तविक मांग की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो जोन/मंडल-वार, सवारी डिब्बों की कितनी कमी है; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) देश में सवारी डिब्बों का निर्माण करने की क्षमता और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विनिर्मित किए गए सवारी डिब्बों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

| वर्ष | निर्धारित क्षमता | विनिर्मित सवारी डिब्बे |
|---|---|---|
| 1995-96 | 2848 | 1752 |
| 1996-97 | " | 2168 |
| 1997-98 | " | 2278 |
| 1998-99 (अक्तूबर 98 तक) | " | 1324 |

(ख) जी नहीं, यातायात अनुमानों के आधार पर सवारी डिब्बों की आवश्यकताओं के अनुसार सवारी डिब्बों के विनिर्माण हेतु आदेश दिए जाते हैं,

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

## बिहार में नागर विमानन का विकास

1845. **श्री राजो सिंह :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में नागर विमानन के विकास के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) किन-किन परियोजनाओं पर इस बीच काम शुरू हो चुका है और क्या इन कार्यों की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में निम्नलिखित विमानपत्तन परियोजनओं की स्वीकृति दी गयी है :-

1. 9 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पटना में टर्मिनल भवन का विस्तार/परिवर्धन।
2. पटना विमानपत्तन पर एप्रन का विस्तार और नये लिंक टैक्सीपथ का निर्माण।

(ख) पटना में टर्मिनल भवन के विस्तार/परिवर्धन का कार्य दिसम्बर, 1993 में सौंपा गया था और इसे अगस्त, 1998 में पूरा हो जाना चाहिए था। लगातार यात्रियों की आवा-जाही बनी रहने के कारण निर्माण कार्य के लिए स्थल के कुछ भाग के उपलब्ध न हो पाने के कारण, कार्य के जनवरी, 1999 में पूरा होने की संभावना है। एप्रन के विस्तार का कार्य समयानुसार पूरा हो गया है।

(ग) परियोजना के समय पर पूरा किये जाने के लिए, परियोजना प्रबन्ध एजेंसी के साथ परियोजना पर सूक्ष्म निगरानी रखी जा रही है।

## अब्दुल वारी रेल पुल की मियाद

1846. **श्री एच. पी. सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और आरा के बीच स्थित अब्दुल वारी रेल पुल की मियाद समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस पुल के स्थान पर कोई नया पुल बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक नए पुल का निर्माण हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं। मौजूदा अब्दुलवारी रेलवे पुल एक दोहरी लाइन वाला रेल-एवं-एड्क पुल हैं। पुल की स्थिति ठीक है और इसके जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

## नागर विमानन कार्यों के विकास के लिए योजना

1847. **श्री. टी. गोविन्दन :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1998-99 के दौरान देश में नागर विमानन नेटवर्क के विकास के लिए राज्य-वार क्या योजनाएं हैं, और

(ख) उसके लिए योजना-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि नियत की गई है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय वाहकों द्वारा निधियों का आबंटन मुख्यत: विमान परियोजनाओं तथा नेटवर्क पर उनकी सेवाओं के प्रचालनार्थ अपेक्षित विभिन्न सहायक सेवाओं पर है। वर्ष 1998-99 के दौरान विमानपत्तन विकास-कार्यों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

*वर्ष 1998-99 के दौरान, विमानपत्तनों के विकास संबंधी कार्यों का राज्यवार ब्यौरा घरेलू विमानपत्तन*

रु. (करोडों में)

| राज्य | विमानपत्तनों का नाम जहां विकास संबंधी कार्य चल रहा है | वर्ष 1998-99 का संसोधित बजट |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 15.10 |
| | विजयवाड़ा | |
| | तिरूपति | |
| .. | डिब्रुगढ | 21.12 |
| | गुवहाटी | |
| | लिलाबाड़ी | |
| | सिल्चर | |
| | तेजपुर | |
| | जोरहाट | |
| बिहार | पटना | 2.65 |
| | राँची | |
| गोवा | डाबोलिम | 0.93 |
| गुजरात | अहमदाबाद | 8.93 |
| | बड़ौदरा | |
| | भुज | |
| | जामनगर | |
| | पोरबंदर | |
| | राजकोट | |
| हिमाचल प्रदेश | भुंतर (कुल्लू) | 2.05 |
| | शिमला | |
| जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू | 1.21 |
| | कारगिल | |
| | श्रीनगर | |
| कर्नाटक | बंगलौर | 10.48 |
| | हासन | |
| | मंगलौर | |
| केरल | कालीकट | 25.73 |
| मध्यप्रदेश | भोपाल | 9.73 |
| | इंदौर | |
| | जबलपुर | |
| | खुजराहो | |
| | रायपुर | |
| महाराष्ट्र | औरंगाबाद | 2.40 |
| | नागपुर | |
| मणिपुर | इंफाल | 5.52 |
| नागालैंड | दीमापुर | 0.33 |
| उड़ीसा | भुवनेश्वर | 8.42 |
| पंजाब | अमृतसर | 1.53 |
| | लुधियाना | |
| राजस्थान | जयपुर | 0.55 |
| | अजमेर | |
| | जोधपुर | |
| | उदयपुर | |
| त्रिपुरा | अगरतला | 8.80 |
| तमिलनाडू | चैन्नै | 1.00 |
| | मदुरै | |
| | त्रिचि | |
| उत्तर प्रदेश | आगरा | 12.08 |
| | लखनऊ | |
| | पंतनगर | |
| | वाराणसी | |
| पश्चिम बंगाल | बागडोगरा | 3.56 |
| | कलकत्ता | |
| **अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन** | | |
| मुम्बई विमानपत्तन, महाराष्ट्र | | 64.18 |
| इंदिरागांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली | | 42.41 |
| चैन्नै विमानपत्तन, तमिलनाडू | | 37.07 |
| कलकत्ता विमानपत्तन, पश्चिम बंगाल | | 16.74 |
| त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन, केरल | | 13.29 |

## पक्षियों के टकराने से होने वाली वायुयान दुर्घटनाएं

**1848. श्री कमल नाथ : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पक्षियों से विमान टकराने की घटनाओं के खतरे को देखते भारतीय वायु सेना ने राजधानी के बिल्कुल निकटवर्ती सामरिक महत्व वाले हिंडन हवाई अड्डे को छोड़ दिया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायु सेना के कुल कितने विमान पक्षियों के टकराने से क्षतिग्रस्त हुए;

(ग) क्या इस बीच सिविल प्रशासन ने बूचड़खाने और चमड़े के कारखाने को हवाई अड्डे के 10 10 कि॰ मी॰ की दूरी से परे हटाने के संबंध में भारतीय वायु सेना के अनुरोध पर अनुकूल रुख अपनाया है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) पक्षियों से टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण हिंडन वायुसेना स्टेशन से लड़ाकू विमानों की उड़ान बंद कर दी गई है।

(ख) 1995-96 से पक्षियों से टकराने के कारण चार वायुयानों की क्षति हुई है।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों ने बूचड़खानों/ पशु अवशेष उपयोगिता केन्द्रों के आधुनिकीकरण और पक्षियों से टकराने की आशंका वाले एयरफील्डों के आस-पास के क्षेत्रों की सफाई के लिए कदम उठाए हैं ताकि उन क्षेत्रों में पक्षियों के आवागमन को कम किया जा सके।

## पाकिस्तान के गौरी प्रक्षेपास्त्र से खतरा

**1849. श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान के परमाणु बम के मुकाबले उसके गौरी प्रक्षेपास्त्र को लेकर ज्यादा चिन्तित है;

(ख) क्या पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के कर्णधार ने कहा है कि बंगलौर से लेकर कलकत्ता तक भारतीय शहर गौरी प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता के अन्दर आते हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान भारत के किसी भी शहर पर 15 मिनट के भीतर हमला कर सकता है;

(घ) क्या झेलम से छोड़े गये गौरी प्रक्षेपास्त्र ने बलूचिस्तान में अपने लक्ष्य नौकुंडी तक पहुंचने में 1,100 कि॰ मी॰ की दूरी सिर्फ 9 मिनट और 58 सेकेंड में तय की; और

(ङ.) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रों के साथ-साथ उनके छोड़े जाने के साधन हमेशा ही भारत के लिए चिन्ता का विषय रहे हैं।

(ख) सरकार ने समाचार-पत्रों में छपी इस आशय की रिपोर्टें देखी हैं।

(ग) और (घ) सरकार को पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्रों की भारवहन क्षमता तथा मारक दूरी के संबंध में उनके दावों के साथ-साथ स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा इन क्षमताओं के संबंध में लगाए गए अलग-अलग अनुमानों की जानकारी है।

(ङ) भारत की परमाणु शस्त्र नीति और एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम इस प्रकार बनाए गए हैं कि इस देश के विरुद्ध महाविनाश लाने वाले शस्त्रों के प्रयोग या उनके प्रयोग किए जाने की धमकी के विरुद्ध विश्वसनीय, कारगर और सुरक्षित प्रतिरोधक स्थापित किया जा सके।

## समूह "घ" पदों पर नियुक्तियां

**1850. श्री विजय संकेश्वर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेल मंडलों के अंतर्गत विभिन्न समूह "घ" पदों पर अनधिकृत नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) क्या सी. बी. आई. ने इस मामले में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी अनधिकृत नियुक्तियां करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (घ) अनुकप्पा के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति से संबंधित हुबली मंडल के एक मामले में सी. बी. आई जांच कर रहीं है। वर्ष 1994 से 1997 के दौरान नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों की जाली नियुक्तियों के संबंध में हुबली मंडल का दूसरा मामला अगस्त 1998 में सी. बी. आई. को सौंप दिया गया था।

विजयवाड़ा मंडल से संबंधित ग्रुप "घ" में कथित अनियमित नियुक्ति के दूसरे मामले की भी सी. बी आई. जांच कर रही है। अत: अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु सी. बी. आई. की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

## डिफू-करांग रेल लाइन

**1851. डा. जयन्त रंगपी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित डिफू-करांग रेल लाइन धनसिरी आरक्षित वन से होते हुए जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारियों और विभागों से आवश्यक स्वीकृति ले ली गई है;

(ग) प्रस्तावित रेल लाइन किन-किन स्थानों से होकर जाएगी;

(घ) क्या सरकार को करबी अगलांग, असम की आटोनामस हिल कांउसिल से डिफू-करांग रेल लाइन परियोजना में संशोधन करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) परियोजना का अंतिम स्थान निर्धारण अभी भी किया जाना है इसलिए सही-सही भूमि के सरेखण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मैसर्स राइट्स द्वारा किए गए प्रारंभिक व्यावहारिक सर्वेक्षण के अनुसार दो शुरुआती स्थलों अर्थात् दिफू और दूसरा धनसिरी जो कि दिफू स्टेशन से 18 कि. मी. पूर्व में स्थित है, पर विचार किया गया था। सभी कारकों का अध्ययन करने के पश्चात्, रेलवे ने धनसिरी स्टेशन को प्रारंभिक स्थल बनाने का विनिश्चय किया है। इस स्थल का चयन करने से 16 कि. मी. लंबा धनसिरी आरक्षित वन सरेखण से बच जाएगा।

(ख) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही [illegible] सकेगी जिसके दौरान अंतिम भूमि सरेखण का विनिश्चय

[illegible] अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। व्यावहारिक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित स्टेशनों से लाइन गुजरेगी :-

1. धनसिरी, 2. हजाडिसा, 3. जलुके, 4. दुंगकी, 5. तेजुंगला, 6. पेरेन, 7. थूयेंग, 8. कंजांग, 9. संग: खोमे 10. मारमखुल्लेन, 11. खुनो, 12. करांग।

(घ) जी हां,

(ङ) और (च) नवंबर, 1998 में करबी औगलांग स्वायत्त परिषद सचिवालय से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उठाए गए मुद्दों पर मौजूदा नियमों के तहत विचार किया जाएगा।

**बसंती कालोनी में ऊपरिपुल का निर्माण**

**1852. श्री जुआल उराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बसंती कालोनी (राउरकेला) में तथा दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले के अन्य स्थानों पर सड़क ऊपरिपुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं। राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रक्षा उपयोग के लिये भोपाल-सांची मार्ग पर भूमि का अधिग्रहण**

**1853. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** 65 रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने लगभग 6 से 7 वर्ष पूर्व भोपाल-सांची मार्ग पर काफी जमीन अधिग्रहीत की थी;

(ख) क्या उक्त जमीन का उपयोग रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यह भूमि अधिग्रहीत करने का उद्देश्य क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) जी, हां। कुल मिलाकर 346.94 एकड़ निजी भूमि तथा 1043.88 एकड़ राज्य सरकार की भूमि अधिगृहीत की गई थी तथा मंत्रालय ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था।

(ख) और (ग) इस समय सेना द्वारा भूमि का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है।

**गुडगांव और रेवाड़ी के बीच रेलवे लाइन बिछाना**

**1854. श्री जोगेन्द्र कवाडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोहना होते हुए गुड़गांव और रेवाड़ी के बीच रेलवे लाइन बिछाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**वास्को और लोंण्डा के बीच रेल सेवा**

**1855. श्री फ्रांसिस्को सारदीना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वास्को और लोंण्डा के बीच रेल सेवा बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस लाईन पर रेल सेवा कब तक बहाल की जाएगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) वास्को-लोंडा खंड पर यात्री गाड़ी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित है। माल गाड़ियां सामान्यतौर पर परिचालित हैं।

(ख) आमान परिवर्तन के बाद जब रेल संरक्षा आयुक्त लाइन का निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने यात्री सेवाएं शुरू करने से पहले खंड पर कैच साइडिंगों की व्यवस्था करने की इच्छा व्यक्त की थी। चूंकि कैच साइडिंग व्यवहार्य नहीं पाई गई थी इसलिए खंड को माल यातायात के लिए खोल दिया गया तथा यात्री गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के परीक्षण रेल संरक्षा आयुक्त के परामर्श से दक्षिण-मध्य रेल द्वारा किए जा रहे हैं।

(ग) उपरोक्त पैरा (ख) के उत्तर में उल्लिखित परीक्षणों के पूरा होने के पश्चात पता चलेगा।

### आंध्र प्रदेश में ऊपरि पुल का निर्माण

1856. **श्री के.पी. नायडू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में नेल्लीमरला और बोबिली में सड़क ऊपरिपुलों के निर्माण के लिए रेलवे को अनेक अभ्यावेदन दिए गए हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इन दोनों सड़क ऊपरि पुलों की 50 प्रतिशत लागत देने की अपनी इच्छा जताई है;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों ऊपरि पुलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) निकट भविष्य में रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची में इन निर्माण कार्यों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) बल्लीमारला और बोब्बिली के समपारों पर उपलब्ध मौजूदा यातायात घनत्व के अनुसार, ये लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुलों में बदलने के लिए योग्य नहीं हैं क्योंकि इनका यातायात घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाई की निर्धारित मानदंडों की अपेक्षा-क्रमश: 71,118 और 35,336 गाड़ी वाहन इकाई है।

(घ) लागत में भागीदारी के आधार पर इस ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है। बहरहाल, यदि राज्य सरकार प्रस्ताव प्रायोजित करे तो "निक्षेप" शर्तों के आधार पर उनका निर्माण किया जा सकता है।

### ग्रेटर कैलाश-I में जल भराव

1857. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रेटर कैलाश-I विशेष रूप से "बी" और "एम" ब्लाक के निवासियों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि उनके घरों में बरसात का पानी भर जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेजीडेंट्स वेलफैयर एसोसिएशनों से क्षेत्र के सर्वेक्षण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो यहां के निवासियों की शिकायतों का निपटान करने और क्षेत्र में उचित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि क्षेत्र में भूमिगत बरसाती पानी की नालियां हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ के ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान, निवासियों ने नालियों को बदलने की मांग की थी जिसमें काफी धन लगेगा और इस समय धन की कमी के कारण यह सम्भंव नहीं है। तथापि, दिल्ली नगर निगम, नालियों, बैल माऊथ आदि की नियमित सफाई करके नाली व्यवस्था को चालू रखता है।

### हुबली रेलवे कार्यशाला का विस्तार तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन

1858. **श्री बी.एम. मेनसिंकाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली रेलवे कार्यशाला विस्तार तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों की ओवरहालिंग के लिए कारखाने में परिवर्तन किया जा रहा है। कारखाना पहले मीटर लाइन के माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों को सम्हाल रहा था। गतायू तथा पुराने हो चुकी मशीन तथा संयंत्रों के बदलाव के लिए आधुनिक मशीन तथा संयंत्रों को परिवर्तन के रूप में लगाया जा रहा है। बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों को आवधिक ओवरहालिंग क्षमता को दो चरणों में किया जाना है। (प्रथम चरण में 150 इकाइयों के लिए तथा दूसरे चरण में 150 से 190 इकाइयों के विस्तार के लिए) इस समय, कारखाना प्रतिमाह 120 इकाइयों की दर से बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग कर रहा है।

*[हिन्दी]*

### डी॰आर॰डी॰ए॰ कर्मचारियों को वेतन

1859. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ के कर्मचारियों को वेतन आदि केन्द्र सरकार के द्वारा दिया जाता है,

(ख) यदि हां, तो क्या वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के ग्राह्य सुविधाओं के हकदार हैं,

(ग) क्या डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ के अधिकारियों/कर्मचारियों को नये वेतन मान दे दिये गये हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) से (ङ) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां पंजीकृत सौसाइटियां हैं जोकि राज्य सरकार के सोसाइटी प्रंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं। इनके कर्मचारी सोसाइटी के कर्मचारी हैं। वे भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का अपना शासी निकाय तथा दैनिक प्रशासन/शासन के लिए उपविधियाँ हैं। पंजीकृत सोसाइटी होने के कारण, इनके कर्मचारियों की सेवा-शर्ते राज्य सरकार की सहमति के साथ उप-विधियों के अनुरूप संबंधित जिला ग्रामीण विकास एंजेसियों द्वारा बनाई जानी होती हैं बशर्ते की प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए निधियों की उपलब्धता हों। प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को प्रत्येक योजना के अंतर्गत आबंटन के निर्धारित प्रतिशत का उपयोग करने की अनुमति प्रदान है जिसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अलावा ऐसे खर्चों की पूर्ति के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है।

*[अनुवाद]*

### आंध्र प्रदेश में जलपूर्ति

**डॉ॰ येरननायडू :**
**श्री टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के हैदराबाद तथा शिकन्दराबाद में जल-आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं पर कब तक काम शुरू हो जाएगा; और

(घ) इन दोनों शहरों में जलापूर्ति में किस सीमा तक सुधार होगा?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) जी, हां। मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए हैदराबाद में चलाई जा रही है, केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत, शहर में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के लिए 73.43 करोड़ रु॰ की राशि मंजूर की गई है। जल-आपूर्ति सुधार घटक को मेगा सिटी स्कीम के अन्तर्गत आरंभ किया जा सकता है।

(ख) से (घ) मेगा सिटि स्कीम के अन्तर्गत 112.00 करोड़ रु॰ की अनुमानित परियोजना लागत से जल आपूर्ति तथा सीवरेज की एक मिश्रित स्कीम अनुमोदित की गई है। उपलब्ध सुचना के अनुसार उक्त स्कीम के क्रियान्वयन में 10.00 करोड; रु॰ पहले ही खर्च हो गए हैं। इससे हैदराबाद सिकन्दराबाद शहरों में जल आपूर्ति वितरण प्रणाली में सुधार की सम्भावना है।

### भारत-पाक सीमा पर रक्षा संबंधी स्थाई निर्माण

1861. **श्री नादेन्दला भास्कर राव :**
**श्री इन्द्रजीत सिंह राव :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण पाने के लिए भारत-पाक सीमा पर रक्षा संबंधी स्थायी निर्माण करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना खर्च आएगा?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) से (ग) सीमाओं पर स्थायी संरचनाओं सहित रक्षा संरचनाओं का निर्माण संभावित खतरों और युद्धनीति के आधार पर किया जाता है। उनकी आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है तथा उनमें परिवर्तन किया जाता है। इनके बारे में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

### सामान बुकिंग एजेंसी की नियुक्ति

1862. **श्री राजनारायण पासी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकृत योजनाओं के अंतर्गत पार्सल/सामान की बुकिंग के लिए आउटडोर रेलवे एजेंसी नियुक्त करने के लिए मापदंडों/दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) एजेंट को कितना कमीशन/सेवा प्रभार दिया जाता है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) सिटी बुकिंग एंजेंसियां/आउट एजेंसियां जनता की मांग पर खोली जाती हैं बशर्ते कि यातायात तथा वित्तीय औचित्य बनता हो तथा एजेंसी को चलाने के लिए उपयुक्त ठेके दार की उपलब्धता हो। प्रेस अधिसूचनाओं के माध्यम से निविदा आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के बाद ठेकेदार चुना जाता है। एजेंसी परिसर से सर्विंग रेलवे स्टेशन तक पैकेजों के सड़क परिवहन के लिए एजेंट को कारटेज प्रभार दिया जाता है। रेलवे टिकटों की बिक्री पर कमीशन दिया जाता है। ये प्रभार ठेकेदार द्वारा अपने निविदा आवेदन-पत्र में दी गई तथा रेल प्रशासन द्वारा स्वीकृत की गई दरों के अनुसार दिया जाता है।

### हुडको

1863. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
**श्री रंजीव विस्वाल :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको तथा अन्य एंजेंसियों द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत चलाये जा रहे कई मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी जांच के लिए महान्यायाधिवक्ता की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित करने की एक योजना है; और

(घ) लोगों की कठिनाइयों को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में ये एजेंसी तुच्छ मुकदमेबाजी में न पड़े, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) सभी एजेंसियों को निदेश जारी किए गए हैं कि वे नागरिकों के साथ बेवजह मुकदमेंबाजी में न उलझें।

*[हिन्दी]*

**हेलीकाप्टर सेवा**

**1864. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
**श्री तेजवीर सिंह :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थलों के "दर्शन" हेतु हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) हेलीकाप्टर सेवा कब तक शुरू की जाएगी?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमर) :** (क) से (ग) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि० ने बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के लिए/वहां से सेवा चालू करने के संबंध में एक 5 सीट वाले हेलीकाप्टर का प्रस्ताव गढ़वाल विकास निगम लि० (जी वी एन एल) को भेजा है। हेलीकाप्टर सेवा का बेस रुद्धप्रयाग में होगा और यह रुद्धप्रयाग-केदारनाथ-बद्रीनाथ-रुद्रप्रयाग सेक्टर पर प्रचालन करेगा। जी वी एन एल द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए जाने पर हेलीकाप्टर सेवा शुरू की जा सकती है।

*[अनुवाद]*

**महिला सैनिक स्कूलों की स्थापना**

**1865. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में महिला सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) गुजरात सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री को लिखे अपने एक पत्र में बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोले जाने तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में उनके प्रवेश की अनुमति दिए जाने का सुझाव दिया है।

(ख) मैजूदा सैनिक स्कूलों की स्थापना मुख्यत: बालकों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु शैक्षिक, शारीरिक तथा मानसिक रूप से तैयार करने के लिए की गई है। फिलहाल बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोले जाने अथवा उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**भूमि सुधार**

**1866. प्रो० प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :**
**डा० चिन्ता मोहन :**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ भूमि क्षारीय होने के कारण कृषि योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) की रिपोर्ट के अनुसार देश में 35.81 लाख हैक्टेयर भूमि क्षारीय भूमि है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) क्षारीय भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86) के दौरान हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की गयी थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए भी लागू किया गया था। चयनित संघटकों के संबंध में केन्द्रीय वित्तीय सहायता का पैटर्न केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अंशदान के आधार पर है। वर्ष 1997-98 तक, 65.67 करोड़ रुपये के केन्द्रीय निवेश के साथ 5.05 लाख हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। इसके अलावा, क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने एवं विकसित करने हेतु यूरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषित विदेशी सहायता प्राप्त एक परियोजना अक्टूबर, 1993 से बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का लक्ष्य 85.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, जिसमें 78.92 करोड़ रुपये की राशि यूरोपीय संघ की सहायता के रूप में शामिल है, 15000 हैक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाना है। यह परियोजना मार्च, 2001 में पूरी होगी।

**विवरण**

*क्षारीय मृदा वाले अनुमानित क्षेत्र की राज्यवार स्थिति*

(क्षेत्र, लाख हैक्टेयर में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | क्षारीय मृदा क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0.64 |
| 2. | बिहार | 0.04 |
| 3. | गुजरात | **9.42 |
| 4. | हरियाणा | 4.50 |
| 5. | कर्नाटक | 0.76 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 1.64 |
| 7. | महाराष्ट्र | 0.59 |
| 8. | पंजाब | 7.18 |
| 9. | तमिलनाडु | 0.04 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 11.00 |
| | कुल | 35.81 |

**इसमें राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र शामिल हैं।

स्रोत: राष्ट्रीय कृषि आयोग, 1976

*[अनुवाद]*

### नौसेना की कार्मिक नीति

**1867. डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौसेना की कार्मिक नीति में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय नौसेना में कितने पद रिक्त पड़े हैं अथवा गत एक वर्ष के दौरान तदर्थ आधार पर कितने पद भरे गए हैं; और

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नौसेना में फ्लैग रैंक से नीचे के रैंक का कोई पद रिक्त नहीं है। फ्लैग रैंक के तीन पदों के संबंध में, जिनके लिए नियोक्ता प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार है, नौसेना मुख्यालय के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

### परती भूमि

**1868. श्री सोनाराम चौधरी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कृषि के अन्तर्गत लाई गई परती भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के पास परती भूमि विकास संबंधी कितने प्रस्ताव लंबित हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बर्ष स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में विशेष रूप से रेगिस्तानी जिलों अर्थात् बाड़मेर, जैसलमर और जोधपुर से संबंधित कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) बंजरभूमि विकास विभाग का कार्य वनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि का विकास करना है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक कारणों से भूमि की बिगड़ती हुई स्थिति की वजह से हो रहे भूमि के अवक्रमण को रोकना है तथा वनेतर क्षेत्रों में ऐसी बंजरभूमि को बायोमारा, विशेषकर जलाऊ लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से उपयोग योग्य बनाना है।

ऐसी भूमि को विकसित करने के पश्चात् भी भूमि के कम उपजाऊ होने की प्रकृति तथा विपरीत प्राकृतिक कारणों की वजह से विकसित बंजरभूमि पर कृषि कार्य करने के बजाए चारे वाले पौधों, ईधंन वाले तथा फलदार वृक्षों को लगाने की सलाह दी जाती है। इस तरह से बंजरभूमि विकास विभाग के कार्यक्रमों का आशय भूमि को आगे और अवक्रमित होने से रोकना है तथा बंजरभूमि को विकसित करके इसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की बजाय इस पर पर्याप्त मात्रा में बायोमास का उत्पादन करना है। तथापि, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की ऊसर भूमि सुधार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार कृषि के तहत लाए गए क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इस समय, सरकार के पास समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत 58 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत 72 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। विभाग द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) राजस्थान सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों अर्थात् बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों के संबंध में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत बंजरभूमि के विकास हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

**विवरण-I**

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

| क्र॰सं॰ | राज्य का नाम | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हरियाणा | 9.92 | 6.67 | 5.56 | 22.15 |
| 2. | पंजाब | 17.90 | 17.83 | 4.88 | 40.61 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 18.66 | 26.91 | 7.99 | 53.56 |
| 4. | गुजरात | 0.00 | 0.09 | 0.69 | 0.78 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | राजस्थान | 0.00 | 0.65 | 2.05 | 2.70 |
| | कुल | 46.48 | 52.15 | 21.17 | 119.80 |

**विवरण - II**

| जिले का नाम | परियोजना अवधि | कुल लागत (लाख रु॰ में) | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | जारी राशि 1995-96 (लाख रु॰ में) | जारी राशि 1996-97 (लाख रु॰ में | जारी राशि 1997-98 (लाख रु॰ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **राज्य-आंध्र प्रदेश** | | | | | | |
| चित्तूर - 1 | 96-97 से 99-00 | 323.40 | 8085 | 0.00 | 48.51 | 97.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुर्नूल | 95-96 से 98-99 | 293.20 | 7330 | 49.80 | 82.14 | 102.64 |
| चित्तूर-II | 96-97 से 99-00 | 331.20 | 8280 | 0.00 | 49.68 | 98.74 |
| चित्तूर-I | 97-98 से 20-01 | 450.00 | 11250 | 0.00 | 0.00 | 67.50 |
| मेडक | 97-98 से 20-01 | 496.48 | 12412 | 0.00 | 0.00 | 124.12 |
| निजामाबाद-II | 97-98 से 20-01 | 500.00 | 12500 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| श्रीकाकुलम | 97-98 से 20-01 | 500.00 | 12500 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| कुडप्पा-II | 97-98 से 20-01 | 500.00 | 12500 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| चित्तुर-III | 95-96 से 98-99 | 20.00 | 500 | 3.00 | 0.00 | 6.00 |
| उप योग | | 3414.3 | 85357 | 52.80 | 180.33 | 721.02 |
| **राज्य-अरुणाचल प्रदेश** | | | | | | |
| पश्चिम कामेंग | 97-98 से 20-01 | 60.00 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| उप योग | | 60.00 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| **राज्य-असम** | | | | | | |
| कारबी आंगलौंग | 97-98 से 2001 | 245.20 | 6130 | 0.00 | 0.00 | 36.78 |
| उप योग | | 245.20 | 6130 | 0.00 | 0.00 | 36.78 |
| **राज्य-बिहार** | | | | | | |
| वैशाली | 95-96 से 98-99 | 40.00 | 1000 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप योग | | 40.00 | 1000 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| **राज्य-गुजरात** | | | | | | |
| खेड़ा | 96-97 से 99-00 | 32.48 | 812 | 0.00 | 4.87 | 0.00 |
| जूनागढ़ | 97-98 से 20-01 | 480.00 | 12000 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| उप योग | | 512.48 | 12812 | 0.00 | 4.87 | 72.00 |
| **राज्य-हिमाचल प्रदेश** | | | | | | |
| सोलन-II | 97-98 से 20-01 | 499.52 | 12488 | 0.00 | 0.00 | 74.92 |
| सिरमौर | 97-98 से 20-01 | 499.00 | 12500 | 0.00 | 0.00 | 74.85 |
| उप योग | | 998.52 | 24988 | 0.00 | 0.00 | 149.77 |
| **राज्य-हरियाणा** | | | | | | |
| गुडगांव | 95-96 से 98-99 | 218.92 | 5473 | 14.50 | 0.00 | 40.23 |
| पानीपत | 97-98 से 20-01 | 478.88 | 11972 | 0.00 | 0.00 | 71.83 |
| उप योग | | 697.80 | 17445 | 14.50 | 0.00 | 112.06 |
| **राज्य-जम्मू-कश्मीर** | | | | | | |
| उधमपुर-II | 97-98 से 20-01 | 500.00 | 12500 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| उप योग | | 500.00 | 12500 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य-कर्नाटक** | | | | | | |
| मांड्या-II | 97-98 से 20-01 | 500.00 | 12500 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| गुलबर्गा | 97-98 से 20-01 | 474.00 | 11847 | 0.00 | 0.00 | 71.08 |
| चित्रदुर्गा | 97-98 से 20-01 | 500.00 | 12500 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| बेल्लारी | 97-98 से 20-01 | 485.60 | 12140 | 0.00 | 0.00 | 72.84 |
| उप योग | | 1959.6 | 48987 | 0.00 | 0.00 | 293.92 |
| **राज्य-केरल** | | | | | | |
| इडुक्की | 95-96 से 98-99 | 403.20 | 10080 | 60.48 | 0.00 | 40.32 |
| उप योग | | 403.20 | 10080 | 60.48 | 0.00 | 40.32 |
| **राज्य-महाराष्ट्र** | | | | | | |
| बारभनी | 97-98 से 20-01 | 381.60 | 9540 | 0.00 | 0.00 | 57.24 |
| | | 381.60 | 9540 | 0.00 | 0.00 | 57.24 |
| इम्फाल (पश्चिम) | 97-98 से 20-01 | 267.00 | 6675 | 0.00 | 0.00 | 66.75 |
| सेनापति | 97-98 से 20-01 | 55.72 | 1393 | 0.00 | 0.00 | 8.35 |
| सेनापति-II | 97-98 से 20-01 | 400.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| उप योग | | 722.72 | 18068 | 0.00 | 0.00 | 135.10 |
| **राज्य-मध्य प्रदेश** | | | | | | |
| राजनंद गांव | 95-96 से 98-99 | 444.00 | 11100 | 23.98 | 42.62 | 0.00 |
| दतिया-2 | 96-97 से 99-00 | 21.28 | 532 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| गूना | 97-98 से 20-01 | 243.60 | 6090 | 0.00 | 0.00 | 36.54 |
| सियोनी | 97-98 से 20-01 | 280.00 | 7000 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| नरसिंहपुर | 97-98 से 20-01 | 280.00 | 7000 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| मंदसौर | 97-98 से 20-01 | 280.00 | 7000 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| गूना-2 | 97-98 से 20-01 | 337.96 | 8449 | 0.00 | 0.00 | 50.69 |
| उप योग | | 1886.8 | 47171 | 23.98 | 45.81 | 213.23 |
| **राज्य-नागालैंड** | | | | | | |
| बोरवा | 96-97 से 99-00 | 480.00 | 12000 | 0.00 | 72.00 | 48.00 |
| योकोचुंग | 97-98 से 20-01 | 480.00 | 12000 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| जूनोकुटो | 95-96 से 98-99 | 100.00 | 2500 | 15.00 | 30.00 | 0.00 |
| उप योग | | 1060.0 | 26500 | 15.00 | 102.00 | 120.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य-उड़ीसा | | | | | | |
| कोरापुट-3 | 96-97 से 99-00 | 7.29 | 300 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| झासुरगुडा | 97-98 से 20-01 | 288.64 | 7216 | 0.00 | 0.00 | 43.30 |
| कालाहांडी-3 | 97-98 से 20-01 | 493.48 | 12337 | 0.00 | 0.00 | 74.02 |
| बोलांगिर-2 | 97-98 से 20-01 | 496.00 | 12400 | 0.00 | 0.00 | 74.40 |
| कोरापुट-4 | 97-98 से 20-01 | 481.80 | 12045 | 0.00 | 0.00 | 72.27 |
| मयूरभंग | 97-98 से 20-01 | 496.00 | 12400 | 0.00 | 0.00 | 29.35 |
| ढेनकनाल-3 | 97-98 से 20-01 | 244.64 | 6100 | 0.00 | 0.00 | 36.69 |
| ढेनकनाल-2 | 96-97 से 99-00 | 100.60 | 2515 | 0.00 | 15.09 | 0.00 |
| उप योग | | 2608.4 | 65313 | 0.00 | 16.18 | 330.03 |
| राज्य-पंजाब | | | | | | |
| पाटियाला | 96-97 से 99-00 | 22.00 | 550 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| उप योग | | 22.00 | 550 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| राज्य-राजस्थान | | | | | | |
| बूंदी | 96-97 से 99-00 | 27.30 | [illegible] | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| झुनझुन | 97-98 से 20-01 | 168.00 | 4200 | 0.00 | 0.00 | 25.20 |
| झालाबाड़-2 | 97-98 से 20-01 | 394.24 | 9856 | 0.00 | 0.00 | 59.14 |
| अजमेर-2 | 95-96 से 98-99 | 26.00 | 650 | 3.90 | 0.00 | 7.80 |
| उप योग | | 615.54 | 15392 | 3.90 | 4.10 | 92.14 |
| राज्य-सिक्किम | | | | | | |
| पश्चिम सिक्किम | 96-97 से 99-00 | 220.00 | 5500 | 0.00 | 20.82 | 0.00 |
| पूर्व सिक्किम-3 | 97-98 से 20-01 | 222.76 | 5669 | 0.00 | 0.00 | 33.41 |
| उत्तर सिक्किम-2 | 97-98 से 20-01 | 480.00 | 12000 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| उप योग | | 922.76 | 23169 | 0.00 | [illegible]82 | 105.41 |
| राज्य-तमिलनाडु | | | | | | |
| कोयम्बटूर | 96-97 से 99-00 | 19.20 | 480 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |
| डिंडिगुल | 97-98 से 20-01 | 200.00 | 5090 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| उप योग | | 219.20 | 5570 | 0.00 | 2.89 | 30.00 |
| राज्य-उत्तर प्रदेश | | | | | | |
| फिरोजाबाद | 96-97 से 99-00 | 459.16 | 11479 | 0.00 | 68.87 | 0.00 |
| फतेहपुर | 96-97 से 99-00 | 395.20 | 9880 | 0.00 | 59.28 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जौनपुर | 96-97 से 99-00 | 468.72 | 11718 | 0.00 | 70.30 | 46.87 |
| वाराणसी | 96-97 से 99-00 | 385.80 | 9645 | 0.00 | 57.87 | 77.16 |
| इटावा | 96-97 से 99-00 | 406.00 | 10150 | 0.00 | 60.90 | 0.00 |
| आजमगढ़ | 96-97 से 99-00 | 319.28 | 7982 | 0.00 | 47.89 | 0.00 |
| कानपुर (नगर) | 96-97 से 99-00 | 220.40 | 5510 | 0.00 | 33.06 | 0.00 |
| उन्नाव | 97-98 से 20-01 | 481.64 | 12041 | 0.00 | 0.00 | 72.25 |
| टिहरीगढ़वाल | 97-98 से 20-01 | 484.76 | 12119 | 0.00 | 0.00 | 72.71 |
| सोनभद्र | 97-98 से 20-01 | 404.26 | 10106 | 0.00 | 0.00 | 60.63 |
| रायबरेली-2 | 97-98 से 20-01 | 484.00 | 12100 | 0.00 | 0.00 | 72.60 |
| उन्नाव-2 | 97-98 से 20-01 | 482.16 | 12054 | 0.00 | 0.00 | 72.32 |
| सुलतानपुर | 97-98 से 20-01 | 481.56 | 12039 | 0.00 | 0.00 | 72.23 |
| झांसी-2 | 97-98 से 20-01 | 495.00 | 12379 | 0.00 | 0.00 | 74.25 |
| झांसी-3 | 97-98 से 20-01 | 400.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 96-97 से 99-00 | 491.80 | 12295 | 0.00 | 73.77 | 49.18 |
| [illegible] | | 6859.7 | 171497 | 0.00 | 471.94 | 730.20 |
| योग | | 24130 | 603569 | 176.66 | 852.24 | 3323.22 |

**नियंत्रण रेखा से गायब सैनिक**

**1869. श्री आर० साम्बासिवा राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1998 के दौरान उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से कितने सैनिकों के गायब होने की खबर है तथा उनके पदनाम क्या हैं;

(ख) उन्हें ढूंढने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस तरह किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) से (ग) एक जूनियर कमीशन अफसर तथा दो अन्य रैंक 21 अक्तूबर, 1998 से उड़ी सेक्टर से और एक अन्य रैंक 17 अक्तूबर, 1998 से करगिल सेक्टर से लापता है। इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर खोज की गई है। तथापि, लापता सैन्यकार्मियों का पता नहीं लगाया जा सका है।

*[हिन्दी]*

**झांसी-कानपुर रेल लाइन का दोहरीकरण**

**1870. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में झांसी-कानपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) इकहरी लाइन वाले खंडों का दोहरीकरण तभी किया जाता है जब उनकी वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है और ऐसा करते समय भारी माल यातायात वाले खंडों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खंड पर यातायात का स्तर अभी तक दोहरीकरण के औचित्य तक नहीं पहुंचा है। जब कभी यातायात के लिए इसके दोहरीकरण की आवश्यकता होगी तब इस पर विचार किया जाएगा।

**हरदा में मालगाड़ी का पटरी से उतरना**

1871. **श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 सितंबर, 1998 को जबलपुर में चरखेरा स्टेशन के नजदीक हरदा में एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) जी हां। 11.9.1998 को मध्य रेल के भोपाल मण्डल के हरदा और चरखेड़ा स्टेशनों के बीच एल एम एन आर विशेष माल गाड़ी के 8 माल डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस दुर्घटना में 2.5 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ।

(ग) जी हां।

(घ) जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना स्प्रिंग की टॉप प्लेट के टूट जाने से हुई।

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी कारखानों और कारखानों में तैनात मुख्य गाड़ी परीक्षक (एच टी एक्स आर) को बकल पर बिना स्टाम्प मार्क वाले किसी भी स्प्रिंग की अनुमति नहीं देने के निर्देश दोहरा दिए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत सहायता**

1872. **श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 75% सहायता देने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक को इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी राशि जारी की गई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**मैसूर विमानपत्तन**

1873. **श्री ए. सिदराजू : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार मैसूर विमानपत्तन परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मैसूर विमानपत्तन के स्तरोन्नयन हेतु राज्य सरकार से 350 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के विषय में अनुरोध किया है।

*[हिन्दी]*

**जल संवर्धन योजनाएं**

1874. **श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास राज्य-वार कितनी जल संवर्धन योजनाएं स्वीकृति हेतु पड़ी हैं और ये कब से लंबित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई और कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप धनराशि का उपयोग करते हुए कार्य निष्पादित किया है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए तैयार किए गए केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत जल आपूर्ति बढ़ाने की 150 योजनाएं अब तक अनुमोदित नहीं की गई हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विभिन्न कारणों जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं में तकनीकी कमियां पाए जाने तथा संसाधनों की कमी के कारण ये योजनाएं अनुमोदित नहीं की जा सकीं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत अनुमोदित-योजनाओं, नियत धनराशि तथा राज्यों द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

**विवरण-I**

*त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की राज्य-वार सं० दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रु०)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | लंबित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1995-96 में प्राप्त | 1996-97 में प्राप्त | 1997-98 में प्राप्त | 1998-99 में प्राप्त | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | - | - | 11 | - | 11 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | - | - | - | - | - |
| 3. | असम | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 4. | बिहार | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 5. | गोवा | - | - | - | | - |
| 6. | गुजरात | - | - | - | | - |
| [illegible] | [illegible] | - | 1 | - | | 1 |
| [illegible] | [illegible] प्रदेश | 8 | 3 | - | - | 11 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 7 | 3 | - | 1 | 11 |
| 10. | कर्नाटक | - | 3 | - | - | 3 |
| 11. | केरल | - | - | - | - | - |
| 12. | मध्य प्रदेश | 42 | - | 2 | 5 | 49 |
| 13. | महाराष्ट्र | - | 18 | - | - | 18 |
| 14. | मणिपुर | - | - | 3 | - | 3 |
| 15. | मेघालय | - | - | - | - | - |
| 16. | मिजोरम | - | - | 2 | - | 2 |
| 17. | नागालैंड | - | - | 3 | - | 3 |
| 18. | उड़ीसा | 3 | - | 4 | - | 7 |
| 19. | पंजाब | - | - | - | 3 | 3 |
| 20. | राजस्थान | - | - | - | 3 | 3 |
| 21. | सिक्किम | - | - | - | - | - |
| 22. | तमिलनाडु | - | - | - | 8 | 8 |
| 23. | त्रिपुरा | - | 1 | - | - | 1 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | - | - | - | 8 | 8 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | - | - | - | - | - |
| | योग | 65 | 32 | 25 | 28 | 150 |

## विवरण-II

*केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) 1995-96 से अनुमोदित योजनाओं तथा वित्तीय प्रगति के ब्यौरे*

(लाख रू० में)

| क्र. सं. | राज्य का नाम | अनुमोदित विस्तृत परि. रिपोर्टें तथा अनुमोदित लागत | | | | | | | | जारी धनराशि (केन्द्रीय अंश) | | | | दिया गया राज्य अंश | सूचित व्यय (संचित) | किस महीने तक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1995-96 | | 1996-97 | | 1997-98 | | 1998-99 | | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | | | |
| | | संख्या | अनु. लागत | संख्या | अनु. सं. लागत | संख्या | अनु. सं. लागत | संख्या | अनु. सं. लागत | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | 2 | 2467.00 | – | – | – | – | [illegible] | 83.29 | 21.16 | | NR | NR | NR |
| 3. | असम | – | – | 2 | 366.54 | 3 | 365.50 | – | – | [illegible] | 168.05 | 140.00 | | 26.06 | 62.00 | 12/97 |
| 4. | बिहार | 3 | 233.14 | 1 | 82.68 | – | – | – | – | 94.50 | 0.00 | 0.00 | | 45.00 | 22.06 | 7/98 |
| 5. | गोवा | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.00 | 9.20 | 0.00 | | 25.85 | 51.41 | 9/97 |
| 6. | गुजरात | 2 | 109.14 | – | – | – | – | – | – | 27.30 | 70.00 | 0.00 | | 508.32 | 277.48 | 6/98 |
| 7. | हरियाणा | 1 | 203.50 | 1 | 223.54 | 1 | 122.91 | 3 | 310.17 | 77.65 | 86.20 | 87.03 | | 253.20 | 434.68 | 6/95 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 247.60 | – | – | – | – | – | – | 82.83 | 16.60 | 44.95 | | 236.38 | 380.24 | 9/98 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 113.70 | 1 | 312.51 | – | – | – | – | 28.45 | 10.20 | 41.61 | 20.75 | 73.26 | 122.97 | 3/97 |
| 10. | कर्नाटक | – | – | 1 | 36.80 | 4 | 737.56 | – | – | 0.00 | 47.58 | 179.96 | 4.43 | 531.37 | 584.37 | 9/98 |
| 11. | केरल | – | – | 1 | 137.10 | 1 | 342.00 | – | – | 25.00 | 48.00 | 64.39 | | 115.00 | 165.42 | 6/98 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 21 | 1939.40 | – | – | 3 | 282.59 | – | – | 380.53 | 156.12 | 417.98 | 370.08 | 1294.40 | 2458.32 | 9/98 |
| 13. | महाराष्ट्र | 1 | 145.10 | 4 | 855.99 | – | – | 1 | 435.90 | 36.30 | 172.75 | 271.80 | 26.84 | 320.00 | 1052.57 | 6/98 |
| 14. | मणिपुर | 2 | 101.39 | 1 | 108.57 | 1 | 173.40 | 1 | 118.55 | 39.00 | 76.04 | 90.99 | | 118.15 | 271.93 | 6/98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | मेघालय | 1 | 195.63 | — | — | — | — | — | — | | 10.00 | 38.92 | | 84.01 | 151.00 | 6/98 |
| 16. | मिजोरम | 1 | 40.18 | — | — | 1 | 103.35 | 1 | 154.94 | | 11.88 | 51.68 | | 55.00 | 136.76 | 9/98 |
| 17. | नागालैंड | — | — | 1 | 219.70 | — | — | — | — | | 52.33 | 34.36 | 17.51 | 50.00 | 111.53 | 6/98 |
| 18. | उड़ीसा | — | — | 5 | 954.09 | — | — | 1 | 162.70 | | 187.47 | 156.62 | 132.96 | 476.67 | 792.84 | 3/98 |
| 19. | पंजाब | 1 | 79.24 | — | — | 6 | 363.21 | — | — | 77.76 | 44.00 | 0.00 | | — | — | 6/98 |
| 20. | राजस्थान | 8 | 895.50 | — | — | 2 | 185.26 | 5 | 720.53 | 237.00 | 306.75 | 171.52 | | 1090.17 | 1827.18 | 12/97 |
| 21. | सिक्किम | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | — | — |
| 22. | तमिलनाडु | — | — | 2 | 9.93 | 4 | 465.10 | — | — | 0.00 | 104.12 | 205.46 | | 195.95 | 585.15 | 7/98 |
| 23. | त्रिपुरा | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | — | — |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 27 | 2310.83 | 2 | 202.70 | 10 | 717.16 | 26 | 2204.21 | 764.87 | 352.42 | 776.57 | 402.07 | 2502.91 | 3905.50 | 9/98 |
| 25. | प. बंगाल | — | — | — | — | — | — | 1 | 87.40 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | | 162.94 | 328.00 | 6/98 |
| | कुल | 71 | 7215.05 | 24 | 5977.15 | 35 | 3764.34 | 39 | 4194.40 | 1999.65 | 2013.00 | 2795.00 | 974.64 | 8164.64 | 13721.39 | |

### स्कूल भवन का निर्माण कार्य

**1875. श्री अनूप लाल यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखंड में तिरमुहानी घाट गांव में 2 कमरों के स्कूल भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्कूल भवनों के ग्रामवार निर्माण की केन्द्र स्तर पर निगरानी नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

### रेलवे द्वारा भेल को ठेका दिया जाना

**1876. श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन :**
**श्री वैको :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के तीन चरण वाले ड्यूअल-वोल्टेज ई. एम. यू. ट्रैक्शन ड्राइव्स के निर्माण और आपूर्ति के लिए ''भेल'' के बदले किसी बहु-राष्ट्रीय कंपनी को ठेका दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जो नहीं। ठेका मै. भेल तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी दोनों को दिया गया था न कि भेल के बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनी को।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### राणाघाट-गेडे और राणाघाट बोंगाव रेलवे का विद्युतीकरण

**1877. डा० असीम बाला : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के अंतर्गत राणाघाट-गेडे और राणाघाट बोंगाव रेलवे के विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) दोनों कार्य अनुमोदित हैं। राणाघाट-गेडे खंड के लिए विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गया है और राणाघाट-बोंगांव के लिए प्रक्रिया चल रही है।

(ख) परियोजनाओं के दिसंबर, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

*[हिन्दी]*

### महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे

**1878. श्री रामेश्वर पाटीदार :**
**श्रीमती शीला गौतम :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुषों के चढ़ने की शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला समिति ने इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) महिला सवारी डिब्बों सहित आरक्षित सवारी डिब्बों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अधिकतर कम दूरी वाले यात्री हैं, के कुछ मामले नोटिस में आए हैं। इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से, नियमित जांचे की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप गाडियों में ऐसी अनियमित यात्रा करने वाले वर्ष 1998 (सितम्बर, 98) के दौरान 1.62 लाख व्यक्तियों पर मुकदमें चलाए गए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### नई रेल लाइनों का पूरा किया जाना

**1879. डा० रामकृष्ण कुसमरिया :**
**श्री पंकज चौधरी :**
**श्री रामपाल सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक जिन रेल लाइनों का शिलान्यास किया गया, उनका ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी रेलवे लाइनें पूरी हो चुकी हैं और इन पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) शेष रेलवे लाइनों की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन लाइनों से संबंधित कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**एयर इंडिया द्वारा विज्ञापन के रूप में सहायता**

**1880. श्री बल्लभभाई काथीरिया :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान पर्यटन नागर विमानन और आतिथ्य संबंधी उद्योग विषय की कुछ मासिक पत्रिकाओं ने एयर इंडिया से विज्ञापन जारी करने हेतु अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया ने कतिपय पत्रिकाओं को विज्ञापन सहायता देने से इन्कार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एयर इंडिया चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन, नागर विमानन और आतिथ्य संबंधी उद्योग को बढ़ावा दे रही पत्रिकाओं को विज्ञापन देने पर पुर्नविचार करेगा; और

[illegible] तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[illegible] **(श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1997-98 के दौरान जिन पत्रिकाओं को विज्ञापन सहायता दी गई थी उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) पर्यटन को बढ़ावा देने वाली विभिन्न पत्रिकाएं यदि विमानकंपनी द्वारा निर्धारित परिचालन/पाठकों की संख्या की अपेक्षाएं पूरी करती हों तो उन्हें विज्ञापन सहायता दी जाती है। तथापि बजटीय दबाव के कारण पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सभी पत्रिकाओं को विज्ञापन सहायता दे पाना सम्भव नहीं होता है।

**विवरण**

| क्र.सं. | पत्रिका का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | वेलकम ग्रुप ऑफ होटल्स |
| 2. | द एडवेंट |
| 3. | स्कूल पत्रिका होली एनजल्स कॉन्वेंट |
| 4. | उद्बोधन |
| 5. | जनसत्ता |
| 6. | भ्रमण |
| 7. | गोल्फिगली योर्स |
| 8. | पंजाबी डायजेस्ट |
| 9. | द शेर ए पंजाब |
| 10. | द लिंक |
| 11. | कारगो टाइम्स |
| 12. | स्टेट ट्रेड टाइम्स |
| 13. | मलयाली पब्लिकेशन्स |
| 14. | ट्रेवल वर्ल्ड न्यूज |
| 15. | इंडो कनाडा एडवाइजरी ग्रुप |
| 16. | ट्रेवर्ल्स इंडिया |
| 17. | द इंटरनेशनल इंडियन |
| 18. | मिडल ईस्ट एविऐशन पत्रिका |
| 19. | पेराडाइज पत्रिका |
| 20. | मकिनतोश कम्मयूनिकेशन द्वारा यात्रा पत्रिका |
| 21. | कैलाब भारत क्वालालम्बपुर |
| 22. | सिन चांगो एअरपोर्ट |
| 23. | एयर ट्रांसपोर्ट एग्जीक्यूटिव |
| 24. | गोल्फ वेकेशन |
| 25. | द बिजनेश टाइम्स |
| 26. | एशिया 21 भारत पर विशेषांक |
| 27. | लिविंग इन थाइलैंड |
| 28. | वेयर |
| 29. | ट्रेवल मेगेजिन |
| 30. | इंडिया मेगेजिन |
| 31. | क्वोटाइंडियन डु टूरिज्मे |
| 32. | मुंडो जोवेन मेगजिन |
| 33. | एविएशन वाई. टूरिज्मो |
| 34. | इंडियन लेडिज एसोसिएशन |

**गोला को फर्रूखाबाद बरास्ता शाहजहांनपुर के साथ रेल लाइन से जोड़ना**

**1881. श्री राघवेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उत्तर प्रदेश के गोला जिले को फर्रूखाबाद बरास्ता शाहजहानपुर से जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के क्या परिणाम निकले और उक्त परियोजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (ग) शाहजहांपुर के रास्ते फर्रूखाबाद और गोला-गोकरणनाथ के बीच एक नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए

उद्यतन सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है; सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

### मदुरै तथा रामेश्वरम के बीच आमान परिवर्तन

**1882. श्री वैको :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै तथा रामेश्वरम के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो कब तक उक्त परियोजना शुरू की जाएगी तथा पूरी हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां।

(ख) कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं। कार्य के जनवरी, 1999 तक शुरू किए जाने की संभावना है और कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी। लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### एअर इंडिया के एजेन्ट द्वारा बुकिंग

**1883. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
**श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव** (जहानाबाद) **:**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया "एम० ए० बी० आर० ई० गैलीलियो" तथा "मल्टी एस्सेस सिस्टम" का उपयोग करने वाले अपने कुछ चयनित ट्रेवल एजेंटस को आरक्षण प्रणाली में सीधी सुविधा देती है जो उड़ान में सीटों की पुष्टि कर देता है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या एअर इंडिया प्राधिकरण के ध्यान में अतिरिक्त बुकिंग के मामले लाए गए हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस आधार पर कितनी हानि हुई है, और

(ड.) इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (ड.) जी, नहीं। तथापि, कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली (सी आर एस) में एअर इंडिया की वर्तमान भागीदारी स्तर के परिणाम स्वरूप कुछ अवसरों पर सीमा से ज्यादा बुकिंग हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु, एअर इंडिया की कम्प्यूटीकृत आरक्षण प्रणाली में अपनी भागीदारी स्तर में सुधार करने का विचार है।

### जाली रेल टिकटों का धंधा

**1884. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सतर्कता विभाग ने उत्तर प्रदेश के बुआटाना रेलवे स्टेशन पर छापा मार कर जाली रेल टिकटों की धोखा धड़ी के मामले का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं, बहरहाल, भटनी रेलवे स्टेशन पर मुद्रित कार्ड टिकटें गायब पाई गई थीं।

(ख) 9.8.98 को भटनी रेलवे स्टेशन पर निवारक जांच के दौरान विभिन्न गंतव्यों के लिए 3,50,750/- रुपये की कीमत की 2500 अदद मुद्रित कार्ड टिकटें टिकट स्टॉक से गायब पाई गई थीं। संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

(ग) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए नियमित रूप से रोधक/अचानक जांचें आयोजित की जाती हैं।

### इंडियन ऑयल कारपोरेशन को पाइपों की सप्लाई

**1885. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
**श्री विट्ठल तुपे :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इंडियन ऑयल कारपोरेशन को उसकी 304.1 करोड़ रुपए वाली सलाया विवामगम कोयली क्रूड पाइप लाईन परियोजना को कुल कितनी पाइपों की सप्लाई की गई;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा घटिया किस्म की पाइपों की सप्लाई करने और उन्हें विलम्ब से सप्लाई करने के बारे में इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने चिन्ता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) से (ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा 4.12.98 तक इंडियन ऑयल कारपोरेशन को उसकी सलाया विवामगम कोयली क्रूड पाइप लाईन परियोजना के लिए 20,041 मीट्रिक टन के कुल आदेश के बदले में 13,400 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई और इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ परामर्श के पश्चात शेष मात्रा की आपूर्ति के लिए सारणी बनाई गई है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने

विलम्ब से आपूर्ति किए जाने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। फिर भी, अभी तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को आपूर्ति किए गए पाइपों के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*[हिन्दी]*

**सैन्य बलों की संख्या में कमी**

1886. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अक्तूबर, 1998 के "नवभारत टाइम्स" में "थलसेना में आठ और डिवीजन कम किए जाएंगे "शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है: और

(ख) यदि हां, तो सैन्य बलों की संख्या में कमी किए जाने के क्या कारण हैं तथा इसका हमारी रक्षा शक्ति तथा तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

... जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) समाचार ... अनुसार थलसेना में आठ डिवीजनें कम किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**इस्पात संयंत्रों में लौह भण्डार**

1887. **श्री चन्द्रशेखर साहू :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न इस्पात संयंत्रों और उनके याडों में कितना टन लौह भण्डार मौजूद है और उसकी लागत कितनी है,

(ख) क्या शेयरों की बिक्री करके धनराशि जुटाई जा रही है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस्पात संयंत्रों द्वारा विभिन्न बैंकों और अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई ऋण धनराशि कितनी है और सितम्बर, 1998 तक कितनी देयताओं का भुगतान किया जाना था?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर.आई.एन.एल.)के सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में और उनके स्टॉकयार्डों में कच्चे लोहे का 219,000 टन (30.9.98 की स्थिति के अनुसार) और 115673 टन (1.12.1998 की स्थिति के अनुसार) का भण्डार है और इसका मूल्य क्रमशः 127 करोड़ रुपए और 62.1 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) "सेल" के संबंध में 31.3.98 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण 20014.61 करोड़ रुपए था इनमें से 386.05 करोड़ रुपए के ऋणों का भुगतान दीर्घकालिक ऋणों के लिए स्वीकार्य शर्तों के अनुसार सितम्बर, 1998 तक किया जाना था। आर.आई.एन.एल. के संबंध में 31.3.98 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण 1375.50 करोड़ रुपए था। घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित देयताओं और अन्तः निगमित ऋणों, जिनका भुगतान सितम्बर, 1998 तक किया जाना था, की धनराशि 438.23 करोड़ रुपए थी।

**स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेम)**

1888. **श्री अरविंद कांबले :**
**श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :**
**श्री टी० गोविन्दन :**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवा पशिक्षण (ट्राइसेम) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवा अभी भी रोजगार को तलाश कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार ऐसे युवाओं की संख्या क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) "ट्राइसेम" कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार/मजदूरी के लिए रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए मूलभूत तकनीकी तथा उद्यम से सम्बद्ध क्षमता का विकास करना है। कार्यक्रम की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थाओं द्वारा "ट्राइसेम" का त्वरित मूल्यांकन (जून-अगस्त, 93) में कराया गया इससे यह बात साफ हुई है कि 47.19 प्रतिशत प्रशिक्षित युवा बेरोजगार थे।

(ख) ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार से सम्बद्ध प्रगति की लगातार निगरानी नहीं की जा रही है तथापि, इस मंत्रालय द्वारा इसकी वार्षिक निगरानी की जाती है। आठवीं योजना अवधि तथा वर्ष 1997-98 के दौरान प्रशिक्षित युवाओं तथा स्वरोजगार/मजदूरी प्राप्त प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ट्राइसेम के बीच सम्पर्कों को बढ़ावा देने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही ऋणों की स्वीकृति के लिए वे सारी औपचारिकताएं पूरी कर लें। ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण तथा उनके स्व-रोजगार के अवसरों के बीच के सम्पर्कों को बढ़ाने के लिए सरकार आगे कदम उठाने पर विचार कर रही है।

**विवरण**

*8वीं योजना अवधि तथा 1997-98 के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं तथा स्वरोजगार/मजदूरी प्राप्त प्रशिक्षित युवाओं की राज्यवार संख्या*

| क्र. स. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 8वीं योजना | | 1997-98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या | स्वरोजगार/ मजूदरी प्राप्त प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या | प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या | स्वरोजगार/ मजदूरी प्राप्त प्रशिक्षित युवाओं की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 159279 | 85621 | 20850 | 9708 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4061 | 2574 | 698 | 436 |
| 3. | असम | 43839 | 12597 | 7302 | 1370 |
| 4. | बिहार | 146483 | 40572 | 33337 | 8462 |
| 5. | गोवा | 13177 | 9881 | 1769 | 602 |
| 6. | गुजरात | 55369 | 23985 | 7284 | 4460 |
| 7. | हरियाणा | 24437 | 14224 | 1541 | 852 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 5209 | 7051 | 857 | 723 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 13591 | 996 | 2252 | 499 |
| 10. | कर्नाटक | 80818 | 30333 | 15914 | 5455 |
| 11. | केरल | 29218 | 23504 | 3846 | 2892 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 206595 | 122002 | 14125 | 13017 |
| 13. | महाराष्ट्र | 83097 | 39864 | 13843 | 7458 |
| 14. | मणिपुर | 2711 | 586 | 836 | 330 |
| 15. | मेघालय | 1368 | 546 | 361 | 117 |
| 16. | मिजोरम | 4518 | 2154 | 552 | 295 |
| 17. | नागालैंड | 2533 | 1297 | 832 | 226 |
| 18. | उड़ीसा | 66179 | 50438 | 14951 | 8846 |
| 19. | पंजाब | 15925 | 10885 | 1656 | 729 |
| 20. | राजस्थान | 48227 | 14384 | 7381 | 1454 |
| 21. | सिक्किम | 1569 | 0 | 216 | 0 |
| 22. | तमिलनाडु | 75255 | 28641 | 10972 | 1307 |
| 23. | त्रिपुरा | 13306 | 6309 | 3503 | 965 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 316681 | 164024 | 65875 | 32947 |
| 25. | प. बंगाल | 100111 | 53709 | 19970 | 9534 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2050 | 327 | 293 | 13 |
| 27. | दमन व द्वीव | 250 | 17 | 151 | 0 |
| 28. | दादरा व नगर हवेली | 388 | 0 | 82 | 0 |
| 29. | लक्षद्वीप | 58 | 22 | 0 | 0 |
| 30. | पांडिचेरी | 1173 | 855 | 138 | 45 |
| | अखिल भारत | 1517475 | 747398 | 251387 | 112742 |

*[अनुवाद]*

**उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों को राजधानी के साथ दोहरी रेल लाइन से जोड़ना**

**1889. श्री अशोक प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आज तक कौन-कौन से जिले विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के जिले राज्य की राजधानी के साथ एकल/दोहरी रेल लाइन से जुड़े हैं;

(ख) कौन-कौन से जिले राज्य की राजधानी के साथ रेलमार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन जिलों को राज्य की राजधानी से रेलमार्ग से जोड़ने का है,:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,: और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, गढ़वाल, टेहरीगढ़वाल, उत्तरकाशी।

(ग) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संसाधनों की तंगी।

**मदनापल्ली और चिकबालापुर के बीच रेल संपर्क**

**1890. श्री के.एच.मुनियप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकबालापुर से मदनापल्ली (येलहंकाबंगारपेट लाइन) तक संपर्क रेल लाइन उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**बरवाडीह-पीरपीती रेल लाईन की प्रगति**

1891. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बरवाडीह और चिरमिंटी/पीरमीती के बीच नई रेल लाईन के बारे में सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है:

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या परवर्ती कार्यवाही की गई है: और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं।

[illegible] बरवाडीह और चिरीमिरी के बीच नई बड़ी लाइन [illegible] पर है और 30.06.1999 तक पूरा किए जाने [illegible] सवेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

**बिहार में रेलवे स्टेशनों पर ऊपरिपुलों का निर्माण**

1892. **श्री विजय कुमार "विजय" :**
**श्री शकुनी चौधरी :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार द्वारा सड़क ऊपरिपूलों के निर्माण के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) बिहार में निर्माणाधीन सड़क ऊपरिपुलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन ऊपरिपुलों का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या मुंगेर और चुकत (मांसी) में जमुई, बख्तयारपुर और पूरब सराय रेलवे स्टेशनों पर सड़क ऊपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है: और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां। ये निम्नलिखित के बारे में है:

1. बिहिटा
2. गया
3. पकूर
4. सोन नगर (बगहा-विष्णुपुर)
5. देहरी-आन-सोन
6. भागलपुर
7. राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर किशनगंज हटवर स्टेशनों के बीच।

(ख) बिहाटा, सोननगर, देहरी-आन-सोन तथा गया में ऊपरी सड़क पुलों के लिए राज्य सरकार ने धन की कमी के कारण निम्न प्राथमिकता दी है। पकूर में ऊपरी सड़क पुल के लिए राज्य सरकार से नक्शों की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। 1999-2000 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने हेतु भागलपुर में निचले सड़क पुल की जांच की जा रही है जबकी 1998-99 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान किशनगंज और हटवर स्टेशनों के बीच ऊपरी सड़क पुल का कार्य अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) बिहार में निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

1. आरा-रेलवे के हिस्से का कार्य जनवरी, 98 में पूरा हो गया है।
2. यारपुर-रेलवे का हिस्सा अगस्त 89 में पूरा हो गया है और दक्षिण सिरे के पहुंच मार्ग पर एक लेन नवम्बर 92 में यातायात के लिए खोल दी गई थी। दूसरी लेन पर राज्य सरकार द्वारा अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है।
3. पारसनाथ-राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजना से यह कार्य निकाल दिया है।
4. दीदारगंज-पहुंच मार्गों के अनुमान की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है। राज्य सरकार को अभी भूमि का अधिग्रहण करना है। रेलों ने पुल खास के लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित कर दी हैं।
5. मीठापुर-सामान्य प्रबंध आरेखण और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
6. फतुहा-पुल खास का कार्य प्रगति पर है। पहुंच मार्गों के लिए अभी राज्य सरकार को भूमि का अधिग्रहण करना है।
7. मोतिहारी-मोतिहारी के निकट ऊपरी सड़क पुल के लिए रेलवे ने अपना हिस्सा 1990 में पूरा कर लिया है। परंतु राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों पर कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है।
8. सहरसा-1997-98 में स्वीकृत किया गया था। सामान्य प्रबंध आरेखण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
9. चक्रधरपुर- राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर पर्याप्त प्रगति हासिल करने के बाद रेलवे पुल खास का कार्य शुरू करेगा।
10. चास तथा इस्पातनगर- रेलवे भूमि से इतर की भूमि पर डायवर्जन का कार्य पूरा हो गया है। कार्य शुरू करने के लिए समपार को डायवर्ट किया जाना है।
11. किशनगंज हटवार ऊपरी सड़क पुल-नक्शा तैयार किया जा रहा है।

(च) निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। बहरहाल पुल

खास का कार्य रेलों द्वारा पहुंच मार्ग के कार्य के साथ-साथ एक ही समय पर पूरा किया जाएगा।

(ङ.) और (च) जमुई पर ऊपरी सड़क पुल का कार्य 1979-80 में स्वीकृत किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा अनुमान स्वीकार न किए जाने के कारण 1986-87 में छोड़ना पड़ा। चुकटी (मानसी) ऊपरी सड़क पुल को 1998-99 के पूरक बजट में शामिल करने हेतु कारवाई की गई है।

*[हिन्दी]*

**ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के लिए आंबटन**

**1893. श्री रामानन्द सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 20 सितंबर, 1998 को ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन का शिलान्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान उक्त रेल लाईन के लिए किया गया आबंटन क्या था; और

(ग) इस लाईन को पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया था?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां।

(ख) एक करोड़ रुपए।

(ग) लक्ष्यतिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप आने वाले वर्षों में कार्य में तेजी लाई जाएगी तथा कार्य पूरा किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**सचिवों के लिए पृथक आवास पूल**

**1894. श्री श्रीराम चौहान :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सचिवों और इनके समकक्ष अधिकारियों के लिए पृथक आवास पूल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक केन्द्रीय सिविल सेवा संस्थान एवं क्लब के लिए भूमि आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) और (ख) सचिवों और सचिव स्तर के अधिकारियों को आबंटित करने के लिए एक आवास पूल बनाया गया है जिसमें 70 यूनिटें हैं (10 टाइप VIII, 20 टाइप-VII और 40 टाइप VI (ख) तथापि, वर्तमान में इस पूल में केवल 36 यूनिट हैं (3 टाइप-VIII, 12-टाइप VII और 21 टाइप VI (ख) और जब तक पूल में निर्धारित आवास की कुल संख्या पूरी नहीं हो जाती तब तक सचिवों/सचिव स्तर में अधिकारियों को आबंटन करके सभी को पूरा किया जाएगा।

(ग) और (घ) विनय मार्ग, नई दिल्ली में 3.52 एकड़ भूमि का एक प्लाट सिविल सेवा अधिकारी क्लब के निर्माण के लिए सिविल सर्विसेज आफीसर्स इन्स्टीट्यूट को 7.9.98 को आबंटित किया गया है।

**भुज-नालिया रेल लाईन का आमान परिवर्तन**

**1895. श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुज-नालिया खंड का आमान परिवर्तन मंजूर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक शुरू हो जाएगा और कब तक पूरा होगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (ग) जी नहीं। भुज-नलिया का आमान परिवर्तन अभी स्वीकृत नहीं है। बहरहाल, इस लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

*[हिन्दी]*

**बिहार से प्राप्त रेल परियोजनाएं**

**1896. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :**
**श्री राजो सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिहार से प्राप्त हुई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अवधि के दौरान बिहार में रेल नेटवर्क में सुधार तथा विस्तार के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितना व्यय किया गया है; और

(च) इन परियोजनाओं के पूरा होने में धीमी प्रगति के क्या कारण है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर नए ऊपरिपुल का निर्माण**

**1897. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृहत् मुम्बई नगरनिगम ने घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर एक नए पैदल ऊपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता के लिए मुंबई में मध्य रेलवे के अधिकारियों से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) डिप्टी सिटी इंजीनियर (पुल), बृहत मुंबई नगर निगम ने सितम्बर, 1998 में प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए महा-प्रबंधक (निर्माण)/मध्य रेल को लिखा है।

(ग) डिप्टी सिटी इंजीनियर (पुल) वृहत मुंबई नगर निगम को 2.12.98 को रेल द्वारा सूचित किया गया था कि कार्य "निक्षेप शर्तों" पर किया जा सकता है जिसकी निर्माण की संपूर्ण लागत तथा आवर्ती अनुरक्षण लागत बृहत मुंबई नगर निगम द्वारा वहन करनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

## अ.जा./अ.ज.जा. के लिए कोटा

1898. **श्री सदाशिवराव दारोबा मंडलिक** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों, विकलांगों, दिल के मरीजों और टी. बी. रोगियों से संबंधित आवेदकों को भवन/प्लाट/दुकानों के आबंटन का कोई कोटा निर्धारित किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति एवं विकलांगों से संबंधित आवेदकों/पंजीकरणकर्ताओं को फ्लैटों, प्लाटों एवं दुकानों के आबंटन के लिए निर्धारित किया गया कोटा निम्नलिखित अनुसार है:

| श्रेणी | फ्लैट | प्लाट | दुकान |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 17½% | 17½% | 17½% |
| अनुसूचित जन-जाति | 7½% | 7½% | 7½% |
| विकलांग | 1% | 1% | 5% |

तथापि, दिल के रोगियों, टी. बी. रोगियों और अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों को फ्लैटों/प्लाटों/दुकानों के आबंटन के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

*[अनुवाद]*

## अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए जवाहर रोजगार योजना की आरक्षित निधि

1899. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** 9-7-1998 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलियन, वैल स्कीम के बदले सामुदायिक, सिंचाई तालाबों और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रकरस को कार्यान्वित करते समय और इन भूखंडों को ऐसे लाभार्थियों के नाम पर दर्ज न करवा कर मिलियन वैल स्कीम के मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में उड़ीसा सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील)** : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार बालासौर जिले में 759 सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं जल एकत्रीकरण ढांचों, संकरी खाड़ी आदि का निर्माण किया गया है तथा भाद्रक जिले में दस लाख कुओं की योजना के बदले 353 ऐसे ढांचे बनाए गए और जवाहर रोजगार योजना से 22.5 प्रतिशत निधियां खर्च की गई। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि जहां तक वैयक्तिक कुओं का संबंध है, उन्हें लाभार्थियों की भूमि पर बनाया जा रहा है। सामुदायिक-सिंचाई परियोजनाओं और जल एकत्रीकरण ढांचों आदि का संबंध है, सरकारी भूमि पर ढांचे बनाए जा रहे हैं। अब तक इस तरह से बनाए गए सिंचाई स्रोत लाभार्थियों को नहीं दिए जा रहे हैं। जब तक नियम सरकारी भूमि पर बनाए गए स्रोतों के स्वमित्व का अंतकरण करने की अनुमति नहीं देते हैं उपर्युक्त जानकारी की जांच की जा रही है।

## विमान यातायात नियंत्रण टावर

1900. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **नागर विमानन मंत्री** 13.3.1997 के अतारांकित प्रश्न सं. 3047 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन यातायात नियंत्रण टावरों के आधुनिकीकरण के लिए गठित समिति के कुछ सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद मुम्बई और दिल्ली के 190 फीट के ए॰ टी॰ सी॰ टावरों को मंजूरी दी गई है,

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इतनी अधिक ऊंचाई वाली ए॰ टी॰ सी॰ टावर परियोजना को मंजूरी दी गई,

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच की जा रही है,

(घ) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो चुकी है और यदि हां, तो की गई जांच के क्या परिणाम निकले, इसमें किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई तथा इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ, और

(ङ) सरकार द्वारा इस नुकसान की भरपांई किस प्रकार की जायेगी?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (तत्कालीन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण) द्वारा विमानपत्तनों पर सभी प्रचालनात्मक तात्कालिक आवश्यकताओं और उनपर पाई जाने वाली भूमि संबंधी कठिनाइयों पर विचार करते हुए 1991 में निर्णय लिया गया था।

(ख) अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की अपेक्षाओं के अनुसार विमान यातायात नियंत्रण (ए॰ टी॰ सी॰) टावर का निर्माण किसी चुनींदे स्थान पर किया जाना चाहिए जिसकी पर्याप्त उंचाई हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विमानों के उड़ान और पहुंच मार्ग सहित विमान-क्षेत्र के चारों ओर बिना किसी बाधा के दिखाई पड़े जिससे कि

प्रचालनात्मक क्षेत्र के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके। वर्तमान स्थल पर नियंत्रण टावर के संबंध में स्वीकृति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (तत्कालीन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण) द्वारा 1991 में विशेष प्रबंध के अधीन दी गई थी।

(ग) नियंत्रण-टावर की उंचाई से संबंधित मामलों के बारे में तकनीकी जांच और वैमानिकी अध्ययन करने का निर्णय लिया गया था। उक्त तकनीकी जांच और वैमानिकी अध्ययन करने हेतु किसी विशेषज्ञ की सेवा प्रदान करने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) से संपर्क किया गया था।

(घ) और (ङ.) जी हां। इकाओ विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसकी जांच की जा रही है।

*[हिन्दी]*

**काडा गोला स्टेशन**

**1901. श्री शकुनी चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी में भुक्षरण होने के कारण काडा गोला स्टेशन और रेलवे लाइन को खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त रेलवे सम्पतियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**महत्वपूर्ण रक्षा समीक्षा**

**1902. श्री माधव राव सिंधिया :**
**श्री बलराम सिंह यादव :**
**श्री सुशील कुमार शिन्दे :**
**श्री राम कृष्ण बाबा पाटील :**
**श्री गुरुदास कामत :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 सितंबर, 1998 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 'स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू : द मैरीटाइम डाइमेंशन" शीर्षक से प्रकाशित नौसेना के आभ्यान्तरित दस्तावेज में सैन्य बलों की गुप्तचर व्यवस्था को पुनर्गठित करने और अन्य गुप्तचर निकायों के साथ उसके समन्वय पर जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें निहित हैं; और

(ग) गुप्तचर व्यवस्था के नवीकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) :** (क) हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री आयाम की आंतरिक पुनरीक्षा पूरी कर ली है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं की जांच की गई। इसमें विभिन्न गुप्तचर एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग के बारे में कुछ सिफारिशें की गई हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के माध्यम से सामरिक रक्षा पुनरीक्षा की जाएगी। उक्त पुनरीक्षा के समय सभी सम्बद्ध सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**निजी आपरेटरों द्वारा विमान की उड़ानें स्थगित किया जाना**

**1903. श्री महेश्वर सिंह :**
**श्री सुरेश चन्देल :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह के दौरान हिमाचल प्रदेश में भुंटर, शिमला और गगल के लिये निजी एयर टैक्सियों की हर रोज अलग-अलग कितनी उड़ानें भरी जाती हैं;

(ख) क्या जगसन एअर टैक्सी को छोड़कर सभी एअर टैक्सियों ने पिछले माह से अपनी उड़ानें स्थगित रखी हैं;

(ग) यदि हां, तो इन एयर टैक्सियों की उड़ानें स्थगित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यात्रियों और पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) सितम्बर से नवम्बर, 1998 के दौरान शिमला और कुल्लू के लिए/से होकर विभिन्न प्रचालकों द्वारा प्रचालित की गयी उड़ानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। गगल विमानपत्तन के लिए/से होकर किसी भी प्रचालक द्वारा किसी उड़ान का प्रचालन नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रचालनात्मक विमान की अनुलब्धता के कारण मैसर्स अर्चना एयरवेज नवम्बर, 1998 के दौरान अपनी अनुसूचित उड़ानों का प्रचालन नहीं कर सकी। तथापि इन प्रचालनों के चालू महीने के दौरान पुन: शुरू हो जाने की संभावना है। विमानचालकों की अनुलब्धता के कारण, मैसर्स जगसन एयरलाइन्स की उड़ानें 29 नवम्बर, 1998 से बन्द पड़ी हैं।

**विवरण**

*सितम्बर से नवम्बर, 1998 के दौरान शिमला और कुल्लु के लिए/से होकर प्रचालित उड़ानों के ब्यौरे*

| सैक्टर | अर्चना एयरवेज | | | जैगसन एयरलाइन्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सित.98 | अक्तू98 | नव.98 | सित.98 | अक्तू98 | नव.98 |
| दिल्ली/कुल्लु | 22 | 21 | — | 20 | 48 | 23 |
| कुल्लु/दिल्ली | 23 | 21 | — | 20 | 48 | 23 |
| दिल्ली/शिमला | 1 | — | — | 14 | 12 | 7 |
| शिमला/दिल्ली | — | — | — | — | 12 | 7 |
| शिमला/कुल्लु | 1 | — | — | 14 | — | — |

*[अनुवाद]*

### चैन्नई-कन्याकुमारी रेल लाइन का निर्माण

**1904. श्री एन. डैनिस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेन्नई से कन्याकुमारी तक बरास्ता विजुपुरम, तिरुचिरापल्ली तथा मदुरै होकर महत्वपूर्ण बड़ी लाइन पर रेल सेवा शुरू करने का काम तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुमानित कदम उठाए गए हैं; और

(ख) कब तक उक्त लाइन पूरी हो जायेगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) चेन्नई से तिरुचिरापल्ली (बरास्ता विषुपुरम) और कन्याकुमारी (बरास्ता ईरोड-करूर) तक बड़ी लाइन की गाड़ियां पहले से ही उपलब्ध हैं, फिलहाल, कन्याकुमारी की ओर जाने वाले यात्री मदुरै से भी संबद्ध गाड़ियों का लाभ उठा सकते हैं। चेन्नई [illegible] तिरूनेलवेल्ली के लिए बड़ी लाइन की गाड़ियां [illegible]पराई-दिंडी गुल खंड पर आंमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाने के बाद ही चलाई जा सकती है। लाइन के पूरा होने की अवधि जनवरी, 1999 है।

### तिरुअंनंतपुरम विमान पत्तन पर रात्रि में विमान उतारने की सुविधा

**1905. श्री के. करुणाकरन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिरुअनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर दिन और रात्रि में विमान उतारने की सुविधाऐं उपलब्ध करायी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये सुविधाऐं कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

### बसंत विहार व्यावसायिक केन्द्र

**1906. श्री अमर राय प्रधान : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या संपदा निदेशालय ने यह जानते हुए भी कि दिल्ली विद्युत बोर्ड ने आज तक विद्युत कनेक्शन के लिए मेन केबल नहीं बिछाई है, केन्द्रीय सरकार आवास परिसर बसंत विहार, नई दिल्ली के व्यावसायिक परिसर में दुकान आबंटितियों से बहुत अधिक लाइसेंस शुल्क वसूल करना आरंभ कर दिया है;**

**(ख) यदि हां, तो यह प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराए बगैर यह लाइसेंस शुल्क किन परिस्थितियों में वसूल किया जा रहा है; और**

(ग) सरकार ने इस प्राथमिक सुविधा के बगैर ऐसे दुकानदरों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किए जाने से राहत देने के लिए क्या कार्रवाई की है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) आंतरिक वैद्युत अधिष्ठापनाओं, शौचालयों जैसी आम जगहों पर जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं के.लो.नि.वि. द्वारा मुहैया कराई गई हैं। यह सत्य है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा मेन केबल नहीं बिछाई गई है लेकिन शॉपिंग कम्पलेक्स के निकट दिल्ली विद्युत बोर्ड का एक उप केन्द्र चालू है तथा दुकानदारों को वैद्युत कनेक्शन के लिए अलग-अलग आवेदन करना होता है। मौजूदा नियमों और नियमनों के अनुरूप के.लो.नि.वि. अपेक्षित सहायता भी करेगा। दुकानें खुली निविदा द्वारा आबंटित की गई थी और यह माना गया है कि निविदाकारों ने निविदा भेजने से पूर्व स्थल की जांच और उसमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी हासिल कर ली थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

### रेल लाइनों का अन्तरण

**1907. श्री सुरेश वरपुडकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मराठवाड़ा क्षेत्र में रेल लाइनों को दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे में अन्तरित करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां।

(ख) सरकार ने पुणे में एक मंडल कार्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है। जोनों और मंडलों के बीच क्षेत्रीय पुनः समायोजन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

*[हिन्दी]*

### उत्तर प्रदेश में ऊपरिपुलों का निर्माण

**1908. श्री आदित्यनाथ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन सड़क ऊपरिपुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में और ऊपरिपुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) निम्नलिखित ऊपरी सड़क पुल लागत की हिस्सेदारी के आधार पर निर्माणाधीन हैं :-

| कार्य का विवरण | वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| 1. कि.मी. 58/15-16 पर समपार सं. 34-बी के बदले सुल्तानपुर में ऊपरी सड़क पुल। | रेलवे के हिस्से पर 30 प्रतिशत तथा पहुंच मार्गों पर 90 प्रतिशत प्रगति हुई है। कार्य रोक दिया गया है। क्योंकि राज्य सरकार ने भूमिका अधिग्रहण नहीं किया है चूंकि मामला न्यायालयाधीन है। |
| 2. कि.मी. सं. 827/26-27 पर समपार सं. 12/स्पे. के बदले सूबेदार गंज में ऊपरी सड़क पुल। | रेलवे के हिस्से की प्रगति 88 प्रतिशत है तथा राज्य सरकार के हिस्से की प्रगति 5 प्रतिशत है। |
| 3. कि.मी. 171 पर समपार सं. 279-बी के बदले हरदोई में ऊपरी सड़क पुल। | रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों की प्रगति 65 प्रतिशत है। |
| 4. कि.मी. 1158/9-11 पर समपार सं. 29 ए के बदले इटावा में निचला सड़क पुल। | रेलवे के हिस्से की प्रगति 93 प्रतिशत है तथा राज्य सरकार के हिस्से की प्रगति 5 प्रतिशत है। |
| 5. कि.मी. 59/6-7 पर समपार सं. 21-ए के बदले परतापुर में ऊपरी सड़क पुल। | रेलवे के हिस्से की प्रगति 50 प्रतिशत है और राज्य सरकार के हिस्से की प्रगति 35 प्रतिशत है। |
| 6. कि.मी. 1325/35-37 पर समपार सं. 109/ए के बदले अलीगढ़ में ऊपरी सड़क पुल। | राज्य के हिस्से की प्रगति 20 प्रतिशत है। रेलवे के हिस्से के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। |
| 7. कि.मी. 91/8-9 पर समपार सं. 40-बी के बदले सकोतोटांडा में ऊपरी सड़क पुल। | रेलवे के हिस्से का प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य चल रहा है। |
| 8. कि.मी. 1296/29-31 पर समपार सं. 95-ए के बदले हाथरस में ऊपरी सड़क पुल। | अनुमान स्वीकृत हो गए हैं। रेलवे के हिस्से का प्रोफाइल स्कैच अनुमोदनाधीन है। राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू कर दिया है। |
| 9. कि.मी. 18/12-14 पर समपार सं. 154-सी के बदले गाजियाबाद में निचला सड़क पुल। | रेलवे के हिस्से की प्रगति 5% और पहुंच मार्गों पर प्रगति 10% है। |
| 10. कि.मी. 1016/10-11 पर समपार सं. 79-डी के बदले कानपुर में ऊपरी सड़क पुल। | कार्य को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम 98-99 में शामिल कर लिया गया है। प्रोफाइल स्कैच अनुमोदनाधीन है। |
| 11. बादशाह-नगर-मल्हौर स्टेशन के बीच ऊपरी सड़क पुल। | अनुमान प्रक्रियाधीन है। |
| 12. आंख का अस्पताल के निकट कानपुर में ऊपरी सड़क पुल। | राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के लिए विस्तृत अनुमान और नक्शे अभी स्वीकार किए जाने हैं। |
| 13. डाली गंज और बादशाह नगर स्टेशनों के बीच ऊपरी सड़क पुल। | सामान्य प्रबंध आरेखण तैयार किए जा रहे हैं। |
| 14. मोहीबुल्ला यार्ड में ऊपरी सड़क पुल। | रेलवे की ओर से सामान्य प्रबंध आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है। |
| 15. राष्ट्रीय राजमर्ग पर रामपुर के निकट ऊपरी सड़क पुल। | राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ संशोधित सामान्य प्रबंध तैयार किए जा रहे हैं। |
| 16. रामपुर के निकट कि.मी. 188 पर समपार सं. 1 (स्पे.) के बदले ऊपरी सड़क पुल। | संशोधित सामान्य प्रबंध आरेखण तैयार किए जा रहे हैं। |
| 17. 1998-99 के निर्माण कार्यक्रम में अनुमोदित जबलपुर-इलाहाबाद खंड पर कि.मी. 1341/4-5 पर समपार सं० 430/ए के बदले इरादतगंज में ऊपरी सड़क पुल। | भू-तल परिवहन मंत्रालय सामान्य प्रबंध आरेखण अनुमोदित करेगा और राज्य सरकार कतिपय औपचारिकताएं पूरी करेगा। |

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इन कार्यों के लिए 1998-1999 के पूरक बजट में अनुमोदन हेतु कार्यवाही की गई है।

1. बरेली-बदायूं रोड पर समपार सं. 358 स्पेशल और 250 के बदले बरेली में ऊपरी सड़क पुल।
2. सिरसा मंडी-इलाहाबाद में समपार सं. 25-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल।
3. देवरिया सदूर और नूनखार स्टेशनों के बीच समपार सं. 129-ए के बदले देवरिया सदर सिटी में ऊपरी सड़क पुल।

आगामी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर ऊपरी सड़क पुलों की जांच की जा रही है :-

(i) हापुड़ में ऊपरी सड़क पुल।

(ii) नजीबाबाद में ऊपरी सड़क पुल।

(iii) मुरादाबाद-लखनऊ खंड पर समपार सं. 484-ए पर रामपुर में ऊपरी सड़क पुल।

[illegible]बाद-लखनऊ खंड पर समपार सं. 403-ए पर रामपुर [illegible] ऊपरी सड़क पुल।

(v) लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर समपार सं. 180-ए के बदले बाराबंकी में ऊपरी सड़क पुल।

(vi) गाजीपुर और गाजीपुर घाट स्टेशनों के बीच समपार सं. 24-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(vii) वाराणसी के मडुंआडीह स्टेशन पर समपार सं. 3 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(viii) झांसी-दिल्ली खंड पर कि.मी. 1321/1-2 पर जाजुआ में ऊपरी सड़क पुल।

(ix) कि.मी. 1240/13-14 पर समपार सं. 182/बी के बदले उरई में ऊपरी सड़क पुल के लिए राज्य सरकार द्वारा कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षताएं अभी पूरी की जानी हैं।

**जलापूर्ति के कार्य को ग्राम पंचायतों को सौंपा जाना**

**1909. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) क्या केन्द्र सरकार ने जलापूर्ति स्रोत के प्रचालन और अनुरक्षण के कार्य को ग्राम पंचायत को सौंपने का निर्णय लिया है,**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है,**

**(ग) क्या पंचायतें उक्त कार्य को कर माने में सक्षम है, और**

**(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा पंचायतों को संसाधन प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?**

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) :** (क) और (ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा कर केवल राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती हैं। सृजित ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संचलन तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों को प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए पंचायत स्तर पर उपभोक्ता समितियां बनाने का भी अनुरोध किया गया है। तथापि, इसके लिए विशेष समयावधि निर्धारित नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) पंचायतों को ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संचलन और रख-रखाव की जिम्मेदारी निभाने के लिए वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के मामले को संदर्भित राज्य वित्त आयोग के साथ उठाने का अनुरोध किया गया है ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के समुचित संचलन और रख-रखाव को सुनिश्चित कराकर उन्हें समर्थ बनाया जा सकें। इसके अलावा, लाभार्थियों के योगदान संबंधी मामले को भी उठाया जाएं। राज्य सरकारों को संचलन तथा रख-रखाव की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए निचले स्तर पर आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है।

**कलकत्ता मैट्रो रेल**

**1910. श्री मोहन रावले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता मैट्रो रेल घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं, तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां,

(ख) कलकत्ता मेट्रो रेल के चालन में हानियां मुख्यतः मेट्रो परिचालनों की अचल और चल सम्पत्तियों की लागत में वृद्धि परिवहन के अन्य साधनों द्वारा समानान्तर सेवा की उपलब्धता के कारण यातायात कम प्राप्त होना, उच्चतर बिजली ऊर्जा लागत तथा कम किराया संरचना है। गत तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता मेट्रो की कुल राजस्व आय तथा शुद्ध संचालन व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

| वर्ष | आय | शुद्ध संचालन व्यय (आंकड़े करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|
| 1995-96 | 11.70 | 22.25 |
| 1996-97 | 17.42 | 33.04 |
| 1997-98 | 19.64 | 48.24 |

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास योजना**

**1911. श्री आर०एस० गवई : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**इस्पात सयंत्रों का आधुनिकीकरण**

**1912. श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :**
**श्री नरेश पुगलीया :**

**क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटड द्वारा अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण के लिए अपने वित्तीय भार को कम करने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए लागत को कम करने के उपाय किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० का विचार ऐसे संयंत्रों की हानि को कम करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने का है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) 1997-98 से सेल ने प्रचालनात्मक क्षमता उत्पन्न करके और प्रशासनिक व्ययों में कमी करके लागत नियंत्रण पर जोर दिया था परिणामत: 1997-98 में कोककर कोयले, स्टोर्स, और अतिरिक्त पुर्जों, विद्युत और ईंधन के उपयोग, प्रौद्योगिक-आर्थिक और उत्पादकता प्राचलों में सुधार और प्रशासनिक व्यय आदि जैसे क्षेत्रों में लगभग 700 करोड़ रुपए की बचत हुई। 1998-99 के दौरान लागत में और कमी करने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ग) और (घ) गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेल की सहायक कपंनियां/संयुक्त उद्यम बनाने की योजना है फिलहाल यह प्रारंभिक अवस्था में है।

**निजी एयर लाइंस द्वारा विमान-पत्तन परियोजनाएं**

**1913. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी एयरलाइंस कंपनियों ने देश में अपनी विमानपत्तन परियांजनाएं स्थापित करने के लिए आवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह की निजी एयर लाइंस (कंपनियों) का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा निर्माण किए जाने वाले विमानपत्तनों उड़ान के लिए प्रस्तावित हवाई जहाजों का तथा पहचान किए गए मार्गों का ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**स्व-रोजगार योजना**

**1914. श्री मित्रसेन यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्व-रोजगार योजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वियन में स्थानीय माननीय संसद सदस्यों की भागीदारी और उत्तरदायित्व संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के कार्यान्वियन के स्वरूप और इसके प्रमुख कार्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन योजनाओं की प्रगति का प्रतीरक्षन करने और इनके कार्यान्वियन, खातों के रख रखाव पर प्रभावी नियंत्रण के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबगौड़ा पाटील) : (क) जी हां,** इस मंत्रालय के स्वरोजगार कार्यक्रमों अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना (डवाकरा) तथा ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राईसेम) को केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार की किटों की आपूर्ति (सिट्रा) दूसरा स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसमें औजार किटों की कीमत का 90% केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और लाभार्थी को 10% योगदान करना पड़ता है।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है।

**विवरण**

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास (डवाकरा), ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम) तथा ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजारों की किटों की आपूर्ति (सिट्रा) के स्वरोजगार कार्यक्रम जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। संसद सदस्य, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय के सदस्य होते हैं जिन्हे योजना की रूपरेखा बनाने, निगरानी करने तथा पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायित्व

सौंपा जाता है। जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर सतर्कता तथा निगरानी समितियों के गठन के भी अनुदेश हैं, जिनमें संसद सदस्य भी एक सदस्य होता है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश ग्रामीण गरीबों को स्थायी आय के लिए वित्तीय संस्थाओं से मियादी ऋण में उत्पादक परिसम्पत्तियां तथा सरकारी सबसिडी के रूप में उत्पादक परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराना है। डवाकरा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना है जिसमें ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व सहायता समूह के रूप में संगठित किया जाता है ताकि वे आय बढ़ाने वाली गतिविधियां शुरू कर सकें। इस प्रकार के समूहों को आवर्ती निधि के रूप में एकबारगी अनुदान दिया जाता है। ट्राइसेम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को बुनियादी तकनीकी और उद्यमिता दक्षता दिलाना है ताकि वे स्वरोजगार मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें। सिट्रा (ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति) का उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों को इस योग्य बनाना है कि वे उन्नत औजारों की मदद से अपने उत्पाद की गुणता में सुधार और अपने उत्पादन और आय में वृद्धि कर सकें।

स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 की वित्तीय उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपए में)

| सं. | 1996-97 | | 1997-98 | |
|---|---|---|---|---|
| | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय |
| 1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 109721.16 | 113949.28 | 113351.23 | 110954.01* |
| 2. डवाकरा | 6500.00 | 5696.00 | 6500.00 | 4145.43 |
| 3. ट्राईसेम | 9025.00 | 10027.01 | 9025.00 | 8074.14 |
| 4. सिट्रा | 4000.00 | 3602.00 | 3500.00 | 3427.00 |

*अनंतिम

(घ) स्वरोजगार कार्यक्रमों का केन्द्रीय स्तर से लेकर निचले स्तर तक निगरानी की जा रही है। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम की निगरानी करती है। केन्द्र स्तर पर केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति योजना के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा करती है और नीतियों से संबंधित दिशा-निर्देश बनाती है। केन्द्र स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु ऋण सहायता संबंधी एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति भी कार्य करती है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु ऋण सुविधा की निगरानी तथा समीक्षा करती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली प्रगति की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक, तिमाही, छमाही तथा वार्षिक रिपोर्टों और विवरणियों के माध्यम से निगरानी की जाती है। स्वरोजगार योजना के लेखे ठीक प्रकार से रखे जाते हैं। तथा उचित रूप से इसकी लेखा परीक्षा की जाती है। क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत इस मंत्रालय के अधिकारीगण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मौके पर निगरानी करने के लिए राज्यों का आवधिक दौरा करते हैं और यदि आवश्यक हो सुधारात्मक कदम उठाते हैं। यह मंत्रालय कार्यक्रम की खूबियों एवं कमजोरियों का आकलन करने के लिए और उस पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए नियमित समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षण एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करवाता है।

*[अनुवाद]*

## चेन्नई स्थित इंटिग्रल कोच फैक्टरी का आधुनिकीकरण

**1915. श्री टी. आर. बालू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई स्थित इंटिग्रल कोच फैक्टरी ने अपने पुराने संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की अनुदान राशि देने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में इंटिग्रल कोच फैक्टरी के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि दी गई?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं। बहरहाल, 1984-85 में सवारी डिब्बा कारखाना के लिए एक आधुनिकीकरण परियोजना स्वीकृत की गई थी जो 67.90 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 31-3-1994 को पूरी हो गई थी जिसमें से मशीन और संयंत्र की मदों की खरीद पर 54.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## रेल टिकटों की अनधिकृत बिक्री

**1916. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर उत्तरी रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में गैर लाईसेंस शुदा ट्रेवेल एजंटों/एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले अनधिकृत टिकट आरक्षण को रोकने के लिए प्रत्येक जोन में विभिन्न दल गठित किए गए हैं,

(ख) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) गत छः माह के दौरान प्रत्येक जोन में कितने-कितने छापे डाले गए,

(घ) विशेषकर इलाहाबाद डिवीजन में उनसे प्राप्त अवैध वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, और

(ड.) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## रेलवे लाइन का दोहरीकरण

**1917. श्री भर्तृहरि मेहताब :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पूर्व तट जोन में कविलास रोड तथा बारंग के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है,

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई,

(ग) इस उद्देश्य के लिए विरूपा महानदी तथा कथजोरी नदियों पर रेल पुल के निर्माण के लिए विशेष रूप से कितनी धनराशि मंजूर की गई, और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक ) :** (क) कविलेश रोड से नरगुण्डी तक दोहरीकरण का कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। नरगुण्डी से कटक तक नेरगुण्डी-कटक-रघुनाथपुर दोहरीकरण के भाग के रूप में दोहरीकरण का कार्य स्वीकृत हो गया है जहां केन्द्रपाड़ा यार्ड सहित नरगुण्डी और केन्द्रपाड़ा के बीच कार्य प्रगति पर है। कटक से बारंग तक दोहरीकरण हेतु फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपार्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने तथा परिणाम की जांच होने के पश्चात ही आगे विचार किया जाना संभव होगा।

(ख) नरगुण्डी-कटक के दोहरीकरण कार्य हेतु वर्ष 1998-99 में 9.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ग) बिरूपा और महानदी नदियों पर दूसरे रेलवे पुल के कार्य के लिए वर्ष 1998-99 हेतु 17.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बहरहाल, कथजोरी नदी पर पुल संबंधी कार्य हेतु अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(घ) पूरा करने हेतु अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

*[हिन्दी]*

## विदेशी इस्पात का पाटन-रोधी

**1918. श्री मोतीलाल वोरा : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सेल तथा अन्य द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के नामित प्राधिकरण में दाखिल किए गए पाटन-रोधी प्रार्थना पत्र पर निर्णय हो गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण इस्पात के पाटन में कमी आई है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और

(ङ) दूसरे देशों द्वारा इस्पात के पाटन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) जी, हां। रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से एच० आर० क्वायलों/चादरों/प्लेटों के कथित पाटन के लिए घरेलू इस्पात उत्पादकों की ओर से मैसर्स सेल और मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय में नामजद प्राधिकारी के पास एक पाटनरोधी याचिका दायर की गई थी। इस याचिका का अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादकों जैसे टिस्को और लॉयड स्टील द्वारा समर्थन किया गया है। सरकार ने अपनी दिनांक 27.11.1998 की अधिसूचना के तहत् रूस और यूक्रेन से तप्त बेल्लित क्वायलों, तप्त बेल्लित पत्तियों/चादरों/प्लेटों और बॉयलर क्वालिटी की प्लेटों के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगा दिया है जो नीचे कॉलम-3 में उल्लिखित राशि और प्रति टन आयात की उतराई लागत के बीच का अन्तर होगा :-

| क्र०सं० | मद का नाम | राशि (रुपए प्र०मी० टन) |
|---|---|---|
| 1. | तप्त बेल्लित क्वायलें | 14300 |
| 2. | तप्त बेल्लित पत्ती/चादरें/प्लेटें | 15000 |
| 3. | बॉयलर क्वालिटी की प्लेटें | 22000 |

(ग) से (ङ) पाटन रोधी शुल्क की वसूली से स्वदेशी इस्पात उद्योग की मदद होने की संभावना है।

सरकार द्वारा इस्पात क्षेत्र में मंदी का विश्लेषण करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्यदल की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) कतिपय परिसज्जित इस्पात मदों पर आयात शुल्क की यथा मूल्य दर को निश्चित शुल्क में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता पर विचार करना।

(2) घटिया और दोषपूर्ण सामग्री के आयात पर विशेष आयात शुल्क लगाने और इस्पात की कतिपय श्रेणियों के लिए शुल्क को विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित दरों तक बढ़ाने जैसे उपयों पर विचार करना।

(3) विशिष्ट न्यूनतम मूल्य से कम की घटिया टौर दोषपूर्ण सामग्री के आयात को खुला सामान्य लाइसेंस के तहत् से हटाने पर विचार करना।

(4) एक त्वरित कार्य-तंत्र स्थावित करके सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत् पाटन के मामलों को निपटाना।

उपर्युक्त उपायों को कार्यान्वित किए जाने पर अन्य देशों से इस्पात के पाटन पर रोक लगने की संभावना है।

*[अनुवाद]*

## एच. एस. सी. एल. की वित्तीय स्थिति

**1919. प्रो० रीता वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृ ा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में भारी वित्तीय संकट पैदा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है,

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है, और

(ड.) सरकार द्वारा कम्पनी को वित्तीय संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि॰ (एच. एस. सी. एल.) कुछ समय से वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही है। असंतोषजनक वित्तीय स्थिति के प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ अत्यधिक जनशक्ति, मजदूरी और वेतन का बढ़ता हुआ भार, अर्थ व्यवस्था और इस्पात उद्योग में मंदी और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कारोबार में गिरावट आदि शामिल हैं।

(ग) से (ड.) एस. बी. आई. कैप्स को पुनरुद्धार की संभावनाओं का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था। इस समय एच. एस. सी. एल. के पुनरुद्धार के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन और वित्तीय सहायता पैकेज पर विचार किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

## रक्षा सेवाओं में रोजगार का सृजन

पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की

(क) आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षा सेवाओं में कुल कितने रोजगार के अवसर पैदा किए गए;

(ख) रक्षा सेवओं के तीनों अंगों में पृथक रूप से सृजित रोजगार के अवसरों का प्रतिशत कितना है तथा किन-किन राज्यों से रोजगार के अवसर पैदा किए गए;

(ग) क्या युवाओं को आकर्षित करने के मामले में रक्षा सेवाओं को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो रक्षा सेवाओं में रोजगार के अवसर पैदा करने तथा इन्हें अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) से (घ) सेना, वायुसेना तथा नौसेना में उक्त 5 वर्षों के दौरान क्रमशः तीन लाख, तेईस हजार तथा पंद्रह हजार सैनिकों की भर्ती की गई।

सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में अफसरों तथा वायुसेना में वायुसैनिकों और नौसेना में नाविकों की भर्ती रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार अखिल भारतीय योग्यता क्रम के आधार पर की जाती है। किंतु सेना में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती के लिए विभिन्न राज्यों को वहां की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के अनुपात में रिक्त पद आबंटित किए जाते हैं। रक्षा सेनाओं में चयन संबंधी विभिन्न तरीकों को देखते हुए राज्यवार भर्तियों का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है।

सेना में अफसर संवर्ग की कुछ श्रेणियों में कुछ कमियां रही हैं। तथापि, अब इस संबंध में उल्लेखनीय सुधार देखे गए हैं। सरकार ने अफसरों और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के वेतनमानों और भत्तों में काफी वृद्धि की है। पात्र युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए आकर्षित करने के लिए लंबे समय से एक व्यापक अभियान चलाया गया है जिसमें बेहतर कैरियर के लिए पर्याप्त अवसरों का उल्लेख किया गया है।

*[अनुवाद]*

## रेल पुलिस आयुक्त

1921. **श्री नरेश पुगलीया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय रेल गाड़ियों में अपराध से निपटन के लिए संयुक्त रूप से स्वतंत्र रेल पुलिस आयुक्त कार्यालय स्थापित करने पर सहमत हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस संबंध में कार्यविधि निर्धारित कर ली है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) देश में विगत एक वर्ष के दौरान, जोनवार, रेल में अपराध की कितनी घटानाएं हुई, और

(ड.) अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का किन अन्य प्रभावी उपायों को करने का विचार है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार के साथ हाल में आयोजित बैठक में उप मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने और इसे रेलवे के विचारार्थ भेजने हेतु आश्वस्त किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव अभी प्राप्त किया जाना है।

(घ) और (ङ) सूचना संबंधित राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

## संस्थानिक भूखण्डों के पट्टे रद्द करना

1922. **डा॰ रवि मल्लू :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में संस्थानिक भूखण्ड के पट्टे निरस्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित अनेक आवासीय भूखंडों अथवा फ्लैटों को वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**शहरी कार्य और और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) और (ख) डी डी ए ने बताया है कि वर्ष 1998 के दौरान निम्नलिखित सांस्थानिक भूखंडों का पट्टा विलेख वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग करने के आधार पर रद्द किया गया है :-

(1) हरी चन्द प्रकाश वंती चैरिटेबल ट्रस्ट

(2) ईस्ट पटेल नगर में भैरोजी मंदिर समिति

(3) गुरु नानक फाउंडेशन

(4) वैतालिक सोसाइटी

(5) दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा

(ग) और (घ) दुरुपयोग का पता लगने/सूचना मिलने पर डी डी ए द्वारा दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तथा संतोषजनक उत्तर न मिलने पर तथा आवंटिती द्वारा दुरुपयोग बंद न करने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।

**चितरंजन लोकोमोटिव कार्यशाला में फ्रेट इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का विकास**

1923. **श्री दत्ता मेघे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस् ने हाल ही में स्वेदेशी 6000 एच. पी. फ्रेट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करने लगेगा, और

(ग) इस लोकोमोटिव से रेलवे को कितनी सहायता मिलेगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने ''नवयुग'' नामक एक 6000 अश्व शक्ति वाला पहला स्वदेशी माल इंजन का विनिर्माण किया है, जो 14 नवंबर, 1998 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था।

(ख) रेल इंजन पूर्व रेल को सौंप दिया है जहां वह शुरू करने/परीक्षण चालन के अंतर्गत है। नियमित परिचालन के लिए ये संभवतः शुरू करने/परीक्षण चालन के पूर्ण होने पर लगाए जाएंगे।

(ग) पुनर्जनित्र ब्रेकिंग, घटी हुई अनुरक्षण लागत आदि के कारण इस इंजन से उच्चतर गति, उच्चतर एक्सीलरेशन, वर्धमान थ्रू आउट, उच्चतर ऊर्जा कुशलता हासिल करके भारतीय रेल को मदद मिलने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**गोरखपुर से दिल्ली के लिए रेलगाड़ी**

1924. **श्री रामपाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ संसद सदस्यों से गोरखपुर से दिल्ली के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यह रेल-गाड़ी कब तक चलाई जाएगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (घ) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली और गोरखपुर के बीच अतिरिक्त गाड़ी शुरू करने के प्रस्ताव की जांच की गई थी, परंतु परिचालनिक तथा संसाधन तंगियों के कारण व्यावहारिक इसे नहीं पाया गया।

*[अनुवाद]*

**त्रिवेन्द्रम से अंतरराष्ट्रीय उड़ान**

1925. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम से इस समय कितनी अंतरर्राष्ट्रीय उड़ाने स्वचालित की जा रही है,

(ख) क्या खाड़ी देशों के लिए उड़ानों में वृद्धि करने के लिए कोई मांग की गई है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) इस समय, तिरुवनन्तपुरम विमानपत्तन से 55 सीधी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित की जाती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) खाड़ी देशों की एयरलाइनों अर्थात् गल्फ एयर, एमीरेट्स, ओमान एयर और कतर एयरवेज ने तिरुवनन्तपुरम से और अधिक/नई उड़ाने शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) विदेशी एयरलाइनों से प्राप्त अतिरिक्त यातायात अधिकारों संबंधी मागों पर, यातायात संबंधी प्रवृत्तियों और राष्ट्रीय वाहकों के पारस्परिक लाभों के आधार पर समय-समय पर, संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में विचार किया जाता है। कतर, ओमान, यू॰ ए॰ ई॰ और बहरीन के प्रस्तावों पर सरकारी स्तर पर अभी चर्चा होनी है।

*[हिन्दी]*

**पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों के खतरे**

1926. **डा॰ प्रभा ठाकुर :**
**श्रीमती कृष्णा बोस :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों से उत्पन्न होने वाले खतरों पर खुले मन से विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए जाने का विचार है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) और (ख) सरकार ने मई, 1998 में शक्ति-98 अभियान के तहत पोखरण रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए जाने से पूर्व इसके संभावित प्रभावों का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण करवाया था। आशानुरूप इन परमाणु परीक्षणों के कारण

वातावरण में रेडियोधर्मिता नहीं फैली थी किंतु परीक्षण स्थलों पर तथा उनके आसपास जमीन पर दरारें मात्र देखी गई थीं। परमाणु परीक्षणों के बाद पोखरण रेंज से बाहर के गांवों का सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि गांव के कुछ मकानों पर इन विस्फोटों का बहुत ही कम तथा नाममात्र का प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त इन परीक्षणों के तुरंत बाद किए गए हवाई सर्वेक्षणों से यह बात सामने आई कि इन विस्फोटों के कारण वातावरण में कोई रेडियोधर्मिता नहीं फैली। सरकार द्वारा इन परीक्षणों के दौरान कई एहतियाती उपाय किए गए थे। इन उपायों में परमाणु परीक्षणों के लिए बनाए गए गड्ढों की समुचित गहराई, परमाणु उपकरणों में विशेष सुरक्षात्मक उपाय तथा उनके बीच समुचित दूरी और विकिरणों तथा भूकंपों को मापने के लिए लगाए गए कई यंत्र शामिल थे।

सरकार ने वस्तुत: शक्ति-98 अभियान के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय किए थे। सरकार सभी आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इन परीक्षण स्थलों पर वैज्ञानिक मापन का कार्य जारी रखेगी।

*[अनुवाद]*

**हवाई अड्डों के सही नाम का उपयोग**

1927. श्रीमती **कृष्णा बोस** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने

... भरने तथा उतरते समय सभी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को हवाई अड्डों के उचित नाम (उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या कलकत्ता में नेताजी सुभाष हवाई अड्डा) उपयोग करने के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या एयरलाइनों द्वारा इस निदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी हेतु कोई प्रणाली है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) जी, हां। महानिदेशक नागर विमानन ने हाल ही में उड़ान भरने और उतरने से पूर्व की जाने वाली उद्घोषणाओं में विमानपत्तनों के सही नामों का उपयोग करने के बारे में सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानकंपनियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि अभी कोई नियमित मानीटरिंग तंत्र नहीं है तथापि विमानकंपनियों को महानिदेशक नागर विमानन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने के विषय में कहा है।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण विकास**

1928. **श्री अजीत जोगी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास संबंधी अनेक योजनाएं अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है या तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील)** : (क) जी, हां

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिन परियोजनाओं की स्वीकृत दी गयी है, उनकी संख्या इस प्रकार है :-

| क्र.सं. | योजना | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आई. जे. आर. वाई. | 28 | 5 | शून्य |
| 2. | समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना | 8 | 18 | 45 |

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष 13 लाख अतिरिक्त मकानें बनाने के लिए योजना आयोग ने एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनायी है।

*[अनुवाद]*

**आई.एस.आई. द्वारा विध्वंसक गतिविधियों में सैनिकों को शामिल करना**

1929. **श्री तारिक अनवर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्तूबर, 1998 के 'द स्टेटसमैन में 'आई. एस. आई.' इन्डक्टिंग आर्मीमेन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तानी सेना तथा वहां की खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिए जाने की बात सर्वविदित है। राज्य सरकार, सुरक्षा बलों के सहयोग से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी उपाय कर रही है। हमारे सशस्त्र बलों द्वारा की गई सफल कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप वहां स्थिति अब काफी नियंत्रण में है। जम्मू कश्मीर में संसद और विधान सभा के लिए हुए सफल चुनावों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि अब वहां की जनता आतंकवाद से ऊब गई है।

**डिफेंस इंटेलिजेंस एजेन्सी का पुनरुद्धार**

1930. **श्रीमती रानी नराह** :
**श्री तारिक अनवर** :
**श्री सुरेश वरपुडकर** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शत्रु द्वारा किए जाने वाले प्रथम प्रहारों से रक्षा करने तथा अफगानिस्तान में हाल ही में अमरीका द्वारा किए गए प्रक्षेपणास्त्र हमलों के मद्देनजर डिफेंस इंटेलिजेंट एजेन्सी का पुनरूद्धार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## भूमि संबंधी रिकार्ड

1931. **श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भूमि संबंधी रिकार्ड को अद्यतन करने और उसके रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्र : (श्री बाबागौड़ा पाटील)** : (क) भारत सरकार भूमि संबंधी रिकार्ड को अद्यतन करने और उसके रख-रखाव के लिए केन्द्र प्रायोजित दो योजना चला रही है अर्थात् (1) 1987-88 से राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने की केन्द्र प्रायोजित योजना और (2) 1988-89 से भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना।

(ख) और (ग) भू-राजस्व और भूमि रिकार्डों के रख-रखाव के लिए देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग विधायी प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था है। राज्यों में भूमि-रिकार्ड अद्यतन स्थिति में उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल राज्य ने कुछ वर्ष पहले संशोधनात्मक सर्वेक्षण बंदोबस्त कार्य पूरा किया है। मध्य प्रदेश और केरल राज्यों ने अधिकांश सर्वेक्षण बंदोबस्त कार्य पूरे कर लिए हैं और कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश आदि जैसे राज्य पुन: संशोधनात्मक सर्वेक्षण बंदोवस्त कार्य शुरू करने का विचार कर रहे हैं।

भूमि रिकार्डों का अद्यतनीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है। तथापि, भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत तत्काल सेवा सुनिश्चित करने के लिए भूमि रिकार्डों का ऑनलाइन प्रबंध नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूरा हो जाने की संभावना है।

## राउरकेला इस्पात संयंत्र में इलैक्ट्रिक शीट मिलें

1932. **श्री तथागत सत्पथी : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र की इलैक्ट्रिक शीट मिल को बन्द कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इलैक्ट्रिक स्टील मिल संयंत्रों को बदलने के लिए कोई वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस)** : (क) से (घ) उच्च उत्पादन लागत और मांग कम होने से आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण राउरकेला इस्पात संयंत्र की इलैक्ट्रिकल शीट मिल (ई एस एम) को 1996 में बंद किया गया था। तप्त बेल्लित इलैक्ट्रिकल चादरों की शीट बेल्लित इलैक्ट्रिकल चादरों से प्रतिस्पर्धा रहती है जो इलैक्ट्रिकल उपकरण विनिर्माताओं को बहुत अच्छी गुणवत्ता के और आकर्षक तकनीकी माल किफायती रूप में देते है।। चूंकि राउरकेला इस्पात संयंत्र 1984 से सिलिकॉन इस्पात मिल में पहले से ही शीत बेल्लित इलैक्ट्रिकल चादरों, जोकि एक स्थानापन्न उत्पाद है, का उत्पादन कर रहा है अत: ई.एस.एम. संयंत्र को प्रतिस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## दरभंगा-जयनगर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1933. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या रेल मंत्री** 28 मई, 1998 के अतारांकित प्रश्न सं. 193 के उत्तर के संबंध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा - जयनगर रेल नाइन के आमान परिवर्तन हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां,

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :-

| | | |
|---|---|---|
| लंबाई | - | 260 कि.मी. |
| अनुमानित लागत | - | 233.00 करोड़ रुपये |
| प्रतिफल की दर | - | 4.15 प्रतिशत |

(ग) कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किये जा रहे हैं और कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा और कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी। लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

## भवन निर्माण केन्द्र

1934. **श्री गुरूदास कामत :**
**श्री राम कृष्ण बाबा पाटील :**
**श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :**

**क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सम्म में राज्य संचालित आवास, और शहरी विकास निगम के लिए नए निर्माण केन्द्रों की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) और (ख) भवन निर्माण केन्द्र स्कीम के अनुसार केन्द्र सरकार भवन निर्माण केन्द्रों की स्थापना के लिए हडको को अनुदान सहायता जारी करती है। चालू वित्त वर्ष, अर्थात् 1.4.98 से 26.11.98 तक के दौरान, हडको ने 7 राज्यों में 10 भवन निमार्ण केन्द्र स्वीकृत किए हैं। उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

*1.4.98 तथा 26.11.98 के मध्य अनुमोदित भवन निर्माण केन्द्र*

| क्रं. सं. | भवन निर्माण केन्द्र का नाम | राज्य/संघ प्रदेश का नाम | एजेंसी का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की तारीख | स्वीकृति धनराशि (लाख रु०) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सुपौल | बिहार | जिला ग्रामीण विकास एजेंसी | 21.7.98 | 5.00 |
| 2. | भाबुआ | बिहार | -वही- | 14.9.98 | 5.00 |
| 3. | मधुबनी | बिहार | शक्ति महिला विकास समिति | 26.10.98 | 5.00 |
| 4. | दि लाइम सैन्टर | हरियाणा | दि लाइम सेंटर | 14.10.98 | 5.00 |
| 5. | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण | 26.8.98 | 5.00 |
| | [illegible]र्स) | महाराष्ट्र | क्षेत्र संसाधन केन्द्र संवर्द्धन सोसायटी | 28.8.98 | 5.00 |
| 7. | उखरुल | मणिपुर | ग्राम विकास स्वयं सेवक | 16.8.98 | 5.00 |
| 8. | बलरामपुर | उत्तर प्रदेश | श्रमिक बंधु (एनजीओ) | 23.5.98 | 5.00 |
| 9. | श्रीनिकेतन | पश्चिम बंगाल | अनुप्रयुक्त ग्रामीण शिक्षा विस्तार व अनुसंधान केन्द्र | 22.7.98 | 5.00 |
| 10. | कूच बिहार | पश्चिम बंगाल | कूच बिहार म्यूनिसिपल्टी | 25.8.98 | 5.00 |
| | | | | | 50.00 |

**अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन**

**1935. श्रीमती मिनाती सेन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाइगुड्डी जिले (पश्चिम बंगाल) में अम्बारी एअरफील्ड में ही एक अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (ग) जी, नहीं। जलपाईगुड़ी में अम्बाड़ी स्थित विमान पत्तन राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस समय इस विमानपत्तन को विकसित करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

**टौंक को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना**

**1936. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998-99 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार टौंक को रेल नेटवर्क के साथ जोड़ने हेतु सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्धारित धनराशि तथा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सर्वेक्षण कब तक कराए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां इस सर्वेक्षण में पुनर्विनियोग की जाएगी, जो संभवत : 30.6.1999 को पूरा हो जाएगा।

**सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस का प्रस्थान समय**

**1937. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस का बांद्रा तथा मुंबई से प्रस्थान समय पहले करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) बांद्रा से 9017 बांद्रा-जामनगर सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है।

(ग) उनकी जांच की गई थी परंतु परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

*[हिन्दी]*

### हिमाचल प्रदेश में हवाई-अड्डों का विस्तार

1938. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भुंटर, शिमला और गुगल हवाई पट्टियों के विस्तार हेतु कोई योजना बनाई है, ताकि बड़े हवाई जहाजों का आगमन-प्रस्थान हो सके और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भुंटर तथा शिमला विमानपत्तनों का स्तरोन्नयन व्यवहार्य नहीं है क्योंकि वहां पर्याप्त समतल भूमि उपलब्ध नहीं हैं। पहाड़ों की कटाई करना और घाटीमार्गों की भराई पर प्रतिबंध है और वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य है।

### औद्योगिक भूखंडों का परिवर्तन

1939. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में पट्टाधारी-औद्योगिक भूखंडों को "फ्रीहोल्ड" में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी शर्त क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय अंतरण स्कीम 500 वर्ग मीटर तक क्षेत्र वाली सभी निर्मित आवासीय सम्पत्तियों/फ्लैटों पर लागू है।

*[अनुवाद]*

### टाटा एयरलाइन्स परियोजना

1940. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एअरलाइनों की रुग्णता संबंधी नागर विमानन मंत्रालय समिति ने टाटा एअरलाइन्स के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति ने टाटा एयरलाइन्स परियोजना के समर्थन में क्या मुख्य कारण प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) पहली सितम्बर, 1998 को, मेंसर्स टाटा इंडस्ट्रीज ने टाटा एयरलाइंस प्रा॰ लि॰ द्वारा घरेलू अनुसूचित एयरलाइंस सेवाऐं प्रचालित करने संबंधी अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है ।

### असम के लिए हुडको पैकेज

1941. **श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए 335 करोड़ रुपये का पैकेज भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिले - वार ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) जी, हां। हुडको ने गोहाटी में दिनांक 19.10.98 को असम के लिए 335 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें राज्य के बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए आवास का प्रस्ताव भी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा सहायता हेतु आवास की निर्दिष्ट की गई प्रस्तावित सं॰ 50 जहरा रिहायशी एककें हैं जिनपर 50 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षानुसार औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर 50.00 करोड़ रु॰ की ऋण राशि सुनिश्चित की गई।

(ख) राज्य के संबंधित विभाग से स्कीम तथा ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

### इंदिरा गाँधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर पर्यटन काउंटर

1942. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 नबम्बर, 1998 के "द हिन्दू" में "टूरिज्म काउन्टर एट इंदिरा गाँधी इंटरनेशनल एयर पोर्ट रन बाई द टाउट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) ने अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी विमानपत्तन पर पर्यटन काउंटर हेतु राज्य सरकार के एक उपक्रम, मै॰ पंजाब पर्यटन विकास निगम (पी टी डी सी) को लाइसेंस जारी किया है। भा.वि.प्रा. को जो शिकायत प्राप्त हुई है उसके अनुसार पी टी डी सी ने इस लाइसेंस को पटियाला की एक निजी परिवहन कंपनी को पट्टे पर दे दिया है। इस माम्ले की जांच की जा रही है। यदि ऐसा पाया गया कि जी टी डी सी द्वारा लाइसेंस करार की शर्तों के संबंध में कोई उल्लंघन किया गया है तो ऐसी स्थिति में पी टी डी सी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

### एयर इंडिया में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति

**1943. श्री समर चौधरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कि :

अर इंडिया को अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत अनुसूाचत जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से पदोन्नति संबंधी मामलों में भेदभाव की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इन शिकायतों के बारे में जांच कराई गई थी ,

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों पर कितना ध्यान दिया गया है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (ङ) एअर इंडिया को अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कर्मचारियों से पांच (5) शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें पदोन्नति, स्थानांतरण, विदेश में तैनाती आदि से संबद्ध हैं। इनमें से एक शिकायत प्रमाणित नहीं हो पायी। शेष चार (4) शिकायतों के संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है।

### रोजगार आश्वासन योजना

**1944. श्री वृ॰वी॰ कृष्णमराजु** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तटीय आंध्र प्रदेश में लगातार चक्रवातों तथा भारी वर्षा के कारण रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त धनराशि कब तक आबंटित की जाएगी;

(ग) क्या सरकार इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 50,000 मकान बनाने के लिए धन प्रदान करेगी क्योंकि हाल के चक्रवात के कारण 75,000 से भी अधिक मकान आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील)** : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित रोजगार योजना के अर्न्तगत 100 करोड़ रुपए तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश में बाढ़/चक्रवात से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए इंदिरा गाँधी आवास योजना के अन्तर्गत 50,000 मकानों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

*[हिन्दी]*

### इंटरएक्टिव वॉइस रिसपोंस सिस्टम

**1945. श्री राजो सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जोन-वार/राज्य-वार ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जिन पर "इंटरएक्टिव वॉइस रिसपोंस सिस्टम" सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और

(ख) देश में जोन-वार/राज्य-वार कितने रेलवे स्टेशनों को "इंटरएक्टिव वॉइस रिसपोंस सिस्टम" के नए मानदंडों के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

*[अनुवाद]*

### सेवामुक्त किए गए सैन्यकर्मियों की याचिका

**1946. श्री टी॰ गोविन्दन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सेवामुक्त किए गए सैन्यकर्मियों के मामले में निर्णय लेने हेतु केरल उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गए निर्देशों के प्रकाश में सैन्यकर्मियों को मुआवजा देने हेतु उनसे कोई याचिका प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश याचिकाओं का निपटान कर दिया गया है तथा याचिकाकर्त्ताओं को उत्तर भेज दिए गए हैं। संदर्भित याचिकाकर्त्ताओं में से कोई भी मुआवजा पाने का हकदार नहीं पाया गया था।

### झारसुगुडा हवाई पट्टी का विकास

**1947. श्री जुआल उराम** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा की हवाई पट्टी, झारसुगुडा हवाई पट्टी, के विकास के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

### रेल सवारी डिब्बा कारखाना, भोपाल में रोजगार

**1948. श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन ग्रामीणों की जमीन भोपाल में रेल सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए अधिग्रहीत की गई थी उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि कारखाने में उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाएगा।

(ख) यदि हां, तो ग्रामीणों से इस संबंध में कितने आवेदन प्राप्त किए गए और अब तक कितने व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की गई है।

(ग) उक्त रेल सवारी डिब्बा कारखाने में मौजूदा पदों में से कितने पदों पर स्थानीय ग्रामीणों की नियुक्ति हो सकती है, और

(घ) शेष आवेदकों को कब तक रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) रेलवे के मौजूदा अनुदेशों में, रेल परियोजनाओं के लिए रेलों ने जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहीत की है, उनमें से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वरीयता के आधार पर रोजगार देने की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था, हालांकि, भूमि अधिग्रहण के प्रथम दो वर्षों के दौरान की गई भर्ती अथवा पहली भर्ती, इनमें से जो भी बाद में हो, तक ही सीमित है, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना भोपाल के मामले में जिनकी भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है, को वरीयता के अधार पर रोजगार देने की व्यवस्था भी उपर - लिखित अनुदेशों के तहत है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

### मामलों को वापस लेना

**1949. श्री बी.एम. मेनसिंकाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रानीबेन्नूर (द.रे.) (कर्नाटक) में 1017 और 1018 दोनों रेलगाड़ियों को रोके जाने के लिए की गई हड़ताल के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही की है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में एक प्रस्ताव श्री टी.डी. बत्तल, अध्यक्ष, व्यापारी संघ रानीबेन्नूर तथा दूसरा श्री बी.एम. मैनसिंकाई, माननीय संसद सदस्य से प्राप्त हुए हैं , परंतु इस मामले को वापस लेने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई क्योंकि राजकीय रेलवे पुलिस, जो कर्नाटक राज्य सरकार के तहत काम करती है, द्वारा यह मामला दर्ज किया गया था और मुकदमा चलाया गया था। प्रक्रिया के अनुसार ऐसे मामलों को वापस लेने हेतु प्रस्ताव पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी होती है जो प्रक्रिया के दौरान गृह मंत्रालय के माध्यम से रेल मंत्रालय की स्वीकृति भी प्राप्त करेगी।

### दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन के लिए मार्गनिर्देश

**1950. श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों/प्लाटों के आबंटन के संबंध में कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का दिल्ली में आवासों/प्लाटों के आबंटन के लिए कोई नई योजना घोषित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) जी, हाँ, डीडीए ने सूचित किया है कि फ्लैटों के आबंटन का नियमन डीडीए (मैनेजमेंट एण्ड डिस्पोजल आफ हाउसिंह एस्टेट्स) रेगुलेशन्स, 1968 के अनुसार प्लाटों को आबंटन किया जाता है।

(ग) और (घ) इस समय नई स्कीम घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

### राज्यों में जिलाधिकारी

**1951. श्री गंगबहादुर सिंह पटेल** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ जिलों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिलाधिकारियों के रिक्त पदों के कारण शुरू नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार किन किन जिलों में इस समय जिलाधिकारी के पद रिक्त पड़े हैं,

(ग) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि का दुरूपयोग किया जा रहा है।

(घ) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के ध्यान में आए हैं;

(ङ) 1998 के दौरान देश में गरीबी और भुखमरी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) निधियों के दुरुपयोग की एक घटना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यन्वयन में कथित भूल की कुछ घटनाएं केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई गई हैं। इसके अतिरिक्त संसद सदस्यों/पूर्व संसद सदस्यों से इंदिरा गांधी आवास योजना तथा दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन में अनियमितता/निधियों का उपयोग न किया जाना/निधियों के गलत उपयोग की तीन शिकायतें प्राप्त हुई थी ।

(ङ) गरीबी तथा भूख को मृत्यु का कारण नहीं माना गया है अत: कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

[illegible]जगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए पूरे देश [illegible]विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जैसे - जवाहर रोजगार योजना (2) सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) (3) दस लाख कुंओं की योजना (एम.डब्ल्यू.एस), (4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), (5) ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम), (6) ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा) (7) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार की आपूर्ति (सिट्रा)। इन योजनाओं के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को मजदूरी रोजगार तथा स्व-रोजगार प्रदान किया जाता है।

## विमान किराये में कमी के लिए मार्गनिर्देश

**1952. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरक[illegible] विचार प्रतिस्पर्धात्मक किराये पर नियंत्रण रखने के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश तैयार करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) जी, हाँ।

(ख) विवरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

## "शिर्डी" तीर्थस्थान को विमान सेवा से जोड़ना

**1953. श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "शिर्डी" तीर्थ स्थान को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) शिर्डी में कोई सिविल हवाई पट्टी/विमानपत्तन उपलब्ध नहीं है। तथापि, औरंगाबाद विमानपत्तन द्वारा हवाई यातायात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है।

## हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

**1954. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड गत तीन वर्षों के दौरान घाटे में रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एकक को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का वित्तीय निष्पादन निम्नवत् है :

| वर्ष | लाभ(+)/हानि(-) (करोड़ रु॰ में) |
|---|---|
| 1995-98 | (+) 075.84 |
| 1996-97 | (-) 130.62 |
| 1997-98 | (-) 169.72 (अनन्तिम) |

* लेखा वर्ष 1997-98 को छ: माह यानी सितम्बर, 1998 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) कारोबार संबंधी (टर्न एराउन्ड) रणनीति के हिस्से के रूप में कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उसके द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है :-

(1) कंपनी का पूंजीगत पुनर्निर्माण ।

(2) राजस्थान में खेतड़ी कॉपर कम्प्लैक्स में प्रगालक तथा शोधनशाला की प्रौद्योगिकी क्षमता 31,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 45000 टन प्रतिवर्ष करना।

(3) खर्चीली खानों तथा अव्यवहार्य प्रचालनों को धीरे - धीरे बंद करना तथा राष्ट्रीय नवीकरण कोष से धन और गैर-योजना ऋण आदि लेकर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत कर्मचारियों को सेवा मुक्त करना।

(4) कंपनी ने अपने प्रचालनों तथा कार्मिक संबंधी क्षेत्रों में मौजूदा खर्च में कमी करने के लिए अनेक अभिनव उपाय भी किये हैं।

## गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता

**1955. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को महबूबनगर, करनूल और अनैतापुर जिलों में गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के विकास के लिए कोई संयुक्त राष्ट्र सहायता प्राप्त हुई है।

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए यूएनडीपी की कुल कितनी राशि का निदेश किया गया है, और

(ग) इससे राज्य में किस सीमा तक गरीबी में कमी आई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कायर्क्रम (यू.एन.डी.पी.) 1996 से महबूबनगर, करनूल और अनंतपुर के तीन जिलों में गरीबी उन्मूलन परियोजना में सहायता कर रहा है। परियोजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के लिए सामाजिक जागरण में स्थायी और पुनरावृत्तियोग्य प्रदर्शित करना है।

(ख) यू.एन.डी.पी. द्वारा तीन जिलों में 47.68 मिलियन रुपए का निवेश किया गया है।

(ग) यू.एन.डी.पी. की सहायता. से चल रही गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के कारण परियोजना क्षेत्र में गरीबी में हुई कमी का अभी आकलन नहीं किया गया है।

*[हिन्दी]*

## रेल गाड़ियों में धूमपान

**1956. डा० चिन्ता मोहन :**
**डा० सुशील इन्दौरा :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में धुमपान रोकने के लिए अब तक कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (ग) सभी वातानुकूलित सवारी डिब्बों में धूमपान निषेघ है केवल प्रथम वातानुकूलित सवारी डिब्बों को छोड़कर जहां प्रयोग के आधार पर प्रत्येक सवारी डिब्बे में चार शायिकाओं वाले एक केबिन को धूमपान के रूप में निर्धारित किया गया है। बहरहाल, सभी शयनयान/अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाली जनता के लिए सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं कि यदि उनके साथ यात्रा कर रहे यात्रियों द्वारा एतराज किया जाए तो वे धूमपान न करें ।

## कृषि उत्पादों के लिए विपणन

**1957. श्री ए० वेंकटेश नायक :**
**श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के विपणन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान विपणन नेटवर्क में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स ने विपणन नेटवर्क की सफलता के लिए कुछ सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार को इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) कृषि विपणन राज्य का विषय होने के कारण संबंधित सरकारों द्वारा ही कृषि उत्पादों के विपणन नेटवर्क में सुधार किये जाने चाहिए। भारत सरकार स्तर पर कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि विपणन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता है। देश में कृषि विपणन नेटवर्क में सुधार करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान कार्यान्वियन के लिए नौ प्लान योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कृषि विपणन की गति-विधियों की देखरेख कृषि विपणन निदेशालय और राज्य कृषि विपणन बोर्डों द्वारा कृषि उत्पादन समितियों के जरिए संबंधित राज्य कृषि उत्पाद विपणन नियमन अधिनियमों के अनुसार की जा रही है। आज की तारीख तक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम बना लिए हैं। छः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी भी अपने कानून बनाने हैं। इन कानूनों के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद बाजारों को मुख्य और उप बाजार बोर्ड के रूप में नियंत्रित करते है। 21 राज्य संघ/राज्य क्षेत्रों ने कृषि विपणन विकास के लिए संबंधित राज्यों में कृषि विपणन बोर्ड गठित कर लिए हैं। 31.3.1998 को देश में नियंत्रित बाजारों की संख्या 7062 है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निरन्तर जोर दिए जाने के कारण सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान कृषि विपणन के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रगति कर ली है। :-

(1) मिजोरम सरकार ने 11 मिजोरम राज्य कृषि उत्पाद विपणन (नियमन) अधिनियम 1996 (अधिनियम सं० 1966 का 11) बना लिया है।

(2) जम्मू और कश्मीर सरकार पहले ही विधान सभा में बाजारों के नियमन संबंधी कानून पास कर चुका है और इसकी अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है ।

(3) देश में नियमित बाजारों की संख्या 31.3.1996 को 6968 से बढ़कर 31.3.1998 को 7062 हो गई है।

(ग) से (ड.) वाणिज्य के पी.एच.डी. चैम्बर से संगत सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## भारतीय समुद्री सीमा में थाईलैण्ड के पोत का रोका जाना

**1958. श्री के०एस० राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सशस्त्रा बलों ने हाल ही में नरकैनडम द्वीप के पास थाइलैण्ड के एक पोत को रोका था और उससे हथियारों की बड़ी खेप के साथ 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमीरका की मादक ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने इस मार्ग पर मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में और अधिक ब्यौरा प्राप्त करने के लिए भारतीय प्राधिकारियों से संपर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) मई, 1998 में, तटरक्षक और भारतीय नौसेना की एक संयुक्त कार्रवाई में नारकँडम द्वीप से परे थाईलैंड के दो ट्रालरों को रोका गया था। ट्रालरों के कर्मीदल के 26 सदस्य, जो समुद्र, में कूद गए थे, पकड़ लिए गए थे। पकड़े गए कर्मीदल से पूछताछ करने पर यह पता चला कि उन्होंने शस्त्रों और गोला-बारूद का संपूर्ण परेषण समुद्र में फेंक दिया था। ट्रालरों में कोई नशीली औषधियां नहीं ले जाई जा रही थीं।

(ख) और (ग) संयुक्त राज्य अमरीका की औषधि प्रवर्तन एजेंसी ने उपर भाग (क) में उल्लिखित विशिष्ट घटना से संबंधित संगत जानकारी मांगी थी। भारत सरकार ने नशीले पदार्थों की मांग को घटाए जाने, उनके अवैध इस्तेमाल और अनुचित लाभ तथा उनके अवैध व्यापार से संबंधित मामलों के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के साथ एक समझौता किया हुआ है।

*[हिन्दी]*

## धनराशि की कमी

सुशील इन्दौरा :
डा. सुब्बाराामी रेड्डी :
डा. चिन्ता मोहन :
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में लक्षित आय में कई करोड़ रुपये की कमी हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या इस कमी के कारण आधुनिकीकरण तथा विकास संबंधी योजना प्रभावित होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो किस हद तक विस्तार संबंधी प्रस्ताव समाप्त किए जाने हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) और (ख) अक्टूबर, 1998 के अन्त तक माल भाड़ा यातायात 16.34 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में कम है जिसके परिणाम-स्वरूप माल आम्दनी में 852 करोड़ रुपये की कमी आई है। यह कमी मुख्य रूप से कोयला, इस्पात, सीमेन्ट, खाद्यान्न तथा उर्वरक के प्रमुख सैक्टर क्षेत्रों में देखी गई है। बहरहाल, यात्री यातायात में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है और इसने मालभाड़ा आय में कमी को कुछ हद तक संतुलित कर दिया है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय रेलों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रमुख सेक्टरों में तथा अन्य क्षेत्रों में भी अतिरिक्त मालभाड़ा यातायात आकर्षित करने के लए विशेष प्रयास किए जाएं ताकि यथा संभव इस कमी को पूरा किया जा सके। उन्हें यात्री यातायात आमदनी में वृद्धि करने, टिकट चैंकिग में तेजी लाने, बकाया राशि की वसूली संबंधी कार्रवाई करने तथा व्यय को नियंत्रित करने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं।

(ङ) और (च) आय में कमी के कारण योजना कार्यक्रमों के परिव्यय में कटौती करना अपरिहार्य प्रतीत होता है। बहरहाल, सुरक्षा से संबंधित और अन्य तात्कालिक तथा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त रूप से वित्तपोषण के प्रयास किए जाएंगे।

*[अनुवाद]*

## भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता

1960. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री डी. एस. अहिरे :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री तारिक अनवर :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना का विश्व की वायुसेनाओं में चौथा स्थान है परन्तु इसकी मारक क्षमता चीन और पाकिस्तान की तुलना में कम होती रही है;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) और (ख) किसी भी वायुसेना का रैंक उसके द्वारा धारित वायुयानों की संख्या पर आधारित होता है। तथापि, यह उस वायुसेना की प्रहार की क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। भारतीय वायुसेना की प्रहारक क्षमता में गिरावट नहीं आ रही है, तथापि, चीन तथा पाकिस्तान की वायुसेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है।

(ग) भारतीय वायुसेना की हवाई प्रहारक क्षमता को बनाए रखने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए मौजूदा तथा भावी खतरे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना को आधुनिक/सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में कुछ मौजूदा वायुयान/शस्त्र प्रणालियों का मिड-लाइफ स्तरोन्नयन, अतिरिक्त हवाई रक्षा/हवाई श्रेष्ठता, वायुयान का अर्जन तथा बहु - भूमिका वाले अत्याधुनिक वायुयान का आगमन शामिल है। भारतीय वायुसेना के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कवच को सुदृढ़ करने तथा इसकी प्रहारक क्षमता की सटीकता तथा संहारकता में वृद्धि करने के लिए परिशुद्धता निर्देशित युद्ध-सामग्री के लिए भी कदम उठाए गए हैं। भारतीय वायुसेना की सामान सूची में शामिल योधी वायुयान तथा आक्रमणकारी हेलीकॉप्टरों को भी रात में हमला करने की क्षमता से सज्जित किया जा रहा है ताकि वे रात और दिन दोनों परिस्थितियों में सक्रिया करने में समर्थ हो सकें।

## पेयजल आपूर्ति और जल-मल परियोजनाएं

1961. **श्री नृपेन गोस्वामी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेयजल आपूर्ति और जल-मल परियोजनाओं के लिए विदेशों से या हुडको से सहायता प्राप्त करने हेतु असम सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हेतू कितनी राशि निर्धारित की गई है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) से (ग) असम सरकार ने ओवरसीज इकोनोमिक कोओपरेशन फंड (ओ.ई.सी.एफ.), जापान से सहायता प्राप्त करने के लिए 444.61 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर ग्रेटर गुवाहाटी की जल आपूर्ति योजना प्रस्तुत की थी। तथापि, ओ.ई.सी.एफ. ने यह प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया था। बाद में, यह प्रस्ताव विश्व बैंक को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जैसी कि राज्य सरकार की इच्छा थी। विश्व बैंक के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

असम राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों ने संलग्न विवरण में दी गई जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए हुडको से सीधे ही ऋण सहायता प्राप्त की है। हुडको ने बताया है कि गुवाहाटी के लिए दो जल आपूर्ति परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं तथा शेष परियोजनाएं विभिन्न चरणों में जिनके दो वर्ष के अंदर पूरा होने की संभावना है।

**विवरण**

*हडको द्वारा असम में वित्तपोषित जल आपूर्ति योजनाएं*

(लाख रु० में)

| क्र. सं. | जल आपूर्ति योजना | परियोजना लागत | ऋण राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | गुवाहाटी में जल आपूर्ति नेटवर्क का सुधार | 1146.38 | 773.00 |
| 2. | गुवाहाटी के लिए जू. रोड पेय जल परियोजना (चरण-1) | 1349.80 | 944.80 |
| 3. | जोरहाट के लिए जल आपूर्ति योजना | 1067.71 | 716.00 |
| 4. | गौरीपुर के लिए जल आपूर्ति योजना | 377.71 | 241.30 |
| 5. | बारपेटा के लिए जल आपूर्ति योजना | 422.95 | 293.50 |
| 6. | गोलपाड़ा के लिए जल आपूर्ति योजना | 428.34 | 297.25 |
| 7. | मोरियानी कस्बे में पेय जल आपूर्ति योजना का कार्यन्वयन | 426.20 | 295.75 |
| 8. | तेजपुर में जल आपूर्ति योजना | 1145.62 | 795.00 |
| 9. | डेरगांव में जल आपूर्ति बढ़ाना | 290.91 | 203.00 |
| 10. | ढ़ींग जल आपूर्ति योजना | 307.02 | 215.00 |
| 11. | डुबरी कस्बे में जल आपूर्ति योजना | 890.53 | 623.00 |
| 12. | गोलाघाट कस्बे के लिए जल आपूर्ति योजना | 1012.00 | 702.00 |
| 13. | तिनसुकिया कस्बे में जल आपूर्ति | 1912.61 | 1266.85 |

## महापौर - सम्मेलन

**1962. श्री संदीपन थोरात : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भोपाल में महापौर सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा की गई कार्य सूची तथा पारित किए गए संकल्पों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय मेयर परिषद (एआईसीएम) का 33वां सम्मेलन 26 और 27 सितम्बर, 1998 को भोपाल में हुआ था।

(ख) उपर्युक्त सम्मेलन में जिस एजेंडा पर विचार-विमर्श हुआ तथा संकल्प पारित किया गया, वह मुख्यत: अखिल भारतीय मेयर परिषद की 31वीं आम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने, वर्ष 1996-97 के लेखा के परीक्षित विवरणों को स्वीकार करने तथा संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 की स्थिति की समीक्षा से संबंधित है। प्रतिनिधियों ने राज्य सरकारों से और वित्तीय तथा कार्यात्मक शक्तियों बाबत कहा ताकि संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के अनुसार वे और लोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर सकें।

(ग) संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार, नगर-पालिका प्रशासन राज्य का विषय है। अत: यह राज्य सरकार के ऊपर है कि वह संविधान (74 वां) संशोधन अधिनियम में दर्शाई गई अपेक्षित वित्तीय तथा कार्यात्मक शक्तियां अपने शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे।

## नंजनगुड रेलवे स्टेशन के निकट उपरिपुल का निर्माण

**1963. श्री ए० सिदराजू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंजनगुड रेलवे स्टेशन के निकट गुंडलुपेट-मैसूर रेलमार्ग पर उपरिपुल का निर्माण कार्य 1998-99 के दौरान शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई तथा इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) उक्त कार्य को पूरा कराने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(घ) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

## इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानों का पट्टे पर लिया जाना

**1964. श्री विकास चौधरी : क्या नागर विमान मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को ड्राई/वैट आधार पर पट्टे पर विमान लेने की अनुमति प्रदान कर दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सं धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उन लीजिंग कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ इंडियन एयरलाइंस ने विमान पट्टे पर लेने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा पट्टे पर लिए जा रहे विमानों के मामले में सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस यू) का बोर्ड ऐसे वित्तीय निर्णयों को लेने के लिए सक्षम है।

वर्ष 1998-99 के दौरान, इंडियन एयरलाइंस ने मै० जी ई कैपीटल एविएशन सर्विसेज लि० (जी ई सी ए एस) से 135000 अमरीकी डालर प्रति विमान के हिसाब से मासिक किराए पर तीन वर्ष की अवधि के लिए दो ए-300 बी 4 विमान ड्राई लीज पर लिए हैं।

*[हिन्दी]*

### युद्धपोतों का निर्माण

**1965. श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक युद्धपोतों के निर्माण में विलम्ब होने से नौसेना के कार्य-निष्पादन पर अभी हाल में बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं;

...द्धपोतों के निर्माण में कितना समय लगेगा; और

... निर्माण की अनुमानित लागत क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) से (घ) युद्धपोतों के स्वदेशी निर्माण में समय तथा लागत दोनों ही अधिक लगे हैं। इसके मुख्य कारणों में सोवियत संघ के विघटन तथा इसके परिणामस्वरूप उसके सैन्य उद्योग का क्षीण होना, संसाधनों के अभाव के कारण शिपयार्डों में आवश्यक आधारभूत संरचना के सृजन में विलंब, वैमानिकी तथा युद्ध सामग्री के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उन्नतता के कारण विनिर्देशनों में परिवर्तन, श्रमिक असंतोष आदि के परिणामस्वरूप शिपयार्डों, को सैन्य हार्डवेयर की प्राप्ति में हुआ विलंब शामिल है।

प्रौद्योगिकीय दृष्टि से बेड़ों को पुराना न होने देने तथा इनकी संख्या में कमी को रोकने के लिए स्वदेशी निर्माण विदेशों से अर्जन करके इनमें वृद्धि करने के संबंध में समुचित उपाय किए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

### खनिज क्षेत्र का विकास

**1966. डा० उल्हास वासुदेव पाटील :**
**श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :**
**श्री अन्नासाहिब एम.के.पाटील :**
**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
**श्री चेतन चौहान :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनिज क्षेत्र के विकास के लिए विद्यमान नीतियों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपतटीय खनन के लिए विधेयक लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने खान मंत्रालय, भारत सरकार के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसके राज्य सरकारों के खनन सचिव, भारतीय खनिज उद्योग संघ के महासचिव तथा भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक आदि सदस्य थे। समिति के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के विनियमन औश्र विकास से संबंधित मौजूदा कानूनों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा और उन्हें नीतिगत परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के लिए सुझाव देना तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/उनके नवीकरण में होने वाले विलम्ब को कम करने हेतु उपाय सुझाना शामिल थे। समिति को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण करने के बारे में राज्य सरकारों को और अधिक अधिकारों के हस्तांतरण तथा अवैध खनन को रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में विचार कर सुझाव भी देना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम और उसके तहत पाए गए नियमों में संशोधन के लिए आगामी आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने संबंधित खान मंत्रालय में नीति और विधान से तत्कालीन संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में मई, 1993 में भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र/महाद्वीपीय शेल्फ/विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विनियमन और विकास के लिए कानून का मसौदा तैयार करने हेतु एक कार्यदल गठित किया था। कार्यदल ने दिसम्बर, 1995 में अपतटीय खनिज क्षेत्र (विकास और विनियमन) मसौदा विधेयक सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यदल की रिपोर्ट की जांच की गई है और इस संबंध में आगामी अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

### बंगला देश के लिए यात्री रेल गाड़ी

**1967. डा० असीम बाला :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के लिए यात्री रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

### कालीकट में कार्गो कम्पलेक्स

**1968. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट विमानपत्तन में कार्गो कम्पलेक्स को निजी क्षेत्र द्वारा चलाया जा रहा है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कालीकट से खाड़ी देशों के लिए कोई कार्गो उड़ान का परिचालन किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय, मै० केरल राज्य औद्योगिक उद्यम (के एस आई ई) जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है कालीकट विमानपत्तन पर कार्गो

का अभिरक्षक है। के एस आई ई विमानपत्तन के लगभग 30 कि॰मी॰ की दूरी पर अवस्थित एक ऑफ एयरपोर्ट से प्रचालन कार्य करता है। वे निर्यात कार्गो की भी हैंडलिंग कर रहे हैं।

(ग) और (घ) कालीकट से खाड़ी देशों के लिए कोई एकमात्र कार्गो उड़ान नहीं है। तथापि, अनुसूचित यात्री उड़ाने ही खाड़ी में गंतव्य स्थलों तक कार्गो का भी वहन करती है।

*[हिन्दी]*

**सड़कों का विकास**

**1969. श्री रामेश्वर पाटीदार :**
**डा. सुशील इन्दौर :**
**श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री राजो सिंह :**
**श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक :**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सम्पर्क सड़कों के विकास के लिए राज्यों के राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया,

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने विश्व बैंक सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) योजना आयोग द्वारा किए गए राज्यवार आबंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने विश्व बैंक सहायता के लिए केवल महाराष्ट्र राज्य से 1000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली "महाराष्ट्र में सड़कों को सुदृढ़ करना तथा कोलतार बिछाना" नामक परियोजना प्राप्त की है। इस प्रस्ताव को 4 सितम्बर, 1998 को विचार-विमर्श हेतु मंत्रालय की सिफारिशों तथा टिप्पणियों के साथ आर्थिक मामला विभाग को भेज दिया गया है।

**विवरण**

*न्यूनतम बुनियादी सेवा कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें)*

(करोड़ रुपए में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | संशोधित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|
| | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 5.00 | 5.00 | 99.40 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 16.01 | 43.59 | 45.91 |
| 3. असम | 3.58 | 27.27 | 28.60 |
| 4. बिहार | 16.10 | 77.00 | 76.76 |
| 5. गोवा | — | — | 8.00 |
| 6. गुजरात | 7.00 | 11.00 | 12.00 |
| 7. हरियाणा | 0.10 | 2.15 | 2.60 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 15.00 | 40.27 | 44.74 |
| 9. जम्मू व कश्मीर | 8.90 | 80.60 | 122.64 |
| 10. कर्नाटक | 16.93 | 67.67 | 58.35 |
| 11. केरल | - | 23.00 | 31.00 |
| 12 मध्य प्रदेश | 18.50 | 20.18 | 31.75 |
| 13. महाराष्ट्र | 37.80 | 56.58 | 29.89 |
| 14. मणिपुर | 9.50 | 40.50 | 41.67 |
| 15. मेघालय | 10.73 | 12.40 | 15.90 |
| 16. मिजोरम | - | 12.00 | 17.40 |
| 17. नागालैंड | 4.50 | 13.78 | 13.78 |
| 18. उड़ीसा | 38.22 | 44.77 | 54.50 |
| 19. पंजाब | - | - | - |
| 20. राजस्थान | 95.07 | 115.48 | 200.00* |
| 21. सिक्किम | 12.26 | 5.13 | 10.78 |
| 22. तमिलनाडु | 18.50 | 50.00 | 94.43 |
| 23. त्रिपुरा | 7.93 | 17.93 | 16.20 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 50.91 | 33.30 | 686.05 |
| 25. पं॰ बंगाल | 21.00 | 86.25 | 76.11 |
| कुल राज्य | 413.54 | 921.55 | 1820.46 |
| *ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए परिव्यय | | | |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | |
| 26. अ. व नि. द्वीप समूह | - | 7.50 | 12.10 |
| 27. चंडीगढ | 0.45 | 0.48 | 0.40 |
| 28. दा. व ना. हवेली | 1.70 | 2.46 | 2.55 |
| 29. दमन व दीव | 0.34 | 0.35 | 1.04 |
| 30. दिल्ली | - | 20.72 | - |
| 31. लक्षद्वीप | 0.82 | 0.85 | 1.56 |
| 32. पांडिचेरी | - | - | 5.31 |
| कुल संघ राज्य क्षेत्र | 3.31 | 32.36 | 22.96 |
| कुल (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र) | 416.85 | 953.91 | 1843.42 |

[अनुवाद]

**लौह अयस्क के भण्डार के आकलन के लिए जी.एस.आई. का सर्वेक्षण**

**1970. डा० रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के 1996,1997 और 1998 के दौरान मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के भण्डार की उपलब्धता के आकलन के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) चयनित स्थानों से लौह अयस्क के निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने वर्ष 1997-98 में जबलपुर सेहोरा जिले के आस-पास के क्षेत्र का विशिष्ट विषयक मानचित्रण किया है। इस क्षेत्र से प्राप्त लौह अयस्क निम्न ग्रेड और पाकेटी है।

... को पहले ही खनन के लिए पट्टे पर दे दिया

**चालक बिना रेल इंजन का दौड़ना**

**1971. श्री वैको :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलेम में चालक के बिना रेल इंजन दौड़ पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका पता कब चला और इसे कैसे रोका गया; और

(घ) इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार पाये गये?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) जी हां 9.10.1998 को लगभग 14.28 बजे आती हुई ईरोड/शोरूवण्णूर मालगाड़ी का बिजली इंजन ऊर्जा रहित हालत में सेलम यार्ड रोड 8 से भाग निकला तथा वीरापंडी - सेलम अप लाईन की डाउन दिशा में प्रवेश कर गया और लगभग 7 कि.मी. चलने के बाद रुका।

(ग) उप स्टेशन अधीक्षक, सेलम ने इंजन को भागते हुए पाया। ऊपरी शिरोपरि बिजली आपूर्ति को तत्काल बंद कर दिया गया और वीरापंडी स्टेशन को रोड-2 के लिए प्वाइंट्स सैट करने के निर्देश दिए गए। तत्पश्चात रेल इंजन अपने आप रुक गया।

(घ) आती हुई ईरोड/शोरूवण्णर माल गाड़ी के ड्राइवर को इस घटना के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है।

*[हिन्दी]*

**अनुप्रयुक्त विमानपत्तन**

**1972. श्री हरि भाई चौधरी :**
**श्री श्रीराम चौहान :**
**श्री राम टहल चौधरी :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उन विमानपत्तनों की पहचान की है जिनका विमानन उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इन विमानपत्तनों के विकास के लिए किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी घनराशि निर्धारित की गई है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित विमानपत्तनों की अप्रयुक्त विमानपत्तनों के रूप में पहचान की है :-

आन्ध्र प्रदेश में कुड्डाप्पाह, डोनाकोन्डा; असम में रुपसी; मेघालय में शेला, बिहार में चकुलिया, गया,जोगबनी,मुजफ्फरपुर, और रक्सौल; गुजरात में ढीसा, कर्नाटक में मैसूर और हासन; मध्य प्रदेश में विलासपुर, खंडवा, पन्ना और सतना; महाराष्ट्र में अकोला; उड़ीसा में झरसुगुड़ा; तमिलनाडु में वेलौर; त्रिपुरा मे सोवाई, कैलाशहर और कमालपुर; उत्तर प्रदेश में झांसी और ललितपुर और पश्चिम बंगाल में वेलूरघाट और मालदा।

(ग) और (घ) हासन, मैसूर और रूपसी विमानक्षेत्रों की पहचान सिविल प्रचालनों हेतु सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए की गई है बशर्ते कि अनुसूचित एयरलाइनों से इन विमानपत्तनों से होकर सेवाएं प्रचालित करने संबंधी दृढ़-प्रतिबद्धता प्राप्त हो सके और इस संबंध में पूर्ण बजटीय सहायता उपलब्ध हो सके। हासन और मैसूर विमानपत्तनों के विकास हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रमशः 5 करोड़ रु० और 15 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है और इन विमानपत्तनों के विकास हेतु पूर्व बजटीय सहायता मांगी गई है। जहां तक अन्य अप्रयुक्त तथा बेकार पड़े विमानपत्तनों का संबंध है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन विमानपत्तनों को संबंधित राज्य सरकारों को सौंपे जाने का एक प्रस्ताव किया है।

**सरकारी आवास**

**1973. श्री रामपाल उपाध्याय :**
**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत सरकारी आवास पर कब्जा किया हुआ है और इनका टाइम-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन में से प्रत्येक व्यक्ति पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए और सरकारी आवास खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**200 डाउन सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना**

**1974. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैलानी गोंडा रेल मंडल में 16 सितंबर, 1998 को 200 डाउन सवारी गाड़ी पटरी पर से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है;

(ग) उक्त दुर्घटना में जान माल और सरकारी सम्पत्ति की कुल कितनी क्षति हुई :

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ङ.) यदि हां, जो जांच का क्या परिणाम मिला और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) जी हां, 16.9.1998 को पूर्वोत्तर रेल में लखनऊ मंडल के सोनारीपुर और बेलराया स्टेशनों के बीच 200 डाउन मैलानी -गोंडा पैसेंजर गाड़ी के 8 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। यह दुर्घटना रेलपथ की खराबी के कारण हुई।

(ग) कोई हताहत नहीं हुआ था और इस दुर्घटना से सरकारी संपत्ति को 41,700 रु० की क्षति हुई।

(घ) जी हां;

(ङ.) जांच समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि यह दुर्घटना डॉस स्पाइक्स इररेगुलर वरसाइन के न होने और स्लेक गेज के कारण हुई थी। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठए गए है :-

(I) रेलपथ समिति और रेलपथ की चालन संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखीकारों, दोलनलेखी कारों और सुवाड्य त्वरण मापकों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(II) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैपिंग और गिट्टी छनाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(III) दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी ठहराए गए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जा रही है।

*[अनुवाद]*

### मुम्बई रेल विकास निगम

**1975. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
**श्री विट्ठल तुपे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना - दो के लिए विश्व बैंक का ऋण प्राप्त करने हेतु मुम्बई रेल विकास निगम की स्थापना के लिए विश्व बैंक की पूर्व शर्त के अनुसार राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त निगम की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं। बहरहाल, मुम्बई महानगर क्षेत्र में उपनगरीय रेल अवसंरचना के विकास के संबंध में मुम्बई रेल विकास निगम (एम आर वी सी) स्थापित करने के लिए भारतीय रैलों और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ख) समझौता ज्ञापन की विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(I) मुम्बई शहर परिवहन परियोजना II (एमयूटीपी II) में शामिल किए जाने वाले रेल घटकों और मुम्बई रेल सेवाओं में अन्य योजनाबद्ध निवेशों के लिए समन्वित योजना तैयार करना और इसके परिणामस्वरूप सिविल, बिजली, यांत्रिकी, सिगनल एवं दूरसंचार (एस.एंड.टी.) आदि से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन।

(II) रेल क्षमता योजनाओं और प्रस्तावित निवेशों के साथ मुम्बई महानगर क्षेत्र के लिए शहरी विकास योजनाओं को एकीकृत करना।

(III) ट्रैक ड्रेनेज में सुधार और रेलों के मार्गाधिकार एवं स्टेशनों के पहुंचमार्गों से अतिक्रमण तथा अतिचारियों को हटाना और परियोजनाओं की पुनर्वास लागत एमयूटीपी II में शामिल करने और 50:50 के आधार पर वहन करने के साथ परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास सुनिश्चित करना और इनमें समन्वय स्थापित करना।

(IV) मुम्बई में रेल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए धन जुटाने के लिए रेलवे भूमि और वायु स्थान के वाणिज्यिक विकास के लिए विनिर्दिष्ट परियोजनाओं का अनुमोदन और निष्पादन।

(ग) से (ङ.) मुम्बई रेल विकास निगम की स्थापना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एक मंत्रिमंडल नोट 13.11.1998 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*[हिन्दी]*

### रायपुर-धमतारी रेल लाइन का आमान परिवर्तन

**1976. श्री चन्द्रशेखर साहू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रायपुर-धमतारी मीटर रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) 1996-97 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि मौजूदा रायपुर-राजीम-धमतारी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की लागत निवेश की ऋणात्मक प्रतिफल की दर सहित लगभग 68.77 करोड़ रुपये होगी। संसाधनों की भारी तंगियों तथा लाइन की पूर्णतया अलाभप्रद प्रकृति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस कार्य को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं है।

### अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

**1977. श्री एच.पी. सिंह :**
**श्री भर्तृहरि मेहताब :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 से रेलवे में जोनवार/डिविजनवार अनुकम्पा के आधर पर नियुक्ति के कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) पात्र व्यक्तियों को रोजगार देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अनुकम्पा के आधार पर ऐसे सभी मामलों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्राल में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

...ा के आधार पर नियुक्ति करने में विलंब विभिन्न कारणों ... नाबालिग होना, उपयुक्त रिक्तियों की अनुपलब्धता, न्यायालय में लंबित कानूनी मामलों, समय बाधित मामलों इत्यादि के कारण होता है।

(ग) अनुदेश जारी कर दिए गए हैं तथा इस प्रयोजन के लिए निर्धरित मार्ग निर्देशनों के तहत पात्र अभ्यार्थियों को शीघ्रातिशीघ्र अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए हर संभंव प्रयास करने के लिए समय-समय पर उनको दोहरा दिया जाता है बहरहाल, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की समय - सीमा का निर्धारण मुश्किल है क्योंकि ऐसे बहुत से कारकों, जिनका रेलवे प्रशासन से संबंध नहीं होता, की वजह से विलंब हो सकता है।

### इस्पात क्षेत्र द्वारा निवेश

**1978. श्री अरविन्द कांबले :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी/निजी इस्पात क्षेत्र द्वारा संयंत्रवार अलग-अलग कितना निवेश किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनसे संयंत्रवार कितने प्रतिशत मुनाफा कमाया गया;

(ग) मुनाफा कमाने में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में अत्यधिक अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इसे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) से (घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर. आई. एन. एल.) के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कुल निवेश और अर्जित किए गए लाभ का वितरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए)

| संयंत्र | 1995-96 | | 1996-97 | | 1997-98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | निवेश | लाभ | निवेश | लाभ | निवेश | लाभ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **सेल संयंत्र** | | | | | | |
| भिलाई इस्पात संयंत्र | 284 | 819 | 419 | 684 | 402 | 701 |
| दुर्गापुर इस्पात संयंत्र | 422 | (-)174 | 180 | (-)236 | 111 | (-)509 |
| राउरकेला इस्पात संयंत्र | 1213 | (-)57 | 679 | (-)316 | 753 | (-)374 |
| बोकारो इस्पात लि० | 600 | 806 | 1052 | 357 | 630 | 367 |
| मिश्र इस्पात संयंत्र | 9 | 1 | 16 | (-)67 | 12 | (-)88 |
| सेलम इस्पात संयंत्र | 141 | 4 | 6 | (-)38 | 6 | (-)120 |
| इस्को, बर्नपुर | 48 | (-)49 | 48 | (-)213 | 12 | (-)395 |
| वी.आई.एस.एल.भद्रावती | 41 | (-)37 | -- | (-)102 | 6 | (-)84 |
| **आर.आई.एन.एल.** | | | | | | |
| विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र | 209 | (-)204.27 | -- | (-)1245.94 | -- | (-)176.73 |

नोट:- (-) चिन्ह वाले आंकड़े हानि को दर्शाते हैं।

निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के संबंध में सरकार अलग-अलग इकाइयों द्वारा किए गए लाभ का प्रबोधन नहीं करती है।

**उत्तर प्रदेश में लंबित रेल परियोजनाएं**

**1979. श्री अशोक प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में नई रेल लाईन बिछाने के लिए केन्द्र सरकार के पास कितनी परीयोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं, परियोजना-वार कितने समय से लम्बित पड़ी हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) शीघ्र मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया तेज करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) उत्तर प्रदेश से नई रेलवे लाइन बिछाने हेतु फिलहाल केवल एक परियोजना लंबित है।

(ख) इटावा से मैनपुरी तक नई लाइन, के निर्माण का कार्य पूरक बजट 1997-98 में शामिल किया गया था। लम्बित अवधि जुलाई 1997 में पूरक बजट से आज तक है।

(ग) और (घ) परियोजना को बजट में शामिल करने से पहले सर्वेक्षण नहीं किया गया था और अब चूंकि यह पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट योजना आयोग को उनके विचारार्थ भेजी जा रही है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् यह कार्य शुरू किया जाएगा।

**छोटे विमानों की सेवाएं शुरू करना**

**1980. श्री पंकज चौधरी :**
**डा० अशोक पटेल :**
**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
**श्री रामपाल सिंह :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में क्षेत्रीय सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए टैक्सी के रूप में छोटे विमानों को शुरू करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने तथा सेवाएं शुरू की जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (ग) विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने तथा देश के विभिन्न प्रदेशों के विमान परिवहन सेवाओं की जरूरत पर विचार करने के उद्देश्य से मार्ग-वितरण दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी अनुसूचित प्रचालकों को पूर्वोत्तर-प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप (श्रेणी-2 मार्ग) में उनके प्रतिनियुक्त क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत ट्रंक मार्गों (श्रेणी-1 मार्ग) पर, 1 प्रतिशत क्षमता जिसे श्रेणी-2 मार्गों पर लगाया गया है को सिर्फ श्रेणी-2 स्टेशनों पर ही लगाया जाना है, और श्रेणी-1 मार्गों पर दी गई क्षमता का 50 प्रतिशत श्रेणी-2 स्टेशनों पर ही लगाया जाना है, और श्रेणी-1 मार्गों पर दी गई क्षमता का 50 प्रतिशत श्रेणी - 2 के अलावा अन्य भागों (श्रेणी-3 मार्ग) पर लगाया जाना है।

तथापि, छोटे/अलाभकर सेक्टरों पर सेवाओं को व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत छोटे विमान (55 सीटर तक) के प्रचालकों को प्रोत्साहन/रियायतें देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

*[अनुवाद]*

**स्वर्ण अयस्क अपशिष्ट से स्वर्ण निकालना**

**1981. श्री के.एच. मुनियप्पा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में एकत्र किए गए स्वर्ण अयस्क अपशिष्ट को पुनः संसाधित करके स्वर्ण प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन एकत्र किए गए अपशिष्ट से सोना निकाला जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) से (ग) मैसर्स इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इंवेश्मेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (आई सी आई सी आई), जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था, द्वारा अक्टूबर, 1996 में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 77.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक धातुकर्मीय संयंत्र स्थापित करके 33 मिलियन टन पछोड़नों से लगभग 12 टन सोना निकाला जा सकता है । यह परियोजना प्रचालन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास योजना का एक भाग था। सरकार ने प्रचालन एजेंसी की इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने जून, 1997 में एक निजी सह-संवर्धक (संवर्धकों) को शामिल करके संयुक्त उद्यम रूट की मार्फत भारत गोल्ड माइंस लि० (बी.जी.एम.एल.) के पुनर्वास की संभावनाओं का पता लगाने का निणर्य लिया। तदनुसार एक समिति का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। बी.जी.एम.एल. के भिविष्य का निर्णय रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अनिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**खनन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश**

**1982. डा० अशोक पटेल :**
**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
**श्री के.एस. राव :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के एककों का निजीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजीकरण करने के कारण क्या हैं; और

(ग) निजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) से (ग) इस विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई भारत एल्यूमिनियम कंपनी के मामले में, विनिवेश आयोग ने, चरणों में, विनिवेश का अनुमोदन किया था यानी 40 प्रतिशत इक्विटी की महत्वपूर्ण भागीदार को, तत्काल बिक्री, फिर, दो वर्षों के भीतर-भीतर सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक लाना और कुछ समय पश्चात उसे घरेलू बाजार में जारी करके समाप्त कर देना। इस पर सरकार द्वारा विचार किया गया। लेकिन, बाद में, विनिवेश आयोग ने सिफारिश की है कि सरकारी इक्विटी के 51 प्रतिशत या अधिक की, प्रारंभिक चरण ही में, प्रबंधन के हस्तांतरण सहित, महत्वपूर्ण खरीददार को पेशकश की जाए। यह सरकार के विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के मामले में, विनिवेश आयोग ने कुछ पुनर्निर्माण सहित 51 प्रतिशत सरकारी इक्विटी की महत्वपूर्ण भागीदार को पेशकश करने की सिफारिश की है। यह सरकार के विचाराधीन है।

### से द्वितीय श्रेणी का वातानुकूलित सवारी डिब्बा हटाना

**1983. श्री ब्रजमोहन राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बरकाकाना - पटना के बीच चलने वाली 3347/3348 पलामू एक्सप्रेस से द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित सवारी डिब्बा हटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त डिब्बा पुनः कब से लगाया जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां।

(ख) स्थान का उपयोग कम किए जाने के कारण।

(ग) फिलहाल पालामऊ एक्सप्रेस में ए.सी. द्वितीय शयनयान की बहाली वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

*[अनुवाद]*

### व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करना

**1984. श्री विट्ठल तुपे :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1996-97, 1997-98, 1998-99 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निमार्ण हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार को अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो पूरा हिस्सा जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) हिस्से की बकाया राशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न हीं नहीं उठते।

### वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के लिए हेलीकाप्टर सेवा

**1985. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार का ध्यान 10 सितम्बर, 1998 के "द पायनियर" में "पवन हंस वेट्स इन द विंग्स-डिसप्यूट ओवर फ्लाइटस टु वैष्णो देवी यट टु बि सैटल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों पर सरका की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले के संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) इस मामले के समाधान के लिए की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कटरा में विद्यमान हेडीपेड के बारे में इस समय जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। फलतः, पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि० (पी एच एच) ने माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल बोर्ड (एम वी डी एस बी) को उनके विनिर्देश के अनुसार कटरा में किसी वैकल्पिक कार्य-स्थल पर हेलीपैड विकसित करने के संबंध में लिखा है। एक बार हेलीपैड उपलब्ध होने पर, पी एच एल की कटरा-सांझीछत-कटरा सेक्टर पर, यात्री संख्या को देखते हुए, दैनिक उड़ानें तथा जम्मू-सांझीछत-जम्मू सेक्टर पर एक दैनिक उड़ान प्रचालित करने की योजना है ।

### कोंकण रेलवे में भूस्खलन

**1986. श्री पी.सी.थामस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी सहित कोंकण तथा अन्य लाइनों के कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण यातायात बाधित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कारण जान-माल की हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कायक्रर्म कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां।

**(ख) इस वर्ष कोंकण रेलवे में कुल 135 भूस्खलन तथा शिलाखंड गिरने की घटनाएं हुई जिनमें से 43 घटनाएं भूस्खलन तथा शेष 92 घटनाएं शिलाखंड गिरने से संबंधित थी आवश्यक मरम्मत कर दी गई है तथा गाड़ी सेवाएं बहाल कर दी गई थीं।**

दक्षिण रेलवे पर भी तिरूवनंतपुरम-नागरकोइल खंडों पर भूस्खलन संबंधी बड़ी घटनाएं हुई थीं जिनसे यातायात में बाधा हुई। भूस्खलन 5.11.98 को हुए थे। इस खंड पर फिलहाल पुनर्स्थापनासंबंधी कार्य चल रहा है तथा दिसंबर, 1998 के मध्य तक यातायात बहाल किए जाने की आशा है।

(ग) कोंकण रेलवे पर किसी की जान नहीं गई बहरहाल, 42 लाख रुपये की सम्पत्ति का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। दक्षिण रेलवे पर किसी की जान नहीं गई थी तथा संपत्ति को भी कोई हानि नहीं हुई। बहरहाल पुनस्थापित तथा निवारक कार्यों की लागत लगभग 5 करोड़ रुपये है।

**इस्पात विकास निधि के ऋण**

1987. **श्री के० येरननायडू :**
**श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने सरकार से अपनी रुग्ण अनुषंगी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के पुनरुद्धार के बावजूद इस्पात विकास निधि के ऋण को माफ करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान ऋण इक्विटी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इस्को तथा अलॉय स्टील प्लांट के परिचालानात्मक पुनर्गठन की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परिचालानात्मक पुनर्गठन के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्को में कुल कितनी धनराशि निवेश की जायेगी?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वित्तीय पुर्नगठन संबंधी सिफारिशों के आधार पर सेल ने अपने वित्तीय पुनर्गठन हेतु सरकार से सम्पर्क किया है जिसमें मुख्यत: इस्पात विकास निधि ऋण/भारत सरकार ऋण से अचल परिसम्पत्तियों का ब्याज पूँजी में लगाने तक अपलेखन, ऋणों को बट्टे खाते डालने और सेल द्वारा इस्को आदि को दी गई अग्रिम राशि के लिए राहत की परिकल्पना की गई है। 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार सेल के खाता में इस्पात विकास निधि की 6069 करोड़ रुपये की घनराशि बकाया थी। उपर्युक्त प्रस्ताव में परिकल्पना की गई है कि इस्को का तुलन पत्र संतुलित हो जाएगा और इससे पुनरुद्धार हो जायेगा।

31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार सेल का देयता साम्या अनुपात 2.34 : 1 था।

(ग) से (ड.) **(i) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में नियोजित प्रचालनात्मक पुनर्गठन**

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने संयंत्र को पूरी तरह से बी. ओ एफ. रूट के माध्यम से चलाने और सतत ढलाई सुविधा के संबंध में पूर्ण क्षमता उपयोगिता का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई है।

**(ii) मिश्र इस्पात संयंत्र में नियोजित प्रचालनात्मक पुनर्गठन**

मिश्र इस्पात संयंत्र ने बाजार आवश्यकताओं और मौजूदा माल सूची के अनुसार उत्पादन को नियोजित किया है।

(iii) चूंकि इस्को को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी. आइ.एफ.आर.) को संदभिर्त कर दिया गया है। अत: इसके आधुनिकीकरण के लिए शुरू की जाने वाली कोई भी योजना इस संबंध में बी. आई. एफ. आर. के आदेशों के अनुरूप ही हागी।

**सेलम-करूर रेल लाइन के लिये भूमि**

1988. **श्री के. पी. मोहन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र के अन्तर्गत सलेम -- करूर नई बड़ी रेल लाईन की अपेक्षित भूमि सौंप दी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या दक्षिणी रेलवे ने उक्त परियोजना के लिये वांछित भूमि जल्दी सौंपने के सम्बंध में तमिलनाडु सरकार से अनुरोघ किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दक्षिणी रेलवे की क्या प्रत्रिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी हां। दक्षिण रेलवे राज्य सरकार के साथ मामले पर कार्यवाही कर रही है।

*[हिन्दी]*

**पटना और गया विमानपत्तनों का उन्नयन**

1989. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक भी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन नहीं है,

(ख) क्या सरकार पटना और गया विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी, और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (ग) पटना विमानपत्तन को पहले ही सीमित अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आदर्श विमानपत्तन के रूप में विकसित किया जा चुका है। गया विमानपत्तन एक प्रचालनात्मक विमानपत्तन हैं। चूंकि अभी तक गया विमानपत्तन के लिए किसी विमानकंपनी ने उड़ानें प्रचालित करने के विषय में कोई रुचि नहीं दिखाई है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस समय तक इस विमानपत्तन को विकसित करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

*[अनुवाद]*

**दिल्ली-मदुरई के बीच सीधी रेलगाड़ी**

1990. **डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क) क्या सरकार को नई दिल्ली और मदुरई के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) से (ग) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई थी परन्तु दिल्ली और मदुरै के बीच परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल पूरी गाड़ी चलाना संभव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**कुंडेर कोछा स्वर्ण खान से सोना निकालना**

**1991. डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल :**
**श्री राम टहल चौधरी :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुंडेर कोछा स्वर्ण खान से करोड़ों रुपए की कीमत का सोना अवैध तरीके से निकाला गया है या निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस)** : (क) से (ग) जी, नहीं। खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की स्कीम के अनुसार अवैध खनन को रोकने का प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों का है। बिहार के कुंडेर कोछा क्षेत्र से अवैध रूप से सोना निकालने के बारे में विभिन्न स्रोतों से रिपोर्टें प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार ने बिहार सरकार से इस मामले के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। बिहार सरकार द्वारा अपर निदेशक, खनन (मुख्यालय) तथा अपर निदेशक भूविज्ञान, रांची के संयुक्त रूप से गठित जांच दल की रिर्पोट से यह पता चला कि इस क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं किया गया है और काफी अरसे से इस स्थल पर किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। जांच दल ने बताया है कि बहुत पुराने संभवत: 1948 से पूर्व के खनन कार्य किए जाने के सबूत पाए गए हैं। उप आयुक्त जिला पूर्वी सिंहभूम द्वारा अलग से भेजी गई रिपोर्ट से भी यह पता चला कि इस क्षेत्र में कोई अवैध खनन कार्य नहीं किया गया है।

**हिमाचल प्रदेश के युवाओं की भर्ती**

**1992. श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रक्षा बलों में तुलनात्मक रूप से तभी से कम संख्या में भर्ती किया जा रहा है जब से इस प्रयोजनार्थ जनसंख्या को आधार बनाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कुछ समय पहले यह आश्वासन दिया था कि रक्षा बलों में हिमाचल प्रदेश के युवाओं की कम संख्या में हुई भर्ती की भरपाई हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भर्ती, करके की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित पिछले तीन वर्षो, के दौरान राज्यवार सशस्त्र बलों में कितने जवानों की भर्ती की गई; और

(घ) उक्त राज्य से निकट भविष्य में कितने युवाओं को भर्ती किए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) से (घ) नौसेना में नौसैनिकों तथा वायुसेना में वायुकर्मियों की भर्ती अखिल भारतीय योग्यता-क्रम के आधर पर की जाती है और राज्यों को कोई विशिष्ट कोटा आबंटित नहीं किया जाता है। तथापि, सेना में जवानों की भर्ती प्रत्येक राज्य की भर्ती-योग्य पुरुष आबादी के अनुपात के आधार पर की जाती है, जो 1972 में शुरू की गई थी। भर्ती योग्य पुरुष आबादी, कुल पुरुष आबादी का वह अनुपात है, जो सेना में भर्ती के वास्ते निर्धारित आयु सीमाओं और न्यूनतम शैक्षिक मानदंडों की गुणात्मक अपेक्षाओं को पूरा करता है। यह कुल पुरुष आबादी की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त की जाती है। हिमाचल प्रदेश की भर्ती - योग्य पुरुष आबादी 0.60 प्रतिशत है।

2. पिछले तीन भर्ती वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से सेना में भर्ती किए गए जवानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इस अवधि में हिमाचल प्रदेश से सेना में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :-

| वर्ष | भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या | कुल भर्ती का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1995-96 | 3356 | 3.85 |
| 1996-97 | 2481 | 4.32 |
| 1997-98 | 1811 | 4.42 |

3. यह दृष्टव्य है कि हिमाचल प्रदेश में 0.60 प्रतिशत के भर्ती योग्य पुरुष आबादी के अनुपात के मुकाबले वहां 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में वास्तविक भर्ती क्रमश: 3.85 प्रतिशत, 4.32 प्रतिशत और 4.42 प्रतिशत की गई।

4. 1998-99 के दौरान, सेना ने हिमाचल प्रदेश को उसकी भर्ती योग्य पुरुष आबादी के हिस्से के रूप में 1388 रिक्तियां जारी की हैं।

**विवरण**

*पिछले तीन वर्षों में राज्यवार भर्ती*

| क्रं. सं. | राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | भर्ती वर्ष 1995-96 | भर्ती वर्ष 1996-97 | भर्ती वर्ष 1997-98 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आसाम | 2157 | 1187 | 762 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 3276 | 2862 | 1809 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 42 | 66 | 101 |
| 4. | बिहार | 5807 | 4069 | 2721 |
| 5. | गोवा | 12 | 17 | 08 |
| 6. | गुजरात | 1841 | 890 | 700 |
| 7. | हरियाणा | 5381 | 2945 | 2468 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 3356 | 2481 | 1811 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 6097 | 2144 | 1967 |
| 10. | केरल | 2322 | 1816 | 1135 |
| 11. | कर्नाटक | 2712 | 2135 | 1278 |
| 12. | महाराष्ट्र | 8198 | 4262 | 2920 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 2137 | 1754 | 1519 |
| 14. | मणिपुर | 578 | 286 | 368 |
| 15. | मेघालय | 215 | 164 | 125 |
| 16. | मिजोरम | 131 | 95 | 117 |
| 17. | नागालैंड | 129 | 183 | 370 |
| 18. | उड़ीसा | 2110 | 1294 | 889 |
| 19. | पंजाब | 6456 | 4394 | 3740 |
| 20. | राजस्थान | 6052 | 4601 | 2835 |
| 21. | सिक्किम | 13 | 21 | 16 |
| 22. | तमिलनाडु | 4315 | 2845 | 1936 |
| 23. | त्रिपुरा | 129 | 137 | 82 |
| 24. | उत्तर पद्रेश | 15402 | 11926 | 8155 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 5838 | 3292 | 1900 |
| 26. | अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह | 81 | 92 | 64 |
| 27. | चंडीगढ़ | 07 | 26 | 04 |
| 28. | दिल्ली | 327 | 157 | 191 |
| 29. | दादरा एवं नगर हवेली | - | - | - |
| 30. | लक्षद्वीप | - | - | 49 |
| 31. | पांडिचेरी | 11 | 03 | - |
| 32. | नेपाल | 2126 | 1201 | 919 |
| 33. | लाहुल स्पीति | - | 49 | - |
| | कुल | 87258 | 57394 | 40959 |

*[अनुवाद]*

### लूणी-बाड़मेर-मुनाबाई रेल लाईन का आमान परिवर्तन

**1993. कर्नल सोना राम चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लुणी-बाड़मेर-मुनावाई छोटी रेल लाईन के आमान परिवर्तन का काम कब शुरू हो जाएगा तथा इस पर कब से यातायात शुरू हो जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और नौवीं योजना के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

### दिल्ली विकास प्राधिकरण में घोटाले

**1994. श्री सुरेश वरपुडकर :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अगस्त, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डीडीए विजिलेंस चीफ इन आई आफ प्रेश स्कॅडल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) और (ख) जी, हाँ। अधिकारी के खिलाफ कुछ शिकायतें मिलने पर सी.बी.आई. द्वारा प्रारंभिक जांच की गई थी और सी.बी.आई.की रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी को दिनांक 18.8.1998 से निलंबित कर दिया गया है।

### नेशनल अल्यूमीनियम कंपनी को घाटा

**1995. श्री नादेन्दला भास्कर राव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल अल्यूमीनियम कंपनी को अपने स्मेलटर संयंत्र में अनेक "पोट्स" के खराब कार्यकरण के कारण भारी हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कंपनी को कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस)** (क) जी, हां।

**(ख) पोटों की खराबी के कारण, 31 अक्टूबर, 1998 तक 50539 टन एल्यूमिनियम की उत्पादन हानि हुई तथा 95.40 करोड़ रू. के अनुमानित करोत्तर लाभ से वंचित रहना पड़ा।**

(ग) और (घ) सरकार ने नालको के अंगुल स्थित प्रगालक संयंत्र में पोट की खराबी की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर, दोषी कर्मचारियों का पता लगाया गया है। निर्धारित प्रकिया के अनुसार, उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।

### डिफेंस (रक्षा) वेबसाइट के अपहरण में पाकिस्तानी हाथ

**1996. श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटील :**
**श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :**
**श्री गुरूदास कामत :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आई॰एस॰आई॰ एजेंटों ने हमारे डिफेंस (रक्षा) वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लिया है और [illegible] प्रचार-प्रसार करने का प्रयत्न किया है;

[illegible] आई.एस.आई. एजेंटो को हमारे कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में घुसने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) आई॰एस॰आई॰ द्वारा हमारे रक्षा वैबसाइट को उठा लेने के प्रयास के बारे में कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है। तथापि, उनके इस घटना में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी विषमताओं की पुनरावृत्ति न हो, इन्टरनिक को सलाह दी गई है कि वास्तविकताओं को सत्यापित किए बिना मापदण्डों को न बदला जाए। इसके अतिरिक्त विशेष उपाय के रूप में एक सुरक्षा ताला वैबसाइट पर लगाया गया है। वैबसाइट को पूर्णतया बहाल किया गया है और यह कार्य कर रहा है ।

*[हिन्दी]*

### हवाई जहाजों का अपहरण

**1997. श्री राम शकल :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 से लेकर 1997 तक सरकार की जानकारी में लाई गई हवाई जहाजों के अपहरण के मामलों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) वर्ष 1994 से 1997 तक की अवधि के दौरान विमान अपहरण की मात्र एक घटना घटित हुई थी। दिनांक 13.1.1994 को श्री एम॰ अनंत कुमार नामक एक यात्री द्वारा इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आईसी-995 का उस समय अपहरण किया गया था जब यह उड़ान चेन्नई से 1530 बजे प्रस्थान करने के बाद कालीकट-मस्कट के लिए मार्ग पर थी। इसमें कुल 65 व्यक्ति सवार थे जिनमें से 56 यात्री और 9 केबिन/काकपिट कर्मी थे। विमान को बंगलौर हवाई अड्डे पर उतारा गया।

(ख) श्री एम॰ अनंत कुमार के विरुद्ध आई पी सी की धारा 281/448/506 तथा अपहरण-विरोध अधिनियम, 1982 की धारा 3 तथा 4 के अधीन केस दर्ज किया गया था। इस समय, यह मामला न्यायाधीन है ।

*[अनुवाद]*

### पवनहंस हैलिकाप्टर्स लिमिटेड द्वारा ऋण माफ करने हेतु अनुरोध

**1998. श्री आर॰एस॰ गवई :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पवन हंस हैलीकाप्टर्स लिमिटेड से 200 करोड़ रुपये का ऋण ब्याज सहित माफ करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) पवन हंस हैलिकाप्टर्स लिमिटेड (पी एच एच एल) ने सरकार से वेस्टलैंड हैलीकाप्टर्स के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए प्रभारों के प्रति 31.3.1998 तक 265.23 करोड़ रुपये संचित देयता को बट्टे खाते में डालने के बारे में अनुराध किया है।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

### बेसमेंट का उपयोग

**1999. श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूरेलाल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजधानी में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बेसमेंट का उपयोग करने वाली ऊंची इमारतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर श्री भूरे लाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से एक प्राधिकरण अर्थात् पर्यावरणीय (निवारण और प्रदूषण नियन्त्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्राधिकरण द्वारा बेसमेन्ट को प्रयोग करने की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) और (घ) मास्टर प्लान और संगत अधिनियमों की शर्तों के अर्न्तगत स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बेसमेन्ट के दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाई की जाती है।

### कार्गो के विलंब शुल्क प्रभार में वृद्धि

**2000. श्री दिन्शा पटेल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कार्गो के विलंब शुल्क प्रभार में संशोधन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इसे और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

(घ) क्या कार्गो की पहचान करने में बहुत अधिक समय लग जाता है, और

(ङ.) यदि हां, तो सरकार द्वारा कार्गो की पहचान करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्रधिकरण द्वारा 1.6.98 से विलंब शुल्क प्रभारों की दरों में संशोधन किया गया था और उन्हें अधिसूचित कर दिया गया था इनके ब्योरे संलग्न विवरण में हैं। तथापि निर्यात-आयात व्यापार से प्राप्त प्रतिवेदनों को ध्यान में रखकर 1.11.98 से आयतित कार्गो के नि:शुल्क क्लियरेंस का समय उड़ान के आगमन की तारीख सहित बढ़ाकर 5 कार्य दिवस कर दिया गया है। जिसमें उड़ान के आगमन की तारीख भी शामिल है। अगले दो दिन विलंब शुल्क 1 रु० प्रति किलोग्राम प्रतिदिन की नाममात्र दर पर चार्ज किया जाएगा और जो गैर-संचयी आधार पर होगा, लेकिन 7 दिन की अवधि के बाद (अवतरण की तारीख सहित) उड़ान के आगमन की तारीख से संपूर्ण अवधि के लिए बिलंब शुल्क, पहले से ही अधिसूचित दर पर तथा वर्तमान में लागू दर पर आरंभ हो जाएगा।

(ग) दिल्ली विमानपत्तन पर एक संयुक्त उपक्रम के रूप में एक समानान्तर कार्गो काम्पलेक्स की स्थापना किए जाने के लिए "सिद्धांत रूप से" अनुमोदन कर दिया गया है जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा पैदा होगी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो काम्पलेक्स और नये संयुक्त उपक्रम कार्गो काम्पलेक्स दोनों अपनी-अपनी ओर से कार्य करेंगे और वे निर्यातकों/आयातकों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

*आयात*

**I. टर्मिनल, मण्डारण और प्रोसेसिंग प्रभार**

| कार्गो की किस्म | दर |
|---|---|
| सामान्य कार्गो | प्रति किलोग्राम 3.50 रु. (न्यूनतम 100/- रुपये) |
| विशेष कार्गो | प्रति किलोग्राम 7.00 रु. (न्यूनतम 200/- रुपये) |

**II. विलंब शुल्क प्रभार**

| कार्गो की किस्म | अवधि | दर | |
|---|---|---|---|
| सामान्य कार्गो | नि:शुल्क अवधि सहित 7 दिन तक | प्रतिदिन प्रति किलोग्राम 1/- रु. | |
| | 8 से 30 दिनों के बीच | प्रतिदिन प्रति किलोग्राम 2/- रु. | न्यूनतम 250/- रु. |
| | 30 दिनों से आगे | प्रतिदिन प्रति किलोग्राम 3/- रु. | |
| विशेष कार्गो | नि:शुल्क अबधि सहित 7 दिन तक | प्रतिदिन प्रति किलोग्राम 2/- रु. | |
| | 8 से 30 दिनों के बीच | प्रतिदिन प्रति किलोग्राम 4/- रु. | न्यूनतम 500/- रु. |
| | 30 दिनों से आगे | प्रतिदिन प्रति किलोग्राम 6/- रु. | |
| मूल्यवान कार्गो | नि:शुल्क अवधि सहित 7 दिन तक | प्रतिदिन प्रति किलोग्राम 8/- रु. | |
| | 8 और 30 दिनों के बीच | प्रतिदिन प्रति किलोग्राम 8/- रु. | न्यूनतम 1000 रु. |
| | 30 दिनों से आगे (अधिक) | प्रतिदिन प्रति किलोग्राम 12/- रु. | |

**टिप्पणी :-**

1. सामान्य कार्गो के संबंध में बिना बिलंब शुल्क के नि:शुल्क अवधि 3 कैलेंडर दिवस अथवा 2 कार्य दिवस होगी। साथ लाए जा रहे सामान के संबंध में नि:शुल्क अवधि 5 कैलेंडर दिवस होगी।
2. मानव अस्थियां, मृत व्यक्ति के सामान के साथ ताबूत और मानव नेत्र के प्रेषण को टीएसपी और विलंब शुल्क प्रभारों से छूट प्राप्त होगी।
3. अलग से कोई "फोर्कलिफ्ट" प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
4. कुल भार अथवा प्रेषण के वास्तविक भार पर, जो भी अधिक हो, प्रभार वसूला जाएगा।
5. विशेष कार्गो में कोल्ड स्टोरेज, नाशवान, जीवित पशु और खतरनाक सामान आता है।
6. मूल्यवान कार्गो में सोना, बहुमूल्य धातु, करेंसी नोट, प्रतिभूतियां शेयर, शेयर कूपन, यात्री चेक, हीरे (औद्योगिक) प्रयोग के लिए हीरों सहित), हीरे जवाहरात, जवाहरात और चांदी, सोना, प्लेटिनियम से निर्मित घड़ियां और 1000 अमरीकी डालर प्रति किलोग्राम (सकल भार) और इससे अधिक मूल्य की मदें आती हैं।

7. उपरोक्त वर्णित निःशुल्क अवधि का लाभ केवल तब ही उठाया जा सकता है जब कार्गो को निःशुल्क अवधि में क्लीयर कर दिया जाये। यदि कार्गो को निःशुल्क अवधि में क्लीयर नहीं किया जाता है, तब सम्पूर्ण अवधि के लिए टैरिफ के अनुसार प्रभार वसूला जाएगा।

*निर्यात*

1. **टर्मिनल, भंडारण और प्रोसेसिंग प्रभार :**

| कार्गो की किस्म | दर |
|---|---|
| सामान्य/नाशवान कार्गो | प्रति किलोग्राम 0.55 रु. (न्यूनतम 100/- रु.) |
| विशेष कार्गो | प्रति किलोग्राम 1.10 रुपए (न्यूनतम 200/- रु.) |

2. **विलंब शुल्क प्रभार :**

| | दर |
|---|---|
| सामान्य/नाशवान कार्गो | प्रतिदिन प्रति किलोग्राम 0.55 रु. (न्यूनतम 100/- रु.) अथवा प्रति दिन प्रति मीट्रिक टन 550/- रु. |

**टिप्पणी :-**

1. निर्यातकों /सीमा शुल्क क्लीयरेंस एजेंटों को, ट्रक डाक पर निर्यात सामान को उतारने और इसे जांच क्षेत्र में ले जाने के लिए अपनी स्वयं के कर्मचारियों को लाने की अनुमति होगी। जांच क्षेत्र से ब्राउंडेड क्षेत्र को उतारे जाने वाले सामान की आवाजाही का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। टर्मिनल, भंडारण और प्रोसेसिंग प्रभारों में 10 प्रतिशत की छूट उन निर्यातकों/कार्गो हैंडलिंग एजेंटों को दी जाएगी जो कार्गो को जांच क्षेत्र तक हैंडलिंग के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन शिपर्स/कार्गो हैंडलिंग एजेंटों को इस प्रकार के कार्य-कलापों के लिए ट्रक-डाक पर इन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करेगी ज़ो अपने कर्मचारियों को नहीं लाते।

2. समाचार पत्रों और टी.वी. रीलों के प्रेषणों के संबंध में लागू सभी प्रभारों में 50 प्रतिशत रियायत।

3. मानव अस्थियां, मृत व्यक्ति के सामान के साथ ताबूत और मानव नेत्र के प्रेषण को "टी.एस.पी. और विलंब शुल्क प्रभारों" से छूट प्राप्त होगी।

4. अलग से कोई "फोर्कलिफ्ट" प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

5. कुल भार अथवा प्रेषण के वास्तविक भार पर, जो भी अधिक हो, प्रभार वसूला जाएगा ।

6. जांच क्षेत्र और बाउंडेड क्षेत्र दोनों पर प्रत्येक में निःशुल्क अवधि 1 कार्य दिवस होगी (अर्थात 24 घंटे) अधिकृत शिपर्स अधिसूचना के अंतर्गत उपलब्ध कूलिंग - आफ अवधि से छूट के क्रियान्वयन के बाद संशोधित निःशुल्क अवधि लागू हो जाएगी। तब तक पहले से लागू स्थिति जारी रखी जाएगी।

**शहरी ढांचागत परियोजनायें**

**2001. श्री माधवराव पाटील : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को शहरी ढांचागत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने हेतु क्या प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से शहरी अवस्थापना के वित्तपोषण के लिए 150 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक राशि के ट्रस्ट फण्ड के रूप में राज्य स्तर पर फाइनेंशियल इन्टरमिडियरी स्थापित करने का एक प्रस्ताव मिला था। ट्रस्ट फण्ड का प्रबंध 1 करोड़ रुपए की इक्विटी से एसेट मेनेजमेंट कम्पनी द्वारा किया जाना था। वित्तीय संस्थानों अर्थात एच.डी.एफ.सी. आई.सी.आई. और आई.एल. एण्ड एफ.एस. को मिलकर प्रारम्भिक राशि का 10 प्रतिशत और एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी की इक्विटी का 51 प्रतिशत अंशदान करना था। शेष 49 प्रतिशत राशि का अंशदान मुम्बई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.) और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाना था।

प्रस्ताव को दिसम्बर, 1996 में विश्व बैंक को भेजा गया था। तथापि, अप्रैल, 1997 में विश्व बैंक ने सभी सम्बन्धित एजेंसियों को सलाह दी थी कि जब तक संस्थागत प्रबंधों पर करारों को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक परियोजना तैयारी कार्य को रोक दें।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के लिए निम्नलिखित दो प्रस्ताव भेजे थे :-

(1) 891 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर महाराष्ट्र जल आपूर्ति तथा सीवरेज परियोजना-चरण-II; तथा

(2) 750 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बाम्बे IV (मध्य वैतरण) जल आपूर्ति परियोजना

उपर्युक्त प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजे गए थे। विश्व बैंक ने अब तक उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता मंजूर नहीं की है। इसी बीच राज्य सरकार को, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, योजना आयोग, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) आदि की आवश्यक मंजूरी लेने के लिए परामर्श दे दिया गया है।

**गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशाप का दर्जा बढ़ाना**

**2002. श्री टी.आर. बालू : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिचि स्थित गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशाप को पूर्णरूपेण वैगन निर्माण फैक्ट्री का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय रेलवे की वैगन की मांग और आपूर्ति का जोनवार ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नही उठता.

(ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

माल लदान लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए रेल परिवहन को मांग का मिलियन टनों में मूल्यांकन किया जाता है और यह अनुमान मालडिब्बों की संख्या के हिसाब से नही लगाया जाता है।

वर्ष 1998-99 में लिए लदान के जोन-वार लक्ष्य और अप्रैल-अक्तूबर, 1998 तक किया गया लदान निम्नानुसार है :-

| रेलवे | लक्ष्य 1998-99 | लक्ष्य (अक्तूबर 1998 तक) | वास्तविक लदान (अक्तूबर 1998 तक) |
|---|---|---|---|
| मध्य | 46.00 | 25.70 | 24.96 |
| पूर्व | 81.50 | 46.10 | 42.32 |
| उत्तर | 26.50 | 15.60 | 14.90 |
| पूर्वोत्तर | 2.50 | 1.20 | 1.21 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 6.50 | 3.25 | 3.19 |
| दक्षिण | 30.50 | 16.90 | 16.48 |
| दक्षिण मध्य | 46.50 | 25.40 | 23.04 |
| दक्षिण पूर्व | 178.00 | 101.20 | 93.01 |
| पश्चिम | 32.00 | 17.30 | 17.20 |
| जोड़ | 450.00 | 252.65 | 236.31 |

लक्ष्य की तुलना में लदान में कमी मुख्यत: अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जिसमें बिजली, कोयला, खाद्यान्न, सीमेंट, उर्वरक और इस्पात शामिल हैं, से प्रारंभ में मांग के निर्धारित स्तर में गिरावट के कारण है।

**इस्ट कोस्ट एक्प्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना**

2003. **श्री भर्तृहरि मेहताब** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर 1998 के दौरान उड़ीसा में बारंग के निकट इस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, इसमें कुल कितने लोग मारे गए तथा कितनी सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की दुर्घटना को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड को कार्य आदेश**

2004. **प्रो॰ रीता वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन्स लिमिटैड द्वारा कितने मूल्य के कार्य आदेश प्राप्त हुए हैं; और

(ख) एच॰एस॰सी॰एल॰ द्वारा प्राप्त किए गए उन कार्य आदेशों का कार्यवार ब्यौरा क्या है जो अन्य एजेंसियों के माध्यम से निपटाए गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की प्राप्त हुए कार्य आदेशों का मूल्य निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये)

| वर्ष | कार्य आदेशों का मूल्य |
|---|---|
| 1995-96 | 295 |
| 1996-97 | 340 |
| 1997-98 | 339 |
| कुल : | 974 |

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**भूमि सुधार**

2005. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्यों में भूमि सुधार के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या भूमि सुधार को अपेक्षित स्तर से बहुत कम स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील)** : (क) जी, हां।

(ख) 17 सितम्बर, 1998 को आयोजित राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न भूमि-सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा की गई जिसमें अधिकतम सीमा से ज्यादा भूमि, भूदान में प्राप्त भूमि, तथा सरकारी बंजरभूमि का वितरण सम्मिलित है तथा उपर्युक्त उन सभी भूमि को जो सभी प्रकार के ऋण भार से मुक्त है की वितरण की प्रक्रिया को पूरा करने की अनुशंसा की। सम्मेलन में अन्य संक्रामित जन-जातीय भूमि के पुन: स्थापन के लिए एक विशेष योजना चलाने की आवश्यकता तथा इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी पर जोर दिया गया।

(ग) और (घ) भूमि सुधार कार्यक्रम कोई अकेला कार्यक्रम नहीं है। इसके अंतर्गत भूमि सुधार की व्यापक गतिविधियां सम्मिलित हैं, अत: विभिन्न भूमि-सुधार गतिविधियों की उपलब्धियां कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक 75.0 लाख एकड़ क्षेत्रफल [illegible] रूप में घोषित किया जा चुका है जिसमें से [illegible] का स्वामित्व प्राप्त कर लिया गया है तथा [illegible] भूमि 54.60 लाख लाभार्थियों के बीच बांटी जा चुकी है जिसमें से 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी बंजरभूमि का 144.96 लाख एकड़ तथा भूदान वाली भूमि का 25.61 लाख एकड़ भी पात्र ग्रामीण गरीबों के बीच बाटां जा चुका है। पुन: 124.22 लाख काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार दिया जा चुका है अथवा उनके अधिकारों का 163.51 लाख एकड़ भूमि पर संरक्षण प्रदान किया गया है। अब तक 1782.70 लाख एकड़ क्षेत्रफल का चकबंदी किया जा चुका है। अन्य संक्रामित जन जातीय भूमि के 91.50 लाख एकड़ में से 63.57 लाख एकड़ भूमि उनको पुन: लौटा दी गई है।

**खाड़ी-त्रिवेन्द्रम-मुम्बई क्षेत्र के लिए एयर इंडिया का भाड़ा**

**2006. प्रो॰ पी.जे. कुरियन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी-त्रिवेन्द्रम-मुम्बई क्षेत्र के लिए एअर इंडिया का किराया यूरोप और अमेरीका क्षेत्र के किराये से बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी किराये का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किराये को और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमान मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**श्वेत पत्र और स्थिति पत्र का प्रकाशन**

**2007. श्री गिरिधर गमांग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय द्वारा ''श्वेत पत्र'' और ''स्थिति पत्र'' प्रकाशित किए जाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इन दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर अब तक क्या उपाय शुरू किए गए हैं;

(ग) रेल मंत्रालय द्वारा नई ''ब्राड गेज'' लाइनों का निर्माण करने, ''मीटर गेज'' और ''नैरो गेज'' रेल लाइनों को ''ब्राड गेज'' में बदलने और अलाभकारी लाइनों को लाभकारी लाइनों में बदलने के लिए क्या नीति अपनाई गई है; और

(घ) किन-किन ''मीटर गेज'' और ''नैरो गेज'' रेल लाइनों को जोनवार नौवीं योजना में ''ब्राड गेज'' में बदलने के लिए पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है या सम्मिलित किया जाना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) श्वेत पत्र के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं के वित्तपोषण में रेलों के सामने आ रही समस्याओं, कतिपय परियोजनाओं की धीमी प्रगति के वास्तविक कारण उजागर करना था ताकि ये समस्याएं सभी द्वारा समझी जा सकें।

भारतीय रेलों पर स्थिति पत्र ने न केवल रेल उपयोगकर्ताओं, परिवहन विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, समाचार जगत के प्रतिनिधियों, विधायकों और जीवन के सभी वर्गों के व्यक्तियों अपितु भारतीय रेलों की भूमिका और निष्पादन से संबंधित रेल प्रबंधको के मस्तिष्कों में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहा है। भारतीय रेलों से जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रेलों से बाहर के स्रोतों से समर्थन के क्षेत्रों सहित प्रणाली के लिए निरंतर उच्च विकास की रूपरेखा के लिए एक नीति प्रस्तुत की गई है। भारतीय रेलों की मजबूती और सुदृढ़ता पर भारी प्रभाव डालने वाले और राष्ट्रीय बहस के माध्यम से आम राय की आवश्यकता रखने वाले कतिपय आधारभूत मुद्दों पर इस पत्र में विस्तार से परिचर्चा की गई है। यह रेलों के सामने आ रही समस्याओं पर राष्ट्रीय बहस करवाने और उनके समाधान के लिए एक प्रयास है।

(ख) नई लाइनों, आमान परिवर्तन परियोजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण किया जा चुका है और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ताकि वांछनीय गति से विभिन्न कोटियों में परियोजनाओं की प्रगति के लिए उपलब्ध संसाधनों का युक्तिसंगत वितरण किया जा सके और परियोजनाओं की पूरी सूची में संसाधनों के कम वितरण, जिससे अनुवर्ती समय और लागत में वृद्धि के साथ सभी परियोजनाओं में विलंब होने की संभावना है, से बचा जा सके।

स्थिति पत्र का व्यापक वितरण किया गया है और कई विचार-विमर्शों, संगोष्ठियों, प्रस्तुतीकरणों और प्रेस सम्मेलनों के माध्यम से स्थिति पत्र में उजागर किए गए मुद्दों पर परिचर्चा की गई है।

(ग) 1. 1980 में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा नई लाइन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नीति प्रतिपादित की गई थी। इस नीति में उल्लेख किया गया है कि नई लाइनों को निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार शुरू किया जाए :-

(i) अयस्कों और अन्य संसाधनों के दोहन के लिए नए उद्योगों को सेवित करने के लिए परियोजनोन्मुखी लाइनें,

(ii) मौजूदा संतृप्त मार्गों पर संकुलन कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को पूरा करने के लिए अनुपलब्ध संपर्क,

(iii) सामरिक कारणों से अपेक्षित लाइनें; और

(iiv) नए विकास केन्द्रों की स्थापना अथवा दूरस्थ क्षेत्रों तक संपर्क बनाने के लिए लाइनें।

2. "एक-आमान" परियोजना के अंतर्गत आमान परिवर्तन शुरू करने के लिए मार्गों के चयन के लिए जिस नीति का अनुपालन किया गया, वो इस प्रकार है :-

(i) वैकल्पिक बड़ी लाइन मार्ग विकसित करने के लिए उन लाइनों का आमान परिवर्तन शुरू करना जिससे इन मार्गों पर मौजूदा बड़ी लाइनों के दोहरीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाए।

(ii) उन स्टेशनों के बीच नए बड़ी लाइन संपर्क स्थापित करने के लिए जो अन्य बड़ी लाइनों से जुड़े हुए हैं।

(iii) पत्तन, औद्योगिक केन्द्रों और विकास की संभावना रखने वाले स्थलों तक नए बड़ी लाइन संपर्क स्थापित करने के लिए।

(iv) सामरिक दृष्टि से अपेक्षित लाइनों का आमान परिवर्तन शुरू करना।

(v) यानांतरण बिन्दुओं पर विलंब से बचकर माल डिब्बा फेरे बढाना, यानांतरण को न्यूनतम करना और।

3. अलाभप्रद शाखा लाइनों पर हानि कम करने के उद्देश्य से रेलों द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

3.1 कर्मचारियों की संख्या में कटौती

(i) स्टेशनों को ठेकदार द्वारा चालित हाल्टों में ग्रेडोवनत करना

(ii) जहां एक खण्ड में किसी समय पर केवल एक ही गाड़ी हो सकती है वहां - केवल एक इंजन - प्रणाली की शुरूआत। इससे ब्लॉक कार्यप्रणाली की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और इससे कर्मचारियों की आवश्यकता कम हो जाती है।

(iii) केवल दिन के समय चलने वाली गाड़ियों सहित गाड़ी सेवाओं की कटौती, रविवार और अन्य अवकाशों आदि पर गाड़ियों का रद्दकरण।

(iv) खण्ड पर चल रही गाड़ियों में चल टिकट परीक्षक/बुकिंग क्लर्कों द्वारा यात्री टिकट जारी किया जाना।

3.2 निम्ननिखित के माध्यम से अवसंरचना में कटौती :

(i) साइडिंगों का उखाड़ा जाना।

(ii) सिगनल उपस्करों का उखाड़ा जाना।

बहरहाल, इन उपायों का अपनाए जाने के बाबजूद इन लाइनों को अर्थक्षम बनाने की संभावना अत्यंत क्षीण है क्योंकि इन लाइनों पर यातायात का घनत्व अत्यंत कम है।

3.3 उपर्युक्त के आलावा, निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं. :-

(i) चुनिंदा मीटर लाइन/छोटी लाइनों का बड़ी लाइन में बदलाव।

(ii) रेल बस सेवाओं की शुरूआत।

(iii) कतिपय लाइनों पर पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन देने के लिए जहां इसके लिए संभावना है, विशेष उपाय करना।

(iv) यात्री यातायात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निम्नलिखित पर्वतीय खण्डों में यात्री किरायों के लिए प्रभार्य दूरी में वृद्धि को हटाना:-

| | | |
|---|---|---|
| *कालका | - | शिमला |
| *पठानकोट | - | जोगिन्दरनगर |
| *मेट्टूपलायम | - | उदगमंडलम |
| *सिलीगुडी | - | दार्जिलिंग |

(घ) बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए पहले शामिल की गई लाइनों का ब्यौरा श्वेत पत्र में प्रस्तुत है। 9वीं योजना के शेष वर्षों में शुरू की जाने वाली लाइनों का अभी तक विनिश्चय नहीं किया गया है।

## सशस्त्र बलों के लिए एक रैंक एक पेंशन

**2008. श्री सत्यपाल जैन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा बलों के सेवानिवृत्त कार्मिक लम्बे समय से "एक रैंक एक पेंशन" की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार का क्या रुख है तथा कब तक इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा; और

(ग) ऐसे सभी सेवा निवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तथा अन्य पेंशन संबंधी लाभ देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डिज) :** (क) और (ख) जी, हां। "एक रैंक एक पेंशन" दिए जाने की मॉग पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।

(ग) पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने पेंशन, परिवार पेंशन तथा युद्ध में मारे जाने वाले सेना कर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रही अदायगी को संशोधित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

*[हिन्दी]*

## भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें

**2009. श्री अजीत जोगी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिकों से कैन्टीन, पेंशन, अस्पताल, अन्य कल्याण संबंधी और सेवा निवृत्ति सुविधाओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों, विशेषकर उड़ीसा से प्राप्त शिकायतों, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों से कई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। ये शिकायतें/अभ्यावेदन आम तौर पर भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन, कैंटीन सुविधाओं, चिकित्सा सेवा तथा अन्य संबद्ध मामलों से संबंधित होते हैं। उड़ीसा राज्य से पेंशन से संबंधित 57 और अन्य कल्याणकारी उपायों संबंधी 77 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें दूर करने के लिए प्रत्येक मामले में यथाउपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

*[अनुवाद]*

## इंडियन एयरलाइंस के बुकिंग कार्यालयों को बंद करना

2010. **श्री तारिक अनवर :**
**[illegible] कामत :**

[illegible] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस अलाभकर उड़ानों में कमी करने तथा राज्यों में बुकिंग कार्यालयों को बंद करने सहित व्यय में कटौती करने के उपायों पर धीमी गति से कार्य कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस अपने नेटवर्क की सभी उड़ानों के भार और आर्थिक निष्पादन पर लगातार निगरानी रखती है तथा आर्थिक दृष्टि से सुधार करने के लिए या तो उड़ानों के मार्ग पुन: निश्चित करके या उन्हें युक्ति संगत बनाकर या कभी-कभी उड़ानों को पूर्णरुपेण काट कर उपचारी कार्रवाई करती है।

जहां तक बुकिंग कार्यालयों को बंद करने का संबंध है, इंडियन एयरलाइंस ने व्यय में कटौती के उपाय के तौर पर अपने कुछ बुकिंग कार्यालय बंद कर दिए हैं।

जहां भी संभव है, कंपनी व्यय में कटौती करने हेतु लगातार प्रयास कर रही है कंपनी ने लागत नियंत्रण/मितव्ययिता के जो उपाय किए हैं उन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है।

### विवरण

*लागत नियंत्रण/मितव्ययिता के उपाय*

1. विलंब/उड़ानों के अस्त-व्यस्त होने/अवरोध दूर करने से संबंधित कार्मों के अलावा अन्य कार्मों के लिए समयोपरि पर पूर्ण रोक।
2. सीधी भर्ती पर रोक।
3. इंजीनियरिंग से संबंधित व्यय में कमी।
4. विमानचालकों के अनियोजित एस ओ डी घंटों पर रोक।
5. कार्यालयों में देर तक बैठते/साप्ताहिक अवकाश के दिनों/अवकाश के दिनों में कार्यालय आने की मनाही।
6. चल रही परियोजनाओं के सिवाय अन्य कामों पर अगले छह माह के लिए पूंजी के व्यय पर रोक।
7. जिस शहर में एक से अधिक बुकिंग कार्यालय है वहां उन्हें बंद करना तथा इन स्थानों पर हैंडलिंग एजेंट नियुक्त करना।
8. बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित घरेलू सम्मेलनों/सेमीनारों/प्रशिक्षणों में भाग लेने पर पूर्ण रोक।
9. व्यय कम करने हेतु कर्मीदल के सदस्यों के लिए होटल सुविधा की समीक्षा।
10. प्रचार ओर बिक्री संबर्धन व्यय में कमी।
11. अलाभकार उड़ानों की समीक्षा।
12. एक घंटे तक की उड़ानों के लिए डिब्बाबंद भोजन लेना तथा अतिरिक्त वस्तुओं के दिए जाने में कमी।
13. विमान ईंधन अपभोग में मितव्ययिता जैसे कि ईंधन को टैंकरों में भरना, उड़ान योजनाओं की मॉनिटरिंग करना।
14. अंशकालिक/नैमित्तिक/दिहाड़ी/संविदा आधार पर नियुक्तियों पर प्रतिबंध।
15. बाहर के स्टेशनों पर इंजीनियरों की 15 दिन के लिए अस्थायी तैनाती की समीक्षा।
16. कार्यक्रमों को प्रायोजित करने और उनके लिए नि:शुल्क टिकटें देने पर रोक।
17. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी उसी दिन वापसी की उड़ान पकड़े, यात्रा व्यय/होटल सुविधा में कमी।
18. विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों/सेमीनारों पर रोक।
19. ऋणों पर रोक (गृह निर्माण/वाहन/विविध ऋण)।
20. अगले छह महीनों तक गैर फ्रंट लाइन कर्मचारियों को वर्दी न देना।

## विद्युतीकरण में प्रगति

2011. **श्री तथागत सत्पथी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वतट रेल जोन में रेल लाइनों के विद्युतीकरण की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ग) तेलचर-संभलपुर, राऊरकेला-संभलपुर तथा तेलचर-पारादीप रेल लाइनों के विद्युतीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (ङ) जी हां, पूर्व तटीय रेलवे जोन के

खड़गपुर-भुवनेश्वर (540 मार्ग किमी) और भुवनेश्वर-कोट्टवालासा (426 मार्ग किमी) खंडों पर रेलवे विद्युतीकरण कार्य को मंजूरी दे दी गई है। कोट्टवालासा-अलामंडा खंड (21 मार्ग किमी) पर कार्य पूरा हो चुका है। राऊरकेला-झारसुगुडा खंड जो कि राऊरकेला-संबलपुर लाइन का भाग है, पहले ही विद्युतीकृत हो चुका है। फिलहाल, झारसुगुडा-संबलपुर और तालचेर-संबलपुर रेलवे लाइनों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, तालचेर-पारादीप खंड पर खड़गपुर-भुवनेश्वर विद्युतीकरण परियोजना का एक भाग है और इस खंड पर कार्य शुरू भी हो चुका है। दोनों परियोजनाओं के मार्च 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

## भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ठेका मजदूरों को नियमित करना

2012. **श्री जोगेन्द्र कवाडे :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार झाड़ू, पोचा तथा सफाई आदि के कार्य में लगे ठेका मजदूरों को एअर इंडिया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निममित किया गया है; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 6.12.1996 के आदेश का अनुपालन करते हुए एयर इंडिया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2409 ठेका मजदूरों को नियमित किया गया है। इनमें से 1067 श्रमिक अनुसूचित जाति के, 9 अनुसूचित जनजाति के और 257 अन्य पिछड़े वर्गों में से थे।

## रामानगरम के पास उपरिपुल का निर्माण

2013. **श्री के.सी. कोंडय्या :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-मैसूर सैक्शन में रामानगरम रेलवे स्टेशन के पास रेल फाटक पर एक उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां।

(ख) रामानगरम रेलवे स्टेशन के निकट समपार संख्या 36 के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य को वर्ष 1996-97 के रेल बजट में राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। कार्य के विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

## बांध का पुनर्निर्माण

2014. **श्रीमती मिनाती सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी जिले में स्थित धुप बुरी में जलढाका नदी के पूर्वी ओर रेलवे के टूटे बांध के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जल ढाका नदी के दोनों किनारों (पश्चिम तथा पूर्व) पर मार्जिनल बांध से तटबंध बने हुए हैं। रेलवे टूटे हुए भाग का मरम्मत का कार्य प्रारंभ नहीं कर सकती है क्योंकि मार्जिनल बांध रेलवे की भूमि पर स्थित नहीं है और यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है।

## सियाचिन में भारतीय सेना चौकी पर कब्जा करने का पाकिस्तान का प्रयास

2015. **श्री अजय कुमार एस सरनायक :**
**डा० उल्हास वासुदेव पाटील :**
**श्री सी०डी० गामीत :**
**डा० रवि मल्लू :**
**श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :**
**श्री डी०एस० अहिरे :**
**श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर में एक चौकी पर कब्जा करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान पाकिस्तान द्वारा किए गए ऐसे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दोनों तरफ घायल होने या मरने वाले लोगों का घटना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) से (घ) पिछले छः महीनों के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेसियर के पश्चिम में सालतोरो रेंज पर हमारी चौकियों पर कब्जा करने के दस प्रयास किए थे। हताहतों की संख्या सहित उन प्रयासों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

| प्रयास | हताहतों की संख्या | |
|---|---|---|
| | पाकिस्तान | भारत |
| (क) 02 सितंबर, 98 | - | - |
| (ख) 04 सितंबर, 98 (दो प्रयास) | - | - |
| (ग) 18 अक्तूबर, 98 | 2-3 मारे गए | - |
| (घ) 27 अक्तूबर, 98 | 5 मारे गए | - |
| (ड.) 29 अक्तूबर, 98 | 2 मारे गए | - |
| (च) 01 नवंबर, 98 | 2 मारे गए | - |
| (छ) 02 नवंबर, 98 (दो प्रयास) | — | 1 अन्य रैंक जख्मी हुआ |
| (ज) 03 नवंबर, 98 (दो प्रयास) | 2 मारे गए | - |

पाकिस्तान की ओर से अकारण गोलीबारी का हमारी सैन्य टुकड़ियां समुचित जवाब देती हैं।

### निजी एयरलाइन्स

**2016. श्री डी॰एस॰ अहिरे :**
**श्री डी॰सी॰ कोडय्या :**
**श्री के॰ येरन नायडु :**
**श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

**क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कार्य कर रही निजी एयरलाइंस और उनके हवाई मार्ग का ब्यौरा क्या है,

(ख) भिन्न-भिन्न मार्गों पर उनके प्रचालन की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड अपनाया जा रहा है,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उक्त प्रत्येक निजी एयरलाइन्स से कितनी आय हुई,

(घ) क्या सरकार क्षेत्रीय आधार पर निजी एयरलाइन्स को बढ़ावा [illegible] है, और

[illegible] तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) इस समय केवल दो निजी अनुसूचित एयरलाइनें अर्थात मैसर्स जैट एयरवेज और मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स प्रचालन कर रही हैं। दोनों निजी अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित मार्गों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विमान यातायात सेवाओं के बेहतर संचालन करने और देश में विभिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये हैं। इनमें सभी अनुसूचित प्रचालकों को पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (श्रेणी-2) पर अपनी क्षमता में से कम से कम 10 प्रतिशत ट्रंक मार्गों (श्रेणी-1 मार्ग) पर, श्रेणी-2 मार्गों पर लगाये जाने वाली क्षमता का। प्रतिशत विशुद्ध रूप से श्रेणी-2 स्टेशनों पर, और श्रेणी-1 मार्गों पर लगायी जाने वाली क्षमता का 50 प्रतिशत, श्रेणी-1 और श्रेणी-2 मार्गों को छोड़कर (अर्थात श्रेणी-3 मार्गों पर) लगाया जाना अपेक्षित होता है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न विमानपत्तन प्रभार वसूल करता है और राजस्व विभाग अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर के रूप में राजस्व अर्जित करता है। राज्य सरकारें भी विमानन टरबाईन ईंधन पर बिक्री कर वसूलती है जो 0 प्रतिशत से 30.55 प्रतिशत के बीच होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एकत्र किये गये विमानपत्तन प्रभारों और अंतर्देशीय विमान यात्रा कर के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-II और III पर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) छोटे विमान (55 सीटों वाले) के प्रचालन के लिए प्रोत्साहन/रियायतें दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

### विवरण-I

*सहारा इंडिया एयरलाइन्स*

| स॰ | मार्ग | संख्या | मार्ग |
|---|---|---|---|
| 1 | बंगलौर-दिल्ली | 14 | दिल्ली-लखनऊ |
| 2 | बंगलौर-मुम्बई | 15 | दिल्ली-पटना |
| 3 | चैन्ने-दिल्ली | 16 | गोवा-दिल्ली |
| 4 | दिल्ली-बंगलौर | 17 | गोवा-मुम्बई |
| 5 | दिल्ली-चैन्ने | 18 | लखनऊ-दिल्ली |
| 6 | दिल्ली-मुम्बई | 19 | लखनऊ-मुम्बई |
| 7 | मुम्बई-बंगलौर | 20 | मुम्बई-गोवा |
| 8 | मुम्बई-दिल्ली | 21 | मुम्बई-पटना |
| 9 | दिल्ली-गुवाहाटी | 22 | मुम्बई- वाराणसी |
| 10 | गुवाहाटी-दिल्ली | 23 | पटना-लखनऊ |
| 11 | डिब्रूगढ़-गुवाहाटी | 24 | पटना-वाराणसी |
| 12 | गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ | 25 | वाराण्सी-दिल्ली |
| 13 | दिल्ली-गोवा | 26 | वाराणसी-लखनऊ |

जेट एयरवेज

| स॰ | मार्ग | संख्या | मार्ग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बंगलौर-कलकत्ता | 14 | दिल्ली-हैदराबाद |
| 2 | बेगलौर-दिल्ली | 15 | दिल्ली-मुम्बई |
| 3 | बंगलौर-मुम्बई | 16 | हैदराबाद-दिल्ली |
| 4 | कलकत्ता-बंगलौर | 17 | हैदराबाद-मुम्बई |
| 5 | कलकत्ता-चेन्ने | 18 | मुम्बई-बंगलौर |
| 6 | कलकत्ता-दिल्ली | 19 | मुम्बई-कलकत्ता |
| 7 | कलकत्ता-मुम्बई | 20 | मुम्बई-चेन्ने |
| 8 | चेन्नै-कलकत्ता | 21 | मुम्बई-दिल्ली |
| 9 | चेन्ने-दिल्ली | 22 | मुम्बई-हैदराबाद |
| 10 | चेन्ने-मुम्बई | 23 | मुम्बई-त्रिवेन्द्रम् |
| 11 | दिल्ली-बंगलौर | 24 | त्रिवेन्द्रम्-मुम्बई |
| 12 | दिल्ली-कलकत्ता | 25 | बागडोगरा-दिल्ली |
| 13 | दिल्ली-चेन्नै | 26 | कलकत्ता-गुवाहाटी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27 | कलकत्ता-जोरहाट | 58 | दिल्ली-पुणे |
| 28 | दिल्ली-गुवाहाटी | 59 | गोवा-मुम्बई |
| 29 | दिल्ली-जम्मू | 60 | हैदराबाद-बंगलौर |
| 30 | दिल्ली-श्रीनगर | 61 | हैदराबाद-कलकत्ता |
| 31 | गुवाहाटी-कलकत्ता | 62 | हैदराबाद -चेन्नै |
| 32 | जम्मू-दिल्ली | 63 | इन्दौर-मुम्बई |
| 33 | जोरहाट-कलकत्ता | 64 | जयपुर-दिल्ली |
| 34 | श्रीनगर-दिल्ली | 65 | जयपुर-मुम्बई |
| 35 | गुवाहाटी-बागडोगरा | 66 | लखनऊ-दिल्ली |
| 36 | जम्मू-श्रीनगर | 67 | मंगलौर-बंगलौर |
| 37 | श्रीनगर-जम्मू | 68 | मंगलौर-मुम्बई |
| 38 | अहमदाबाद-मुम्बई | 69 | मुम्बई-अहमदाबाद |
| 39 | अहमदाबाद-दिल्ली | 70 | मुम्बई-औरंगाबाद |
| 40 | औरंगाबाद-मुम्बई | 71 | मुम्बई-भुज |
| 41 | बंगलौर-चेन्नै | 72 | मुम्बई-कालीकट |
| 42 | बंगलौर-हैदराबाद | 73 | मुम्बई-कोचीन |
| 43 | बंगलौर-मंगलौर | 74 | मुम्बई-कोयम्बतूर |
| 44 | बंगलौर-पुणे | 75 | मुम्बई-गोवा |
| 45 | भुज-मुम्बई | 76 | मुम्बई-इन्दौर |
| 46 | कलकत्ता-हैदराबाद | 77 | मुम्बई-जयपुर |
| 47 | कालीकट-कुम्बई | 78 | मुम्बई-मंगलोर |
| 48 | चेन्ने-बेंगलौर | 79 | मुम्बई-पुणे |
| 49 | चेन्ने-कोयम्बतूर | 80 | मुम्बई-राजकोट |
| 50 | चेन्ने-हैदराबाद | 81 | मुम्बई-बडोदरा |
| 51 | चेन्ने-त्रिवेन्द्रम् | 82 | पुणे-मुम्बई |
| 52 | कोचीन-मुम्बई | 83 | पुणे-बंगलौर |
| 53 | कोयम्बतूर-चैन्ने | 84 | पुणे-दिल्ली |
| 54 | कोयम्बतूर-मुम्बई | 85 | राजकोट-मुम्बई |
| 55 | दिल्ली-इलाहाबाद | 86 | त्रिवेन्द्रम-चेन्ने |
| 56 | दिल्ली-जयपुर | 87 | वडोदरा-मुम्बई |
| 57 | दिल्ली-लखनऊ | | |

**विवरण–II**

*वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निजी एयरलाइनों से अर्जित आय की राशि*

(लाख रुपयों में)

| क्रंसं॰ | एयरलाइनों के नाम | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एरियल एयरवेज | 3.09 | 2.24 | 2.85 |
| 2. | अर्चना एयरवेज | 99.66 | 37.72 | 63.33 |
| 3. | ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस | 1559.37 | 140.35 | 161.22 |
| 4. | जेट एयरवेज | 4401.96 | 6350.12 | 9462.14 |
| 5. | जैगसन एयरलांइस | 19.18 | 11.42 | 10.00 |
| 6. | मैगापोड एयरलांइस | 4.90 | 4.89 | 3.57 |
| 7. | मोदी लुफ्त लि॰ | 1720.90 | 1070.77 | 246.79 |
| 8. | एन इ पी सी एयरलांइस | 1079.96 | 1125.45 | 202.85 |
| 9. | राज एयरवेज | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | सहारा इंडिया एयरलांइस | 1236.69 | 1074.85 | 1965.93 |
| 11. | स्काइलाइन एन इ पी सी एयरलांइस | 1791.27 | 1529.26 | 233.66 |
| 12. | यू पी एयरवेज | 120.43 | 246.46 | 210.29 |
| 13. | वी आई एफ एयरवेज | 23.43 | 5.73 | 3.75 |
| 14. | एलपी ऐयरवेज | 40.52 | 73.00 | 84.37 |
| 15. | गुजरात ऐयरवेज | 28.82 | 106.28 | 127.44 |
| 16. | ब्यू डार्ट एविएशन | 78.59 | 167.38 | 171.10 |
| 17. | स्पेन एविएशन | 5.24 | 22.64 | 72.82 |
| 18. | ट्रांस भारत एविएशन प्रा०लि० | 11.07 | 11.86 | 25.74 |
| 19. | ऐस एयरवेज | 5.18 | 6.91 | 8.91 |
| 20. | सिटी लिंक ऐयरवेज | 0.03 | 0.00 | 0.020 |
| 21. | कैन्टीनैन्टल एयर लिंक प्रा॰लि॰ | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | ईर्स्टन एयरवेज | 4.38 | 5.48 | 6.46 |
| 23. | इंडिया इन्टरनेशनल एयरवेज | 12.38 | 13.77 | 14.40 |
| 24. | के सी वी एयरलांइस | 2.20 | 2.61 | 2.08 |
| 25. | माल्स देवघर एयरवेज | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | मैस्को | 0.54 | 0.41 | 6.79 |
| 27. | सराया एविएशन | 11.64 | 12.68 | 13.27 |
| 28. | बंगाल एयर | 0.00 | 0.00 | 6.36 |
| | योग | 12263.65 | 12022.28 | 13106.32 |

### विवरण-III

*राजस्व विभाग के आई ए टी टी में बढ़ोतरी*

(करोड़ रुपयों में)

| क्र॰ सं. | विमान कंपनियों के नाम | आई ए टी टी की बकाया राशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
| 1. | इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज | 0.36 | 0.58 | 0.35 |
| 2. | दिल्ली गल्फ एयरवेज एस पी लि॰ जव ए सी ए एयरवेज | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| 3. | ट्रांस भारत एविएशन | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| 4. | सराय एविएशन प्रा॰ लि॰ | 0.03 | 0.04 | — |
| 5. | अरचना एयरवेज | 1.33 | 0.49 | 0.84 |
| 6. | एरियल सर्विसेज प्रा॰ लि॰ | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| 7. | मोदी लुफत लि॰ | 20.61 | 8.65 | — |
| 8. | स्काइलाइंस एन ई पी सी | 24.26 | 10.44 | 1.74 |
| | [illegible]लाइंस | 7.46 | 5.52 | 0.62 |
| | [illegible]लाइंस | 0.36 | 0.27 | 0.58 |
| 11. | जेट एयरवेज | 49.10 | 86.36 | 118.90 |
| 12. | सहारा इंडिया एयरलांइस | 15.38 | 15.37 | 27.06 |
| 13. | ईस्ट-वेस्ट एयरलांइस | 5.10 | 0.66 | -- |
| 14. | मेगापोड एयरलांइस | 0.31 | 0.30 | 0.52 |
| 15. | यू पी एयरवेज | 0.62 | 2.14 | 1.06 |
| 16. | के सी वी एयरवेज | 0.01 | -- | -- |
| 17. | स्पेन एविएशन इंडिया लिमिटेड | 0.29 | 0.40 | 0.63 |
| 18. | वी आई एफ एयरवेज | 0.31 | -- | -- |
| 19. | गुजरात एयरवेज | 0.29 | 1.04 | 1.61 |
| 20. | मैस्को एयरलांइस | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| 21. | स्पेन एयर | 0.02 | 0.14 | 0.06 |
| 22. | रेमण्ड लिमिटेड | 0.02 | 0.33 | 0.95 |
| 23. | गोवा वेज | 0.03 | -- | -- |
| 24. | दिल्ली फ्लाइंग क्लब | -- | 0.01 | -- |
| 25. | ईस्ट इंडिया होटल्स | -- | 0.05 | 0.17 |
| 26. | इण्डामर कंपनी प्रा॰ लि॰ | -- | -- | 0.01 |
| 27. | विद्युत ट्रैवल सर्विसेस लि॰ | -- | -- | 0.08 |
| 28. | सेन्चुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इण्ड॰ लि॰ | -- | -- | 0.02 |
| | योग | 126.06 | 132.98 | 155.45 |

*[हिन्दी]*

### भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा लिए गए ऋण

**2017. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल वित्त निगम ने जापान निर्यात-आयात बैंक से वर्ष 1988 के दौरान 5.2 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लिया था?

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया था;

(ग) क्या ब्याज का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो मार्च 1998 के अंत तक इस ऋण की कुल बकाया राशि कितनी थी;

(ङ) क्या इस बची हुई ऋण राशि को लौटाने के लिए अतिरिक्त ऋण लेने का निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां, भारतीय रेल वित्त निगम लि॰ (आई आर एफ सी) ने 5.3% वार्षिक ब्याज की दर से जापान के निर्यात-आयात बैंक से 15 बिलियन जापानी येन के ऋण के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) अभी तक कुल 11.779 बिलियन जापानी येन की धनराशि प्राप्त की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) मार्च, 1998 तक बकाया ऋण की कुल धनराशि 9.297 बिलियन जापानी येन थी।

(ङ) और (च) जी हां, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, जो कि इस ऋण को सेवित कर रहा है पर ब्याज का भार कम करने के उद्देश्य से 3.5% वार्षिक ब्याज को कम दर से सिंडीकेट विदेशी मुद्रा ऋण के जरिए इतनी ही धनराशि जुटा करके मौजूदा बकाया 8.855 बिलियन जापानी येन की धनराशि को पुन: वित्त घोषित करने का फैसला किया गया है।

*[अनुवाद]*

### "विराट और विक्रांत" विमान वाहक को बदलना

**2018. श्री माधवराव सिंधिया :**
**श्री तथागत सतपथी:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विराट एवं विक्रांत को बदलने के लिए विमान वाहकों के निर्माण हेतु सरकार के निर्णय के अनुसरण में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) प्रस्तावित विमान वाहक की अनुमानित लागत क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) और (ख) भा० नौ० पो० विक्रांत के प्रतिस्थापन के लिए एक वायु रक्षा पोत के देश में ही निर्माण किए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। भा० नौ० पो० विराट अभी सेवा में है। प्रस्तावित वायु रक्षा पोत की लागत 1996 के मूल्यों पर लगभग 1700 करोड़ रुपए आंकी गई है।

*[हिन्दी]*

**मध्य प्रदेश स्थित गन कैरिज फैक्टरी में भर्ती पर प्रतिबंध**

**2019. श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्टरी (जी सी एफ) में कर्मचारियों की संख्या घटकर 60 प्रतिशत हो गई है जिसके परिणामस्वरूप कार्य की गुणवत्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है और फैक्टरी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भर्ती पर प्रतिबंध हटाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस पर लगे प्रतिबंध को कब तक हटाये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) से (घ) मध्य प्रदेश में तोप वाहक निर्माणी की मौजूदा कार्मिक संख्या उसकी स्वीकृत कार्मिक संख्या के 77.5% स्तर तक है। इस निर्माणी को भारतीय मानक ब्यूरो ने 1996 में आई एस जो 9002 प्रमाणन प्रदान किया है तथा यह निर्माणी निरीक्षण अभिकरण तथा प्रयोक्ताओं की संतुष्टि के अनुरूप निर्धारित मानकों को पूरा करती रही है। इस निर्माणी के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है क्योंकि इसमें उत्पादन गतिविधियां जारी हैं।

2. कार्मिकों की भर्ती पर कोई रोक नहीं है और मौजूदा कार्यभार, भावी लक्ष्यों, क्षति आदि के कारण रिक्त होने वाले पदों आदि जैसे सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर रिक्त पद भरे जा रहें हैं।

*[हिन्दी]*

**पट्टे पर खनन के लाइसेंस**

**2020. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
**श्री रामेश्वर पाटीदार :**
**श्री माधव राव पाटील :**
**श्री ए० वेंकटेश नायक :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों से संबंधित पट्टे के आधार पर खनन से संबंधित अनेक अभ्यावेदन स्वीकृति के लिए काफी समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों में कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) से (घ) खनिज रियायतें खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। उपरोक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायतों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार इनपर कार्रवाई करके इनका निपटान किया जाता है। केन्द्र सरकार का शीघ्र अनुमोदन देने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं, इसलिए ऐसे मामलों का समाधान किए जाने के लिए पूर्ण सूचना/अतिरिक्त सूचना भेजने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है।

वर्ष 1998-99 (1.4.98 से 30.11.98 तक) के दौरान खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिए गए खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने से संबंधित 102 मामलों का निपटान किया गया। 30.11.98 की स्थिति के अनुसार इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' के संबंध में खनन पट्टे प्रदान करने से संबंधित 3 मामले और भाग 'ख' तथा 'ग' के संबंध में खनन पट्टे प्रदान करने से संबंधित 68 मामले केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं। 30.11.98 की स्थिति के अनुसार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' और 'ख/ग' में निहित खनिजों के लिए खनन पट्टे देने हेतु सरकार के अनुमोदन के लिए लम्बित मामलों की सूची क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

**विवरण-I**

| राज्य | 30.11.1998 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामले |
|---|---|
| महाराष्ट्र | 1 |
| बिहार | 1 |
| राजस्थान | 1 |
| | 3 |

**विवरण-II**

| राज्य | 30.11.1998 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामले |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आन्ध्र प्रदेश | 22 |
| गुजरात | 08 |
| हरियाणा | 01 |
| हिमाचल प्रदेश | 01 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| कर्नाटक | 03 |
| मध्य प्रदेश | 10 |
| महाराष्ट्र | 04 |
| उड़ीसा | 09 |
| राजस्थान | 04 |
| तमिलनाडु | 06 |
| | 68 |

*[अनुवाद]*

### निकिल एक्सट्रेक्शन प्लांट

**2021. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

कार का विचार उड़ीसा में सुकिन्दा घाटी में ''निकेल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबेधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

### एअर इंडिया और इंडियन एयरलांइस में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी

**2022. डा॰ सुशील इन्दौरा:**
**श्री चंदु लाल अजमीरा:**
**श्रीमती गीता मुखर्जी :**
**श्री अजय चक्रवती:**
**श्रीमती जयन्ती पटनायक:**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों संगठनों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की अलग-अलग कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त कर्मचारियों की छंटनी के लिए कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की गई है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या उक्त कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई अन्य योजना भी तैयार की गई है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (च) यद्यपि एअर इडिया और इंडियन एयरलाइन्स में मूलत: किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों की अधिकता की पहचान नहीं हो पायी है तथापि, दोनों एयरलाइनों में विमान-कर्मचारियों का अनुपात अन्य विख्यात एयरलाइनों की अपेक्षाकृत अधिक है। किसी भी एयरलाइन्स में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दोनों एयरलाइनें समय-समय पर कर्मचारी बल के अधिक प्रभावी उपयोग हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार करती हैं।

*[अनुवाद]*

### विमान दुर्घटनाएं

**2023. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1.1.96 से 31.10.1998 तक भारतीय वायु क्षेत्र में कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई,

(ख) प्रत्येक घटना में जान-माल की कितनी हानि हुई, और

(ग) सरकार ने ऐसी घटनाएं रोकने कि लिए क्या कदम उठाए हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) 01.01.1996 से 31.10.1998 के दौरान (1996-12, 1997-14, 1998-16) भारतीय वायु क्षेत्र में 42 सम्भावित विमान दुर्घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं।

(ख) इन घटनाओं में जान या संपत्ति की कोई क्षति नहीं हुई थी।

(ग) सम्भावित विमान दुर्घटनाओं के निवारण हेतु उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं:-

(1) विमान यातायात नियंत्रकों के व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ाने हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(2) विमान यातायात नियंत्रकों की आवधिक दक्षता जांच।

(3) ए॰ टी॰ सी॰ टेंपों के ट्रॉसक्रिप्ट का मासिक आकस्मिक विश्लेषण जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमान यातायात नियंत्रक विमान को अनुदेश देते समय शब्दावलियों का उपयोग करते हैं और निर्धारित कार्य-विधि अपनाते हैं।

(4) ए॰ टी॰ सी॰ दुर्घटनाओं से सम्बद्ध विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई।

(5) दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर विमान यातायात सेवाओं का आधुनिकी-करण।

(6) उचित अनुरक्षण, दिक्चालनात्मक संचार और अवतरण सुविधाएं।

(7) विमान में वैमानिक टक्कर परिहार प्रणाली (ए॰ सी॰ ए॰ एस॰) तथा मोड एस ट्रांसपेडर का संस्थापन और

(8) अधिक उच्च घनत्व वाले मार्गों में रडार कैवरेज के लिए मोनो पल्स गौण निगरानी रडार (एम॰ एस॰ एस॰ आर॰) का संस्थापन।

*[अनुवाद]*

**शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं**

**2024. श्री ए॰ वेंकटेश नाइक :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक कर्नाटक की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना को सहयता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) अभी तक सहायता की कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(घ) क्या कर्नाटक के पश्चिम तटीय जिलों के विकास के लिए उस राज्य से एशियाई विकास बैंक की सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक की शहरी अवस्थापना विकास परियोजना (केयूआईडीपी) एक एकीकृत शहरी अवस्थापना और संस्थागत सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम है जिसे तेजी से फैल रहे बंगलौर नगर से दूर आर्थिक विकास के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए मैसूर, तम्मकुर, रामनगरम और वेन्नापटना जैसे चार शहरों में बुनियादी शहरी अवस्थापना और सेवाओं को मुहैया कराने और उनका उन्नयन करने तथा पूंजीनिवेश के स्थापित्व को सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय सरकारों और अन्य क्षेत्र की संस्थाओं की क्षमता का निर्माण करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

परियोजना की अनुमानित लागत 112 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से 85 मिलियन अमरीकी डालर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा दिए जाएंगे और शेष 27 मिलियन अमरीकी डालर कर्नाटक राज्य, शहरी स्थानीय सरकारें और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जुटाए जाएंगे। ऋण करार पर दिनांक 10-5-96 को हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा कम आय आवास परियोजना के घटक के वास्ते 20 मिलियन अमरीकी डालर ऋण के लिए ए॰ डी॰ बी॰ और हाउसिंग डेवेलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (एच॰ डी॰ एफ॰ सी॰) के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

परियोजना के बुनियादी घटकों में ये शामिल हैं:

(I) पर्यावरणीय स्वच्छता (II) सड़कों मे सुधार (III) गरीबी उपशमन (IV) औद्योगिक स्थल और सेवाऍं तथा (V) क्रियान्वयन सहायता और संस्थागत सुदृढ़ीकरण।

आज की तारीख तक परियोजना के विभिन्न घटकों के संबंध में 47.985 करोड़ रु॰ खर्च किए गए हैं।

(ग) एशियाई विकास बैंक ने कर्नाटक अरबन इन्फास्ट्रकचर डेवेलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन को 14.51 करोड़ रुपये की राशि की पुन: अदायगी की गई है जोकि परियोजन निष्पादन की एजेन्सी है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ.) और (च) कर्नाटक कोस्टल एनवाइरोमेन्टल मेनेजमेन्ट एण्ड अरबन डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट में कर्नाटक के पश्चिमी घाट के साथ 10 शहरों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया करने की परिकल्पना की गई है। एशियाई विकास बैंक ने कर्नाटक के पश्चिमी घाट के साथ 10 शहरों के सतत विकास की सुविधा हेतु ए॰ डी॰ बी॰ वित्तपोषण के लिए उपयुक्त परियोजना तैयार करने के प्रयोजन से तकनीकी सहायता के रूप में 800,000 अमरीकी डालर मुहैया कराए हैं। कन्सलटेन्ट्स ने परियोजनाओं की पहचान की है और व्यवहार्यता मसौदा रिपोर्ट पर के यूआईडीएफसी, राज्य सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में विचार किया गया था।

**कोंकण रेल निगम का कार्यनिष्पादन**

**2025. श्री संदीपान थोरात :**
**डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेल निगम द्वारा अपने कार्य निष्पादन की हाल ही में विस्तृत समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मानक मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्व बढ़ाने और समग्र कार्य निष्पादन में सुधार हेतु निर्धारित अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष तथा नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए तैयार की गई कार्य योजना तथा बाजार पर हावी होने की विपणन नीतियों का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां

(ख) बजट आंकड़ों तथा 30 सितंबर, 1998 को समाप्त छमाही की वास्तविकता के अनुसार निष्पादन समीक्षा से पता चलता है कि:-

(1) कोंकण रेलवे से अपने सीधे परिचालनिक खर्चों की राजस्व से पूरा होने की आशा है।

(2) कोंकण रेलवे वित्त व्यवस्था संबंधी लागतों को पूरा करने के लिए असक्षम है।

(ग) और (घ) निष्पादन में सुधार करने के लिए तैयार की गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं तथा बढ़ाए गए राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. **अल्पकालिक उपाय**

क. रेलवे ने छोटे मार्ग पर पैसेंजर गाड़ियां परिवर्तित करने के लिए तत्काल कारवाई की। इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर 2 नई गाड़ियां शुरू की गई हैं जिसमें कोंकण रेलवे के राजस्व में सुधार हुआ है।

ख. वाणिज्य मंडल के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं तथा माल यातायात के संचलन तथा इसे पुन: सड़क और यानो से आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन देते हुए सीमेंट, उर्वरक जैसे पण्यों की विशिष्ट सूची भेज दी गई है।

ग. रेल मंत्रालय ने 1998-99 के बजट में स्वीकृत ऋण के माध्यम से 50 करोड़ रुपये की धन संबंधी सहायता भी मुहैया कराई है।

2. **दीर्घ कालिक उपाय**

जोरदार विपणन योजनाओं को अपनाने की योजना है तथा इस प्रयोजन हेतु बिजनेस योजनाएं तैयार करने के लिए आई आई एम/अहमदाबाद की सहायता ली गई है। कोंकण रेलवे अगले 5 वर्षों में इस विपणन योजना के रूप में गुजरात तथा कोचीन् में बिजनेस कार्यालय खोलने के लिए योजना बना रही है।

1 वित्तीय दायिताओं तथा पुन: वित्त व्यवस्था के लिए बांडों को जुटाने का प्रस्ताव है।

2 माल यातायात को और अधिक आकर्षित करना।

3 अन्य साधनों से यातायात को रोकने हेतु ग्राहक अनुकूल सेवाएं देने में कोंकण रेलवे को सुदृढ बनाना।

4 कोंकण स्टार सेवाएं चलाना।

[illegible] आय सृजित करने के लिए यात्री/माल यातायात [illegible] स्फीति को युक्ति संगत बनाना।

**मैसूर रेल कार्यशाला के नए भवन का निर्माण**

**2026. श्री ए॰ सिदराज् :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर रेल कार्यशाला का प्रशासनिक भवन 40 वर्ष पुराना है;

(ख) यदि हां, तो क्या नया भवन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) नया भवन बनाने का कार्य कब से आरंभ किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं। इस इमारत का निर्माण 1963 में किया गया था तथा यह अच्छी हालत में है। कार्यालय के लिए उपलब्ध स्थान मौजूदा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**विदेशी प्रत्यक्ष निवेश**

**2027. श्री यू॰ वी॰ कृष्णमराजू :**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री सी॰ कुप्पुसामी :**
**श्री टी॰ गोविन्दन:**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी॰ ओ॰ टी॰, बी॰ ओ॰ एफ॰ टी॰, बी॰ ओ॰ ओ॰ या एल॰ डी॰ ओ॰ के संयुक्त उद्यमों के माध्यम से हवाई अड्डों की परियोजनाएं तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और

(ग) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि हवाई यातायात का प्रचालन और रख-रखाव जो अत्यंत सामरिक महत्त्व का विषय है, सरकारी एजेंसी के पास बनी रहेगी?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) ''एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति'' में परिकल्पित है कि विमानपत्तनों पर स्वामित्व केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, निजी कंपनियों तथा व्यक्ति विशेष के साथ-साथ उपर्युक्त में से एक अथवा अधिक के संयुक्त उद्यमों का हो सकता है। प्रबंधन के संबंध में सभी विकल्प जैसे स्वयं बनाओ-हस्तांतरण करो (बी ओ टी), स्वयं बनाओ-पट्टे पर हस्तांतरण करो (बी ओ एल टी), स्वयं बनाओ-स्वयं चलाओ (बी ओ ओ), पट्टे पर लो-विकसित करो-प्रचालित करो (एल डी ओ) अनुमत्य हैं। विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति 74 प्रतिशत तक तो स्वत: अनुमोदन से तथा विशेष मामलों में 100 प्रतिशत होगी।

(ग) फिलहाल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूरे देश में विमान यातायात सेवाएं प्रदान करता है। अप्रोच और ऐरोड्रम नियंत्रण सेवाऐं विमानपत्तन प्रचालकों द्वारा रखे गए अनुज्ञापित विमान यातयात नियंत्रकों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। इनको छोड़कर सामान्यतया ये सेवाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएंगी।

**रेल परियोजनाऐं**

**2028. श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहारनपुर-देहरादून, ऋषिकेश-देहरादून तथा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का वर्ष 1998 के आधर पर मानक लागत के अनुसार बिछाने पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ख) इनमें से कितनी रेल लाइनों पर सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ग) शेष रेल लाइनों पर सर्वेक्षण कार्य पूरा कब तक हो जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) देहरादून-सहारनपुर का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा इसकी रिपोर्ट को रेलवे के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। अन्य दो सर्वेक्षण भी चालू हैं। सहारनपुर-देहरादून लाइन को बिछाने के लिए 324.80 करोड़ रु॰ की लागत आएगी। अन्य दो लाइनों की लागत का पता सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही चल पाएगा।

(ख) सहारनपुर-देहरादून

(ग) निम्नलिखित तारीखों तक सर्वेक्षणों के पूरा होने की संभावना है:

| सर्वेक्षण | पूरा होने की संभावित तारीख |
|---|---|
| ऋषिकेष-देहरादून | 31.03.99 |
| ऋषिकेष-कर्णप्रयाग | 31.03.99 |

### चीन से खतरे का बोध

**2029. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :**
**श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :**

क्या **रक्षा-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन अपनी सीमाओं पर पूर्व अवरोधक सैन्य प्रहार क्षमता और 12,000 कि॰ मी॰ की दूरी तक प्रहार करने वाले अंतर-महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का विकास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने भारत के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो चीन द्वारा सीमाओं पर इन प्रक्षेपास्त्रों के लगाए जाने से उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) से (ग) ऐसी कोई पुष्ट खबर नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि चीन, भारत से लगी हुई अपनी सीमा पर पहले से ही सैन्य प्रहारक क्षमता स्थापित कर रहा है। तथापि, यह विदित है कि चीन के पास 600 कि॰मी॰ से 4750 कि॰मी॰ की दूरी तक प्रहार करने वाला मध्यम दूरी बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (आई॰ आर॰ एस-4) के 20 आई सी बी एम तथा 280 कि॰मी॰ से 1700 कि॰मी॰ की दूरी तक प्रहार करने वाले कम दूरी के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (एस आर बी एम) हैं। हाल की खबरों से यह पता चलता है कि चीन 12000 कि॰मी॰ की दूरी तक प्रहार करने वाले डी एफ-41 आई॰सी॰बी॰एम॰ सहित विभिन्न श्रेणियों मे अधिक गतिशील, अधिक दूरी तक प्रहार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों की एक नई पीढ़ी का विकास कर रहा है। इन प्रक्षेपास्त्रों को वर्ष 2010 तक तैनात किए जाने का कार्यक्रम है।

देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है तथा उनकी पुनरीक्षा की जाती है। सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनी रक्षा संबंधी तैयारी को बनाए रखने के वास्ते समुचित-उपाय भी किए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

### मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में नए विमानपत्तन

**2030. श्री रामेश्वर पाटीदार :**
**श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री अशोक प्रधान :**
**श्री शिवराज सिंह चौहान :**
**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को विमान सेवा के साथ जोड़ दिया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों, विभिन्न राजनीतिक संघों और जन-प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों में कुछ और विमानपत्तन बनाने का अनुरोध किया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई रचनात्मक कदम उठा रही है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, खजुराहो और रायपुर, उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ और वाराणसी और बिहार में पटना तथा रांची को विमान सेवाओं से जोड़ दिया गया है।

(ग) से (च) मुबारकपुर (जिला-आजमगढ़), ख्ल्यानु खेत (जिला पौड़ी गढ़वाल), मुरादाबाद, चित्रकूट (जिला-बांदा) में नए विमानपत्तन/हवाई पट्टी के निर्माण हेतु तथा लखनऊ और कानपुर के बीच एक नये अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना हेतु राज्य सरकारों सहित विभिन्न पक्षों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस समय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इन स्थानों पर किसी नए विमानपत्तन/अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण की कोई योजना नहीं है। तथापि, लखनऊ विमानपत्तन को पहले ही एक आदर्श विमानपत्तन के रूप में विकसित किया जा चुका है और यहां से सीमित अंतरराष्ट्रीय प्रचालन किए जा सकते हैं।

*[अनुवाद]*

### ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

**2031. श्री रामपाल उपाध्याय :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र के विकास संबंधी योजनाओं की निगरानी ठीक तरह नहीं की जाती है जिसके कारण ऐसी योजनाओं से लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**ग्रामीण-क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### नए विमानपत्तनों के लिए प्रस्ताव

**2032. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
**श्री माधवराव पाटील :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में घरेलू विमानपत्तन और अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव पेश किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो समिति के गठन सहित उसके विचारार्थ विषय क्या है, और

(ङ.) समिति की उक्त रिपोर्ट कब तक मिलने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में पनवेल के पास अंतर्देशीय विमानपत्तन विकसित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। इस ने मुंबई के समीप मांडवा-रेवास क्षेत्र में एक दूसरे नए अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण का प्रस्ताव पहले भी भेजा था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ.) मुंबई में एक दूसरे अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण की आवश्यकता, उपयुक्त स्थान की अवस्थिति तथा मौजूदा और नए विमानपत्तन के बीच यातायात के बंटवारे की जांच करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में नागर विमानन महानिदेशालय, एअर इंडिया, इंडियन एयरलाईंस, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि तथा दो गैर-सरकारी सदस्य हैं। नवी मुंबई में अंतर्देशीय विमानपत्तन संबंधी प्रस्ताव भी इस समिति को भेज दिया गया है जिसकी रिपोर्ट जून, 1999 तक आने की संभावना है।

## कम मूल्य पर इस्पात का आयात

... एस० राव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह ... करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्पात प्रयोक्ताओं द्वारा कम आयात बीजकों के माध्यम से बहुत कम मूल्य पर इस्पात आयात करने की बेईमानी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कार्य को रोकने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार इस्पात सीमाशुल्क बढ़ाने और इसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह वृद्धि विश्व व्यापार संगठन को बताए गए मापदण्डों के अनुसार है;

(ङ) क्या सम्बद्ध उद्योग में निर्माताओं और प्रयोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) कम मूल्य पर आयात तथा कुछ देशों द्वारा पाटन के कारण इस्पात उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के नामजद प्राधिकारी की सिफारिश पर सरकार ने रूस और यूक्रेन से एच. आर. क्वायलों, एच. आर. पत्तियों/चादरों/प्लेटों और बॉयलर क्वालिटी प्लेटों के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगा दिया है।

(ग) और (च) इस्पात क्षेत्र में मौजूदा मंदी का विश्लेषण करने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्य दल की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) कतिपय परिसज्जित इस्पात मदों के संबंध में आयात शुल्क की यथा मूल्य दर को निश्चित शुल्क में परिवर्तित करने की संभाव्यता पर विचार करना।

(2) कतिपय श्रेणियों के इस्पात पर शुल्क को विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियंत्रित दरों तक बढ़ाने सहित दोयम दर्जे के और दोषपूर्ण सामग्री के आयात पर विशेष आयात शुल्क लगाने के उपायों पर विचार करना।

(3) विशिष्ट सतही मूल्य से कम पर दोयम दर्जे और दोषपूर्ण सामग्री के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत से हटाने पर विचार करना।

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अन्तर्गत पाटन संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए त्वरित कार्य करने वाला तंत्र स्थापित करना।

उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वित किए जाने पर अन्य देशों द्वारा इस्पात के पाटन पर रोक लगने की संभावना है।

## उत्तर प्रदेश में पेयजल

**2034. श्री अशोक प्रधान :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और अब तक उत्तर प्रदेश में पेयजल आपूर्ति हेतु आबंटित/आबंटन के लिए प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में पेयजल हेतु केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ लम्बित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) से (ग) केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित राशि जारी की गई :

| वर्ष | जारी राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|
| 1995-96 | 764.87 |
| 1996-97 | 352.42 |
| 1997-98 | 776.57 |

वर्ष 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 1049.44 लाख रुपए (अंतरिम) आबंटित किए गए हैं। इसमें से 402.07 लाख रुपए पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

कार्यक्रम के तहत 975.44 लाख रुपए की अनुमानित परियोजना लागत वाली आठ जल आपूर्ति स्कीमों को धन की कमी होने के कारण अभी मंजूरी नहीं दी गई है। स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

| क्र०सं० | कस्बे का नाम | जिला | परियोजना लागत (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | खरेला | महोबा | 369.00 |
| 2. | टिन्डवाडी | बांदा | 56.30 |
| 3. | सरिला | हमीरपुर | 91.85 |
| 4. | फतेहगंज पश्चिम | बरेली | 66.70 |
| 5. | बिधूना | औरैया | 168.60 |
| 6. | किथोर | मेरठ | 96.83 |
| 7. | सूरीयान | रविदास नगर | 85.60 |
| 8. | मानकपुर | गोण्डा | 40.76 |
| | | कुल | 975.44 |

केन्द्रीय योजना के तहत इन स्कीमों का अनुमोदन, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

*[हिन्दी]*

**बिहार में सैनिक छावनी**

2035. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में राज्य-वार विशेषकर बिहार में किन-किन स्थानों पर सैनिक छावनी/प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक एकक को स्थापित करने में विलंब के क्या कारण हैं और प्रत्येक इकाई की कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) इस समय बिहार सहित किसी भी राज्य में सैनिक छावनियां/प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**आई०डी०एस०एम०टी० योजना**

2036. **श्री पी० सी० थामस** :
**श्री अजय कुमार एस. सरनायक** :
**श्री बसुदेव आचार्य** :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ''इन्टेग्रेटेड डेवलपमेंट आफ स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स'' (आई. डी. एस. एम. टी) योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत विकसित किए गए/विकसित किए जाने वाले कस्बों का ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) केन्द्र प्रवर्तित छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों (1995-96, 1996-97, और 1997-98) के दौरान विभिन्न राज्यों, केन्द्र शासित क्षेत्रों को 7961.51 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) स्कीम के शुरू होने से अब तक 920 कस्बों को विकसित किया गया या किया जा रहा है। कस्बों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

**विवरण-1**

*1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आई. डी. एस. एम. टी. के तहत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता*

(लाख रुपये में)

| क्रं. सं. | राज्य | जारी केन्द्रीय सहायता | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 208.20 | 490.18 | 164.62 | 863.01 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 10.00 | 11.00 | 8.50 | 29.50 |
| 3. | असम | 40.00 | 60.00 | 51.86 | 151.86 |
| 4. | बिहार | 120.00 | 75.00 | - | 195.00 |
| 5. | गोवा | - | - | - | - |
| 6. | गुजरात | 118.00 | 176.97 | 362.55 | 657.52 |
| 7. | हरियाणा | 50.00 | 10.00 | 22.00 | 82.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 35.00 | 15.00 | 15.00 | 65.00 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | - | 73.50 | 19.00 | 92.50 |
| 10. | कर्नाटक | 242.00 | 334.45 | 163.89 | 740.34 |
| 11. | केरल | 171.09 | 44.75 | 232.41 | 448.25 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 279.50 | 116.35 | 207.94 | 603.79 |
| 13. | महाराष्ट्र | 378.75 | 206.01 | 556.23 | 1140.99 |
| 14. | मणिपुर | 16.00 | 49.50 | 20.00 | 85.50 |
| 15. | मेघालय | - | 11.00 | 19.60 | 30.60 |
| 16. | मिजोरम | 17.00 | 16.00 | 24.00 | 57.00 |
| 17. | नागालैंड | 17.00 | 13.00 | 9.00 | 39.00 |
| 18. | उड़ीसा | 84.00 | 25.00 | 48.00 | 157.00 |
| 19. | पंजाब | 45.00 | 50.00 | 39.00 | 134.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | राजस्थान | 171.50 | 130.00 | 162.50 | 464.00 |
| 21. | सिक्किम | – | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 198.20 | 45.90 | 149.40 | 393.50 |
| 23. | त्रिपुरा | 13.75 | 39.00 | 42.00 | 94.75 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 353.00 | 398.00 | 118.00 | 867.00 |
| 25. | प० बंगाल | 190.00 | 195.40 | 146.50 | 531.90 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | – | – | – | – |
| 27. | दादरा व नगर हवेली | 5.00 | – | – | 5.00 |
| 28. | दमन और दियू | 5.00 | – | 10.00 | 15.00 |
| 29. | लक्ष्य द्वीप | – | – | – | – |
| 30. | पांडिचेरी | – | – | – | – |
| | | 2768.00 | 2592.01 | 2601.50 | 7961.51 |

**विवरण-II**

*1979-80 से 31 मार्च 1998 तक आईडीएसएमटी के तहत शामिल राज्यवार कस्बे*

| क्रं. सं. | राज्य/ कस्बा | क्रं. सं. | राज्य/ कस्बा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 19. | गडवाल |
| 1. | अदिलाबाद | 20. | गडवाल |
| 2. | अडोनी | 21. | गुडीवाडा |
| 3. | अबदलवलसा | 22. | गुडुर |
| 4. | अमलापुरम | 23. | गुंटकल |
| 5. | अनकापल्ले | 24. | गुंटर |
| 6. | अनंतपुर | 25. | डिन्डूपुर |
| 7. | भीमुनीपटनम | 26. | जाग्यपेटा |
| 8. | भीमावरम | 27. | जगिटियल |
| 9. | भोंगीर | 28. | काकीनाहा |
| 10. | बोबिलो | 29. | कामररेडी |
| 11. | बोधन | 30. | करीम नगर |
| 12. | चिलकलुरीपेट | 31. | कवली |
| 13. | चिराला | 32. | खाम्मल |
| 14. | चित्तूर | 33. | कुप्पम |
| 15. | चित्तूर-1 | 34. | करनूल |
| 16. | वुडापह | 35. | मछलीपट्नम |
| 17. | धर्मावरम | 36. | मडनपल्ले |
| 18. | एल्लुरू | 37. | मेहबूबनगर |
| 38. | मेडक | 61. | ताडीपट्री |
| 39. | मीरयालागुहा | 62. | तंदूरे |
| 40. | नलगोंडा | 63. | तनुकू |
| 41. | नंडयाल | 64. | तेनाली |
| 42. | नारायणपैट | 65. | तिरूपति |
| 43. | नरसराओपेट | 66. | तिरूपति-1 |
| 44. | नेल्लौर | 67. | तुरे |
| 45. | निडाडवोले | 68. | विकाराबाद |
| 46. | निजामाबाद | 69. | विजयनगरम |
| 47. | ओंगोले | 70. | विजयनगरम-1 |
| 48. | पेड्डापुरम | 71. | बनपारथी |
| 49. | पोन्नूर | 72. | बारांगल |
| 50. | प्रोडादुर | 73. | येमिगानूर |
| 51. | राजामुंदरी | 74. | जाहीराबाद |
| 52. | रामचन्द्रपुरम | 75. | मच्छलीपट्टनम |
| 53. | रामचन्द्रपुरम-1 | | **अरुणाचल प्रदेश** |
| 54. | रिपाले | 1. | बोमडिला |
| 55. | संगारेडी | 2. | नहरलागुन |
| 56. | सिडीपेट | 3. | तवंग |
| 57. | सिडीपेट-1 | 4. | इंकीयांग |
| 58. | श्रीकाकुलम | 5. | तेजु |
| 59. | श्रीकलाहस्ती | | **असम** |
| 60. | ताडीपालिगुडम | 1. | बोंनियागांव |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | धुवरो | 12. | डालटनगंज |
| 3. | डिब्रूगढ़ | 13. | दरभंगा |
| 4. | डीफू | 14. | देवघर |
| 5. | गोलपारा | 15. | धनबाद |
| 6. | गोलाघाट | 16. | दुमका |
| 7. | हफुलोंग | 17. | फारविसगंज |
| 8. | जोरहट | 18. | गढ़वा |
| 9. | करीमगंज | 19. | गया |
| 10. | कोकराझार | 20. | गिरिडीह |
| 11. | म्रंगोलदोई | 21. | गोड्डा |
| 12. | नगांव | 22. | गोपालगंज |
| 13. | नलवारी | 23. | हाजीपुर |
| 14. | उत्तरी लखीमपुर | 24. | हजारीबाग |
| 15. | रंगिया | 25. | जहानाबाद |
| 16. | सिवसागर | 26. | कटिहार |
| 17. | सिलचर | 27. | किशनगंज |
| 18. | तेजपुर | 28. | लोहरदगा |
| 19. | तिनसुखिया | 29. | मधुबनी |
| 20. | बारपेटा | 30. | मुंगेर |
| **बिहार** | | 31. | मुजफ्फरपुर |
| 1. | आरा | 32. | नवादा |
| 2. | बांका | 33. | पुर्णिया |
| 3. | बेगुसराय | 34. | राजगीर |
| 4. | बेतिया | 35. | सहरसा |
| 5. | भागलपुर | 36. | साहीबगंज |
| 6. | बिहार शरीफ | 37. | शिवहर |
| 7. | बोध गया | 38. | सीतामढ़ी |
| 8. | बक्सर | 39. | सिवान |
| 9. | चाईबासा | 40. | सुपौल |
| 10. | छपरा | **गोवा** | |
| 11. | चतरा | 1. | चरचोरेम-ककोरा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | मपुसा | 26. | केशोड |
| 3. | मरगवो | 27. | खंभात |
| 4. | मोरमुगावो | 28. | महेशना |
| 5. | पणजी | 29. | महुआ |
| 6. | पोंडा | 30. | मेहेदाबाद |
| **गुजरात** | | 31. | मोडासी |
| 1. | अमरेली | 32. | मोरबी |
| 2. | आनंद | 33. | नडियाड |
| 3. | आनंद-1 | 34. | नवसारी |
| 4. | अंकलेश्वर | 35. | पाडरा |
| 5. | बारदोली | 36. | पलनपुर |
| 6. | बावला | 37. | पालीताना |
| 7. | भौरुच | 38. | पटन |
| 8. | भावनगर | 39. | पेटलाड |
| 9. | भुज | 40. | पोरबंदर |
| 10. | बिलीमोरा | 41. | संबद |
| 11. | बोरसद | 42. | साबरकुंडला |
| 12. | बोटाड | 43. | सिधपुर |
| 13. | दभोई | 44. | सुरेन्द्र नगर |
| 14. | डीसा | 45. | उनझा |
| 15. | देहगम | 46. | उपलेटा |
| 16. | धोराजी | 47. | बलसद |
| 17. | दोहद | 48. | वरवल |
| 18. | द्वारका | 49. | विरामगम |
| 19. | गोधरा | 50. | विसनगर |
| 20. | गोंडल | 51. | बधावान |
| 21. | हिम्मदनगर | 52. | अंबाजी |
| 22. | इदार | 53. | मांडवी |
| 23. | जामनगर | **हरियाणा** | |
| 24. | जुनागढ़ | 1. | अंबाला |
| 25. | कलोल | 2. | बारवाला |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | भिवानी | 3. | वलोगब |
| 4. | चरखीदादरी | 4. | बगारपेट |
| 5. | हिसार | 5. | वसब |
| 6. | जिंद | 6. | बल्लरी |
| 7. | करनाल | 7. | बियार |
| 8. | कुरुक्षेत्र | 8. | बिजापुर |
| 9. | शाहबाद | 9. | बिदगी |
| 10. | सिरसा | 10. | चन्नापटनम |
| 11. | सोहना | 11. | चेन्नागिरी |
| 12. | सोनीपत | 12. | चिकबल्लापुर |
| | | 13. | चिकमगलूर |
| | | 14. | चिन्वोली |
| **हिमाचल प्रदेश** | | 15. | चिन्तामणी |
| 1. | हमीरपुर | 16. | चित्रदुर्गा |
| 2. | कसुमपती जुंगा | 17. | डंडेली |
| 3. | मंडी | 18. | डोडाबलुपुरा |
| 4. | नहन | 19. | गडग-वेतीगोरी |
| 5. | उना | 20. | गजेन्द्रगढ़ |
| 6. | रामपुर | 21. | गौरी विदनुर |
| **जम्मू व कश्मीर** | | 22. | गोकाक |
| 1. | अनंतनाग | 23. | गुरमटकल |
| 2. | डोडा | 24. | हरीहर |
| 3. | जम्मू | 25. | हरपनहल्ली |
| 4. | कथुवा | 26. | हसन |
| 5. | लेह | 27. | हसन |
| 6. | आर.एस.पुरा | 28. | हवेरी |
| 7. | साम्बा | 29. | होलेनरसिंपुर |
| 8. | सोपोर | 30. | होलिनरसीपुर-1 |
| **कर्नाटक** | | 31. | होमनाबाद |
| 1. | अरसीकेरे | 32. | होसपट |
| 2. | बादामी | 33. | हुनसुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 34. | इलकल | 65. | सवानुर |
| 35. | जमखान्दी | 66. | शाहपुर |
| 36. | के.आर. नगर | 67. | शिगांन |
| 37. | काटूर | 68. | शिकारपुर |
| 38. | कनकपुर | 69. | शोरापुर |
| 39. | करकल | 70. | सिदलाघाट |
| 40. | करवर | 71. | सिन्धनर |
| 41. | कोलार | 72. | सीरा |
| 42. | कोल्लेगल | 73. | सिरसी |
| 43. | कोपाल | 74. | तिपतुर |
| 44. | कोटरू | 75. | तुमकुट |
| 45. | कुन्दापुर | 76. | उदूपी |
| 46. | कुशालनगर | 77. | शिमोगा |
| 47. | लक्ष्मेश्वर | **केरल** | |
| 48. | लिंगसुगर | 1. | अलपूझा |
| 49. | मधुगिरी | 2. | अलवा |
| 50. | मगड़ी | 3. | चलकुडी |
| 51. | मालावल्ली | 4. | चनगनेसरी |
| 52. | मलूर | 5. | चनकड़ |
| 53. | मान्डया | 6. | चेन्डानूर |
| 54. | मुडालगी | 7. | चेरथाला |
| 55. | मुद्डेबहल | 8. | गुरुवायूर |
| 56. | मुलबगल | 9. | कलपेटा |
| 57. | निषानी | 10. | कन्नूर |
| 58. | रावकवि-बनहट्टी | 11. | कसरागोड |
| 59. | रायचुर | 12. | कयामकुलम |
| 60. | रामनगरम | 13. | कोलाम |
| 61. | रानीबेन्नूर | 14. | कोटायाम |
| 62. | रोन | 15. | कोझीकोड |
| 63. | सागर | 16. | मालापुरम |
| 64. | सोन्दत्ती | 17. | मंजेरी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 18. | मुवतुपूझा | 16. | चम्पा |
| 19. | नेदूमंगड | 17. | छतरपुर |
| 20. | नयन्तीकड़ | 18. | छिंदबाड़ा |
| 21. | पलकड़ | 19. | चित्रकुट |
| 22. | पथनामथिता | 20. | दाल्ली राजहरा |
| 23. | मथनामथिटा | 21. | दमोह |
| 24. | पुनालूर | 22. | दतिया |
| 25. | शोरापूर | 23. | देबास |
| 26. | थालासेरी | 24. | डोंगरगढ़ |
| 27. | त्रिवाला | 25. | गाबरवारा |
| 28. | थोडूपुजा | 26. | गंज-बसोदा |
| 29. | थ्रीसूर | 27. | गरोथ |
| 30. | त्रिरूवर | 28. | गूना |
| 31. | बाडाकाड़ा | 29. | हारदा |
| 32. | वरकाला | 30. | होशंगाबाद |
| **मध्य प्रदेश** | | 31. | इटारसी |
| 1. | अजयगढ़ | 32. | जगदलपुर |
| 2. | अम्रकंटक | 33. | जंजगीर |
| 3. | अमरपटन | 34. | जओरा |
| 4. | अशोक नगर | 35. | कांकेर |
| 5. | बैधान | 36. | करवाड़ |
| 6. | बालघाट | 37. | कटनी |
| 7. | बनमोर | 38. | कवर्धा |
| 8. | बेरासिया | 39. | खुजराहो |
| 9. | बेतूल | 40. | खंडवा |
| 10. | भान्देर | 41. | खरगोन |
| 11. | भिल्लई दुर्ग | 42. | कोटा |
| 12. | भिंड | 43. | मेहर |
| 13. | बिओरा | 44. | मांडला |
| 14. | बिलासपुर | 45. | मंदसौर |
| 15. | बुरहनपुर | 46. | म्हो |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 47. | मोरेना | 5. | अमलनेर |
| 48. | मुल्तानी | 6. | अम्बाद |
| 49. | नरसिंहगढ़ | 7. | अंबेजोगाई |
| 50. | नरसिंहपुर | 8. | अमरावती |
| 51. | नीमच | 9. | अंजनगांव-सुरजी |
| 52. | ओबेदुल्लागंज | 10. | औसा |
| 53. | पंचमढ़ी | 11. | बारामती |
| 54. | पंधुरना | 12. | बारसी |
| 55. | पन्ना | 13. | बासमठ नगर |
| 56. | पिथमपुर | 14. | बेड |
| 57. | रायगढ़ | 15. | भंडारा |
| 58. | राजगढ़ | 16. | भुसावल |
| 59. | राजनंदगांव | 17. | बुल्डाना |
| 60. | रतलाम | 18. | चालिस गांव |
| 61. | रेवा | 19. | चन्द्रपुर |
| 62. | सागर | 20. | चिपलुन |
| 63. | सतना | 21. | चोपड़ा |
| 64. | सौसर | 22. | दरयापुर |
| 65. | सेहोर | 23. | बेगलूर |
| 66. | शाहडोल | 24. | धूली |
| 67. | शिवपुरी | 25. | डिगरास |
| 68. | सिधी | 26. | डोन्डाईया वारवडे |
| 69. | सिहोरा | 27. | गाडचिरोली |
| 70. | टीकमगढ़ | 28. | गडिंगलाज |
| 71. | उमेरियां | 29. | मेओराय |
| 72. | विदिशा | 30. | घटनजी |
| **महाराष्ट्र** | | 31. | गोंदिया |
| 1. | अचलापुर | 32. | हिंगनघाट |
| 2. | अहमदनगर | 33. | इच्छलकर्रांजी |
| 3. | एकोट | 34. | इमारपुर |
| 4. | अन्नीबाग | 35. | इगाटपुरी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 36. | इस्लामपुर | 68. | परोला |
| 37. | जलगांव | 69. | पारथूर |
| 38. | जलना | 70. | फालतान |
| 39. | कागल | 71. | पुलगांव |
| 40. | कालब | 72. | पुसाद |
| 41. | कोपटी | 73. | रामटेक |
| 42. | कराड | 74. | रत्नागिरी |
| 43. | कटोल | 75. | संगमनेर |
| 44. | लामगांव | 76. | सांगली |
| 45. | किंवट | 77. | संगोला |
| | | 78. | संतारा |
| | | 79. | सावनेर |
| 48. | लातूर | 80. | सावेनवाड़ी |
| 49. | माहद | 81. | सेलू |
| 50. | मल्लकापुर | 82. | शाहदा |
| 51. | मनमाड | 83. | शेगांव |
| 52. | मनवाथ | 84. | शिरपुर वाखाड़े |
| 53. | मेहकर | 85. | श्री रामपुर |
| 54. | कोरशी | 86. | तुलनापुर |
| 55. | भुर्खेड | 87. | तुम्सर |
| 56. | मुर्तिजापुर | 88. | उम्रेद |
| 57. | नांदेड | 89. | वैजापुर |
| 58. | नंदूरबार | 90. | वीटा |
| 59. | परखेड़ | 91. | वाई |
| 60. | नबापुर | 92. | वानी |
| 61. | निलांगा | 93. | वर्धा |
| 62. | ओस्मानाबाद | 94. | बरोरा |
| 63. | पछोरा | 95. | वर्शाम |
| 64. | पेठान | 96. | यवातमल |
| 65. | पंडारपुर | | **मणिपुर** |
| 66. | परभानी | 1. | विष्णुपुर |
| 67. | परलीवैजनाथ | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | इम्फाल | 7. | जुनेबोतो |
| 3. | जिरीबाम | | **उड़ीसा** |
| 4. | काकचिंग | 1. | अनुगुल |
| 5. | लामलाई | 2. | अथागढ़ |
| 6. | लामसोंग | 3. | अथमल्लिक |
| 7. | नयंग इम्फाल | 4. | बलंगीर |
| 8. | मोरेह | 5. | बालेश्वर |
| 9. | नाम्बोल | 6. | बारगढ़ |
| 10. | सेकमाई | 7. | बारीपदा |
| 11. | थोबाल | 8. | वासुदेवपुर |
| | **मेघालय** | 9. | भदरक |
| 1. | बाघमारा | 10. | भंजननगर |
| 2. | जोवाई | 11. | भवानीपटना |
| 3. | नांगसटोन | 12. | बरहामपुर |
| 4. | शिलांग | 13. | चतरापुर |
| 5. | शोरा | 14. | वौदार |
| 6. | तूरा | 15. | ढेंकानाल |
| 7. | विलियम नगर | 16. | दिग्पाहांडी |
| | **मिजोरम** | 17. | गोपालपुर |
| 1. | आइजोल | 18. | जगतसिंहपुर |
| 2. | आइजोल | 19. | जाजपुर |
| 3. | कोलासिब | 20. | जाजपुर रोड |
| 4. | लुंगलेई | 21. | जयपुर |
| 5. | सेरछिप | 22. | जरसूगोडा |
| | **नागालैंड** | 23. | कामक्षयानगर |
| 1. | कोहिमा | 24. | केन्द्रापाड़ा |
| 2. | गोकोकचुंग | 25. | क्योंझर |
| 3. | मोन | 26. | कोणार्क |
| 4. | फेक | 27. | कोरापुट |
| 5. | त्येनसंग | 28. | नवरंगपुर |
| 6. | वोखा | 29. | नीलगिरी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 30. | पैरादीप | 19. | राजपुरा |
| 31. | परलखमुंडी | 20. | रोपड़ |
| 32. | फुलाबनी | 21. | संगरूर |
| 33. | पुरी | 22. | सरहिंद |
| 34. | पुरी | 23. | तरनतारन |
| 35. | राउरकेला | 24. | आनंदपुर साहिब |
| 36. | रायगढ़ | 25. | फतेगढ़ साहिब |
| 37. | संबलपुर | 26. | पट्टी |
| 38. | सुंदरगढ़ | **राजस्थान** | |
| 39. | तरभा | 1. | बांसवाड़ा |
| 40. | टिटलागढ़ | 2. | बरान |
| 41. | उमरकोट | 3. | बारमेर |
| **पंजाब** | | 4. | बियावर |
| 1. | बरनाला | 5. | भरतपुर |
| 2. | बटाला | 6. | भीलवाड़ा |
| 3. | भटिंडा | 7. | भीननपल |
| 4. | फरीदकोट | 8. | बीकानेर |
| 5. | फिरोजपुर | 9. | बूंदी |
| 6. | गोबिन्द गढ़ | 10. | चकसु |
| 7. | गुरदामपुर | 11. | चित्तौड़गढ़ |
| 8. | होशियारपुर | 12. | चुरू |
| 9. | कपूरथला | 13. | दौसा |
| 10. | खन्ना | 14. | देवगढ़ |
| 11. | मलेरकोटला | 15. | देवली |
| 12. | मनसा | 16. | धौलपुर |
| 13. | मोगा | 17. | डूंगरपुर |
| 14. | मुखेरिया | 18. | फतेहनगर |
| 15. | नाभा | 19. | गंगा नगर |
| 16. | पठानकोट | 20. | जैसलमेर |
| 17. | पटियाला | 21. | जैसलमेर-1 |
| 18. | फगवाड़ा | 22. | जालौर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | झुनझुनु | 2. | अंदिपट्टी-जक्कणपट्टी |
| 24. | कपासन | 3. | अंथियुर |
| 25. | किसानगढ़ | 4. | अरकोनम |
| 26. | माउंट आबू | 5. | अरानी |
| 27. | नागौर | 6. | अरंनतांसी |
| 28. | नाथद्वारा | 7. | अरियालूर |
| 29. | निबांहेड़ा | 8. | अरूपुकोट्टई |
| 30. | नोखा | 9. | अन्तूर |
| 31. | पाली | 10. | अवनाशी |
| 32. | प्रतापगढ़ | 11. | बारगुर |
| 33. | पुष्कर | 12. | भवानी |
| 34. | राजसोमंद | 13. | छैंगालपट्टी |
| 35. | रतनगढ़ | 14. | चिन्नामनूर |
| 36. | सरदार शहर | 15. | कुन्नुर |
| 37. | सवाई माधोपुर | 16. | वुड्डालोर |
| 38. | शाहपुर | 17. | देंकानीकोटा |
| 39. | सिकर | 18. | धारापुरम |
| 40. | सिरोही | 19. | धरमापुरी |
| 41. | सुमेरपुर | 20. | गोपीचेट्टीपलायम |
| 42. | उदयपुर | 21. | हरूर |
| 43. | विजयनगर | 22. | होतूर |
| 44. | सालूबेर | 23. | इडापडी |
| 45. | देशनोक | 24. | इनाम करूर |
| **सिक्किम** | | 25. | कल्लाकुरीचि |
| 1. | गंगतोक | 26. | कांचीपुरम |
| 2. | जोरेथांग | 27. | कांगयम |
| 3. | नाचीबाजार | 28. | कराईकुडी |
| 4. | रांगपो | 29. | करूर |
| 5. | सिंगतम | 30. | कासीयलापम |
| **तमिलनाडु** | | 31. | किरानूर |
| 1. | आधिरामपट्टीनम | 32. | कोडाईकनाल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 33. | कोटागिरी | 63. | पुजई पुलियामपट्टी |
| 34. | कोविलपट्टी | 64. | रामनाथपुरम |
| 35. | कृष्णागिरी | 65. | रामेश्वरम |
| 36. | कुलीतल्लई | 66. | रानीपेट्टेई |
| 37. | कमारापल्कयम | 67. | रासीपुरम |
| 38. | करीचि | 68. | सालेम |
| 39. | कुह्मनल्लूर | 69. | संतुवचेरी |
| 40. | मदुरंतकेप | 70. | सत्यमंगलम |
| 41. | ममाल्लपुरम | 71. | शोलीगूर |
| 42. | मानामदरै | 72. | शिवगंगा |
| | | 73. | तुलुर |
| [illegible] | [illegible] | 74. | ततायांगरपेट्टेई |
| 45. | मेलुपलायम | 75. | तेनकाती |
| 46. | नाबापट्टीनाम | 76. | थेनिअल्लीनगरम |
| 47. | बामाक्कल | 77. | थुरायुर |
| 48. | नन्तारतंकोट्टई | 78. | तिंदीवनम |
| 49. | ओमलूर | 79. | तिरूर्चेदूर |
| 50. | पलानी | 80. | तिरूचेगादु |
| 51. | पल्लाडम | 81. | तिरूनेलवेली |
| 52. | पल्लीकोडा | 82. | तिरूपत्तुर |
| 53. | पल्लीपलायम | 83. | तिरूपुर |
| 54. | पानरूती | 84. | तिरूतनगल |
| 55. | परमाकुडि | 85. | तिरूत्तनी |
| 56. | पट्टकोट्टई | 86. | तिरूवल्लूर |
| 57. | पेराम्बलूर | 87. | तिरूवन्नपलाई |
| 58. | पोल्लाची | 88. | तिरुवेट्टीपुरम |
| 59. | पोन्नामखती | 89. | तुतीकोरिन |
| 60. | पोन्नेरी | 90. | उद्यागमदलम |
| 61. | पुवीरुंथावल्ली | 91. | उसिलामपट्टी |
| 62. | पुडुकोट्टाई | 92. | उदुमलाईपेट्टई |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 93. | वन्दावासी | 15. | भेदाही |
| 94. | वनियामबाडी | 16. | बिजनौर |
| 95. | वीरप्पनचेतीराम | 17. | बिलासपुर |
| 96. | विल्लुपुरम | 18. | बिलसी |
| 97. | विरूधाचलम | 19. | बिसवान |
| 98. | वल्लाजापर | 20. | बुधाना |
| त्रिपुरा | | 21. | चुनार |
| 1. | अगरतला | 22. | दादरी |
| 2. | अमरपुर | 23. | देवरिया |
| 3. | वेलोनियां | 24. | ईटा |
| 4. | धरमानगर | 25. | ईटावा |
| 5. | कैलासहर | 26. | फैजाबाद |
| 6. | खोवई | 27. | फरुखाबाद-फतेहगढ़ |
| 7. | कमारधार | 28. | फतेहपुर |
| 8. | उदयपुर | 29. | फिरोजाबाद |
| 9. | सोनामुरा | 30. | गाजीपुर |
| उत्तर प्रदेश | | | |
| 1. | अकबरपुर | 31. | गोला गोरख नाथ |
| 2. | अलमोड़ा | 32. | गोंडा |
| 3. | अमेठी | 33. | हलद्वानी |
| 4. | औरेया | 34. | हरिद्वार |
| 5. | अयोध्या | 35. | हाथरस |
| 6. | आजमगढ़ | 36. | जालेसर |
| 7. | बदायू | 37. | जौनपुर |
| 8. | बहराइच | 38. | कैराना |
| 9. | बलिया | 39. | कांधला |
| 10. | बादा | 40. | कासगंज |
| 11. | बांसी | 41. | काशीपुर |
| 12. | बाराबंकी | 42. | खलीलाबाद |
| 13. | बरहलगंज | 43. | कौंच |
| 14. | बस्ती | 44. | कोशीकलां |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 45. | कोटद्वारा | 76. | सिकन्दराबाद |
| 46. | लखीमपुर | 77. | सिरसागंज |
| 47. | ललीतपुर | 78. | सितापुर |
| 48. | लोनी | 79. | सुल्तानपुर |
| 49. | महार | 80. | टांडा |
| 50. | महोबा | 81. | थानाभवान |
| 51. | मैनपुरी | 82. | टुंडला |
| 52. | मलिहाबाद | 83. | उतरौला |
| 53. | मनंकापुर | | पं० बंगाल |
| 54. | मौथ भंजन | 1. | अलीपुरद्वार |
| 55. | मोरानीपुर | 2. | आरामबाग |
| 56. | मवाना | 3. | आसनसोल |
| 57. | मिर्जापुर | 4. | अशोकनगर कल्याणगढ़ |
| 58. | मोदीनगर | 5. | बदुरिया |
| 59. | मुरादाबाद | 6. | बहरामपुर |
| 60. | मुरादनगर | 7. | बालूरघाट |
| 61. | मुजफ्फरनगर | 8. | बांकूरा |
| 62. | उरई | 9. | वर्द्धमान |
| 63. | पडरोना | 10. | बासिरहाट |
| 64. | पलियाकला | 11. | वीरनगर |
| 65. | फुफुंड | 12. | विष्णुपुर |
| 66. | पीलीभीत | 13. | बोलपुर |
| 67. | पिलखवाह | 14. | चकदाहा |
| 68. | रायबरेली | 15. | चन्द्रकोबा |
| 69. | रामपुर | 16. | कोटई |
| 70. | रुढ़की | 17. | दार्जिलिंग |
| 71. | सहारणपुर | 18. | दुलियांन |
| 72. | सम्भल | 19. | डायमण्डहार्बर |
| 73. | संबीला | 20. | डीनहाट्य |
| 74. | श्यामली | 21. | इंगलीश बाजार |
| 75. | सिकन्दराराव | 22. | गंगारामपुर |
| | | 23 | छट्याल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 24. | गोबरडांगा | 53. | पुरूलिया |
| 25. | गुस्कारा | 54. | रघुनाथपुर |
| 26. | हावड़ा | 55. | रायगंज |
| 27. | हल्दीया | 56. | रामपुर हाट |
| 28. | हल्दीबाड़ी | 57. | राणाघाट |
| 29. | इस्लामपुर | 58. | रानीगंज |
| 30. | जलपाईगुड़ी | 59. | सैंथिया |
| 31. | जांगीपुर | 60. | शान्तिपुर |
| 32. | झालदा | 61. | सिल्लीगुढ़ी |
| 33. | झाड़ग्राम | 62. | सोनामुखी |
| 34. | कालीगंज | 63. | सुरी |
| 35. | कालीमपोंग | 64. | तमलूक |
| 36. | कालना | 65. | तारकेश्वर |
| 37. | कांदी | 66. | तुफानगंज |
| 38. | कटवा | | अण्डमान निकोबार द्वीप समूह |
| 39. | खड़गपुर | 1. | पोर्ट ब्लेयर |
| 40. | कोचबिहार | | दादरा व नगर हवेली |
| 41. | कृष्णानगर | 1. | सिलवासा |
| 42. | कुल्टी | 2. | सिलवासा-1 |
| 43. | कुर्सीयोंग | | दमन तथा द्वीव |
| 44. | माल | 1. | द्वीव |
| 45. | माथाभांगा | | लक्ष्यद्वीप |
| 46. | मेदनीपुर | 1. | कतारती |
| 47. | मेखलीगंज | | पॉंडीचेरी |
| 48. | मेमारी | 1. | अरियांकुप्पम |
| 49. | मिरिक | 2. | कराइकल |
| 50. | मुर्शिदाबाद | 3. | माहे |
| 51. | नाबाद्वीप | 4. | पॉंडीचेरी |
| 52. | ओल्ड माल्दा | 5. | विलीयानूर |
| | | 6. | यलम |

**कमजोर वर्गों के लिए मकान**

**2037. श्री के. पी. मोहन :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू. एस) और निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) के लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकान बनाने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी) और आवास क्षेत्र में अन्य आवास वित्तीय संस्थानों की सहायता मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को एन.एच.बी. से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) और (ख) सरकार ने 20 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 13 लाख आवासीय इकाइयों का लक्ष्य रखा गया है। अनेक नीतिगत, संस्थागत तथा ढांचागत प्रोत्साहनों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय एन.एच.बी, हुडको और अन्य आवास वित्त संस्थाओं की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु वित्तीय उपलब्धता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त पोषण योजना [illegible] है तथा इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय [illegible] उपलब्ध करा रहा है।

**प्रक्षेपास्त्र स्थल का उन्नयन**

**2038. श्री रंजीव बिस्वाल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में बालासोर जिले में अंतरिम प्रक्षेपास्त्र परीक्षण स्थल, चांदीपुर के उन्नयन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) और (ख) अंतरिम परीक्षण रेंज (आई.टी.आर.) के उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बेहतर संक्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए अंतरिम परीक्षण रेंज में साधन विनियोग मे निरंतर सुधार किया जाता है।

**वरिष्ठ नागरिकों को टिकट जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश**

**2039. श्री सुरेश वरपुडकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयु संबंधी प्रमाण-पत्र न मांगे जाने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश होने के बावजूद देश के कई रेलवे स्टेशनों के टिकट बाबू वरिष्ठ नागरिकों को टिकट जारी करते समय आयु संबंधी प्रमाण-पत्र मांग रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वरिष्ठ नागरिकों से यात्रा के दौरान चल टिकट परीक्षक/विशेष जांच दस्ता द्वारा आयु संबंधी प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, और

(ग) यदि हां, तो उन दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आयु संबंधी प्रमाण पत्र माना जा सकता है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट खरीदते समय उम्र के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) रियायती टिकटों पर यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिकों की उम्र के प्रमाण के लिए कुछ प्रामाणिक दस्तावेज रखना आवश्यक है जिसे यात्रा के दौरान रेल अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर पेश किया जाना चाहिए।

(ग) किसी भी सरकारी संस्थान/एजेंसी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिससे जन्म की तारीख और उम्र का पता चलता हो, जैसे पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पंचायत/निगम/नगरपालिका जैसी स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई अधिप्रमाणित और मान्यता प्राप्त दस्तावेज को उम्र का सबूत माना जाता है।

*[हिन्दी]*

**राउरकेला इस्पात संयंत्र के अंतर्गत परियोजनाएं**

**2040. श्री जुआल उराम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र का खान डिवीजन संयंत्र से अलग कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसे अलग करने के कारण राउरकेला इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र के खान प्रभाग के अधीन खानों को वर्ष 1990 में आर.एम.डी., जो कच्ची समाग्रियों के लिए सेल का एक संगठित संगठन है, के तहत् लाया गया था। आर.एम.डी. का गठन खानों की क्षमता में सुधार करने तथा आवश्यकता के अनुसार इस्पात संयंत्रों को कच्चा माल प्रेषित करने, कच्चे माल के क्षेत्र में संदर्श नियोजन करने के लिए किया गया था ताकि सेल आदि के इस्पात संयंत्रों का भावी जरुरतों को पूरा करने के लिए नए स्रोतों का विकास किया जा सके।

(ग) और (घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र अपने खान प्रभाग को अलग करने के कारण घाटे में नहीं चल रहा है।

*[अनुवाद]*

**ताम्बरम में दूसरे टर्मिनल की योजना**

**2041. श्री टी. आर. बालू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में निजामुद्दीन और मुंबई में दादर की तरह चेन्नई-इग्मोर में ताम्बरम को दूसरा टर्मिनल बनाने का है; और

(ख) यदि हां तो इसे कब तक टर्मिनल बना दिया जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम**

**2042. श्री भर्तृहरि मेहताब :**
**श्री बसुदेव आचार्य :**
**श्री राजो सिंह :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए गए शहरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शहर-वार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए कस्बों की राज्य-वार सूची संलग्न है (विवरण-1)

(ख) नगर-वार ब्यौरे की निगरानी नहीं की गई है। 1995-96, 1996-97 और 1997-98 वर्षों के दौरान गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम के लिए जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है (विवरण-II)

(ग) गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम को 1.12.97 के स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआर वाई) में शामिल कर लिया गया है जोकि एक सतत प्रक्रिया थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुल 95 लाख शहरी गरीब इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।

**विवरण-I**

*शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा वाले कस्बों की सूची*

**आन्ध्र प्रदेश**

1. गनटकल 2. हिन्दुपुर 3. इच्छपुरम 4. अमादलवाल्सा 5. विजयनगरम 6. बोबिली 7. पावर्तीपुरम 8. सैलुर 9. निजामाबाद 10. कामारैड्डी 11. अडौनी 12. नंदयाल 13. यम्मीगनुर 14. अलवल 15. विकाराबाद 16. तैन्दुर 17. खम्माम 18. पलवंचा 19. कोठ्ठगुडयेर 20. रैललैण्डू 21. कर्टबल 22. राजामुंदरी 23. काकीनाडा

**अरुणाचल प्रदेश**

1. ईटानगर 2. नहारलगून 3. औसीघाट 4. अन्जैंग 5. तैजु

**असम**

1. जौराट 2. सिल्वर 3. गुवाहाटी 4. डिबरुगढ़

**बिहार**

1. दरभंगा 2. मुंगैर 3. गया 4. भागलपुर 5. बिहार शरीफ 6. आरा 7. जमशेदपुर 8. धनबाद 9. छपरा 10. बोकारो 11. सिमदेगा 12. जामतारा 13. लतछार 14. खारसवान 15. पटना 16. मुजफरपुर 17. रांची 18. कटिहार

**गोवा**

1. मापुसा 2. वाल्पोई 3. कनकोना 4. विछोलिम 5. क्यूपेम 6. मार्मगोवा

**गुजरात**

1. अहमदाबाद 2. जामनगर 3. नवसारी 4. नदियाड 5. पेटलाड 6. जुनागढ़ 7. बरूछ 8. राजपिपला 9. भूज 10. वलसाड़ 11. लिमड़ी 12. पोरबन्दर 13. गांधीधाम 14. बारदोली 15. आनन्द 16. गोधरा 17. मोदासा 18. जम्मूसर 19. सुरेन्द्रनगर 20. बाधवन 21. वीरावल 22. ऊना 23. मंगरोल 24. व्यारा 25. सूरत 26. भावनगर 27. मेहसाना

**हरियाणा**

1. फरीदाबाद 2. सोनीपत 3. गुडगांव

**हिमाचल प्रदेश**

1. पौंटा साहिब 2. कांगड़ा 3. नालागढ़

**जम्मू और काश्मीर**

1. जम्मू 2. श्रीनगर

**कर्नाटक**

1. रायचूर 2. बैल्लारी 3. होसपैट 4. श्रीरागुप्पा 5. काम्पली 6. कोपाल 7. बिजापुर 8. टैरडाल 9. जामकण्डी 10. गुलबर्ग सिटी 11. यादगीर 12. चिनचौली 13. शौरापुर 14. मुंडैया 15. गडूर 16. मालावल्ली 17. सिमोगा 18. कोलैगाल 19. चित्रदुर्ग 20. हिरयूर 21. देवनगरी 22. मुलबगाल 23. चामराजनगर 24. शिकारी पुर 25. सागर 26. चन्नागि 27. सिरालाकोप्पा 28. भद्रावती 29. हूबली धारवाड़ कारपोरेशन 30. मडमबेटगिरी 31. हवेरी 32. आरासिकेरी 33. होलनारपुर 34. बैलूर 35. हुमनाबाद 36. चितगुप्पा 37. अठनी 38. सौबदरशी 39. कौन्नूर 40. कोडुची 41. बिरूर 42. कडूर 43. बंगलौर 44. सिटी कारपोरेशन 45. मैसूर सिटी कारपोरेशन 46. गोरीबिडनूर

**केरल**

1. नयाटिंकाख 2. वरकूकला 3. पुन्नालूर 4. साउथ परावयूर 5. पैस्नथलमना 6. छपापड़ 7. मल्लापुरम 8. त्रिरूर 9. वडकारा 10. थलसेरी 11. कन्नूर 12. कन्हनगढ़ 13. मंजूरी 14. कोजीकोड 15. तिरूवन्नतापुरम 16. कोल्लम 17. अलपुझा

**मध्य प्रदेश**

1. बेरासिया 2. कटनी 3. गुना 4. खरसिया 5. राजनन्दगांव 6. रेवा 7. बुराहनपुर 8. भोपाल 9. जबलपुर 10. खांडवा

**महाराष्ट्र**

1. बोम्बे 2. अमरावती 3. कल्याण 4. औरंगाबाद 5. सोलापुर 6. कोलापुर 7. नागपुर 8. जैजूर 9. वंगुरल्ला 10. सासवाड़

11. वर्धा 12. यवतमाल 13. जलगांव 14. कुपवाड़ 15. उल्लास नगर 16. मीरा भयन्दर 17. सिन्नार 18. भगूर 19. गंगाखोड 20. बिड़ 21. चन्द्रपुर 22. अकोला 23. मालेगांव 24. नान्देड 25. मोबाड़ 26. भौन्डिया 27. भुसाव 28. गढ़ीरोली 29. जलना 30. लादुर 31. चौपड़ा 32. नासिक 33. डेगलूर 34. धूले 35. परभनी

**मणिपुर**

1. इमफाल 2. काकचिंग 3. सेकमाई 4. मोइरंग 5. काकचिंग

**मेघालय**

1. शिलांग 2. बधमारा 3. रिसबलपारा

**मिजोरम**

1. ऐजवाल

**नागालैंड**

कस्बा नहीं

**[illegible]**

[illegible] पुर 3. तेलचर 4. पटियाला 5. बेरहामपुर [illegible] पुर 8. जगतसिंहपुर 9. बालासोर 10. भाजनगर 11. अंगुल 12. रायगाडा

**पंजाब**

1. अमृतसर 2. जालंधर 3. लुधियाना 4. पटियाला

**राजस्थान**

1. जयपुर 2. चोमू 3. फुलेरा 4. कोटपुटली 5. दौसा 6. अजमेर 7. उदयपुर 8. पाली 9. लालसोट 10. बारी 11. कोटा 12. जोधपुर 13. बीकानेर 14. भीलवाड़ा 15. डूंगरपुर 16. गंगानगर 17. चोकसू 18. सांभर 19. टोडाभीम 20. राजाखेड़ा 21. करोली

**सिक्किम**

1. गंगटोक 2. सिंगटम 3. रंगपो 4. रेहनॉक 5. रोंगली 6. ग्यालसिंग 7. सोरेंग 8. सोमबारिया 9. डेनटाम 10. मांगन 11. नामची 12. रावंगला 13. जोरेदैमा 14. मेल्ली

**तमिलनाडु**

1. त्रिपुर 2. त्रिरूचि 3. सलेम 4. त्रिरूनलवैल्ली 5. त्रिस्वैट्टीयूर 6. तम्बारम्ब 7. डिंडीगुल 8. वैल्लोर 9. कुम्बककोनम 10. थंजावुर 11. त्रिरुनावैल्लैई 12. करूर 13. टूटीकोरीन 14. राजापलायम 15. शिवकाशी 16. आवड़ी 17. अम्बटूर 18. अलंदूर 19. कुंचीपुरम 20. नागरकोयल 21. कुमारपलायम 22. पल्लावरम 23. कोयम्बटूर 24. मदुरेई 25. कुड्डालौर

**त्रिपुरा**

1. अमरपुर 2. उदयपुर 3. बैलोनिया 4. साबरोन 5. अगरतला 6. सोनापूरा 7. खोवई 8. तैलयामूरा 9. रानीरबाजार

**उत्तर प्रदेश**

1. आगरा 2. मथुरा 3. मेरठ 4. गाजियाबाद 5. हापुड़ 6. कानपुर 7. फरूखाबाद 8. वाराणसी 9. उन्नाव 10. गोरखपुर 11. मुरादाबाद 12. बरेली 13. साजापुर 14. इलाहाबाद 15. फतेहपुर 16. राय बरेली 17. बैहराइच 18. फैजाबाद 19. फिरोजाबाद 20. झांसी 21. हल्दवानी 22. देहरादून 23. अलीगढ़ 24. मिर्जापुर 25. लखनऊ

**पश्चिम बंगाल**

1. बलूरघाट 2. बसीरहाट 3. हेलडंगा 4. गंगारामपुर 5. हावड़ा 6. हलदीया 7. कालीमपोंग 8. खड़गपुर 9. हल्दीबाड़ी 10. कृष्णानगर 11. कुरसौंग 12. मेदनीपुर 13. भिरीक 14. नवाद्वीप 15. मेकलीगंज 16. रायगंज 17. सिलीगुड़ी 18. ताराकेश्वर 19. अशोकनगर-कल्याणगढ़ 20. कलना 21. रघुनाथपुर 22. इस्लामपुर 23. डायमंड हरबर 24. बेरहमपुर 25. टाकी 26. असनसोल 27. कलकत्ता

**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**

1. पोर्ट ब्लेयर

**चन्डीगढ़**

चन्डीगढ़

**दमन एण्ड द्वीव**

1. दमन 2. द्वीव

**दादर व नगर हवेली**

1. सिलवासा

**दिल्ली**

1. दिल्ली

**पाण्डिचेरी**

1. पाण्डिचेरी 2. माहे [illegible] नम 4. ओलगरेट

**विवरण-2**

*गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं*

*1995-96 से 1997-98 के दौरान जारी केन्द्रीय अंश को वर्ष वार दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रु० में)

| क्रं. सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | 1995-96 | 1996-97 | **1997-98 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 260.10 | 208.85 | 88.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 5.50 | - | - |
| 3. | असम | 5.50 | 11.00 | - |
| 4. | बिहार | 101.80 | 135.70 | - |
| 5. | गोवा | 16.50 | 16.50 | 5.50 |
| 6. | गुजरात | 48.15 | 96.35 | 50.85 |
| 7. | हरियाणा | 29.30 | 26.85 | 8.65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 11.00 | 11.00 | 5.50 |
| 9. | जम्मू और काश्मीर | - | - | - |
| 10. | कर्नाटक | 94.95 | 63.30 | - |
| 11. | केरल | 70.85 | 65.30 | 48.40 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 174.20 | 116.15 | 97.25 |
| 13. | महाराष्ट्र | 133.00 | 44.35 | - |
| 14. | मणीपुर | 16.50 | 11.00 | 5.50 |
| 15. | मेघालय | 17.60 | 14.50 | 11.00 |
| 16. | मिजोरम | 17.60 | 16.50 | 11.00 |
| 17. | नागालैंड | - | - | - |
| 18. | उड़िसा | 30.60 | 20.40 | 23.35 |
| 19. | पंजाब | 16.45 | 16.45 | 8.65 |
| 20. | राजस्थान | 107.10 | 71.40 | 39.95 |
| 21. | सिक्किम | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 22. | तमिलनाडु | 108.45 | 216.90 | 189.85 |
| 23. | त्रिपुरा | 8.25 | 16.50 | 11.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 282.45 | 368.95 | 127.90 |
| 25. | प॰ बंगाल | 136.45 | 178.95 | 52.75 |
| 26. | अण्डमान निकोबार द्वीप | 13.75 | - | - |
| 27. | चण्डीगढ़ | - | 18.30 | 18.30 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 27.45 | 09.15 | 9.15 |
| 29. | दमन और द्वीव | - | 9.15 | 18.30 |
| 30. | दिल्ली | 11.00 | 11.00 | - |
| 31. | पांडीचेरी | - | - | 5.50 |
| | कुल | 1750.00 | 1780.00 | 841.85 |

**30.11.97 तक की स्थिति, उसके पश्चात स्कीम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में सम्मिलित हो गई।

*[हिन्दी]*

**दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण**

**2043. प्रो॰ रीता वर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के अंतर्गत बिरला तकनीकी सेवा को किन-किन कार्यों के लिए तिथिवार ठेका दिया गया और इन ठेकों में कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त थी;

(ख) क्या ठेका राशि में और वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने उपर्युक्त कंपनी को ठेका देने के बारे में कोई आपत्ति की है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मैसर्स बिरला तकनीकी सेवा को दिए गए ठेकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

| क्रं. सं. | पैकेज | ठेके की ता॰ | ठेका मूल्य (करोड़ रु॰) |
|---|---|---|---|
| 1. | कच्चा माल संभाल परिसर | 17.3.89 | 213.89 |
| 2. | नया सिंटर संयंत्र | 17.3.89 | 31.29 |
| 3. | धमन भट्टी | 17.3.89 | 88.01 |
| 4. | बेसिक आक्सीजन भट्टी | 17.3.89 | 128.41 |

(ख) और (ग) मैसर्स बिरला तकनीकी सेवा को दिए गए ठेके की राशि, कार्य में वृद्धि और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आदि के कारण बढ़ी।

(घ) और (ङ.) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट, जिसमें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर समीक्षा दी गई है, में मैसर्स बिरला तकनीकी सेवा की क्षमता और सक्षमता के बारे में कुछ प्रेक्षण किए हैं।

*[अनुवाद]*

**ऐर्नाकुलम-कोट्टयम से कायमकुलम तक रेल लाईन का दोहरीकरण करना**

**2044. प्रो. पी. जे. कुरियन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐर्नाकुलम-कोट्टायम से कायमकुलम तक रेल लाईन का दोहरीकरण किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (ग) सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर ही आगे विचार करना संभव होगा।

**डी. आर. डी. ए. को धन देना**

**2045. श्री गिरिधर गमांग :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से सीधे डी. आर. डी. ए. को जारी की जाने वाली धनराशि की अवधारणा में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं, और

(ग) सरकार द्वारा डी. आर. डी. ए. के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा समग्र वित्तीय प्रबंधन के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश और लेखाकरण तंत्र है।

### इंडियन एयरलाइंस एवं एअर इंडिया को घाटा

**2046. श्री टी॰ गोविन्दन :**
**श्री तारिक अनवर :**

क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

... के दौरान इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया

(ख) घाटा कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) अप्रैल-सितम्बर, 1998 के अनंतिम परिणामों के मुताबिक, एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को क्रमशः 129.08 करोड़ रू॰ और 34.90 करोड़ रु० का घाटा हुआ है।

(ख) व्यय पर नियंत्रण करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए दोनों एयरलाईनों द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

**एअर इंडिया**

1. अतिरिक्त राजस्व के सृजनार्थ विपणन संबंधी प्रयासों में तेजी लाई गई है।
2. लाभप्रद मार्ग पर जोर देकर नेटवर्क का युक्तिकरण और समेकन किया गया।
3. विमानों की बाह्य मरम्मत संबंधी कार्यों पर होनेवाले व्यय में कमी करने के लिए और अधिक इन-हाउस मरम्मत संबंधी कार्यों को हाथ में लिया गया।
4. विदेश में भारतीय अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है।

**इंडियन एयरलाइंस**

1. ऑफ लाइन स्टेशनों को बंद करना और बुकिंग कार्यालयों की संख्याओं में कमी करना।
2. प्रचालनात्मक कारणों से नितांत आवश्यक न होने की दशा में भर्ती पर प्रतिबंध।
3. कार्यालय भवनों पर होने वाले व्यय में भारी कटौती।
4. प्रचालनात्मक कारणों से नितांत आवश्यक न होने की दशा में पूंजीगत व्यय पर रोक।
5. घाटे वाले मार्गों की आवृत्तियों में कमी करना।

### मदुरै में रेल सेवाओं में सुधार

**2047. डा॰ सुब्रमणियन स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मदुरै दक्षिणी भारत में रेल नेटवर्क का महत्वपूर्ण स्थान है;

(ख) यदि हां, तो मदुरै में और इसके आसपास रेल सेवाओं में सुधार और विस्तार की बड़ी मांग है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मदुरै में और उसके आस-पास रेलवे नेटवर्क में सुधार के लिए मदुरै-रामेश्वरम मीटर गेज लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है, बड़ी लाइन के यातायात में प्रत्याशित वृद्धि को सम्हालने के लिए मदुरै में आवश्यक टर्मिनल सुविधाओं के विस्तार की भी योजना है।

### स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की खरीद

**2048. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय, सर्विस मुख्यालयों, अन्तर सेवा संगठनों, दिल्ली छावनी और उसके निकटस्थ कस्बों के रक्षा प्रतिष्ठानों में स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की मांग तथा खरीद के कंप्यूटरीकरण के अभाव में इनकी खरीद में भारी अनियमितताएं हो रही हैं और उत्पादों की गुणवत्ता तथा निम्नतम दरों की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सर्वाधिक उचित दर पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या क्रय प्रक्रिया सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें उच्चधिकारियों के साथ कम्प्यूटर नेटवर्क से संबद्ध कर मांग और खरीद का कंप्यूटरीकरण करने का कोई प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मौजूदा प्रक्रियाओं में केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार से उचित दामों पर उच्च गुणता वाले उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। इन भंडारों में उपलब्ध न होने वाली मदों को ही न्यूनतम दरों पर स्थानीय तौर पर खरीदा जाता है जिसके लिए सक्षम प्राधिकारियों का प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है।

### दिल्ली के लिए मास्टर प्लान

**2049. श्री तथागत सत्पथी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लिए बने मास्टर प्लान 2001 में संशोधन किया है; और**

(ख) यदि हां, तो इसमें किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 और रिहायशी निर्माण संबंधी मानदण्डों में संशोधन किया गया है। अधिसूचना सं॰ के-120 16/5/79-डी.डी.-1 ए/वीए/आईवी दिनांक 23-7-98 के तहत मास्टर प्लान 2001 में अंकिए गए नए प्रावधान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खण्ड 3-उपखण्ड II के अंश*

**उपांतरण :**

1. भारत के राजपत्र दिनांक 1.8.90 के पृष्ठ 159 (दायीं ओर) तथा दिनांक 15.5.95 को अधिसूचना के अधिक्रमण में, रिहायशी भूखण्ड-प्लाटबद्ध आवास (001) को तालिका और पाद टिप्पणी का निम्नलिखित प्रकार से उपांतरण किया जाता है :

| क्र.सं. | प्लाट का क्षेत्र (वर्गमीटर) | अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज (प्रतिशत) | फर्शी क्षेत्र अनुपात | रिहायशी मकानों की संख्या | अधिकतम ऊंचाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 से कम | 75 | 225 | 1 | 12.5 |
| 2. | 32 से 50 तक | 75 | 225 | 2 | 12.5 |
| 3. | 50 से 100 तक | 75 | 225 | 3 | 12.5 |
| 4. | 100 से 250 तक | 66.66 | 200 | 3 | 12.5 |
| 5. | 250 से 500 तक | 50 | 150 | 3(4) | 12.5 |
| 6. | 500 से 1000 तक | 40 | 120 | 6(8) | 12.5 |
| 7. | 1000 से 1500 तक | 33.33 | 100 | 6(8) | 12.5 |
| 8. | 1500 से 2250 तक | 33.33 | 100 | 9(12) | 12.5 |
| 9. | 2250 मे 3000 तक | 33.33 | 100 | 12(16) | 12.5 |
| 10. | 3000 से 3750 तक | 33.33 | 100 | 15(20) | 12.5 |
| 11. | 3750 से अधिक | 33.33 | 100 | 18(24) | 12.5 |

**टिप्पणी**

दिनांक 15-5-95 की अधिसूचना द्वारा स्वीकृत एफ.ए.आर. (फर्शी क्षेत्र अनुपात) बेसमेंट सहित से अधिक, उपर्युक्त तालिका के अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर शुल्क की अनुमति होगी, और/या भवन निर्माण उप-नियमों में निर्दिष्ट दरों पर या समय-समय पर सरकार द्वारा यथा संशोधित आदेशों के अनुसार विकास प्रभार लिए जाएंगे।

(ii) 250 वर्गमीटर से अधिक के प्लाटों के प्रसंग में, जो 24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर या उसके सामने पड़ते हैं (क) एफ.ए.आर. का विस्तार अधिकतम ग्राउण्ड फ्लोर कवरेज तक किया जाएगा, (ख) अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर होगी, तथा (ग) रिहायसी मकानों की संख्या वह होगी, जो कोष्ठक में दी गई है।

(iii) (क) बेसमेंट :

(1) प्लाटबद्ध के विकास में यदि बेसमेंट का निर्माण हो गया है, तो उसे एफ.ए.आर. में शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) बेसमेंट का क्षेत्रफल ग्राऊण्ड फ्लोर के कवरेज से अधिक नहीं होगा और यह ग्राउण्ड फ्लोर के नीचे होगा। तथापि, बेसमेंट के क्षेत्रफल को भीतरी आंगन तथा शाफट के नीचे बढ़ाया जा सकता है।

दिनांक 15-5-95 की अधिसूचना की शेष सभी पाद-टिप्पणी अर्थात (I) और (V) से (XI) यथावत रहेगी।

2. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ संख्या 160 (बायीं ओर) पर रिहायशी प्लाट-समूह आवास (002) के नीचे निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्तन किये जाते हैं:

| | |
|---|---|
| अधिकतम एफ.ए.आर. | 167 |
| अधिकतम ऊंचाई | 33 मीटर |

**टिप्पणी**

अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर शुल्क/या अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए विकास प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर लिया जाएगा।

**अन्य नियंत्रण :**

(1) प्रति हैक्टेयर 175 रिहायशी मकानों की दर से आवास घनत्व की अनुमति होगी, जिसमें 15 प्रतिशत की घट-बढ़ हो सकती है। इसका उल्लेख, क्षेत्र के लिए निर्धारित सकल रिहायशी घनत्व हो ध्यान में रखकर, क्षेत्रीय नक्शे/विन्यास में करना होगा। स्वीकृति के स्तर पर घनत्व में अधिकतम घट-बढ़ 5 प्रतिशत की होगी।

बंगला क्षेत्र (भाग डिवीजन घ) तथा सिविल लाइन्स क्षेत्र (भाग डिवीजन ग) के प्रसंग में, समूह आवास कालोनियों में रिहायशी घनत्व विस्तृत नक्शे के आधार पर नियत किया जाएगा।

(iv) समुदायिक/मनोरंजन हाल, क्रेच, पुस्तकालय, वाचनाल्य तथा सोसाइटी कार्यालय जैसी सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए अधिकतम 400 वर्गमीटर तक अतिरिक्त एफ.ए.आर. की अनुमति दी जाएगी।

रिहायशी प्लाट ग्रुप हाऊसिंग (002) के नीचे के भाग में अनुमत्य गतिविधियों के अन्तर्गत पृष्ठ 155 (बाएं ओर) पर क्रेच तथा हे-केअर सैंटर के अधीन प्रविष्ठियों का निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

सामुदायिक/मनोरंजन-हाल, पुस्तकालय, वाचनालय और सोसाइटी कार्यालय के लिए ग्राऊण्ड फ्लोर पर इनकी अनुमति दी गई है।

3. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र में पृष्ठ 166 (बाएं हाथ पर) व्यवसायिक गतिविधियों के अधीन उपबन्ध को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

रिहायशी प्लाटों तथा फ्लैटों में किसी भी मंजिल पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार व्यवसायिक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी :

आवास के एक भाग, जो एफ.ए.आर का अधिकतम 25 प्रतिशत [illegible] से जो भी कम हो, को व्यवसायिक कौशा पर [illegible] कराने के लिए गैर ध्वनि-प्रदूषण वाली [illegible] कार्यों से अलग उपयोग किया जा सकता है।

[illegible]

दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 164 (आर.एच.एस.) पर सारणी को निम्नलिखित द्वारा प्रत्यापित किया जाएगा :

| | | |
|---|---|---|
| (I) | फार्म हाऊस का न्यूनतम आकार | 0.8 हैक्टेयर |
| (II) | अधिकतम ग्राऊण्ड कवरेज | 5 प्रतिशत |
| (III) | अधिकतम एफ.ए.आर. | 5 (अधिकतम 500 वर्गमीटर की शर्त पर फार्म आकार कितना भी हो) |
| (IV) | मंजिलों की संख्या | 2 |
| (V) | अधिकतम ऊंचा | 8 मीटर |

बेसमेंट सहित सभी निर्माण, यदि कोई हो, को एफ.ए.आर. में शामिल किया जाएगा।

भूस्वामियों को लेआऊट प्लान के अनुसार परिचालन नेटवर्क पर आधारभूत आवश्यकता के लिए मुफ्त में भूमि देनी होगी। इससे उनको कुल क्षेत्र पर एफ.ए.आर, में लाभ प्राप्त होगा।

दिनांक 1.8.90 की भारत सरकार की गजट अधिसूचना के द्वारा उपर्युक्त अनुमत्य के अलावा अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर शुल्क और/या विकास प्रभार समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**केलकर समिति की रिपोर्ट**

**2050. श्री रामशकल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) क्या इंडियन एयरलाइंस बोर्ड ने केलकर समिति की सिफारिशों के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की है;**

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) केलकर समिति की रिपोर्ट सरकार को किस तारीख को सौंपी गई थी;

(घ) केलकर समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) केलकर समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (च) जी, हां। केलकर समिति ने 13.12.1996 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है :

(1) वित्तीय पुनःसंरचना जिसमें 922/- करोड़ रुपए की पूंजी लगाना जो मुआवजे, सबओर्डिनेटेड ऋण, इक्विटी और इंडियन एयरलाइंस और इसके कर्मचारियों द्वारा अंशदान के रूप में है। (2) विमान-बेड़ा योजना, (3) मार्ग युक्तिकरण (4) संगठनात्मक पुनःसंरचना (5) मानव संसाधन प्रबंधन।

केलकर समिति की सिफारिशों के अध्ययन करने और इसके कार्यान्वयन के लिए संभावित उपाय सुझाने के लिए जनवरी, 1997 में सरकार द्वारा प्रधान सलाहकार (परिवहन) योजना आयोग की अध्यक्षता में तत्काल एक उप-समिति गठित की गयी थी।

चूंकि पूर्व-स्थिति बहाली रणनीति में वित्तीय योगदान के रूप में एक बड़ी राशि अंतर्ग्रस्त है, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ परामर्श करके मामले पर विचार किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव**

**2051. श्री माधवराव पाटील :**
**श्री यू.बी. कृष्णमराजु :**
**श्री सी. कुप्पुसामी :**

**क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) क्या सरकार ने हाल ही में सामान्य पूल के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारियों को आवंटित आवासीय क्वार्टरों पर किए गए सभी विभागीय कार्यों के संबंध में शत-प्रतिशत खर्च वसूलने का आदेश जारी किया है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या उनके मंत्रालय को सम्बद्ध विभागों द्वारा रख-रखाव खर्च दिया जा रहा है; और**

**(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने आदेश की समीक्षा करने का है; और**

**(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन सभी सरकारी क्वार्टरों के रख-रखाव जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं?**

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) सरकार द्वारा दिनांक 19-12-97 को एक आदेश

जारी किया गया था जिसके अनुसार सामान्य पूल को छोड़कर अन्य किसी टाइप के रिहायशी वास का आवंटिती यदि परिवहन/परिवर्तन करना चाहे तो वह मंत्रालय, जिससे आवंटिती संबंधित है, कर्मचारी से अपेक्षित अंशदान वसूल करेगा तथा वह कार्य करने की 100 प्रतिशत लागत के. लो.नि.वि. को जमा कराएगा।

(ख) इस संबंध में दिनांक 19-12-97 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 11014/22/90-नि॰ 3 की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इस प्रकार के क्वार्टर की वार्षिक मरम्मत, रखरखाव तथा विशेष मरम्मत के.लो.नि.वि. द्वारा अपने स्रोतों से की जाती है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड.) के.लो.नि.वि. के प्रभाराधीन क्वार्टरों का रखरखाव व आधुनिकीकरण पहले से ही संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मानदंडों व दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

**विवरण**

फॉ. सां. 11014/22/90-नि॰3
भारत सरकार
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
शहरी विकास विभाग
(निर्माण प्रभाग)

निर्माण भवन नई दिल्ली-11
दिनांक 19-12-97

*कार्यालय ज्ञापन*

विषय: आबंटियों के अनुरोध पर सामान्य पूल वास में परिवर्द्धन करना परिवर्तन करना-धनराशि देना-स्पष्टीकरण-के बारे में।

हस्ताक्षरकर्ता को आबंटियों के अनुरोध पर सामान्य पूल वास में परिवर्द्धन/परिवर्तन करने के बारे में इस मंत्रालय के दिनांक 9.1.96 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए आदेश सामान्य पूल रिहायशी वास के अलावा अन्य पूलों के लिए लागू नहीं होते। यदि सामान्य पूल के अलावा अन्य किसी पूल का आबंटिती कोई परिवर्द्धन/परिवर्तन करवाना चाहता है तो संबंधित प्राधिकारी आबंटिती से अपेक्षित अंशदान लेंगे तथा 100 प्रतिशत व्यय उनको अपनी धनराशि से वहन किया जाएगा और यह धनराशि कार्य करने के लिए के.लो.नि.वि. को दी जाएगी तथापि, वार्षिक मरम्मत व रखरखाव तथा विशेष मरम्मत के.लो.नि.वि. द्वारा अपने संसाधनों से ही की जाती रहेगी।

2. यह पत्र वित्त प्रभाग के दिनांक 30-11-97 के डा. सं॰ 1673-ई द्वारा दी गई सहमति तथा सचिव (यू.डी.) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

हस्ता/-

(एस.पी.एस. वरिहार)

उप सचिव (निर्माण)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. सचिव, लोक सभा/राज्य सभा, नई दिल्ली।

**इस्राइल के दौरे पर गया भारतीय शिष्टमंडल**

**2052. श्री डी॰ एस॰ अहिरे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अक्टूबर, 1998 के दौरान एक शिष्टमंडल के साथ इस्राइल दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं और इस दौरे का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या इस दौरे के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) जी, हां। शिष्टमंडल ने 1-11-1998 से 4-11-1998 तक इस्राइल का दौरा किया था।

(ख) शिष्टमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री बाबागौड़ा पाटिल,<br>राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),<br>ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय। | शिष्टमंडल प्रमुख |
| 2. | डा॰ पी॰ एल॰ एस॰ रेडडी,<br>सचिव, ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग,<br>ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय। | सदस्य |
| 3. | श्री एस॰ बी॰ महापात्र,<br>अपर सचिव, बंजरभूमि विकास विभाग,<br>ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय। | सदस्य |
| 4. | श्री एम॰ मदन गोपाल,<br>निजी सचिव,<br>राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)<br>ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय। | सदस्य |

दौरे का उद्देश्य ग्रामीण विकास तथा बंजरभूमि/मरुभूमि विकास से संबंधित मामलों पर विचार-विर्मश करना था तथा बंजरभूमि विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विपणन तथा वाटरशेड प्रबंधन के क्षेत्र में इस्राइल और भारत के बीच आपसी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण विकास योजना कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार**

**2053. डा॰ चिन्ता मोहन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 फरवरी, 1998 के ''द पायनियर'' में ''करप्ट आफिस आक्शन पब्लिक फंड्स'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास रोजगार बीमा योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वीकृत धनराशि का बहुत से राज्यों में दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार में प्रकाशित आरोपों की कोई जांच करायी है, और

(घ) यदि हां, तो जांच एजेंसी का नाम क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) :** (क) से (घ) जी, हां। सरकार को दिनांक 10 फरवरी, 1998 का ''दि पायनियर'' में ''करप्ट आफिसर्स आक्शन पब्लिक फंड्स'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है। यह उत्तर प्रदेश

...तर प्रदेश सरकार से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच कर ली है। उन्होंने सूचित किया है कि हालांकि उन्होंने जिलों में सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यकरण में अनेक कमियां पाई हैं लेकिन भ्रष्टाचार का कोई प्रत्यक्ष मामला नहीं पाया गया था। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने भ्रष्टाचार दूर करने तथा पूर्ण पारदर्शिता लाने के प्रश्न की जांच की है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि ग्रामीण विकास योजनाओं में कदाचार को रोकने के लिए इस समिति के सुझावों को कार्यान्वयन योग्य कार्य-नीतियों में विकसित किया जा रहा है।

कुछ अन्य राज्यों में सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं/चूकों के कुछ और मामले भी मंत्रालय की जानकारी में आये हैं।

*[अनुवाद]*

***नैमित्तिक श्रमिकों को पेंशन लाभ***

**2054. श्री एन.के. प्रेमचन्दन :** *क्या* **रेल मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार का विचार पूरी नैमित्तिक सेवा को पेंशन योग्य सेवा में शामिल करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) रेलों पर लागू अनुदेशों के अनुसार, नैमित्तिक श्रमिकों के नियमित होने के बाद, अस्थायी स्थिति प्राप्त करने की तारीख से लेकर नियमित समाहन होने की तारीख तक नैमित्तिक श्रमिक के रूप में की गई सेवा के 50 प्रतिशत भाग को पेंशन के लाभ उठाने के उद्देश्य से अर्हक सेवा के रूप में माना जाता है। ये अनुदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हैं तथा रेल मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई परिवर्तन करने के लिए एकतरफा कारवाई नहीं की जा सकती है।

*[हिन्दी]*

**रेलवे को प्राप्त राजस्व**

**2055. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के पृथक-पृथक नाम क्या हैं जिनसे रेल विभाग को अधिकतम और न्यूनतम राजस्व प्राप्त होता है; और

(ख) उन राज्यों के पृथक-पृथक नाम क्या हैं जहां रेल मार्ग की लंबाई अधिकतम और न्यूनतम है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) राजस्व से संबंधित सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती है। बहरहाल, इस संबंध में क्षेत्रवार सूचना निम्नलिखित है :

> वर्ष 1997-98 के लिए यातायात आय की सूचना के आधार पर रेलों ने अधिकतम राजस्व दक्षिण पूर्व रेल से (5544.73 करोड़ रुपये) प्राप्त किया तथा न्यूनतम राजस्व पूर्वोत्तर सीमांत रेल (483.18 करोड़ रुपये) से प्राप्त किया है।

(ख) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार (31.3.97 के अनुसार) उत्तर प्रदेश सबसे लम्बाई की रेलवे लाइन (मार्ग कि. मी.) (8911.13 कि.मी.) वाला राज्य है और अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम मार्ग किलोमीटर (1.26 कि.मी.) वाला राज्य है।

*[अनुवाद]*

**जामनगर रेलवे स्टेशन पर तत्काल आरक्षण**

**2056. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सौराष्ट्र मेल के लिए जामनगर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत तत्काल आरक्षण सुविधा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 9006 अप ओखा-मुम्बई सेन्ट्रल सौराष्ट्र मेल में 14.10.98 से तथा 9005 डाउन मुम्बई सेन्ट्रल-ओखा सौराष्ट्र मेल में 7.12.1998 से मुम्बई सेन्ट्रल से जामनगर तक शयनयान दर्जे में जामनगर में तत्काल आरक्षण सुविधा मुहैया कराई गई है।

## नैमित्तिक मजदूरों को रेल कर्मचारियों में शामिल करना

**2057. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :**
**श्रीमती मिनाती सेन :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जनवरी, 1981 से पूर्व कार्यरत और बाद में छंटनी किए गए नैमित्तिक मजदूरों को उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार स्थाई रूप से रेल कर्मचारियों में सम्मिलित होने का विकल्प दिया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) जिन नैमित्तिक श्रमिकों ने 1.1.1981 से पहले रेलों में काम किया था तथा जिन्हें कार्य के समापन और/अथवा अन्य कार्य की कमी के कारण हटा दिया गया था, को माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल 1986 की याचिका सं. 332 के दिनांक 23.2.87 के निर्णय के तहत पूरक चालू नैमित्तिक श्रमिक रजिस्टर में नाम सम्मिलित करने के लिए 31.3.87 तक अभ्यावेदन देने के लिए एक अवसर दिया गया था और इन नैमित्तिक श्रमिकों, जिनकी दस्तावेजी प्रमाण सहित आवेदन सही पाये गये, को कथित रजिस्टर में शामिल कर लिया गया। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ऐसे नेमित्तिक श्रमिकों, जिन्होंने नैमित्तिक श्रमिक के रूप में जितने दिन काम किया था, के 1.1.81 को चालू रजिस्टर में उल्लिखित नैमित्तिक श्रमिकों के पद को पूरा करने के पश्चात् भावी रिक्तियों के आधार पर नियमित समाहन पर विचार किया जाना है।

*[हिन्दी]*

## जबलपुर में सवारी गाड़ी के प्रस्थान के समय में परिवर्तन

**2058. श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी से चलकर इलाहाबाद जाने वाली सवारी गाड़ी जबलपुर में अपराह्न 3.30 बजे पहुंचती है और वहां लगभग ढाई घंटे सकती है तथा वहां से सायं 6.05 बजे पुनःप्रस्थान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलगाड़ी का प्रस्थान समय बदलकर सायं 5.00 बजे करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) 1389 इटारसी-इलाहाबाद पैसेंजर जबलपुर में 1535 बजे पहुंचती है और वहां से 1805 बजे प्रस्थान करती है जो जबलपुर-कटनी खंड के दैनिक यात्रियों और प्रतिदिन कार्यालय जाने वालों के लिए उपयुक्त है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जांच की गई थी परंतु वांछनीय नहीं पाया गया चूंकि यह अत्यधिक संवेदनशील दैनिक गाड़ी है।

*[अनुवाद]*

## एच० एस० सी० एल० को कायदिश

**2059. श्री सुनील खां :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्रों को एच० एस० सी० एल० को संविदा देने के संबंध में आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात संयंत्रों द्वारा उक्त आदेशों का पालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान "सेल" के अधीन इस्पात संयंत्रों का कितना और क्या कार्य निजी एजेंसियों और एच० एस० सी० एल० द्वारा कराया गया?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

## जाली रेल टिकटों की बिक्री

**2060. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :**
**श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :**
**श्री पंकज चौधरी :**
**श्री तेजबीर सिंह :**
**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर जाली रेल टिकटें बिक रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा जाली टिकटें बेचनेवाले किसी गिरोह को गिरफतार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस गिरोह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान ऐसी जाली टिकटें बिकने के कारण रेलवे को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (घ) जी नहीं। जालसाजी निरोधक दस्तों और रेलों के सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न एजेंसियों यथा सी बी आई, पुलिस तथा रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों के सहयोग से नियमित और अचानक जांचें की जाती हैं। ऐसी जांचों के दौरान नकली/जाली टिकटों की बिक्री के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों को पकड़ा गया है और अभियोजन के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसके कारण राजस्व को किसी प्रकार की हानि होने से बचाने के लिए ऐसी टिकटें भी जब्त कर ली गई हैं।

*[अनुवाद]*

**आयात लाइसेंस**

**2061. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**
**श्री एस० एस० ओवेसी :**

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेल" और आर० आई० एन० एल० और एम० एस० टी० सी० ने अपने आयात लाइसेंस बेच दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या निकले;

(ड.) क्या इन कंपनियों के कुछेक अधिकारियों को आयात लाइसेंसों की बिक्री में संलिप्त पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

न **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर. आई. एन. एल.) और मैटल स्क्रैप ट्रैड कारपोरेशन लि० (एम० एस० टी० सी०) द्वारा अग्रिम आयात लाइसेंसों को बेचने के संबंध में उन परिस्थितियों, जिनमें इन सभी ने यह कार्य किया, का पता लगाने और भविष्य में ऐसे लाइसेंसों के बेचने पर की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देने के लिए स्वतंत्र रूप से जांच की गई है। जांच में सेल, आर. आई. एन. एल. और एम. एस. टी. सी. द्वारा कुछ मामलों में की गई अपर्याप्त अनियमित और अनुचित कारवाई के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है इस प्रश्न से संबंधित विषय इस समय न्यायाधीन है।

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) :** महोदय सेंकड़ों मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है और 'एस्मा' लगा दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेगें।

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य :** महोदय, कृपया मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति प्रदान करें। . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री आचार्य जी, मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

***(व्यवधान)***

---

**अपराह्न 12.01 बजे**

*[अनुवाद]*

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि**

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्च फर्नान्डीज) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल० टी० 1735/98]

(ख) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल० टी० 1736/98]

**लक्षद्वीप भवन निर्माण विकास बोर्ड नियम, 1997 के अंतर्गत लक्षद्वीप भवन निर्माण विकास बोर्ड नियम 1997 की प्रति**

**शहरी विकास तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

लक्षद्वीप भवन-निर्माण विकास बोर्ड विनियम, 1997 की धरा 31 के अन्तर्गत लक्षद्वीप भवन-निर्माण विकास बोर्ड नियम, 1997 जो 1 अगस्त, 1997 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० नं० डब्ल्यू (XV)/एसई/84 खंड-III (3) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल० टी० 1737/98)

---

अपराह्न 12.01½ बजे

## समितियों का प्रतिवेदन

*[हिन्दी]*

### प्राक्कलन समिति

### दूसरा प्रतिवेदन

**श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) :** महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय-कच्चा तेल-स्वदेशी उत्पादन और आयात के बारे में प्राक्कलन समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

*[हिन्दी]*

### लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

### पहला प्रतिवेदन

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (बारहवीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं.

अपराह्न 12.02½ बजे

*[अनुवाद]*

### रक्षा संबंधी स्थायी समिति विवरण

**स्कवैड्रन लीडर कमल चौधरी** (होशियारपुर) : महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की 1997-98 की अनुदानों की मांगों से संबंधित, समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी, समिति (बारहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

### उद्योग संबंधी स्थायी समिति

### छब्बीसवां से उन्तीसवां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री अन्ना साहिब एम० के० पाटिल** (इरानडोल) : महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण और पूंजीगत माल क्षेत्र के राज्य के बारे में समिति की 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति का 26वां प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति का 27वां प्रतिवेदन।

(3) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति का 28वां प्रतिवेदन; और

(4) उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति का 29वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

### कार्य मंत्रणा समिति के संबंध में प्रस्ताव

### सातवां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा 9 दिसम्बर, 1998 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवदेन से सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 9 दिसम्बर, 1998 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

---

अपराह्न 12.04½ बजे

## उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक*

*[अनुवाद]*

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दूरई) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**श्री राजेश पायलट** (दौसा) **:** माननीय मंत्री जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए, जहां इनकी माँग की गई है, पीठ के लिए भी विधेयक लाना चाहिए।

**डा० एम० तम्बी दुरई :** हम उस पर भी विचार कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 10.12.98 में प्रकाशित।

अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

*[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ]*

**डा० एम० तम्बी दुरई :** मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

---

*[अनुवाद]*

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) :** महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय :** अध्यक्ष पीठ की बात सुनिए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब [illegible] किसानों की फसल खराब हो गई है। [illegible] टीम गई थी। ...*(व्यवधान)* यह पंजाब और [illegible] बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.05 बजे**

*[अनुवाद]*

## सभा के कार्य के बारे में घोषणा

**अध्यक्ष महोदय :** श्री बसुदेव आचार्य, कृपया इन्तजार कीजिए। अध्यक्ष पीठ की बात सुनिए।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, आज की कार्य सूची में तीन मदों को शामिल किया गया है जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हो चुकी है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त की 30वीं रिपोर्ट के संबंध में विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव, अल्पसंख्यकों पर किए गए अत्याचारों और उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन विधेयक, 1998 के संबंध में अल्पावधिक चर्चा।

अल्पावधि चर्चा को आज निरन्तर तीसरे दिन शामिल किया गया है और अभी भी अनेक सदस्य इस संबंध में बोलने के इच्छुक हैं। सभा इस बात को मानेगी कि किसी विषय को इस तरह से अगले दिन जारी रखने से पूरे सप्ताह की कार्य-सूची गड़बड़ा जाती है।

मेरा यह विचार है कि उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन विधेयक, 1998 पर सभा द्वारा सबसे पहले विचार किया जाए और उसे निपटाया जाए। तत्पश्चात् सभा मद संख्या 11 में सूचीबद्ध प्रस्ताव अर्थात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के तत्कालीन आयुक्त की रिपोर्ट के संबंध में चर्चा कर सकती है और अपराह्न 4.00 बजे सभा अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के संबंध में अल्पावधि चर्चा शुरू कर सकती है।

मेरा यह विचार है कि हमें आज ही यह चर्चा समाप्त कर देनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और ताकि अधिक से अधिक सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकें मैं सभा की अनुमति से, यह सुझाव देता हूँ कि आज कोई शून्य-काल और भोजनावकाश न हो। सभा नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा समाप्त करने के लिए देर तक भी बैठ सकती है।

मुझे उम्मीद है कि सभा इससे सहमत है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** हम कल देखेंगे। कृपया समझिए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

आइए अब हम मद संख्या 12 पर विचार करें, अर्थात् ''उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन विधेयक पर और आगे विचार करना।''

श्री थावर चन्द गेहलोत को अपना भाषण जारी रखना है। मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ। मैं शून्य-काल के अधीन निवेदनों के लिए अनुमति कल दूँगा क्योंकि आज हमारे पास बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कल, आज नहीं। श्री सोमनाथ चटर्जी।

---

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) :** मैं नहीं समझता कि यह विश्वास दिलाने के लिए इतना अधिक समझाने की आवश्यकता है कि इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। मेरे विचार में सरकार का भी यही विचार है। आम लोगों विशेषकर कि मजदूरों पर बढ़ते हुए दबाव के संदर्भ में पूरे भारत में हड़ताल का आह्वान किया गया है। चाहे आपको यह पसन्द हो अथवा नहीं, यह होने जा रहा है।

हम कह रहे हैं कि हम, सदस्य उत्तेजित हैं। सरकार-कम से कम हरियाणा सरकार-विशेष रूप से उस राज्य में भी युद्ध छेड़कर इससे निपटने जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों में भी समास्याएं व्याप्त हैं। 'एस्मा' जैसा इतना अधिक कठोर कानून-जिसके विरुद्ध श्री जॉर्ज फर्नान्डीज और हमने इस सभा में डटकर बहस की थी और मुझे उस कठोर विधेयक पर उस कटु आलोचना के बारे में भी याद है-उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। सैंकड़ों मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

क्या लोगों की समास्याओं से निपटने का यही तरीका है? इसलिए, निश्चय ही, हमें उनकी समस्याओं, उनकी भावनाओं और इसके विरुद्ध उनकी विरोध की भावनाओं को उजागर करना है और मुझे विश्वास है कि इस सभा के काफी सदस्य इसका विरोध करने में मेरा साथ देंगे।

अत: मैं इस संबंध में सरकार द्वारा मध्यस्थता किए जाने का सुझाव देता हूँ। वहाँ उनके अपने आदमी हैं। उनके सहयोगी दल वह सरकार चला रहे हैं। भारत सरकार के नाते, इस देश के श्रमिक वर्ग के प्रति

उनका कर्त्तव्य है। सरकार को ऐसे दमनकारी उपायों को जारी रखने को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं। यही हमारी न्यूनतम मांग है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र सिंह** (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, जैसे सदन के सम्मानित सदस्य श्री सोमनाथ जी ने सदन में कहा ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : *(व्यवधान)* अनेक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। . . .*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र सिंह :** जब यह बोल रहे थे तब हम बिल्कुल चुप थे और बड़े आराम से हमने इनका प्रौटेस्ट सुना। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय उत्तर देने जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र सिंह :** अध्यक्ष जी, अब यह बोले हैं तो मुझे भी बोलने का अधिकार है। . . .*(व्यवधान)* आपने मुझे बुलाया है। आप इन्हें कहें कि ये बैठ जायें। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

वह केवल विरोध करना चाहते हैं। मैं उनके विरोध के संबंध में जानता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ, वह उसे सुनने की स्थिति में नहीं हैं। *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सुरेन्द्र सिंह के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र सिंह :** अब यह कह रहे हैं कि . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

वे पूछ रहे हैं कि मैं उत्तर देने वाला कौन हूँ।

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र सिंह :** यह बोलेंगे तो मैं भी हरियाणा के बारे में बोल सकता हूं। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया समझिए, मंत्री महोदय उत्तर देने जा रहे हैं। कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय उत्तर देने जा रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र सिंह :** अध्यक्ष जी, जब यह अपना प्रौटेस्ट लांज कर चुके हैं . . . *(व्यवधान)* आपने इनको टाइम दिया . . . *(व्यवधान)* आपने मुझे भी कॉल किया है। . . . *(व्यवधान)*

**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** (पटियाला) : स्पीकर साहब, आप इनको चुप कराइये। . . . *(व्यवधान)* ये बार-बार खड़े होकर बोल रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** सुरिन्द्र सिंह, आप बोलिये।

*(व्यवधान)*

**श्री सुरेन्द्र सिंह :** अध्यक्ष महोदय, श्री सोमनाथ जी ने हरियाणा में ऐसमा इम्पोज करने के बारे में यहां जिक्र किया है। आपने मुझे भी बोलने के लिए आदेश दिया है। मैं सरकार की पैखी करने के लिए यहां नही खड़ा हुआ हूं लेकिन ऐसमा का जो कानून है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने . . . *(व्यवधान)* कानून कायदे के मुताबिक सरकार का काम मुलाजिमों के बीच में और सरकार के बीच अमन पसंद तरीके से चले। वहां पर इम्पलाइज की मेन डिमांड फिफ्थ पे कमीशन के बारे में रखी गयी थी। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसमें सरकार की रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए फिफ्थ पे कमीशन का सारा पैसा दे दिया गया। . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

यदि आप यहां विद्रोह कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी इस सभा का सदस्य हूं। मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। उन्होंने हरियाणा का उल्लेख किया है। मैं हरियाणा का सदस्य हूं।

*[हिन्दी]*

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर हरियाणा की विधान सभा की चर्चा करना चाहता हूं। . . . *(व्यवधान)* इन्होंने आज जो स्ट्राइक कॉल की है . . . *(व्यवधान)* वहां फसल का वक्त है . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मदन लाल खुराना। श्री सुरेन्द्र सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या मंत्री महोदय कोई उत्तर देने जा रहे हैं? श्री खुराना, क्या आप कुछ कहने जा रहे हैं? यह क्या है? . . .*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री सुरेन्द्र सिंह :** कृपया मेरी बात सुनिए।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें एक मिनट चुप कराइये। . . . *(व्यवधान)* ये सदस्य कह रहे हैं। . . . *(व्यवधान)***

[श्री सुरेन्द्र सिंह]

*[अनुवाद]*

वे पूछ रहे हैं कि मैं जवाब देने वाला कौन हूं। मैं सरकार की ओर से जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं यहां सरकार का बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हूं। मैं यहां सरकार के मत का जवाब देने के लिए नहीं हूं। चूंकि वह भी अपनी बात कह रहे हैं इसलिए जो कुछ मुझे कहना है, मुझे उसे कहने का पूरा अधिकार है। इस पर उनका एकाधिकार नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपनी बात समाप्त करें।

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र सिंह :** हरियाणा में 24 घंटे . . . *(व्यवधान)* आज फसल का वक्त है और किसान की फसल खराब हो रही है। . . . *(व्यवधान)* बिजली बोर्ड के जो मुलाजिम हैं, वे किसानों को बिजली नहीं लेने देते, वे किसानों तक पानी नहीं पहुंचने देते। . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**चटर्जी :** वह अपनी बात कह चुके हैं। .

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र सिंह :** वहां धरना देते हैं कि बिजली काट दी जाये, तो क्या हम 'ऐसमा' भी लागू न करें। . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (मिदनापुर) : महोदय, कल की हड़ताल पूरे भारत में एक दिन का विरोध प्रदर्शित करना है और कानून के अनुसार पूर्वसूचना दे दी गई है। हम यह जानना चाहते हैं कि यह सरकार हड़ताल न होने दे ने के उद्देश्य से इन दमनकारी उपायों का सहारा क्यों ले रही है। यहाँ कोई हिंसा नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। एक शान्तिपूर्ण हड़ताल होने जा रही है।

**श्री सुरेन्द्र सिंह :** महोदय, यह बिल्कुल भी शान्तिपूर्ण नहीं है।

*[हिन्दी]*

बसे जलाई जाती हैं, पावर हाउस तबाह कर दिए जाते हैं। . . . *(व्यवधान)* आप देखें, क्या यह पीसफुल डैमौन्सट्रेशन है? . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** हम जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विचार है। सरकार को कुछ कहने दीजिए कि उनका श्रमिकों की मांगों और हड़ताल से किस प्रकार निपटने का इरादा है।

*[हिन्दी]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) :** अध्यक्ष जी, सरकारी कर्मचारी हमारे साथी रहे हैं, इस सरकार के अंग हैं, हमने उनकी मांगों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। जो 'ऐसमा' की बात आप कर रहे हैं, यह ठीक है कि जार्ज जी हों या हम सब हों, सबने ऐसमा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसमा आपने बनाया और उसे दो साल तक नहीं हटाया, समर्थन दिए रखा। . . . *(व्यवधान)* सैंट्रल गवर्नमैंट ने ऐसमा का दुरुपयोग करने के लिए कोई आदेश नहीं दिए। यदि आपके ध्यान में कोई ऐसा मामला है तो हमारे पास लाइए, हम उसे देखेंगे।. . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** महोदय, यह और कुछ नही बल्कि श्रमिक वर्ग का अपमान है। इन परिस्थितियों में हम यहाँ नहीं बैठ सकते। हमें अपना विरोध अवश्य जाहिर करना चाहिए। इसके विरोध में हम सभाभवन से बाहर जा रहे हैं . . .*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.17 बजे**

*इस समय, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री इन्द्रजीत गुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभाभवन से बाहर चले गए।*

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : महोदय, हम भी इसके विरोध में सभाभवन से बाहर जा रहे हैं . . *(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.17 बजे**

*इस समय श्री राम विलास पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।*

**श्री पी॰ शिव शंकर** (तेनाली) : महोदय, हम भी इसके विरोध में बाहर जा रहे हैं . . . *(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.17¼ बजे**

*इस समय श्री पी॰ शिव शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह (देवरिया) :** सरकार की मजदूर विरोधी नीति के विरोध में, यह सरकार मजदूरों के सवाल पर दकियानूसी रवैये का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए हम और हमारी पार्टी इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं। . . . *(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.18 बजे**

*इस समय श्री मोहन सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।*

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य :** महोदय, हम सरकार द्वारा मजदूरों के विरुद्ध इस्तेमाल किए जा रहे गैरलोकतांत्रिक तरीकों का विराध करते हैं। हरियाणा के लोगों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया गया है। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हे परेशान किया जा रहा है। हम इसके विरोध में सभा भवन से बाहर जाते हैं।

**अपराह्न 12.18¼ बजे**

*इस समय श्री बसुदेव आचार्य सभा भवन से बाहर चले गए।*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** (मुम्बई उत्तर-मध्य) : यह सरकार मजदूर विरोधी है। . . . *(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.18½ बजे**

*इस समय श्री रामदास आठवले सभा भवन से बाहर चले गए।*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली) : सरकार मजदूरों के आंदोलन को दबा रही है। सरकार ने महंगाई बढ़ाकर आर्थिक नीति को चौपट कर दिया है। इसके खिलाफ हम सदन का बहिष्कार करते हैं। . . . *(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.19 बजे**

*इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह सभा भवन से बाहर चले गए।*

*[अनुवाद]*

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : महोदय, हम भी इसके विरोध में शामिल हैं इसलिए बाहर जाते हैं।

**अपराह्न 12.19¼ बजे**

*इस समय श्री जी० एम० बनातवाला सभा भवन से बाहर चले गए।*

**श्री आरिफ मोहम्मद खां** (बहराइच) : हम वाक-आउट करके आ गए। *(व्यवधान)*

**श्री मदन लाल खुराना** : अध्याक्ष जी, मैं इस बात को फिर रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि केन्द्रीय कर्मचारी इस सरकार के अंग है और केन्द्र सरकार ने हड़ताल के बारे में ऐसमा का दुरुपयोग न किया है और न ही करने के आदेश दिए हैं। यदि किसी सरकार ने ऐसा किया है, यदि वह हमारे ध्यान में लाया जाएगा तो हम उसे जरूर देखेंगे। लेकिन हम कोई अनडैमोक्रेटिक कदम नहीं उठाना चाहते। मैंने पहले कहा कि ऐसमा कांग्रेस ने लगाई और दो वर्ष तक इनके दो-दो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंन इसे चालू रखा, उस समय ये चुप रहे। . . .*(व्यवधान)* रेलवे हड़ताल में कांग्रेस ने क्या किया था, यह कांग्रेस को मालूम है। तीन-चार साल पहले इसी सैंट्रल गवर्नमैंट ने केन्द्रीय कर्मचारियों पर किस तरह से अत्याचार किए थे, किस तरह से दमन किए थे, वह सबके सामने है। . . *(व्यवधान)*

**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** (पटियाला) : यह सफाई देने का क्या लाभ, वे तो पहले ही बायकाट का फैसला करके आये थे। यह कामरेडों की आदत है, उन्हें यह करना ही था।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही अहम् मामला आपके माध्यम से इस सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री आरिफ मोहम्मद खां** : महोदय, यह राष्ट्रपति को लिखा गया एक पत्र है। कल एक बहुत ही गंभीर घटना घटी है। यह इस सदन के एक माननीय सदस्य के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। . . .*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह उसी संदर्भ में है या किसी अन्य संदर्भ में है?

**श्री आरिफ मोहम्मद खां** : महोदय, यह इस सदन के एक माननीय सदस्य के जीवन से संबंधित प्रश्न है। यह कुमारी मायावती को दी गई धमकियों के संबंध में है। कल लखनऊ में हुआ यह था . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आज नहीं, कल बतलाइएगा। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे। श्री चंद्रेश पटेल।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री चंद्रेश पटेल जो कुछ कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कल कहिएगा, आज नहीं।

*[हिन्दी]*

**प्रो० प्रेमसिंह चन्दूमाजरा** : हमने जीरो ऑवर के लिए नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : उसे आज नहीं कल लेंगे।

*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.21 बजे**

*इस समय प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रो० चन्दूमाजरा जी, कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह ठीक नहीं है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : पहले आप अपने स्थान पर जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे। श्री चंद्रेश पटेल जी।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आरिफ मोहम्मद खां, क्या सदन में इस तरह का व्यवहार किया जाता है?

**श्री आरिफ मोहम्मद खां** : महोदय, फिर हम संरक्षण पाने के लिए कहाँ जाएंगे? . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आज नहीं, कल लेंगे।

*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** आज नहीं, कल।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री चंद्रेश पटेल जी जो कुछ बोलेंगे उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

**अपराह्न 12.23 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) गुजरात के जामनगर जिले की अद्यतन टेलीफोन डायरैक्टरी शीघ्र प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रेश पटेल** (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में जामनगर में जामनगर टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट की टेलीफोन डायरैक्टरी बहुत लम्बे समय से प्रकाशित नहीं हुई है। पिछली डायरैक्टरी वर्ष 1996 में [illegible] जिसमें 30.11.1996 तक के अपटुडेट नम्बर हैं, लेकिन [illegible] चेंज निम्न प्रकार खुले हैं, जिनके नम्बर उसमें [illegible]

1. लेवल 50 न्यू जी.आई.डी.सी. एक्सचेंज 5,000 लाइन का।
2. लेवल 67 न्यू सिटी एक्सचेंज 10,000 लाइन का।
3. लेवल 54 एक्सचेंज 2,000 लाइन का विस्तारित किया गया है।
4. लेवल 55 एक्सचेंज 5,000 लाइन का विस्तारित किया गया है।

इस तरह 1996 के बाद बहुत नये नम्बर हो चुके हैं, लेकिन अपटुडेट डायरेक्टरी न होने से व्यापारी, उद्योगों एवं जनता को बहुत कठिनाई होती है और अब 1996 की डायरेक्टरी बिल्कुल काम की नहीं रही। 05.10.1998 को जामनगर (गुजरात) में डिपार्टमेंट में ओपन हाउस आयोजित किया था, उसमें भी जनता ने यह मामला उठाया था, लेकिन अभी तक अपटुडेट नई टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित नहीं हुई।

अत: नई अपटुडेट टेलीफोन डायरेक्टरी फौरन प्रकाशित की जाये।

### (दो) मध्य प्रदेश में नमोशुद्र बंगालियों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

**श्री सोहन पोटाई** (कांकेर) : अध्यक्ष महोदय, नमोशुद्र बंगालियों को अन्य प्रान्तों में एस.सी. का दर्जा प्राप्त है, जबकि मध्य-प्रदेश की सरकार इन्हें पिछड़ी जाति में लेना चाहती है।

अत: आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य-प्रदेश के नमोशुद्र बंगालियों को भी एस.सी. का दर्जा प्रदान किया जाये।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

### (तीन) मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को "रस्ट" बीमारी द्वारा हुई क्षति के कारण प्रभावित किसानों की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

**श्री रामानन्द सिंह** (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मध्य-प्रदेश में इस वर्ष सोयाबीन की खरीफ फसल में रस्ट की बीमारी लगने से किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी है। गत वर्ष अत्यधिक वर्षा से सोयाबीन की फसल खेत व खलिहान में ही सड़ गई थी व अधिकांश खलिहान में ही उग आई थी। इस वर्ष किसानों ने सरकार से अत्यन्त महंगी दर पर सोयाबीन खरीदकर बोया था, जो 60 से 70 प्रतिशत तक जर्मिनेशन नष्ट होने से उगा ही नहीं तथा जो उगा भी, वह रस्ट की बीमारी से बर्बाद हो गया, जिससे किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी है। स्थिति यह है कि अब मध्य-प्रदेश में किसानों के पास अगली फसल में बोने के लिए भी सोयाबीन के बीज उपलब्ध न होंगे।

अत: भारत सरकार से आग्रह है कि मध्य-प्रदेश में सोयाबीन फसल को रस्ट से हुई बीमारी के नुकसान का आकलन मंगाये तथा 10 एकड़ से कम वाले छोटे किसानों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कराये व अगले वर्ष के बीज की व्यवस्था भी करे।

### (चार) गुजरात में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा कदम उठाए जाने की आवश्यकता

**श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया** (जूनागढ़) : पाकिस्तानी संस्था आई.एस.आई. के नापाक इरादों को देखते हुए हमारे देश की सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में फेंसिंग का कार्य हो रहा है और गुजरात में भी फेंसिंग के कार्य के लिए विचार हो रहा है, लेकिन गुजरात में तटवर्ती क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से आज भी असुरक्षित है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि :-

(क) तटवर्ती क्षेत्र का पैट्रोलिंग कोस्ट गार्ड को सौंपा जाए।

(ख) राज्य सरकार द्वारा संयुक्त पैट्रोलिंग के खर्च को केन्द्र सरकार द्वारा रिम्बर्स किया जाए।

(ग) संयुक्त तटवर्ती पैट्रोलिंग के लिए हाई स्पीड बोट की सुविधा दी जाए।

गुजरात की तटवर्ती सुरक्षा के बारे में केन्द्र सरकार के माननीय गृहमंत्री को एक मेमोरेंडम दिनांक 2.4.1998 को दिया गया था और दिनांक 16.10.1998 को मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र भी दिया है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गुजरात में तटवर्तीय क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में तत्काल निर्णय करें।

### (पांच) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

**श्री के. डी. सुल्तानपुरी** (शिमला) : हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर में ट्रांसगिरि का क्षेत्र व राजगढ़ रेणुका एवम् सिलाई के अलावा जौनसार जो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है, वह भी सिरमौर रियासत का भाग था, परन्तु वह उत्तर प्रदेश में शामिल हो गया और बाकी रियासत सिरमौर में रह गई। यहां का जो जनजाति क्षेत्र है, वह अभी तक जनजाति

क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में शामिल भाग जनजाति क्षेत्र घोषित हो चुका है। जिला सिरमौर को इन जनजातियों को घोषित करने की जो मांग रही हैं और इस सम्बन्ध में हिमाचल विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को इस जनजाति क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने हेतु अनुशंसा की है। परन्तु भारत सरकार ने इस उचित मांग को अभी तक नहीं माना है। हालांकि इनके सारे रस्मों-रिवाज और रिश्तेदारी साथ लगते क्षेत्र जौनसार के समान है। अत: भारत सरकार से मांग करता हूं कि इनकी बहुत देर से चली आ रही इस मांग को अविलम्ब पूरा किया जाए और इनके आक्रोश को जो अभी तक प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित करते रहे हैं, उसमें भी बढ़ावा न हो और उनके उग्र आक्रोश को भी शांत किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इनकी मांगों को शीघ्र पूरा करेगी।

### (छह) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के रामागुण्डम सुपर थर्मल पावर स्टेशन की भूमि से बेदखल हुए लोगों की शिकायतों की जांच किए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**डा० सुगुण कुमारी चलामेला** (पेड्डापल्ली) : एन० टी० पी० सी० के रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने अपनी स्थापना के दौरान विभिन्न गाँवों के कई लोगों से भूमि खरीदी थी।

1988 में एन० टी० पी० सी० ने चरणबद्ध तरीके से भूमि से विस्थापित कुछ लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तथा इसने विगत कुछ वर्षों में कुछ लोगों को रोजगार उपलब्ध भी कराए हैं। परन्तु 120 लोगों को अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है। ये लोग एन० टी० पी० सी० का ध्यान आकर्षित करने के लिए पिछले दो माह से भी अधिक समय से भूख हड़ताल पर चल रहे हैं। एन० टी० पी० सी० द्वारा समझौते का उल्लंघन करने के कारण लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अल्प संख्यकों के अतिरिक्त अनेक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों ने उक्त परियोजना के लिए भूमि दी है। एन० टी० पी० सी० के प्रबंधन ने समझौते का उल्लंधन किया है। महोदय, इसलिए मेरा माननीय विद्युत मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस मामले की जाँच करें तथा प्रभावित विस्थापितों के साथ न्याय करें।

### (सात) केरल में साबरी रेलवे लाइन को पुनालूर, बरास्ता साबरीमाला तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

**श्री सुरेन्द्र चैंगारा (अदूर) :** पुनालूर तमिलनाडु और केरल का मुख्य द्वार है। अधिकांश साबरीमाला तीर्थ यात्री तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से सड़क के मार्ग से आते हैं और पुनालूर में एकत्रित होते है। वहां से वे साबरीमाला के लिए प्रस्थान करते हैं। पुनालूर पेपर मिल पुनालूर में स्थित है। इसके अलावा, पुनालूर एक औधोगिक और व्यावसायिक नगर भी है। प्रस्तावित रेलवे लाइन को पुनालूर तक बढ़ाए जाने से वहां की जनता विशेष रूप से किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, और विद्यार्थियों को उनके व्यवसाय या व्यापार के अनुरूप सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन लोगों को और भी अधिक लाभ होगा जो कोल्लम के निकटवर्ती स्थानों अर्थात पथानानृवथित्था, कोट्टयम और त्रिवेन्द्रम में रहते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि साबरी रेलवे लाइन को पुनालूर तक बढ़ाया जाए जिसकी किसी भी रूप में विकास के लिए अत्यधिक आवश्यकता है।

---

*[हिन्दी]*

**प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुन: विनती करता हूं कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का यह एक बहुत अहम मामला है। गेहूं की बुवाई शुरू हो गई है, पैसा नहीं मिला है। धान की फसल बहुत खराब हो गई है। हजारों करोड़ो रुपये का नुकसान हो गया है। केन्द्र की ओर से टीम गई थी, उसने सारा सर्वे भी कर लिया था लेकिन कोई पैसा अभी तक नहीं मिला। आज सभी चावल मिलें बंद पड़ी हैं। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** यह सही तरीका नहीं है।

*[हिन्दी]*

**प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** अगर आप समय नहीं देंगे तो हम चले जाते हैं। . . .*(व्यवधान)* हर मामले पर यहां विचार किया जाता है, हमारे मामले पर ही विचार नहीं किया जाता। दो स्टेट का मामला है। सभी मामलों पर यहां विचार किया जाता है। हमें दो मिनट नहीं दिये जाते। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि हम कल 'शुन्य काल' में चर्चा करेंगे। आज, हमारे पास, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा आप क्या कहना चाहते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली) : यह अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है। . . .*(व्यवधान)* गेहूं, आलू और प्याज सबकी बुवाई शुरू है। . . .*(व्यवधान)* इसमें देरी करने से . . . *(व्यवधान)*

**श्री चन्द्रशेखर :** अध्यक्ष महोदय, यह सवाल एक बहुत अहम सवाल है। किसानों की फसल बहुत बर्बाद हुई है। उन्हें खाद और बीज नहीं मिला और देश में बोने का समय समाप्त हो रहा है। हरियाणा और पंजाब ऐसे दो राज्य हैं जहां की फसल पर सारे देश की खाद्य समस्या निर्भर करती है। अगर हरियाणा और पंजाब को भी खाद और बीज नहीं मिलेगा तो हालत क्या होगी? वहां किसान की फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। हमारे मित्र जो दुखी हैं, इसमें बड़ी वास्तविकता है। मैं समझता हूं कि यहां कृषि मंत्री जी नहीं हैं। पता नहीं कौन से कृषि मंत्री हैं, मुझे नहीं मालूम। ...*(व्यवधान)* वही हालत बिहार और उत्तर प्रदेश की हैं। मैं बिहार और उत्तर प्रदेश में गया था, वहां फसल की बहुत बर्बादी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि समस्या के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** आप क्या कहना चाहते हैं?

*[हिन्दी]*

**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** मैं चन्द्रशेखर जी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा का किसान सारे देश का पेट भरता

[प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

है और उसकी यह दुर्दशा हो रही है। इस बारे में सोचने और इस स्थिति को संभालने की जरूरत है। केन्द्र की ओर से मुआवजा देने के लिए टीम गई थी, उसने रिपार्ट भी भेज दी है लेकिन अभी तक कम्पेनसेशन नहीं दिया गया। हजारों करोड़ों रुपये का धान बारिश, फ्लड तथा वॉटर लॉगिंग के कारण बर्बाद हो गया है। गेहूं की बुवाई नहीं हो रही है। किसान रो रहा है कि पैसा कहां से आये, इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो पंजाब में जाकर कम्पेनसेशन देने के लिए एनाउंस किया था, वह पैसा पंजाब और हरियाणा को मिलना चाहिए। अगर यह पैसा पंजाब और हरियाणा को मिल जाएगा तो किसानों का जो डैमेज हुआ है, उनको मुआवजा मिल सकेगा।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या कहाना चाहते हैं?

*[हिन्दी]*

**डा. शकील अहमद** (मधुबनी) : खाद और पानी देश भर के सभी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा मगर अभी तक बिहार और ...सानों को कहीं भी खाद नहीं मिली है। माननीय ...स सदन में वक्तव्य दिया था कि यह सदन सर्वोपरि है। यह 90 करोड़ जनता की आवाज का सदन है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस मामले में सरकार को निश्चित रूप से रुचि लेनी चाहिए और बिहार तथा उत्तर बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों को निश्चित रूप से खाद उपलब्ध करायी जानी चाहिए। . . .*(व्यवधान)* आपका निदेश चाहिए।

**श्री राजवीर सिंह** (आंवला) : महोदय, उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे वहां की फसलें चौपट हो गई और किसान परेशान हो रहा है। किसानों को बाढ़ राहत पूरी नहीं मिल रही है। किसानों के मकान गिर गए हैं। उनके खेतों की धान बाढ़ में बह गई है और जो फसल बची, वह सड़ गई। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को तुरन्त बाढ़ राहत उपलब्ध कराई जाए। केन्द्रीय सरकार को आप निर्देश दें कि वहां पर इसकी व्यवस्था कराए। साथ ही खाद की सप्लाई भी कमजोर हो रही है। DAP का अभाव है। इसका कारण यह है कि किसानों को अपने खेतों में बुआई एक दम करनी पड़ी, इसलिए खाद की अधिक आवश्यकता पड़ गई। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि खाद की व्यवस्था शीघ्र कराए।

**श्री कल्पनाथ राय** (घोसी) : महोदय, जैसा चन्द्रशेखर जी ने कहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को डायरैक्टिव दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में खाद की व्यवस्था शीघ्र कराए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार इसका उत्तर देना चाहेगी?

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ नहीं। श्री गहलोत के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं सरकार इस पर पहले ही गौर कर चुकी है। श्री गेहलोत जी कृपया अपना भाषण जारी रखें।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री गहलोत जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री थावरचन्द गहलोत** (शाजापुर) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कल सदन में एक हजार के नोट छापने का विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इसके समर्थन में मैंने कल अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे। *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : सरकार इस पर गौर कर चुकी है। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रघुवंश प्रसाद जी। वे अब उत्तर दे रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : अध्यक्ष महोदय, चर्चा में दो बातें आई हैं। एक बात यह कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खाद की कमी है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इसमें हरियाणा राज्य भी शामिल है।

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** : महोदय, इसके संबंध में सम्बद्ध मंत्री को इसकी सूचना देंगे और वे इस क्षेत्र से संबंधित सांसदों के साथ बात कर लेंगे। जहां तक खाद के मूवमेंट का सवाल है, यह कहा गया है कि रेल में रैक्स की कमी है। मैं बताना चाहता हूं कि रैक्स की ऐसी कोई कमी नहीं है, जितने रैक्स की जरूरत है, उतने रैक्स उपलब्ध हैं। विज़ाक के पास जिन लोगों ने भी रैक्स की मांग की है, वहां तुरन्त उपलब्ध कराए गए हैं। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं, जिनती लोडिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा रैक्स की उपलब्धता है। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : वे उसका उत्तर दे चुके हैं। अब कृपया आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी इसका उत्तर दे चुके हैं। अब कृपया आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) विधेयक पर चर्चा करेंगे। श्री गहलोत जी कृपया अब अपनी बात जारी रखें।

*[हिन्दी]*

**श्री थावरचन्द गहलोत :** अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक हजार के नोट छापने से संबंधित जो विधेयक सदन में कल प्रस्तुत किया था, मैं उसका समर्थन करता हूं और इसके समर्थन में मैंने कल अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे। . . . *(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) :** अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आज से पांच-सात दिन पहले स्वयं प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** यह क्या हो रहा है? मंत्री जी बोल रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना :** अगले सप्ताह प्राकृतिक आपदा पर इस सदन में फुलफ्लेज्ड बहस हो रही है, अगर आप चाहें तो उसमें इनक्लुड कर सकते है। . . .*(व्यवधान)* आप पहले मेरी पूरी बात सुन लिजिए, उसके बाद आप बोलिए। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना :** मेरा कहना यह है कि आपने जो भवनाएं प्रकट की हैं मैं आज ही इसके लिए कृषि मंत्री जी से बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में सदन को बताएं। . . . *(व्यवधान)* मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष ध्यान दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। . . *(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट** (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब से आ रहा हूं, कल मैं पटियाला में था। . . . *(व्यवधान)* पंजाब में आज भी किसान खाद के लिए तंग है, मैं खुद सुन कर आ रहा हूं। . . *(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) :** टाई पहन कर किसान की बात नहीं होती, आप पहले धोती पहन कर आईए। . . . *(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट :** उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महोदय मैं पंजाब से आ रहा हूं, किसानों ने जो बात कही वह मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने यहां पर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरा सचिवालय इसको मोनिटर करेगा। उनका शक दूर करने के लिए सरकार की ओर से एक बयान आना चाहिए कि हर प्रदेश की इतनी मांग थी और उनको इतना मिल गया, जिससे हम लोगों को कह सकें। यह बयान आज शाम तक सरकार की ओर से दे दिया जाए जिससे साइक्लोजिकल प्रसेप्शन ठीक हो जाए। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** पायलट जी यह काफी है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना :** वह शायद आज स्टेटमेंट न दे पाएं क्योंकि फेक्ट्स मंगवाने हैं। . . . *(व्यवधान)* मैं आपकी भावनाओं को मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। आज शाम को या कल वह स्टेटमेंट दे देंगे। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, यह सब क्या है? आप हमेशा सभा में व्यवधान उत्पन्न करते हैं?

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री गहलोत जी ने जो कुछ कहा उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अपराह्न 12.43 बजे**

## उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन विधेयक—*जारी*

*[हिन्दी]*

**श्री थावरचन्द गहलोत** (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें बड़े नोट छापने का प्रावधान है, मैं उसका समर्थन करता हूं और यह महसूस करता हूं, यह सदन भी इस बात को महसूस करेगा कि बड़े नोट छापने के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकेगी। विदेशों से जो नोट छपाए जा रहे हैं वे नहीं छपाने पड़ेंगे। अपने देश में आर. बी. आई. से, नोट छापने वाले कारखानों से जो डिमांड की जाती थी उसकी पूर्ति भी आसानी से हो सकेगी। जो कागज और स्याही ज्यादा खर्च होती है उसकी भी बचत होगी और जो श्रम लागत लगती थी उसमें भी बचत होगी। कुल मिला कर यह विधेयक समर्थन योग्य है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। यहां अनेक माननीय सदस्य कुछ शंकाएं व्यक्त कर रहे थे कि इस प्रकार का विधेयक पारित कर देने से कालेधन में वृद्धि होगी, हवाला कांड ज्यादा होंने लग जाएंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं कहना चाहता हूं कि 1977 के बाद बड़े नोट छापने इस देश में बंद कर दिए गए थे और उसके बाद की अवधि में कालेधन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। हवाला कांड ज्यादा होते रहे, उसके अनेक दूसरे कारण हैं, बड़े नोट ही कारण नहीं है।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री थावरचन्द गहलोत]

छोटे नोट हों या बड़े नोट हों, जो गड़बड़ियां हुई हैं, वे गलत नीतियों के कारण हुई हैं। टैक्स चुराना, वास्तविक आय को जानबूझ कर छिपाना और उसे दूसरे किसी काम में लगाना, ये गड़बड़ियां गलत नीतियों के कारण हुई हैं। वित्त मंत्री जागरूक और सक्रिय हैं। उनकी निगाहें पैनी हैं। वह चारों तरफ इस प्रकार की गड़बड़ियों को देख रहे हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। वर्तमान में देवास के कारखाने और नासिक के कारखाने में नोट छपते हैं। उसके विस्तार का प्रस्ताव बहुत लम्बे समय से लम्बित है। उसे शीघ्रता से पूरा किया जाए। साथ-साथ कर्नाटक में मैसूर में और वैस्ट बंगाल में नए कारखाने स्थापित किए गए हैं उनको ठीक से फुलफलैज्ड कारखाने के रूप में स्थापित किया जाए। कर्मचारियों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। इन्ही शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री को अच्छे प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री [illegible] बैंक नोट संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए [illegible] के तौर पर कुछ बातें कहना चाहूंगा। पूरे देश [illegible] प्रदेश में एक-पांच और दस रुपए के नोटों और छोटे सिक्कों की भी बहुत कमी है। इस कमी को दूर किया जाए जिससे कस्टमर्स और व्यापारियों को रोज की खरीद-फरोख्त करने में आसानी हो। इसी प्रकार पांच सौ रुपए की जगह एक हजार रुपए के नोट चलाने का जो बिल प्रस्तुत हुआ, मैं उसका समर्थन करता हूं। सौ रुपए के नोट की तरह दो सौ रुपए के नोट चलाने से एक्सचेंज करने में आसानी होगी। मैं खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां फटे नोटों को बदला नहीं जा रहा है। तमाम कस्टमर मेन बैंक या ब्रांच बैंक में फटे नोट बदलवाने जाते हैं तो उन्हें बदला नहीं जाता जिससे वहां बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं मध्य प्रदेश चुनाव के समय गया था। वहां एक-दो और पांच-दस रुपए के फटे नोट चल रहे थे लेकिन अन्य प्रदेशों में इस प्रकार के नोट लेने से व्यापारी मना कर रहे हैं जिससे कस्टमर्स को बड़ी असुविधा होती है। बैंको को निर्देश दिए जाएं कि वह फटे नोट चेंज करें और छोटे नोटों तथा सिक्कों का प्रचलन करें। जब हम बैंकों से पैसा निकलवाते हैं तो फटे नोट मिल जाते हैं लेकिन जब इत्तफाक से पैसा जमा कराते हैं तो एक-दो फटे नोट होते हैं तो बैंक वाले उन्हे नहीं लेते। इसलिए बैंकों को आपकी तरफ से निर्देश जाएं कि उन नोटों को लिया जाए।

मैं चाहता हूं कि कागज की क्वालिटी भी अच्छी हो। देखा जाता है कि कागज के नोट कुछ दिनों में ही फट और गल जाते हैं। इसलिए उनकी क्वालिटी और गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। पूरे देश में खास तौर से उत्तर प्रदेश में 50-100 और 500 के जाली नोटों का बहुत ज्यादा प्रचलन है। मैं चाहूंगा कि एक स्पैशल टास्क फोर्स बना कर जाली नोटों के प्रचलन को रोका जाए ताकि कस्टमर्स को होने वाली असुविधा पर रोक लग सके।

पिछले वर्षों में बड़े नोटों के चलने से कालाबाजारी और जमाखोरी हुई। एक हजार या पांच हजार या दस हजार रुपए के नोट चलाने की जो बात हो रही है, उस पर पूरी निगाह रखी जाए जिससे कालाबाजारी और जमाखोरी रुक सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने चन्द सुझाव देते हुए इस बिल पर बल भी देता हूं और विरोध भी करता हूं। मेरे चंद सुझावों पर अगर विचार होगा तो मैं इसका समर्थन करूंगा। पांच हजार रुपए और दस हजार रुपए के नोटों का प्रचलन रुकना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से आपसे मिल रहा हूं। यहां मानव संसाधन विकास मंत्री बैठे हैं। हम बड़ी परेशानी में हैं। अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के लड़के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी हालत खराब है।. . *(व्यवधान)*

जब कल मैंने मामला उठाया था तो आपने कहा है मिनिस्टर नहीं है लेकिन आज तो हैं। . . . *(व्यवधान)* लड़के मर जायेंगे।

*[अनुवाद]*

आज मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मामले की मध्यस्थता करें और देखें कि विद्यार्थियों को कैसे बचाया जाए। *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला कल आपके द्वारा उठाया गया था।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, सारे लड़के वहां मर रहे हैं। हम तो इस बात में इंट्रेस्टेड हैं कि यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिये और मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी खोलने के लिए क्या पहल कर रहे हैं? मिनिस्टर साहब की तरफ से श्रीमती शीला गौतम वहां गई हुई थीं और लड़कों को मिनिस्टर साहब ने विश्वास दिलाया था . . .*(व्यवधान)* लड़के मरने के कगार पर हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने यह मामला कल उठाया था।

**श्री राम विलास पासवान** : माननीय मंत्री महोदय को अब उनका जवाब देने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं विधेयक पर चर्चा का जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी का नाम पुकारता हूं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने यह मामला कल उठाया था और सरकार ने भी इसे नोट कर लिया है।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, लड़के हंगर स्ट्राइक पर हैं और आज 9 दिन हो गये हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा में मामला उठाने का यही तरीका है?

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : अध्यक्ष महोदय, लड़कों को हड़ताल पर बैठे हुये 9 दिन हो गये हैं, वे मर रहे हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : यह बहुत सीरियस मामला है। अध्यक्ष महोदय, पूरे सेशन में हमने कोई सवाल नहीं उठाया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पासवान, आपने कल इसका उल्लेख किया था और आपने दो अथवा तीन दिन पहले भी इसका उल्लेख किया था।

**श्री राम विलास पासवान** : कल मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहम्मद अली अशरक फातमी** : अध्यक्ष महोदय, लड़के हंगर स्ट्राइक पर हैं और आज 9 दिन हो गये हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री फातमी, आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। मामला उठाने का यह तरीका नहीं हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने वित्त मंत्री जी का नाम पहले ही पुकार लिया है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, कृपया स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री फातमी, क्या सभा में मामला उठाने का यही तरीका है? कृपया स्थान ग्रहण करें। आप एक वरिष्ट सदस्य हैं।

*(व्यवधान)*

**प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन** (मवेलीकारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया श्री चव्हाण को इस विधेयक पर बोलने की अनुमति दीजिए। . . .*(व्यवधान)*

**श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण** (कराड़) : महोदय, मै केवल पाँच मिनट का समय लूंगा।

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा)** : मुझे उम्मीद है कि आप इस विधेयक के संबंध में बोलेंगे।

**श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण** : जी हां।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको केवल एक मिनट दूँगा।

**श्री पृथवी राज दा॰ चव्हाण** : महोदय, मुझे केवल पाँच मिनट चाहिए इससे अधिक नहीं। मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हू क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, मैं आपको अनुमति दूँगा।

**श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण** : महोदय, यह एक महत्त्वपूर्ण विधेयक है। हम माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन हम एक आश्वासन चाहते हैं। वह हजार रु॰ का नोट आरम्भ करना चाहते हैं। हम समझ सकते हैं कि वह इसे क्यों लाना चाहते हैं। उन्होंने इस संबंध में कुछ तर्क दिया है। करेंसी नोट की छपाई में तीन संगीन पेचदगियां हैं। जब भारत सरकार ने 8 विभिन्न देशों से करेंसी नोटों का आयात करवाने का निर्णय लिया था तो सारा देश भौंचक्का रह गया। निश्चय ही, यह निर्णय इस सरकार द्वारा नहीं लिया गया था लेकिन बात यह नहीं है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप जाली नोटों की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। संसद में एक प्रश्न पूछा गया था। यह उत्तर दिया गया था कि 15 लाख रु॰ के जाली नोट जब्त किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह समस्या बहुत गंभरी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम मूल्य वर्ग के नोटों के न मिलने की भी गंभीर समस्या हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि वह इस बात की जांच करे कि सलबोनी तथा मैसूर में जो दो मुद्रणालय है, जिन्हें छपाई की क्षमता बढ़ाने के लिए आरम्भ किया गया था, वह ठीक से कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या कोई षडयंत्र है? हमारे मुद्रणालय कार्य नहीं कर रहें हैं और सरकार करेंसी नोटों का आयात कर रही है। 350 करोड़ रुपये मूल्य के नोटों का आयात किया जा चुका है। कृपया हमें इस बात का आशवासन दें कि इन हजार-रुपये के नोटों को विदेशों में नहीं छपवाया जाएगा। इसके काफी गंभीर प्रभाव पड़ेगे।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहूँगा वह यह है कि करेंसी नोटों की छपाई और पेपर नोटों की छपाई के संपूर्ण तंत्र में आमूल सुधार किए जाने की आवश्यकता है। यह आयुध कारखानों की तरह कार्य नहीं कर सकती हैं। कृपया सभी करेंसी प्रिटिंग प्रैसों और सिक्यूरिटी कागज मिलों को कंपनियों और निगमों में परिवर्तित कर दें ताकि वे कुशलता से कार्य करें और देश को ऐसी संकटपूर्ण स्थिति का सामना न करना पड़े। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करुँगा कि वह जाली नोटों के मामले में गंभीरता से विचार करें। हमें यह पता चला है कि जाली नोंट छापने वालों के पास काफी उत्तम तकनीक है। ऐसे समाचार मिले है कि हमारे कुछ पड़ोसी देश इसे हमारे देश के विरुद्ध एक अपरम्परागत आर्थिक युद्ध के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उन देशों का नाम नही लूँगा। जाली नोटों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा दिया जा रहा है। हमारे करेंसी नोट आठ विभिन्न देशों में छापे जा रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि और जाली नोट नहीं छापे जा रहे हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि आपके द्वारा सप्लाई किए जा रहे सिक्युरिटी पेपर से अधिक इसका उत्पादन नहीं हो रहा है? इस बात की क्या गांरटी है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान सुरक्षा की गारन्टी क्या है? यह एक गंभीर मामला है। एक लाख करोड़ रु॰ के मूल्य के करेंसी नोट को आठ भिन्न देशों में और वह भी प्राइवेट कम्पनियों द्वारा छपा गया। हम ऐसा फिर न होने दें। कृपया हमें आश्वासन दीजिए कि आप 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट नहीं छपेंगे क्योंकि इस विधेयक में सरकार को ऐसा करने से रोकने की कोई व्यवास्था नहीं है। कृपया सरकार की स्थिति स्पष्ट कीजिए।

अब, आप विशेष रूप से 1000 रु॰ के नोट को छापने की अनुमति लेने के लिए सभा में आए हैं। शायद इसके पीछे कोई तर्क है। लेकिन

[श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण]

आप हमें आश्वासन दें कि आप यह 1000 रु० के नोट विदेशों से नहीं छपवायेंगे, अन्यथा हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर पाएंगे।

मैं समझता हूँ कि एक हजार रुपये के नोट का डिजाइन पहले ही तैयार कर लिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि यह सही है अथवा नहीं। जब आप इसका डिजाइन तैयार करें तो इस करेंसी नोट पर आंकित किए जाने वाले चिन्ह पर विचार करते समय कृपया विगत के महान् नेताओं पर विचार करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक हजार रुपये के नोट पर छत्रपति शिवाजी का चित्र छपवाये। बाद में जब आप कुछ अन्य करेंसी नोट आरम्भ करें तो आप विगत के अन्य महान् नेताओं पर विचार कर सकते हैं। कृपया हमें आश्वासन दें कि आप संपूर्ण करेंसी मुद्रण तंत्र का पुनर्विन्यास करेंगें। करेंसी नोट छपवाने के लिए विदेश जाने की यह स्थिति दोबारा नहीं आनी चाहिए। कृपया इस बात की जांच करें कि यह दो प्रिटिंग प्रैस ठीक से कार्य क्यों नहीं कर रही हैं जिन्हें इतनी बड़ी लागत पर आयात किया गया था।

**अपराह्न 1.00 बजे**

... **यशवन्त सिन्हा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ... विधेयक इस सभा में पेश किया, उस पर सभा ...चा की गई और अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सर्वसम्मति के संबंध में उठाया गया है। कुमारी ममता बनर्जी और अनेक वक्ताओं ने उसका उल्लेख किया है। मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूँ कि अस्थिर राजनिति और अल्पमत की राजनीति के दिनों में कोई सरकार सर्वसम्मति के बगैर कार्य नहीं कर सकती है। अत:, यह पहला मुद्दा है जिसे मैं सुलझाना चाहूँगा।

एक हजार रुपये के नोट को छापने का सुझाव सबसे पहले अप्रैल, 1994 में किसी खास कारण से भारतीय रिजर्व बैंक से आया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाव दिया गया था। कांग्रेस पार्टी को तत्कालीन सरकार ने जुलाई, 1994 में निर्णय लिया था कि हजार रुपए का नोट छापा जाना चाहिए। हममें से अधिकतर लोग जो कि सरकार में रहे हैं, वह सरकार, विशेषकर कि भारत सरकार की जटिल और सुस्त कार्य प्रणाली से अवगत हैं। कांग्रेस पार्टी के शासन-काल के दौरान इस संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका। संयुक्त मोर्चा सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रस्ताव को पुन: हाथ में लिया गया और उस पर विचार किया गया तथा उस सरकार ने हजार रुपए के नोट को छापने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडलीय स्तर पर निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात् कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई और वे यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। जब हमारी सरकार सत्ता में आई, हमारे समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और हमने दो पूर्व सरकारों द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव के औचित्य और इसकी पृष्ठभूमि पर विचार किया। फिर हमने इसे कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया और उस पृष्ठभूमि में यह मामला एक विधान के रूप में इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अत:, यदि सर्वसम्मति को इतना अधिक महत्त्व दिया गया है तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं पूरी विनम्रता के साथ कहूँगा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान हमारी सरकार सहित जो तीनों सरकारें सत्ता में थी उन तीनों सरकारों की सर्वसम्मति रही है। दुर्भाग्यवश, इस देश में नोटों और सिक्कों दोनों की कमी रही है। यह कोई नई बात नहीं है।

लगभग दो दशक से देश में नोटों और सिक्कों की कमी चल रही है। इस कमी को दूर करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए गए हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए नए टकसालों और नई प्रेस के रूप में अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया है। दूर्भाग्यवश, इन प्रयासों के बावजूद मांग और पूर्ति के अनुरूप उपलब्धता कम हो रही है तथा मेरे पास आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 55 प्रतिशत की उच्च उपलब्धता से 1997-98 में इनकी उपलब्धता लगभग 38 प्रतिशत रह गई है। श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण अपनी बात उठाने के बाद तुरंत सभा से चले गए। इसलिए उस पृष्ठभूमि में जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी तो उसने करेंसी नोटों और सिक्कों का आयात करने का निर्णय किया था। यह निर्णय उन्होंने लिया था। मैं उस निर्णय के गुणावगुण पर प्रकाश नहीं डाल रहा हूँ किंतु मैं बताना चाहता हूँ कि इस निर्णय में वर्तमान सरकार का कोई हाथ नहीं है।

कमी का सामना करने के बावजूद हमने अब तक इन करेंसी नोटों के आयात के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि जहां तक हजार रुपये के नोट का संबंध है सरकार का इरादा इन नोटों को देश के बाहर मुद्रित करने का नहीं है। उन्हें देश में ही मुद्रित किया जाएगा ताकि कोई समस्या उत्पन्न न है।

विभिन्न वक्ताओं ने कम मूल्य वर्ग नोटों की कमी के बारे में मुद्दा उठाया है।

**डा० असीम बाला** (नवाद्वीप) : क्या मैं जान सकता हूँ कि पांच हजार रुपये का नोट देश से बाहर मुद्रित किया जाएगा या देश में ही मुद्रित किया जाएगा?

**श्री यशवंत सिन्हा** : मैं उस बात पर आऊंगा। यदि आप धैर्य से मेरी बात सुने तो मैं सभी सदस्यों की उत्सुकता को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

एक, दो और पांच रुपये के नोटों को मुद्रित न करने का निर्णय कई वर्ष पूर्व लिया गया है। एक रुपये के नोटों को मुद्रित न करने का निर्णय सितम्बर, 1994 में लिया गया था। दो रुपये के नोटों को मुद्रित न करने का निर्णय जनवरी, 1995 में लिया गया था और पांच रुपये के नोटों को मुद्रित न करने का निर्णय नवम्बर 1995 में शायद उचित कारणों से तत्कालीन सरकार ने लिया थां।

**प्रो० पी० के० कुरियन** : इसीलिए हम यहां हैं। क्या आप भी यहां आना चाहते हैं?

**श्री यशवंत सिन्हा** : महोदय, समस्या यह है कि जब सदस्य या पार्टियां उस पक्ष में होते हैं तो उन्हें अक्ल आ जाती है।

**प्रो० पी० के० कुरियन** : वह आपका अनुभव है।

**श्री यशवंत सिन्हा** : मैं ऐसे दलों को जानता हूँ जब वे सत्ता में रहते हैं तो अपने रुख में परिवर्तन कर देते हैं किंतु मैं ऐसे कम ही मामलों को जानता हूँ जहां पर दलों ने अपने उस निर्णय पर रुख को बदल दिया हो जो उन्होंने सत्ता में रहते लिया था।

जैसा कि मैंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से इस कारण से किया गया कि करेंसी नोट फटने लग जाते हैं इसलिए यह निर्णय किया गया था कि उनके स्थान पर सिक्के लाएं जाएं, उस समय यह स्थिति थी। एक, दो और पांच रुपये के नोटों का परिचालन में रहने का कारण

यह तथ्य है कि उन्हें मुद्रित नहीं किया गया है और भविष्य में भी उन्हें मुद्रित नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि ये नोट कई वर्षों से मुद्रित नहीं किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह व्यवस्था की है कि जिस व्यक्ति के पास ये नोट हो वह भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी करेंसी केन्द्र पर जाकर उनके बदले उसी मूल्य के सिक्के ले सकता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस किसी भी व्यक्ति के पास ऐसे नोट हों वह करेंसी केन्द्र में जाकर उन्हें बदलें। ऐसे नोटों को परिचालन में रखने का प्रयास करने की कोई तुक नहीं जो फटे-पुराने हों और जिन्हें भविष्य में मुद्रति नहीं किया जाएगा। यदि उन्हें मुद्रित करने का प्रस्ताव होता तो मैं कहता कि उन्हें बदला जाएगा। किंतु इन नोटों को नोटों में ही बदला नहीं जाएगा। उन्हें सिक्कों के बदले बदला जाएगा।

श्री मोहन सिंह और अन्य सदस्यों ने यहां पर स्थायी लेखा संख्या के बारे में मुद्दा उठाया है। मैं यहां पर स्पष्टत: और बलपूर्वक एक बार पुन: कहना चाहता हूँ कि कानूनी अपेक्षा यह नहीं है कि बैंक खाता खोलने साहित किसी भी लेन-देन के लिए स्थायी लेखा संख्या पूर्णत: अनिवार्य नहीं है। कानून की अपेक्षा यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोई लेन-देन करता है या बैंक खाता खोलने जाता है तो बैंक पूछेगा कि क्या वह आय-कर निर्धारिती है। यदि वह आय कर निर्धारिती है तो शायद उसके पास स्थायी लेखा संख्या हो। यदि उसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है तो उसके पास जनरल इंडेक्स रजिस्टर क्रमांक होगा। प्रत्येक आयकर दाता का एक जनरल इंडेक्स रजिस्टर होता है वह जनरल इंडेक्स रजिस्टर क्रमांक का उल्लेख करेगा और यदि उसके पास स्थायी लेखा संख्या या जनरल इंडेक्स रजिस्टर क्रमांक नहीं है अर्थात वह आयकर निर्धारिती नहीं है तो तब उसे एक सरल प्रारूप संख्या 16 भरना होगा जिसमें कुछ विवरण लिए जाते हैं। बस यही प्रक्रिया है। कोई भी लेन-देन नहीं रोका जाएगा। स्थायी लेखा संख्या या जनरल इंडेक्स रजिस्टर क्रमांक न होने पर किसी व्यक्ति को बैंक खाता खोलने से इंकार नहीं किया जाएगा। सरकार का इरादा यह कभी न था कि बैंक लेन-देन को रोका जाए।

अब मैं उस बात के बारे में बात करता हूँ जो श्री चाक्को और अन्य सदस्यों ने उठाई है वह बात यह है कि हजार रुपये के नोटों के मुद्रण से देश में कालाधन जमा होगा। यह माना गया है कि मानों यह सरकार धनी वर्ग के हित में और निर्धन वर्ग के विरुद्ध कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है। 1997 में तत्कालीन सरकार ने 500 रुपये के नोट मुद्रित करने का निर्णय लिया था। उसे इसके लिए संसद में विधेयक नहीं लाना पड़ा था क्योंकि यह आवश्यक न था यह कानून की परिधि में था। इसलिए 1987 में तत्कालीन सरकार ने 500 रुपये के नोटों का मुद्रण शुरू किया। यदि विमुद्रीकरण से हम कालेधन के सृजन पर रोक लगा सकते तो श्री चाको ऐसा विरोधाभासी बयान नहीं देते क्योंकि जब 1978 में जब विमुद्रीकरण विधेयक को अधिनियम बनाया गया था और 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। फिर 1978 और 1998 के बीच देश में कालेधन के परिचालन और कालेधन की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। जब मैंने कहा कि नोटों का मूल्य वर्ग नहीं अपितु अन्य बातें यह निर्धारित करती हैं कि इस देश में कालाधन पैदा होगा या नहीं, मेरा कहने का यही तात्पर्य है। मैं पुन: कह सकता हूं कि इस वर्ष के बजट में मैने कालेधन के सृजन को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख करना एक ऐसा उपाय है। हम जानते हैं कि लोग नगद देकर कार और संपत्तियां खरीदते हैं। यह नगद राशि लाखों में होती है। अब मेरा कहना है कि यदि आप इनमें से कोई लेन-देन करते हैं तो कृपया हमें बताइए कि क्या आप आयकर दाता हैं। यदि कोई व्यक्ति लाखों रुपये नगद राशि देकर संपत्ति का सौदा करता है तो राजस्व विभाग को उस धन के स्रोत जानने का अधिकार है। इसलिए, काले धन के स्रोत को नष्ट करने के लिए इस वर्ष के बजट में मैंने इन उपायों को शुरू किया है।

मैं एक बात स्पष्टता: कहता हूँ कि यह सरकार काले धन के सृजन को बढ़ावा या प्रोत्साहन देने और एक के बाद एक रियायती योजना चलाने में विश्वास नहीं करती है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम निरन्तर काले धन के स्रोत पर हमला करेंगे ताकि कालेधन का सृजन न्यूनतम हो और इस देश के ईमानदार करदाता हतोत्साहित न हों। प्रत्येक ईमानदार करदाता हमारे पास आकर कहता है, 'कर देने का क्या फायदा यदि आप समय-समय पर ऐसे उपाय करते हैं। जो कर वंचकों को माफी देंगें। इसलिए उस संदर्भ में स्थायी लेखा संख्या के बारे में सोचा गया। हमने एक कार्यक्रम बनाया है जिसके अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक अधिकतर आयकर दाताओं को स्थायी लेखा संख्या दे देंगे और बचे लोगों को अगले वित्तीय वर्ष तक दे दिए जाएंगें।

*[हिन्दी]*

**श्री विजय गोयल** (चांदनी चौक) : मेरा एक छोटा सा क्लेरीफिकेशन है। आपके जो 100 रुपये और 500 रुपये के नोट हैं, वे बहुत आईडेंटिकल हैं, वे मिक्स हो जाते हैं। आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए।

**श्री यशवंत सिन्हा :** महोदय, यह उल्लेख किया गया था कि आई एस आई जाली नोट मुद्रित कर रही है और वे जाली नोट इस देश में परिचालित किए जा रहे हैं। सरकार को इस बात की जानकारी है और उसने गृह मंत्रालय व गुप्तचर एंजेसियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं कि इस प्रकार के गलत कामों को आरंभ में ही रोका जाए। यह भी एक सतत प्रक्रिया है। हम उस विदेशी एजेंसी के विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाते रहेंगे जो इस देश में जाली नोट परिचालित कर यहां की व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगी . . . *(व्यवधान)* यदि आपने मेरी बात सुनी हो तो आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर न दिया गया तो मैं उसका उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हूँ। मैं सभा से बाहर नहीं जा रहा हूँ।

महोदय, कुमारी ममता बनर्जी ने उत्तरी बंगाल में भूटानी मुद्रा के परिचालन के बारे में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैंने उस बारे में पूछताछ की है । यह बात प्रवर्तन निदेशालय की जानकारी में है और यह उस पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रही है। जो कहीं से भी हमें या गृहमंत्रालय या सरकार को ऐसी घटना या घटनाओं की सूचना मिल रही हैं सरकार उन पर रोक लगाने के लिए तत्परता और प्रभावशाली ढ़ंग से कार्यवाही कर रही हैं। यदि सरकार - मैं केवल विगत आठ महीनों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पूर्ववर्ती सरकारों का भी उल्लेख कर रहा हूँ कि यदि वे तत्परता से कार्यवाही नहीं करती तो वे शरारती तत्व या विदेशी एजेंसियां अब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाती जो उन्होने निर्धारित किया था।

[श्री यशवंत सिन्हा]

यह सत्य है कि हमं 1978 के अधिनियम में संशोधन ला रहे हैं। फिलहाल सरकार का इरादा एक हजार रुपये का नोट लाने का है। जो लोग कम मूल्य वर्ग के नोटों और गरीब लोगों को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें मैं बताऊंगा कि एक बार एक हजार रुपये के नोटों के मुद्रण की विद्यमान क्षमता का उपयोग कर देते हैं तो स्पष्ट है कि इन एक हजार रुपये के नोटों का प्रयोग 500 रुपये या 50 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति नहीं करेगा। किंतु इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए एक हजार रुपये का नोट सुविधाजनक होगा। इससे होगा क्या कि छोटे मूल्य वर्ग के नोंटो की क्षमता खुलेगी। छोटे मूल्य वर्ग के नोटों पर से दबाव हट जाएगा और तब हमें यह सुनिश्चित करना संभव होगा कि छोटे मूल्य वर्ग के नोटों से संबंधित कठिनाईयों को दूर किया जाए और जनता की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जाए।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि विगत आठ महीनों में सत्ता में रहने पर हमने अनेक कदम उठाए हैं।

[illegible] बम्बई और कलकत्ता में टकसालें प्रति सप्ताह 48 घंटे [illegible]म कर रही हैं। ट्रेड यूनीयनों के साथ कुछ मतभेद [illegible]तों को दूर कर दिया है और उन्होंने 48 घंटो की बजाय 54 घंटे काम करना शुरू कर दिया है। इससे क्षमता में वृद्धि होगी हमने एक प्रोत्साहन योजना भी तैयार की है जिसे नोएडा की टकसाल में लागू कर दिया गया है। अगर यह अच्छी रही तो हम इसे अन्य टकसालों में भी लागू करेंगे। नोएडा स्थित टकसाल काफी अद्यतन और आधुनिक है। परंतु दुर्भाग्यवश नोएडा की टकसाल केवल एक ही पारी में काम कर रही है। सरकार का इरादा है कि दूसरी पारी शुरू की जाए जिससे क्षमता दुगुनी हो जाएगी।

ये सभी कदम सरकार की परामर्श से तथा इस टकसाल के मजदूरों तथा ट्रेड यूनीयनों की पूरी सहमति से उठाए गए हैं। इसलिए हम स्थिति पर पूरी निगरानी रख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस समय आयात करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि समय की माँग को देखते हुए तत्कालीन सरकार को ऐसा करना पड़ा। लेकिन हमारे विदेशों से नोट आयात करने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सभी मांगें हमारी आवश्यकता तथा देश में उपलब्ध क्षमता के अंदर पूरी हो जाएं। हम नोट के कागजों की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं और इस सबसे यह सुनिश्चित होगा कि जिस कमी का मैंने शुरू में विधेयक प्रस्तुत करते समय जिक्र किया था, उसका भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस विशेष मामले में कम से कम इन तीन सरकारों के लगातार बदलने की प्रक्रिया में मेरी इस सभा तथा इस माननीय सदस्यों से अपील है कि वे इससे अपनी आपत्तियाँ वापस ले लें और इस विधेयक पर एकमत होकर मत दें।

**श्री मोतीलाल वोरा** (राजनादगाँव) : नोटों के कागज का आयात करने के बारे आपका क्या कहाना है?

**श्री यशवंत सिन्हा :** नोट के कागजों की इस देश में कमी होने की वजह से इनका कई वर्षों से आयात किया जाता रहा है। इसलिए इस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम नोट के कागज के लिए अतिरिक्त क्षमता पैदा करेंगे ताकि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात का सहारा न लेना पड़े।

**श्री एन०के० प्रेमचन्दन** (क्विलोन) : 'पैन' और जी॰ आई॰ आर॰ के संबंध में हमे टेलीफोन लगाने तथा कार खरीदने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से कई फोन आते रहे हैं। यह बताना काफी कठिन लगता है कि वे आय कर-दाता क्यों नहीं हैं। आम आदमी और ग्रामीण व्यक्ति के लिए यह काफी कठिन है। यह पता चला है कि समाधान स्कीम को 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि क्या वे नई स्कीम की तारीख को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करेंगे ताकि आम व्यक्ति इन सब बातों से अवगत हो जाए और उसे इन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

**श्री यशवन्त सिन्हा :** समाधान स्कीम की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया है। समाधान स्कीम की मौलिक तारीख 31 दिसम्बर है। जहां तक कानून उन अन्य अपेक्षाओं का संबंध है, जिनका मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था, वे 1 अक्तूबर से लागू हो गई हैं। हमें एक तथ्य मान लेना चाहिए और वह है कि उन लोगों की संख्या में कमी आनी चाहिए। जो इस देश में परम्परागत रूप से कर अपवंचन कर रहे हैं। इस उद्देश्य से मैंने यह सब प्रस्तुत किया है। यह उनके लिए कठिनाई पैदा करने के लिए नहीं है। इसलिए, किसानों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों तथा उन अन्य लोगों को जो टेनीफोन लगाना चाहते हैं छूट दी गई है।

परन्तु अन्य लोग जो इस वर्ग में आते हैं उन्हें केवल यही कहना है कि क्या वे करदाता हैं या नहीं। अगर वे करदाता नहीं हैं तो हम यह नहीं कहते कि उन्हे अपना आय कर देना चाहिए चाहे उन्हें आयकर देना हो या न देना हो। यह आवश्यकता तभी होगी अगर उन्हें उस आय पर आय कर देना होगा जो उन्हें प्राप्त हुई है।

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत** (आगरा) : मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही है, उसके बावजूद भी वित्त मंत्रालय के नीचे के जो अधिकारी हैं, इन्कम टैक्स आफिसर और इंस्पैक्टर्स, वे पैन के नाम पर परेशान करते हैं, इसलिए वे यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने जो बात यहां कही है, उसी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन भी नीचे हो। अन्यथा पैन के नाम पर पेनिक क्रिएट किया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से करें।

**मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम** (गढ़वाल) : माननीय मंत्री जी जो पैन और जी.आई.आर. का जो क्लैरीफिकेशन है . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** इतने क्लैरीफिकेशन नहीं चाहिए।

**मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी एवीएसएम :** यहां पार्लियामेंट हाउस का जो बैंक है, वहां भी शंका है कि आपको पैन चाहिए या जी.आई.आर. चाहिए।

**श्री यशवंत सिन्हा :** इसीलिए मैंने जोर देकर इस बात को इस सदन में कहा है। अगर इस सदन से इस बात का प्रचार नहीं होता है तो मैं नहीं जानता हूं कि मैं और क्या कर सकता हूं। मैंने स्वयं रिजर्व

बैंक के गवर्नर से बात करके कहा है कि बैंक्स किसी के साथ इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार न करें, जो उनके यहां एकाउंट खोलने जाता है। एकाउंट खोलने के ऊपर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। कोई आदमी दस लाख रुपये लेकर गाड़ी खरीदने जाता है तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। अगर नहीं देते हो तो बता दो, नहीं देते, बात खत्म हो गई। *(व्यवधान)*

**श्री सत्य पाल जैन** (चंडीगढ़) : विजय गोयल जी ने जो बात उठाई है, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। 100 और 500 रुपये के नोट इतने मिलते हैं कि जब लेना होता है तो 500 रुपये के बजाय देने वाला गलती से 100 रुपये दे जाता है, 400 रुपये का नुकसान होता है। जब आपको देना होता है तो 100 रुपये के बजाय 500 रुपये का नोट चला जाता है, फिर 400 रुपये का नुकसान हो जाता है।

मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री जी क्या इस बात पर विचार करेंगे कि नोट प्रिण्ट करते समय दोनों नोटों का डिजाइन बिल्कुल अलग-अलग हो ताकि किसी किस्म का कन्फ्यूजन न हो . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री यशवन्त सिन्हा** : महोदय यह सुझाव कार्रवाई करने के लिए दिया गया है। मैंने इसपर गौर कर लिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**अध्यक्ष महोदय** : अब यह सभा इस विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

**खंड 2**

**अध्यक्षम महोदय** : प्रश्न यह है : "कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**श्री यशवन्त सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 1.24 बजे**

## अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के बारे में प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब यह सभा मद सं॰ 11, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तत्कालिन आयुक्त के प्रतिवेदन पर श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी।

श्रीमती मेनका गाँधी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गाँधी)** : महोदय मैंने कल प्रस्तावं प्रस्तुत किया था, अब इस पर चर्चा शुरू की जानी है।

**अध्यक्ष महोदय** : जब आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं तो अब अपको वक्तव्य देना है।

**श्रीमती मेनका गांधी** : जी नहीं। भाषण देना उनका काम है। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुकी हूँ। अब इस पर माननीय सदस्यों द्वारा वाद विवाद किए जाने के पश्चात ही मैं उत्तर दूंगी। मैं अभी वक्तव्य नहीं देना चाहती।

**अध्यक्ष महोदय** : पिछली बार आपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब, आपको वक्तव्य देना है। आप प्रतिवेदन और अन्य बातों के संबंध में कुछ कहिए।

**श्रीमती मेनका गाँधी** : मैं चर्चा के बाद ही अपना वक्तव्य दूंगी। अब सदस्यों की बारी है कि वे जो कुछ कहना चाहते हैं वे कहें और मैं उनकी बातों का उत्तर दूंगी। मैंने रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत कर दी है। और आपने बहस के लिए चार घंटे का समय दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। श्री अजीत जोगी।

**श्री भुवनेश्वर कालिता** (गुवाहाटी) : महोदय, वे इस समय यहाँ उपस्थित नहीं हैं। आप अगले वक्ता को बुला लें।

*[हिन्दी]*

**श्री बलीराम कश्यप** (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 28 जुलाई,1998 को लोक सभा के पटल पर रखे गए तात्कालिक अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ष 1989-91 के 30वें प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बस्तर से चुनकर आया हूं। मैं आदिवासियों और अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में अच्छी तरह से जानता हूं। अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रतिवेदन डा. ब्रहम देव शर्मा ने लिखा है और प्रस्तुत किया है, मैं उस बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं।

डा. शर्मा पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वे तो आदिवासी क्षेत्र में किसी किस्म का विकास नहीं चाहते थे। हमारे बस्तर जिले में वे 1972 में कलेक्टर थे। उन्होंने बस्तर में जितनी योजनाएं थीं, सबको बंद करवा दिया, केवल लूट के मामले चलने दिए। चाहे एप्रोच रोड का मामला हो या उद्योग का मामला हो, उन्होंने कुछ नहीं किया।

इस प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है कि मैं 1989 में इस पद पर आसीन हुआ और पहला विजिट दंतेवाला में किया। उसके बाद बैलाडिला आइरन

[श्री बलीराम कश्यप]

और प्रोजेक्ट की स्थिति को देखा और नजदीक से देखने के बाद यह कहा कि यहां उद्योग नहीं लगना चाहिए, केवल उत्खनन होना चाहिए। आज उत्खनन होते हुए 40 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आदिवासियों का कोई विकास नहीं हुआ। पिछली बार आदिवासी केवल उत्खनन का काम करते थे, आजकल मशीनीकरण होने से वहां कोई आदिवासी वर्कर नहीं है, क्योंकि सारा काम मशीनों से होता है। इस तरह वहां की स्थिति दयनीय है। कोई उद्योग नहीं लगने के कारण बस्तर जिले में बैलाडिला आयरन ओर एम.एम.टी.सी. द्वारा संचालित किया जाता है। वह केवल उसके रखरखाव का काम करता है, बाकी कोई काम नहीं करता। कई लोगों की छंटनी हो गई है और एक भी आदिवासी वर्कर नहीं है।

बस्तर के लोग वहां उद्योग की बात करते हैं। मैंने भी कई बार इस मांग को लेकर आंदोलन किया है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वे कहते थे कि आदिवासियों को केवल जंगल की जमीन और उसमें महुवा, तेंदू पत्ता और लकड़ी चाहिए। आज वहां यह भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, अरविंद नेताम और उनकी कम्पनी ने वहां अंधाधुंध लकड़ी की कटाई की इसलिए कर्नाटक की [illegible] में रिट दायर कर दी। उसके कारण जलाऊ लकड़ी [illegible] जैसे घने जंगल वाले इलाके में रायपुर से लकड़ी [illegible] सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां के लोगों को जलाऊ लकड़ी मिले, इस दृष्टि से उसको वेकेंट करवाएं।

जहां तक सिंचाई का सवाल है, उस इलाके में एक से डेढ़ प्रतिशत ही सिंचाई होती है। जितने भी देश में आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। डा. शर्मा ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें यह लिखा है कि इसमें आदिवासियों का हित नहीं है। आदिवासियों का हित किसमें है, रामायण में कहा गया है-हित-अनहित पशु-पक्षी हि जाना। जब यह बात है तो आदिवासी अपने हित और अहित जान सकते हैं। डा. शर्मा एक आयुक्त थे। वे मध्य प्रदेश के अंदर भी दो-तीन साल तक सचिव भी रहे। वे बस्तर तो क्या, पूरे हिन्दुस्तान के आदिवासी इलाकों में सड़क इत्यादि की बात बराबर मना करते रहे।

वड़े मजे की बात है। 1997-78 में उस समय माननीय मोरार जी भाई प्रधान मंत्री थे। उनके समय में मध्य प्रदेश सरकार में मैं आदिम जाति कल्याण मंत्री था। जब मैंने उनसे बात की तब उसके लिए पैसा आबंटित किया गया। माननीय धनिक लाल मंडल जी तत्कालीन गृह मंत्री थे। उनसे मेरी बात हुई तब कहीं आदिवासी इलाके में सड़क इत्यादि वनाने के लिए प्रावधान किया गया। ये सारी परिस्थितियां हैं, इसलिए यह रिपोर्ट मात्र एक ढकोसला है। उस रिपोर्ट के आधार पर आदिवासियों के या अनुसूचित जातियों के जीवन निर्धारण करने का अगर काम है तो मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी भूल कुछ और हो सकती है। वहां डा. ब्रहम देव शर्मा आयुक्त थे। उस समय यह लिखा करते थे कि इससे आदिवासियों और अनुसूचित जातियों का भला नहीं होगा। दुनिया तरक्की पर जा रही है। दुनिया इक्कीसवीं सदी की ओर जा रही है और हम उन्नीसवीं सदी की ओर जाने की बात यदि दोहराते रहें तो इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं होगा। मैं माननीय मेनका गांधी जी से निवेदन करूंगा कि वह इस रिपोर्ट पर ध्यान न दें और आदिवासी और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करके एक विशेष प्रोग्राम बनाएं ताकि कुछ कारगर काम हो सके।

आज 1980 के आदिवासी जंगल की जमीन एन्क्रोच करके बैठे हुए हैं लेकिन सरकार की तरफ से उनको जमीन देने की बात नहीं की गई। 1978 में माननीय मोरार जी भाई जब प्रधान मंत्री थे तो हमने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पट्टा वितरण का काम शुरू किया था लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, उसने उस पट्टा वितरण के काम को निरस्त करवा दिया। फिर बी.जे.पी. की सरकार बनी तो हमने भू-स्वामी का हक देकर पट्टा दे दिया और उसके डैवलपमेंट के लिए एक हजार, दो हजार रुपये दिए। आज 1980 तक जिन लोगों ने जंगल की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन लोगों को पट्टा की पात्रता नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट में पिछले सत्र में मैंने प्रश्न किया था तो वन और पर्यावरण मंत्रालय ने यह जवाब दिया था कि पांच राज्यों में 1980 तक जंगल की जमीन में जो एनक्रोचमेंट किया गया था, उनको थोड़ी-थोड़ी जमीन देने की स्वीकृति मिल गई है। वह प्रस्ताव आज भी वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन लम्बित है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों के हित में वे सारे प्रकरण वन और पर्यावरण मंत्रालय से मंगवाकर आदिवासियों के हित में व्यवस्थापित करने का कष्ट करें।

दूसरी बात, आज जंगल में जो आदिवासी रहते हैं, जंगल की जमीन नहीं होने के कारण वहां उन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा है। उनको फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी तंग करते हैं। पिछले समय में आज से दस-बारह साल पहले जंगल में जो आदिवासी रहते थे, उनके घर उजाड़ दिए जाते थे, उनको वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, उन्हें जेलों में ठूस किया जाता था। ये सारी परिस्थितियां थीं। पिछले समय में उन्हें जमीन देने के लिए कई जगह-खरगौन, बस्तर और झाबुआ में आंदोलन किये गये। पी.वी. नरसिंह राव तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री थे। उस समय मैंने उन्हें मैमोरेंडम दिया था कि जंगल की जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, आप उनके व्यवस्थापन के लिए आदेश दें। मैंने दो बार उन्हें चिट्ठी लिखी थी। उनकी तरफ से एक बार जवाब आया उसके बाद कोई जवाब भी नहीं आया।

मैं हजारों चिट्ठियां लिखता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आज स्थिति यह है कि चाहे बस्तर का इलाका हो, झाबुआ हो, खरगौन हो, खंडुवा हो या नार्थ-ईस्ट हो-इन स्थानों पर दस करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। इनकी माली हालत को देखने से पता लगता है कि उनकी स्थिति हैंड-टु-माउथ जैसी है। मेरे समान आदमी या श्री अजीत जोगी या श्रीमती उषा मीणा हों, हम संसद में आ गए हैं, इसलिए हमारी बात अलग हो सकती है। मैं मूल आदिवासी हूं और थोड़ी शिक्षा ग्रहण करके राजनीति में आ गया हूं, हमने अपने आप को अग्रसर किया है। जो आदिवासी जंगल में रहता है, वह चावल और तुम्बी लेकर घुमता रहता है। अब तो जंगल में शिकार करने की आज्ञा भी नहीं है, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बातों के लिए आदिवासी लोगों को छूट देनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री, श्रीमती मेनका गांधी जी से चाहता हूं कि वे आदिवासी मुखिया, मांझी एम.एल.ए. और एम.पी की बैठक बुलाकर इस समस्या के बारे में बात करें।

जहां तक मालिक मद्बुजा का सवाल है, अनेक आदिवासियों की जमीनें रजिस्ट्री करवा ली जाती हैं। चालाक होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के मिलकर, पैसा देकर जमीन को रजिस्टर्ड करने की स्वीकृति ले लेते हैं और मालिक मद्बुजा लकड़ी काटते हैं। पिछली

सरकार में एक केन्द्रीय राज्य मंत्री थे,* तथा अन्यान्य लोगों ने यहां आकर यह गोरखधन्धा किया। जंगल की लकड़ी और मालिक मद्बुजा की लकड़ी दोनों काटी। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्टे का वेकेट कराया जाए।

**श्री अजीत जोगी** (रायगढ़) : आप नाम लेकर न बोलें, तो अच्छा होगा।

**श्री बलीराम कश्यप :** नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि उनका प्रकरण हैं। मैं नाम इसलिए भी ले रहा हूं, क्योंकि लोकायुक्त के पास मामला पड़ा हुआ है।

**श्रीमती उषा मीणा** (सवाई माधोपुर) : वे एक आदिवासी हैं।

**श्री बलीराम कश्यप :** आदिवासी हैं, तो क्या आदिवासी गला काटने के लिए होता है। मैं बलीराम कश्यप आदिवासी हूं, तो क्या मैं गला काटने के लिए पैदा हुआ हूं। अगर कोई आदिवासी है और वह गला काटता है, तो मैं उसको आदिवासी नहीं मानता हूं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज मंडला के जंगल में चालीस लाख हैक्टेयर जमीन पर बोरड लगा हुआ है और* सरकार ने जंगल को काटने की अनुमति दी है। कल मेरे भाई, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बोल रहे थे कि यह अनुमति गलत दी गई है। ... की सरकार ने इन क्षेत्रों में अनेक ऐसे काम किए हैं। बस्तर के कलैक्टर*, ने पिछले मुख्य मंत्री के आदेश पर आदिवासियों के खातों में उनकी पत्नियों के नाम में जुड़वा दिया है, जबकि भूराजस्व संहिता, 1959 में कोई संशोधन नहीं हुआ है और कलैक्टर ने मुख्य मंत्री के आदेश पर काम कर दिया है।

**श्री अजीत जोगी** (रायगढ़) : महोदय, जो व्यक्ति यहां पर उपस्थित नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। इन्होंने मुख्य मंत्री जी का नाम लिया है। आप कृपया पद कहिए, नाम मत लीजिए। यह नियमानुसार भी है।

**श्री बलीराम कश्यप :** मुख्य मंत्री ने यह कार्य किया है। मैं जब रायपुर हवाईअड्डे पर उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की यह मंशा है। मैंने कहा- आपकी सरकार की यह मंशा है, तो भूराजस्व संहिता में अमेंडमेंट कर दीजिए और एक बिल ले आइए। इसमें संशोधन करके ही आप इस काम को कीजिए। यह सब मनमाने तरीके से हो रहा है। यह अलग बात है, माननीय श्री जोगी जी को मुख्य मंत्री का नाम लेने से दुख हुआ, उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं।

**श्री भूवनेश्वर कालिता :** यह परम्परा नहीं है।

**श्री बलीराम कश्यप :** मैं जानता हूं, परम्परा नहीं है। मैं बीस साल विधान सभा में रहा हूं, लेकिन मैं इस सदन में पहली बार आया हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि परम्परा क्या है और क्या परम्परा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में कुल मिलाकर डेढ़ प्रतिशत सिचाई की सुविधा है। मैं डा. बी.डी शर्मा जी का नाम ले रहा हूं, क्योंकि वे आयुक्त हैं।

रिपोर्ट में कहा है कि नर्मदा बांध नहीं बनना चाहिए। पछिले समय अनेकों स्थानों पर सूखे की स्थिति पैदा हुई। अगर बांध नहीं बनेगा, आदिवासी इलाके में सिचाई का प्रबंध नहीं होगा तो आदिवासी क्या करेगा? आज बस्तर, झाबुआ के आदिवासी तथा अन्य जगहों के आदिवासी रोजी की तलाश में घूम रहे हैं और नक्सली मूवमेंट में शरीक हो रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सारी बातों को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाएं। जहां तक आदिवासियों को नौकरी में आरक्षण का प्रश्न है, आज तक पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी उनके आरक्षण की पूर्ति नहीं हुई। वही हालत अनुसूचित जातियों की भी है। हम एक तरफ कहते हैं कि आदिवासियों के हितों का संरक्षण होना चाहिए, उनके कोटे की पूर्ति होनी चाहिए, फिर यह पूरा क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है? उसका हिसाब कौन रखता है, उनकी जगहों पर किस की भर्ती होती है?

महोदय, मैं आपको मध्य प्रदेश की बात बताऊं। वहां आदिवासी उम्मीदवार नहीं मिलते हैं इसलिए नॉन आदिवासियों को भरा जाए, यह ट्राइबल मिनिस्टर ने लिख कर दे दिया और वैसा हो गया, आदिवासी पीछे रह गए। आजादी के 50 साल बाद, पहले भी वे पीछे थे और आजादी के 50 साल बाद भी उनकी स्थिति दयनीय है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। उनके हितों का चिन्तन होना चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। जब तक ये सारी बातें नहीं होंगी तब तक वे आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाने के लिए मजबूर होंगे। आज यह बस्तर जिले की स्थिति है, अनेकों जगह मामला गड़बड़ है। मैं केन्द्रीय सरकार और खास कर मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन सारी बातों को देखें। आदिवासी एम.पीज, अनुसूचित जाति के एम.पीज और एम.एल.एज की बैठक बुला लें और उसके बाद उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए कदम उठाएं तभी यह बहस सार्थक होगी।

जहां तक आयोग के 30वें प्रतिवेदन पर विचार करने का सवाल है, उस प्रतिवेदन में केवल उनके हित के विरुद्ध लिखा गया है। डा. शर्मा ने जो लिखा है, मैंने पुस्तकालय में जाकर उस रेफरेंस को पढ़ा। उन्होंने पासवान जी, पूर्व मुख्य मंत्री सुन्दर लाल पटवा जी, चिमन भाई पटेल जी तथा अन्य कई लोगों को पत्र लिखा है और कहा है कि वहां स्थिति ठीक नहीं है, वहां यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने आंदोलन की बात कही। आंदोलन तो कहीं भी हो सकता है। अगर सामान्य इलाके में भी बांध बनेगा तो कई लोगों की जमीनें जाएंगी, वहां के लोग भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि आदिवासियों के पास मात्र जमीन है। आदिवासी इलाके में जब बांध बनता है तो उनकी अधिगृहित भूमि के एवज में सरकार भूमि उपलब्ध कराए ताकि उनका व्यवस्थापन हो सके। जैसे नर्मदा ट्रिब्यूनल में कहा गया है उसी आधार पर आदिवासी इलाकों में भी अगर बांध बनता है तो वहां नर्मदा ट्रिब्यूनल की शर्तें लागू होनी चाहिए। जैसे नर्मदा ट्रिब्यूनल में मकान और जमीन देने की बात है वैसे ही व्यवस्था अन्य आदिवासी क्षेत्रों में, जहां भी बांध बने, चाहे छोटा बने या बड़ा बने, वहां भी आदिवासियों को पर्याप्त मात्रा में भूमि दी जाए, मुआवजा दिया जाए और उनके मकान बनाने के लिए भी व्यवस्था की जाए। इन सारी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, आपने तथा बाकी सभी माननीय सदस्यों ने मेरी बातों को सुना, उसके लिए धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**श्री टी.आर. बालू** (मद्रास दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय आत्म सम्मान आंदोलन के एक सेनानी के रूप में जिसने अपने अग्रणी नेता डा. एम. करुणानिधि, जिन्होंने अपना जीवन दलितों के लिए समर्पित किया है। के नेतृत्व में अ.जा./अ.ज.जा और अन्य पिछड़ा वर्ग के आत्म सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ रहा है, मैं उन लोगों के लिए खड़ा हूँ जिनके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

[श्री टी.आर. बालू]

महोदय, सदियों से अ.जा./अ.ज.जा. लोगों का शोषण किया जाता रहा है; उनका सामाजिक शोषण किया गया; आर्थिक शोषण किया गया; और तदुपरान्त उनका राजनैतिक शोषण किया। यह एक आनोखी अवधारणा, जो भारत के अलावा कहीं नहीं पाई जाती वर्णाश्रम धर्म के रूप में व्याप्त है इसके अंतर्गत मनुस्मृति में वर्गीकरण किया गया है। वर्णाश्रम धर्म ने हिन्दु धर्म को चार भागों में विभाजित किया गया है। मैं इसे उद्धृत करता हूँ :

"जो व्यक्ति भगवान के माथे से पैदा हुआ था वह ब्राह्मण कहलाता है; जो व्यक्ति भगवान के कंधों से पैदा हुआ वह क्षत्रिय कहलाया; जो व्यक्ति भगवान के कुल्हों से पैदा हुआ वह वैश्य कहलाया; और जो व्यक्ति इन तीनों वर्गों से संबंधित नहीं है और भगवान के पैरों से पैदा हुआ वह शूद्र और पंचमास कहलाया।"

यहां मैं इस सम्माननीय सभा के लिए मनुस्मृति से उद्धृत करना चाहता हूँ। ये श्लोक संस्कृत में है जिसे मैं उद्धृत करता हूँ :

"देवतिनाम जगतसर्वम धनमान्तरम् तू देवाताम ब्रह्मातिनाम धनमानतरम् [illegible]"

[illegible] में है जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व भगवान [illegible] है, भगवान मंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं, और मंत्र ब्राह्मणों उच्च्व वर्णो द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसलिए उच्च्व वर्ण वाले ब्राह्मण ही हमारे भगवान हैं। यह श्लोक मनुस्मृति में दिया गया है।

मैंने यह बताया है कि उच्च्व वर्ण ब्राह्मण का क्या अर्थ है। यहाँ मैं जल्दी-जल्दी में मनुस्मृति के 2.31 से एक और संस्कृत का श्लोक उद्धृत करता हूँ :

"मंगलयाम् ब्राह्मणस्य स्थात क्षत्रियस्य प्लानविदम् व्यासस्य धनसंयुक्तम्"

'शूद्रस्य छः जुगुप्सितम्'

इसका अर्थ है ब्राह्मण और ऊँजी जातियां श्रेष्ठ होती हैं, क्षत्रिय वीर होते हैं वैश्य धनवान होते हैं और शूद्र और पंचम गन्दे होते हैं। यह उनकी विचारधारा का परिचायक है।

मनु धर्म और सनातनधर्म में इस प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। वे इसे सनातनधर्म क्यों कहते है? जैसाकि वे कहते है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह अमिट है, अचूक है और यह हमेशा से रहा है। इसी कारण भारतीय हिन्दुत्व मानवजाति के सम्बन्धों को समरस बनाने में अक्षम बनता गया।

महोदय, मैं कौन हूँ? श्री अजीत जोगी कौन है। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह कौन है? हम तथाकथित शूद्र समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं। मेरा खून खौल जाता है। हमें शूद्र कहने वाले वो कौन होते हैं। हमें शूद्र कहने वाले ऊँची जाति के लोग कौन हैं? क्या हम वेश्याओं की सन्तान हैं? यह तथाकथित मनु धर्म हमें वेश्याओं की सन्तान कहता है।

महोदय, क्या आप इन सब बातों को सहन करेंगे? क्या इस सभ्य देश का कोई व्यक्ति, जो सभ्यता का उपदेश देता है, इन सब बातों को बरदाश्त कर सकता है? कई दशकों तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। मेरा दल, जोकि आत्म सम्मान के लिए एक आन्दोलन रहा है, पिछले 82 वर्षो से आत्म सम्मान की परिकल्पना और उपदेश दे रहा है। हमने संघर्ष किया, हम संघर्ष कर रहे हैं और हम ऐसे समय तक संघर्ष करेंगे जब तक तथाकथित शूद्र समुदाय और पंचम समुदाय को सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है।

महोदय, आर्थिक आजादी आवश्यक नहीं है, राजनीतिक आजादी आवश्यक नहीं है परन्तु सामाजिक आजादी आवश्यक है। इसीलिए तमिलनाडू के मुख्य मंत्री डा० कलाईगर करूणानिधि दिन रात इस बात का उपदेश देते हैं और तदनुसार कार्य करते है।

इस प्रतिष्ठित सभा की सूचना के लिए मैं सूचित करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अनुसूचित जाति की लड़की से अपने लड़के का विवाह कराया है वे जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। जब छठे दशक में वह विपक्ष में थे तब तिरुची के निकट नंगवरम में अनुसूचित जाति के मजदूर, भूमि सुधारक मजदूर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय तमिलनाडु की विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने जाकर जुलूस का नेतृत्व किया था, आन्दोलन किया था और अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को अधिकार दिलाए थे। जब वे तमिलनाडु में सत्ता में आए थे तब कई कार्य किए गए थे।

इस प्रतिष्ठित सभा के हित में इन सभी बातों का वर्णन करना बेहतर होगा। जब वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने चेन्नई उच्च्व न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए श्री वरदराजन की सिफारिश की थी। इसके बाद उनकी पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद तक हुई। महोदय, चेन्नई में डा० अम्बेडकर आर्ट्स कालेज की स्थापना में, डा० करूणानिधि ने प्रमुख भूमिका निभायी थी। उनके ही शासन काल में डा० अम्बेडकर विधि कालेज की स्थापना की गई थी। महोदय, एक विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसका उदघाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया था। हमें इस बात पर गर्व है।

महोदय, जब मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए मुम्बई में आन्दोलन किया गया था कि इस विश्वविद्यालय का नाम डा० अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, तब तमिलनाडु में एक विशेष प्रकार का आन्दोलन आरम्भ किया गया। डा० कलाईगर करूणानिधि ने रैलियों का आयोजन किया। उन्होंने तमिलनाडु के सभी लोगों से, महाराष्ट्र के गवर्नर के नाम, टेलिग्राम भेजने का निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए दिया कि पुनः नामकरण डा० अम्बेडकर के नाम पर किया जाए। ऐसा वर्त्तमान राज्यपाल डा० अलेक्जेंडर द्वारा किया गया।

इस समय श्री मुरुगराज, आई.ए.एस. अत्यधिक संवेदनशील पद पर है। वे अत्यधिक महत्वपूर्ण पद पर हैं। उन्हें तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के चैयरमेन के रूप में तैनात किया गया था। श्री मुथुसामी, आई.ए.एस. तमिलनाडु के मुख्य सचिव हैं। श्री कालीमुथु, आई.पी.एस. चेन्नई, नगर पुलिस के आयुक्त हैं। श्री कोल्प्पन आई.ए.एस. चेन्नई नगर निगम के आयुक्त हैं। श्रम सचिव, श्री एलानगोवन, आई.ए.एस. है। श्रम आयुक्त श्री रामैया, आई.ए.एस. है। यह विभिन्न अत्यधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद है जिन पर हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को प्रशासन में अपना देय हिस्सा मिलना चाहिए।

महोदय, कुछ महीनों पहले माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े

वर्ग या ऊँगड़ी जाति के लोगों के मध्य एक दूसरे के साथ हिल-मिलकर रहने की भावना को भरने के लिए एक अनूठी योजना को आरम्भ किया गया है। उन्होंने 'समथुवापुरम विलेजेस' पूरे तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्ष छोटे शहरों को आरम्भ किया है। *(व्यवधान)* तमिलनाडु राज्य में ऐसे सौ से ज्यादा टाउनशिपों को स्थापित किया जा रहा है। वास्तव में आपकी जानकारी के लिए अपनी हार्दिक भावनाओं को व्यक्त करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। वेल्लूर जिले की तथाकथित ब्राह्मण समुदाय ने भी 'समथुणापुरम विलेज' में स्थान के लिए आवेदन किया है। इसमें उन्नत जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ और समाज के सभी वर्ग एक साथ रहते हैं। इस योजना को हमारी जनता के विभिन्न वर्गों का प्रोत्साहन मिल रहा है। सामाजिक जागरुकता के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए कि किस तरह समरसतापूर्वक रहा जाए, इस संबंध में यह एक अत्यधिक लाभकारी योजना है जिसे हमारे मुख्य मंत्री, डा॰ कर्काइंगर करूणानिधि ने आरम्भ किया था।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले, यदि मैं इस प्रतिष्ठित सभा को यह याद नहीं दिलाता तो मैं अपने कर्त्तव्य पालन में चूक कर जाऊँगा कि 1920 में थनथाई पेरियार, श्री ई.वी. रामास्वामी ने तमिलनाडु में नहीं, केरल के वैकम गाँव में, आन्दोलन को आरम्भ किया था जब एक शिक्षित लड़के ने ऐसी जगह से सड़क पार की जहाँ पर उन्नत जाति के लोग रहते थे उसे रोककर उसकी पिटाई की गई थी। उस समय केरल में तीव्र आन्दोलन हुआ था। तब थनथाई पेरियार, श्री ई. वी. रामास्वामी वहाँ गए थे। उन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया था। उन्होंने आन्दोलन किया था और जीता था। डी.एम.के. दलित लोगों और समाज के विशेष वर्ग के लिए संघर्ष कर रही है। इसने संघर्ष किया था यह संघर्ष कर रही है और यह हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करेगी कि हमारे लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय शान्ति से रहे और उनका अन्य व्यक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहे।

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी :** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे अहम मसले पर आपने चर्चा की अनुमति दी है जो है तो बहुत महत्वपूर्ण, पर जिस पर हम लोग इस सदन में बहुत कम चर्चा करते हैं।

मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले गुरूदेव रवीन्दनाथ टैगोर, जो बड़े भविष्यदृष्टा थे, की कविता की इन पंक्तियों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था -

"हे मोर दुर्भागा देश, जादेर करेछो अपमान।
अपमाने होते होबे तहा देर सबार समान।
जारे तुमी नीचे चलो, से तुमारे हाथे देबे नीचे पश्चाते रेखेछो जारे।
से तुमारे पश्चाते टानिबे।"

उन्होंने कहा कि जिसका तुम अपमान आज कर रहे हो, समय ऐसा आएगा कि तुमको उससे अपमानित होना पड़ेगा, इसलिए उसका अपमान मत करो।

**अपराह्न 2.00 बजे**

जिसको आज तुम पीछे ढकेल रहे हो, ऐसा समय आयेगा कि वह तुम्हें पीछे ढकेलेगा। जिसको आज तुम नीचे फेंक रहे हो, अगर तुम उसे नीचे फेंकना बंद नहीं करोगे तो ऐसा समय आयेगा कि वह तुम्हें नीचे फेंकेगा। इसलिए इस समाज को इस व्यवस्था को बदलो। किसी को अपने से ऊंचा, किसी को नीचा मत मानो। सबको एक जैसा मानकर इस समाज में ऐसी व्यवस्था बनाओ ताकि सबको समान अवसर मिले। सब एक साथ एक जैसे जी सकें। कविवर रविन्द्र नाथ भविष्यदृष्टा थे। इसीलिए मैंने कविवर रविन्द्र नाथ टैगोर की बात की। इसी तरह महात्मा गांधी ने जब आजादी का आंदोलन चलाया तो केवल अंग्रेजों को इस देश से भगाने की बात नहीं थी। उन्होंने 'हरिजन' में लिखा-

*[अनुवाद]*

"जब तक भारत के माथे से अस्पृश्यता का कलंक नहीं मिटाया जाता तब तक स्वतन्त्रता पूर्ण नहीं कहलाएगी।

*[हिन्दी]*

आजादी का कोई मतलब नहीं होगा जब तक हम अस्पृश्यता को, छुआछूत को इस देश से खत्म नहीं करेगें। यही बात प्रातःस्मरणीय, पूजनीय डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने कही, जिन्होंने संविधान बनाया। संविधान को बनाते समय उन्होंने बड़े विशिष्ट प्रावधान किये। पूरा पार्ट 3 ऑफ दि कांस्टीट्यूशन, पूरा पार्ट 16 ऑफ दि कांस्टीट्यूशन में तीन-चार अनुच्छेद जो एंगो-इंडियन्स से संबंधित हैं, उनको छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संरक्षण देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रावधान किये और हम इस बात पर फक्र कर सकते हैं कि दुनिया में भारत का ही एक ऐसा संविधान है जो अफर्मेटिव एक्शन की बात करता है। जो लोग हजारों साल से पीछे रह गये हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में सकारात्मक प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, सौ मीटर की रेस हो रही है, जिसमें कार्ल लुइस, बेन जॉनसन और मिन्तेल जैसे धावक दौड़े और एक ऐसा व्यक्ति भी दौड़े जिसका एक पैर कटा हुआ है, वह कैसे उनकी बराबरी पर आयेगा। जिनको आपने पांच हजार साल से, दस हजार साल से पढ़ने नहीं दिया, जिनके लिए यह कहा गया कि अगर यह पढ़ेगा तो इसके कान में सीसा धोलकर डाल देना। ऐसा व्यक्ति उनकी बराबरी पर कैसे आयेगा, जब तक उनको इन सभी प्रावधानों को सामने लाकर आगे बढ़ने का मौका न दिया जाए। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान संसद के उनके तमाम साथियों ने जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, ये सारे प्रावधान कर दिये। पार्ट 3 ऑफ दि कांस्टीट्यूशन, पार्ट 16 ऑफ दि कांस्टीट्यूशन के सारे अनुच्छेदों में यह बात कही गई कि अफर्मेटिव एक्शन होगा। परंतु दुख इस बात का है कि जब आज हम आजादी की लड़ाई की महात्मा गांधी की उस भावना को समझते है, आज जब हम कविवर रविन्द्र नाथ टैगोर की इन चार पंक्तियों में पूरे देश को दी गई चेतावनी देखते हैं, आज जब हम संविधान को पढ़कर देखते हैं तो 50 साल के बाद भी हमने अपने समाज में समरसता, समानता और एक जैसे अवसर उत्पन्न नहीं किये हैं। इसीलिए आवश्यक है कि जो एस.सी./एस.टी. आयुक्त की रिपोर्ट है, उस पर चर्चा जरूर की जाए। अनुसूचित जाति के संबंध में आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कई बातों का उल्लेख किया है।

[श्री अजीत जोगी]

अध्यक्ष महोदय, आरक्षण को लेकर आज एक बात इस देश में बहुत की जा रही है। लोग कहते हैं कि आरक्षण प्रारम्भ में 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन हम उसे आगे बढ़ाते गये, अब 50 साल हो गये हैं, अब इसकी क्या जरूरत है। आयुक्त ने आरक्षण के आंकड़े दिये हैं, लेकिन मैं इनको पढ़ना नहीं चाहता, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप आरक्षण के आंकड़े देखिये, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन तथा देश को बताना चाहता हूं कि 50 साल तक आरक्षण देने के बाद आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की क्या स्थिति है। वर्ग-ए यानी जो क्लास-1 की सर्विसेज में केन्द्रीय और राज्यों के स्तर पर हम कहां पहुंचे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लोगों को और साढ़े सात प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सेवाओं में आरक्षण दिया जायेगा। लेकिन इतना सब ढिंढोरा पीटने के बाद भी वर्ग-ए में अनुसूचित जातियों के लोग आज 8 प्रतिशत है, जबकि लक्ष्य 15 प्रतिशत रखा गया था। अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत 3 से 4 भी नहीं है जबकि लक्ष्य 6.5 प्रतिशत रखा गया है।

[illegible] आज स्थिति यह है कि हम इस स्तर पर रुके [illegible] इसलिए कहता हूं कि मैं इस वर्ग का हूं। हमारे [illegible] के लिए कोई भीख नहीं मांगते हैं. यह हमारा अधिकार है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि हमें योग्य बना दिया जाए, तो हम आरक्षण कभी नहीं मांगेंगे। अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन चूंकि बात चली है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुझे ईश्वर ने ऐसे घर में पैदा किया जो पढ़ा-लिखा परिवार है और मेरी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। मैं पढ़ाई में भी अच्छा रहा। मैं आई.पी.एस. में आया, मैं आई.ए.एस. में आया पर मैंने कभी आरक्षण का लाभ नहीं लिया। मैंने साफ कहा कि मैंने दूसरों के मुकाबले अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और मैंने कभी आरक्षण का लाभ नहीं लिया, लेकिन देश के करोड़ों मेरे भाई ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं और जिनको अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं मिली, जिन्हें हजारों वर्षों तक दबाकर रखा गया, उनके लिए आरक्षण आवश्यक है। वे सब यह कहने के लिए तैयार हैं कि आप हमें दूसरे के समकक्ष ला दीजिए, हम आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं लेंगे। पर आप उनके समकक्ष लाइए तो। जब तक उनको सुविधा नहीं दी जाएगी तब तक वे आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरा लड़का अगर दून स्कूल में पढ़ता है और मेरे एक दूसरे आदिवासी भाई का लड़का, जैसे तरंग सहाय जी, सरगुजा में बैठे हुए हैं, बली राम कश्यप जी बस्तर के हैं, अगर उनका लड़का बस्तर के कौंटा में किसी स्कूल में पढ़ रहा है जहां ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, जहां एक शिक्षक है और बच्चे बहुत हैं, तो वह कैसे दून स्कूल में पढ़ने वाले की बराबरी कर पाएगा? मैं अभी देखकर आया हूं बस्तर की एक शाला में एक शिक्षक है और 135 बच्चे हैं। उस बच्चे से यदि आप दून स्कूल, लारेंस स्कूल या ऋषि वैली में पढ़ने वाले बच्चे की बराबरी करेंगे, जहां एक बच्चे के ऊपर पांच-पांच शिक्षक बैठे हैं, उन दोनों की तुलना कैसे हो सकती है. इसलिए मैं कह रहा था कि कार्ल लुईस को भी आप 100 मीटर की [illegible] में दौड़ा रहे हैं और एक लंगड़े व्यक्ति को भी दौड़ा रहे हैं और कह [illegible] हैं कि उसकी बराबरी कर लो। यह बराबरी कैसे होगी। इसीलिए जो लोग आरक्षण का विरोध करना चाहते हैं, उनका वैसा करना ठीक नहीं है। चूंकि यह आवाज बहुत उठी है इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह आरक्षण हम भीख के रूप में नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपने अधिकार के रूप में मांग रहे हैं। अगर आप नहीं देंगे, इन तमाम लोगों को अगर आप अपने समकक्ष नहीं लाएंगे, तो क्रान्ति होने से, इन्कलाब होने से, खून खराबा होने से, समाज को रोक कैसे सकेंगे?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें न की जाएं जिससे ये वर्ग यह महसूस करें कि आप हमें अपने आप में आत्मसात नहीं करना चाहते हैं। मैं बड़ी वेदना के साथ कहता हूं कि हमारे वर्ग को आज यह महसूस होता है कि इस देश में दूसरे लोग हमें अपने आप में आत्मसात नहीं करना चाहते हैं। हमको बराबरी का अवसर नहीं देना चाहते हैं। हमको अपने बराबर बड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए अगर बस्तर में, मंडला में, राजनांदगांव में, आन्ध्रप्रदेश में या महाराष्ट्र में नक्सलवाद पनप रहा है, तो उसका कारण है। सहने की एक क्षमता होती है और जब सहनशीलता की वह सीमा लांघ दी जाती है, सहनशीलता समाप्त हो जाती है, तो हमारे लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, आप चाहते हैं कि भारत मां का स्वरूप एक रहे, तो जिस बात को लेकर महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस बात को लेकर बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान बनाया, उसको पाने के लिए हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? मैं यह बात किसी दल की तरफ से नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हम सब कांच के मकान में रह रहे हैं। हमें एक दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट जिस पर आज यहां बहस हो रही है, उसमें स्वयं लिखा है कि जब तक सोशल आर्डर चेंज नहीं होगा, जब तक हमारा सामाजिक स्टेटस नहीं बदलेगा, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, ऊंच-नीच की बात कही गई है। जन्म से कोई ऊंच-नीच नहीं होता है। सब लोग धर्म की बात करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश देकर कहा है, उसको क्यों नहीं मानते? भगवान कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है-

''चातुर्वर्णा मया सृष्टा, गुणकर्म विभागश: तस्य कर्त्तारमदि माम् विन्ध्यव्यं वम।

भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने गुण, और कर्म के आधार पर की है, जन्म के आधार पर नहीं की है। फिर इसको इस देश में निहित स्वार्थों ने जन्म के आधार पर क्यों बना दिया? यदि गुण और कर्मों के आधार पर इनकी रचना हुई है, जैसा भगवान कृष्ण ने स्वत: कहा है, तो फिर हम उसको क्यों नहीं मानते? फिर ये असमान अवसर लोगों को क्यों देते हैं? फिर यह क्यों कहते हैं कि जन्म से तू ऊंचा है और तू नीचा है? ऐसी बात हमारे बीच में क्यों आती है? महोदय, इतना सब कुछ होने के बाद आज भी मैं अपने अनुसूचित जाति के भाइयों की तरफ से इस देश को अवगत कराना चाहता हूं कि अस्पृष्यता की इतनी बात कहने और देश में अस्पृष्यता खत्म होने के बावजूद देश में न जाने कितने गांव ऐसे हैं, बल्कि मैं यह कहूं कि अधिकांश गांव ऐसे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जहां आज भी हमारा भाई शादी के समय घोड़े पर बैठ कर नहीं चल सकता।

आज भी बहुत से कुंए ऐसे हैं जिसमें हम जाकर पानी नहीं पी सकते। आज भी यह व्यवस्था हमारे गांव में है। जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक समाज एक कैसे होगा? इसको एक लाने के

लिए, अस्पृष्यता का निवारण करने के लिए मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तमाम कानूनों से संभव नहीं होगा।

**अपराह्न 2.10 बजे**

[**श्री बासुदेव आचार्य** *पीठासीन* हुए]

मैं सरकार से, मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बात जो आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में चली थी, अब बंद हो गयी है। अस्पृश्यता का, छुआछूत का अगर निवारण करना है, तो वह सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से नहीं होगा। जब तक आप ऐसी अशासकीय मान सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनको पुरस्कृत नहीं करेंगे जो कि इस दिशा में आंदोलन चलाती हैं, काम करती हैं, जब तक उनका रिकोग्नेशन नहीं होगा तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। मैं आरक्षण की बात कर रहा था। इस बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से यह व्यवस्था हमारे खिलाफ काम करती जा रही है। जब सर्वोच्च न्यायलय का यह फैसला आया कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। तब हम सब लोग चौंके। वैसे ही हम इतने पीछे हैं। अगर आप पदोन्नति में आरक्षण नहीं देंगे तो हमारे आदमी कभी ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचेंगे। इस सदन ने एक मत होकर, तब मैं राज्य सभा में था, राज्य सभा तथा लोक सभा में भी एक मत हुआ और हमने संविधान का 77वां संशोधन पास किया। हमने यह कहा कि चाहे सर्वोच्च न्यायलय ने जिन परिस्थितियों में फैसला दिया था जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पक्षधर ही नहीं थे, मंडल कमीशन पर सर्वोच्च न्यायलय की तरफ से आब्टिर डिक्टा के रूप में फैसला दे रहे थे, जो कि मुख्य विषय नहीं था। उसके बारे में केवल एक आब्जर्वेशन दे दिया गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने 77वां अमैंडमेंट पारित किया और यह कहा कि यह नहीं चलेगा पदोन्नति में भी आरक्षण देना पड़ेगा। उसके बाद से हम सब जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के संसद सदस्य हैं, हमने तीन प्रधानमंत्रियों को पांच जी.ओस. का रेफरैंस देकर लिखा। मंत्री जी को भी बताया कि 77वें अमैंडमेंट के रूप में हम जो लोगों को देना चाहते थे, वह आपकी कार्यपालिका ने ये गवर्नमैंट आर्डर पारित करके वापिस ले लिया है। वह उल्टा हो गया है। अब इस तरह के गवर्नमैंट आर्डर पास हो गये हैं। यहां पर समय कम है, नहीं तो मैं सब जी. ओज को पढ़ सकता था। इन पांच जी.ओस. के रहते पदोन्नति में कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। हम बार-बार कह रहे हैं परन्तु जो निहित स्वार्थ हैं, मैं किसी पर अंगुली नहीं उठाना चाहता परन्तु जो निहित स्वार्थ हैं, जो नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आगे बढ़े, उसके बारे में हमने सदन में, जो कि इस देश की सर्वोच्च पंचायत है, दोनो सदनों ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। इस बारे में लगातार पांच ऐसे गवर्नमैंट आर्डर पारित हुए हैं जिसकी तरफ आपका भी ध्यान बार-बार आकर्षित किया गया है। हमने लगातार तीन प्रधान मंत्रियों को लिखा है। आदरणीय श्री देवेगौड़ा जी के पास हम सवा सौ सांसद गये। आदरणीय श्री गुजराल साहब के पास हम सवा सौ सांसद गये। से सब एक पार्टी के नहीं थे बल्कि सब पार्टियों के थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास भी हम सब गये। हमने उनसे कहा कि सदन इन वर्गों को जो कुछ देना चाहता है, वह आपके अधिकारी वापिस ले रहे हैं। आप इसके लिए कुछ करिये परन्तु मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हम इस दिशा में कुछ नहीं कर पाये हैं। वह पांच गवर्नमैंट आर्डर अभी तक यथावत हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक यह गवर्नमैंट आर्डर विदड्रा नहीं किये जायेंगे तब तक हमारे लोगों के पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। हमारे लोग ऊपर नहीं बढ़ पायेंगे। मैं क्यों कहता हूं कि सरकारी नौकरी में आरक्षण होना चाहिए? अगर आपने सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया है, तो पूरे देश में कितने लोगों को फायदा होता है। बहुत लोगों को फायदा नहीं होता परन्तु इससे एक भावना बनती है। मैं अपना उदाहरण देकर कह सकता हूं कि जब तक मैं आई.ए.एस. में नहीं आया था, आई.पी.एस. में नहीं आया था तब तक गांव में मेरे और मेरे परिवार को किस दृष्टि से देखा जाता था और जिस दिन मैं आई.पी.एस. में आफिसर बन गया, आई.ए.एस. बन गया तो उस दिन मुझे और मेरे परिवार को उस गांव में कैसे देखे जाने लगा। इसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। केवल एक सेवा में आने के बाद इतना बड़ा अंतर आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह अच्छी सरकारी नौकरी इस देश में आत्म-सम्मान का प्रतीक बन गया है। यदि आप हमारे वर्ग के लोगों को सरकारी सेवा में उच्च पदों पर नहीं बिठाएंगे तो उनमें जो आत्म-सम्मान आना चाहिए, वह नहीं आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि यह दीजिए। इससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होगा, करोड़ों लोगों में से मुश्किल से हजार लोग इसमें फायदा उठाएंगे पर उन हजार लोगों के माध्यम से हम अपना आत्म-सम्मान वापिस करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें यह अधिकार के रूप में दिया जाना चाहिए।

जो आरक्षण का विरोध करते हैं, वे योग्यता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आरक्षण देते रहेंगे तो योग्य लोग नहीं आएंगे, योग्य लोग पीछे हट जाएंगे। मैं अपने दूसरे भाइयों से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि योग्यता किसी एक वर्ग का एकाधिकार नहीं है। अगर आप बहुत योग्य थे, तो मैं, अपने अन्य साथियों से यह प्रश्न पूछूं, देश का इतिहास पांच हजार साल का लिखा गया है, पांच हजार साल में से हम साढ़े चार हजार साल तक गुलाम रहे जबकि इस पांच हजार सालों में देश की पूरी व्यवस्था आपके हाथ में रही, हम तो उसमें शूद्र बनकर केवल आपकी सेवा करते रहे। अगर आप इतने योग्य लोग थे, अगर आप सरकार को, समाज को इतनी योग्यता से चला रहे थे तो पांच हजार साल के इतिहास में अधिकांश समय हम गुलाम क्यों रहे और किन लोगों के हाथ में गुलाम बने, कोई बहुत ताकतवर आदमी के हाथों गुलाम नहीं बने, मोहम्मद बिन कासिम दस हजार सैनिक लेकर आ गया, दस हजार सैनिक लेकर बाबर आ गया, रौंदता चला गया, मोहम्मद गौरी दस हजार सैनिक लेकर आ गया, पंजाब में घुसा, सोमनाथ तक रौंदता चला गया। यह विशाल देश दस हजार लोगों को नहीं रोक पाया, उनके हाथों गुलाम बन गया, जहां मर्जी पड़ी लूटकर चले गए, अंग्रेज तो यहां व्यापारी बनकर आया फिर भी हमें गुलाम बना लिया। इसे गंभीरता से सोचिए। यदि आप योग्य लोगों के हाथ में देश की व्यवस्था थी तो कैसे दस हजार आदमी आपको रौंदकर चले गए। योग्यता केवल आपका एकाधिकार नहीं है, यह मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों संभव हुआ, इसे गंभीरता से सोचिए। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपने इस देश की सत्ता से, इस देश के अधिकार से, इस देश के 90 प्रतिशत लोगों को वंचित रखा। उन 90 प्रतिशत लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में राज्य पर कौन बैठा है, लखनऊ में कौन बैठा है, भोपाल में कौन बैठा है, चंडीगढ़ में कौन बैठा है, सौ में से नब्बे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने कहा कि यह दस हजार लोगों को लेकर आया है, रौंदकर चला जाए, कुछ कर ले, हमको क्या फर्क पड़ता है।

[श्री अजीत जोगी]

**जिस दिन आप सत्ता में सबको समाविष्ट कर लेंगे, जिस दिन आप सत्ता में सबकी सहभागिता कर लेंगे, उस दिन इस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकेगा। अगर आप इस देश के 90 प्रतिशत लोगों को सत्ता की सहभागिता से, सत्ता की भागीदारी से बाहर रखेंगे तो यह देश पहले भी गुलाम बना था और भगवान न करे आगे भी गुलाम बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबको समकक्ष लाने के लिए हम सबको एक होकर, पार्टी की दीवारों से ऊपर उठकर इस बारे में वातावरण बनाना पड़ेगा, समाज बनाना पड़ेगा. . .** *(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) :** दूसरे के हक को समाप्त करेंगे।

**श्री अजीत जोगी :** दूसरे का हक बिल्कुल समाप्त नहीं होना चाहिए, सबको समान हक मिलना चाहिए, पर पांच हजार साल से एक वर्ग को इस तरह दबाकर रखा जाए, यह भी नहीं होना चाहिए। यही मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। अगर हमको और हमारे पूर्वजों की बराबरी का अवसर मिला होता, हमको आपके जैसा अवसर मिला होता तो हम किसी भी चीज की मांग नहीं करते। मैंने अपना उदाहरण देकर कहा, बार-बार [illegible] तो कहेंगे कि अपनी गर्वोक्ति कर रहे हैं। जब [illegible] मैंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया, मैंने आइ. [illegible] आरक्षण का लाभ नहीं लिया, यू.पी.एस.सी. के फार्म में लिख दिया था कि मैं आदिवासी हूं लेकिन मैं इस वर्ग से नहीं आना चाहता, मैं जनरल कैटेगरी से आना चाहता हूं क्योंकि मैं अच्छी शालाओं में पढ़ा, अच्छे कॉलेज में पढ़ा। वैसा ही अवसर मेरे अन्य भाइयों को दे दीजिए, उसी तरह से उनको भी पढ़ा दीजिए, उसी तरह से उनको भी ले आइए, वे भी यह कह देंगे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन जब तक आप समान अवसर नहीं देंगे, आज भी 135 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ा रहा है, मैं इस चुनाव में देखकर आया हूं। अगर यह चलता रहेगा तो वे बराबरी पर कैसे आएंगे। . . .*(व्यवधान)*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : पांच सौ विद्यार्थियों पर एक टीचर है, यह उदाहरण है। . . .*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** इसके लिए कौन दोषी है। . . .*(व्यवधान)*

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** इसके लिए तो गलती हुई लेकिन आप उसे सुधारिए, आप सत्ता में हैं। . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** शैलेन्द्र जी, ठीक है।

**श्री अजीत जोगी :** महोदय, मैं आज केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, यह विषय ऐसा है, जिस पर हम एक सर्वानुमति बनाकर बोलें। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विषय किसी एक दल का विषय नहीं है, नहीं तो हम जहां थे, वहीं रहे और रह जाएंगे। फिर इस समाज के लोगों का नक्सलवादी बनने से, देश में बिखराव आने से, अलगाव आने से और देश को टूट जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि समाज एक रहे, समरसता रहे, समानता रहे, समान अवसर रहें तो हमको इन मौलिक प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा, यह मैं निवेदन कर रहा हूं। कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ऐसे भाषण तो हम बहुत देते हैं, अभी इन चुनाव में भी भाषण देकर जीतकर भी आये हैं, गहलोत जी।

आदिवासियों के बारे मे एक-दो बातों की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदिवासियों की परिस्थिति अनुसूचित जाति के भाईयों की परिस्थिति से सर्वथा भिन्न है। हम लोगों पर छुआछुत का कोई असर नहीं, क्योंकि हम लोग जहां रहते हैं, वहां 90-95 परसेंट हम ही लोग हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। हम जंगल में रहते हैं, वहां हमारे ऊपर छुआछूत का असर नही पड़ता है। हमारी समस्याएं बिल्कुल भिन्न हैं और उन भिन्न समस्याओं की तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमको आप और कुछ मत दीजिए, अगर आदिवासियों को केवल दो चीजें आप दे देंगे, हम हमेशा कहते हैं, जल, जंगल और जमीन, तीन चीजों पर हमारा अधिकार है। हमें बताया जाता है कि हमारे पूर्वज पहले मैदानी इलाकों में खेती किया करते थे। हमें बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के समय हमारे पूर्वज यहां के मैदानों में बसा करते थे। दूसरे लोग आये उन्होंने हमको पीछे हटा दिया, हमको हटाते-हटाते दक्षिण में धकेल दिया, मध्य में चले गये। वहां से भी हटा दिया, अब हटते-हटते हम लोग जंगल में पहुंच गये है। जंगल में भी आप अपने कल-कारखाने बनाते हुए, बांध बनाते हुए, परियोजना बनाते हुए हमको आगे धकेल रहे हैं। अब हम पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंच गये हैं, अब इससे ऊपर धकेलोगे तो हमारे लिए और कोई जगह नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के बारे में जो हम हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं, उस बारे में आपको गम्भीरता से ध्यान देना पड़ेगा।

कमिश्नर ने अपनी किताब में, अपनी रिपोर्ट में लैंड एलीनेशन के आंकड़े दिये हैं, जो जमीन हमारे पूर्वजों के जमाने से हमारी थी, जिसको दूसरे लोगों ने एक बोतल देशी शराब की देकर या एक मुर्गा देकर या एक बकरा देकर खेत के खेत लिखा लिये, गांव के गांव लिखा लिये, वे हमको कैसे वापस मिले, इसकी ओर आपको गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊं। मैं बहुत दिनों बाद एक गांव गया। वहां के मालगुजार के पुत्र मेरे साथ पढ़ते थे, आदिवासी थे, मेरे समाज के थे। मैंने इच्छा प्रकट की कि उनसे मिलने जाऊं। मैं गया तो मालगुजार की जो बहुत-बड़ी कोठी थी, वह टूटी हुई थी। एक छोटा सा कमरा था, मैं बाहर खड़ा रहा, मैंने कहा कि उनको बुला दीजिए। दयाल सिंह उनका नाम था आप दयाल सिंह को बुलाइये, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, वे मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन किसी ने उनको नहीं बुलाया तो मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। मैं अपनी गाड़ी लेकर गया था, फिर मैं उनको ढूंढते हुए खुद ही अन्दर चला गया। मैंने देखा कि एक जो व्यक्ति बहुत कमजोर सा था वह मुझे देखकर भागने लगा, वह मुझसे मिलना नहीं चाहता था। मैंने दौड़कर उसको पकड़ा और उससे बातचीत की। उसके मुंह से देशी शराब की महक आ रही थी। मैंने गांव वालों से पूछा कि ये तो 200-250 एकड़ के मालिक थे, इनकी यह हालत कैसे हो गयी? इनकी पत्नी, इनके बच्चे कहां हैं? लोगों ने मुझे बताया कि इनकी पत्नी दैनिक मजदूरी कमाने के लिए जाती है और जो दैनिक मजदूरी लोक निर्माण विभाग से मिलती है, उससे अपने पति का और अपने एक लड़के का खर्चा चला रही है। मैंने पूछा कि वह जो गांव की 200-250 एकड़ जमीन इनकी मालगुजारी की थी, उसका क्या हुआ तो लोगों ने बताया कि इनको शराब की लत लग गई, ये देशी शराब पीने लगे। लोग इनको शराब पिलाते थे और जमीन लिखाते गये, लिखाते गये। यहां तक कि उनकी पूरी 250 एकड़ जमीन लिखा ली गई। जिस दिन मैं वहां गया

था। उनके पास एक एकड़ जमीन भी नहीं बची थी। उनका जो इतना बड़ा मकान था, वह भी गिर गया, उन्होंने वह भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हालत यह हो गई कि 250 एकड़ जमीन का किसान, 250 एकड़ जमीन के मालगुजार की पत्नी को दैनिक मजदूरी करनी पड़ रही थी। तब वह जाकर परिवार को पाल रही थी।

**सभापति महोदय :** अब कंक्लूड कीजिए। बहुत स्पीकर्स हैं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** श्री जोगी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री अजीत जोगी :** महोदय, मैं पहला वक्ता हूँ।

**सभापति महोदय :** इस विषय पर बोलने वाले और 24 वक्ता हैं और आपने लगभग 40 मिनट ले लिए हैं।

**श्री आजीत जोगी :** महोदय, क्या मैंने इतना समय लिया है?

**सभापति महोदय :** जी हाँ।

**श्री अजीत जोगी :** महोदय, तो फिर मैं अभी अपना भाषण समाप्त करूंगा।

*[हिन्दी]*

मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया कि ऐसे उदाहरण तमाम आदिवासी गांव में हैं। जो ढ़ाई सौ, तीन सौ एकड़ के मालिक थे, वे आज नरेनसहाय जी बताएंगे और भी हमारे साथी बताएंगे कि उनके पास एक इंच जमीन भी नहीं बची है। कानून बन गया है कि उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए। मध्य प्रदेश में 170 'ख' नाम का एक कानून बनाया गया है कि उनकी जमीन वापस दिलाई जाए परंतु कोई जमीन वापस नहीं हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे कानून जो आदिवासियों की जमीन पिछले चालीस-पचास वर्षों में उनसे छीन ली गई है, इसके लिए कानून बने हैं, उन कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए और उनकी जमीन उन्हें वापस की जाए। जिन प्रदेशों में ऐसे कानून नहीं बने हैं, जैसे केरल में कानून नहीं बना है, वहां के आदिवासियों की जमीन वापस नहीं हो सकती है तो उन प्रदेशों की सरकारों को भारत सरकार निर्देश दे कि वे प्रदेश ऐसे कानून बनाएं।

जंगल का पूरा अधिकार आप हमको नहीं दे सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, उनको जंगल के पूरे अधिकार थे पर अब वे अधिकार आप हमें नहीं दे सकते, ऐसा मैं मानता हूं। जंगल में केवल लघु वन उपज ही आप हमें दे दीजिए तो हमें किसी के सामने जाना नहीं पड़ेगा। केवल उसकी पत्ती, फूल और फल हमें दे दीजिए। यह मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया। तेंदू पत्ता, जिससे बीड़ी बनाई जाती है, मेरे प्रदेश में तेंदू पत्ते का व्यापार व्यापारी लोग किया करते थे। मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने निर्देश दिया था कि इस व्यापार से बिचौलियों को हटाया जाए। मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया और मैंने एक नीति बनाई तथा मैंने यह कहा कि इसमें बिचौलिये नहीं रहेंगे। जो हमारी आदिवासी बहिनें पत्ता तोड़ती हैं, वे मजदूर नहीं रहेंगी, वे मालिक हो जाएंगी। पत्ते से जो भी आमदनी होती है, वह आमदनी उन्हें दी जाएगी। 1988-89 में मैंने अध्यक्ष के रूप में प्रदेश में यह व्यापार किया और आप सबको चौंकाने वाला एक सबसे बड़ा तथ्य बता रहा हूं कि जब मैंने गणना की तो यह पाया कि तेंदू पत्ता तोड़ने वाली हमारी मां-बहनों को प्रति दिन ग्यारह रुपये मजदूरी मिलती है जबकि उनका पूरा परिवार मेहनत करता है। मेरे पास समय कम है अन्यथा विस्तार में मैं समझा सकता। दूसरी तरफ तेंदू पत्ता के चालीस बड़े व्यापारियों की मैंने गणना की थी, जो एयर कंडिशंड कमरे या कार से बाहर नहीं जाते, केवल तेंदू पत्ता खरीदते और बेचते हैं। तेंदू पत्ता तोड़ने वाली हमारी मां और बहिनों को ग्यारह रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है जबकि वे तेरह लाख रुपए प्रति दिन कमाते हैं। प्रत्येक बिचौलिये की एक दिन की आमदनी 13 लाख रुपये थी। क्योंकि केवल चालीस दिन का धंधा होता है। चार सौ करोड़ रुपये साल का मुनाफा होता है। हमने इन बिचौलियों को हटाकर उस साल पत्ता तोड़ने वाली आदिवासी बहिनों को चार सौ करोड़ रुपया बोनस के रूप में बांटा था। यह केवल एक उदाहरण तेंदू पत्ते का है। इसी तरह से साल का बीज, मोहलाइन, हर्रा, बहेड़ा, चिरौंजी व अन्य वनोपज होती है। चिरौंजी जिसे हमारा आदिवासी गांव में 6 रु०, बेचेगा और जहां मेवा बनती है, वहां 150 रु० या 200 रु० में बिकती है। केवल 6 रु० की चिरौंजी दो सौ रु० किलो शहर में लाकर बेचते हैं। इतना बड़ा जो शोषण लघु वन उपज में है तो उसे हटाने के लिए मंत्री जी मेनका गांधी जी अगर कुछ करेंगी तो आदिवासी स्वयमेव मालामाल हो जाएंगे। एक बात और जिसके लिए मैं संघर्ष करता रहा हूं और आपने सहयोग दिया है। जो हमारे इलाके में खदाने हैं उनके बारे में है अभी हमारे इलाके देवभोग में हीरा निकल गया और यह बताया गया है कि दुनिया का सबसे समृद्ध हीरे का वहां भंडार है। डी-बिअर्स लाम का एक मल्टी नेशनल कंपनी की उस पर निगाहें लगी हुई हैं पर हमने आंदोलन किये। रमेश बैस जी भी हमारे साथ हो गए थे। हम दोनों आंदोलन में साथ हो गए। उस कंपनी को अभी तक हीरा खदानें लेने नहीं दिया है। यह प्रकृति की कैसी विडम्बना है कि जहां पर हीरा पाया जा रहा है, यहां रमेश बैस जी बैठे हैं, इनका इलाका है। मैं भी वहां रहा हूं, मैंने उस क्षेत्र की पांच दिनों की पदयात्रा की थी। मैंने सर्वेक्षण कराया कि उस इलाके में जो आदिवासी रहते हैं, उनमें कमार सबसे पिछले आदिवासी हैं। मैंने सर्वेक्षण कराया कि इनमें सबसे पढ़ा-लिखा कौन है तो पता चला कि पचास साल हमें आजादी मिले हुए हो गए और अभी तक उनमें केवल दो बच्चे ऐसे मिले जो दसवीं क्लास पास थे। उन गरीब कमार आदिवासियों के इलाके में जमीन के नीचे हीरा मिला। अब उनको वहां से हटा दिया जाएगा और वहां हीरे की खदाने आएंगी। उससे 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे और आमदनी होगी लेकिन यह जो आदिवासी हैं, उनका क्या होगा, इसकी किसी को चिन्ता नहीं है। आदिवासी इलाके में खदान बनती हैं, उद्योग बनता है, विद्युत की परियोजनाएं बनती हैं, अगर आप उन्हें विस्थापित करना चाहते हैं तो केवल लुभावनी विस्थापना योजनाओं से काम नहीं चल सकता, कहीं जमीन के बदले पैसा दे दिया, इस तरह आप नहीं लुभा सकते। मेरा कहना है कि आदिवासियों का यह अधिकार है, वे जिस जमीन पर रह रहे हैं अगर वहां आप अपना उद्योग लगा रहे हैं और उसके नीचे आपको हीरा, सोना या चांदी मिल रहा है तो हमें कुछ न कुछ प्रतिशत शेयर उस कम्पनी में से उनको देना चाहिए, उन्हें उसका भागीदार बनाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं आएगा।

महोदय, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से विस्थापन का दुख होता है। मैं जब सीधी जिले में कलेक्टर के रूप में था पदस्थ तो मेरे पास एक आदिवासी आया, जिसने मुझे तीन कागज दिखाए। वह बोला आप आदिवासी हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा कि मुझे तहसीलदार ने तीन बार एक कागज दिया लेकिन मुझे मिला कुछ भी

[श्री अजीत जोगी]

नहीं। मैंने उसको पढ़ा। सबसे पहले जब सन् 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहन्द बांध बना था उसका गांव उसकी डूब में आया और उसे हटाया गया। तहसीलदार ने उसे एक कागज दे दिया और कहा कि तुम्हें मुआवजा दिया जाएगा। वह चार-पांच बार उसके पास गया लेकिन मुआवजा नहीं मिला और वह अपने आप कहीं जंगल में जाकर बस गया। थोड़े दिनों बाद वह दूसरी जगह जाकर बस गया वहां कोयला मिल गया और सिंगरौली कोयला खदान बन गई। उसके बाद उसे वहां से भी हटाया गया और फिर उसे एक कागज दे दिया कि तुम्हें इसका इतना मुआवजा दिया जाएगा, वह भी नहीं दिया। फिर वह बेचारा कहीं और जाकर बस गया। जहां मैं गया था, जहां सुपर थर्मल पावर स्टेशन बन रहा था वह वहां बसा हुआ था। मैंने कहा कि इस बार तुम्हें मुआवजा मिलेगा। वह अपने घर गया और मुझे वहां से तीन कागज लाकर दिखाए कि ये तीन कागज दिए हैं और कहा कि आप भी एक कागज मुझे देंगे तथा मिलेगा कुछ नहीं। इस तरह से आप आदिवासियों को पहली, दूसरी और तीसरी परियोजना के बाद विस्थापित करते जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है।. . . (व्यवधान)

[illegible] यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मौलिक [illegible] तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आदिवासियों को आगे बढ़ाना है तो उनके मौलिक अधिकारों को उन्हें वापस देना पड़ेगा। अगर अनुसूचित जातियों को सब के बराबर लाना है तो उनको बराबर के अवसर देने पड़ेंगे, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्हीं की पंक्तियों को कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा-

"फूलों की टहनियों पर नशेमन बनाइए,
बिजली भी गिरे तो जश्ने चिराग चिराग मनाइए,
इन गरीबों की रगों में मीठा-मीठा दर्द है,
उनकी बीमार नकाहतों को जरा गुद-गुदाइए।"

**कुमारी ममता बनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट्स एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्ज पर नियम 193 के अंतर्गत भी चर्चा होनी है, उस चर्चा में हमारी पार्टी के माननीय सदस्य जरूर भाग लेंगे। . . . *(व्यवधान)*

महोदय, मैं इसलिए भी ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूं क्योंकि जिनकी समस्या हैं उन्हें ज्यादा बोलना चाहिए। मैं यह नहीं समझती हूं कि जात-पांत के आधार पर, चाहे ब्राहम्ण, हिन्दू, क्षत्रीय, मुसलमान, सिख या ईसाई हो, हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, हम यही सोचते हैं कि हम लोग मानव है। हमें यह सोचना है कि हमारे पीछे वाला वर्ग उसको रोशनी और दिशा दिखाएगा और यह हमारा फर्ज बनता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो 1989-90 की रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट आज पेश हुई है। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे इस पर बहुत देर हो गई है। 1992 में नेशनल शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन बना था। वह काम कर रहा है। हम जब एस.सी. और एस.टी. लोगों के साथ बात करते हैं तो देखते हैं कि उनके दिल में दुख है। उसके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है। संविधान में उनके लिए सेफगार्डस का प्रावधान है लेकिन उसका इम्प्लीमैंटेशन प्रभावी ढंग से नहीं होता। अगर इसका इम्पलीमैंटेशन ठीक ढंग से होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।

हमने देखा है कि शिक्षा में आदिवासियों का लो परसैंटेज है। वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इस कारण उनके घरों में रोशनी नहीं आती और रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं होता। रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उन्हें शिक्षा देना जरूरी है। उन्हें मीनिमम प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती। जोगी जी और इधर से एक भाई ने भी कहा कि डेढ़ सौ विद्यार्थियों के पीछे एक मास्टर है।

*[अनुवाद]*

मैं आयोग की 30वीं रिपोर्ट का उल्लेख कर रही हूं। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल कालेज आफ इंजीनीयरिंग, हैदराबाद ने एक रिपोर्ट दी है। यदि आप उस रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि उस कॉलेज में कम्पयूटर विज्ञान, इलेक्ट्रानिक्स और कम्यूनिकेशन्स, एलेक्ट्रीकल, सिविल, मेकानिकल, पेंटिंग टेक्नोलौजी इत्यादि शाखाएं हैं। वहां पर कई शाखाएं हैं। परन्तु यदि आप अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कॉलम में 1987 से 1990 तक देखेंगे तो सब में 'शून्य' लिखा है। इसका अर्थ है किसी को भी अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में से नहीं लिया गया।

*[हिन्दी]*

रिजर्वेशन की सुविधा होने के बाद भी उसे मौका नहीं मिलता। इसके लिए नेशनल सोशल चैप्टर होना चाहिए। इसमें शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स को सोशल जस्टिस देने के लिए कुछ काम हो सकता है। संविधान में एम्पावरमेंट और सेफ गार्डस का स्पैशल प्रावीजन है। डैवलपमैंट प्रोग्राम में इनके इनवाल्वमैंट की बात कही गई है। इनके फंडामैंटल राइट्स भी हैं। जिन्दगी बचाने के लिए, नौकरी में भाग लेने के लिए, समाज में हर जगह इनकी हिस्सेदारी की बात कही गई है लेकिन कुछ भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। जोगी जी ने जो बात कही, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। शेडयूल्ड ट्राइब्स एरियाज में कोई इंडस्ट्री बनती है तो हम वैलकम करते हैं।

सरकार की एक नीति है : किसी एक व्यक्ति को रोजगार या कम से कम मुआवजा। लेकिन वह नहीं मिलता है। जिस के खून से जमीन तैयार होती है, उसका कोई हिस्सा नहीं होता। इससे उसके दिमाग में यही बात आती है कि हम पिछड़े हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। गवर्नमैंट पालिसी सख्ती से फॉलो की जानी चाहिए। वह जमीन चाहता है। ऑपरेशन चर्चा थोड़ी सी स्टेटस् में हुआ है। वह हमारी स्टेट में भी हुआ है लेकिन इसके तहत जिस को जमीन दी जाती है, उसे परमानैंट पट्टा नहीं मिलता। वह हर साल बदल जाता है। इससे उन लोगों को डर लगता है कि कहीं उन्हें एक साल के बाद निकाल तो नहीं दिया जाएगा। इस बारे में परमानैंट सैल्यूशन निकालने की जरूरत है।

जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है उन्हें उचित समय पर प्रमाण-पत्र भी नहीं मिल पाते हैं। उन्हें सर्टिफिकेट लेने में बड़ी मुश्किल होती है। इसका सरकार को कोई आसान प्रोसैस बनाना चाहिए जिससे शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स को सर्टिफिकेट ठीक से मिल सके।

*[अनुवाद]*

उन्हें उचित समय पर प्रमाणपत्र नहीं मिलते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। वे हमसे कई बार शिकायत करते हैं। कई रिक्तियां है। पर उन्हें भरा नहीं जा रहा है। कभी-कभी वे कहते हैं ठीक है, इसको भरा नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं'' यह ठीक नहीं है कभी-कभी लापरवाही के कारण भी समस्या का सामना करना पडता है।

एस.सी.एस.टी. कमीशन स्टेट लैवल पर बना है। मेरी सरकार से यह विनती है कि ट्राइबल एरियाज देश में कितने हैं, वह इसका अच्छी तरह से रिव्यू करे। ट्राइबल ऐरियाज नार्थ-ईस्ट स्टेट्स, वैस्ट बंगाल के हिली ऐरियाज, राजस्थान और मध्य प्रदेश और तामिलनाडु में बहुत ज्यादा है जिसे सरकार को रिव्यु करना चाहिए। किस ट्राइबल ऐरियाज में ट्राइब्स ज्यादा रहते हैं और किसमें कम रहते हैं, यह सब एरिया ट्राइबल कमीशन को डेवलेप करना चाहिए।

प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय विकास आयोग या ऐसा कुछ आयोग होना चाहिए। इसे जनजातीय लोगों के विकास के लिए काम करना चाहिए। मंडल कमिशन के मुताबिक ओ.बी.सी. की 177 कास्ट्स हैं लेकिन अभी तक यह सब काम पूरा नहीं हुआ है। हमारे स्टेट बंगाल में 177 में से 85 कास्ट्स को शामिल किया हुआ है। इसलिए रिक्वैस्ट करना चाहूंगी कि एक मानिटरिंग सिस्टम होना चाहिए क्योंकि सरकार ठीक कर रही है या नहीं, इस सबकी मानिटरिंग करने की जरूरत है। इससे सरकार के पास हर साल फिगर्स हो सकती है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इन्दिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना में आदिवासियों को काम नहीं मिलता क्योंकि जैसा श्री जोगी जी ने कहा वे पढ़े-लिखे नहीं हैं और वे 3-3 लैटर लेकर उनके पास आये। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए।

*[अनुवाद]*

मैं सरकार से एक अनुरोध करती हूं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए और ज्यादा विद्यालय होने चाहिए। उनके बच्चों को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। अगर यह नहीं हो सकता तो इसका फैसला नहीं हो सकता।

मैं सरकार से अपील करती हूं कि प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग होना चाहिए।

*[हिन्दी]*

अगर दिल्ली में होता है और दूसरे स्टेट में बहुत से ऐसे ऐरियाज हैं, उसको मालूम नहीं कि हो सकता है या नहीं। यह मालूम है कि नेशनल कमिशन बना है लेकिन माइनरटीज कमिशन नहीं है।

**श्री अजीत जोगी :** यह हो गया है।

**कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) :** मैं जो बात कर रही हूं, वह राजनीति से ऊपर उठकर कह रही हूं।

*[अनुवाद]*

''मैं नहीं जानती कि यह सत्य है या नहीं। यह बात प्रचलित है कि भारत सरकार का कोई भी सचिव अनुसूचित जनजाति का नहीं है। यदि यह सत्य है तो ऐसे कई अधिकारी है जो श्री अजीत जोगी के समान काफी पढ़े-लिखे हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने आरक्षण कोटा का लाभ नहीं लिया था। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं अपना विकास किया है परन्तु सामूहिक रूप से विकास नहीं हुआ है।

*[हिन्दी]*

रिजर्वेशन कोटा की इंडिविजुयली या कलैक्टिवली मानिटरिंग नहीं हुई है। कहीं-कहीं इंडिविजुयली हुई है। यह समाज की कलैक्टिव रैस्पांसिब्लिटी है। हम सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ रहे थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कलेक्टिव रैस्पांसबिलिटी पूरी करने के लिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वैसे इस रिपोर्ट में नया कुछ नहीं है और जो पुरानी रिपोर्ट है, उस पर चर्चा की है। मेरा यह भी कहना है कि ग्रासरूट में एस.सी.एस.टी. के लिए केवल स्टेट कमिशन या नेशनल कमिशन बनाने से काम नहीं चलता। काम तभी होगा जब ग्रासरूट पर इंप्लीमेंटेशन हो।

*[अनुवाद]*

कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि सबसे निचले तबके तक विकासोन्मुख कार्यक्रम पहुंचे जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उनका देय मिल सके।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि आप यह न सोचें कि हम माइनरटीज में हैं। सभी दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक है। यदि कुछ लोग एक राज्य में बहुसंख्यक है तो दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक हैं।

मैं सरकार से अल्पसंख्यक विकास आयोग को सुदृढ़ बनाने और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग को गठित करने का अनुरोध करता हूं। भाषायी अल्पसंख्यक भी यह महसूस कर रहे हैं कि वे उपेक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग आयोग और एक अल्पसंख्यकों के लिये आयोग और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से आयोग होना चाहिए। मेरा सरकार से यह अनुरोध है।

इन शब्दों के साथ हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

*[हिन्दी]*

एक शेर के साथ मैं कहना चाहती हूं -

''जर्रा-जर्रा बू-ए-उलफाम से खतम बन जाएगा।
मिलकर बैठेंगे तो फूलों का चमन बन जाएगा।''

हम लोग देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमें एक साथ बैठकर कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे जो नैंगलेक्टेड लोग हैं, उनको पहली जगह देने के लिए हम कुछ कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे** (चिमूर) : सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के सवाल को अगर ईमानदारी से हल करना है तो सबसे पहली बात यह है कि आरक्षण के लिए कानून बनना चाहिए और हम मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि अगर यह कानून नहीं बनेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। रिजर्वेशन ऐक्ट बनना बहुत जरूरी है और उसका ईमानदारी से पालन नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन भी होना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। आप आपको बोलने का मौका मिलने पर अपना सुझाव दे सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री जोगेन्द्र कवाडे :** इस देश की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। सभापति महोदय, आप माफ कीजिए दस घंटे चर्चा हो गई तो क्या होता है? चर्चा से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसके लिए कानून बनना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** (मुम्बई उत्तर-मध्य) : चर्चा से कुछ निकलने वाला नहीं है। इसके लिए कानून बनना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** आप बैठिये।

**श्री जोगेन्द्र कवाडे :** रिजर्वेशन ऐक्ट बनना चाहिए और मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ कहना चाहिए।

**[illegible] महोदय :** अठावले जी, आप बैठिये। हमने बाजूबन रियान आपको जब समय मिलेगा तब बोलियेगा।

[illegible]

**श्री कांतिलाल भूरिया** (झाबुआ) : सभापति जी, माननीय मंत्रियों के बीच में क्या चर्चा चल रही है? इतनी गंभीर चर्चा है और मंत्री आपस में बात कर रहे हैं। . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कोई भी गम्भीर नहीं है। मंत्री जी गम्भीर नहीं हैं।

*[हिन्दी]*

जहां दलितों की बात होती है, वहां ऐसे ही बात करते रहते हैं। . . . *(व्यवधान)*

**मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डुरी, एवीएसएम** (गढ़वाल) : आपने पचास सालों में क्या किया?

**श्री रामदास आठवले :** 50 साल की बात क्यों करते हैं? आप आठ महीने की बात करिये। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे :** महोदय, मंत्री जी को इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री कांतिलाल भूरिया :** मंत्री जी को नोट करना चाहिए कि बड़ी महत्वपूर्ण बातें सदन में हो रही हैं। . . .*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** भूरिया जी, आप बैठिये। आपको समय मिलेगा तब बोलियेगा।

*(व्यवधान)*

***श्री बाजू बन रियान** (त्रिपुरा-पूर्व) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी 30वें प्रतिवेदन पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 338 में 1990 में किए गए 65 वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य योजना का निर्धारण करना था।

महोदय, आयोग ने पूरे भारत के विभिन्न हिस्सों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं सम्बन्धी जानकारी को एकत्रित किया था और फिर 1990 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् कई सरकारें बदल चुकी हैं परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा को सुधारने के लिए दिए गए सुझावों और सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ भी ठोस कार्य नहीं किया गया। मेरी पार्टी सी.पी.एम. प्रतिवेदन में दिए गए सभी तथ्यों से सहमत नहीं है परन्तु हम मोटे तौर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों का समर्थन करते हैं। इस प्रतिवेदन के अनुसार आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए अलग से राज्य सृजित किए जाए। मेरी पार्टी या मैं इस सिफारिश का समर्थन नहीं कर सकता हूं। देश के विभिन्न हिस्सों विशेष रूप से पूर्वोत्तर भाग में आतंकवादी गतिविधियां जारी है। उनकी एक मांग उनके लिए अलग राज्य के गठन की भी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का इस ढंग से विभाजन हो। मैं इस बात में भी विश्वास नहीं रखता हूं कि एक बड़े राज्य में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक छोटे अलग राज्य के गठन से इन लोगों की समस्याएं हल होगी या इससे इन लोगों की आर्थिक या सामान्य स्थिति में कोई सुधार ही होगा। मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखता। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुए पचास वर्ष हो गए हैं। इतने वर्षों के दौरान देश पर कई सरकारों ने राज किया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का गठन किया गया। जनजातिय लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए कई समितियों का गठन किया गया। परन्तु यह खेद का विषय है कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। उनकी स्थिति में आर्थिक रूप से या किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। . . . *(व्यवधान)*

महोदय, आयोग ने देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई सामग्री और सूचना के आधार पर अपने प्रतिवेदन को तैयार किया है और इसे 1991 में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् कई सरकारें आई और गई। परन्तु दुर्भाग्यवश प्रतिवेदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सुझाये गए सुझावों और सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा समुचित उपाय नहीं किए गए। जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी पार्टी या मैं प्रतिवेदन में की गई सभी सिफारिशों अर्थात् जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातियों के लिए छोटे राज्यों का गठन का समर्थन नहीं करता हूं। यह सुझाव केवल अलगाववादी आतंकवादी ग्रुप, जोकि अपने लिए

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, को ही बढ़ावा देगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि अलग राज्यों के गठन से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार हो सकता है।

महोदय, यह अत्यधिक दुख की बात है कि आजादी के 50 साल बाद भी, कई समितियों और आयोगों के गठन के बाद भी जनजातीय लोगों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि उनकी स्थिति में सुधार होने के बजाय उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। 50 वर्ष पूर्व इनमें अधिकांश के पास अपनी जमीनें थी। उनके पास रोजीरोटी के कुछ साधन थे। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आत्मनिर्भर थे। अब 50 वर्षों बाद उन्हें जंगलों और पेड़ों को नष्ट किए जाने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। यह आरोप लगाया जा रहा कि वे पारिस्थितिकीय संतुलन को नष्ट कर रहे हैं। उन्हें पारिस्थितिकीय संतुलन को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मैं इस आरोप को नहीं मानता हूं। जनजातीय लोग जंगल में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए रहते हैं। वे ईधन और लकड़ी बेचने के लिए पेड़ों को काटते हैं। उन्हें लकड़ियों को बेचने से अत्यधिक कम धनराशि प्राप्त होती है। वन ठेकेदार और व्यापारी जनजातीय लोगों को अत्यधिक कम धन देकर बहुत ज्यादा लाभ कमाते हैं और उन्हें अपने देय हिस्से से वंचित रखते हैं उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं है। समाज के अन्य तबकों के लिए कई प्रकार की नौकरियां उपलब्ध हैं। सरकार ने उनके लिए काफी कुछ किया है। परन्तु उनके कल्याण के लिए जो भी सिफारिशें की जाती हैं उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

सरकार द्वारा कल्याणकारी उपायों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद उन्हे कार्यान्वित न किए जाने के कारण उन लोगों को उनका फायदा नहीं मिलता है। जो लोग आदिवासियों के कल्याण हेतु योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न हैं वे भी अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन उपयुक्त ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति दिनों-दिन बदतर होती जा रही है।

**अपराह्न 3.00 बजे**

जब से हमारी संसद का गठन हुआ है, तब से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु एक समिति कार्य कर रही है। यह एक निर्वाचित समिति है। इस निर्वाचित समिति ने विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जिन विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं की सिफारिश की गई, उन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह अत्यन्त दुख का विषय है। चर्चा के अधीन प्रतिवेदन को सरकार को भेजे जाने के पश्चात् यद्यपि संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग गठित किए जाने पर विचार किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अन्य विभागों द्वारा भी अलग टिप्पणियों सहित 21 सिफारिशें की गई थी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अधीन एक और उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के गठन का सुझाव दिया था। वह आयोग कई अन्य बातों पर विचार करेगा। मुझे एक और आयोग के गठन पर आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए की गई विभिन्न सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया है। हमारे देश में विधानों की कोई कमी नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए काफी चर्चा और विचार-विमर्श हो चुका है। सरकार जनजातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काफी कुछ कर सकती थी। परन्तु वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार करने के कारण अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां प्रगति नहीं कर रही हैं और मुख्यधारा से पीछे रह गई है। मैं त्रिपुरा से चुनकर आया हूं। त्रिपुरा में वामपंथी सरकार का शासन है लगातार चौथी बार वाम मोर्चे ने सफलता पायी है। संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण की देखभाल के लिए त्रिपुरा सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए जिला परिषदों का गठन किया है। संविधान में संशोधन के पश्चात् जनजातीय क्षेत्रों के लिए जिला परिषद टी.टी.ए.डी.सी. (त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र और जिला परिषद) का गठन त्रिपुरा में ही किया गया है। यह परिषद राज्य सरकार के समान कार्य कर रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से देश के अन्य जनजाति बहुल क्षेत्रों में भी जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए त्रिपुरा जैसी जिला परिषद के गठन की अपील करता हूं। जनजातीय लोगों के लिए अलग राज्य गठित किए जाने पर विचार किए जाने के बजाय, जनजातीय और अनुसूचित जातियों की विकासात्मक योजनाओं की समुचित देख रेख के लिए जिला परिषद कार्य कर सकती हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जनजातीय क्षेत्रों में जिला परिषद का गठन ही जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकासात्मक योजनाओं के लक्ष्य को हासिल करने का एकमात्र उपाय है। परिषद की प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों जैसी जिम्मेदारियों को बढ़ाया जाये जिससे कि परिषद समुचित ढंग से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर सके। ऐसा केवल संसद द्वारा संविधान में संशोधन द्वारा किया जा सकता है। यदि जिला परिषद की प्रशासनिक और आर्थिक शक्ति को बढ़ाया जाता है तो वह राज्य सरकार के अन्तर्गत विकासात्मक योजनाओं को चला सकती है। हमारे राज्य में गठित की गई जिला परिषद राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई निधि के द्वारा कार्य कर रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं किसी एक राज्य का विषय नहीं है। अन्य राज्यों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं हैं। इस उद्देश्य के लिए संसद में एक निर्वाचित समिति का गठन किया गया है और इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास हेतु केन्द्र का उत्तरदायित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केन्द्र को आगे बढ़कर समुचित उपाय करने चाहिए जिससे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक और सम्पूर्ण विकास हो सके। मेरी मांग है कि केन्द्र को परिषद को और अधिक धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। यह धनराशि सीधे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस मामले पर योजना आयोग से विचार विमर्श किया जाना चाहिए और इस विषय में निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं त्रिपुरा से पहले असम में करबी अंगलौंग, मिजोरम में चकमा, पावा और फकेव और उत्तर कछार में भी 1952 में जिला परिषदें स्थापित की गई। जिस दिन से हमारा संविधान प्रभावी हुआ है तभी से ये परिषदें गठित की गई हैं, परन्तु ये परिषदें जनजातीय लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी हैं।

वे उनके विकास संबंधी कार्यों के लिए कल्याण संबंधी उपायों को सही तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं। त्रिपुरा के जिला परिषद, टी. टी.ए.डी.सी. को अ० जा० और अ० ज० जा० के लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करने की अपनी जिम्मेवारी निभाने में कठिनाई आ रही रही है। परिषद की कार्यप्रणाली केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के रवैये पर निर्भर करती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के

[श्री बाजू बन रियान]

कल्याण से संबंधित संसद की निर्वाचित समिति इस बात की जांच करती है कि राज्यों तथा केन्द्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, रेलवे इत्यादि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ जा॰ के लोगों के लिए आरक्षण लागू किया जा रहा है अथवा नहीं। उन्होंने इस संबंध में अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है। मैं इस समिति से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। हमने कई प्रतिवेदन भेजे हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी सरकारी या अर्द्ध-सरकारी संगठन ने अ॰ ज॰ जा॰ के लोगों के लिए आरक्षित 7 1/2 प्रतिशत और अ॰ जा॰ के लोगों के लिए 15 प्रतिशत का कोटा नहीं भरा है।

मैं वर्ग-1 के अधिकारियों जैसे पदों की बात नहीं कर रहा जिसके लिए व्यक्ति को काफी शिक्षित होना पड़ता है। परन्तु अगर सरकार इस दिशा में निष्ठ और ईमानदार है तो वर्ग-''ख'' तथा वर्ग ''ग'' कर्मचारियों के आरक्षित पद भरे जा सकते हैं। कम से कम चपरासी के लिए आरक्षित पदों को रिक्त न रखा जाए क्योंकि इन पदों के लिए अधिक शिक्षित [illegible]कता नहीं होती है। सरकार को इस संबंध में सही दृष्टिकोण [illegible] जानता हूं कि इन लोगों को उच्च वर्ग के पदों पर [illegible] जा सकता क्योंकि उन्हें उच्च शिक्षा का मौका था सुविधा नहीं मिलती। परन्तु निम्न वर्ग के आरक्षित पदों को भरा जा सकता है। अगर हम जांच करें तो हम पाएंगे कि न तो केन्द्र सरकार न तो राज्य सरकार निम्न वर्ग के पदों तक के लिए आरक्षित कोटा नहीं भर रही है। वामपंथी सरकार द्वारा शासित केवल त्रिपुरा राज्य में ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में और कहीं भी इसका अनुपालन हो रहा हो। इसके लिए मैं इस सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं। परंतु मेरी दाईं ओर बैठी पार्टी जिसने इस देश पर 40 से अधिक वर्षों तक शासन किया है और मेरी बाईं ओर बैठी पार्टी जो वर्त्तमान सत्तारुढ़ पार्टी है तथा जो कई राज्यों में भी शासन कर रही है - ने न केवल नौकरियों बल्कि शिक्षा में भी अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ जा॰ के लिए आरक्षण नीति लागू नहीं की है। सरकार का रवैया बदलना पड़ेगा। जनजातीय लोग शारीरिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं। हम बड़े-बड़े उद्योगों की सफाई करते हैं। हम सिर पर मैला ढोते हैं। हम देश को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के काम में जुटे रहते हैं और इस प्रकार बाबुओं को आराम दे रहे हैं। मुझे इन कामों से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जनजातीय लोग इन कामों से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जनजातीय लोग इन कामों को अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। परंतु मैं यह पूछना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकार इन लोगों को क्यों नहीं मिलते? यह सरकार पर निर्भर करता है। हम आयोग पर आयोग गठित करके अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ जा॰ की किस्मत नहीं बदल सकते। आयोग चाहे कितना भी समर्थ क्यों न हो, अगर इसका दृष्टिकोण और उद्देश्य सही नहीं है तो यह किसी का भला नहीं कर सकता।

भारत में जनसंख्या बढ़ गई है। परंतु हैरानी की बात यह है कि आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि बच्चा पैदा होने के बाद जनजातीय लोग गरीबी और अज्ञानता के कारण उसे पौष्टिक आहार नहीं दे पाते। इसलिए उन लोगों में बाल मृत्यु दर काफी अधिक है। इसीलिए उनकी जनसंख्या में कमी आ रही है।

अगर कल्याणकारी उपायों के लिए की गई सिफारिशें लागू नहीं की जाती तो अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ जा॰ की किस्मत कभी नहीं बदल सकती। पौष्टिक आहार की कमी के कारण वे लोग टी॰ बी॰ कुष्ठ रोग और भयानक रोगों से पीड़ित रहते हैं। इन लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर हम दलगत भावना को भूलकर उनके कल्याण को प्राथमिकता नहीं देते तो हम आदिवासियों की दयनीय स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। इन लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए जीवन के हर क्षेत्र से लोगों को आगे आना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो स्थिति और बिगड़ेगी। अगर स्थिति और बिगड़ेगी तो देश शांति से नहीं रह सकेगा। उन लोगों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथियार उठा लिए हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश, बिहार और अन्य स्थानों में सशस्त्र संघर्ष किया है। वे इस बात को भी जानते हैं कि हथियारों की सहायता लेने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने हिंसा तक का सहारा ले लिया है। इस सभा में कुछ दिन पहले प्रश्न काल के दौरान आई.एस.आई. और विदेशी ताकतों का हाथ होने का मामला भी उठाया गया था। ये विदेशी तत्त्व उनकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठा कर हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम जन जातीय लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। परंतु हमें यह पता लगाना चाहिए कि वे लोग आंतकवाद का सहारा क्यों लेते हैं? इसलिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलकर वास्तविक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम जनजातीय लोग मेहनत करने मे नहीं डरते। जनजातीय लोग मेहनती, सीधे और ईमानदार प्रकृति के होते हैं। ऊंची जाति के लोग उनके सीधेपन और ईमानदारी का लाभ उठाते हैं और उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं। परंतु फिर भी वे अपने जीवन निर्वाह के प्रयास में लगे रहते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आंतकवादी गतिविधियों की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएं और जनजातीय लोगों की स्थिति में परिवर्तन और सुधार करने में मदद करें जिससे उन्हें अन्य लोगों की तरह पर्याप्त अवसर प्राप्त होवें और वे इस देश का एक बहुमूल्य हिस्सा बन सके तथा इसे समृद्ध और विकसित बनाने में अपना योगदान दे सकें। महोदय मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

**अपराह्न 3.10 बजे**

[**डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुदयाल कठेरिया** (फिरोजाबाद) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सदन को, माननीय अध्यक्ष जी को, सरकार में बैठे हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को, सब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1990-91 से जिस रिपोर्ट को अभी तक चूहे कुतर रहे थे, उस पर हमारी सरकार ने, अध्यक्ष जी ने गम्भीरता से विचार करके चर्चा प्रारम्भ कराई है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मेरे कुछ मित्रों ने इस बात को रखा कि श्री बी.डी. शर्मा ने यह रिपोर्ट बनाई थी, मैं विशेषकर उस वर्ग के व्यक्ति को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे मित्र ने उसकी आलोचना करने का प्रयास किया था, मैं उस बात का कटाक्ष कर रहा हूं कि ब्राहमण वर्ग से होने के कारण भी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस वर्ग से न होने के कारण

भी उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के बारे में बहुत अच्छी रिकमेंडेशन की। उन्होंने अपने जो तजुर्बे किये, जिस तरह से आइडेंटीफिकेशन किया, जो जानकारी ली, जो समाज की पीड़ा थी, वेदना थी, विडम्बना थी, उसकी जानकारी करने के पश्चात् उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था ठीक तरीके से उन्होंने रिपोर्ट के अन्दर उद्धत की। दुख इस बात का है कि 1989 से लेकर 1999 आ गया, सरकारें आईं और सरकारें चली गईं, पर इस रिपोर्ट के प्रति ठीक तरह से व्यवस्था नहीं की गई। हम सदस्यों की यह वेदना भरी बात है।

मैं धन्यवाद देने के बाद एक बात और बहुत वेदना के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी को 50 वर्ष गुजरने जा रहे हैं, 50 वर्ष गुजरने के बाद भी हम लिख रहे हैं कि दलित महिला को पंचायती नल से पानी भरने के कारण घर से खींचकर निर्वस्त्र करके गली में घुमाया गया। वाह रे देश के भाग्यविधाताओं, आजादी के बाद दुनिया के देशों में हमारी क्या तस्वीर उभरकर आती होगी। आजादी के बाद निर्वस्त्र करके दलित महिला को या दलित व्यक्ति को घुमाया जाए, यह सिर्फ एक प्रान्त की बात नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद कांस्टीट्वेंसी से 15 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, लोक सभा में मेरा यह थर्ड टर्म है। मैं किसी एक प्रान्त की बात न करके चूंकि मैं मैम्बर पार्लियामेंट हूं, इसलिए समूचे देश की बात कर रहा हूं। मैं इस बात को कहते हुए कि किसकी सरकार है, किस प्रान्त की है, मैं यह बात नहीं करना चाहता हूं कि किसकी सरकार किस प्रान्त में है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, आन्ध्र प्रदेश में, जो 25 प्रान्त हैं, उनमें से कम से कम पांच प्रान्त ऐसे हैं, जिनकी संख्या मैं जानकारी के तौर पर देना चाहता हूं। सिर्फ 1995, 1996 और 1997 के तीन वर्षों की रिपोर्ट मैं बता रहा हूं कि 1995 में 32,964 केस हैं, 1996 में 31,416, 1997 में 27,708 केस अनुसूचित जाति के ऊपर हैं। अनुसूचित जनजाति के ऊपर 1995 में 5,494 और 1996 में 4,972 केस हैं। यह सारे सदन के लिए तस्वीर है। आज आजादी के बाद दुनिया के देश इस देश के गरीब और कुचले व्यक्ति के बारे में क्या सोच सकते हैं, उनके लिए किस बात की आजादी है? इसके लिए कौन दोषी है, आप समझते हैं कि एक विशेष वर्ग के किसी व्यक्ति को गाली देकर या किसी ठाकुर को गाली देकर या किसी ब्राहमण को गाली देकर या अन्य लोगों को गाली देकर यह समाज सुधर सकता है? इसकी रैस्पोंसिबिलिटी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इस सदन में बैठे लोग, जो इस देश के भाग्यविधाता हैं, 50 साल के बाद सबसे बड़ी रैस्पोंसिबिलिटी इन लोगों की है. ये जो लोकतंत्र के रखवाले हैं, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। समाज इतना दोषी नहीं है, बल्कि जो 90 करोड़ का देश ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। उतना दोषी नहीं है, जितने ये ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं, जो आजादी के बाद हमें ऐतिहासिक धरोहर में मिले थे। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो इतिहास में आजादी के बाद हमको मिले, उनके कारनामों से मात्र 30 परसेंट लोग इस देश के अन्दर हैं, जो वैमनस्यता, जातीयता का जहर घोलकर इस समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करना चाहता हूं, हम लोग भी, जिसमें आई.ए.एस., आई.पी.एस. बन गये, मैम्बर पार्लियामेंट बन गये तो बस हमारा गोरी चमड़ी से मेलजोल हो गया, सफेद बन गये। वे गरीब जो गांवों में रहते हैं, जिनको टाट-पट्टी पर बैठने के लिए विद्यालय में जगह नहीं मिलती, पर ब्राहमण खुद बन जाते हैं और हम पंडित को बुरी बात कहना चाहते हैं। ब्राहमण वे तो हैं ही, लेकिन हम लोग भी हैं, जो उनके साथ जो दुष्टभाव रखते हैं। जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी हम लोगों की है।

महोदय, आज जैसा मेरे मित्र ने कहा कि विद्यालयों की यह हालत हमारी शिक्षा के कारण है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा ज्ञान का मंदिर है। जब तक हमारे नन्हें-मुन्ने बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक हमारे दलित वर्ग के बच्चों में यह भावना रहेगी कि मैं दलित वर्ग से हूं और मुझे ठीक तरह से सम्मान नहीं मिल रहा है, उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है। दलित वर्ग अगर शिक्षित होता तो आज वह इतने बच्चे पैदा नहीं करता। यदि उसको इतना ज्ञान होता कि मुझे कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, मैं कितने बच्चे संभाल सकता हूं तो आज देश की इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ी होती। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं मिली।

दुनिया में इतने संविधान हैं लेकिन भारत जैसा संविधान दुनिया के किसी देश में नहीं है। संविधान की जो भी प्रक्रिया है कि जिस किसी भी वर्ग का व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे धर्म, जाति इत्यादि की बात समझाई जाती है। लेकिन दलित वर्ग के लोगों को कभी भी संविधान, वेद-शास्त्र, राम, सीता, कृष्ण, शिवजी इत्यादि के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए वे नहीं जानते कि ये कौन हैं। इसलिए अगर उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई होती तो आज वे लोग भी समाज में अपनी भूमिका ठीक तरह से निभा सकते।

हम सब सांसद हैं, अगर पचास साल की आजादी के बाद भी हम सब यही राग अलापते रहे कि आरक्षण पूरा नहीं हुआ, बैंक-लॉग पूरा नहीं हुआ। हमारी अस्सी प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, यदि हम यही कहते रहे कि हमारा आरक्षण, बैंक-लॉग पूरा नहीं हो रहा है, हमारे दलित-वर्ग के लोगों की पदोन्नति नहीं हो रही है तो हमारा देश विकास नहीं कर सकता। . . . *(व्यवधान)* मैं पार्टी से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा आप लोग जिम्मेदार हैं। हम लोगों को सत्ता पर आए हुए अभी मुश्किल से आठ दिन हुए हैं। जिम्मेदार आप लोग हैं।

मैं आपबीती बता रहा हूं कि एक बार मैं एस.सी.एस.टी. का डेलीगेशन लेकर गया था। वहां मैंने अधिकारी-कर्मचारी मैनेजमेंट से बात की। पता चला कि यहां जूनियर इंजीनियर जो दलित वर्ग का था, उसने बताया कि उसे कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। हमारे चेयरमैन साहब मौजूद हैं। देश की आजादी के बाद यह हालत है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो लोग सत्ता के नजदीक हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे अस्सी प्रतिशत अनपढ़ लोग जो गांव में रहते हैं, उनको इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो बना हुआ है वह यह है कि यह जातीयता का जहर हमारे समाज को निगल रहा है। यह जातीयता का जहर हमारे राजनीतिज्ञों ने बोया है। चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टीज ने एजेंडा बना लिया है कि वह फलां वर्ग का व्यक्ति है चाहे उसकी योग्यता हो या नहीं हो, उसे फलां पद दिया जाएगा। यह जातीयता का जहर यदि बना रहा तो देश का भला नहीं हो सकता, देश छिन्न-भिन्न हो जाएगा। आज कुछ लोग लुभावने भाषण देकर फतवा जारी करके इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। आज आप थाने में जाकर देख लीजिए। अगर कोई एस.सी. या एस.टी. का व्यक्ति एस.एच.ओ. है या इंस्पेक्टर है और अगर कहीं पंडित जी उसके लट्ठ के नीचे आ गए तो उनको वह सारी व्यवस्था बता देगा। . . . *(व्यवधान)* इसी तरह से यदि समृद्ध जाति का कोई व्यक्ति एस.एच.

[श्री प्रभुदयाल कठेरिया]

ओ. या इंस्पेक्टर है और एस.सी. का कोई व्यक्ति उसके नीचे आ गया तो वह उसे अच्छी तरह से सारी व्यवस्था बता देगा। यह जातीयता का जहर यदि पुलिस प्रशासन में फैल गया तो हम लोगों के लिए बहुत घातक होगा। अगर हमारी सरकार आ गई, हम उसके साथ भी अन्याय कर रहे हैं। किसी भी पार्टी का सांसद सांसद है। वह जन प्रतिनिधि है। सत्ता में बैठकर जनता के साथ आप घात कर रहे हैं यदि जातीयता के जहर को फैलने से नहीं रोका गया। जनता का आशीर्वाद लोक तंत्र का तकाजा है।

मगर वह जनता का आशीर्वाद लेकर आया है। अगर उसके साथ आप भेदभाव करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि उस लोकतंत्र की आत्मा को धक्का दे रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का सांसद हो। यह बड़ी घिनौनी बात बन रही है कि कोई एस.सी. का अधिकारी ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, उसने अगर अपने विशेषाधिकार की बात की तो उसे कहा जाएगा कि वह एस.सी. का सांसद हमारे साथ बड़ी बुरी तरह से पेश आया। हमारे ही कुछ लोग उस पर धावा बोल कर उसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जब तक लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं [illegible] नहीं हो सकता। ममता जी ने बहुत अच्छी बात कही [illegible] को एक सूत्र में बांधना है तो सब को मिल कर [illegible] को जातीयता के जहर में मत घोलो क्योंकि इससे देश टूट जाएगा। दुनिया इस देश का तमाशा देखेगी। अगर कहीं इस प्रकार की कोई बात आती है तो हम मिलजुल कर सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। मैं किसी समस्या को उजागर न करते हुए कहना चाहता हूं कि सारी समस्याओं का हल हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि उन्हें आरक्षण नहीं दिया, निश्चित रूप से आरक्षण दिया है क्योंकि अगर न दिया होता तो मेरे जैसा दलित-कुचला व्यक्ति आज यहां न होता। मैं अपने नेताओं की प्रशंसा करता हूं कि जिन कुचले लोगों को राजनीति में भागीदारी नहीं मिली हमारे नेताओं ने उन वर्गों के लोगों को टिकट दिया और जो यहां चुन कर जीत कर आए। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि जो व्यवस्था आज हम लोगों ने यहां बनाई है, यह चिन्ता का विषय है। जिस तरीके से शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट दी है, मैं मंत्री जी से तथा समूचे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि सांसदों की भावनाओं को समझें। अगर एक सांसद बोलता है तो 15 लाख लोकतंत्र के रक्षक बोलते हैं, इसलिए आप इनका विशेष ध्यान रखिए। अगर ठीक तरीके से समाज को कुछ देना है, यदि वास्तव में प्रधानमंत्री जी की इच्छा इस वर्ग के लिए काम करने की है तो देश में जितनी बंजर जमीन पड़ी हुई है उसकी ठीक तरीके से व्यवस्था की जाए। गरीब लोगों को पट्टे दिए जाएं और एक परिवार से एक बच्चे को नौकरी दी जाए। जब देश के दबे-कुचले व्यक्ति को 10,000 तनख्वाह मिलेगी तो वह भी ठीक से पहन सकता है। जोगी जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए मैं वह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं आपको कहना चाहता हूं-

''निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।''

आपके यहां तराजू लगी है। ऐसा नहीं है कि किसी की जमींदारी न हो, वह किसी की जमींदारी नहीं मानता, वह पार ब्रहम है, वह किसी की नहीं मानता, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा।

यह प्राकृतिक आपदा देश में क्यों आ रही है? जब तक देश में महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक निश्चित रूप से देश में प्राकृतिक आपदा आती रहेगी, यह मेरी भावना है। आप यह सोचिए कि कोई तुम्हारे ऊपर भी बैठा हुआ है, हरेक के ऊपर कोई न कोई बैठा हुआ है। डा. अम्बेडकर ने एक के ऊपर एक बनाया है। अगर कोई व्यक्ति यह समझें कि सब कुछ मेरे हाथ में है तो यह इम्पोसिबल है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसी वर्ग को गाली न देकर अपने समाज को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे समाज ने हमें महामहिम राष्ट्रपति जी का पद दिया, हमें बहुत कुछ दिया। समाज में कंट्रोवर्सी पैदा करके कुछ नहीं मिल पाएगा। गाली देने से समाज टूट जाएगा। समाज की व्यवस्था जिस प्रकार से की गई है यह चिन्ता का विषय है। आपने देखा होगा कि अगर आपको बुलंदशहर से आगरा जाना है तो 25 रुपए 35 पैसे लगते हैं। 25 रुपए देंगे तो कंडेक्टर पकड़ कर नीचे कर देगा। जब तक उसे 35 पैसे नहीं मिलेंगे तब तक कंडैक्टर ऊपर चढ़ाने नहीं देगा। हाउस और लोकतंत्र के प्रहरी इस बात के गवाह हैं कि जब तक रेजगारी को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक नोटों की वैल्यू नहीं होगी। यह एक आध्यात्मिक बात है। रुपए की वैल्यू तब होगी जब रेजगारी को गले लगा कर चला जाएगा। रेजगारी जिस दिन एक सूत्र में बंध जाएगी, उस दिन देश का भी कल्याण हो जाएगा। अगर रेजगारी की उपेक्षा की गई और वह जेब में फंस गई तो जेब फट जाएगी। कोई अप्रिय घटना भविष्य में देश में न घटे इस बात का ध्यान रखना होगा। श्री बी.डी. शर्मा ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। आन्ध्र प्रदेश में लोकतंत्र की जिस प्रकार धज्जियां उड़ायी गई और वहां दलित महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, वह इतिहास में लिखा जाएगा। हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जिम्मेदारी के साथ हमारी बात को गम्भीरता से लें और पारदर्शिता लाएं। जब तक हमारी भावनाओं को नहीं सुना जाएगा, तब तक कमजोर और कुचले लोगों का भला नहीं होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उत्पीड़न, क्रांति और रेजगारी को इकट्ठा मत होने दीजिए। देश में भाइचारे की भावना बनने से देश आगे बढ़ेगा। अगर गरीबों पर इसी प्रकार अत्याचार होते रहेंगे तो देश टूट जाएगा। आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय कल्याण मंत्री श्रीमती मेनका गांधी द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति और जन जाति आयुक्त के वर्ष 1989-91 के 30वें प्रतिवेदन पर सदन को चर्चा करने का जो मौका दिया, उस पर कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए कुछ कहना चाहूंगा।

आज की चर्चा में मुझे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी की बात याद आ रही है। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था उस समय अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों ने आरक्षण पाकर संतोष किया था। देश का सौभाग्य है कि दूसरा अछूतिस्तान बनने से रुका। आज हमें यह चिंतन मनन करना होगा कि बीते पचास वर्षों में देश ने क्या खोया और क्या पाया? अनुसूचित जाति और जन जाति से जुड़े बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन पर कई सरकारों ने हमेशा इस बात की व्याख्या की कि हम उनके हितों की रक्षा करेंगे, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे लेकिन आज तक जितनी बातें कहीं गई और कल्याणकारी योजनाएं लाई गई, ये जहां की तहां रह गई और लंबित पड़ी रहीं।

बहुत से सम्मानित सदस्यों ने आरक्षण की बात कही। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग चाहे देश के किसी कोने में हों या किसी प्रदेश में हों, उनमें यह एक भय बना रहा कि आरक्षण का संवैधानिक अधिकार कहीं समाप्त न हो जाए। जितने भी विभाग हैं चाहें वे केन्द्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, वहां अनुसूचित जाति और जन जाति के रिक्त पद आज तक नहीं भरे गए। कोई विभाग डंके की चोट पर यह नहीं कह सकता कि हमने सौ परसैंट आरक्षण को पूरा किया है। आज हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उस पर चिंतन और मनन करना होगा। आप रिकार्ड उठा कर देख सकते हैं। जोगी जी ने यहां आंकड़े प्रस्तुत किए। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। उच्च पदों की पोस्ट्स को उठा कर देख लें चाहे वे केन्द्र सरकार की हों या राज्य सरकारों की हों, वहां अनुसूचित जाति और जन जाति के कितने लोग बैठे हैं इस पर विचार करना होगा। जब बजट सत्र चल रहा था मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को एक प्रतिवेदन दिया था कि भारत सरकार में सचिव पद या उच्च पदों पर पहले अनुसूचित जाति के बहुत सारे अधिकारी थे, लेकिन अब अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी नहीं है। मैंने इस ओर प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था, पता नहीं इस मामले में कुछ किया या नहीं, मैं इस में नहीं जाना चाहता। आज हम प्रोमोशन की बात करते हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों में बहुत से अधिकारी प्रोमाशन पाते हैं, जो योग्य हैं। यदि उनका प्रोमोशन होता है तो उनको अंडमान निकोबार भेजा जाता है लेकिन वे विवश होकर वहां जाना नहीं चाहते और प्रोमोशन को किल करके वहीं बने रहना चाहते हैं। अन्य जातियों के लोगों का प्रोमोशन होता है तो किसी अन्य जिले में भेजे जाते हैं। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी का प्रोमोशन किया जाता है तो उत्पीड़न की भावना से उसे दूर फैंक दिया जाता है। यह सोचा जाता है कि वह दूर नहीं जायेगा और अपना आरक्षण विद्ड्रा कर लेगा। मेरा निवेदन है कि इस परिस्थिति की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं कल्याण मंत्रालय से संबंधित योजनाओं पर बाद में बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में आज भी दो आई.ए.एस. अधिकारी ऐसे हैं, एक उनमें से एक सांसद श्रीमती रीना चौधरी के पति श्री बी. प्रसाद और दूसरा सासंद श्रीमती ओमवती के पति श्री आर.के. सिंह हैं जिन दोनों अधिकारियों को की-पोस्ट से अलग रखा गया। जब ये लोग उच्च न्यायलय में गये तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन दोनों को विशेष पदों पर रखकर सम्मान दिया जाये। लेकिन आज भी उन दोनों अधिकारियों को न तो महत्वपूर्ण पदों पर रखा जा रहा है और न ही उनको सैलेरी दी जा रही है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि उच्च पदों पर बैठे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के साथ इस प्रकार का उत्पीड़नपूर्ण व्यवहार सरकार द्वारा किया जायेगा तो हम लोग इस संसद में भाषण देकर क्या करेंगे।

सभापति महोदय, आज शाम के 7 बजे हम अनुसूचित जाति के सांसद इस विषय पर मीटिंग कर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अधिकारी जो ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं एवं जिनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है, उस पर विचार कर रहे हैं। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग स्थिति है। कई राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधायें नहीं दी जा रही हैं, आरक्षण में कोटा नहीं रखा जा रहा है। उदाहरण के लिये आन्ध्र प्रदेश में पासी जाति को अनुसूचित जाति श्रेणी में नहीं रखा गया है और न उन्हें वे मूलभूत सुविधायें दी जा रही हैं जिनके वे हकदार हैं। मेरा एक सुझाव यह है कि जिस प्रकार मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग या तमाम ऐसे आयोग, को वित्तीय या ज्युडिशियल पावर्स दी गई हैं, उसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को वित्तीय और ज्युडिशियल पावर्स देनी चाहिये जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके।

सभापति महोदय, अब मैं आदिवासी भाइयों की चर्चा करना चाहूंगा। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में कल्याण और वन मंत्री रह चुका हूं, मैं उनकी तकलीफों को जानता हूं। हमारे यहां सत्तापक्ष के माननीय सदस्य श्री काश्यप की ओर से बात कही गई और श्री जोगी जी ने भी कहा, इसलिये मैं भी कहना चाहूंगा कि सरकार को उनकी ओर विशेष ध्यान देना होगा। उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना होगा। जंगल से प्राकृतिक रूप से मिली वस्तुओं के उपयोग से उनका रोजगार चलता है। उसी पर उनका और उनके बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए अनेकों योजनायें बना रखी हैं लेकिन वे उन तक नहीं पहुंच पा रहीं हैं। इसलिये कहना चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये। अभी हमारे किसी साथी ने कहा कि कहां ऐसी व्यवस्था है और कहां ऐसी व्यवस्था की गई है, मैं बताना चाहूंगा कि गत 50 सालों में पिछली सरकारों ने जो गलतियां की है, आज सत्तापक्ष में बैठे हुये लोग आदिवासियों के कल्याण के लिये योजनायें बना सकते हैं और उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं।

**अपराह्न 3.35 बजे**

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत थागा जनपद फतेहपुर में सलेमपुर ऐसा गांव है जहां मैंने दौरा किया। वहां 600 विद्यार्थी जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं, उनके लिए एक अध्यापक है। मुझे जब यह पता लगा तो मैंने इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया। आज ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों गांव होंगे जहां बहुसंख्यक विद्यार्थियों पर केवल एक या दो शिक्षक होते हैं। आज हम देखते हैं कि मिशनरी स्कूल या बड़े घरों के बच्चे जिन अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां पांच या दस विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ मैं आपको दूर-सुदूर देहात और गांवों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां आज भी छुआछूत के नाम पर, अस्पृश्यता के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज भी गांवों में प्रथा है कि कोई भी अनुसूचित जाति और जनजाति का नौजवान यदि अपनी शादी करता है तो वह घोड़ी पर नहीं जा सकता। उसी प्रकार अगर वह गांव से गुजरते हुए देखता है कि कहीं बड़े वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, तो उसको रास्ता बदलना पड़ता है। बहुत से बड़े वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनके सामने वे लोग चारपाई पर नहीं बैठ सकते। कई कुएं ऐसे हैं जहां से वे पानी नहीं पी सकते।

मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि उनके क्षेत्रों में खासकर जहां मेहतर जाति और वाल्मीकि जाति के लोग रहते हैं, उनको पानी भरने नहीं दिया जाता है। आज हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनके गांवों में दस घरों के बीच में एक हैंड पंप लगाने की बात की है आज होता

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

यह है कि जब पूरा गांव पानी भर लेता है तब वह पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद उस हैंड पंप को मिट्टी से धोया जाता है। आज हमारे देश को आजाद हुए पचास वर्ष हो गए हैं लेकिन हम जहां के तहां पड़े हुए हैं। पट्टे के नाम पर उनको जमीनें चाहे कृषि योग्य जमीनें हों या मकान बनाने के लिए हों, गांवों के बाहर मकान बनाने के लिए दी जाती है और जंगलों में मकान बनाकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते है। वहां कृषि योग्य भूमि को देखें तो उनको या तो ऊपर जमीन दी जाती है, या उन जमीनों को दिया जाता है जहां पर दबंग या सरदार लोग उस पर कब्जा किये रहते हैं। इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा कि आज अगर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है तो हमें उनको ऐसी जमीनें मुहैया करानी होंगी जहां से उत्पादन करके वे अपना जीवन स्तर उठा सकें।

इसी प्रकार मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी कल्याणकारी योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के नाम पर हम लोन देते हैं। आज अनुसूचित जाति का व्यक्ति ऋण नहीं लेता है लेकिन विचौलिये और दलाल उनके फर्जी दस्तखत करके, अंगूठा लगाकर लोन निकाल लेते हैं और बाद [illegible] आता है कि आपके घर की कुर्की होगी। इस [illegible] ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति [illegible] के लिए धन देते हैं। आप उत्तर प्रदेश का रेकार्ड निकालकर देख लीजिए कि वहां अनुसूचित जाति की बच्चियों की शादी के लिए आपने कितना धन दिया और कितना खर्च हो पाया है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसी प्रकार से आई.ए.एस. और पी.सी.एस. की कई कोचिंग संस्थाएं उनके लिए खुली हैं। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बदतर है कि विद्यार्थियों के रहने की जगह नहीं है। वहां अच्छे प्रोफेसरों की व्यवस्था नहीं है ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आई.ए.एस. और पी.सी. एस. में बैठकर आगे बढ़ सकें। इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज हमें गांवों की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। अगर गांवों के लोग खुशहाल नहीं होंगे और तरक्की नहीं करेंगे तो देश खुशहाल नहीं होगा और तरक्की नहीं कर सकता।

मैं आपका ध्यान अनुसूचित जाति के लोगों पर पुलिस द्वारा किये जाने वाले उत्पीड़त की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान खासकर अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर दिलाना चाहूंगा। पूर्व में कुछ सदस्यों ने जीरो अवर और नियम 377 के अधीन यह समस्या उठाई है। अगर कहीं पर कोई चोरी-डकैती होती है, राहजनी होती है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जबर्दस्ती इनवॉल्व किया जाता है और उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। उनको फर्जी मुठभेड़ में मारा जाता है। यह सब रोकना होगा। पुलिस विभाग में आरक्षण भी देखना होगा कि अनुसूचित जाति के कितने अधिकारी उच्च पदों पर हैं या थानों में एस.एच.ओ. तैनात हैं। इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

अतिक्रमण के नाम पर एनक्रोचमैंट के नाम पर आज जितने भी अतिक्रमण हटायं जाते हैं, चाहे जंगलों की बात हो, चाहे प्लेन्स की बात हो, ज्यादातर किसान, मजूदर अनुसूचित जाति के ही हैं। उनके घरों को गिराया जाता है। उसके बाद उनका पुनर्वास करने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है कि उनको किसी अच्छी जगह स्थापित करके उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जाए।

**सभापति महोदय :** अब आप समाप्त करिये।

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** हमें उन्हें संवैधानिक रोजगार देना होगा। जो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के संवैधानिक रोजगार थे, उन्हें वे अधिकार देकर आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा, चूंकि बहुत से हमारे सम्मानित सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति से आये हैं, वे भी अपनी भावनाएं यहां व्यक्त करेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली) : सभापति महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की 30वीं रिपोर्ट पर बहस के लिए आपने इजाजत देकर बड़ी कृपा की है, देश के लिए बड़ा भारी काम किया है। इस बहस का विषय बहुत लाभदायक व प्रासंगिक है। लेकिन प्रधान मंत्री जी को कमिश्नर ने जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने राज्यों और केन्द्र सरकार के सभी स्तरों पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, उन पर कारगर कार्यवाही के लिए आग्रह किया, मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों तक को पत्र लिखे, परंतु किसी का कोई असर नहीं हुआ और विडम्बना यह रही कि देश के एक-चौथाई लोगों के संवैधानिक अधिकार की अवमानना के मामले में, भारत के प्रधान मंत्री से, उनको अन्य मामलों में व्यवस्तता के कारण बात करने का अवसर नहीं मिला। रिपोर्ट को देखने से यह पता लगता है कि सब रिपोर्ट आर्टिकल 338 के प्रावधानों के बावजूद भी देश के एक-चौथाई हिस्से की क्या स्थिति है।

सभापति महोदय, दुनिया के मुल्कों का जब कोई सम्मेलन यू.एन. ओ. या किसी अन्य स्थान पर होता है तो जिस प्रकार शूद्र या आदिवासी को पीछै बैठाया जाता है, उसी तरह से हिंदुस्तान को दुनिया के अन्य मुल्कों के पीछे बैठाते हैं। इसका क्या कारण है। इसका सबसे बड़ा और मूल कारण यही है कि जिस देश में एक-चौथाई आबादी को अछूत, दबा हुआ, शोषित, गरीब, आदिवासी, हरिजन, शेड्यूल्ड कास्ट और क्या-क्या नामों से नहीं पुकारा जाता है, मैं और नाम बोलूंगा तो यहां झंझट होगा, इन लोगों को क्या-क्या नहीं कहा गया। जब तक ये लोग पीछे छूटे रहेंगे, जब तक उनका अपमान होता रहेगा, तब तक दुनिया के मुल्कों की बैठक में, दुनिया के पैमाने पर भी हिंदुस्तान आगे नहीं बैठ सकेगा और आगे बढ़ा हुआ नहीं कहा जा सकेगा। जब तक देश की एक-चौथाई आबादी को छोटा और नीचा समझा जायेगा, उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। . . . *(व्यवधान)*

**श्री शकुनी चौधरी** (खगड़िया) : बिहार के दलितों के साथ भी अन्याय हुआ है, पहले उसको सुधारें।

**सभापति महोदय :** अभी बिहार नहीं आया है।

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** मैं शकुनी जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने असली बात कहने के लिए मुझे उत्प्रेरित कर दिया। गांधी जी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण इन सभी से हम लोगों ने सीखा-''ऊंजी जाति की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम'' यानी कि अंग्रेजी में बहस करके, बात बनाकर निकल जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। ''ऊंजी जाति की क्या पहचान, काम करे और सहे अपमान''। हिंदुस्तान में जितने काम करने वाले लोग हैं, जितने मेहनत करने वाले लोग हैं जैसे अनाज पैदा करने वाला, खेत जोतने वाला, दौनी करने वाला, उसौनी करने वाला, रौनी करने वाला, निकौनी करने वाला, ठेला चलाने

वाला, ईट पाथने वाला, घर बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला, दूध पैदा करने वाला, तरकारी पैदा करने वाला आदि इन सबको अछूत कह दिया गया।

सभापति महोदय, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको कह दिया कि वे छोटे हैं और जो बैठकर खाने वाले लोग हैं, उनको कह दिया कि वे बड़े हैं। ये ऊंचे हैं और वे नीचे हैं। यह समाज में जो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। उसी को सामाजिक अन्याय कहते हैं। बिहार में गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी और स्व. कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे कि देश में जो गरीब हैं, जिन्हें छोटा कहा जाता है, जब तक उनको आगे नहीं लाया जाता, जब तक गैर-बराबरी की लड़ाई नहीं जीती जाती, तब तक यह देश तरक्की नहीं कर सकता है। . . .*(व्यवधान)*

**श्री थावरचन्द गहलोत** (शाजापुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं। चूंकि वे मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए मुझे उनसे एक प्रश्न करने का अवसर दिया जाए। माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं, वह बहुत अच्छा बोल रहे हैं। उन्होंने आयुक्त की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि आयुक्त ने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे, राज्यपालों को पत्र लिखे, लेकिन उसी में यह उल्लेख भी है कि उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को दो पत्र लिखे, जिनका जवाब तक उन्होंने नहीं दिया। इस बात का भी उल्लेख उन्हें अपने उद्धरण में करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया?. . . *(व्यवधान)*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** मैं उस बारे में भी बताऊंगा कि उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया।

सभापति महोदय, हम पढ़ते रहे कि नया जमाना आएगा जिसमें कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। जो जमीन को बोए वही जमीन का मालिक होए। दुनिया में उस समय कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आर्थिक गैर-बराबरी है, गरीबी है। आर्थिक गैर-बराबरी और गरीबी दोनों चीजें एक ही हैं। हिन्दुस्तान में दो तरह की गरीबी है। एक मानसिक गरीबी और दूसरी आर्थिक गरीबी। एक मन की गरीबी और दूसरी पेट की गरीबी। हमारे देश की एक-चौथाई जनता आज पेट की गरीबी से पीड़ित है, लेकिन उससे भी अधिक जनता मानसिक गरीबी के कारण त्रस्त है। इसलिए इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिसके कारण हमारे देश के लोगों की मानसिक गरीबी दूर हो और जब तक मानसिक गरीबी दूर नहीं होगी, तब तक आर्थिक गरीबी भी दूर नहीं होगी। जब पेट में आग लगती है, तब कुछ नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन पेट की वही आग, पेट से ऊपर उठकर जब मस्तिष्क में लगती है, तब गैर-बराबरी के खिलाफ लड़ाई चलती है और बिहार में वही हो रहा है। जो मानसिक गरीबी है, तो मानसिक गैर-बराबरी है, उसके खिलाफ लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई प्रारंभ की है। गरीबों को सम्मान देकर, उनको प्रतिष्ठा देकर, गरीबों को जगाने का काम कर के, गैर-बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उसका व्यावहारिक रूप बिहार में देखने में आता है जिससे तमाम गरीब, दलित और आदिवासी और सारे पिछड़े वर्ग के लोग महसूस करते हैं कि हम बराबर हैं, हम किसी से पीछे नहीं हैं, हम किसी से छोटे नहीं हैं। उन्हें प्रतिष्ठा मिल रही है, उन्हें सम्मान मिल रहा है। यही कारण है कि एक-दो पार्टियों को छोड़कर लगभग सभी पार्टियां बिहार में लालू जी के खिलाफ हो जाती हैं, फिर भी हम चुनाव में उनको परास्त कर देते हैं। यदि एकट्ठे 100 पहलवान भी मैदान में आ जाएं, तो भी बिहार में लालू जी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अभी हाल ही में चुनाव हुए, वनांचल के मुद्दे पर चुनाव हुए, लेकिन कोडरमा क्षेत्र में लालू जी की जीत हुई।

सभापति महोदय, अभी पटना के गांधी मैदान में इसीलिए एक रैली भी हुई। उस "खबरदार रैली" में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लालू जी जेल में हैं, लेकिन खबरदार रैली में पटना का पूरा गांधी मैदान लोगों से भरा हुआ था जिसमें सब लोग एक थे। वह खबरदार रैली, न केवल जानदार रैली थी, बल्कि शानदार और जोरदार तथा सफलतम रैली थी जिसमें लोगों ने संकल्प लिया है। . . . *(व्यवधान)*

**श्री सुशील कुमार सिंह** (औरंगाबाद) (बिहार) : यहां रैली का कोई वास्ता नहीं है।

**सभापति महोदय :** आप अपना भाषण जारी रखिये।

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** मैं जो कुछ बोल रहा हूं, वह कुछ लोगों को अभी नहीं बुझेगा, जिंदगी भर नहीं बुझेगा क्योंकि मैं गैर-बराबरी के खिलाफ और शोषण के खिलाफ बोल रहा हूं। गरीबों का हजारों वर्षों से शोषण किया जाता रहा है, उनको अपमानित किया जाता है। उनके बारे में क्या-क्या शब्द नहीं कहे जाते, वह मैं सब नहीं बता सकता क्योंकि वे असंसदीय शब्द हो जायेंगे। इसलिए कुछ लोगों को छटपटाहट हो रही है। वहां की बात सुनने की उनमें क्षमता नहीं है। उनको बैचेनी लगने लगती है कि मैं कैसी वाजिब बात बोल रहा हूं।

सभापति जी, बिहार में एक थारू इलाका है, पश्चिमी चम्पारण है जहां आदिवासी लोग, जंगली, वनवासी और गिरिवासी भी रहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है। कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, घर नहीं है। वे पेड़ के पत्तों की छांव में रहते हैं। थारू जाति के लोगों की ऐसी हालत है। छारू जाति का जिक्र रिपोर्ट में भी आया है। बिहार में 30 फीसदी आदिवासियों की पढ़ाई-लिखाई की कोई सुविधा नहीं है। अगर उनके घर में कोई बीमार है तो उसके लिए दवाई का कोई इंतजाम नहीं है। वहां आदिवासियों की हालत बहुत खराब है। इसी तरह जो पहाड़ी लोग है, उनकी संख्या घट रही है। उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। जब यह देश आजाद हुआ तब संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि धारा 338 के अधीन एक कमिश्नर बहाल किया जाये। फिर कहा गया कि एक कमीशन बहाल हो जो उनकी स्थिति के संबंध में देखे ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि हर तरह से उन्नयन हो सके, वहां गैर-बराबरी मिट सके इसलिए यह कमीशन बनाया गया। उसी कमीशन की रिपोर्ट पर आपने बहस चलाने की कृपा की।

मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाका है, बंगाल में आदिवासी इलाका है, वे सब आदिवासी लोग मिलकर कह रहे हैं कि हमें बृहत् झारखंड चाहिए। मध्य प्रदेश का आदिवासी हो, उड़ीसा का हो या बिहार का हो, ये साझिश करके कहते हैं कि आदिवासियों के हित में झारखंड बनाना है ताकि वहां उनका राज हो। बिहार में आदिवासियों की 30 फीसदी आबादी 16 जिलों में रहती है। गैर-आदिवासी लोग उन पर कब्जा कर लेंगे इसलिए बृहत् झारखंड की मांग है। यह उनकी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये गरीबों को कहते हैं कि बिहार का विभाजन करेंगे। वहां उन सबने एकजुट होकर कहा कि बिहार का विभाजन हमें कबूल नहीं है।

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

सभापति जी, गरीब लोगों का बहुत शोषण होता है। बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं। प्रधानमंत्री यहां से जाते है और बुलाते हैं। क्या वहां राबड़ी देवी जी फूल लेकर खड़ी रहती? वहां भगवान बुद्ध का उत्सव था जिसमें बड़े-बड़े देशों के बीसियों लोग बैठे हुए थे। प्रधान मंत्री वहां जाकर कहते हैं कि बिहार में माफिया राज है, जो बड़ी शर्मनाक बात है। क्या वे संस्कृति जानते हैं? ये लोग संस्कृति के दुश्मन हैं। देश का प्रधान मंत्री इस तरह से एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ और बिहार के 10 करोड़ लोगों का अपमान करे, इसे सहन नहीं किया जा सकता। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री तपन सिकदर** (दमदम) : विषय क्या है? मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह प्रासंगिक विषय नहीं है? वे जो कुछ कहते है वह ठीक नहीं है। . . .*(व्यवधान)* उन्हें अपने आपको अ० जा० और अ० ज० जा० के लोगों तक सीमित रखना चाहिए। . . . *(व्यवधान)* यह क्या है? *(व्यवधान)* क्या वे जो कुछ कहते है उसकी कोई विश्वसनीयता है?

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त करिये।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : काफी लोग बोलने वाले हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : सभापति जी, हिन्दुस्तान में जो भगवान हुए हैं, उनको भी इन्होंने माखन चोर कहा . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप अपने विषय पर आईये। अब आप समाप्त करिये।

*(व्यवधान)*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : ये जो दबे-कुचले, दलित लोग हैं, उनकी मानसिक गरीबी हटाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। . . *(व्यवधान)* इनके इलाके में जो घर बन रहे हैं। . . . *(व्यवधान)* साढ़े चौदह हजार घर बन रहे हैं।

नीचे से बन गया, छत नहीं बनी, उनका घर बनने से रुक गया – मैं इंदिरा आवास के बारे में कह रहा हूं। गरीब आदमी के पास छत भी नहीं है, पुराना घर भी टुट गया। इसलिए जो अपूर्ण मकान है, ईट, सीमेंट की कीमतें बढ़ने से ज्यादा पैसा लग रहा है। साढ़े चौदह हजार में लैंटर तक जाकर मकान बनना रुक गया, छत नहीं पड़ी और वे बिना घर के हो गए। बीस हजार रुपये मिलते हैं। तमाम गरीब लोग मांग करते हैं कि पक्का मकान बनना चाहिए लेकिन उन्हें राशि कम मिलती है जिससे उनका घर अपूर्ण रह जाता है।

बिहार में एक नोनिया जाति है। बड़े कमाऊ, सामाजिक अध्ययन संस्थान ने जांच की है, सामाजिक कारण से, आर्थिक, शैक्षणिक मामले में, हर तरह से जांच-पड़ताल की है। नोनिया जाति के लोग नमक बनाने का काम, माटी आदि काटने का काम करते थे। राज्य सरकार ने कहा है कि उन्हें शैडयूल्ड कास्ट की सूची में डाल दिया जाए। हमने 1977 में सवाल किया था। एक चिट्ठी में आया कि सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन हम जानते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहावत है –'विलम्ब से किया गया न्याय-न्याय नहीं होता।' उसी तरह सामाजिक न्याय में डिले करना और ज्यादा अन्याय है। इसलिए बिहार से उस जाति के लिए जो रिकमैंडेशन आई है, देश के अन्य राज्यों में वे शैडयूल्य कास्ट्स की श्रेणी में है, अति पिछड़ी जाति में हैं, नोनिया जाति को शैडयूल्ड कास्ट्स की सूची में डालने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, उस पर सरकार अविलम्ब कार्यवाही करे और उनके आरक्षण के लिए कानून बने। बिहार में कानून है कि यदि आरक्षण के मामले में कोई अधिकारी गड़बड़ी करे तो उस पर कार्यवाही होगी। यदि पूरे देश में इस तरह का एक्ट बन जाए कि रिजर्वेशन के मामले में जो भी अफसर गड़बड़ी करेगा, उस पर दंड का प्रावधान होगा, तो उनके विकास में, उनकी तरक्की में बड़ा भारी सहयोग होगा।

**श्री कड़िया मुण्डा** (खूंटी) : सभापति महोदय, रिपोर्ट के संबंध में बोलने से पहले, अभी पूर्व प्रवक्ता ने जिस तरह से बोला, मैं उस विषय में कुछ बोलना चाहूगा। उन्होंने बिहार के संबंध में बहुत लम्बी-चौड़ी बातचीत की और बिहार को छोटे-बड़े करने की भी बहुत आलोचना की। लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि ये जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां अनुसूचित जन जाति के लोग नहीं हैं। इनको पता नहीं है कि अनुसूचित जन जाति के लोग कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। इन्होंने आरक्षण की बहुत तारीफ की कि जो पदाधिकारी आरक्षण का पालन नहीं करेगा, उसे दंड दिया जाएगा लेकिन बिहार में इससे घोर उल्टा काम होता है। . . *(व्यवधान)* (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

**सभापति महोदय** : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

**श्री कड़िया मुण्डा** : उससे पहले ढाई साल मंत्री थे। . . . *(व्यवधान)* इस तरह के प्रतिवेदन के विषय से अलग होकर दूसरे विषय पर बोलने लगे और बिहार के संबंध में इतनी बातें करने लगे, लगता है कि सारा बिहार उन्हीं के पास था। . . . *(व्यवधान)*

आज हम जिस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को बने हुए करीब आठ-नौ साल हो गए हैं। इससे पता लगता है कि केन्द्र सरकार इस समाज के प्रति कितनी चिंतित है। आठ-नौ साल पहले रिपोर्ट बनकर तैयार हो और उसके बाद आज उस पर चर्चा हो, अटपटा सा लगता है। मैं समझता हूं कि उसमें जितनी सिफारिशें की गई हैं, उस समय जो संदर्भ था, जो परिस्थिति थी और जो उन्होंने देखा-सुना होगा, वह आज कितना बदल गया है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जब भी कोई प्रतिवेदन इनके संबंध में बनता है तो उचित समय और तत्काल उस पर बहस होनी चाहिए ताकि सिफारिश की हुई बातों के संबंध में चर्चा हो और सरकार उस पर अमल करे।

**अपराह्न 4.00 बजे**

**सभापति महोदय : कड़िया मुण्डा जी, अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे, जब यह चर्चा अब कल आयेगी। अब हम नियम 193 के अन्तर्गत जो चर्चा जो श्री आरिफ मोहम्मद खान जी ने प्रारम्भ की थी, उसके अन्तर्गत आगे कारवाई करेंगे। उस पर चर्चा होगी, अब श्री सी० गोपाल बोलेंगे।**

**श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति जी, आपसे निवेदन है कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी, इसको कंटीन्यू किया जाये। बहुत से सम्मानित सदस्यों को इस पर बोलना है।**

**सभापति महोदय : आज की जो बिजनेस लिस्ट है, उसमें इसे चार बजे लिया जाना है।**

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** इसको कल के लिए रखा जाए। बहुत से माननीय सदस्यों को इस पर विचार रखने हैं। इस पर बहुत से माननीय सदस्य छूट गये हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको भी मौका दें और उनकी बात को भी आप सुनें। इस चर्चा को कंटीन्यू करने दिया जाये।. . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** आप बैठिये। यह चर्चा समाप्त नहीं हुई है, यह चर्चा अब कल चलेगी। यह चर्चा समाप्त नहीं हुई है, यह चर्चा आगे जारी रहेगी, मैंने यही कहा है। कड़िया मुण्डा जी से मैंने कहा कि आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे। चूंकि चार बजे तक इसके लिए समय नियत था, इसलिए एट्रासिटीज के विषय को जिसे चार बजे लेना था, अब लिया है।

**श्री रामानन्द सिंह** (सतना) : मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों के साथ पिछले 40 साल में जो लूट और डकैती हुई है . . .*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** आप बैठिये।

**श्री रामानन्द सिंह :** आदिवासी योजनाओं के नाम पर अरबों रुपए बेकार चले गये, हम इस पर बोलना चाहते हैं।

**सभापति महोदय :** इस विषय पर कल चर्चा होगी।

**श्री रामानन्द सिंह :** आप हमें कल समय देंगे क्या?

**सभापति महोदय :** आप बैठिये। इस पर चर्चा होगी।

**श्री रामानन्द सिंह :** यह रिपोर्ट तो कमिश्नर की है। कमिश्नर तो सरकारी पक्ष को ही लिखते हैं। योजनाओं के नाम पर जो अरबों रुपए की सरकारी लूट हो गई, उसका क्या होगा? . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** अब श्री सी॰ गोपाल जी बोलेंगे।

---

**अपराह्न 4.02 बजे**

*[अनुवाद]*

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार—*जारी*

**श्री सी॰ गोपाल** (अर्कोनम) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सभा में 'देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार' विषय पर बोलने की अनुमति दी। मैं इस सभा के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर बोलने से पहले प्रत्येक व्यक्ति यह जान ले देश के प्रत्येक भाग में अल्पसंख्यकों पर इन अत्याचारों का मूल कारण क्या है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में प्रत्येक नागरिक प्रत्येक मानव अधिकार का आदर करें तो हमारे राष्ट्र के प्रत्येक भाग में इन अत्याचारों के घटित होने की कोई संभावना नहीं होगी। इसीलिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने मानवाधिकारों की प्राथमिकता पर जोर देने की कोशिश की थी। हमारे भावी सांवैधानिक ढांचे में स्वतंत्र भारत के संविधान-निर्माताओं ने हमें संविधान सौंपते हुए इस प्राथमिकता को उजागर किया जिसके अंतर्गत हम पिछले 50 वर्षों से प्रजातन्त्र चला रहे हैं। हमने अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई है। हमने स्वतंत्रता के बाद 50 वर्ष बिता दिए हैं। अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचार देशभर में व्याप्त हैं। यह पिछले 50 वर्षों से जारी हैं। यह स्वतंत्रता से पहले भी थे। इसीलिए हमारे महान नेताओं का यह मत था कि भारत में किसी भी सरकार को हमारे संविधान के अनुसार काम करना होगा। हमारे संविधान को गरीबों, अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों को ध्यान में रखकर लिखा गया था।

मैं इस सभा के समक्ष यह बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है। यह मूल भाग है और प्रत्येक नागरिक को इसे जानना चाहिए। इसमें कहा गया है:

> "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को; सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए"

हमें यह अवश्य समझना चाहिए कि कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक समान है। इसका उल्लेख हमारे संविधान की उद्देशिका में किया गया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि हर किसी का सम्मान किया जाता है तो भारत में किसी भी नागरिक पर अत्याचार किये जाने की कोई संभावना नहीं है।

हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने का श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है, 15 अगस्त, 1947 को जब पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित किया था तो मुझे यह बताते हुए खेद है कि महात्मा गांधी ने उस समारोह में भाग नहीं लिया था। उन्होंने उस समारोह में इसलिए भाग नहीं लिया था क्योंकि पूर्वी बंगाल की सीमा के निकट मुसलमान प्रभावित हुए थे और उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी गई थी, वे उस ओर आसानी से नहीं जा पा रहे थे। उस समय उन्होंने कहा, "मुझे वह स्वतंत्रता नहीं मिली जो मेरा लक्ष्य रखा था इसलिए मैं इस समारोह में नहीं आना चाहता हूं।" ये महात्मा गांधी के शब्द थे।

हमें इस बात के लिए खेद महसूस करना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी ये अत्याचार अभी भी जारी है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश के प्रत्येक जिलों में समिति का गठन किया जाए जो लोगों में, चाहे वे अल्पसंख्यक समुदाय के हों अथवा बहुसंख्यक समुदाय के हों, प्रचार करे और उन्हें सलाह दें।

मेरा विनम्र निवेदन है कि मानव अधिकारों को सम्मान दिए बगैर लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता है। जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था तो उसके बाद की अनेक घटनाओं में अनेक मुसलमान घायल हुए जबकि उस समय तमिलनाडु में हमारी प्रिय नेता और अन्नाद्रमुक की महासचिव पुरात्वी थलैनी डा॰ जयललिता सत्तारूढ़ थी। तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सभी मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा उपलब्ध कराई थी। उन्होंने कानून और व्यवस्था पूरी तरह बनाए रखी और इसीलिए कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। इस सम्माननीय सभा में यह बात कहते हुए हमें गर्व है।

[श्री सी॰ गोपाल]

मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में चार ननों के साथ बलात्कार की घटना की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। गुजरात में ईसाइयों द्वारा चलाए गए विद्यालयों पर हमले और बाइबिल की प्रति जलाए जाने की घटनाएं हो रही हैं। झाबुआ में भी एक कॉन्वेंट पर हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश में बागपत में भी एक कॉन्वेंट लूटा गया और मेरठ में एक चर्च पर हमला हुआ और उसे अपवित्र किया गया . . . *(व्यवधान)* यह हस्तक्षेप कैसा है? इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बंडेल जिले में एक कॉन्वेंट में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया था, देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध ये घटनाएं हुई हैं। मैं इन घटनाओं के लिए किसी पार्टी को दोष नहीं देता हूं। मेरा कहना है कि लगता है झबुआ में चार ननों के साथ सामूहिक बलात्कार सारे देश में अल्पसंख्यक ईसाइयों को आंतकित करने की किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, इसीलिए ननों के साथ यह घटना हुई है। ये आपराधिक घटनाएं अमानवीय कृत्य हैं और ये हमारी संस्कृति पर भी कलंक हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि संपूर्ण देश में अल्पसंख्यक समुदाय इन तीव्र दबावों में न आएं प्रत्येक सरकार को इसे अपने कर्त्तव्य के रूप में लेना चाहिए।

...मिलनाडु राज्य में हुई और वह घटना सुश्री चित्रा मौत है।

**श्री टी॰आर॰ बालू** (मद्रास दक्षिण) : महोदय यह मामला न्यायाधीन है।

**श्री एस० गोपाल :** नहीं यह मामला न्यायाधीन नहीं है। एक न्यायिक आदेश . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री बालू वे आपकी बात से सहमत नहीं हैं।

**श्री टी॰आर॰ बालू :** यह मामला न्यायाधीन है।

**श्री सी॰ गोपाल :** जी नहीं। यह मामला न्यायाधीन नहीं है।

महोदय, मैं न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सुश्री चित्रा की मौत रहस्यमय दशाओं में हुई। इसलिए हमारी प्रिय नेता, हमारी पार्टी की महासचिव पुराल्वी थलैवी ने तमिलनाडु सरकार को इस मामलों की तत्काल न्यायिक जांच कराने के लिए कहा। आरंभ में इस मामले की उपेक्षा की गई। सी.बी.सी.आई.डी. ने अलग रिपोर्ट दी, आर.डी.ओ.एस. की जांच रिपोर्ट अलग थी। इसलिए हमारे नेता ने राज्य सरकार से इस घटना की तत्काल न्यायिक जांच कराने का अनुरोध किया।

महोदय, अन्नाद्रमुक ने चतुष्चरणीय आन्दोलन किया। किंतु उस पर भी तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की।

**सभापति महोदय :** कृपया, अब अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री सी॰ गोपाल :** महोदय, मैं अपनी पार्टी का एक मात्र वक्ता हूं इसलिए मुझे कुछ और समय दिया जाए।

महोदय, हमारे आन्दोलन के पहले चरण में हमारी नेता ने एक बयान दिया जिसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग की। आन्दोलन के दूसरे चरण में 3 नवम्बर को इस मुद्दे की पोल खोलने के लिए बैठक की गई जिसे हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री वी०आर० नेदुन्चोईन्यन ने संबोधित किया। फिर हमारी पार्टी के महिला मोर्चा ने 9 नवम्बर को एक विरोध यात्रा आयोजित की और आन्दोलन के अंतिम व चौथे चरण में पार्टी के उप महासचिव श्री पी० कालीमुत्य, ने चेन्नई कलेक्टरेट के सामने प्रदर्शन किया। फिर भी जब राज्य सरकार इस मामले में हरकत में नहीं आई तो उन्होंने स्वयं आन्दोलन में भाग लेने का निर्णय किया। जब राज भवन तक प्रस्तावित जलूस निकालने के कार्यक्रम की घोषणा की गई तो राज्य के मुख्यमंत्री हड़बड़ा गए और अन्ततः उन्होंने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। हालांकि लोक व्यवस्था बनाए रखना और पुलिस राज्य के विषय है फिर भी इस मामले में केन्द्र की जिम्मेदारी भी है। घटना घटित होने के एक माह बाद राज्य सरकार ने इसकी न्यायिक जांच के आदेश दिए। केन्द्र सरकार को भी इस मामले की जानकारी थी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। जब तत्काल उपचारात्मक कदम सुनिश्चित किए जाएं और दोषियों को दंडित किया जाए उसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। केन्द्र सरकार पुलिस अवसंरचना के लिए राज्य सरकार को सहायता दे रही है और राज्य सरकारों के साथ खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान भी कर रही है।

**सभापति महोदय :** इस मामले पर अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री सी॰ गोपाल :** महोदय, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं और राज्य सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो केन्द्र सरकार को अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल आगे आना चाहिए।

महोदय, जब तमिलनाडु में हमारी नेता सत्तारुढ़ थीं तो राज्य में पूर्व शांति थी। अब मुसलमान एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो राज्य में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई थी। किंतु अब तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री सुरेश कुरुप** (कोट्टायम) : महोदय, जब से केन्द्र में भाजपा ने सत्ता की बागडोर संभाली है अल्पसंख्यकों पर हमलों में वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के हाल ही में छह वर्ष पूरे हुए हैं।

इस घटना ने हमारी शासन व्यवस्था को जो घाव दिए हैं वे अभी भरे नहीं हैं। अब संघ परिवार को देश में मुस्लिम समुदाय से भिन्न एक और निशाना अर्थात ईसाई समुदाय मिल गया है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश की जनसंख्या में ईसाइयों की संख्या मात्र 2.4 प्रतिशत है। ईसाई धर्म के 2000 वर्षों के इतिहास में हमारे देश में इस समुदाय पर केन्द्र सरकार और कुछ भाजपा शासित राज्य सरकारों की साठगांठ से ऐसे सुनियोजित हमले नहीं किए गए। यदि भाजपा मानती है कि हाल के चुनावों में उसकी बुरी पराजय का कारण मात्र प्याज की कीमतों में वृद्धि है तो वह गलतफहमी में है। चुनाव परिणाम इस देश के सभी समुदायों विशेष रूप से हिन्दू समुदाय की स्पष्ट घोषणा है कि वे इस देश की धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं की सुरक्षा चाहते हैं। वस्तुतः संघ परिवार और इसके सहयोगी संगठन हिन्दू समुदाय को असहिष्णु बना रहे हैं जो हिन्दु समुदाय में कभी नहीं रहा है। वस्तुतः यह देश जिस महानतम बात के बारे में गर्व कर सकता है कि

हमारी एक सपन्न विरासत है जिसमें हमारे देश में सभी धर्मों और विचारधाराओं का स्वागत किया जाता है। मैं यहां स्वामी विवेकानन्दजी का उद्धरण देना चाहूंगा। भाजपा के लिए यह जानना अच्छा होगा कि हिन्दू आस्था के महानतम प्रतिपादक ने हिन्दू आस्था के बारे में विश्व को क्या कहा था। यह विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानन्द द्वारा दिए गए प्रसिद्ध भाषण से उदधृत किया गया है। उन्होंने कहा-

> "मुझे गर्व है मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकार्यता सिखाई है। हम न केवल सार्वभौम सहिष्णुता में विश्वास करते हैं अपितु सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे राष्ट्र का वासी हूं जिसने सभी धर्मों के और धरती पर सभी राष्ट्रों के उत्पीड़ित और शरणार्थियों को शरण दी है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व होता है कि हमने अपनी धरती में इजरायलियों के पवित्रतम अवशेषों को संजोया है जो उसी वर्ष दक्षिण भारत में आए और वहां शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन आततायियों ने नष्ट किया था।"

संयुक्त राज्य अमेरिका के अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने सहिष्णुता के बारे में कहा जिसका पाठ इस देश और हिन्दू आस्था ने पढ़ाया है।

जहां तक धर्म का संबंध है हमारा देश एक लघु विश्व है। विश्व के लगभग सभी प्रमुख धर्मों के धर्मावलम्बी हमारे देश में हैं। इस समृद्ध सांस्कृतिक विन्यास पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है और भाजपा वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उसे नष्ट करना चाहते हैं। हाल के चुनावों में जनता ने अपने विश्वास की पुष्टि की है। धर्मनिरपेक्ष भारत में उनके विश्वास ने भाजपा के प्रयासों को समुचित उत्तर दिया है। भाजपा के विगत आठ महीनों के विस्मयकारी शानदार शासन के दौरान हमारे देश में यह हुआ कि यह सरकार उन सभी कट्टरवादी ताकतों को सक्रिय संरक्षण दे रही है जो अल्पसंख्यकों विशेषरूप से ईसाइयों पर हमले कर रहे हैं। बाइबिल की प्रतियों को जलाया गया, ननों के साथ बलात्कार किया गया, पादरियों पर हमला किया गया और हिन्दूत्व के नाम पर धार्मिक सभाओं को भंग किया गया।

झाबुआ में क्या हुआ? मैं भाकपा (मा) के झाबुआ दौरे पर गए छह संसद सदस्यों में से एक था। ठगों के एक गुट ने एक कान्वेंट में रह रही, छह ननों, जो जितना वह समुदाय के लिए कर सकती थीं, उनकी सेवा में लगी थीं, के साथ बलात्कार किया।

बलात्कार की यह घटना देश में हुई बलात्कार की अन्य घटनाओं से भिन्न कैसे है? इस घटना को ईसाई समुदाय पर संघ परिवार द्वारा किए गए हमलों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। जब झाबुआ में इन चार ननों के साथ यह जघन्य अत्याचार किया गया तो विश्व हिन्दू परिषद के सचिव ने घृष्टता से भद्दा बयान दिया कि यह देशभक्ति का कार्य है। लगता है उनके मन में था कि ननों के साथ बलात्कार ईसाई धर्म पर हमला है।

यह व्यक्ति संसद में भा॰ ज॰ पा॰ के सदस्य हैं और वह अभी भी सत्तारुढ़ दल में शामिल हैं। यह पूरा देश प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री की ओर देख रहा था कि क्या उनमें से कोई इस हमले और देश-भक्ति की इस नई परिभाषा की भर्त्सना करेगा। लेकिन कोई भी इसकी भर्तसना करने और अल्पसंख्यकों तथा ईसाई समुदाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए आगे नहीं आया। महोदय, यह और कुछ नहीं बल्कि इस महान देश को जो थोड़ा बहुत विश्वास आप पर है, उससे विश्वासघात है।

**गृह मंत्री (श्री एल॰ के॰ आडवाणी)** : महोदय, मैं बीच में बोल रहा हूं। मुझे अन्त में उत्तर देना है लेकिन जब इस प्रकार बहुत ही गलत ढंग से बात कही जा रही है तो मैंने सोचा कि मुझे इसका खंडन करना चाहिए। मुझे यह बता देना चाहिए कि दिल्ली के आर्कविशप, जो कि मेरे पास आए थे जब उन्होंने मुझे उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बारे में बताया तो मैंने उसी दिन उनके सामने उस संगठन के नेता को फोन किया और डांटा और उसके बाद उस संगठन, विश्व हिन्दू परिषद से उनकी उस उक्ति तथा बलात्कार की घटना की भर्त्सना करने के लिए भी कहा।

इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि इस घटना को साम्प्रदायिक न बनाया जाए। इस घटना में जिन मुजरिमों ने यह घृणित अपराध किया है उनमें यदि 24 व्यक्ति दोषी पाए गए हैं तो उनमें 12 ईसाई हैं। इसलिए मामला ईसाई बनाम हिन्दू का नहीं है। मामला महिलाओं और ननों के साथ किए गए बलात्कार से संबंधित है जो कि एक कुत्सित और अपमानजनक कार्य है। कोई भी इसके लिए उन्हें माफ नहीं कर सकता है। अत: इस कार्य की भर्त्सना में जो कुछ भी कहा जाए, कम है।

काश कि जब आपका प्रतिनिधिमंडल वहां गया था तो उन्होंने राज्य के अधिकारियों, जो कि मेरे दल से संबंध नहीं रखते हैं, से उन लोगों के बारे में पुछा होता! जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि इन 24 अपराधियों में से 12 ईसाई थे। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने यही कहा कि यह हमारी असफलता है। इस एक घटना के कारण हमें पूरे विश्व में शर्मिंदा होना पड़ा है। इस झाबुआ घटना ने हमें बहुत बड़े धर्मसंकट में डाल दिया है। इससे न केवल भा॰ ज॰ पा॰ को और न केवल सरकार को क्षति हुई है बल्कि पूरे देश को क्षति हुई है क्योंकि यह देश ऐसे कार्यों के साथ संगति स्थापित नहीं कर सकता। अब जब मुझे पता चला कि सी पी एम प्रतिनिधि मंडल वहां गया था तो मुझे इस बात की हैरानी हुई कि सी पी एम प्रतिनिधि मंडल ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि मूल तथ्य क्या है जिसके बारे में हमें राज्य सरकार ने तत्काल बता दिया था। यदि इस सत्य का पता होता तो आज इस देश की जो बदनामी हुई है, यह न होती। अत: क्योंकि आप उसी बात को दोहरा रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं पूरी चर्चा का जवाब दूं, मुझे इस बात का खंडन करना चाहिए।

यह एक घृणित अपराध है। जिन्होंने यह अपराध किया है, राज्य सरकार ने उनसे पुछताछ की है और इसके लिए मैं राज्य सरकार की प्रशंसा करता हूं कि उसने आवश्यक कार्यवाही भी की है। लेकिन इसे हममें से किसी को भी साम्प्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

**डा॰ असीम बाला** (नवद्वीप) : कितनी कोशिशों के बाद गिरफ्तारी की गई थी? . . . *(व्यवधान)*

**श्री लालकृष्ण आडवाणी : जहां तक कि संबंधित अन्य प्रश्न हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। लेकिन यह एक भिन्न मुद्दा है। कल सभी ने इन सभी मुद्दों के संबंध में चर्चा की है। लेकिन किसी ने भी झबुआ**

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

घटना का उल्लेख नहीं किया है। मुझे लगा कि उन्हें इस तथ्य की वास्तविकता का पता चल गया होगा कि इस संदर्भ में इस घटना का हवाला नहीं देना चाहिए। आज, जब मुझे आपसे पता लगा कि आपके प्रतिनिधिमंडल ने वास्तव में वहां का दौरा किया है और उसके बाद भी आप यह दोहरा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए इस बात का खंडन करना ठीक रहेगा।

**श्री सुरेश कुरूप :** मैंने कहा था कि हमारे देश में ईसाई समुदाय के विरुद्ध हुए सभी मामलों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस घटना पर विचार करना चाहिए।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** ठीक है, 12 अपराधी, उपद्रवी, जो ईसाई थे, जिन्होंने ऐसा किया, क्या उन्होंने हिन्दुत्व के लिए ऐसा किया? . . . *(व्यवधान)*

**श्री सुरेश कुरूप :** आप इस तथ्य पर विशेष बल क्यों डाल रहे हैं कि वह ईसाई हैं? . . . *(व्यवधान)*

[illegible] **आडवाणी :** माननीय सभापति महोदय, मैं [illegible] जहां तक भा० ज० पा० का संबंध है, वह [illegible] बताने की इच्छुक होगी। लेकिन हमें उन मामलो का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो कि साम्प्रदायिक नहीं हैं, जो कि भिन्न प्रकृति के हैं और जिनके संबंध में हम सब की सर्वसम्मति होनी चाहिएं।

जब परसों या कल किसी ने झबुआ मामले का उल्लेख नहीं किया तो मुझे काफी संतोष हुआ कि वह स्थिति से अवगत हैं और इसलिए वह इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कोई भी हिन्दुत्व के नाम पर ननों पर हुए बलात्कार की बात नहीं कर रहा है क्योंकि यह घटना स्वयं एक सबूत है . . . *(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : हमने अपनी चिन्ता विश्व हिन्दू परिषद के दिए गए बयान के बारे में व्यक्त की है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** मैंने आर्कविशप की उपस्थिति में इसकी निन्दा की थी।

**श्री सुरेश कुरूप :** आपने बहुत देर से अब यह बात कही है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** मैंने उसी दिन इस घटना की भर्त्सना की थी।

**श्री सुरेश कुरूप :** आपने अब तक जनता के सामने कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** काश कि आप स्वयं आर्कविशप से यह पूछ सकते। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

**श्री सुरेश कुरूप :** आप पूरे देश में हुई हमलों की घटनाओं पर ध्यान दें। वर्ष 1998 में भी अनेक घटनाएं घटी हैं। मेरे कुछ विद्वान मित्रों ने कल भी उनका उल्लेख किया था।

ईसाईयों पर हुए हमलों में गुजरात पहले नम्बर पर है। 2 मार्च को बड़ौदा, गुजरात में जब कुछ व्यक्तियों का एक समूह बड़ौदा के पोलो ग्राउन्डस में 4 से 7 मार्च, 1998 के दौरान होने वाली ईसाईयों की बैठक के संबंध में पर्चे बांट रहा था तो विश्व हिन्दु परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के अनेक युवक बाहर आए और उस समूह को मारना आरम्भ कर दिया जिसमें कुछ विदेशी पर्यटक भी थे। बाद में, पुलिस स्थल पर पहुंची और उन लोगों को पादरा पुलिस स्टेशन ले गई और काफी समय तक वहां खड़े रखा।

पुन:, 4 मार्च को वडोदरा में बड़ौदा पोलो ग्राउन्ड में एक शान्तिपूर्ण ईसाई दल पर हमला हुआ था। इसमें भाग लेने वालों को लाने ले जाने के लिए जो बसें लगाई गई थी उनको भी जाने से रोका गया था और जो लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके आना चाहते थे उन्हें तितर-बितर कर दिया गया और बेदर्दी से मारा गया। उस भीड़ को इधर-उधर कर दिया गया और जो लोग बस-स्टाप पर इन्तजार कर रहे थे उन्हें बेदर्दी से मारा गया।

13 मार्च को खानवेल, महाराष्ट्र में एक तीर्थ-यात्रियों के समूह पर कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया गया था।

3 अप्रैल को एक बार फिर गुजरात, बड़ौदा में विश्व हिन्दू परिषद तथा बजरंग दल के सदस्यों द्वारा पोलो ग्राउण्ड में आयोजित एक ईसाई सभा पर हमला किया गया था।

ऐसी अनेक घटनाएं हैं। 8 जुलाई को एक बार फिर गुजरात में नादियाड जिले के कापड़वंज में विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ईसाई धर्म के एक समर्थक, सेम्वंजल के गाढ़े हुए शव को कापड़वक्ष के कब्रिस्तान से निकाला गया था और ईसाई धर्म के समर्थकों के गिरजाघर के समीप फेंक दिया गया था।

12 जुलाई को फिर गुजरात में जब ईसाई रविवार की प्रार्थना सभा के लिए पटेल गांव में एकत्रित हुए थे तो बाबूराव गावीत वहां एक बोतल घुमाते हुए पहुंच गया और उसने ईसाई लोगों को डराया। उसी दिन गिरजाघर के ताले को तोड़ा गया था और धावलीडॉड के प्रार्थना भवन से क्रास हटा दिया गया था।

20 जुलाई को गुजरात, राजकोट में आई० पी० मिशन स्कूल, राजकोट में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंगदल के कार्यकर्ताओं द्वारा पवित्र बाईबल की प्रतियों को जलाया गया था। इस राजकोट की इस घटना को समाचार पत्रों में विस्तार से दिया गया है।

एक बार फिर 9 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद में आर० एस० एस० द्वारा एक गिरजाघर को गिरा दिया गया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, हिन्दुत्व शक्तियां इस देश के वास्तविक बहुलतावादी संस्कृति को नकारना चाहती है। वे इस बात को अस्वीकार करती है कि यह देश बहु-धर्म वाला देश है और यह उन सभी लोगों का देश है जो विभिन्न धर्मों से संबंध रखते हैं। संघ परिवार का उद्देश्य यह है कि इन धार्मिक भिन्नताओं को ''हिन्दू राष्ट्र'' में मिला दिया जाए। वे देश के विभिन्न समुदायों में अविश्वास का बीज बोना चाहते हैं। भा० ज० पा० के नेता यह दावा करते हैं कि वह चुनावों में इसलिए असफल हुए हैं क्योंकि वह अपने एजेंडा को पूर्णत: और प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वित नहीं कर पाए।

उसका तात्पर्य है कि विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ईसाईयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में अधिक आतंक और भय पैदा करने की कल्पना करते हैं। मुझे आशंका है कि चुनावों में असफलता भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध और अधिक भीषण हमलों के लिए बाध्य कर सकती है। भाजपा के धर्म निरपेक्ष सहयोगी दल क्या कर रहे हैं? कुमारी ममता बनर्जी

भाजपा सरकार का समर्थन कर अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान बनाए रखनी चाहती हैं। उन्हें जानना चाहिए कि वे एक ही समय पर दो नावों में सवार नहीं हो सकती हैं। धर्मनिरपेक्ष नाव कभी भी डूब सकती है। उन्होंने 6 दिसम्बर को काले दिवस के रूप में मनाने का आहवान देर से किया है। भाजपा के सभी सहयोगी दलों को जानना चाहिए कि दोहरा खेल खेलना संभव नहीं है।

महोदय जैसा मैंने पहले कहा कि ईसाई वर्ग एक छोटा सा अल्पसंख्यक समुदाय है। शिक्षा और परमार्थ के क्षेत्र में उनकी महान सेवा हमारे देश में अन्य सभी समुदायों के लोगों के लिए उदाहरण हैं। मैंने स्वयं एक महान ईसाई संस्था में अध्ययन किया है और मुझे विश्वास है कि कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी ऐसी संस्थाओं में अध्ययन किया होगा। उनके कार्यों का लाभ सभी धर्मों के लोगों को मिला है यह वह देश है जहां पर ईसाई प्रेम और शाश्वत दया की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा रहती थी और परमार्थ का कार्य करती थी।

मुझे यह कहते शर्मिन्दगी हो रही है कि मदर टेरेसा के इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अग्रणी संगठन केन्द्र सरकार के प्रसाद से ईसाई समुदाय के विरुद्ध हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस सरकार को इस घृणित एजेंडा को लागू करने में कोई खेद नहीं है। जब अन्य देशों की उत्तेजित सरकारों में इस बारे में पूछा तो इस सरकार ने धृष्टता से सभी भारतीय दूतावासों और मिशनों को आन्तरिक परिपत्र जारी किए जिसमें कहा गया कि ये हमले स्वयं अल्पसंख्यकों द्वारा परस्पर किए जा रहे हैं। इस सरकार ने यह परिपत्र जारी किया है। क्या यह सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके अग्रणी संगठनों द्वारा अल्प संख्यकों पर किए जा रहे हमलों का रोकने के लिए गंभीर कदम उठाएगी? मैं चाहता हूं कि भाजपा इस बात को समझे कि जब ईसाइयों पर अत्याचार किए जाते हैं तो वे कैसा अनुभव करते हैं। उनके लिए इस बात को जानना अच्छा होगा कि अपनी दमश्क यात्रा के दौरान सेंट पोल ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, "ईसा के लिए हम सब मूर्ख हैं; किंतु ईसा से सम्मिलन में आप बुद्धिमान हो। हम कमजोर हैं किंतु आप शक्तिशाली हैं। हम तुच्छ हैं आप सम्मानित हैं। इस क्षण में हम भूखे और प्यासे हैं। हमारे चिथड़े पहने हैं। हमें पीटा गया है; हम स्थान-स्थान भटकते हैं। हम कठिन श्रम करते हैं। जब हम अभिशापित होते हैं हमारे दिल से दुआ निकलती है। जब हमारा उत्पीड़न किया जाता है हम सहते हैं। जब हमारा अपमान किया जाता है हम विनम्रतापूर्वक उत्तर देते हैं। हम विश्व के कचड़े से अधिक नहीं है। इस क्षण हम धरती का कूड़ा-करकट हैं।"

अन्त में मैं चाहता हूं कि वे उन शब्दों को याद रखें जो ईसा ने ईशू महिमागान के शानदार क्षणों में कहे थे। उन्होंने कहा था, "हे, परमपिता वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें माफ करो।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें तो अच्छा रहेगा क्योंकि कई माननीय सदस्यों को बोलना है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

**डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क** (मुरादाबाद) : मुझे तो कम से कम समय दीजिएगा।

मोहतरम चेयरमैन साहब, रूल 193 के तहत आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो माइनॉरिटीज अट्रोसिटीज के सिलसिले में बहस छेड़ी है, जिस पर मोहतरम शिवशंकर जी और गुप्ता जी जैसे लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है, मैं आपके द्वारा इस हाउस के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि 50 साल हमारी आजादी के हो चुके हैं। 50 साल के बाद आज भी अकलियतों के साथ चाहे वे मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बैकवर्ड क्लास के लोग हों या हरिजन हों, बहरहाल उन पर आज भी अत्याचार हो रहा है जुल्म व तशदुद हो रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार ने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे कि ये अत्याचार दूर हो सके। खास तौर से आज बी.जे.पी. की सरकार है और बी.जे.पी. के लोगों ने हमेशा से मुसलमानों के साथ अत्याचार किया है। इस हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 30 हजार बलवे हुए हैं और जब-जब . . .*(व्यवधान)*

**श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर** (वडोदरा) : उनको कौन बचाता है?

**डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क :** मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह सच्चाई है . . .*(व्यवधान)* इस हिंदुस्तान के अंदर मुरादाबाद में बलवा हुआ . . .*(व्यवधान)*

**श्री अमन कुमार नागरा (अम्बाला) :** बी. जे.पी. सरकार के आने के बाद कितने दंगे हुए हैं?

**श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर :** भड़ूंच में इलेक्शन हुआ, वहां के लोगों ने बोला है कि जब से बी.जे.पी. की सरकार आई है, हमारे बच्चे इत्मीनान से घर आते हैं और हम सुकून से रह रहे हैं। . . .*(व्यवधान)*

**डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क :** बगैर मुसलमानों के यह देश नहीं चल सकता। इस देश में तीस करोड़ मुसलमान बसते हैं और अगर आप मुसलमानों को शिक्षा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर यह देश कैसे चलेगा? कोई भी मुल्क वगैर कानून और वगैर इंसाफ के नहीं चलता। लेकिन बाबरी मस्जिद का सानेहा इस बात का शाहिद है कि बी. जे. पी., विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिव सेना के लोग बहरहाल कानून में यकीन नहीं रखते। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लेकिन बाबरी मस्जिद को शाहिद कर दिया गया। उन्होंने कानून और अदालतों को नहीं माना, बल्कि अपनी आस्था पर यकीन किया। जो पार्टी आस्था पर यकीन करती हो और अदालतों और कानून को न मानती हो, बहरहाल वह काबिले मजम्मत है।

कल्याण सिंह आज मुख्य मंत्री है, उनको एक दिन की सजा हो चुकी है। माननीय आडवाणी साहब होम मिनिस्टर हैं, बहरहाल उन पर भी इस किस्म के मुकदमात चल रहे हैं, अंडर सुपरवीजन हैं। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमान आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत हैं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आजादी में कौन सी कुर्बानी नहीं की। मुसलमानों ने अपनी गरदन कटाई, फांसी पर चढ़े, सीनों पर गोलियां खाईं और हिंदुस्तान को आजाद कराया। लेकिन इसके बावजूद आज भी मुसलमानों के साथ तरह-तरह से नाइंसाफी की जाती है, अकलियतों के साथ जुल्म व तशदुद इस देश में हुई हैं, सिखों के साथ हुई हैं, ईसाइयों के साथ भी हो रही है लेकिन मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा हो रहे हैं। गवर्नमेंट मुसलमानों का सरकारी मुलाजिमात से बिल्कुल सफाया कर रही है। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, एक परसेंट या दो परसेंट भी मुसलमान इसमें नहीं हैं। इन हालात में जबकि मुसलमानों की इतनी

[डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क]

बड़ी तादाद है, मुसलमानों पर ऐतबार नहीं किया जाता है। हमसे वफादारी का क्या सर्टीफिकेट मांगते हैं- उस्मान ब्रिगेडियर ने अपनी जान देकर कश्मीर को बचाया था, हवलदार, अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर पाकिस्तान का पैटन टैंक तोड़ा था और पोखरन में जा न्यूक्लियर टैस्ट हुआ है, क्या अब्दुल कलाम उसको बनाने वाले नहीं हैं? फिर भी हम पर ऐतबार नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कौन सी जहनियत काम कर रही है, जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जाती है।

स्कूल और कालिजों में हमारे साथ सौतेलेपन का सलूक किया जाता है। हमें नौकरियों में जगह नहीं दी जाती है, हमारे बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। जब आप इस देश में मुसलमानों को तालीम नहीं दिलायेंगे तो यह देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। इस देश में हमारा भी हक बनता है। हमारी जो साझेदारी इस देश में बनती है, बहरहाल अपने उस हक को मांगने पर हम मजबूर हैं।

अगर आप हमें हमारा हक नहीं देंगे, तो उस वक्त तक हमें देश [illegible] मिलेगा और तब तक यह देश ठीक तरह से नहीं

[illegible]

रैपिड एक्शन फोर्स बनाया गया है। उसमें भी ऐसे लोग शामिल कर लिए गए हैं जो बल्वे और फसाद के मौके पर इंसाफ से काम नहीं करते। मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ मौके पर, चाहे वह कोई भी मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे तालीम का मामला हो, चाहे सर्विस का मामला हो, उसमें हमेशा नाइंसाफी की जाती रही है। इसकी जिंदा मिसाल यह है कि दिल्ली में ऐसे कई मसले पैदा किए जा चुके हैं जिनमें मुसलमानों को हैरेस करने की कोशिश की जा रही है, उनको झुठे और गैर-कानूनी नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने भी इस सिलसिले में 30 तारीख को दिल्ली के लैफ्टीनेंट गवर्नर को खत लिखा है कि मुसलमानों को दिल्ली में मकान खाली करने के नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। उनको हैरेस करके यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है।

चेयरमैन साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि रेजीडेंश्यल यूनीवर्सिटी है और जिसमें लगभग 30 हजार बच्चे पढ़ते हैं। एक महीने से ज्यादा हो गया, वह बन्द है और यहां पर हमारे सभी सदस्यों ने आवाज उठाई कि इस यूनीवर्सिटी को खुलवाया जाए और बी.सी. को हटाया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे कई लड़के जो स्टूडेंट हैं और डाक्टर्स हैं, जो जी.डी.ओ. के डॉक्टर्स हैं, वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी इमदाद की जा सकती है, लेकिन नहीं की जा रही है और वी.सी. को नहीं हटाया जा रहा है और उसके इंतजाम को ठीक नहीं किया जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि वी.सी. को तत्काल हटाया जाए, वहां के इंतजाम को ठीक किया जाए।

चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैं दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक दूसरा हथियार चलाया है, वंदे मातरम और सरस्वती वंदना का। मुसलमानों को उसमें गैर-कानूनी तरीके से फंसाने और दबाने की कोशिश की जा रही है और हमारे सूबे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने वंदे मातरम और सरस्वती वंदना का कोई लिखित आदेश नहीं दिया, लेकिन वर्बल आर्डर से उसको लागू किया जा रहा है। केवल जुबानी आर्डर से उसे मुसलमानों पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। मुसलमानों के बच्चे जब स्कूल में जाएं, तो उन्हें यह पढ़ाया जाए, उनके ऊपर यह कंपलसरी किया जाए, यह ठीक नहीं है। हमारी मांग है चूंकि यह देश सबका है, यह देश तनहा एक कौम का है, एक पार्टी का नहीं है, यहां पर जितने लोग बसते हैं, हिन्दू-मुसलमान, छोटे-बड़े, सभी का देश है। यहां जम्हूरियत है, यह सैकुलर देश है। इसलिए हमें इन सारी चीजों को देखना होगा। मौलाना अबुल हसन नकवी नदवी के साथ जुल्म हुआ था। . . .*(व्यवधान)*

**श्री रामानन्द सिंह** (सतना) : मौलाना अबुल कलाम आजाद, देश के शिक्षा मंत्री थे। उनके समय में स्कूलों में सरस्वती वंदना और वंदे मातरम होता था, तो अब क्यों नहीं हो सकता। आप अपनी कौम के लोगों को गुमराह क्यों करते हैं। सरस्वती वंदना नहीं करते, तो कम से कम खड़े तो हो जाइए। . . *(व्यवधान)*

**डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क** : मैं आपको बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम और सरस्वती वंदना मुसलमानों के नजरिये के हिसाब से गलत है। वह शिर्क है। मुसलमान उस पर अमल नहीं कर सकते। जो भी चीज इस देश के अंदर होगी वह जम्हूरियत और कानून के जरिए से होगी और उस पर अमल किया जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ, इसाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं या अब तक हुए हैं, उनको रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया जाए जिससे अत्याचार बन्द हों और खासतौर से मुसलमानों को इस देश के अंदर जो सहूलियतें कानून के अंदर हासिल हैं, उनको वे नहीं दी गई है, वे उनको दी जाएं। यहां तक कि तालीम जैसी चीज नहीं दी गई हैं। हमारी कौम तालीम के लिए प्यासी है। हमने इससे पहले भी मांग की थी कि मुसलमानों की तालीम के लिए स्पेशल कोटा मुकर्रर किया जाये और मुसलमानों को तालीम दिलाई जाये। आज आर्मी में जाट रेजीमेंट है, सिख रेजीमैंट है लेकिन आप मुसलमानों की भी कोई रेजीमेंट बताइये। आप हम पर एतबार कीजिए। अगर आप एतबार नहीं करेंगे . . . *(व्यवधान)* तो देश के अंदर किस तरीके से काम चलेगा। हमारी जो खिदमात है, हमने इस देश के अंदर जो कुर्बानियां दी हैं, हमने इस देश को संवारने के लिए अपना खून पसीना दिया है लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ जब नाइंसाफी की जाती है, तो महसूस होता है कि हमें दो नम्बर का शहरी समझा जाता है, दो नम्बर का हमारे साथ सलूक हो रहा है। लेकिन हम इस देश के अंदर जिन्दा रहेंगे, इज्जत के साथ रहेंगे और अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। कानून के दायरे में लड़ेंगे, जम्हूरियत के दायरे में रहेंगे और आपको हमारे हकूक देने होंगे। जब हम इस देश के अंदर रहने वाले हैं, इस देश में हमारा भी बराबर का हक है, तो कोई वजह नहीं है कि हमें इस देश के अंदर हक न मिले।

**सभापति महोदय** : लिहाजा अब समाप्त करिये।

**डा॰ सफीकुर्रहमान बर्क** : मैं पूरी बात कह लूं।

**सभापति महोदय** : मैं प्रोफेसर चन्दूमाजरा जी को बुला रहा हूं। आप खत्म करिये।

**डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क** : मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बहरहाल आप मुझे मजबूर कर रहे हैं और बोलने नहीं दे रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई . . .*(व्यवधान)* बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हाई कोर्ट ने 7.1.93 को फैसला दिया और उसमें यह लिखा :

*[अनुवाद]*

माननीय उच्चतम न्यायलय ने व्यवस्था दी कि उस स्थल के पुनरुद्धार के बारे में परिस्थितियों का सर्वोत्तम समाधान 7.1.93 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाई रखी जाए और विवादित क्षेत्र का प्रबंधन और प्रशासन एक संवैधानिक ग्राहक के रूप में केन्द्रीय सरकार करेगी।

*[हिन्दी]*

लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहां पर राम मन्दिर बनाने की साजिश की जा रही है। मैं खुद 11 नवम्बर को अयोध्या गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अयोध्या में एक कारखाने के अंदर पत्थर तराशे जा रहे हैं और मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है। *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** अब आप जो बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप समाप्त करिये।

*(व्यवधान)*

**डा० शफीकुर्रहमान बर्क :** सभापति जी, देश के अंदर इस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश न की जाये बल्कि वहां पर बाबरी मस्जिद तालीम कराई जाए। हाई कोर्ट के अंदर वह केस चल रहा है, कोर्ट जो भी फैसला देगी, हमारा कोर्ट पर यकीन है। आप लोग उस पर यकीन नहीं रखते।

**सभापति महोदय :** अब सिर्फ प्रोफेसर चन्दूमाजरा जी जो बोलेंगे, वही रिकार्ड में जाएगा। आप बैठ जाइये।

*(व्यवधान)*

**डा० शफीकुर्रहमान बर्क :** मैं एक शेर बोलकर खत्म कर रहा हूं। *(व्यवधान)* आप सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। वह शेर है :

कफस मंजूर है दारो रस्न भी,
बदलना है यह दस्तूरे चमन भी,
न छेड़ो मुझको दीवाना समझकर,
बदल दूंगा जमाने का चलन भी,
अभी समझा नहीं है, बर्क को तुमने,
है कौम का हामी, वफादार-ए-वतन भी।।

**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد):** مجھے تو کم سے کم کچھ وقت دیجئے گا۔

محترم چیئرمین صاحب، رول ۱۹۳ کے تحت عارف محمد خان صاحب نے جو مائنارٹیز ایٹروسیٹیز کے سلسلے میں بحث چھیڑی ہے، جس پر محترم شیو شنکر جی اور گپتا جی جیسے لوگوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، میں آپکے ذریعے اس ہاؤس کا دھیان میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ۵۰ سال ہماری آزادی کے ہو چکے ہیں۔ ۵۰ سال کے بعد آج بھی اقلیتوں کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، چاہے وہ بیک ورڈ کلاس ہوں، ہریجن ہوں، بہرحال ان کے ساتھ آج بھی ظلم ہو رہا ہے ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ اسکو روکنے کے لئے سرکار نے کوئی بھی پالیسی نہیں بنائی جس سے کہ یہ ظلم دور ہو سکیں۔ خاص طور سے آج بی جے پی کی سرکار ہے۔ بی جے پی کے لوگوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس ہندوستان کے اندر کم سے کم ۳۰ ہزار بلوے ہوئے ہیں اور جب جب...(مداخلت)

**شریمتی جیابہن بھرت کمار ٹھکر (وڈودرا):** انکو کون بچاتا ہے۔

**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد):** میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، وہ سچائی ہے...(مداخلت) اس ہندوستان کے اندر مرآداباد میں...(مداخلت)

**شری امن کمار ناگرا (امبالہ):** بی جے پی سرکار کے آنے کے بعد کتنے دنگے ہوئے ہیں؟

**شریمتی جیابہن بھرت کمار ٹھکر (وڈودرا):** بھڑوچ میں الیکشن ہوا، وہاں کے لوگوں نے بولا ہے کہ جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے، ہمارے بچے اطمینان سے گھر آتے ہیں اور ہم سکون سے رہ رہے ہیں۔...(مداخلت)

**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد):** بغیر مسلمانوں کے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اس ملک میں تیس کروڑ مسلمان بستے ہیں اور اگر آپ مسلمانوں کو تعلیم نہیں دیں گے، روزگار نہیں دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو پھر یہ دیش کیسے چلے گا؟ کوئی بھی ملک بغیر قانون اور بغیر انصاف کے نہیں چلتا۔ لیکن بابری مسجد کا سانحہ اس بات کا شاہد ہے کہ بی جے پی، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور شیو سینا کے لوگ بہرحال قانون میں یقین نہیں رکھتے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا اسٹے آرڈر تھا، لیکن بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے قانون اور عدالتوں کو نہیں

مانا، بلکہ اپنی آستھا پر یقین کیا۔ جو پارٹی آستھا پر یقین کرتی ہو اور عدالتوں اور قانون کو نہ مانتی ہو، بہر حال وہ قابل مذمت ہے۔

کلیان سنگھ آج وزیر اعلی ہیں، انکو ایک دن کی سزا ہو چکی ہے۔ مانئیے آڈوانی صاحب ہوم منسٹر ہیں، بہر حال اُن پر بھی اس قسم کے مقدمات چل رہے ہیں. انڈر سپر ویزن ہیں، اس سلسلے میں میں کہنا چاہوں گا کہ جبکہ مسلمان ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت ہیں۔ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کون سی قربانی نہیں کی۔ مسلمانوں نے اپنی گردن کٹوائی، پھانسی پر چڑھے، سینوں پر گولیاں کھائیں اور ہندوستان کو آزاد کرلیا۔ لیکن اسکے باوجود آج بھی مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح سے ناانصافی کی جاتی ہے، اقلیتوں کے ساتھ ظلم و تشدد اس ملک میں ہوئے ہیں، سکھوں کے ساتھ ہوئے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ مسلمانوں کا سرکاری ملازمت سے بالکل صفایا کر رہی ہے۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، ایک فیصد یا دو فیصد بھی مسلمان اس میں نہیں ہیں۔ ان حالات میں جبکہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، مسلمانوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم سے وفاداری کا کیا سرٹیفیکیٹ مانگتے ہیں۔ عثمان بریگیڈیر نے اپنی جان دیکر کشمیر کو بچایا تھا، عبدالحمید حولدار نے اپنی جان دیکر پاکستان کا پیٹنٹ ٹینک توڑا تھا اور پوکھران میں جو نیو کلئیر ٹیسٹ ہوا ہے، کیا عبدالکلام اس کے بنانے والے نہیں ہیں؟ پھر بھی ہم پر اعتبار نہیں ہے۔ آخر اسکی وجہ کیا ہے، اسکے پیچھے کون سی ذہنیت کام کر رہی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔

اسکول اور کالجوں میں ہمارے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمیں نوکریوں میں جگہ نہیں دی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں ملتا ہے۔ جب آپ اس دیش میں مسلمانوں کو تعلیم نہیں دلائیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اسلئے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بھیک نہیں چاہئے، ہمیں حق چاہیئے۔ اس ملک میں ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ہماری جو ساجھیداری اس ملک میں بنتی ہے، بہر حال اپنے اس حق کو مانگنے پر ہم مجبور ہیں۔

اگر آپ ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے، تو اس وقت تک ملک کے اندر انصاف نہیں ملے گا اور تب تک یہ ملک ٹھیک طرح سے نہیں چل پائیگا۔

چیئرمین صاحب، ریپیڈ ایکشن فورس بنایا گیا ہے۔ اس میں بھی ایسے لوگ شامل کر لئے گئے ہیں جو بلوے اور فساد کے موقعے پر انصاف سے کام نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے ساتھ مختلف موقع پر، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے اسکول کا معاملہ ہو، چاہے تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے سروس کا معاملہ ہو،

اس میں ہمیشہ ناانصافی کی جاتی رہی ہے۔ اسکی زندہ مثال یہ ہے کہ دہلی میں ایسے کئی مسئلے پیدا کئے جاچکے ہیں۔ جس میں مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، انکو جھوٹے اور غیر قانونی نوٹس دیئے جارہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی اس سلسلے میں ۳۰ تاریخ کو دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کو خط لکھا ہے کہ مسلمانوں کو دہلی میں مکان خالی کرنے کے نوٹس کیوں دیئے جارہے ہیں۔ انکو ہراساں کر کے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

چیئرمین صاحب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مسلم یونیورسٹی، واحد یونیورسٹی ہے جو کہ ریذیڈینشیل یونیورسٹی ہے اور جس میں لگ بھگ ۳۰ ہزار بچے پڑھتے ہیں۔ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا، وہ بند ہے اور یہاں پر ہمارے سبھی ممبروں نے آواز اُٹھائی کہ اس یونیورسٹی کو کھلوایا جائے اور وی۔ سی۔ کو ہٹایا جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے کئی لڑکے جو اسٹوڈینٹ ہیں اور ڈاکٹرس ہیں، جو جی۔ ڈی۔ او۔ کے ڈاکٹرس ہیں، وہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں، انکی امداد کی جاسکتی ہے، لیکن نہیں کی جارہی ہے اور وی۔ سی۔ کو نہیں ہٹایا جارہا ہے اور اسکے انتظام کو ٹھیک نہیں کیا جارہا ہے۔ میری گذارش ہے کی وی۔ سی۔ کو فوراً ہٹایا جائے، وہاں کے انتظام کو ٹھیک کیا جائے۔

چیئرمین صاحب، اسکے علاوہ میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے ایک دوسرا ہتھیار چلایا ہے، وندے ماترم اور سرسوتی وندنا کا۔ مسلمانوں کو اسمیں غیر قانونی طریقے سے پھنسانے اور دبانے کی کوشش کی جارہی ہے اور ہمارے صوبے اُترپردیش کی گورنمنٹ نے وندے ماترم اور سرسوتی وندنا کا کوئی تحریری حکم نہیں دیا، لیکن زبانی آرڈر سے اسکولاگو کیا جارہا ہے۔ صرف زبانی آرڈر سے اسے مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ مسلمانوں کے بچے جب اسکول میں جائیں، تو انہیں یہ پڑھایا جائے، انکے اوپر یہ کمپلسری کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری مانگ ہے چونکہ یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک تنہا نہیں ہے، ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہاں پر جتنے لوگ بستے ہیں، ہندو مسلمان، چھوٹے بڑے، سبھی کا ملک ہے۔ یہاں جمہوریت ہے، یہاں سیکولرزم ملک ہے۔ اسلئے ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ مولانا عبدالحسن نقوی ...(مداخلت)

**شری راما نند سنگھ (ستنا)** : مولانا عبدالکلام آزاد، دیش کے شکشھا منتری تھے۔ انکے سمئے میں اسکولوں میں سرسوتی وندنا اور وندے ماترم ہوتا تھا، تو اب کیوں نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہیں۔ سرسوتی وندنا نہیں کرتے، تو کم سے کم کھڑے تو ہو جایئے۔

...(مداخلت)

**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد) :** میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وندے ماترم اور سرسوتی وندنا مسلمانوں کے نظریئے کے حساب سے غلط ہے۔ وہ شرک ہے۔ مسلمان اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ جو بھی چیز اس ملک کے اندر ہو گی وہ جمہوریت اور قانون کے ذریعے سے ہو گی اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسلئے میں چاہوں گا کی آج اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں یا اب تک ہوئے ہیں، انکو روکنے کے لئے ایسا قانون بنایا جائے جس سے ظلم بند ہوں اور خاص طور سے مسلمانوں کو۔ اگر اس ملک کے اندر جو سہولتیں قانون کے اندر حاصل ہیں، انکو وہ نہیں دی گئی ہیں، وہ انکو دی جائیں۔ یہاں تک کہ تعلیم جیسی چیز نہیں دی گئی ہے۔ ہماری قوم تعلیم کے لئے پیاسی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی مانگ کی تھی کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لئے اسپیشل کوٹہ مقرر کیا جائے اور مسلمانوں کو تعلیم دِلائی جائے۔ آج آرمی میں جاٹ رجمنٹ ہے، سکھ رجمنٹ ہے لیکن آپ مسلمانوں کی کوئی رجمنٹ بنایئے۔ آپ ہم پر اعتبار کیجئے۔ اگر آپ اعتبار نہیں کریں گے۔ ...(مداخلت) تو ملک کے اندر کس طریقے سے کام چلے گا۔ ہماری جو خدمات ہیں، ہم نے اس ملک کے اندر جو قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس ملک کو سنوارنے کیلئے اپنا خون پسینا دیا ہے لیکن اسکے باوجود ہمارے ساتھ جب ناانصافی کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں دو نمبر کا شہری سمجھا جاتا ہے، دو نمبر کا ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اس ملک کے اندر زندہ رہیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے اور اپنے حقوق کیلئے لڑیں گے، قانون کے دائرے میں لڑیں گے، جمہوریت کے دائرے میں رہیں گے اور آپ کو ہمارے حقوق دینے ہوں گے۔ جب ہم اس ملک کے اندر رہنے والے ہیں، اس ملک میں ہمارا بھی برابر کا حق ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر حق نہ ملے۔

**چیئرمین صاحب :** لہٰذا اب ختم کریئے۔

**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد) :** میں پوری بات کہہ لوں۔

**چیئرمین صاحب :** میں پروفیسر چندوماجرہ جی کو بُلا رہا ہوں۔ آپ ختم کریئے۔

**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد) :** میں دو منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ بہر حال آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں اور بولنے نہیں دے رہے ہیں۔ جب بابری مسجد شہید ہوئی ...(مداخلت) بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہائی کورٹ نے ۹۳.۱.۷ کو فیصلہ دیا اور اُسمیں یہ لکھا:

The hon. Supreme Court has provided that the best solution of the circumstances on revival of sites is, therefore, the maintenance of *status quo* as on 7.1.93 and the disputed area be managed and adminstered by Central Government as a statutory receiver.

لیکن بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد وہاں پر رام مندر بنانے کی سازش کی جارہی ہے۔ میں خود ۱۱ر نومبر کو ایودھیا گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایودھیا میں ایک کارخانے کے اندر پتھر تراشے جا رہے ہیں اور مندر بنانے کی تیاری کی جارہی ہے۔۔۔(مداخلت)

**چیئرمین صاحب :** اب آپ جو بولیں گے وہ ریکارڈ میں نہیں جائیگا۔ آپ ختم کریئے۔ ۔۔۔(مداخلت)

**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد) :** چیئرمین صاحب، ملک کے اندر اس قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ بابری مسجد تعمیر کرائی جائے۔ ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس چل رہا ہے، کورٹ جو بھی فیصلہ دیگی، ہمارا کورٹ پر یقین ہے۔ آپ لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔

**چیئرمین صاحب :** اب صرف پروفیسر چندوماجرہ جی جو بولیں گے، وہی ریکارڈ میں جائیگا۔ آپ بیٹھ جایئے۔۔۔(مداخلت)

**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد) :** میں ایک شعر بول کر ختم کررہا ہوں۔ ۔۔۔(مداخلت) آپ صرف ایک شعر سُن لیجئے۔ وہ شعر ہے:

قفس منظور ہے دارو رسن بھی
بدلنا ہے یہ دستورِ چمن بھی
نہ چھوڑو مجھ کو دیوانہ سمجھ کر
بدل دونگا زمانے کا چلن بھی
ابھی سمجھا نہیں ہے، برقؔ کو تم نے
ہے قوم کا حامی، وفادارِ وطن بھی

*[हिन्दी]*

**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** (पटियाला) : चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

**सभापति महोदय** : आप तो वैसे भी थोड़ा ही बोलते हैं।

**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** : आज तो मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि माइनौरिटीज और ऐट्रासिटीज का मामला है इसलिए समय लूंगा। अनेकता में एकता हमारे देश की महानता गिनी जाती है। हमको इस बात पर गर्व है कि बहुधर्मी, बहुभाषाई देश होने के बावजूद हमारा राष्ट्र एक है। हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने माइनौरिटीज को सुरक्षा देने के लिए कुछ नियम बनाये थे, जो कि संविधान में दर्ज किये गये हैं। शायद उनको यह शंका थी कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बात आ सकती है और माइनौरिटीज पर अत्याचार हो सकता है।

कानून बना दिया गया, संविधान में दर्ज कर दिया गया, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, और उसके अनुसार यह देश चल रहा है। यहां दो दिन से जो चर्चा चल रही है, कुछ लोग, क्योंकि भारतीय जनता [illegible]शली इसकी ओर इशारा करते रहे। मैं माईनौरिटी [illegible]नौरिटी वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि [illegible] में देखना है तो हमें पचास वर्षों की हाकिम जमात की नीति को देखना होगा कि कैसे-कैसे माईनौरिटीज के बारे में सोचा गया। इस सोच को लेकर जो सुरक्षा दी गई, उसका जिक्र माननीय गृह मंत्री जी ने किया था, जैसे माईनौरिटी कमीशन बनाया गया, लेकिन हम देखते हैं कि माईनौरिटी कमीशन में मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल के अलावा किसी प्रदेश में किसी सिख को नुमाइन्दा नहीं लिया गया। माईनौरिटी कमीशन को कोई स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं है, वह किसी पर एक्शन नहीं ले सकता, उसकी रिपोर्ट पार्लियामैंट में लाजमी तौर पर पेश नहीं होती जो कि होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सब प्रदेशों में माईनौरिटी कमीशन लाजमी तौर पर होना चाहिए। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें नहीं है। इसलिए दंगइयों को रोकने के लिए जो प्रोटैक्शन फोर्स बनाई गई, मैं समझता हूं कि उसमें माईनौरिटी कमीशन के लोग ही होने चाहिए। कानून सख्त होना चाहिए। यदि कानून सख्त होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी पर अत्याचार करे, किसी पर हमला करे। हमारी बदकिस्मती यह है कि कानून को सही रूप में लागू नहीं किया गया, विधान की निति को सही रूप में लागू नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में नन्स के रेप इसलिए हुए, क्योंकि यदि कानून का डर होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, राजकोट में बाईबल को जलाया गया, गुजरात में विभिन्न संस्थानों को नुकसान हुआ, कोयम्बटूर, हैदराबाद, मुम्बई में मुसलमान सम्प्रदाय के लोगों को मारा-पीटा गया, उनका नुकसान हुआ। यदि सही रूप में कानून लागू होता तो ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं होती।

मैं अपने सम्प्रदाय के बारे में कहना चाहता हूं। इस देश में सिख सम्प्रदाय सबसे कम है। यह सब जानते हैं कि आजादी के संघर्ष में, आजादी लाने के लिए और उसे बरकरार रखने में सबसे ज्यादा योगदान सिखों का है। यदि पोर्ट ब्लेयर का रिकार्ड देखें तो उसमें सबसे ज्यादा गिनती सिखों की है, यदि फांसी का रस्सा चूमने वाले लोगों को देखा जाए तो भगत सिंह और राजगुरू जैसे 93 प्रतिशत सिख थे। यदि जायदाद उजाड़े को सहन करने की बात हो तो उसे 93 प्रतिशत सिखों ने सहा। आजादी के लिए जो थी नेशन थ्योरी थी - अंग्रेजों की थी नेशन थ्यौरी सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने फेल की और लाहौर में जाकर पाकिस्तान का झंडा फाड़ा। उस समय की कांग्रेस ने, जिसमें गोपी चंद भार्गव भी शामिल थे, और बड़े नेता थे, मास्टर तारा सिंह को हिन्दू-सिखों का डिक्टेटर बनाया था। दुख की बात यह है कि आजादी के बाद आजाद भारत में यदि सबसे पहले किसी गुट को हथकड़ी लगी तो मास्टर तारा सिंह के गुट को लगी। मैं उस समय के हाकिम लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन जिम्मेदार था? मास्टर तारा सिंह के गुट को हथकड़ी क्यों लगाई गई, क्यों कहते थे हिन्दू-सिख एकता जिन्दाबाद, पंजाबी सूबा जिन्दाबाद, हरियाणा स्टेट जिन्दाबाद। किसलिए उनको आजाद भारत में गिरफ्तार किया। आजादी के तीन महीने बाद ही सिखों को जरायमन पेशा करार देने के लिए एक लैटर निकाला गया। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने सीसगंज में खड़े होकर कहा था कि सिखों ने आजादी के संघर्ष में जो हिस्सा दिया है, ऐसा खित्ता चाहिए जहां वे आजादी का आनंद मान सकें। महात्मा गांधी और नेहरू का आपने यह रूल लागू किया। इस देश में सब प्रदेश भाषा के आधार पर बने। हमारी मां बोली पंजाबी को धर्म से जोड़ दिया गया जबकि वह इलाकाई बोली थी। पंजाबी सूबा बनाने के लिए हजारों लोगों को जेल जाना पड़ा, गोलियां खानी पड़ीं, उसके लिए कौन जिम्मेदार थे। . . . *(व्यवधान)* सबसे ज्यादा दुखदायी बात हमारे ऊपर उस समय गुजरी, जब हमारे सबसे प्यारे, सबसे उच्च स्थान, श्री अकाल तख्त साहब पर भारतीय फौज का हमला कर दिया। जो फौज दुश्मन के साथ लड़ती है, उस फौज को उस स्थान को गिराने के लिए भेज दिया, जिसके चार दरवाजे हैं। जहां से आवाज आती है कि "मानस की जात, सबै एकौ पहचानबो", जहां राम की बात होती है, जहां फरीद की बात होती है, जिसके चार दरवाजे सब धर्मों के लोगों के लिए हैं, जिसकी नींव साईं मियां पीर ने रखी, उस स्तान को टैंक से उजाड़कर गिराने के लिए भेज दिया।

यह इतिहास है कि जिसने श्री अकाल तख्त के ऊपर कोई हमला किया, जिसने हरमंदिर साहब को गोली मारी है, सिखों ने उसको कभी नहीं बख्शा। इतिहास दोहराया जाता है, उसका रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद एक सिख सम्प्रदाय का जैसा कतले आम हुआ और नन्हें-नन्हें बच्चों के गले में टायर डालकर जलाया गया, हजारों औरतों को विधवा बना दिया। आज दिल्ली और देश की सड़कों पर खून बहाकर लहूलुहान कर दिया।

इन चुनावों में मैं गया। एक घर में एक माई रो रही थी। उसके घर में उसकी तीन लड़कियां विधवा बैठी थीं, चार पुत्रवधू विधवा बैठी थीं। उनके नन्हें-नन्हें बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कौन विदेशी हमलावर लोग थे, जिन्होंने हमारे मां-बाप को मारा? हमारे पास इसका क्या जवाब है? सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि प्रशासन की उनको शह थी, पुलिस तमाशा देखती रही और तीन दिन तक कत्ले-आम होता रहा और किसी ने पूछा तक नहीं। मुझे इस बात का खेद है, देश की पार्लियामेंट बैठी है, सबसे बड़ी पंचायत बैठी है, यहां दो दिन से इस पर चर्चा हो रही है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, सब ने बोला, कांग्रेस वालों ने भी बोला, मैं पूछना चाहता हूं कि कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाये तो हमें अफसोस होता है, यहां 10 हजार के करीब लोग मारे गये, लेकिन अफसोस का एक शब्द भी नहीं कहा गया। जब इलैक्शन आता है तो करने वाले भी कहते है कि बहुत बुरी बात हुई है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग रो रहे थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिल में इन्सान की आत्मा थी, वे रो रहे थे। आडवाणी जी के दिल में इन्सान की आत्मा थी, वे रो रहे थे। मुलायम सिंह जी रो रहे थे,

पासवान जी रो रहे थे, चन्द्रशेखर जी रो रहे थे, मगर दुख इस बात का है कि उस समय के जो हाकिम लोग थे, उनके लीडर ने क्या बोला, जब प्रैस वालों ने पूछा तो उन्होंने हंसकर कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। क्या यह हम भूल सकते हैं? यहां कल मेरे माननीय दोस्त श्री इन्द्रजीत गुप्त जी कह रहे थे कि सिखों ने कांग्रेस को वोट डाल दी, मैं इसीलिए कह रहा था कि कभी भूल नहीं सकते। ऐसे अत्याचार, ऐसे जुल्म हम तो दूसरे पर नहीं सह सकते, अपने पर जुल्म कैसे सह जाएंगे। हमें तो गुरू तेगबहादुर साहब ने कहा है,

> ''न भै काहूं को देत है, न भै मानत आन।'' हम किसी को डराते नहीं, मगर डरते भी नहीं, यह हमारी सोच है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय तो सब कह देते हैं। आज यह पार्लियामेंट बैठी है, अगर आप हमको इस देश के शहरी समझते हैं, अगर हमको माइनोरिटी को प्रोटैक्शन देना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, आज अपनी सरकार को भी कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से रैजोल्यूशन आना चाहिए कि 1984 का जो कत्ले-आम हुआ, उसकी निन्दा होनी चाहिए, उस पर अफसोस होना चाहिए। पिछले सैशन में बोला गया था, हमें कमिटमेंट दी गई थी कि आज गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह सरकार की ओर से आये। आज कोई एक व्यक्ति भी इसका विरोध नहीं करेगा। हमें तसल्ली होगी कि हम इस देश के शहरी हैं। दूसरे जो कातिल थे, उनको सजा होनी चाहिए और जो अदालतों ने मुआवजा तय किया, वह मुआवजा मिलना चाहिए। आज सबसे बड़ी मांग है कि प्रधान मंत्री जी से भी हमें इस बात का थोड़ा सा रोष है कि हमने सोचा था कि जिन लोगों ने इतना कत्ले-आम किया है, उनको दुनिया के सामने नंगा किया जायेगा।

रामकृष्ण कमीशन भी बैठा, जैन कमीशन भी बैठा तो क्या आप हमारे लिए कोई कमीशन नहीं बिठा सकते? हम आज भी मांग करते हैं कि कोई स्कूटनी कमीशन बैठे और लोगों को पता तो चले कि इसके पीछे किसका हाथ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया कि यह जो इनह्यूमन किलिंग हुई हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी और उस साजिश का पता होना चाहिए। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि स्कूटनी कमीशन बिठाया जाये और तब पता चल जाये कि सच्चाई क्या है, कौन लोग इसके पीछे हैं।

**अपराह्न 5.00 बजे**

जब ऐसा बात आती है हम थोड़ा सा यह महसूस करते हैं कि हमारे साथ इन्साफ नहीं हो रहा है। हमने पानी मांगा, हमने कहा कि कानून के अनुसार, विधान के अनुसार पानी का फैसला कर दो, तो हमें इन्साफ नहीं मिला। हमारी राजधानी पर कब्जा कर लिया गया। आज कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, जिसकी राजधानी न हो, सिर्फ पंजाब ही ऐसा प्रदेश है, क्योंकि वहां सिख रहते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। इसी तरह से पंजाब का जो भाखड़ा डैम है, उसको सैंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में ले लिया, जबकि ऐसा किसी अन्य प्रदेश के डैम के साथ नहीं हुआ। हम राज्यों को और पावर देने की बात करते हैं। अगर राज्य मजबूत होंगे तो केन्द्र अपने आप आगे बढ़ सकता है इसलिए राज्यों को ज्यादा पावर देनी होगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में इस बात को रखा है। आज सारा देश यह कह रहा है, जबकि हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं, लेकिन उस समय हमारी इस बात को नहीं माना गया। हम पानी का गिलास भी मांगते थे तो दूसरी नजर से हमारी तरफ देखा जाता था। कल हमारे वरिष्ठ साथी इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा कि सिख अलगाववाद की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहना चाहता हूं कि सिख सम्प्रदाय के लोगों ने अपनी किसम्त को इस देश के साथ जोड़ा है। गुरूतेग बहादुर जी कहा करते थे - बांहिजिनों की पकड़िए, फिर बीचे बांहि न छोड़िए। मैं कहना चाहता हूं कि सिख अपना गला कटवा सकते हैं, सिख मर सकते हैं, लेकिन इस देश की आजादी को खराब नहीं होने देंगे।

जब पाकिस्तान और चीन से हिन्दुस्तान की जंग हुई तो किसी भी सिख ने पीठ पर गोली नहीं खाई, सबने छाती पर गोलियां खाई। हमारी बहनों ने मोर्चे पर जाकर फौजियों को परौंठे खिलाए और लस्सी पिलाई। इसीके मद्देनजर उस वक्त यहां रकाबगंज गुरूद्वारा में करीब दो लाख लोगों को सम्बोधित करते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देश को गौरव है, मान है कि हमारे देश में सिख ऐसी कौम है जिसके बल पर हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं।

मुझे दुख है कि फौज में भर्ती पर रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि पापुलेशन की रेशो से भर्ती होगी, फिर अफसरों के लिए भी ऐसा ही करो। हमारा कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट में जज नहीं है। पंजाब में भी केवल चार जज हैं। किसी भी सलेक्शन बोर्ड में हमारा प्रतिनिधि नहीं है, किसी एक्जीक्यूटिव पोस्ट में नहीं है, न डिफेंस में है और न ही सेमी डिफेंस में है। मैं कहना चाहता हूं कानून सबके साथ एक होना चाहिए। किसी विशेष सम्प्रदाय को रोकने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो हमें दुख होता है।

लखीमपुर खीरी में निगासन तहसील में हमारी कौम के 150-200 परिवार 30-40 बरस से रह रहे है। उन्होंने वहां जंगल को आबाद किया। अब उन पर सी.आर.पी.एफ. का पहरा बिठा दिया है और उनकी जमीन कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। इस तरह से वे 150-200 परिवार उजड़ने के कगार पर हैं, उन्हें बचाने की जरूरत है। देहरादून में गुरू रामदास अकादमी पर अटैक हुआ। कुछ शरारती लोगों का यह काम था, लेकिन एक भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया। इसी तरह से गाजियाबाद में बिछौली में एक गुरूद्वारा है। हमने गृह मंत्री जी को, वहां के मुख्य मंत्री जी को लिखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। साथ में मंदिर तो बन गया, लेकिन गुरूद्वारा बनने से रोक दिया गया। ऐसी बातें होती हैं तो हमे दुख होता है। हम इस देश में मान और सम्मान से रहना चाहते हैं। हमने इस देश के साथ अपनी किस्मत को जोड़ा है इसलिए हमारा जो दर्द है उसको सुना जाए और दूर किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं अल्पसंख्यकों पर जो भी दल जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, उसको वही नतीजे भुगतने पड़ेगे, जो कांग्रेस ने भुगते हैं। उन्होंने भी कभी सिख सम्प्रदाय पर जुल्म और अत्याचार किए थे। इसलिए यह एक सबक है और इससे सबको सीख लेनी चाहिए। हम लोगों के दर्द को गृह मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1984 में जो कत्लेआम हुआ था उसके लिए यहां अफसोस प्रकट किया जाए और दुखी परिवारों के साथ सहानुभूति जाहिर की जाए। इसी तरह से 1984 में भारतीय फौज का जो हमला हुआ उसकी निंदा की जाए। जो हमारी लीडरशिप की निंदा करना चाहते हैं, उनकी भी निंदा होनी चाहिए।

[प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

विश्व हिन्दू परिषद ने सरदार गुरचरण सिंह तोहड़ा जी के बारे में बयान दिया है। मैं चाहूंगा गृह मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें कि वी.ए. पी. के साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है।

इनके साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। इस सरकार को हमने सपोर्ट दिया है। लेकिन विश्व हिन्दू परिषद अगर गुरचरण सिंह तोहड़ा जो एक व्यक्ति है और सिखों की एक चुनी हुई संस्था के प्रधान हैं और प्रधान भी लगातार पच्चीस वर्ष से चले आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस पार्लियामेंट में जहां देश के बड़े नेता को इतने जुल्म, अत्याचार सहने पड़े हो, जिसने मिलिटेंट्स के अटैक भी सहे हों और मिलिटेंट्स ने तोहड़ा जी का एक हाथ उड़ा दिया और ऐसे व्यक्ति को यदि कोई टच भी करे तो गृह मंत्री जी को इसकी निन्दा करनी चाहिए, सरकार की ओर से निन्दा जरूर होनी चाहिए। अगर निन्दा नहीं होती है तो जरूर शक पड़ता है कि ये इनको बढ़ावा दे रहे हैं। इस देश में माइनॉरिटीज के धर्म, धर्म-स्थल, भाषा और कल्चर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए और जब इस प्रकार से हमला होता है तो सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए।

...थ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन* हुए]

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लिया है और मैं सदन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि थोड़ी नोक-झोंक के बावजूद सदन शांति पूर्ण तरीके से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि जो बहस का मुद्दा है, नन-कंट्रोवर्शियल होकर इस तरह रहे कि हम लोग गंभीरता से उस पर विचार कर सकें।

सबसे पहली बात है कि जो माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक शब्द है, हम यदि उसकी सही व्याख्या करना सीख लें तो मैं समझता हूं कि यह नफरत का वातावरण नब्बे प्रतिशत दूर हो जाएगा। आज इस देश में कौन माइनॉरिटीज के लोग हैं- मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, पारसी और जैन हैं। यदि इन छ माइनॉरिटीज के इतिहास में जाएंगे तो इनमें से कोई भी माइनॉरिटीज के लोग विदेशी नहीं हैं। झगड़ा तब होता है जब देशी और विदेशी का मामला उत्पन्न हो। हम इस झगड़े को समझ सकते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में झगड़ा हुआ था। उस समय इब्राहिम लोदी देश की गद्दी पर था और बाबर ने 1526 में चढ़ाई की थी। एक देशी और एक विदेशी था। इस झगड़े को हम समझ सकते हैं लेकिन आज हिन्दू मुसलमान के बीच में झगड़े की बात करते हैं। इसमें कौन देशी हैं, कौन विदेशी हैं? विदेशी कौन होता है? विदेशी वह होता है जो अपने देश को चला जाता है। जो जिस देश की मिट्टी में मिल जाता है, वह विदेशी नहीं रहता। इस आज एक भी अंग्रेज भारत देश में नहीं है, जो थे, वे सब अपने-अपने देश को चले गये तो वे विदेशी हैं। लेकिन जो लोग देश में आकर इसी देश को संवारने, बनाने में लग गये और यदि हम उनके 500 साल के इतिहास में जाएंगे तो फिर हमें 5000 साल पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा, जो बड़ा दुखदायी होगा। यदि आप पांच-छः पीढ़ी पीछे चले जाइए, एक भाई हिन्दू तो एक भाई मुस्लिम मिलेगा। गूजर की बस्ती में चले जाइए तो एक भाई हिन्दू तो एक भाई मुस्लिम मिलेगा। कश्मीर में चले जाइए, वहां आज भी नब्बे प्रतिशत मुसलमान हैं, लेकिन वहां आज भी एक साथ "पंडित पन्ना मौलना" का टाईटल चलता है।

जहां जाट हैं तो जाट के यहां भी मुसलमान बना है। कहीं बुनकर के यहां मुसलमान बना है, कहीं दलित है तो दलित के यहां मुसलमान बना है, इसलिए यह कहना कि मुसलमान बाबर की औलाद है, गलत है जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, चाहे आवेश में प्रयोग होता है तो मैं यह समझता हूं कि यह सही नहीं है। हम ठंडे दिमाग से सोचें और सात-आठ-नौ-दस पीढ़ी पीछे जाकर देखें।

बाबर जब देश की धरती पर आया था तो उस समय इब्राहीम लोदी राज कर रहा था, वह हिन्दू नहीं था। उसके पहले खिलजी वंश का राज था, उसके पहले तुगलक वंश का राज था, उसके पहले गुलाम वंश का राज था, उसके पहले मोहम्मद गौरी का राज था। इस्लाम राज 1100 ईस्वी से चले आ रहे हैं। आज जो क्रिश्चियन हैं, यहां संगमा साहब हैं, अगर कोई क्रिश्चियन को कह दे कि अंग्रेज की औलाद है तो कौन बर्दाश्त करेगा। क्रिश्चियन आदिवासी हैं, 60 प्रतिशत क्रिश्चियंस में दलित क्रिश्चियंस हैं।

महोदय, चंदूर की घटना घटी लेकिन कोई आदमी नहीं जान पाया कि वह दलित क्रिश्चियन था। हम वहां से न्याय ज्योति लेकर चले थे। क्या एक भी गोरा आदमी क्रिश्चियन है, सारे के सारे क्रिश्चियन कनवर्टिड हैं, आदिवासी से कनवर्टिड हैं या बैकवर्ड क्लास से कंवर्टिड हैं और अपर क्लास से भी कंवर्टिड हो सकते हैं। आज हम जिस उद्देश्य को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, जैसे क्रिश्चियन यहां विदेशी हो गया हो। सिख धर्म की स्थापना केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा को लेकर हुई थी। इस तरह की स्थापना से परिवार में सबसे बड़ा भाई सिख होता था तथा छोटा भाई हिन्दू होता था। जैसे टोहरा जी, बादल जी और बरनाला साहब एक ही कम्युनिटी के हैं या फिर कोई मजहबी सिख है- जैसे बूटा सिंह जी हैं। इसमें कौन विदेशी है? यहां हिन्दू और सिख का झगड़ा हुआ, हमने देखा था। हमारा घर 12, राजेन्द्र प्रसाद रोड पर था। कर्पूरी ठाकुर जी भी थे लेकिन हम लोग एक सिक्ख को बचा नहीं पाए, किसी तरीके से हम लोग बच गए। मेरा डेढ़ दो साल का बेटा था उसको हमने नीचे फेंक दिया था। मेरा घर जलाया गया था जब बाबरी मस्जिद का मामला आया था, मैं तिलक नगर थाने में दस हजार दलित लोगों के साथ बंद था। मेरे घर को पुनः जलाने का काम किया गया। हम दलित वर्ग से आए हैं। मंडल कमीशन के कारण मैने बहुत गाली सही लेकिन मंडल कमीशन से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि वह पिछड़ी जाति के लिए था लेकिन यह कमिटमेंट पिछड़ी जाति के लिए था। हम पिछड़ी जाति के लिए नारा लगाते थे- "पिछड़ा पावे सौ में साठ, राज-पाट है किस के हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, ऊंची जात की क्या पहचान, गिट-पिट बोले करे न काम, छोटी जाति की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान" यह नारा लगाने का काम करते थे। यह मुसलमान के लिए कमिटमेंट है। याद रखिए देश में जब तक कमिटमेंट नहीं होगा, हमेशा सोचना चाहिए कि यदि औरत और मर्द में झगड़ा हो तो औरत की लाख गलती होने पर भी उसका साथ देना चाहिए। यदि हथियार वाला और बिना हथियार वाले में झगड़ा हो तो बिना हथियार वाले की लाख गलती होने पर भी उसका साथ देना चाहिए। जनता और सरकार के बीच में झगड़े हो तो जनता की लाख गलती हो तो भी जनता का साथ देना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पावर होती

है वह ज्यादा एट्रोसिटीज करता है और जिसके पास पावर नहीं होती है वह कम करता है। मैंने शुरू में कहा कि यदि हम इस शब्द की व्याख्या करना सीख जाएं कि माइनोरिटीज कौन हैं, उसके आधार पर हम चलने का काम करें तो मैं समझता हूं कि हमारे में स्वयं एक भावना पैदा होगी कि हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, यह हम और वे एक ही खून है। नकवी और पासवान में कोई डिफरेंस नहीं है। छ: सात पीढ़ी के ऊपर एक ही मां-बाप के हम दो संतान होंगे। उसी तरीके से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का मामला है। जब भी मुसलमान का मामला आता है तो पाकिस्तान के साथ में जोड़ दिया जाता है। याद रखिए, यहां डिफेंस मिनिस्टर नहीं हैं हम उन्हें बताएंगे कि प्रत्येक साल 25,000-30,000 करोड़ रुपया हम हथियार पर खर्च करते हैं और इतना ही खर्च पाकिस्तान भी हथियार पर खर्च करता है। दोनों देशों का 40,000-50,000 करोड़ रुपए अमेरिका के यहां-जा रहा है। आज कोई रूस भी नहीं है एक देश अमेरिका है जो एसे एफ 16 देता है और हमें कहता है कि आप एफ 17 ले लो। आपने एटम बम बनाया है अगर हिम्मत है तो एक बार पाकिस्तान को उड़ा दीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान भी हिन्दुस्तान को नहीं उड़ाएगा और एटम बम कभी सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बनता है। एटम बम पर हम जितना भी गर्व करें वह चाहे इस्लामाबाद में गिरे तो भी दिल्ली साफ हो जाएगी और वह दिल्ली में गिराएगा तो उनका इस्लामाबाद भी साफ होने वाला है।

हम इस बात को जानते हैं कि न हिन्दुस्तान पाकिस्तान को खत्म कर सकता है और न पाकिस्तान हिन्दुस्तान को खत्म कर सकता है। जिस देश में 6 लाख गांवों में से 2 लाख गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां सबसे ज्यादा अंधे, लंगड़े, लूले और गरीब हैं, जहां गरीबी की समस्या भयावह है, उस देश में दोनों तरफ से क्या आप युद्ध का वातावरण क्रिएट करते रहेंगे? न हिन्दुस्तान का नागरिक और न ही पाकिस्तान का नागरिक युद्ध चाहता है। जब हमारे पेट में दर्द होता है तो हम दस गाली पाकिस्तान को देते हैं और जब पाकिस्तान को कुछ होता है तो वह दस गाली हमें देता है। हम देश की जनता को मुर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार की बात कर रहा हूं, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जर्मनी और जापान के पास एटम बम नहीं है। क्या उसका वीटो किसी देश से कम चलता है? यदि रखिए जो देश खुशहाल होता है, उसका वीटो चलता है। हम चाहे लाख एटम बम बना लें, हमारा देश कमजोर रहेगा।

हमारी सीमा चारों तरफ से माइनॉरिटीज से घिरी है। जम्मू-कश्मीर में मुसलमान हैं, पंजाब में सिख हैं, लद्दाख में बुद्धिस्ट हैं और नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा में क्रिश्चियन हैं। जब तक सीमा मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा और वहां से विदेशियों के घुसने का खतरा रहेगा और सीमा तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक माइनॉरिटीज के मन में विश्वास की भावना पैदा नहीं होगी, उन्हें जब तक एक नम्बर का नागरिक नहीं माना जाएगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। हमने अमेरिका में बहुत अच्छी चीज देखी। आडवाणी जी भी अमेरिका जाते हैं। भाषण करते हैं। अमेरिका में चाहे हिन्दुस्तान मूल का कोई व्यक्ति हो या दूसरे किसी देश का नागरिक हो, वह अमेरिकन होने पर गर्व करता है क्योंकि वहां की सरकार ने उनके मन में यह पैदा नहीं होने दिया कि आप हिन्दू हो या मुसलमान हो। उसे यही महसूस होता है कि सभी चीजों में उसे बराबर का हक मिला है।

मैं जैन साहब का बहुत आदर करता हूं। वह कल बहुत सी बातें कह रहे थे। मैं दलित परिवार में पैदा हुआ हूं। बाबा अम्बेड़कर को जब बुरा-भला कहा जाता था तो एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि अम्बेड़कर साहब जो कहते हैं, उसे उनके दृष्टिकोण से देखो। अगर तुम अम्बेड़कर की जगह होते तो तुम्हारे मन पर क्या गुजरती? इस बारे में सोचो। माइनॉरिटीज की एक साइकॉलोजी होती है। वह अपने अधिकारों को मांगने की कोशिश करते हैं। उस अधिकार को मैजोरिटी के आधार पर तोलना शुरू कर देंगे कि हम 85 परसैंट हैं। या हमने रहम करने का काम किया है तो यह ठीक नहीं होगा। याद रखिए परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई पर अहसान जताने की कोशिश करता है तो उसका गलत परिणाम निकलता है। इसलिए यह बात मन में नहीं आनी चाहिए कि हम मैजॉरिटी में हैं और हम माइनॉरिटीज पर अहसान कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कल आडवाणी जी ने इस बात को क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि यह मैजॉरिटी ओर माइनरिटी का सवाल नहीं है, यह भारत के संविधान का सवाल है। संविधान के अनुसार उन्हें हक मिला है। आप अणु बम पर गर्व कर रहे हैं। क्या उसमें डाक्टर कलाम का कम हाथ है? जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो खुदी राम बोस जो हिन्दू थे, ने फांसी के फंदे को चूम लिया। सरदार भगत सिंह जो सिख थे, उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। फांसी के फंदे को अश्फाक उल्ला खां जो मुसलमान थे, उन्होंने कहा था कि "सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है, जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है।" इतना कह-कह उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं एक घटना का जिक्र करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं जब रेल मंत्री था। एक उद्घाटन के समय अब्दुल हमीद की पत्नी ने आकर कहा कि आप मेरे ऊपर एक मेहरबानी कीजिए। उसने कहा की मुझे सैकिंड क्लास का पास दिला दीजिए क्योंकि मुझे एक स्टेशन जाना पड़ता है और मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कि माता जी, आपके बलबूते पर हम राज कर रहे हैं।

और आपको एक सैकिंड क्लास का पास चाहिये। जब हमने पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं तो उन्होंने बताया कि दो बच्चे हैं, एक मैट्रिक पास है और दूसरा पोस्टआफिस में प्यून का काम करता है। महीने में 10 दिन काम मिलता है और बाकी 20 दिन घर पर बैठा रहता है। हमने उसी समय उनके लिए ए.सी. फर्स्ट क्लास का पास जारी करने का आदेश कर दिया और कहा कि चाहे जो हो आप जिन्दगीभर के लिये आराम से रह सकते हो। उनके दोनो लड़को को रेलवे में नौकरी दिलवाई। मैं सब साथियों से कहना चाहता हूं कि कोई हिन्दू मुसलमान को लड़ाकर या मुसलमान के कंधे पर चढ़कर राजनीति नहीं कर सकता। देश को मजबूत करने के लिये राजनीति होती है, देश को टुकड़े-टुकडें में बांटने के लिए राजनीति नहीं होती सिर्फ हिन्दू-मुसलमान के नाम पर, जाति या धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलती है। हम कला क्षेत्र में देखते हैं कि मोहम्मद रफी या मुकेश या सुरैया, नूरजहां, लता मंगेशकर या आशा भोसले किसी से कम नहीं रहे हैं। खेल क्षेत्र में अजहरुदीन, गावस्कर और नया सितारा सचिन किसी से कम नहीं हैं। गांधी जी के साथ पं. जवाहर लाल नेहरू काम करते थे लेकिन मौलाना आजाद भी उन लोगों के साथ काम करते थे। इसलिये सब चीज में धर्म को नहीं घसीटना चाहिये।

[श्री राम विलास पासवान]

सभापति महोदय, यहां बार-बार हिन्दू धर्म की बात होती है लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे उधर बैठे हुये भाई ज्यादा पढ़े-लिखे हैं, वे संस्कृत और वेद पढ़ने वाले हैं, हमारी तरफ कम हैं। हमने वेद में हिन्दू शब्द कहीं नही पढ़ा। दो-दो रामायण लिखी गई- एक बाल्मीकि ने लिखी तो दूसरी तुलसीदास ने लिखी। दोनों रामायण में कहीं भी हिन्दू शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। जो आप कहें मैं दंड भुगतने के लिये तैयार हूं यदि आप बतला दें कि वेद के अतिरिक्त उपनिषद्, गीता या महाभारत में हिन्दू शब्द का कहीं जिक्र है। यहां सहनशीलता की बात की गई लेकिन हर चीज में हिन्दुत्व आता रहा है। जब हिन्दू शब्द ही नहीं तो हिन्दुत्व कहां से आया? हम बचपन में नौवीं कक्षा में पढ़ते थे कि कुछ विदेशी लोग सिन्धु आये थे और वे सिन्धु से उसको हिन्दू कहने लगे थे। हिन्दू शब्द की उत्पत्ति सिन्धु से हुई है। आप किसके लिये यह सब झगड़ा कर रहे हैं? मान लीजिये आज हिन्दू राष्ट्र की घोषणा हो जाये, तो किसे क्या मिलेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दू नहीं हैं, उनके पहले वाले प्रधानमंत्री क्या हिन्दू नहीं थें, हमारे राष्ट्रपतिं, उप-राष्ट्रपति, लीडर [illegible] कसभा के अध्यक्ष हिन्दू नहीं हैं? दूसरी तरफ [illegible] को ले लीजिये। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री [illegible] ख्यमंत्री श्री बसु, बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह सिर्फ मुख्यमंत्री . . .

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** श्री राम विलास पासवान आपने पहले ही बीस मिनट ले लिए हैं, मैं आपसे अपना भाषण समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ।

**श्री राम विलास पासवान :** महोदय, मैं पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा।

*[हिन्दी]*

मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डा. फारुख, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बादल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिन्दू हैं, इसलियं हिन्दू राष्ट्र कहने से क्या फायदा? याद रखिये पानी मुसलमान के लिये ठंडा है तो हिन्दू के लिये भी ठंडा है। आग में हिन्दू जलता है तो मुसलमान भी जलता है। जैसे पानी और आग का कोई धर्म नहीं, उसी तरह राष्ट्र का भी कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र न हिन्दू होता है और न मुसलमान। राष्ट्र का एक काम होता है- लोगों का कल्याण करना, लोगों को रोजी-रोटी देना। धर्म और जाति का नारा वही लोग लगाते हैं जिनके पास आर्थिक मुद्दा नहीं होता। इस देश में धर्म और जाति का मुद्दा एक बार चल सकता है। लोगों के लिये परमानेंट मुद्दा उनके लिये आर्थिक विकास और रोजगार देना है। हम लोगों ने मंडल कमीशन लागू किया। उस समय यह सोचा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक 85 प्रतिशत हमारे साथ आ जायेगा और सारा गजपाट हमारे साथ चलेगा परन्तु हम 140 से 6 पर चले आये। इसी प्रकार यदि धर्म का नारा लगाकर आप 182 पर पहुंचे हैं, कहीं ऐसा न हो कि आप 6 पर आ जायं . . . *(व्यवधान)*

मैं इस बात से सहमत हूं। दिग्विजय सिंह जी अभी नहीं हैं। वे समता पार्टी के हैं। आज एशियन एज में उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अंडर प्रेशर काम करती है। उन्होंने शिवसेना का नाम नहीं लिया। सरकार सरकार है। जब सरकार लिखा जाता है तो वह भारत सरकार लिखा जाता है -- वह न बीजेपी की सरकार होती है, न यूनाइटेड फ्रंट की सरकार होती है। वह भारत सरकार होती है और आपको भारत सरकार की हैसियत से फैसला लेना चाहिए। हम जानते हैं कि आपके चार विंग हैं। बजरंग दल अलग है। आप लाख कहें वह आपकी बात मानने वाला नहीं है। आप लाख कहें वी.एच.पी. आपकी बात मानने वाला नहीं है। आर.एस.एस. को आप लाख कहें, वह आप पर कंट्रोल कर सकता है लेकिन आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपकी काबलियत को भी जानता हूं कि आप सुबह सवेरे पांच बजे उठकर दिल्ली में गणेश जी को दूध पिला सकते हैं तो आप इंग्लैण्ड में भी उनको दूध पिला सकते हैं। हमारे पिताजी भी संत थे। हम बचपन में पढ़ते थे --

"जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा।
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा।
लडुअन का भोग लगे संत करें सेवा।"

इसलिए गणेश जी लड्डू खाते थे और आप लोगों ने गणेश जी को दूध पिला दिया तो यह आपकी काबलियत है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज भाषा का सवाल है। हम लोग आजादी के पचास साल बाद अंग्रेजी भाषा को ढोले जा रहे हैं। अंग्रेजी नंबर एक की भाषा है और उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जहां कहा कि उर्दू की बात जारी है तो हंगामा हो जाता है। मैं आडवाणी साहब से पूछना चाहता हूं कि रोज यहां वंदे मातरम् और सरस्वती वंदना गाने का सवाल आता है। हम लोग भी गाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन प्रकृति का एक नियम होता है। आदमी मुट्ठी बांधे बैठा रहता है लेकिन आप कहें कि मुट्ठी बंद रखो तो वह खुलती भी है। आप क्यों इसे कंपलसरी कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि इस से लोगों को संदेह होता है। आज हिन्दी में तो कंप्यूटर मिलता नहीं है फिर संस्कृत में पढ़कर कौन नौकरी पाएगा? हिन्दी पढ़ने वाला क्लास फोर का इंप्लॉइ होता है, क्लास थ्री का इंप्लॉई होता है लेकिन अंग्रेजी जानने वाला क्लास वन और टू का अधिकारी होता है। हिन्दी को तो आप रास्ते पर नहीं लाए और एक नयी संस्कृत पढ़ो कहते हैं। हम जानते हैं कि न आपके बच्चे और न हमारे बच्चे संस्कृत स्कूलों में जा रहे हैं। सब अंग्रेजी स्कूलो में पढ़ रहे हैं। इसलिए जिस बात का कोई मतलब नहीं है जिससे राष्ट्र को कोई फायदा नहीं है, जिसका संबंध किसी आर्थिक मुद्दे से नहीं है, उसको बिना मतलब विवाद में नहीं खींचना चाहिए और उसको एक प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। मैं रेल मंत्री था तो उमा भारती जी ने यहां मामला उठाया था पहले राजधानी और शताब्दी में भजन गाया जाता था, हमने मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ऐजुकेशन को कहा कि बढ़िया राष्ट्रभक्ति के गाने बताओ और चाहे राजधानी ऐक्सप्रेस हो या शताब्दी ऐक्सप्रेस हो, हमने उनमें वे गाने चलाने का काम किया। जो काम करना है आप प्रेक्टिकल काम करिये। एक होता है ऐक्ट, एक होता है फैक्ट और एक होता है टैक्ट। आपका ऐक्ट अलग है, फैक्ट अलग है और टैक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया अपना भाषण समाप्त करें। जनता दल के लिए वास्तव में एक मिनट का समय दिया गया है किंतु आपने 25 मिनट लिए हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आर्टिकल 370 के मामले में मैं संविधान देख रहा था। आर्टिकल 370 में विशेष प्रावधान सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए ही नहीं है।

378 में जो विशेष प्रावधान है वह महाराष्ट्र और गुजरात के लिए हैं। 371 में जो नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है, 371 बी. में असम राज्य के लिए प्रावधान है, 371 सी. में मणिपुर राज्य के लिए है, 371 डी. में आंध्र प्रदेश के लिए है, 371 एफ. में सिक्किम राज्य के लिए है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हर स्टेट के लिए अलग-अलग प्रावधान है। लेकिन जब कभी 370 का मामला आता है तो कश्मीर का नाम आता है।

सभापति महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब से एक बात और कहना चाहता हूं कि जब मैं मिनिस्ट्री में था तो हमने उस मामले को वहां भी उठाया था। हमें मालूम नहीं है कि एस.पी.जी. और एन.एस.जी. में मुसलमान और सिख हैं या नहीं, इसका आप पता लगाइये। यदि नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत खतरनाक स्थिति है। ठीक है, कभी-कभी इस देश में कोई घटना घट जाती है, लेकिन उसके कारण किसी समुदाय विशेष को कांस्टीट्यूशन के मुताबिक दिए गए अधिकार से डिबार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस बात का पता लगायें कि एस.पी.जी. और एन.एस.जी. में माइनोरिटीज के इस क्लास का प्रतिनिधित्व है या नहीं। मेरे पास अधिक समय नहीं है।

सभापति महोदय, श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट में पी.ए.सी. का जो रोल है, उस एडमिनिस्ट्रेशन का रोल का जिक्र किया गया है, पार्टी का जो रोल होता है, वह बात समझ में आ सकती है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है यदि वह कम्युनलाइज हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं श्री रघुवंश प्रसाद जी से एक बात कहना चाहता हूं कि हर एक रिलीजन का अपना तरीका होता है। हिंदू रिलीजन हिंदुओं के मुताबिक गाइड होता है। जो सिख हैं, गुरूद्वारा उनके मुताबिक गाइड होगा। इसी तरह से सभी धर्म का होता है। लेकिन बिहार में जो बुद्ध विहार है, जहां भगवान बुद्ध ने दीक्षा प्राप्त की थी। लेकिन आज भी वह बुद्ध विहार गिरवी रखा हुआ है, वह बुद्धिस्ट के हाथ में नहीं है। वहां मेज्योरिटी हिंदुओं की है। यहां तक कि जो बुद्ध विहार का चेयरमैन है, वह कलक्टर होता है। लेकिन एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि कलक्टर गैर हिंदू होगा तो वह कलक्टर चेयरमैन नहीं रहेगा। हम लोग आज से नहीं पिछले पांच साल से वहां के मुख्य मंत्री को लिख रहे हैं। श्री वी.पी. सिंह ने अपने समय में लिखा था, श्री देवेगौड़ा जी ने अपने समय मे लिखा था। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वहां इसके बारे में आंदोलन चल रहा है। यदि हम आज रिलीजन पर डिस्कस कर रहे हैं तो 'बुद्ध' गया का मंदिर का मामला है, बुद्ध विहार का मामला है, उसको बुद्धिस्ट के हाथों में सौंपना चाहिए। उससे देश का फायदा होगा और जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, उनसे भी विकास के लिए सारी चीजें आयेंगी। सभापति जी, मैं ज्यादा बोलना चाहता था लेकिन आपने समय की पाबंदी लगा दी है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं यदि आपने माइनोरिटी की डेफिनीशन को ठीक से समझने का काम किया और उसके आधार पर आर्थिक मुद्दों को टॉप प्रायोरिटी में रखा तो न तो सरकार दुर्गति होगी और न देश की दुर्गति होगी। इसलिए इस मुद्दे पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, मेरे बोलने के लिए समय कम था लेकिन आपने मुझे ज्यादा समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** सभापति जी, इस दार्शनिक भाषण के बाद तो हमें बुलाना चाहिए।

**सभापति महोदय :** आप बैठिये, मैं आपको भी बुलाऊंगा।

**श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) :** माननीय सभापति जी, मैं रामविलास जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बहुत ही समझदारी की बातें की। इतने सालों के बाद बहुत से हमारे नौजवानों के जलने के बाद ही क्यों न हो, मंडल कमीशन की अपनी गलती भी उनकी समझ में आ गई। मैं उनको एक बात कहना चाहती हूं कि मुझे नहीं लगता कि किसी के भी मन में यह बात होगी कि पाकिस्तान को नष्ट करना है . . . *(व्यवधान)* पाकिस्तान को नष्ट करने की जो बात आपने की, पाकिस्तान नष्ट नहीं हो सकता है। यह कोई नहीं चाहता है। इतना हम सब लोग मन ही मन जरूर चाहते होंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हो जाएं, फिर से एक राष्ट्र के रूप में खड़े हो जाएं। यह हम सब जरूर चाहते होंगे। सभापति जी, मैं चाहूंगी कि मुझे थोड़ा अधिक समय बोलने के लिए दिया जाए तो अच्छा रहेगा। चूंकि जब कभी कोई दंगा होता है, जब-जब कभी कोई आपसी झगड़ा होता है, चाहे वह दो सम्प्रदायों के बीच में हो या दो जातियों के बीचे में हो, यदि इसमें किसी पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है तो वह इस देश के मातृत्व पर होता है। कल से यह बहस चल रही है। हम हमेशा यह करते है कि अपनी परम्पराओं, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों द्वारा व्यक्त विचारों आदि का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर लेते हैं और वह भी आधा-अधूरा उपयोग करते हैं।

सभापति जी, यहां पर माननीय आरिफ जी मौजूद नही हैं। कल वे बड़े-बड़े ग्रंथों का उदाहरण दे रहे थे और यह कह रहे थे कि इस प्रकार का विभाजन ठीक नहीं है। हम भी कहते हैं कि हमारे समाज में, इस देश में, भारतवर्ष में परम्परा से जन्म से किसी प्रकार का विभाजन नहीं है। यह कहा गया है-

जन्म न जायते शूद्रः संस्कारात् उच्चते।

आप समझते नहीं हैं। यहां पर जन्म से बात नहीं होती है और न हो रही थी। कल यहां पर स्वामी विवेकानंद जी का भी उदाहरण दिया जा रहा था, लेकिन जो बात आज यहां हो रही है, वह क्यों करने पर हम मजबूर हुए, 50 सालों बाद हमें इन चीजों पर क्यों विचार करना पड़ रहा है, इसको भी देखने की जरूरत है। आज विचार करते समय भी हम यह विचार कर रहे हैं कि कितने मुसलमान मारे गए या कितने इसाइयों के घर जला दिए? जब विचार करते हैं, तो इसी कारण विचार करते हैं। हम जन्म से सर्वथा विचार करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम वास्तव में जन्म से पृथक-पृथक नहीं हैं। हम विवेकानन्द स्वामी जी की बात हम आधी अधूरी कह देते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि स्वयं विवेकानन्द जी ने कहा था कि जन्म से मनुष्य इस प्रकार का नहीं होता है।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

*[अनुवाद]*

**"जो शरीर के बारे में सोचता है वह शूद्र है। जो धन-संपत्ति के बारे में सोचता है वह वैश्य है। जो शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं वह क्षत्रीय है। जो सभी के कल्याण के बारे में सोचता है वह ब्राहमण है।"**

*[हिन्दी]*

इस प्रकार से उन्होंने कहा था और यह हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था-

चातुर्वर्णम मयासृष्टम् गुणकर्म विभागश:

जो जिस प्रकार से काम करता है, हम अपने मन में जिस प्रकार से सोचते हैं, हम कौन सा काम करते हैं, उस प्रकार की हमारी जाति तय हो जाती है, चरित्र तय हो जाता है। यह वास्तव में होना चाहिए। अभी यहां पर बार-बार हिन्दू की बात कही गई। कल न जाने क्यों [illegible] नन्द जी और बाकी सब याद आ गए। विवेकानन्द [illegible] कि हिन्दू होने पर मुझे गर्व है। माननीय राम [illegible] सही परिभाषा नहीं समझ रहे हैं। आप बिलकुल सही कह रहे थे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें आपने जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री को क्यों अलग कर दिया? हम नहीं करते। क्योंकि हमारी हिन्दू की जो परिभाषा है, हिन्दू कौन है, वह है-

आम हिन्दू सिन्धू पर्यन्ता यस्य भारत भूमिका:

जिसकी यह भूमिका है कि सिन्धू नदी से लेकर सिन्धू सागर तक यह भारत हमारा एक है-

पितृभू पुण्यभू: चैव, सबै हिन्दु इतित्र:

जो इसको पवित्र भूमि मानता है पुण्य भूमि मानता है, वह अपने आप को हिन्दू कहलाता है। यह हिंन्दू की भूमिका है। और इस दृष्टि से अगर देखें, तो मैं तो यह कहूंगी कि इस देश में, कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है। इस देश में जो रहते हैं, इससे प्रेम करते हैं, इस देश के इतिहास को अपना इतिहास मानते हैं, इस भूभाग को जो अपना पिता मानते हैं जो इस देश को माता मानते हैं वह हर कोई हिन्दू हो जाता है। किसी को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह होता गया। कल यहां पर बात तो हुई और कहा गया कि विधवा बनाते हैं।

सभापति महोदय, कल यहां बात हुई, विधवा क्यों बनाते हैं। अगर उत्तर देना है, तो मैं उत्तर देना चाहूंगी, हालांकि नहीं देना चाहिए। जब विधवा बनाने की बात होती है, तो मैं कहना चाहती हूं कि 700 साल तक इस देश पर अत्याचार होता रहा। 700 सालों तक यहां पर मुगलों के आक्रमण हुए। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मदिरा का प्याला होता था और जब मदिरा का प्याला रख दिया जाता था, तो उस हाथ से इस देश की अस्मत, इस देश के मातृत्व को लूटा जाता था। इस प्रकार का 700 सालों तक हुआ है और इस देश ने सहा है। आप विधवा बनाने की बात कह रहे थे, इसलिए मुझे यह बात बतानी पड़ी। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं। इसको आप अपने ऊपर क्यों मानते हैं। यह तो इस देश का इतिहास है। यहां पर इस प्रकार के आक्रमण हुए हैं। अब अगर आप पूरे 700 साल के इतिहास को भी गलत मानते हैं, तो फिर मैं क्या कह सकती हूं। यहां पर माननीय शरद पवार जी उपलब्ध नहीं हैं।

माननीय शरद पवार जी यहां नहीं हैं। मैं उनसे पूछती कि अगर यह इतिहास झूठा है तो छत्रपति शिवाजी भी झूठे हो जाते इसलिए ऐसी बाते मत कीजिए। जो इतिहास है, उस इतिहास को हम स्वीकार करेंगे। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि हमने शब्दों के अर्थ भी गलत किये हैं। कल यहां पर मलैच्छ शब्द की बात हो रही थी। मलैच्छ शब्द आज का नहीं है। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया अब समाप्त कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** आप घंटी बार-बार मत बजाइये। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए।

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : सभापति जी, हमारी पार्टी के जो लोग हैं, आप उनकी जगह इनको टाइम दे दीजिए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कई अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं। मैं आपसे समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** यद्यपि मलैच्छ शब्द है लेकिन हम नहीं समझते कि मलैच्छ शब्द मुसलमानों के लिए है। यह तो वेदों पुराणों से चला आ रहा है। उसके लिए जिसको हम कहते हैं संस्कृति विहीन, संस्कार विहीन है। हम अपने घर में कभी बच्चे को ही कह देते हैं कि कैसा गंदा है, समझता नहीं है। क्या मलैच्छ है? मगर यवन शब्द जरूर उपयोग में लाया गया है। कल काफिर शब्द भी कहा गया। काफिर शब्द है। जो दीन, ईमान और कुरान को नहीं मानते, उसको काफिर कहा गया है। इसकी व्याख्या की गई है। यह काफिर शब्द भी इसमें है मगर होता क्या है? हम कुरान की आलोचना तो जरूर करते हैं लेकिन कुरान की बात नहीं करने देते। यह होना चाहिए। अगर हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते है तो इन सब बातों की सर्वकक्ष चर्चा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।

आज हम देखते हैं कि स्त्रियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या है? जब हम किसी को विधवा कहने और अत्याचार करने की बात कहते हैं। जैसे पूरे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मैंने 700 साल का इतिहास याद दिलाया है। कल यहां शिक्षा के बारे में बात की गई। कहा गया कि एक्शीक्यूटिव्य में हमारे लोग नहीं हैं या सुपरवाइजर नहीं हैं या अन्य बड़ी-बड़ी पोस्टों पर नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगी कि 50 साल में कभी हमने सोचा कि हम क्यों सत्ता की राजनीति करते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं। हम वोटों का फतवा निकालते हैं। कभी हम वोटों का फतवा निकालते हैं। आप कभी शिक्षा का भी फतवा निकालते देखिये। स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, इसके लिए फतवा निकालकर देखिये। फतवा यह भी निकालिये कि स्त्रियों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए और अत्याचार करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको पूरा चित्र अलग दिखेगा। हम मदरसे खोलेंगे। मदरसे में केवल धार्मिक शिक्षण देंगे। फिर

हम कैसी अपेक्षा कर सकते हैं। हम अपनी तरफ भी थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना सीखें। हमने 50 साल तक राजनीति करके वोट कमाये हैं तो हमने दिया भी क्या है? हमने लोगों को क्या दिया है, इन बातों को हमें सोचना पड़ेगा। कभी-कभी मुझे लगता है कि आखिर शिक्षा क्या है?

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** महोदया कृपया अब समाप्त करें। आपके पक्ष से और भी कई सदस्य बोलने वाले हैं।

*[हिन्दी]*

**प्रो. रीता वर्मा** (धनबाद) : आप बाकी सब स्पीकर्स का भी टाइम इनको दे दीजिए।

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं केवल प्वाइंट रख रही हूं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक संस्कार देना होता है। एक मनुष्य बनाना होता है और उसमें मानवता भरनी होती है। वह तो संस्कार देने की बात होती है कि मातृभूमि से प्रेम करो। यह हम क्यों कहते हैं कि वंदे मातरम् हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमारी ऐसी भावना है, क्यों हम इसे मातृभूमि मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 50 साल बाद भी आज ऐसी स्थिति है? मैं बताना चाहूंगी कि जो उनके मित्र बनना चाहते हैं हालांकि मित्र नहीं हैं। गत 50 साल में इस देश में माइनौरिटी केवल धर्म के आधार पर नहीं मानी गयी है। वे भाषा के आधार पर हैं। मैं कहना चाहूंगी कि भाषा को आधार बनाकर प्रांतों में झगड़ा किसने कराया? भाषा व प्रांत रचना का ढोंग रचकर इस प्रदेश के एक-एक व्यक्ति को लड़ाया। गुजराती भाई महाराष्ट्रीयन से लड़े और कर्नाटक वाले महाराष्ट्र से लड़े, यह आपस में झगड़ा किसने पैदा किया। इसलिए इन लोगों को कहना है कि सम्प्रदायवाद तुमने खड़ा कर दिया। आप वोट कमाने के लिए फतवा तो निकालते हैं लेकि शिक्षा के लिए आपने कोई फतवा नहीं निकाला। चादर चढ़ाने के लिए आप जाते हो लेकिन चादर चढ़ाने के साथ आप स्वंय हिम्मत करके देखो कि हम यह कर सकते है। परिवर्तन करने की कोशिश करो। आप अपने आपको अलग क्यों समझते हो। क्यों नहीं इस हिन्दुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हो? क्यों वंदे मातरम् को पराया समझते हो?

इस तरह की कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हम केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं, हम इस देश में सही मायने में कभी साम्प्रदायिक सद्भाव का निर्माण करना ही नहीं चाहते। मैं यह दावे के साथ इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने इसी हाउस में देखा, जब कभी बात होती है, मैंने उठकर स्त्रियों पर अत्याचार के बारे में कहा कि स्त्री को कभी मत बांटो। यदि दलित स्त्री पर अत्याचार होगा तब श्री राम विलास पासवान उसे उठाएंगे, यदि किसी मुस्लिम स्त्री पर अत्याचार होगा तभी श्री आरिफ मोहम्मद खां या और कोई उसे उठाएंगे- ऐसा क्यों? फिर उत्तरांचल में यदि* . . . उन मजिलाओं पर अत्याचार करते हैं, अपने ही लोगों द्वारा कहकर अत्याचार होता है, तो क्या हम सब लोग चुप रहेंगे और फिर कोई एक व्यक्ति ही उसे उठाएगा, इस प्रकार का भाव हमारे मन में क्यों? हम पर कल से आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन जरा आंख खोलकर देखें, डगरौली में जब किसी क्रिश्चियन पर स्कूल में घुसकर अत्याचार हुआ था तो किसका राज था, श्री मुलायम सिंह का राज था, वहां कोई भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं था। झाबुआ में जब घटना होती है, मुझे एक बात का खेद है, झाबुआ में जब नन्स पर बलात्कार हुआ, नहीं होना चाहिए, मैं तो हमेशा लड़ती हूं, वह मातृत्व पर आ जाते हैं, नहीं होना चाहिए, गलत बात हुई, लेकिन वहां भी कांग्रेसियों का राज और केवल कांग्रेसियों की बात नहीं है, जब वे लोग पकड़े गए, हम उनको नहीं बांटना चाहते लेकिन ऐसी बात आ गई। किसने किया, क्या किया, एक व्यक्ति यदि कुछ गलत बात कर देता है तो पूरे दल को कहा जाता है, हमने इस प्रकार कर दिया जैसे भारतीय जनता पार्टी का विश्व हिन्दू परिषद वालों ने किया। असलियत सामने आ जाती है। वही व्यक्ति इसी कारण चुनाव में हार गया। ऐसा व्यक्ति जो अत्याचार करना ही जानता था, वह अत्याचारी था, कांग्रेस का समर्थक था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस के टिकट पर झाबुआ से खड़ा हुआ था, सब जानते हैं। . . .*(व्यवधान)* यह सही बात है। . . .*(व्यवधान)*

**प्रो. एस.पी. सिंह बघेल** (जलेसर) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

*[हिन्दी]*

**प्रो. एस.पी. सिंह बघेल :** सभापति महोदय, इसे कार्यवाही से निकाला जाए। . . . *(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : हमने सुना है कि . . . महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। . . . *(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले :** आप यह शब्द वापिस लीजिए। . . . *(व्यवधान)* . . . महिलाओं पर अत्याचार नहीं करते, वे महिलाओं का समर्थन करते हैं। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** श्री रामदास, कृपया बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** श्री रघुवंश प्रसाद सिंह किस नियम के अन्तर्गत आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

*[हिन्दी]*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** महोदय, . . .इस सदन के सदस्य हैं। इन्होंने उन पर बिना किसी कारण आरोप लगाए हैं। . . . *(व्यवधान)* इन्होंने कहा है कि . . .उत्तराखंड में महिलाओं पर अत्याचार किया। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं रिकार्ड की जांच करूंगा।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुमित्रा महाजन** (इंदौर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया, मैंने कहा मुख्य मंत्री वे थे।. . . *(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले :** श्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में कई महिलाओं की रक्षा करने का काम किया है।. . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** मैं, कार्यवाही वृतान्त की जांच करूंगा और देखूंगा कि क्या कोई आपत्तिजनक शब्द है। कृपया बैठ जाइए।. . .*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**एक माननीय सदस्य :** पहले इसे प्रोसीडिंग्स से निकलवाइए . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**...य :** मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। कृपया बैठ

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** मैं यही कहना चाहती थी कि श्री मुलायम सिंह जी की सरकार में हुआ।

माननीय सभापति जी, मैं बहुत ही अलग प्रकार का मुद्दा रख रही थी। जैसे मैंने कहा कि उत्तरांचल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। . . . *(व्यवधान)*

**प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे** (चिमूर) : आपने ऐसा नहीं कहा, आप देख लें।

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** अच्छा, अब कह रही हूं। जैसे झाबुआ में अत्याचार हुआ, झाबुआ में नन्स पर अत्याचार हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि बिहार में अभी क्रिश्चियंस पर अत्याचार हुआ, वहां किसकी सरकार है, यह समझ लो, लेकिन मैं कुछ दूसरी ही बात उठाना चाहती थी। यह जो जगह-जगह अत्याचार हुए हैं, वहां तो जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, जो झाबुआ में पकड़े गये, वे कांग्रेस के कार्यकर्त्ता थे। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल रहे हैं या नहीं . . . *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** मेरा कहना केवल इतना ही है कि जब यह घटना हो जाती है। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पी. सी. चाको (इडुक्की) : महोदया, कृपया मुझे केवल एक मिनट दीजिए . . . *(व्यवधान)***

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** अच्छा, हमें बोलने दो। आप सुनो तो सही।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया बैठ जाइए।

**श्री पी. सी. चाक्को :** वे मान गई हैं। सभापति महोदय माननीय सदस्य सहमत हो रहे हैं . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** आप समय नष्ट कर रहे हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

**श्री पी. सी. चाक्को :** क्या मैं एक मिनट ले सकता हूं? *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** मैं कन्कलूड ही कर रही हूं।

सभापति जी, जो लोग पकड़े गये, वे तो दोनों प्रकार के थे, क्रिश्चियंस भी थे, लेकिन उनके घर में कांग्रेस के पत्रक वगैरह मिले थे . . *(व्यवधान)* वहां कांग्रेस की सरकार थी, यह बात तो सही है? चलो इस बात को छोड़ो।

*[अनुवाद]*

**श्री पी.सी. चाक्को :** सभापति महोदय कृपया यह बात समझने की कोशिश करें कि यदि सदस्य मान रहा है तो आप बोल सकते हैं। कृपया उस बात को समझें और इस तरह मत कहिए। यदि सदस्या मान रही है तो तब मैं कह सकता हूं। वे भाजपा की महासचिव हैं। मैंने उन्हें एक मिनट देने के लिए कह रहा हूं और वे मान रही हैं, यह क्या है?

महोदया, दूसरी बार आप सभा में वक्तव्य दे रही हैं कि झाबुआ घटना में आरोपी व्यक्ति कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश की इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का कांग्रेस पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। आप भाजपा की महासचिव हैं। क्या आप इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दे सकती हैं? . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय : श्रीमती सुमित्रा महाजन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।**

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** मैं कन्कलूड कर रही हूं। अच्छा, इस बात को भी छोड़ो।

मैं जो दूसरी बात कह रही थी, उदाहरण देकर जो मैंने कहा, अलग-अलग जब ये अत्याचार हुए, जैसे ही झाबुआ में नन्स पर अत्याचार होता है, ठीक है कि पूरे हिन्दुस्तान के क्रिश्चियंस एक होकर बोले, यह

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बात वहां तक भी ठीक है, होनी चाहिए, हम भी उसके खिलाफ बोले हैं, लेकिन उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके पहले हमने बार-बार माननीय सोनिया जी को भी निवेदन किया था कि मध्य प्रदेश में गत पांच साल से सतत महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे वह सरपंच महिला हो या दलित, आदिवासी महिला हो, सभी महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें दखल नहीं दिया जाता है।

मुझे दुख इस बात का होता है कि उसमें दखल नहीं दी जाती है। नन्स पर अत्याचार हुआ, उसकी भी मैं निन्दा करती हूं। होनी ही चाहिए, क्योंकि मातृत्व पर वह बलात्कार है, ऐसा होना चाहिए। वह केवल क्रिश्चियन है या किसी जाति की है, किसी सम्प्रदाय की है, यह बात होती है, उसको लेकर राजनीति की जाती है। ठीक है, अगर आप काला दिन मनाना चाहते हैं, मना सकते हैं, आपकी भावना है, लेकिन छः दिसम्बर को मनाओ, चार दिसम्बर को क्यों बन्द करेंगे? फिर हम गुजरात सरकार को इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि चार दिसम्बर को कार्यालय चालु है, इसलिए उस दिन मनाएंगे।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया विषय पर आइए। आप समय नष्ट क्यों कर रही हैं? कृपया अब समाप्त करें। आपने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं और अब मैं आपको अधिक समय नहीं दूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** सभापति जी, मैं कन्क्लूड कर रही हूं।

मैं आखिर में इतना ही कहना चाहती हूं कि हम थोड़ा सा इस बात को समझें। यहां 1984 के दंगों की बात भी हो गई। बात यह होती है कि गत 50 साल में किसने क्या किया, हम केवल सोचें कि सम्प्रदायवाद को उठाकर हमने वोट लेने की कोशिश की है। क्योंकि मैं अपने तई यह मानती हूं कि जब सियासत के निगेहबान हवा देती है तभी दंगाई दंगा करते हैं, तभी दंगाई आग लगाते हैं, नहीं तो कोई दंगा नहीं कर सकता। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमने 50 सालों में साम्प्रदायिकता को किस तरह से हवा दी है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्यों बोलते हैं, इन्हें हटा देने चाहिए। हम सब भारतीय हैं। क्यों कोई यह माने कि मैं अल्पसंख्यक हूं। इसलिए यह सब समाप्त करना है, रौशनी अगर लानी है तो जो पहले सम्प्रदायवादी हैं, जिन्होंने 50 साल में इसको हवा दी, उनके लिए मैं कहना चाहती हूं :

जिन चिरागों से तास्सुब का धुंआ उठता है
उन चिरागों को बुझाओ तो रोशनी जरूर होगी।

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों पर जोर-जुल्म के खिलाफ विषय पर जो बहस चल रही है, आपने बड़ी कृपा की कि उसकी अनुमति दी और तीन दिन से इस पर बहस चल रही है। इस बहस में हमने देखा कि उस पक्ष के लोग जब बोल रहे थे तो अनेक तरह के तर्क देकर वे भी सेक्यूलर होने का दावा कर रहे हैं। विपक्ष के सदस्य श्री पी. शिवशंकर जब भाषण दे रहे थे तो कागज-पत्रों के साथ, सबूत के साथ साबित करना चाहते थे कि ये सेक्यूलर नहीं हैं। अल्पसंख्यकों पर इनके चलते ज्यादा जोर-जुल्म होता है। जब राम विलास पासवान जी बोल रहे थे तो मेरा मन बोलने के लिए छटपटा रहा था कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। उनका भाषण उपदेशात्मक था, पुराने जमाने का था, पता नहीं वे बहस में भाषण दे रहे थे या उपदेश दे रहे थे।

अल्पसंख्यकों पर जोर-जुल्म की शुरुआत तभी हो गई जब हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक सरकार का गठन हुआ। साम्प्रदायिक सरकार आ गई, यह उन पर जुल्म नम्बर एक था . . . *(व्यवधान)* जिस समय इनकी हुकूमत बनी देश के करोड़ों अल्पसंख्यक सांसत में आ गए, आतंकित हो गए . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया उकसाने वाला भाषण न दें।

*[हिन्दी]*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** इसमें प्रोवोकेटिव कुछ नहीं है। ये दावा करते हैं कि ये भी सेक्यूलर हैं। मस्जिद को तोड़ने वाले कभी सेक्यूलर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। ये मस्जिद तोड़कर भी सेक्यूलर होने का कैसे दावा करते हैं। माननीय गृह मंत्री देश भर में रथ लेकर घूमें, आग लगाने का काम किया, फिर मस्जिद टूटी। मैंने परसों अखबार में पढ़ा कि अभी छः बरस के बाद आडवाणी जी ने भी माना है कि उस समय जो हुआ वह बुरा हुआ। मस्जिद का टूटना इनसानियत पर, मानवता पर कलंक है। देश में किसी भी अल्पसंख्यक पर कोई हमला होता है या खराब व्यवहार होता है तो दुनिया के मुल्कों में देश का माथा झुक जाता है, ऐसा करने से हिन्दुस्तान विदेशी मुल्कों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि हिन्दुस्तान जो मुल्क है, उसकी खासियत है, अहमियत है कि हम सेक्यूलर हैं। यहां हरेक धर्म को मानने वाला रहता है और वह पूरी आजादी के साथ तथा निर्भीक ढंग से रह सकता है, उस पर कोई दबाव या जुल्म नहीं होगा।

**सांय 6.00 बजे**

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** इस विषय पर पन्द्रह सदस्य और बोलने वाले हैं। क्या सदस्य सभा की बैठक का समय बढ़ाने की स्वीकृति देती है?

**श्री अजय मुखोपाध्याय** (कृष्णनगर) : महोदय, हम इसे कल लें।

**सभापति महोदय :** कल गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाएगा। यदि सदस्य सहमत हो तो हम बैठक का समय एक घंटा बढ़ा देते हैं।

*[हिन्दी]*

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : पहले फैसला कीजिए।

*[अनुवाद]*

**अनेक माननीय सदस्य :** महोदय हम सहमत हैं।

**सभापति महोदय :** सभा की बैठक का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

*[हिन्दी]*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि कम्युनेलिज्म के चलते हिन्दुस्तान का इतिहास बर्बाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, यह

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

जुल्म नं. 1 था। जुल्म नं. 2 उस समय हुआ जब महात्मा गांधी जी की हत्या एक कम्युनल ने कर दी, साम्प्रदायिक लोगों ने कर दी। हिन्दुस्तान का तीसरा काला अध्याय 6 दिसम्बर को हुआ जब बाबरी मस्जिद टूटी और देश में आग लगी, दंगे फैले, लाखों लोगों की सम्पत्ति बर्बाद हुई, लाखों लोग मारे गये, मंदिर टूटे, मस्जिद टूटी और क्या-क्या उनके ऊपर अत्याचार हुए। तीसरा काला अध्याय महात्मा गांधी जी की हत्या तीस जनवरी को हुई। . . *(व्यवधान)*

**प्रो॰ रीता वर्मा :** बीस महीने से माइनॉरिटीज को वेतन नहीं मिल रहा है। . . .*(व्यवधान)* बिहार में माइनॉरिटीज को सैलरी नहीं मिल रही है। यह भी बताएं कि यह किसका अत्याचार है? माइनॉरिटीज का दावा कर रहे हैं। . . .*(व्यवधान)* वे बीस महीने से भूखे मर रहे हैं। . . .*(व्यवधान)*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** एक शायर ने कहा :

"उस पिस्तौल पर लिखा हुआ था तीस जनवरी
जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी
मिटाकर उसे छः दिसम्बर लिख दिया।"

य हिन्दुस्तान के इतिहास में हुआ और जब से इनकी हुकूमत आइ, सदन में एक बार नहीं अनेक बार बाइबल जलाने के बारे में बहस हुई। क्रिश्चियन जिनके ऊपर गुजरात और कई राज्यों में जुल्म और अत्याचार हुए, उनका मामला आया।

**प्रो॰ रीता वर्मा :** आपने बीस महीने से सैलरी क्यों बंद कर दी? . . . *(व्यवधान)*

**श्री कड़िया मुण्डा** (खूंटी) : गुजरात में माइनॉरिटीज को बीस महीने से वेतन नहीं मिला है। . . .*(व्यवधान)*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** हमारे संविधान में है कि हर धर्म के मानने वाले, विश्वास करने वाले निर्भीक ढंग से उनका अपना जहां विश्वास है, उनकी इबादत, पूजा करेंगे, उन पर कोई रोक-टोक नहीं होगी लेकिन मस्जिद तोड़कर और राम विलास पासवान जी गवाही दे रहे हैं कि बजरंग दल इनकी बात नहीं मानता, जैसे राम लीला में रावण और विभीषण तरह-तरह के लोग विभिन्न रूप बनाकर आते हैं लेकिन सब एक होते हैं। वैसे ही ये सब विभिन्न रूप बनाए हुए हैं। कहीं बजरंग दल हैं तो कहीं विश्व हिन्दू परिषद लेकिन सब एक ही चट्टे बट्टे के संघ परिवार है। हिन्दुत्व कहते-कहते, राष्ट्रत्व कहते रहते हैं। जो हिन्दू हैं, वे राष्ट्रवादी हैं, बाकी लोग इस देश में नहीं हैं। इतना बड़ा खतरनाक श्लोक कहते हैं। दूसरा कहते हैं, राष्ट्रध्वज भगवा है, तिरंगा ध्वज नहीं है। यह इन लोगों की पढ़ाई है। "एकेचालका अनुवर्तिका", यानी एक से ही संचालित होंगे। यह फांसीवाद है, यह डैमोक्रेसी नहीं है। समूह से संचालित होता है, वह डैमोक्रेसी है, इसलिए इन तीन तरह के पात्र होने से देश की माइनॉरिटीज आतंकित हैं। तमाम कम्युनलिज्म ला रहे हैं, क्योंकि वही इनकी पूंजी है। अर्थ नीति खराब है, गांवों में किसानों की हालत खराब है, लेकिन उसका ख्याल नहीं किया जा रहा है। जिस नीति और साम्प्रदायिकता के सहारे इनका राज आया है, उसमें संघ परिवार के लोग हैं। एक नेशन, एक देश, एक धारा, एक संस्कृति और एक भाषा की बात कहने से देश एक नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग आतंकित है और हम लोगों को शंका है कि इस तरह से यह हुकूमत ज्यादा दिनों तक दिल्ली की गद्दी में रहेगी, तो देश की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। इस सदन में इस विषय पर बहस करने का मौका मिला है और माइनोरिटीज की समस्याओं को उठाने का मौका मिला है। देखा जाए, तो ऊपरी स्तर के बड़े-बड़े नेता उपद्रव फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके नीचे के लोगों के द्वारा दंगा फैलाने की कोशिश होती है। कस्बों में जहां मस्जिदें हैं, वहां जमीन का एन्क्रोटमेंट किया जाता है। जहां पर गुरूद्वारा है, जहां पर गिरिजाघर है, वहां उपद्रव फैलाने की कोशिश होती है, जिससे देश को नुकसान होता है। इसलिए हम सब की राय है कि यहां जड़ से साम्प्रदायिक हुकूमत आई है और हिन्दूस्तान में माइनोरिटीज सहमे हुए हैं। उन पर जहां-तहां जुल्म और खतरे के समाचार आते हैं। . . . *(व्यवधान)* गृह मंत्री, माननीय आडवाणी जी हो गए हैं, इनके हो जाने से ये लोग और आतंकित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री इतना कठोर हो जाए, तो देश की माइनोरिटी का क्या होगा। बर्क साहब कह रहे थे कि अयोध्यां कांड एक्यूज्ड लोगों में इनका नाम है। कागज-पत्र नहीं देखे हैं, लेकिन इनका नाम है। उसी तरह से बिहार इनका निशाना है . . . *(व्यवधान)* वसुधैव कुटुम्बकम्, इंसानीयत, भाईचारा और हिन्दू-मुस्लिम-सिख ईसाई आपस में सब भाई-भाई - ये देश के चार स्तम्भ हैं। जब इस तरह का बगीचा होगा, तो आनन्द वाली बगीया होगी। लेकिन इन लोगों का सपना है कि माइनोरिटीज को सैकेंड क्लास सिटीजन रखा जाए, दबाकर रखा जाए और उन पर जोर-जुल्म किया जाए। ये इतिहास को याद कराते हैं कि ऐसा हुआ था, तो वैसा ही कर रहे हैं। इसलिए धार्मिक जुल्म फैलाना हिन्दुस्तान के हित में नहीं है। हम लोग सजग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग ढिलाई कर रहे हैं और इन लोगों को टिकने दे रहे हैं। हम लोग तीसरी ताकत के रूप में जोर लगाए हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इस साम्प्रदायिक सरकार को परास्त किया जाए, नहीं तो हिन्दुस्तान खतरे में रहेगा। इस बात की हम लोगों को चिन्ता है। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। आप सभापति तालिका के सदस्य हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

*[हिन्दी]*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** वह दिन दूर नहीं जब साम्प्रदायिक ताकतें चकनाचूर होंगी और धार्मिक एकरूपता होगी। हिन्दुस्तान में धार्मिक एकता को दबा नहीं सकते हैं, माइनोरिटीज को दबा नहीं सकते हैं और उनको हकों से वंचित नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारा विश्वास है और राजद का धर्म, कर्म व इतिहास वही है।

*[अनुवाद]*

**डा॰ सगुण कुमारी चलामेला** (पेद्दापल्ली) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस चर्चा की अनुमति देने के लिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देती हूं। मैं वरिष्ठ संसद सदस्य श्री आरिफ मौहम्मद खां को इस महत्वपूर्ण ज्वलन्त विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए धन्यवाद देती हूं।

स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद यह बहुत दुखद स्थिति है कि अल्पसंख्यक असुरक्षा की भावना से घिरे हुए हैं। अल्पसंख्यकों का मानना है कि वे इस देश के नागरिकों के रूप में रहने में सक्षम नहीं हैं। संविधान में दिए गए उनके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

यदि हम मुसलमानों और ईसाइयों के विरुद्ध साम्प्रदायिक घटनाओं का राज्यवार ब्यौरे पर गौर करें तो इस वर्ष सर्वाधिक 108 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर जहां पर 67 घटनाएं घटी हैं। गुजरात तीसरे स्थान पर है जहां पर 65 घटनाएं हुई हैं। किंतु यदि हम विगत तीन वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो अन्य सभी राज्यों में साम्प्रदायिक घटनाओं में कमी आई है।

मुसलमानों के विरुद्ध हवा ने जोर 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पकड़ा। ईसाई मिशिनरियां नया निशाना हैं। भारत में लगभग 2 करोड़ ईसाई हैं। वे भारत में पहले कभी भी ऐसे दबाव व भय में नहीं रहे हैं।

देश भर में उन पर हमले हो रहे हैं। इन हमलों में गिरजाघरों में शराब चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास से लेकर पादरियों और गिरजाघरों पर हमले तक शामिल हैं।

23 दिसम्बर, 1998 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक चिकित्सालय व विद्यालय में चार ननों के साथ भयावह सामूहिक बलात्कार ने एक राष्ट्रव्यापी विवाद छेड़ दिया है। जिसके दूरगामी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं। लगभग दो करोड़ शांत ईसाई लोग यकायक उद्वेलित हो रहे हैं। हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है किन्तु लगता है अब तक दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इसी प्रकार, लायोला एजुकेशनल ट्रस्ट के जेसुइट प्रिस्टों द्वारा चलाया जाने वाले शान्तिनिकेतन हाई स्कूल में भी गुण्डों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। यह तो पिछले छह महीनों में देश में घटित चालीस ऐसी घटनाओं का नमूना मात्र है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास शक्तियों का अभाव और ईसाई नेताओं द्वारा सरकार के साथ इन विषयों पर बात करने की उदासीनता के कारण भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि कलंकित हो रही है। सहानुभूति की अपेक्षा करने वाले जरूरतमंद लोग ईसाई ननों में देवदूतों के दर्शन करते हैं जो दूसरों की जरूरतों को अपनी सुख-सुविधाओं से पहले पूरा करती है परन्तु समाज के दुष्ट लोग उन्हें असहाय महिलाओं के रूप में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखते हैं।

कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि बलात्कारियों को मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए। झाबुआ जिले में पर्याप्त सामूहिक बलात्कार की घटना को ऐसी घटना मानकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी के अनुसार अपराधियों को मृत्यु दण्ड देना चाहिए। ऐसी घटनाओं के कारण ही आम आदमी का पुलिस में से विश्वास उठ गया है। कोई भी यह उम्मीद करता है कि किसी भी प्रकार से अपराधियों की रक्षा करने के बजाय पुलिस बल को ही पहल करते हुए बलात्कारियों और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ कर अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। जिससे वे पुलिस लोगों का विश्वास हासिल कर सके। समाज के विरुद्ध होने वाले अपराधों में सबसे निकृष्टतम अपराध महिलाओं पर होने वाले अत्याचार हैं।

अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों के मामलों पर राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक रूप से कारवाई की जानी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों के साथ आसूचना के आदान प्रदान के साथ-साथ उन्हें पुलिस के कार्यों में सुधार के लिए सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

विभिन्न समुदायों के सदस्यों के मध्य दुर्भावना, घृणा और वैमनष्य की भावना को फैलाने वालों के विरुद्ध कारवाई किए जाने की आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करते हुए समय-समय पर मार्गनिर्देशों को जारी किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करना चाहूंगा। राज्य के आठ जिलों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में लागू की गयी है। जिला और मण्डल मुख्यालयों में 104 मैरीज हाल के निर्माण के लिए 8.56 करोड़ रुपयों की राशि दी गयी है। जहां भी अल्पसंख्यकों की जनसंख्या अधिक हो वहां पर उर्दू स्कूलों को पूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। हाल ही में स्थापित किए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए दो सौ एकड़ भूमि प्रदान की गई है।

1990-94 की अवधि के लिए अल्पसंख्यकों के लिए बजट 4 करोड़ रुपए था। 1995-98 की अवधि के लिए इसे बढ़ाकर 53.20 करोड़ कर दिया गया है।

मैं केन्द्र सरकार से देश में साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

---

**सांय 6.16 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) अधिसूचना संख्या 101/98-सीमा शुल्क जो 10 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय नमक के आयोडीनीकरण के लिए प्रयुक्त एक आधान, पोटेशियम आयोडेट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क को मूल्यानुसार 18 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 102/98-सीमा शुल्क जो 10 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय एसिटीलनी ब्लैक के आयात पर कुल दो वर्ष की अवधि के लिए उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर संरक्षण शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल० टी० 1738/98]

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अधिसूचना संख्या 36/98-के॰उ॰शु॰ जो 10 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय एक स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा हॉट-एयर स्टेन्टर स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्त्ता वार्षिक क्षमता अवधारण नियम, 1998 के अनुसार अवधारित हॉट-एयर स्टेन्टर की सहायता से निर्मित या उत्पादित प्रसंस्कृत वस्त्र फैब्रिक्स पर उत्पाद शुल्क की दरें विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 37/98-के॰उ॰शु॰ जो 10 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 2 जून, 1998 के अधिसूचना संख्या 05/98-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना संख्या 41/98-के॰उ॰शु॰ (एनटी) जो 10 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय एक स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा हॉट-एयर स्टेन्टर की सहायता से उत्पादित या निर्मित प्रसंस्कृत वस्त्र फैब्रिक्स को विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) हॉट-एयर स्टेन्टर स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्त्ता वार्षिक क्षमता अवधारण नियम, 1998 जो 10 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 42/98-के॰उ॰शु॰ (एनटी) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौदहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 10 दिसम्बर 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 43/98-के॰उ॰शु॰ (एनटी) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) अधिसूचना संख्या 44/98-के॰उ॰शु॰ (एनटी) जो 10 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या 29/96-के॰उ॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1739/98]

---

**सांय 6.17 बजे**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार पर चर्चा—*जारी*

*[हिन्दी]*

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक्वी) :** सभापति जी, पिछले तीन दिनों से माइनॉरिटीज के इशू पर इस सदन में बहस चल रही है। बहुत खुशी की बात है कि यह सदन काफी गम्भीरता से अल्पसंख्यकों की समस्याओं और खास तौर से उन पर होने वाले अत्याचार के इशू को लेकर गम्भीरता से चर्चा कर रहा है। पिछले वर्षों में इस सदन में इस विषय पर जो चर्चा हुई उनमें अल्पसंख्यकों के खून-खराबे से हत्याओं तक को लेकर उनकी लाशों की गिनती होती रही, लेकिन खुशी की बात है कि इस बार जो चर्चा हो रही है, उसमें अल्पसंख्यकों के खून बहने से लेकर उनकी लाशों की गिनती नहीं हो रही है बल्कि अखबारों में जो नेताओं के बयान आए हैं, उनके आधार पर या जो चीजें कुछ राजनीतिक कारणों से कही गई हैं, उन पर चर्चा हो रही है। खुशी की बात है कि यह परिवर्तन आया है। हमें आज इस बात की चर्चा नहीं करनी पड़ रही है कि हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यकों की लाशों पर सौदे हो रहे हैं या लाशें गिर रही हैं। राम विलास जी चर्चा के समय कह रहे थे कि अल्पसंख्यक विषय पर पूरी बहस होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों के साथ पिछले 40-50 सालों के अन्दर जो सौतेला व्यवहार हुआ, इस बारे में पासवान जी, कांग्रेस और सारे सदन की जो विचारधारा और चिंता थी, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। 50 सालों में अल्पसंख्यकों को दो नम्बर का नागरिक बना कर रखा गया। मैं इस बात से भी अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। 50 सालों में अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, शोषण हुआ। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए, हक के लिए, एक नम्बर का नागरिक मानने के लिए कुछ काम नहीं हुआ। मैं इस बात की चिंता से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि 50 सालों में यह क्यों नहीं हुआ? पचास सालों में अटल जी या अडवाणी जी सत्ता में नहीं थे। पचास सालों में वे लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे जो आज उनके प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पचास सालों से वे लोग शासन कर रहे थे जो आज इनके प्रति चिंता व्यक्त कर रहे थे। हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि निश्चित तौर से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए लेकिन किन लोगों ने उन्हें दबा कर रखा, तुम्हें हिन्दुस्तान में बराबर का हक नहीं है, किन लोगों ने डराकर रखा है कि ये एक नम्बर के नागरिक नहीं हैं, दो नम्बर के नागरिक हैं, किन लोगों ने उनको भयग्रस्त करके रखा है कि उन्हें पूरे पूरे हक नहीं हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज सवाल यह पैदा होता है . . . *(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, इस देश में रहने वाले सभी नागरिक एक नम्बर के नागरिक हैं। समाज में रहने वाला कोई नम्बर दो का नागरिक नहीं हो सकता।

**श्री मुख्तार नक्वी :** सभापति महोदय, दंगे से लेकर सरस्वती वंदना तक, वन्देमातरम् से लेकर बाबरी मस्जिद तक चर्चा का विषय रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यह चर्चा पिछले कई सालों से होती रही है। इस चर्चा के नाम पर हिन्दुस्तान के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को प्रगति की मुख्यधारा से अलग रखा गया है। उनको नॉन-इश्यूज को ईश्यूज बनाकर उलझाकर रखा गया, शिक्षा और रोजगार से दूर रखा गया। उनके लिए कभी ऐसी कोशिश नहीं की गई कि वे रोजगार पा सकें। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ राजनैतिक कारण रहे होंगे। उन लोगों का राजनैतिक शोषण करने के लिए उन्हें अशिक्षित और कमजोर रखा गया। इसमें कोई शक नहीं कि उनका राजनैतिक शोषण करने के लिए उन्हें भयग्रस्त बनाकर रखा। इस प्रकार का खौफ पैदा करने के लिए सामने कोई न कोई व्यक्ति या कोई राजनैतिक पार्टी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खलनायक बनाकर हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों के सामने रखा और कहा कि यदि भाजपा आयेगी तो वे हिन्दुस्तान में दो नम्बर के नागरिक बनकर रह जायेंगे। अगर इनकी सरकार

आ गई तो आपको हिन्दुस्तान से बाहर निकाल देंगे और आपके पूरे हक छीन लिये जायेंगे। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि गत 8 महीने से जब से बीजेपी की सरकार आई है, अल्पसंख्यकों का विश्वास बढ़ा है।

सभापति महोदय, यहां पोखरण की बहुत चर्चा की गई है। पोखरण टैस्ट करने वाले श्री अबुल कलाम की चर्चा भी की गई। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 50 सालों में हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तस्वीर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम की बनाकर रखी गई थी जिसे पिछले 8 महीनों में भाजपा सरकार ने अबुल कलाम की तस्वीर बनाकर पेश की। हिन्दुस्तान के मुसलमान हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे क्रिमिनल्स नहीं, अबुल कलाम जैसे वैज्ञानिक हैं। यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में जो स्थिति है, वह सिर्फ अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के नाम पर नहीं बांटी जा सकती। हमें उसे गरीबी, आर्थिक और सामाजिक दायरे में देखना होगा कि हम किन कारणों से मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा और रोजगार का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर यह सदन चर्चा करे। मेरा मानना है कि बाबरी मस्जिद से लेकर सरस्वती वंदना तक हिन्दुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने के बजाय उनको सही रास्ता बतलाया जाये और उनका जो हक है, वह मिलना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि हम यह कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। वे हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और मुल्क के लिए उतने ही वफादार और राष्ट्रभक्त हैं जितने और लोग हैं। उनकी वफादारी पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। हम और भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है।

*[अनुवाद]*

**प्रो॰ ए.के. प्रेमाजम** (बडागरा) : क्या आप इस बात से सहमत है कि मुस्लिम समुदाय पर सरस्वती वन्दना और वन्दे मातरम् लादी जानी चाहिए?

*[हिन्दी]*

**श्री मुख्तार नकवी :** मुझे इस बात का फक्र है कि मैं मुसलमान हूं लेकिन उससे ज्यादा इस बात का गर्व है कि मैं भारतीय मुसलमान हूं।

लेकिन किसी व्यक्ति का, किसी मजहब का अगर सरस्वती वन्दना कहने से ईमान टूट जाए तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा* . . . नहीं है। . . . *(व्यवधान)*

जिस गीत को गाकर हिन्दू और मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सारे के सारे कौम के, मजहब के लोगों ने एकजुट होकर हिन्दुस्तान को आजाद कराया और अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से बाहर निकाला, जो गीत . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचन्द पाल** (हुगली) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य है, क्या आप जानते हैं आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**सभापति महोदय :** आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** महोदय, जो कुछ भी यहां पर कहा जा रहा है, सही नहीं है।

**सभापति महोदय :** आप इस बात को छोड़ो। मुझे यह बताइए कि आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

**श्री रूपचन्द पाल :** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गलत वक्तव्यों, झूठे वक्तव्यों और मनगढ़न्त वक्तव्यों के द्वारा सभा को गुमराह नहीं किया जा सकता है।

*[हिन्दी]*

उन्होंने जो बात कही कि सरस्वती वन्दना जो नहीं कर पाएंगे, वह ईमानदार नहीं है।

*[अनुवाद]*

यह अत्यंत आपत्तिजनक है? ऐसा कैसे हो सकता है? या तो इसे वापस लिया जाए या इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में से निकाल दिया जाए . . . *(व्यवधान)* भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है . . . *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले :** सरस्वती वन्दना को कंपलसरी नहीं किया जा सकता है। वन्दे मातरम् ठीक है, लेकिन सरस्वती वन्दना को कंपलसरी नहीं करना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) :** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) :** कहने की कोई लिमिट होती है, हद होती है। यहां सरेआम और खुले तौर पर . . . कहा जाना गलत है। इसको रेकार्ड से ऐक्सपंज किया जाए।

**شری جی ایم بنات والا (پونانی):** کہنے کی کوئی لمٹ ہوتی، حد ہوتی ہے۔ یہاں سرعام اور کھلے طور پر ... (کاروائی سے نکال دیا گیا ہے) کہا جانا غلط ہے۔ اسکو ریکارڈ سے نکال دیا جائے

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** श्री बनातवाला, वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज :** महोदय, नियम 376 के अधीन मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। महोदय सरस्वती वन्दना और वन्दे मातरम धार्मिक परिस्थितियां हो सकती हैं जहां मुस्लिम कभी भी बायकाट नहीं करेंगे परन्तु शर्त यह है कि बाध्यता के रूप में राज्य निर्देश जारी न करें। मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख कर रहा हूं। मैं पूरा नहीं पढूंगा। इसमें लिखा है :

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[प्रो॰ सैफुद्दीन सोज]

"लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अन्त:करण की स्वतंत्रता का धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

अब अनुच्छेद 28 में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है :

"राज्य-निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

मैं अन्य अनुच्छेदों को नहीं पढ़ूंगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में न तो संस्कृत अनिवार्य की जा सकती है और न ही *सरस्वती वन्दना* या *वन्दे मातरम* को ही अनिवार्य बनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी प्रासंगिक है। इस वक्तव्य में क्या आपत्तिजनक है?

अपने मंत्री होने के उत्साह में वह कहते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं "कोई व्यक्ति जो वन्दे मातरम के गायन को गलत मानता है वह एक . . ."

[illegible]िए। मैं यह आपके ऊपर छोड़ता हूं। उन्होंने [illegible] है। . . . (*व्यवधान*)

**श्री सी. पी. राधाकृष्णन** (कोयम्बटूर) : उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें गलत क्या है? . . . (*व्यवधान*)

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज** : उन्हें उस शब्द को वापस लेना चाहिए। हम उन्हें माफी मांगने का एक अवसर देते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री मुख्तार नक्वी** : सभापति महोदय, मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि मैं सोज साहब को समझा नहीं पाया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी गीत को गाने से किसी का ईमान डगमगा जाए . . .(*व्यवधान*)

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज** : वह वन्देमातरम् की बात थी। . . (*व्यवधान*)

**پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولا)** : وہ وندے ماترم کی بات تھی۔

**श्री मुख्तार नक्वी** : चलिये वंदेमातरम् ही मान लीजिए। किसी गीत को गाने से अगर किसी का ईमान डगमगा जाए तो मुझे लगता है कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। . . . (*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : श्री नक्वी कुछ कह रहे हैं। आप कृपया उनकी बात सुनिए।

(*व्यवधान*)

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज** : उन्हें उस शब्द को वापस लेना होगा . . (*व्यवधान*)

**सभापति महोदय** : कृपया मेरी बात सुनें।

(*व्यवधान*)

*[हिन्दी]*

**श्री जी.एम. बनातवाला** : अब हमें ईमान सिखायेंगे . . . (*व्यवधान*) हद करते हैं गुफ्तगू की कोई अदब होती है, उस अदब में रहकर बात करें। . . .(*व्यवधान*)

**شری جی ایم بنات والا (پوننانی)** : اب ...(کارروائی سے نکال دیا گیا ہے) ہمیں ایمان سکھائیں گے...(مداخلت) حد کرتے ہیں گفتگو کی کوئی ادب ہوتی ہے، اس ادب میں رہ کے بات کریں...(مداخلت)

*[हिन्दी]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना)** : सभापति जी, इनकी ओर से किस तरह से जहर में सुई डालकर यहां भाषण दिये गये, वह कुछ नहीं था. . .(*व्यवधान*) पिछले दो दिनों में किस तरह से जहरीले भाषण यहां दिये गये. . .(*व्यवधान*) किस तरह से हमें कहा गया, हम सब आपकी बातें सुनते रहे. . .(*व्यवधान*)

**श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया** (जुनागढ़) : सभापति जी, . . . कहा गया है . . . (*व्यवधान*)

**सभापति महोदय** : कृपया मेरी बात सुनें।

(*व्यवधान*)

**श्री विजयशंकर** (मैसूर) : सभापति महोदय, सदन के एक सम्मानित सदस्य को . . . कहा गया है, वह एक सीनियर मैम्बर है . . . (*व्यवधान*)

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि) : इनके कहने का मतलब यह है कि इस तरफ के लोग . . . है और इस तरफ के लोग ईमानदार हैं . . . (*व्यवधान*)

**श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया** : सभापति जी, इसको रिकार्ड से निकाल देना चाहिए . . . (*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचन्द पाल** : ऐसा नहीं चल सकता है। उन्हें उस शब्द को वापस लेना चाहिए।

**सभापति महोदय** : मैं कार्यवाही-वृत्तान्त का अवलोकन करूंगा।

(*व्यवधान*)

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज** : यह इतना आसान नहीं है . . .(*व्यवधान*)

**श्री रूपचन्द पाल** : उन्हें इसे वापस लेना चाहिए. . .(*व्यवधान*)

**सभापति महोदय** : यदि कुछ आपत्तिजनक बात हुई है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

(*व्यवधान*)

**श्री सी.पी. राधाकृष्णन** : इसमें आपत्तिजनक क्या है? उन्हें हर बात आपत्तिजनक लगती है। कुछ भी राष्ट्रीय बात उन्हें आपत्तिजनक लगती है कोई भी राष्ट्र प्रेम की बात उन्हें आपत्तिजनक लगती है . . . (*व्यवधान*)

*[हिन्दी]*

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) :** सभापति महोदय, ये जो भी कहते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन हमें . . . कहा गया है . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** मैंने प्रो॰ कुरियन का नाम पुकारा है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री विजयशंकर :** सभापति महोदय, एक सीनियर मैम्बर होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :** महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह विवाद अनावश्यक है। श्री नकवी माननीय मंत्री है। ऐसा हो सकता है कि और भी भड़काने वाले भाषण हुए हों। परन्तु जब माननीय मंत्री बोलते हैं तो उन्हें संयम का परिचय देना चाहिए। मैं श्री नकवी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं . . . *(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करनी दीजिए।

**श्री सी.पी. राधाकृष्णन :** उन्होंने जो कहा उसमें आपत्तिजनक क्या है। क्या मंत्री होने के कारण वे अपने मनोदगारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं? . *(व्यवधान)*

**प्रो॰ पी.जे. कुरियन :** आप कृपया मेरी पूरी बात सुनिए और फिर आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। मैं उन्हें केवल यह याद दिला रहा हूं कि माननीय मंत्री ने स्वयं अपनी बात को स्पष्ट किया है। माननीय गृहमंत्री ने स्वयं कहा था कि सरस्वती वन्दना या वन्दे मातरम् के गायन को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने स्वयं कहा है कि . . *(व्यवधान)*

**श्री सी.पी. राधाकृष्णन :** श्री नकवी ने कहा है कि यह अनिवार्य है। . . *(व्यवधान)*

**प्रो॰ पी.जे. कुरियन :** माननीय गृहमंत्री ने स्वयं कहा था कि सरकार इसे अनिवार्य बनाना नहीं चाहती है। तब फिर सरकार के मंत्री अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को क्यों ला रहे है और इस पर टिप्पणी कर रहे हैं? . . . *(व्यवधान)* मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। . . . *(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया थोड़ा और धैर्य रखिए। . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** आपको धैर्य नहीं है। श्री नकवी आप अपनी बात कहिए।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** मैं कार्यवाही-वृत्तान्त का अध्ययन करूंगा कि दोनों पक्षों ने क्या बोला है। यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दूंगा।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया इसे विवाद का विषय मत बनाइए। यदि कुछ आपत्तिजनक है तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में से हटा दूंगा।

*(व्यवधान)*

**प्रो॰ पी. जे. कुरियन :** कृपया कोई भी इन शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। महोदय, वे कोई भी नहीं है। वे एक मंत्री हैं . . . *(व्यवधान)* वे अनावश्यक ही विवाद को जन्म दे रहे हैं . *(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** महोदय, मंत्री महोदय ने संविधान के नाम पर शपथ ली है। जो कुछ वे कह रहे हैं वह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। वे इस तरह नहीं बोल सकते . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाएं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मुख्तार नक्वी :** अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरा कहना इतना ही है कि सरस्वती वंदना और वंदे मातरम के ऊपर बोलने के लिए उन्होंने मुझसे रिक्वैस्ट की और कहा कि इसके बारे में बोलिए और मेरे विचार जानने चाहे, तो मैंने कहा कि इसको पूरी तरह से कंपलसरी किया जाए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**प्रो॰ पी. जे. कुरियन :** क्या यह आपकी सरकार का दृष्टिकोण है? कृपया इस बात को ध्यान में रखिए कि आप इस समय मंत्री हैं . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया उनकी पूरी बात सुनिए।

*(व्यवधान)*

**प्रो॰ पी.जे. कुरियन :** हम जानना चाहते हैं क्या यह सरकार का दृष्टिकोण है . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** जब मंत्री महोदय बोल रहे हैं। आप परेशान क्यों है? कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज :** यह कहा गया है कि जो सरस्वती वंदना और बंदे मातरम को नहीं मानता है वह . . . है - यह आब्जैक्शनेबल है। . . . *(व्यवधान)*

**پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولا) :** یہ کہا گیا ہے کہ جو سرسوتی وندنا اور وندے ماترم کو نہیں مانتا ہے وہ ...(کاروائی سے نکال دیا گیا ہے) ہے - یہ آبجکشنیبل ہے ...(مداخلت)

**श्री मधुकर सरपोतदार (उत्तर पश्चिम मुम्बई) :** महोदय, इससे पहले कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें, मुझे एक साधारण प्रश्न पूछने दीजिए . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री सरपोतदार, कृपया पहले उन्हें स्पष्ट करने दीजिए।

*(व्यवधान)*

**श्री मधुकर सरपोतदार :** वह उसी तरह से उत्तर दे रहे हैं जिस तरह से उनसे प्रश्न पूछा गया है। यह उनका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है . . . *(व्यवधान)* मैं केवल एक मिनट लूंगा।

**सभापति महोदय :** श्री सरपोतदार, कृपया कुछ समय के लिए रुकिए। वह इसे स्पष्ट कर रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है . . उन्हें वह शब्द वापस लेने दीजिए . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री रामदास आठवले, आप बार-बार अनावश्यक रूप से व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। वह इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

*(व्यवधान)*

...पोतदार : मैं एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और साधारण स्पष्टीकरण दे रहा हूं। वह अपना बयान दे रहे थे। इस बीच उन्हें टोक दिया गया। इस सभा की एक सम्माननीय महिला सदस्य ने व्यक्तिगत तौर पर उनसे एक विशेष प्रश्न पूछा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, न कि मंत्री के रूप में इसका जवाब दिया। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** वह सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। कृपया इन्तजार कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** पहले उन्हें वह शब्द वापस लेने दीजिए . . . *(व्यवधान)*

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज :** उन्हें वह शब्द वापस ले लेना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** मैं केवल एक मिनट लूंगा। कृपया मेरी बात सुनिए। दोनों पक्षों ने उस शब्द का इस्तेमाल किया है और इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** उन्हें शब्द वापस लेना चाहिए। उन्होंने संविधान के नाम पर शपथ ली है। वह संविधान के अभिप्राय के विरुद्ध बोल रहे हैं। इसलिए उन्हें इसे वापस ले लेना चाहिए *(व्यवधान)* अन्यथा, इससे देश को बहुत गलत संकेत मिलेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री मुख्तार नकवी :** शिक्षा और रोजगार के सवाल पर . . . *(व्यवधान)* मैं शिक्षा और रोजगार के विषय पर बात कर रहा था। आज पूरे देश में अल्पसंख्यकों में शिक्षा और रोजगार के सवाल को लेकर चिंता है। मैं यही बात करने जा रहा था। आज निश्चित तौर से पूरे देश में गरीबी और बेकारी है। इससे भी अल्पसंख्यकों में परेशानी है और वह परेशानी दूर होनी चाहिए, वह खत्म होनी चाहिए। ऐसा सभी लोग चाहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। पूरे सदन को इस बात पर चिंता है . . . *(व्यवधान)* लेकिन सवाल यह है कि आज जब सही सवाल उठाया जाता है तो इस तरह से कुछ लोग बीच में अन्य विषय उठा देते हैं। यह विषय हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों को भी कटोच रहा है। जब हम इस विषय को उठाते हैं और उठाना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का अल्पसंख्यक अपनी मुख्य समस्याओं से जुड़े, तो कुछ इस प्रकार के विषय बीच में डाल दिये जाते हैं। कभी बाबरी मस्जिद और कभी सरस्वती वंदना। हमने इसे नहीं उठाया है। ऐसे लोग उठाते हैं।

ऐसा लोग सोचते थे कि इस सरकार के आने के बाद दंगे होंगे, फसाद होंगे। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। पिछले दस सालों में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उसके आंकड़े मेरे पास हैं। पिछले दस सालों में एक हजार से दो हजार के बीच में दंगे हुए हैं जबकि पिछले आठ महीने में 162 हत्याओं के रिकार्ड सामने हैं। इसके अलावा जो साम्प्रदायिक घटनायें हुई हैं, वे एक हजार से पन्द्रह सौ प्रति वर्ष औसतन हुई है जबकि इस बार छिटपुट घटनायें मिलाकर 500 हुई है। जो लोग साम्प्रदायिकता के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, प्रगतिशीलता के नाम पर देश में सम्प्रदायों को बांटते हैं, जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटते हैं, समाज को बांटते हैं, उन्हें निश्चित रूप से चिन्ता हुई है कि इस मुल्क में खून खराबा क्यों नहीं हुआ। उन्हें चिंता है कि इस मुल्क में हिन्दू और मुसलमानों में नफरत क्यों नहीं बढ़ी। उन्हें निश्चित तौर से चिंता है कि जो वोट बैंक हम आज तक लोगों को बांटकर हासिल करते रहे हैं, वह बांटने का काम अब बंद हुआ है। उन्हें निश्चित रूप से चिंता है कि जिन दुकानों के माध्यम से इस मुल्क के अंदर, बड़े तबके के अंदर जो नफरत फैलाते रहे हैं, वह नफरत फैलाना अब बंद हो रहा है।

वह चिन्ता का विषय है और मैं जानता हूं कि वह चिन्ता का विषय उनको तब तक होगा जब तक हम लोग सत्ता में रहेंगे, उनको तब तक इस बात की चिन्ता रहेगी कि इस मुल्क में नफरत क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया बस कीजिए, श्री नकवी।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री महोदय, अन्य अनेक सदस्यों ने बोलना है।

*[हिन्दी]*

**श्री मुख्तार नकवी :** अभी कला के विषय पर कुछ सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान कलाकारों का देश है। हिन्दुस्तान में कला और संस्कृति में मुसलमानों का बहुत योगदान रहा है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हर क्षेत्र में हिन्दुस्तान के मुसलमानों का योगदान रहा है।

मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मुम्बई में फिल्म उद्योग है जिसमें दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े हीरो हैं, मीना कुमारी जी बहुत बड़ी ऐक्ट्रैस थी। शिव सेना और बी.जे.पी. को जो तथाकथित साम्प्रदायिक कहा जाता है, उसका उरूज हुए दस-पन्द्रह साल हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं हुए। दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला

जो, तमाम और लोग भी थे, दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान है, मीना कुमारी का नाम मेहरून्निसा है, इसी तरह से मधुबाला भी मुसलमान थी। जो सैकुलर सरकार थी, आज हमारी जो सो-कॉल्ड कम्युनल सरकार है, उससे पहले जिन लोगों की सैकुलर सरकार थी, उसमें यूसूफ खान को दिलीप कुमार बनकर काम करना पड़ता था। उन सैकुलर सरकारों में मेहरून्निसा को मीना कुमारी बनकर काम करना पड़ता था और जब से शिव सेना और बी.जे.पी. की सरकार आई है, शाहरुख खान से लेकर नमाम ऐक्टर, ऐक्ट्रैसेस को . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया बैठ जाइए। आप हर बात को आपत्तिजनक बना देते हैं। इसमें आपत्तिजनक क्या है?

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलबेरिया) : यह आपके समझने का स्तर है . *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मुख्तार नकवी :** मैं केवल वही जवाब दे रहा हूं जो सवाल उठाए गए हैं। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री महोदय, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री मुख्तार नकवी :** जब अल्पसंख्यकों के नाम पर उत्पीड़न की बात होती है, जब अल्पसंख्यकों के नाम पर जुल्म की बात होती है तो निश्चित तौर से हिन्दुस्तान का सर ही शर्म से नहीं झुकता बल्कि पूरे मुल्क में इस सवाल को लेकर चिन्ता होती है। जब कभी जुलूस निकाले जाते हैं कि हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है, जब कभी जुलूस निकाले जाते हैं कि हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो रही हैं तो पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में इस बात के सवाल उठते हैं। निश्चित तौर से इसे किसी पार्टी के साथ जोड़कर जो लोग भी यह काम करते हैं, वें पूरे मुल्क के लोगों पर सवालिया निशान लगाते हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के सवालात को जब भी कभी उठाया जाए या कहा जाए, तो उसे निश्चित तौर से किसी पार्टी के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। जहां तक अल्पसंख्यकों के हितों के सिलसिले में जो सवाल किए गए हैं, . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** श्री ओवेसी, मैं आपको अवसर दूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री मुख्तार नकवी :** अल्पसंख्यकों के मुफाद के सिलसिले में जो काम किए गए हैं, उनमें शैक्षणिक रूप से पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए 'एरिया इनटेंसिव प्रोग्राम। पहले 10.99 करोड़ रुपये थे, हमारी सरकार ने उसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि की और 1300 करोड़ रुपये किए। माईनौरिटीज ऐजूकेशन फार मदरसाज में पहले 1.73 करोड़ रुपये थे जिसे हमारी सरकार ने 6.90 करोड़ रुपये किए। इससे पूरे मुल्क के मदरसों की मदद होगी। अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग क्लासिस स्कीम इससे पहले 70 लाख रुपये थे, हमने उसे बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिए। इसमें आय सीमा पहले 24,000 रुपये सालाना थी, 24,000 रुपये सालाना जिसकी हैसियत थी, उसको ही यह सुविधा मिल सकती थी। हमने उसको 24000 रुपये सालाना से 44,500 रुपए सालाना कर दिया है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री महोदय, कृपया समाप्त कीजिए। बजट दस्तावेजों में इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। सभी इस बारे में जानते हैं।

**श्री सी. पी. राधाकृष्णन :** माननीय सभापति महोदय, सभी को यह बात समझनी चाहिए। यह हमारा विनम्र अनुरोध है।

*[हिन्दी]*

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों के बजट के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है, हम पहली बार सुन रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

**श्री मुख्तार नकवी :** मेरा मानना है कि अल्पसंख्यकों को सैकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के नाम पर बहकाना नहीं चाहिए, अल्पसंख्यकों में सैकुलनिज्म और कम्युनलिज्म के नाम पर हीन भावना नहीं भरनी चाहिए। सैकुलरिज्म का मतलब है कि हिन्दुस्तान का जो आदमी मजार पर चला जाये, कोई आदमी मजार पर जाता है तो मैं बहुत खुश होता हूं कि मजार पर आया, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मेरे यहां कोई आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहां तक कि मस्जिद में भी जो हिन्दू आता है तो हम उसको सैकुलर कहते हैं, उसको हम सैकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देते हैं। अगर कोई मुसलमान गलती से किसी मंदिर में चला गया तो उस पर कुफ्र के फतवे होते हैं। सैकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की यह परिभाषा भी बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर सैकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की परिभाषा कुछ लोग बैठकर अपने हाथ से बनाकर इस मुल्क में एक अलग ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, जिससे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हों तो मुझे लगता है कि यह बिल्कुल गलत होगा, यह मेरा मानना है। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री जी, आपने काफी समय ले लिया है। अब कृपया समाप्त कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री मुख्तार नकवी :** मैं सदन की इस चिन्ता से पूरी तरह से सहमति व्यक्त करता हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरे के पूरे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज को, क्योंकि जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो काफी लम्बी लिस्ट दी गई कि क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं तो कहीं न कहीं हिन्दू भी अल्पसंख्यक हैं। कश्मीर में हिन्दुस्तान का हिन्दु अल्पसंख्यक हैं, उसकी बात भी सोच लेनी चाहिए, तब पूरे हिन्दुस्तान के मुसलमानों में, हिन्दुस्तान के हिन्दुओं में हम यह मैसेज दे सकते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के प्रति चिन्तित हैं और हम अल्पसंख्यकों और

[श्री मुख्तार नकवी]

बहुसंख्यकों के नाम पर कम्युनलिज्म तभी खत्म कर सकते हैं, जब हमारी सोच में एक बात साफ होगी कि हम इसको वोट के लिए नहीं कर रहे, अल्पसंख्यकों के हित की बात वोट की खातिर नहीं कर रहे। हम बहुसंख्यकों की बात वोट की खातिर नहीं कर रहे हैं, हम इस बात को ईमानदारी से अगर पेश करेंगे कि हम जो भी कह रहे हैं, वह निश्चित तौर से एकता के लिए कर रहे हैं, हम जो भी कह रहे हैं, लोगों में प्यार बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, हम जो भी कह रहे हैं, राष्ट्रवाद स्थापित करने के लिए कह रहे हैं, हम जो भी कह रहे हैं, लोगों में एक ऐसी भावना पैदा हो कि लोग गर्व से कह सकें कि वे इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में ख्वाजा साहब की मजार है, जिस देश में अबुल कलाम जैसा साइंटिस्ट पैदा हुआ है, जिस देश में अशफाकउल्ला खां पैदा हुए हैं, जिस देश में शिवाजी पैदा हुए हैं, जिस देश में हिन्दुस्तान में तमाम गांधी जैसे लोग पैदा हुए हैं। जब यह भावना पैदा होगी तो निश्चित रूप से साम्प्रदायिकता और सैकुलरिज्म की बात अपने आप खत्म होगी और एक भाईचारे और राष्ट्रवाद की बात स्थापित होगी। जयहिन्द। वन्देमातरम्।

[illegible]ल्लाह : यहां डिस्कशन चल रहा है, यहां होम मिनिस्टर

[illegible] लाल **खुराना** : होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की 6.30 बजे मीटिंग थी, वहां चले गये। यहां मैं बैठा हूं।

**श्री हन्नान मोल्लाह** : इस बहस को बन्द कर दो।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब कृषि राज्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे। श्री सोमपाल।

---

**सायं 6.55 बजे**

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

### रबी मौसम, 1998-99 के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार के लिए की गई पहल

*[अनुवाद]*

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल)** : माननीय सभापति महोदय, कुछ समय से माननीय संसद सदस्य मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करते रहे हैं . . . *(व्यवधान)*

**श्री मनोरंजन भक्त** (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : माननीय सभापति महोदय, हमें जानना चाहिए कि वह क्या वक्तव्य देने जा रहे हैं। हमें प्रतियां परिचालित नहीं की गई हैं। . . . *(व्यवधान)*

**श्री सोमपाल** : महोदय, प्रतियां बाद में उपलब्ध करवाई जाएगी। . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया पहले वक्तव्य सुनिए। प्रतियां यहां उपलब्ध हैं। वह थोड़ी देर में आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी।

**श्री सोमपाल** : महोदय, संसद सदस्य फसलों की बुवाई के समय आरम्भिक खुराक के रूप में प्रयोग के लिये मुख्य रूप से आवश्यक डाई आमोनियम फास्फेट (डी ए पी) की उपलब्धता से संबंधित मसले पर समय-समय पर मेरे साथ व्यक्तिगतरूप से चर्चा करते हैं और कुछ तो इसे सदन में भी उठाते रहे हैं। महोदय, मै स्वयं किसान हूं इसलिय मैं इस बात का पूर्ण रूप से महत्व समझ सकता हूं कि इस उर्वरक की प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से गंभीर चिंता हो सकती है। इसी वजह से मै यूरिया (जो एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है) के अलावा, डी ए पी तथा अन्य नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की उपलब्धता संबंधी स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। साथ-साथ मै सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल के लिए विवरण देना चाहूंगा जिससे स्थिति में और सुधार होने मे मदद मिलेगी।

पहले मैं नियंत्रित उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। महोदय, यूरिया नियंत्रित उर्वरक है। देश में इसकी उपलब्धता पर्याप्त है। 110.0 लाख मी० टन मूल्यांकित मांग की तुलना में 126.0 लाख मी० टन की अनुमानित उपलब्धता है जिससे इसकी उपलब्धता के बारे में कोई आशकायें नहीं होनी चाहिये।

डी ए पी तथा एम ओ पी सहित सभी अन्य उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं। इनकी उपलब्धता, मांग तथा पूर्ति, बाजार शक्तियों पर निर्भर है जो भारत सरकार की रियायत योजना के मापदण्डों के भीतर प्रचलित रहती है। खरीफ 1998 के दौरान किसी राज्य द्वारा डी ए पी की कमी नहीं बतायी गयी। इस मौसम के दौरान कुछ भाग ए से थे जिनमें एम ओ पी की कमी हुई। चूंकि, एम ओ पी पूर्णत: आयात किया जाता है, इसलिए कमी आयात के निम्नस्तर के कारण हुई। परन्तु तभी से एम ओ पी की उपलब्धता में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है रबी मौसम के लिये, लगभग 17 लाख मी टन एम ओ पी का आयात पहुंचने वाला है। अभी तक 7 लाख टन एम ओ पी आ चुका है और शेष आ रहा है। इस प्रकार इसकी उपलब्धता के बारे में इस मौसम में चिन्ता का कोई कारण नहीं है।

जहां तक डी ए पी का संबंध है, राज्यों ने चालू रबी मौसम के लिये 31 लाख मी. टन की मांग का अनुमान लगाया था। उसकी तुलना में इस मौसम के दौरान समग्र उपलब्धता 35 लाख टन होगी। इस प्रकार समग्र आधार पर, देश में यह उपलब्धता पर्याप्त होगी। तथापि, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाण राज्यों से कमी मुख्य रूप से निम्न कारणों से बताई गई थी और बताई जा रही हैं :

(क) अक्टुबर-नवम्बर माह के दौरान लगभग 8 लाख मी. टन का आयात की बंचिंग हो गई है। परिमाणत: डी ए पी को राज्यों में पहले ही नहीं भेजा जा सकता। इसके अतिरिक्त 5 लाख टन, दो बंदरगाहों अर्थात जे एन पी टी तथा विजाग पर लाया गया है। इसके परिणामस्वरूप इन बंदरगाहों से इसके संचलन में विलम्ब हुआ है। विशेषत: विजाग बन्दरगाह पर समस्या तुफान की वजह से और ज्यादा गंभीर हो गई, जिससे लगभग 20 से अधिक दिनों के लिये रेकों का संचलन प्रभावित हुआ है।

(ख) डी ए पी के लिये मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। तारीख 23.11.98 की स्थिति के अनुसार गेंहू बोये जाने वाले क्षेत्र में गत वर्ष के 3.0 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में 4.5 मिलियन हेक्टेयर वृद्धि हुई है। क्षेत्र में यह वृद्धि अक्टूबर माह के दौरान हुई बेमौसमी बरसात के कारण हुई है।

इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की। इन दोनों बन्दरगाहों पर डी ए पी जहाजों के प्रथमिकता के आधार पर बर्थिंग के आदेश दिये। इसके साथ-साथ सरकार ने संयंत्रों और बंदरगाहों दोनों से प्राथमिकता के आधार पर रेल द्वारा डी ए पी की पंजाब, हरियाणा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में उनकी मागों के प्राथमिकता के क्रम में ढुलाई के लिये आदेश दिये। मुझे, सदस्यों को बताते हुए प्रसन्नता है कि 1.50 लाख मी टन डी ए पी की सम्पूर्ण स्टाक को जे एन पी टी बन्दरगाह से निकासी कर दी गई है। तेजी से निपटान के फलस्वरूप पंजाब और हरियाणा राज्यों में स्थानीयकृत कमियों का निराकरण कर दिया गया है। विजाग बन्दरगाह पर इसी प्रकार की कार्यवाही के लिये योजना बनाई गायी थी किन्तु तुफान की वजह से कार्य में बाधा आ गई। इस बन्दरगाह पर आयातित डी ए पी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिये है। इस बन्दरगाह से उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर 1.30 लाख टन डी ए पी भेजने के लिए अब प्रयास किये जा रहे हैं। 8.12.98 तक 0.96 लाख मी. टन के लिये पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

**रात्रि 7.00 बजे**

महोदय, मैं जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि अब तक 1998-99 के दौरान देश में डी ए पी का उत्पादन लगभग 26.63 लाख मी० टन रहा है जो गत वर्ष की समकालीन अवधि के उत्पादन से अधिक है। वर्ष 1998 के दौरान लगभग 17 लाख मी० टन डी ए पी का आयात भी गत वर्ष की तुलना में 2 लाख मी० टन अधिक है। ये जहाजों के बंचिंग और रबी मौसम के दौरान गेहूं के क्षेत्र में वृद्धि के कारण हैं जिनकी वजह से मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस स्थिति से निपटने के लिए, इंडियन पोटाश लि० के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर जार्डन से 55,000 मी० टन डी ए पी की विशेष संविदा की गई है। 25,000 मी० टन की पहली खेप अगले सप्ताह तक पहुंच जाएगी। इस खेप से प्राप्त अधिकांश डी ए पी को उत्तर प्रदेश और राजस्थान भेजा जाएगा।

---

*[अनुवाद]*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : महोदय, अब सभा स्थगित होने दीजिए। एक घंटा ठीक है, लेकिन अब हम और अधिक नहीं बैठ सकते हैं . . .*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : इस विषय पर बोलने के लिए अभी अनेक सदस्य रहते हैं। अनेक अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जानी है।

*(व्यवधान)*

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : महोदय, सभा का समय एक घंटा बढ़ा दीजिए . . .*(व्यवधान)*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : महोदय, जी नहीं। हम पहले ही समय एक घंटा बढ़ा चुके हैं।

**सभापति महोदय** : मैं सभी सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वह मुझे सहयोग दें और सभा का समय और एक घंटा बढ़ने दें। . . .*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना** : जो मेरी स्पीकर साहब से बात हुई थी, वह यह थी कि आज इस डिबेट को खत्म कर देगें क्योंकि कल आडवाणी जी जवाब देंगे . . . *(व्यवधान)*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : कैसे डिबेट खत्म होगी? . . . *(व्यवधान)*

**श्री मदन लाल खुराना** : छः घंटे हो गए हैं। इसके ऊपर कल तीन घंटे डिबेट हुई थी और आज तीन घंटे हुई है . . . *(व्यवधान)* मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट का बिजनेस भी निकालना है। जो तय होता है, वह चार-चार घंटे तय होता है लेकिन यहां पर आठ-आठ घंटे बहस होती है।

*[अनुवाद]*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : यह कैसे सम्भव है?

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना** : फिर यह तय कीजिए कि बाकी इश्यूज छोड़ दीजिए। . . . *(व्यवधान)*

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : कैसे खत्म कर लेंगे? *(व्यवधान)*

**प्रो0 सैफुद्दीन सोज** : मंडे जल्दी खत्म कर लेंगे।

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : यह तो मेम्बर्स पर एट्रोसिटीज है।

**श्री मदन लाल खुराना** : चार घंटे तय हुए थे। तीन घंटे कल और तीन घंटे आज बहस हो चुकी है। अभी तक सात घंटे हो चुके है। . . . *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : महोदय, यह उपयुक्त नहीं है। यह गलत बात है . . . *(व्यवधान)* निर्णय यह लिया गया था कि सभा का समय केवल एक घंटे के लिए बढ़ाया जाएगा . . . *(व्यवधान)* *[हिन्दी]* एक-एक, दो-दो मिनट के लिए क्या हाउस एक्सटेंड करेंगे? . . . *(व्यवधान)*

**रात्रि 7.03 बजे**

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

**श्री मधुकर सरपोतकर** : यह बहुत अनुपयुक्त है, महोदय . . . *(व्यवधान)* रोज सभा का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाता है. . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको सहयोग देना होगा, अन्यथा हम सभा का कार्य नहीं कर सकते।

*(व्यवधान)*

**श्री मधुकर सरपोतकर** : लेकिन महोदय, यह इस तरह से नहीं किया जा सकता. . .*(व्यवधान)* उन्हें इसे परिचालित करना चाहिए। यही परम्परा है. . . *(व्यवधान)*

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग बोलना चाहते हैं, उन्हे आज बोलने की अनुमति दी जाए . . . *(व्यवधान)*

**श्री मधुकर सरपोतकर :** हम रोज़ाना इस प्रकार देर तक नहीं बैठ सकते। हम सुबह से यहां बैठे हैं। हम यहां कोई बधुंआ मजदूर नहीं हैं। किसी को भी इस मांग पर विचार नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। अब यह सभा कोई कार्य नहीं करेगी। तीन दिन से ऐसा चल रहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सांगतम के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**श्री मधुकर सरपोत्दार :** महोदय, अब क्या निर्णय लिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** सभा का समय एक घंटा और बढ़ा दिया गया है।

**श्री मधुकर सरपोत्दार :** महोदय, फिर हम एक दूसरा विषय संसद सदस्यों पर अत्याचार चर्चा के लिए लेंगे . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मधुकर सरपोतदार, कृपया सहयोग दीजिए। आपको अधिक समय मिलेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री मधुकर सरपोत्दार :** महोदय, मुझे रात के दस बजे तक बैठना है . *(व्यवधान)*

कृपया बैठ जाइए।

नातदार : महोदय यह गलत परम्परा है। सभी संसद सदस्यों से ऐसा व्यवहार किया जाता है। यह बहुत गलत है . . .*(व्यवधान)*

**कुमारी किम गंगटे** (बाहरी मणिपुर) : महोदय, हमें बोलने का अवसर नहीं मिला है। हम ईसाई लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया गया है. . .*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना :** महोदय, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, दोनों, हयुमन राइट्स कमीशन की मीटिंग है, उसमें गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** अब, मैं श्री सांगतम को बोलने के लिए पुकारता हूँ।

*(व्यवधान)*

**श्री मधुकर सरपोत्दार :** महोदय, गृह मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सांगतम के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

**रात्रि 7.10 बजे**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए *अत्याचार-जारी*

**श्री के०ए० सांगतम** (नागालैंड) : महोदय, आज भारत विश्व में सबसे बड़ा प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्म-निरपेक्ष देश है। भारत के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस देश में केवल बहुसंख्यक लोग नहीं हैं बल्कि इसमें सभी तरह के भिन्न-भिन्न अल्पसंख्यकों, धर्मों, जातियों तथा प्रजातियों के लोग शामिल हैं। लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि जिन्होंने मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा विभिन्न अन्य स्थानों पर कानून को अपने हाथ में ले लिया है उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के ध्यान को आकर्षित कर लिया है।

महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस समय गृह-मंत्री जी यहाँ उपस्थित क्यों नहीं हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसे गृह मंत्री द्वारा सुना जाना चाहिए और उत्तर दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं नागालैंड का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो कि एक छोटा राज्य है ? हमारे राज्य की एक बहुत ही नाजुक समस्या है। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह मेरा भाषण सुने और हमारी समस्या को महत्व दें . . .*(व्यवधान)* महोदय, कृपया माननीय सदस्यों को सभा में सही तरीके से व्यवहार करने के लिए कहें। महोदय, मेरा भाषण न केवल विपक्ष द्वारा बल्कि सत्तारूढ़ दल द्वारा भी सुना जाना चाहिए . . .*(व्यवधान)*

महोदय, जब राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात जैसे विभिन्न स्थानों पर अत्याचार हुए थे तो मीडिया ने अनेक घटनाओं के बारे में बताया था।

आज तक भा० ज० पा० से जुड़े संगठनों ने इनका खंडन करने वाला एक भी वक्तव्य नहीं दिया है . . .*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना :** महोदय, कल दो बजे से लेकर साढ़े तीन बजे तक इस विषय पर चर्चा कर लीजिए और फिर छः बजे आडवाणी जी रिप्लाई दे देंगे। छः बजे के बाद आपको बैठना पड़ेगा।

**अध्यक्ष महोदय :** कल हम गैर सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य लेंगे।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना :** साढ़े तीन बजे से छः बजे तक प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस हो जाए और उसके पहले बहस हो जाए तथा छः बजे माननीय आडवाणी जी रिप्लाई दे देंगे। ऐसा कर लीजिए, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

*[अनुवाद]*

**श्री मधुकर सरपोत्दार :** यह ठीक है. . .*(व्यवधान)*

**श्री पी०जे० कुरियन :** महोदय, हम आज 8 बजे तक बैठेंगे . . . *(व्यवधान)*

**श्री के०ए० सांगतम :** महोदय, इतने अधिक आरोपों के बावजूद सतारूढ़ दल के साथ जोड़े जाने वाले विभिन्न संगठनों द्वारा आज तक इनका खंडन करने वाला कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। अन्य शब्दों में, वह यह बात स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा जो कुछ भी किया गया था वह गलत था . . . *(व्यवधान)*

**श्री वी०एम० सुधीरन** (अलेप्पी) : महोदय, कृपया मुझे पाँच मिनट के लिए बोलने का मौका दीजिए . . . *(व्यवधान)*

**प्रो० पी० जे० कुरियन** (मवेलीकारा) : महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अनेक अवसरों पर हमारे सदस्य बैठे रहते हैं और उन्हें

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बोलने का अवसर नहीं मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज समय बढ़ाने पर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है। जो लोग बोलना चाहते हैं वह बैठ सकते हैं। यहाँ किसी को बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यह अनिवार्य नहीं है। यह अनिवार्य क्यों हो? जो लोग बोलना चाहते हैं, वह बैठेंगे। . . . *(व्यवधान)*

**श्री अमर राय प्रधान** (कूचबिहार) : यह किसी एक दल के लिए नहीं कहा जा रहा है। . . . *(व्यवधान)*

**श्री मधुकर सरपोतदार :** आप पूरी रात बैठ सकते हैं। . . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सरपोतदार, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** (दक्षिण मद्रास) : महोदय, सभा का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाता है। अनेक सदस्य नहीं बोल सके। . . . *(व्यवधान)* हम जानना चाहते हैं कि हमें कितने समय के लिए यहाँ और बैठना पड़ेगा। . . *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** सभा का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया गया है। श्री बालू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू :** हमारी भी क्या किस्मत है? *(व्यवधान)* अब, हमारे पास 45 मिनट हैं। इन 45 मिनटों में कांग्रेस और भा० ज० पा० दोनों के सदस्य बोलेंगे। हमारी क्या किस्मत है? *(व्यवधान)* इसलिए, हम एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। *(व्यवधान)*। हम अपने समय के लिए लड़ रहे हैं। *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री बालू जी, कृपया बैठ जाइए क्योंकि कई वक्ता बोलना चाहते हैं। हमें चर्चा पूरी करनी है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सांगतम, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

*(व्यवधान)*

**श्री के० ए० सांगतम :** अनेक बार जब किसी संस्था में रैगिंग होती है तो राज्य इस रैगिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित करते हैं। इस मामले में, कुछ संस्थाएं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति अत्याचार कर रही हैं परंतु सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। भारत सरकार ने इन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार बहुत कड़े कानून बनाए जिससे ऐसे अपराध करने वालों को सजा मिल सके। उन्हें ऐसे काम करने के लिए आजीवन कारावास तक की सजा दी जानी चाहिए क्योंकि इससे समाज के विभिन्न वर्गों में दुश्मनी फैलती है। . . . *(व्यवधान)*

अब, मैं अपने राज्य, नागालैंड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाल ही में भाजपा के महासचिव, श्री गोविंदाचार्य ने पूर्वोत्तर में विशेषकर नागालैंड में वक्तव्य दिया था कि नागालैंड में कुछ मिशनरियाँ हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए धन का लालच दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के भड़काने वाले वक्तव्य नहीं दिए जाने चाहिए और इतना ही नहीं जो समझते हैं कि यह देश सुरक्षित रहे उन्हें भविष्य में ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए। अधिक समय नहीं हुआ है जब हम ईसाई धर्म के आने के बाद आपसी होड़ से उभर पाए हैं और इसी कारण हम कुछ सभ्य आधुनिक और शिक्षित हो सके हैं।

यहां मैं यह कहना चाहूँगा कि कुछ दलों द्वारा कुछ भड़काने वाले वक्तव्य भी दिए गए हैं कि वे पूर्वोत्तर में विशेषकर नागालैंड में ईसाईयों को हिंदू बनाने के लिए हजारों हिंदू साधू भेजेंगे। मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात नहीं है। जब लोग अपनी इच्छा से अपना जीवन बसर कर सकते हैं तो वे दूसरों पर कोई दूसरा धर्म क्यों थोपते हैं।

इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार को इस तरह के वक्तव्य की जाँच करनी चाहिए और जो इस तरह का प्रचार करता है तथा ऐसा वक्तव्य देता है उसे इन राज्यों में कदम न रखने के लिए कहा जाए और पूर्वोत्तर तथा नागालैंड राज्य को जैसा है वैसा ही रहने दें तथा उन्हें धर्म आदि की स्वतंत्रता का आनन्द लेने दें।

चूंकि समय कम है इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि इस देश में कड़े कानून बनाए जाएं और जो भी अधर्म फैलाता है या दूसरे के धर्म को दबाने की कोशिश करता है उसे जहां तक संभव हो बड़ी से बड़ी सजा दी जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ और अन्य सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विषय पर मेरा समर्थन करें और तर्क दें।

**डा० बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) :** अध्यक्ष महोदय, भारत एक बहुधर्म समाज है, फिर भी हमने इन सभी वर्षों में धार्मिक सामंजस्य देखा है। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज का बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समाज में ध्रुवीकरण हो गया है और इस ध्रुवीकरण के कारण बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समाज में विवाद उत्पन्न हो गया है।

भारत में ईसाईयों की उपस्थिति 2000 वर्ष पुरानी है और अगर हिंदू धर्म इसे स्वीकार न करता तो भारत में ईसाई धर्म की जड़े न जमी होतीं। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की तरह हिंदूवाद का कोई सिद्धांत नहीं है। यह केवल धर्म है। इस धर्म ने हिंदूवाद को अन्य धर्मों के लिए सहनशील बना दिया है।

तथापि हाल ही में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार या पुनर्जागरण हुआ हैं। यह हिंदू धर्म का पुन: जीवित होना या पुनर्जागरण अपनेआप में एक अच्छी बात है। परंतु इससे हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होनी चाहिए। परंतु इससे सही मायने में एक सामाजिक भारतीय संस्कृति, एक सच्चे हिंदुत्व का निर्माण होना चाहिए।

अब ईसाईयों पर होने वाले हमलों का एक कारण यह है कि वे हमें विदेशी समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, ईसाईयों की उपस्थिति 2000 वर्ष पुरानी है और यह उतना पुराना है जितनी पुरानी हिंदूवाद की जाति संरचना। परंतु इस प्रकार ईसाई धर्म हिंदूवाद के औपचारिक ढांचे से लगभग दो शताब्दी पुराना है। किसी भी हाल में, धार्मिक पहचान एक राष्ट्रीय पहचान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हम ईसाई और भारतीय दोनों ही हो सकते हैं।

दूसरा कारण है कि हमने परिवर्तन पर जोर दिया है। 2000 सालों में हम केवल दो प्रतिशत जनता का ही धर्म परिवर्तन ही कर पाए हैं, हमारी जनसंख्या 25 प्रतिशत है। हमने बहुसंख्यक समुदाय को कोई चुनौती

[डा० बीट्रिक्स डिसूजा]

नहीं दी है। मुसलमान तक केवल 15 प्रतिशत हैं। इसलिए बहुसंख्यक समुदाय को ईसाईयों के होने या और अधिक धर्म परिवर्तन होने से किसी प्रकार की चुनौती नहीं समझनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि दो प्रतिशत ईसाईयों ने इस देश के लिए बहुत से अच्छे कार्य किए हैं और हमारा समुदाय काफी शांतिप्रिय है। हमें अनावश्यक ही सड़कों पर लाया गया है। अब हम सड़कों पर आ गए हैं। हम भा० ज० पा० सरकार को दोष नहीं देते। मैं भा.ज.पा. सरकार को दोष नहीं देता और सभी सही दिशा में सोचने वाले लोग इन अत्याचारों के लिए भा.ज.पा. सरकार या भा.ज.पा. के नेतृत्व को दोष नहीं देंगे। माननीय प्रधान मंत्री, माननीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने ईसाईयों पर हुए सभी अत्याचारों से अपने आपको असम्बद्ध बताया है। परन्तु एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। वह यह है कि भाजपा के नेताओं ने इस संबंध में कोई शीघ्रता नहीं की और न ही उनका डर कम करने के लिए किसी प्रकार के बयान दिए। अगर वे पहले ही इस संबंध में कदम उठाते तो ईसाई सड़कों पर प्रदर्शन न करते।

[illegible] भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन ईसाई [illegible] यह गलत प्रभाव पड़ा है कि ईसाईयों पर [illegible] अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि 98 प्रतिशत हिन्दु दो प्रतिशत ईसाईयों पर अत्याचार कर रहे हैं। यह आंकड़ा गलत है।

अत्याचार होते रहे हैं। उत्पीड़न होते रहे हैं। केवल 1998 में ही अत्याचार के 90 मामले हुए हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि ईसाईयों के विरुद्ध अत्याचार नहीं हुए हैं। इस समय मैं कोई आंकड़े नहीं देना चाहता। परन्तु हमने पश्चिम के देशों में एक गलत छवि प्रस्तुत की है। इसलिए अमेरिका क्या कहता है? अब हमने बम्ब बनाने के अपने अक्षम्य अपराध को स्वीकार कर लिया है और एक अन्य अक्षम्य अपराध अपने ईसाई साथियों पर अत्याचार करके किया है जो वास्तव में गलत है। यह केवल धर्मान्ध हिन्दुओं का एक छोटा सा समूह है जो एक विशेष समूह से संबंधित है तथा जो इसके लिए जिम्मेदार है। परन्तु यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ईसाईयों को सांवैधानिक सुरक्षा प्रदान करे। मेरी सरकार से अपील है कि जैसा कि पादरियों ने अनुरोध किया है इस विशेष मुद्दे पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए।

दूसरा, मैं यह महसूस करता हूँ कि इन विरोधों के दौरान स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत मत है। कालेज के एक पूर्व प्रोफेसर होने के नाते-मैं एक शिक्षाविद् हूँ-मैं नहीं मानता कि बच्चों को इस मामले में घसीटा जाए। यह मेरा विचार है और कई लोग मेरी बात से सहमत हैं।

तीसरा, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वे अपने स्कूल बनाएं तथा उनका रखरखाव करें। इसके साथ ही, हम सरकार से वित्त प्राप्त कर रहे हैं। जब हम सरकार से निधि प्राप्त करते हैं तो हम उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं।

मैं बाईबल से उद्धृत करना चाहूँगा जैसा कि किसी अन्य सदस्य ने भी किया है।

यीशू ने कहा है :

"सीजर को वे चीजें दे दो जो सीजर की हैं और भगवान को वे चीजें दे दो जो भगवान की हैं।"

हमें अपने आंदोलनों के दौरान धरती का नियम नहीं तोड़ना चाहिए। यह बहुत जरूरी है।

अंत में मैं नेपोलियन को उद्धृत करना चाहता हूँ। नेपोलियन ने कहा है:

चर्च राज्य में होता है परन्तु राज्य चर्च में नहीं होता है। इसका अर्थ है कि राज्य को लोगों पर किसी धार्मिक भावना को नहीं थोपना चाहिए या किसी धार्मिक सूक्ति को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए।

जब मैं कालेज में पढ़ा रहा था, मैंने सरस्वती पूजा में भाग लिया था, क्योंकि मैं सरस्वती को विद्या की देवी मानता हूँ कोई हिन्दु देवी नहीं। परन्तु मुसलमान जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं वे निश्चय ही अपने ऊपर सरस्वती वन्दना थोपे जाने को नहीं मानेंगे। मैं इससे सहमत हूँ। इसलिए यह लोगों पर छोड़ा है। मैं यह समझता हूँ कि अगर सरकार श्वेत पत्र नहीं निकालती तो यह बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, ईसाई और हिन्दू की बात चलती रहेगी। हमारी छवि न केवल देश में विकृत होगी बल्कि विदेशों में बिगड़ेगी। मैं विभिन्न धर्मों के प्रति अन्त:विश्वास पर चर्चा करने की सिफारिश करता हूँ। समस्या यह है कि हम दूसरे लोगों के धर्म को नहीं समझते। हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। इसी अज्ञानता से विवाद उत्पन्न होता है। मेरा अनुरोध है कि यह अन्त:विश्वास पर आधारित चर्चा हमारे स्कूलों से ही शुरू हो जानी चाहिए। हमें स्कूलों में हमें अन्य लोगों के अपने धर्मों में विश्वास के बारे में भी सीखना चाहिए। संस्कृत या अन्य किसी सूक्ति को थोपे जाने की बजाय हमें एक दूसरे धर्म के प्रति विश्वास के बारे में जानना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**प्रो० जोगेन्द्र कवाडे** (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों के सिलसिले में देश के सबसे बड़े सदन में जो गंभीर चर्चा चल रही है, उसे सारा देश देख रहा है। देश के कई हिस्सों में ईसाइयों, मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों, बौद्धों पर होने वाले अत्याचारों की यहां चर्चा की गई। देश के लिये यह बड़े शर्म की बात है कि अत्याचारों का सिलसिला अभी जारी है। यहां पर एक बात बार-बार कही गई कि पिछले पचास सालों में इन्होंने क्या किया। अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 सालों में जिन लोगों ने राज किया, लेकिन आज जो राजगद्दी पर बैठे हैं, 50 वर्षों में अत्याचारी व्यवस्था इन्होंने दी थी।

यहां बात आई 700 वर्षों की कि कितना जुल्म और अत्याचार किया गया, मातृत्व की बात की गई, लेकिन 7000 वर्षों में इस देश के अंदर इन्हीं लोगों ने, इस देश के दलितों के साथ, अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ जो जुल्म और अत्याचार किये, वह कहानी बताना ये भूल गए। इस देश की व्यवस्था ने इस देश की संस्कृति ने जिस प्रकार से इस देश के दलितों को, अल्पसंख्यक समुदाय को सताने का काम किया है वह बहुत शर्मनाक है। राजस्थान में ले लीजिए, गुजरात में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए या और कई राज्यों में जो शायद सत्ताधारी पार्टी के हों या नहीं, जिस किसी राज्य में इस प्रकार के जुल्म और अत्याचार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ होते हैं, वह बड़ी शर्मनाक बात है।

मैं यहां बताना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के सांगली जिले के बोरगांव में दलितों के, बौद्धों के 50 मकानों को जलाकर राख कर दिया गया। घाटकोपर, मुम्बई में 11 दलितों को मौत के घाट उतार दिया

गया। इसी दिल्ली नगरी में गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा नाम के दो मासूम बच्चों को यहां बिल्ला-रंगा जैसे शैतानों ने मौत के घाट उतारा तो इसी सदन में उनको देश के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की गई लेकिन जब दलितों का कत्ले-आम होता है, 11 दलितों को मौत के घाट उतारा जाता है, कहीं मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जाता है, कहीं ईसाइयों पर हमले किये जाते हैं तो इस सदन में एक मिनट भी खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करने की कभी कोशिश नहीं की गई। यह जो भेदभाव यहां हो रहा है, इस भेदभाव के खिलाफ सब लोगों को एक साथ मिलकर आवाज़ उठनी चाहिए। इलाहाबाद की बात मैं बताना चाहता हूँ। वहां एक अनुसूचित जाति के सेशन जज की बदली दूसरी जगह हो गई, उसकी जगह कोई पंडित जाति का जज आ गया तो आने के बाद उसने जज की कुर्सी पर बैठने से पहले गंगाजल से उसे धोया। इतना बड़ा कलंक हमारे देश को लगाने वाले सेशन जज के खिलाफ वाजपेयी साहब की सरकार ने, आडवाणी साहब की सरकार ने कौन सी कार्रवाई की यह हम पूछना चाहते हैं।

आज जहां सरस्वती वन्दना की बात की जाती है, वन्दे मातरम् की बात की जाती है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह केवल वन्दना की बात नहीं है। इसे थोपा जा रहा है और इस देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है और इस डर से इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय, इस देश के बौद्ध, इस देश के दलित आतंकित नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए वे संघर्ष के लिए तैयार हैं। जब 700 वर्षों की बात आप करते हैं तब आपकी मर्दानगी कहां गई थी, तब कहां चूड़ियां पहनकर बैठे थे आप लोग? और आज जब हमारे देश को आजादी मिली, सबने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया तब आप बहुसंख्यक होने के नाते अल्पसंख्यकों को, दलित पिछड़ों को कुचलने की बात करते हैं यह जोर-जबर्दस्ती है और अगर बहुसंख्यक लोग इस इस प्रकार की बात करेंगे तो इस देश के गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, इस देश के अल्पसंख्यक लोगों को . . *(व्यवधान)*

**श्रीमती भावना बार्दम दवे** (सुरेन्द्रनगर) : अध्यक्ष महोदय, इनसे कहिए कि हमारी चूड़ियों को बीच में मत लाएं। उनको बदनाम मत करो। . . *(व्यवधान)*

**प्रो. जोगेन्द्र कवाडे :** इस देश के इतिहास को बदलने की बात की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इस देश की तकदीर बदलने का काम हम मिलकर करें। इतिहास बदलकर सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता है इसलिए आप ध्यान रखिये कि -

"खून तो फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है।<br>
सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है"

अगर देश को बरबादी और तबाही से बचाना है तो इस देश की सभी जातियों और धर्मों के लोगों को सम्मान और इज्ज़त के साथ जीने का अधिकार देना होगा। बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के तहत इस देश के सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी समुदायों का सम्मान होना चाहिए, सभी लोगों की हिफाज़त होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि हम अब जाति और धर्म की बात करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है।

अध्यक्ष महोदय, समय कम है, मैं समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर ये केवल सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे अयोध्या की बात हो या मंदिर की बात हो, केवल सत्ता और कुर्सी पाने के लिए ये हम लोगों का खून बहा देते हैं, लोगों को बरबाद कर देते हैं, मां से उसका बेटा छीन लेते हैं, बहन से उसका भाई छीन लेते हैं, भाई से भाई छीन लेते हैं और देश की एकता और अखंडता को कलंकित करने की कोशिश करते हैं। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं कि जब हम आखिरी सांस लेते हैं, जब धरती मां की गोद में जाते हैं तो चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हों, ब्राहमण हो या बनिया हो, ठाकुर हो, दलित हो या चमार हो, यह धरती माता आपकी जाति या धर्म नहीं पूछती, सभी को अपनी कोख में प्यार से जगह देती है। हम उसी भारत माता के बच्चे हैं। फिर आप जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई-झगड़ा क्यों करवाते हो? इस देश के ईसाई, मुसलमान, बौद्ध या दलितों पर यह अत्याचार क्यों होता है? आप अयोध्या की मांग करते हैं। लेकिन बौद्ध गया का महाबोधि बुद्ध विहार सम्राट था, अशोक ने बनवाया था, आज तक आप उसे बौद्धों को नहीं दे सकें। अपनी तो अपनी दूसरों की चीज को भी अपना बनाना आपकी आदत है। आपको इस आदत को छोड़ना पड़ेगा।

इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो चर्चा यहां हो रही है इस चर्चा के माध्यम से सारे देश को एक संदेश जाना चाहिए कि इसके बाद हम राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति के लिए धर्म और जाति का कभी इसतेमाल नहीं करेंगे। जब भी देश की एकता व अखंडता का सवाल आयेगा, हम पिछली सारी बातों को भूलकर, हम सब एक होकर इस देश की रक्षा करेगें, इस देश की इंसानियत की रक्षा करेंगे। आपने मस्जिद को तोड़कर इस देश को कलंकित किया है। इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार करके जो कलंक आपने इस देश पर लगाया है, उसे हम धोकर रहेंगे और इसके बाद ऐसा कोई कलंक देश पर नहीं लगने देंगे। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम।

**श्री एस०एस० ओवेसी** (हैदराबाद) : स्पीकर साहब, मैं आपके चंद मिनट लेना चाहता हूं और यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात पर हुकूमत गौर करे कि जिस तरीके से अकलियत अपने आपको ऐसा महसूस कर रही है कि वे एक मौत के साये में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखते हैं कि चिकमगलूर में दरगाह के ऊपर जो कब्जे हुए, उसके बाद जिस तरीके से नर्नो के साथ हरकतें की गईं, फिर इसके साथ-साथ कहीं सरस्वती वंदना और कहीं वंदेमातरम् जैसी नई-नई किस्म की चीजें लाई जा रही हैं। हमें यह गौर करना है कि इनके अलावा भी और मसाइल हैं। आप जिस तरीके से ये सब कर रहे हैं, उसकी वजह से काफी तौर पर लोगों में एक आम बैचेनी है। इसके खिलाफ कोई फतवा देता है तो अली मिया के घर की तलाशी और उनकी बेइज्जती करना यह एक बहुत गलत बात है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि छः दिसम्बर का दिन दिवाली जैसा मनाया जाए - आप बताईए क्या यह अच्छी बात है। इस तरीके से जो कुछ भी किया जा रहा है वह एक गलत सी बात है। आप माइनोरिटीज की बात करते हैं, मैं कहूंगा कि शोबाये किस्म के लोगों को रखकर अगर आप उनसे कुछ कहलवायेंगे तो आप यह बात अपने जहन में रखिये कि इस वक्त उसे तमाम हिंदुस्तान देख रहा है। अगर इसी तरीके की यहां बातें होंगी

**[श्री एस०एस० ओवेसी]**

तो उसका असर खुद आपकी पार्टी पर क्या पड़ेगा? आप गौर करिये चंद लोगों को लेकर आप जो चाहे कहलवा सकते हैं, बिकाऊ माल तो बहुत मिल जाता है, लेकिन उससे फायदे की बजाय खुद आप ही को नुकसान पहुंचेगा।

**रात्रि 7.37 बजे**

**[श्री पी०एम० सईद** *पीठासीन हुए*]

चेयरमैन साहब मैं यहां केवल इतनी ही बात कहूंगा कि अकलीयत के ताल्लुक से, जो उनके मसाइल हैं, उनके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई जाए ताकि अकलीयतों की बहयूदी हो सके और उनकी वजारत बढ़ सके और उसके अंदर तमाम अकलीयत के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। इस तरह की बात हमारे सूबे में हुई है। हमने इसकी तजबीज की थी। वहां इस प्रकार का कार्य हो गया है।

चेयरमैन साहब, तालीम के बारे में आप देखें। हमारी मेहनत है, हमारा पैसा है, कॉलेज हमारा है और आप कहते हैं कि 50 प्रतिशत हमको दे दिया जाए। आप बताईए क्या यह जुल्म नहीं है? ख़ुराना साहब, आप खुद कहिए। मायनारिटीज के लिए आर्टीकल 30 के अंदर [illegible] यह अख्तियार दिया गया है कि हम अपनी मेहनत [illegible]तो वह हमारी है और आप उसमें भी कहते [illegible] दीजिए। . . . *(व्यवधान)*

**श्री मदन लाल खुराना :** किस का 50 प्रतिशत?

**श्री एस.एस. ओवेसी :** मैडीकल इंजीनियरिंग की सीटें।

**श्री मदल लाल खुराना :** इस बारे में तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है।

**श्री एस.एस. ओवेसी :** मैं यही कह रहा हूं कि जब सुप्रीमकोर्ट का आर्डर है, तो फिर आपने यहां कोई रिजोल्यूशन लाकर उसके बारे में तवज्जुह क्यों नहीं दी जिसके कारण आज इस देश के मुसलमान अपने को गैर-महफूज समझते हैं। हम कुछ भी करें वह सही है और हम (मुसलमान) यदि अपनी मेहनत से कोई चीज बनाएं, तो उसका भी आधा आपको दें यह कैसे चलेगा? श्री कृष्ण कमीशन पर डेढ़ करोड़ रुपया सरफ हुआ, लेकिन उसको आपने कुबूल नहीं किया। आखिर अदालतें हैं या क्या है? एक तरफ इस तरह का माहौल चल रहा है कि आप अदालत की बात को कुबूल नहीं करते और दूसरी तरफ कहते हैं कि अदालत का फैसला है इसलिए 50 परसेंट सीटें हमें दो।

सभापति महोदय, हर स्टेट में अपना-अपना तराना गाने की बात हो रही है। आन्ध्रप्रदेश में तेलुगू तल्ली का नया तराना गाने की बात हो रही है। अगर इस मुल्क के हर सूबे में अलग-अलग तराना गाया जाएगा, तो फिर इस मुल्क के कौमी तराने का क्या होगा और यह बात आखिर कहां जाकर रुकेगी और इसका क्या अंजाम होगा। इस पर आप खुद गौर करिए कि इस तरह से आप किस तरफ जाएंगे। इसको तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। आन्ध्रप्रदेश में कहा जा रहा है कि हम तेलगू तल्ली की अलग तराना गाएंगे। आखिर हर स्टेट अपना-अपना तराना गा रहा है, तो कौमी तराने का क्या होगा। उस पर तवज्जुह देने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि इस तरीके से आप इस पर तवज्जुह दें और जो हालात देश में हो रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी खत्म करें।

चेयरमैन साहब, आखिर में मैं फिर कहना चाहूंगा कि मुसलमानों के मसालयल के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाने की जरूरत है। यदि आप अलग मिनिस्ट्री बना देंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत से मसायल आपके लिए आसान हो जाएंगे और अपने आप मिट जाएंगे। चेयरमैन साहब मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

**جناب سلطان صلاح الدین اُویسی (حیدر آباد) :** اسپیکر صاحب، میں آپ کے چند منٹ لینا چاہتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر حکومت غور کرے کہ جس طریقے سے اقلیت اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہی ہے کہ وہ ایک موت کے سائے میں اپنی زندگی گذار رہے ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ چکم مگلور میں درگاہ کے اوپر جو قبضے ہوئے اور اسکے بعد جس طریقے سے ننوں کے ساتھ جو حرکتیں کی گئیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کہیں سرسوتی وندنا اور کہیں وندے ماترم جیسی نئی نئی قسم کی چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اور مسائل کیا ہیں، لیکن اسکے لئے آپ جس طریقے سے یہ سب کر رہے ہیں، اسکی وجہ سے خاص طور پر ایک عام بے چینی ہے اور اسکے خلاف کوئی فتویٰ دیتا ہے تو علی میاں کے گھر کی تلاشی اور انکی بے عزتی کرنا یہ ایک بہت بڑی غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وشو ہندو پریشد کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ چھ دسمبر کو دیوالی کے جیسا منایا جائے۔ آپ بتائیے کیا یہ اچھی بات ہے۔ اس طریقے سے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ ایک غلط سی بات ہے۔ آپ مائناریٹی کی بات کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ آپ جس طریقے سے شعبۂ قسم کے لوگوں کو رکھ کر اگر آپ اُن سے کچھ کہلوائیں گے تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیئے کہ اس وقت تمام ہندوستان دیکھ رہا ہے اور جب اس طریقے کی یہاں باتیں ہونگی تو اسکا اثر خود آپ کی پارٹی پر کیا پڑے گا۔ آپ غور کریئے چند لوگوں کو لیکر آپ جو چاہے کہلوا سکتے ہیں، بکاؤ مال تو بہت مل جاتا ہے، لیکن اس سے فائدے کی بجائے خود آپ ہی کو نقصان پہنچے گا۔

چیئرمین صاحب، میں یہاں صرف اتنی ہی بات کہوں گا کہ اقلیت کے تعلق سے، جوانکے مسائل ہیں، انکے لئے ایک الگ منسٹری بنائی جائے تاکہ اقلیتوں کی بہبود ہو سکے اور انکی وزارت بڑھ سکے اور اسکے اندر تمام اقلیت کے مسائل کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی بات ہمارے صوبے میں ہوئی ہے۔ ہم نے اسکی تجویز کی تھی۔ وہاں اس طرح کا کام ہو گیا ہے۔

چیئرمین صاحب، تعلیم کے بارے میں آپ دیکھیں۔ ہماری محنت ہے، ہمارا پیسہ ہے، کالج ہمارا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ۵۰ فیصد ہم کو دے دیا جائے۔ آپ بتائیے کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کھورانہ صاحب، آپ خود کہئے۔ مائناریٹیز کے لئے آرٹیکل ۳۰ کے اندر کانسٹی ٹیوشن میں ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنی محنت سے کوئی چیز بناتے ہیں، تو وہ ہماری ہے اور آپ اس میں کہتے ہیں کہ ۵۰ فیصد ہمیں دے دیجئے۔۔۔(مداخلت)

**شری مدن لال کھورانہ :** کس کا ۵۰ فیصد؟

**جناب سلطان صلاح الدین اُویسی ( حیدرآباد) :** میڈیکل انجینیرنگ کی سیٹیں۔

**شری مدن لال کھورانہ :** اس بارے میں تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔

**جناب سلطان صلاح الدین اُویسی ( حیدرآباد) :** میں یہی کہہ رہا ہوں جب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، تو پھر آپ نے یہاں کوئی ریزولوشن لاکر اس کے بارے میں توجہ کیوں نہیں دی جس کی وجہ سے آج اس ملک کے مسلمان اپنے کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کریں وہ صحیح ہے اور ہم (مسلمان) اگر اپنی محنت سے کوئی چیز بنائیں، تو اسکا بھی آدھا آپ کو دیں یہ کیسے چلے گا؟ شری کرشن کمیشن پر ڈیڑھ کروڑ صرف ہوا، لیکن اسکو آپ نے قبول نہیں کیا۔ آخر عدالتیں ہیں یا کیا ہیں؟ ایک طرف اس طرح کا ماحول چل رہا ہے کہ آپ عدالت کی بات کو قبول نہیں کرتے اور دوسری طرف کہتے ہیں کی عدالت کا فیصلہ ہے اسلئے ۵۰ فیصد سیٹیں ہمیں دو؟

چیئرمین صاحب، ہر اسٹیٹ میں اپنا اپنا ترانہ گانے کی بات ہو رہی ہے۔ آندھرا پردیش میں تیلگو تلّی کا نیا ترانہ گانے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس ملک کے ہر صوبے میں الگ الگ ترانہ گایا جائیگا، تو پھر اس ملک کے قومی ترانے کا کیا ہوگا اور یہ بات آخر کہاں جاکر رُکے گی اور اسکا کیا انجام ہوگا۔ اس پر آپ خود غور کریئے کہ اس طرح سے آپ کس طرف جائیں گے۔ اسکو تو آپ کو کنٹرول کرنا چاہئے۔ آندھرا پردیش میں کہا جارہا ہے کہ ہم تیلگو تلّی کا الگ ترانہ گائیں گے۔ آخر ہر اسٹیٹ اپنا اپنا ترانہ گا رہا ہے، تو قومی ترانے کا کیا ہوگا۔ اس پر توجہ دینے کہ ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس طریقے سے آپ اس پر توجہ دیں اور جو حالات ملک میں ہو رہے ہیں، انکو جلدی سے جلدی ختم کریں۔

چیئرمین صاحب، آخر میں میں پھر کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے مسائل کے لئے ایک الگ منسٹری بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ الگ منسٹری بنا دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے اور اپنے آپ مٹ جائیں گے۔ چیئرمین صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔

***श्री अकबर अली खांदोकर** (संरमपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस सम्माननीय सभा में यह मेरा पहला भाषण है। मैं इस सभा का नया सदस्य हूं। इस सभा में वर्ड वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं। मै उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अकबर अली खंदोकर अल्पसंख्यक समुदाय से हूं। मैं बहुत साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूं तथा मैं लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होकर आया हूं और जिस क्षेत्र या घर से मैं आया हूं वहां पर बिजली नहीं है। मेरे गांव में सड़कें ठीक नहीं है। मै ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां पर स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी सड़कों का समुचित निर्माण नहीं हुआ है या जहां बिजली नहीं है। यदि हम आज से दिनों की गिनती करें तो मात्र 1 वर्ष 20 दिन बाद इस सदी का अन्त हो जाएगा और हम 21वीं सदी में प्रवेश कर लेंगे। हम जानते हैं कि वर्ष 2000 में संपूर्ण विश्व में कंप्यूटर प्रणाली बदल जाएगी। आज हमें देश की स्वाधीनता के पचास वर्ष पूरे करने पर गर्व है। किंतु यह वास्तव में शर्मनाक बात है कि स्वाधीनता के पचास वर्ष बाद हम हिन्दू, मुसलमान या ईसाई के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

[illegible] काजी नाजरुल ने लिखा है :

क्वेशचन?

[illegible] आर हू इज मुस्लिम?

ओह बोटमैन, यू से दे आर दि चिल्ड्रेन आफ माई मदरलैंड।

हम इन प्रसिद्ध पंक्तियों को उद्धृत कर सकते हैं -

डाइवर्स इज दि लैंग्वेज, डाइवर्स इज दि ओपिनियन,

डाइवर्स इज दि ड्रेस,

बट स्टिल अमिड्स्ट ड्राइवर्सिटी देयर इज यूनिटी।

आज इस महान व भव्य देश का युवा मुसलमान होने के नाते मैं इस सभा के समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूं। यह हिन्दू या मुसलमान का प्रश्न हमारे मन में क्यों आया है? मैं विधान सभा का सदस्य था। विधान सभा की सदस्यता त्यागपत्र देने के बाद मैंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में संसदीय चुनाव लड़ा। जब मैं चुनाव प्रचार के लिए मुस्लिम क्षेत्र में गया तो मुझसे कहा गया कि हिन्दुओं के साथ मेरे संबंधों के कारण मैं मुसलमान के मत नहीं मांग सकता हूं। जब मैं हिन्दू क्षेत्र में गया तो मुझे बताया गया कि मुसलमान होने के नाते मुझे मत नहीं मिल सकते। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में ये दो शब्द हिन्दू और मुसलमान तथा इन दो समुदायों के बीच विभाजन कब तक चलेगा? अल्पसंख्यकों को भेदभाव का सामना कब तक करना पड़ेगा? इतिहास किसने लिखा है? स्वतंत्रता के 50 वर्षों में से हमारे देश पर 40 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया और पश्चिम बंगाल में 22 वर्षों से माकपा का शासन चल रहा है। मैं बंगाल से आया हूं। यदि हम इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज को दीर्घकाल से हिन्दू और मुसलमान का मुद्दा तंग कर रहा है। जिस दिन सत्र आरंभ हुआ हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख या मंदिर और मस्जिद का मुद्दा यहां उठाया गया है जिससे अनेक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे प्रभावित हुए हैं। हमें शर्म महसूस होती है कि स्वाधीनता के पचास वर्ष बाद भी हम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख या मंदिर व मस्जिद के तुच्छ प्रश्न पर समय नष्ट कर रहे हैं। महोदय, मुझे यह कहते खेद है कि हमारा स्तर कितना गिर गया है कि हम महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा कर रहे हैं और फिजूल चर्चा में व्यस्त हैं। संसद सत्र के एक मिनट पर भारी धन व्यय किया जाता है जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। सभा की एक बैठक पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद हम मंदिर-मस्जिद के इस तुच्छ विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या हमने एक बार भी सोचा है कि हम ऐसे मुद्दों को क्यों उठाएं और ऐसे मुद्दों पर धन बर्बाद क्यों करें? गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए मदरसे क्यों न हों, उनके पास घास-फूस की छत के बजाए पक्की छत क्यों न हो? वे बेहतर सुविधाओं युक्त बेहतर जीवन क्यों नहीं जी सकते हैं। उनके बच्चों को विद्यालयों और महाविद्यालयों में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती है? उनके बच्चे उच्च पदों का दावा क्यों नहीं कर सकते हैं? इन गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभा में कभी चर्चा नहीं की गई। हम केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में ही व्यस्त हैं। वास्तव में यह खेद का विषय है कि केवल मंदिर या मस्जिद का प्रश्न हमें क्यों परेशान करता है। हम अन्य गंभीर मुद्दों के बारे में बिलकुल चिंतित नहीं हैं।

क्या यह पाप है कि मैं अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार से हूं? पश्चिम बंगाल में 22 वर्षों से वामपंथी मोर्चे की सरकार शासन कर रही है। मैं अपने जिले हुगली की एक विशेष घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे जिले से हम तृणमूल के तीन संसद सदस्य हैं। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किंतु निमंत्रण पत्र में केवल दो संसद सदस्यों के नाम थे। मेरा नाम नहीं था। क्या निमंत्रण पत्र में मेरा नाम इसलिए नहीं था कि मैं अल्पसंख्यक ग्रुप से हूं? तब मुझे यह महसूस हुआ क्योंकि मैं एक अल्पसंख्यक ग्रुप या तृणमूल से संबंधित एक मुसलमान हूं। मैं पिछले 20 वर्षों से जिला मजिस्ट्रेट के कक्ष में जा रहा हूं। वहां पर चपड़ासी, सफाई कर्मचारी और कर्मचारी हर कोई मुझे जानता है। किंतु जब मुझे औपचारिक बैठक के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया तो भी मुझे प्रवेश करने नहीं दिया। मुझे पुलिस अधीक्षक के कक्ष में प्रवेश करने नहीं दिया गया हालांकि मैं वहां औपचारिक बैठक में भाग लेने और पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार गया था।

महोदय, मैं पश्चिम बंगाल की अनेक घटनाओं का उल्लेख कर सकता हूं। महोदय, मुझे कुछ और समय दीजिए। मैं नया सदस्य हूं और यह इस सभा में मेरा पहला भाषण है। यदि आप अभी घंटी बजा देंगे तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकूंगा। कृपया मुझे और समय दीजिए। मैने अभी बोलना शुरू किया है।

हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में 22 वर्षों से एक पार्टी शासन कर रही है। किंतु अल्पसंख्यकों से संबंधित घटनाएं आखें नम कर देती हैं. जब एक मुस्लिम महिला को नग्न कर गलियों में घूमने के लिए बाध्य किया जाता है तो कोई विरोध क्यों नहीं किया जाता है? जब किसी मुस्लिम महिला के बालों को कैंची से काटकर उसे गली में घुमाया जाता है तो किसी ने विरोध नहीं किया। जब विक्रमपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घर जलाए गए और जब एक मुस्लिम महिला के बच्चे की उसी के सामने हत्या की जाती है और उसे एक बूंद भी पानी नहीं दिया गया तो कोई विरोध क्यों नहीं किया गया, अब मै पाता हूँ कि सभी दलों के सदस्य और नेता अल्पसंख्यकों की दशा पर आंसू बहा रहे हैं। हुगली जिले के दसधारा गांव की एक भयावह घटना का

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जिक्र करते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। एक अल्पसंख्यक परिवार के इकलौते बच्चे को उस कार से जबरदस्ती खींचा गया था जिसमें वह सफर कर रहा था तथा लगातार पीटा गया जब वह फिर भी जिन्दा था तो उसे कुल्हाड़ी से काटकर मारा गया, यह भयानक घटना अपराहन 4 बजे हुई। उस हृदयविदारक घटना को देखकर स्कूल से घर लौटते बच्चे बेहोश हो गए। तब इन लोगों ने कोई विरोध क्यों नहीं किया जो आज अल्पसंख्यकों पर किए गए अत्याचारों पर आंसू बहा रहे हैं। दोषी व्यक्तियों को गिरफतार क्यों नहीं किया गया वे अभी भी निर्भय होकर घूम रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सी पार्टी किस राज्य में शासन कर रही है। स्वतंत्रता के 50 वर्ष में केन्द्र में 40 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया और पश्चिम बंगाल में 22 वर्षों से वामपंथी मोर्चे की सरकार है तथा अब कुछ महीनों से अपने गठबंधन घटकों के साथ भाजपा केन्द्र में सत्तारूढ़ है, यह खेद का विषय है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मुद्दे पर पिछले सत्र में भी चर्चा की गई थी। इस पर वर्तमान 12वीं लोक सभा में चर्चा की जा रही है। मैं जानता हूं कि इस मुद्दे पर 13वीं, 14वीं या 15वीं लोकसभा में भी चर्चा की जाएगी। अल्पसंख्यकों के विषय पर प्रत्येक सत्र में चर्चा की जाएगी किन्तु परिणाम क्या निकलेगा? हम अपनी स्वाधीनता के इतिहास पर चर्चा करेंगे, हम अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा करेंगे। किंतु क्या इन चर्चाओं का कुछ परिणाम निकलेगा? क्या अल्पसंख्यकों के, चाहे मुस्लिम हों, इसाई या सिक्ख, के हितों की सुरक्षा की जाएगी?

सभापति महोदय, मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा इस सम्माननीय सभा को विभाजित करने के लिए नहीं की जानी चाहिए हालांकि तृणमूल कांग्रेस भाजपा का सहयोगी दल है तथापि बावरी मस्जिद के विध्वंस के विरोध स्वरूप हमने 6 दिसम्बर को काले दिन के रूप में मनाया। महोदय, प्रश्न उठ सकता है कि सत्तारूढ़ दल का सहयोगी दल बावरी मस्जिद के विध्वंस को एक काले दिन के रूप में कैसे मना सकती है। महोदय, मैं यह स्पष्ट करता हूं कि हालाँकि हम भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि हम अन्याय के प्रति अपने कर्तव्य में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि समय आ गया है कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर साकारात्मक ढंग से चर्चा की जाए। इस गंभीर मुद्दे पर हमें सभा को नहीं बांटना चाहिए। हमें एक समिति का गठन करना चाहिए तथा इस मुद्दे पर इस प्रकार चर्चा करनी चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शांति पुर्वक रह सकें। हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिएं तथा ठोस निर्णय लेने चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को सुरक्षा हो सके, वोट बैंक की राजनीति का हर कीमत पर तिरस्कार किया जाना चाहिए। वोट की राजनीति का यह खेल कई वर्षों से चला आ रहा है। हमें इस गंदी राजनीति के खेल को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक जुट होना चाहिए और एक ठोस कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि अल्पसंख्यक अपने भय और आशंका को भूल सकें और शांतिपूर्वक रह सके।

मैं कई बातों का जिक करना चाहता हूँ लेकिन समयाभाव के कारण मैं संक्षेप में ही बोलूगां। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप वोट की राजनीति को भूल जाइए और अल्पसंख्यकों-चाहे मुसलमान अथवा सिख अथवा ईसाई हो- के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करने की पहल करें मैं आपका पुन: धन्यवाद करता हूं कि - आपने मुझे इस मामले पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया।

**कुमारी किम गंगटे (बाह्य मणिपुर) :** सभापति महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं समझती हूं कि इसे स्त्री-पुरुष में समानता कहा जाता है। 545 सदस्यों में से मैं अन्तिम सदस्य हूं जिसे बोलने के लिए कहा गया है। मैं फिर भी इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

**सभापति महोदय :** कुमारी गंगटे, कृपया आप सीधे विषय पर आइए। आपको अत्यन्त संक्षेप में भाषण देना होगा।

**कुमारी किम गंगटे :** मैं ऐसा करने का प्रयास करूंगी। लेकिन मैं पूरा दिन यहां बैठी रही हूं और कुछ लोगों को बोलने के लिए एक घंटे तक का समय दिया गया है हमें पूरा दिन इन्तजार करना पड़ा है और तब भी हमें कहा जा रहा है कि अपनी बात जल्दी से कहो और कुछ ही मिनटों में समाप्त करो। मैं समझती हूं यह बिल्कुल गलत है। समझती हूं हमारे मौलिक अधिकारों में वास्तव में यहां कटौती कर दी गई है। कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए।

**श्री सी.पी. राधाकृष्णन :** महोदय, इन्होंने यह जो कहा है वह बिल्कुल ठीक कहा है।

**कुमारी किम गंगटे :** यद्यपि यह मेरा पहला कार्यकाल है मैं अपने राज्य के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। मैं इस सदन में शिकायत दर्ज करना चाहती हूं कि वरिष्ठ सदस्यों को अधिक समय दिया जाता है और हम कनिष्ट सदस्यों को बहुत कम समय दिया जाता है जबकि वरिष्ठ सदस्यों की तुलना में हमारी काफी अधिक समस्याएं होती हैं। इसके लिए मुझे खेद है। मैं आशा करती हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाएगा।

महोदय, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अनेक पीढ़ियों से अपने सहिष्णुता और अहिंसा के लिए विख्यात देश में मुझे इसाईयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और प्रताड़ना के बारे में बोलना पड़ रहा है। महोदय, मैं कामना करती हूं कि जब देश भुखमरी और तृष्णा जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहा हो तब भी मुझे इस माननीय सदन में ऐसे अत्यन्त खेदजनक मुद्दे पर न बोलना पड़े। मुझे बहुत खेद है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और इस पर काफी समय बरबाद किया जा रहा है। हालांकि महोदय, मैं इस बात की प्रशंसा करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने ऐसी घटनाओं की घोर निन्दा की है।

तथापि मैं महसूस करती हूं कि यह निन्दा बिल्कुल पहली घटना होने पर ही की जानी चाहिए थी ताकि इसके बाद होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता। इसके साथ मुझे यह नोट करके भी दुख हुआ कि इस देश के कई अत्यन्त जिम्मेदार नेताओं और पूर्व संसद सदस्यों ने इन कृत्यों को औचित्यपूर्ण ठहराया है। महोदय मैं नहीं समझती कि इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य चर्च पर धावा बोलने और बाईबल को जलाने जैसी अमानवीय कृत्यों से सहमत होगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ईसाई समुदाय को आन्दोलन पर उतर आना पड़ा है। मेरा जन्म इसाई परिवार में हुआ और पालन पोषण इसाई स्कूल और कॉलेज में हुआ। हमारे शिक्षकों ने हमें यही शिक्षा दी कि हमें हमेशा ईश्वर की सेवा करते हुए समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। और आज मुझे बहुत दुख हुआ कि ईसाईयों को अपनी शिकायतों को उजागर करने के लिए सड़क पर उतर आना पड़ रहा है।

महोदय, एक दूसरे पर दोष मढ़ने की बात नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लेकिन जनता

[कुमारी किम गंगटे]

निरन्तर मुसीबतें झेल रही है। महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक और इसाई समुदाय के लोग मानसिक रूप से पीड़ित है। उन्हें आशंका है कि संविधान के तहत गारंटी दिये गए मौलिक अधिकारों का आगे भी उल्लंघन हो सकता है। महोदय, मेरा सम्बन्ध ईसाई कुकी समुदाय से है।

**सभापति महोदय :** कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

**कुमारी किम गंगटे :** महोदय, अभी मुझे बोलते हुए तीन मिनट भी नहीं हुए हैं।

**सभापति महोदय :** मैडम हम प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दे रहे हैं।

**कुमारी किम गंगटे :** महोदय कृपया मेरे बोलने में व्यवधान मत डालिए। मैंने पूरा दिन इन्तजार किया है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे मेरा साथ दे। मैं समझती हूं वे सहमत होंगे *(व्यवधान)*

...नैन (चंडीगढ़) : महोदया हमें आपका इन्तजार है ...न को नहीं है . . . *(व्यवधान)* जल्दबाजी मत ...जिए।

**सभापति महोदय :** महोदया, न केवल अन्य लोगों को बल्कि मुझे भी आपके साथ सहानुभूति है।

**कुमारी किम गंगटे :** धन्यवाद, महोदय, आपको हमेशा मुझसे सहानुभूति रहती है।

**सभापति महोदय :** मेरी समस्या यह है कि 10 सदस्य अभी और बोलने वाले हैं।

**कुमारी किम गंगटे :** महोदय, मैं ईसाई कुकी समुदाय से हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं शायद आपको पता हो अथवा न हो कि सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में इस देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले 75 प्रतिशत लोग कुकी समुदाय के लोग थे और आज आई.एन.ए. स्वतंत्रता सेनानी सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों में 75 प्रतिशत कुकी समुदाय के लोग हैं। वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं इसी तरह न केवल कुकी इसाई समुदाय बल्कि अन्य इसाई समुदाय और अल्पसंख्यकों ने भी इस महान देश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी। अब हमारी छानबीन किये जाने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के पश्चात हमें अपनी वफादारी अथवा राष्ट्रीयता साबित करने के लिए क्यों कहा जा रहा है जबकि हमने इस महान देश के लिए बहुत कुछ न्यौछावर किया है।

महोदय, पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई और अल्पसंख्यक हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूं लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं। इसलिए मैं समाप्त करने का प्रयास करती हूं महोदय, चीन के आक्रमण के दौरान जब देश अपने इतिहास के कठिन दौर से गुजर रहा था तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारी हृदय से असम को अलविदा कहा था उन्होंने भारी दिल से अलविदा कहा था।

लेकिन लोग इससे सहमत नहीं थे वे उठ खड़े हुए और इसका जवाब दिया और आज पूर्व में असम नाम से पुकारा जाने वाला पूर्वोत्तर राज्य इस देश का अभिन्न अंग बना हुआ है। ये लोग ईसाई और अल्पसंख्यक थे। केवल सेना ही इस महान देश की और सीमा की संरक्षा नहीं करती है बल्कि इन्हीं ईसाईयों और अल्पसंख्यकों ने भी इस देश की सीमा की रक्षा की है और आज भी वे इन सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

मुझे आशंका है कि यदि आज हम देश की अखंडता की रक्षा धर्म के नाम पर करेंगे तो इससे इस देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे।

महोदय, मुझे खेद है कि मैंने माधव गोलवालकर की पुस्तक पढ़ी, जोकि आर.एस.एस. के दूसरे नम्बर पर सर्वोच्च नेता है, जिसमें निम्नलिखित बातें लिखी हुई हैं। इसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं उसे उद्धृत करती हूं :

> "हिन्दुस्तान में गैर-भारतीय लोग या तो हिन्दू संस्कृति और धर्म को अपना लें, हिन्दू धर्म के प्रति श्रद्धाभाव और सम्मान रखना सीख लें या हिन्दू राष्ट्र के पूर्णत: अधीन देश में रहे, किसी प्रकार का दावा न करें, वे विशेषाधिकारों के पात्र नहीं होंगे, वरीयता प्राप्त व्यवहार तो दूर उन्हें नागरिकता के अधिकार भी नहीं होंगे।"

मैं चिन्तित हूं कि कुछ गुमराह तत्व और कुछ गुमराह संगठन इस विचारधारा का अनुकरण कर रहे हैं। मैं सतारुढ़ दल को आज यह बताना चाहती हूं कि सरकार का कर्त्तव्य लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना है। *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

*(व्यवधान)*

**कुमारी किम गंगटे :** मैंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़कर मुझे अत्यधिक दुख हुआ क्योंकि कुछ गुमराह तत्व इस प्रकार की विचार-धारा को अपनाकर सामाजिक सौहार्द को हानि पहुंचा रहे हैं। मैं भाजपा पर विशेष रूप से दोषारोपण नहीं कर रही हूं या अन्य विपक्षी दलों या कांग्रेस पार्टी की निन्दा नहीं कर रही हूं। मेरा अत्यंत स्पष्ट दृष्टिकोण है। मैं मध्यमार्गी दृष्टिकोण अपनाती हूं। मेरा कहना है कि सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह लोगों के अधिकारों की रक्षा करें।

आज जब आप एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए वाद-विवाद कर रहे हैं और समय व्यर्थ कर रहे हैं और अल्पसंख्यक, ईसाई, गरीब तथा पददलित लोग कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि आज यह महत्वपूर्ण है कि सत्ताधारी और विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और कुछ ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जिससे बिना किसी विलम्ब के इन अल्पसंख्यकों के जीवन में पुन: खुशहाली लायी जा सके।

**सभापति महोदय :** इस समय आठ बज रहे हैं हमें या तो सभा का समय बढ़ाना होगा या फिर चर्चा को कल जारी रखना होगा।

*(व्यवधान)*

**श्री वी.एम. सुधीरन** (अलेप्पी) : मैं केवल पांच मिनट लूंगा।

**प्रो० ए०के० प्रेमाजम** (बडागरा) : हम सब तीन दिन से अपने बोलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** इस समय एक माननीय सदस्य और बोल सकते हैं। अन्यथा हमें समय बढ़ाना होगा। कई और माननीय सदस्यों को बोलना है।

*(व्यवधान)*

**श्री जी.एम. बनातवाला :** इस चर्चा को किसी निष्कर्ष तक पहुंचने तक जारी रखा जाना चाहिए।

**प्रो॰ ए.के. प्रेमाजम :** अब आठ ब.: रहे हैं। एक और माननीय सदस्य बोल सकते हैं परन्तु बाकी सदस्यों का क्या होगा? *(व्यवधान)*

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया) : इस चर्चा में कई दलों द्वारा विचार व्यक्त किए जाने हैं। अभी कम से कम चार छोटे दल शेष हैं - आर.एम.पी., फारवर्ड ब्लाक, टी.एम.सी. और मुस्लिम लीग . . . *(व्यवधान)*

**रात्रि 8.00 बजे**

**प्रो॰ ए.के. प्रेमाजम :** हमें हमेशा दो या तीन मिनट ही मिलते हैं। हम इसे सोमवार को जारी रख सकते हैं। ऐसा हमेशा होता हैं . . . *(व्यवधान)*

**श्री अमर राय प्रधान :** कार्य मंत्रणा समिति में हमने सभा को एक घण्टे के लिए अर्थात् सात बजे तक बढ़ाने का निश्चय किया था। परन्तु हम पहले ही सभा का समय आठ बजे तक बढ़ा चुके हैं। अब बहुत ज्यादा समय लिया जा चुका है और अब सभा को स्थगित किया जाना चाहिए . . . *(व्यवधान)*

**प्रो॰ ए.के. प्रेमाजम :** मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित नहीं है . . . *(व्यवधान)*

**श्री जी.एम. बनातवाला :** हमें भी अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिए . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** संसदीय कार्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें कहने दिया जाए।

*(व्यवधान)*

**प्रो॰ ए.के. प्रेमाजम :** मैं पिछले तीन दिनों से इन्तजार कर रही हूं। मुझे कम से कम पांच मिनट बोलने का अवसर मिलना चाहिए . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** क्या मैं कुछ कहूं?

**श्री जी.एम. बनातवाला :** कृपया हमारे लिए कुछ कहिए। कल शुक्रवार है और कल हमारे लिए समय निकालना मुश्किल होगा। . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** हम पहले ही सभा का समय आठ बजे तक बढ़ा चुके हैं। दस और सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। इस प्रकार, उन्हें बोलने के लिए कम से कम एक घण्टा लगेगा ही। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि क्योंकि श्री सुधीरन कल सुबह जा रहे हैं, उन्हें पांच मिनट दिए जाएं। यदि सभा की अनुमति है तो मैं श्री सुधीरन को पांच मिनट बोलने का अवसर दे सकता हूं।

*(व्यवधान)*

**श्री जी.एम. बनातवाला :** हम कई दिन से इन्तजार कर रहे हैं। कल शुक्रवार है और हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी . . . *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** हम एक घण्टा और बैठ सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री जी.एम. बनातवाला :** इसमें क्या कठिनाई है?. . .*(व्यवधान)*

**प्रो॰ ए.के. प्रेमाजम :** हम इस पर सोमवार को चर्चा कर सकते हैं . . *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना :** मुझे कोई एतराज नहीं है। . . . *(व्यवधान)* सुन लीजिए। . . . *(व्यवधान)* अभी आपके और इश्यूज आने वाले हैं। क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? . . . *(व्यवधान)* आपने छः इश्यूज बताए हैं। छः में से दो हुए हैं। अभी चार और इश्यूज अगले हफ्ते के लिए रहते हैं। . . . *(व्यवधान)*

**श्री अमर राय प्रधान :** आप चाहें तो . . . *(व्यवधान)*

**श्री मदन लाल खुराना :** बी.ए.सी. की पूरी बात आप मानिए। बी.ए.सी. ने चार घंटे तय किये थे। हमने इस चर्चा के लिए केवल चार घण्टे का समय आबंटित किया है। अभी वे इश्यूज भी पूरे करेंगे और यहां भी नहीं बैठेंगे। . . . *(व्यवधान)* मैं चेयर पर छोड़ रहा हूं। . . .*(व्यवधान)* सात घंटे हो गए हैं। . . .*(व्यवधान)* आप और समय ले लीजिए। दो दिन और बढ़ा दीजिए। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** इस विषय पर दस और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, इसमें कम से कम एक घंटा लगेगा। इस पर एक घंटे से भी अधिक समय लग सकता है। आपको फिर कर्मचारियों के लिए परिवहन और अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी इसे कल तक स्थगित करना चाह रहे थे।

*(व्यवधान)*

**प्रो॰ ए.के. प्रेमाजम :** महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहती हूं। इस तदर्थ व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। हम महिलाएं सभा में पूर्वाह्न 10.30 बजे आती हैं और दिन भर बैठी रहती हैं। यदि पूर्व सूचना दी गई हो तो हम मध्यरात्रि 12.00 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं परन्तु हम कुछ लोगों की सुविधा के अनुसार सभा के समय को घंटा या आधे घंटे के लिए बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं हैं।

**श्री जी.एम. बनातवाला :** कल शुक्रवार होने के कारण, यह हमारे लिए असुविधाजनक होगा। आप इस पर सोमवार को चर्चा करा सकते हैं। हमें इस पर एतराज नहीं होगा।

**श्री सत्यपाल जैन :** यदि हम अब और देर तक बैठते हैं तो कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

**श्री जी.एम. बनातवाला :** कल शुक्रवार होने के कारण हमें चर्चा को जारी रखने में असुविधा होगी। हमें इस पर सोमवार को चर्चा कराए जाने पर आपत्ति नहीं होगी।

*[हिन्दी]*

**श्री मदनलाल खुराना :** सोमवार को नए विषय लेने हैं।

**श्री जी.एम. बनातवाला :** फिर क्या किया जाए। कल जुम्मे के दिन आप लेंगे।

**شری جی ایم بنات والا (پوننانی) :** پھر کیا کیا جائے کل جمعہ کے دن آپ لیجئے۔

**श्री मदन लाल खुराना :** मुझे कोई ऐतराज नहीं है, इसको आप सोमवार और मंगलवार को भी ले लीजिए, लेकिन एक विषय आपको छोड़ना पड़ेगा।

**श्री हन्नान मोल्लाह :** देखा जाएगा।

**श्री मदनलाल खुराना :** नहीं, ऐसे नहीं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

**रात्रि 8.06 बजे**

*तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 1998/20 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*